वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

(अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (अध्याय–III) की धारा 18 के अनुपालन में वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को भारत की संसद में रखने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है)





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

बहादुर शाह ज़फर मार्ग

नई दिल्ली-110002 (भारत)

वेबसाइटः www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना

((1) आयोग में निम्नवत शामिल होंगेः–

***(i)** एक अध्यक्ष **(ii)** एक उपाध्यक्ष, और **(iii)** दस अन्य सदस्यगण, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।*

(2) अध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।

*(3) खंड **(iii)** की उप–धारा (1) में संदर्भित अन्य सदस्यगणों में से :–*

*(क) दो सदस्यों को केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके अधिकारियों में से चुना जाएगा; (ख) कम से कम चार सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो चुने जाने के समय किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हों; और (ग) शेष सदस्यों को निम्नवत व्यक्तियों में से चुना जाएगाः– **(i)** जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो; **(ii)** जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबंद्ध हों, अथवा **(iii)** जो विश्वविद्यालय के कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मतानुसार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।*

बशर्ते कि इस खंड के तहत चुने गए कम से कम आधे सदस्यगण ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।

(4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्त्तव्यों को निवर्हन करेंगे जो अध्यक्ष के लिए विहित की गई हों।

(5) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब उसे केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

1.	**अध्यक्ष**	
	प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह (*)	
	श्री के. संजय मूर्ति (**)	
	प्रो. मामीडाला जगदीश कुमार (##)	
2.	**उपाध्यक्ष**	
	पद रिक्त है	
	सदस्यगण	
3.	श्री अमित खरे (@)	सचिव (उच्चतर शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय (एमओई), नई दिल्ली
	श्री के. संजय मूर्ति (%)	
4.	श्री राजीव रंजन (+)	अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	प्रो. राघवेन्द्र पी. तिवारी (#)	कुलपति, केन्द्रीय पंजाब विश्वविद्यालय, बठिंडा
6.	डॉ. उमा चंद्रशेखर वैद्य ($)	पूर्व कुलपति कविकुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
7.	डॉ. किरण हजारिका (&)	प्राचार्य, तेंगाखाट महाविद्यालय, असम
8.	प्रो. नागेश ठाकुर (-)	आचार्य, भौतिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश
9.	प्रो. सुषमा यादव	पूर्व कुलपति, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, हरियाणा
10.	प्रो. ई. सुरेश कुमार	कुलपति, दी इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, अम्बरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना
11.	प्रो. एम. के. श्रीधर	पूर्व आचार्य और संकाय अध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययन, बेंगलुरु विश्वविद्यालय, बेंगलुरु
12.	डॉ. शिवराज	आचार्य, रसायन विभाग, विज्ञान संकाय अध्यक्ष और विकास तथा विअआ मामले के संकाय अध्यक्ष, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
	सचिव प्रो. रजनीश जैन	

(*) दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 तक
(**) दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 से 06 फरवरी, 2022 तक
(##) दिनांक 07 फरवरी, 2022 से
(@) सितम्बर, 2021 तक
(%) दिनांक 11 अक्तूबर, 2021 से
(+) दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक
(#) दिनांक 21 जून, 2021 तक
($) दिनांक 21 जून, 2021 तक
(&) दिनांक 15 जुलाई, 2021 तक
(-) दिनांक 08 मार्च, 2022 तक

प्रतिलिप्याधिकारः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

दिसंबर, 2022

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002

डिजाईन एवं मुद्रण : **दीया मीडिया आर्ट**

: डी–41/ए, मेट्रो पिलर 33 के सामने, विकास मार्ग,

: लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092

: फोनः 9312550335, 011–22504042 | ई–मेल : infodma07@gmail.com

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		vii
	कार्यकारी सारांश : 2021–22		1
1.	प्रस्तावना		21
	1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन	21
	1.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ	24
	1.3	प्रकाशन	32
	1.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	32
	1.5	केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)	58
	1.6	वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग के प्रमुख निर्णय	59
	1.7	विशेष गतिविधियां/पहल	76
	1.8	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत पहल	104
2.	उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े		107
	2.1	उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात	108
	2.2	विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों के संबंध में आंकड़े	108
	2.3	छात्रा नामांकन	172
	2.4	आउट टर्न/पास आउट	173
	2.5	शिक्षण कर्मचारी	175
	2.6	शिक्षणेत्तर कर्मचारी	177
3.		विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता	178
	3.1	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता :	178
	3.2	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को सहायता	197
	3.3	सम विश्वविद्यालय संस्थानों को सहायता	199
	3.4	राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सहायता	201
4.	विकास योजनाएं और महाविद्यालयों को सहायता		204
	4.1	महाविद्यालयों का विकास	204
	4.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12 ख के तहत महाविद्यालय	204
	4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	207
	4.4	दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान	220
5.	गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता		228
	5.1	उत्कृष्टता की संभाव्यता–शिक्षण और शोध	228
	5.2	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)	229
	5.3	स्वायत्त महाविद्यालय	230
	5.4	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)	231
	5.5	राजभाषा का संवर्धन	231
	5.6	द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	232
	5.7:	राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षाः शिक्षण तथा शोध हेतु मानव संसाधन विकास	237
	5.8	यात्रा अनुदान	245
	5.9	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)	246

	5.10	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	297
	5.11	शिक्षण और ज्ञानअर्जन की मिश्रित पद्धति	317
6.	शोध को प्रोत्साहन		318
	6.1	शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं	318
	6.2	शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक	319
	6.3	पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	319
	6.4	शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पी.एच.डी हेतु)	321
	6.5	स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	324
	6.6	स्नातकपूर्व छात्रावृत्तियां	326
	6.7	विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) कार्यक्रम (मूलभूत वैज्ञानिक शोध का सुदृढीकरण)	328
7.	लिंग तथा सामाजिक समानता		331
	7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास	331
	7.2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (असम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्राों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	332
8.	प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा		342
	8.1	विश्वविद्यालयों में क्षेत्रा अध्ययन केन्द्र	342
	8.2	भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन	344
9.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समेकन (आईसीटी)		345
	9.1	ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई–कार्यालय/ विअआ वेबसाइट	345
	9.2	ऑनलाइन ज्ञानअर्जन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि	347
	9.3	राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)	349
10.	कौशल विकास संबंधी पहल		350
	10.1	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा	350
	10.2	'इंटर्नशिप/अप्रेटिसशिप एवं एम्बेडिड' डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु दिशानिर्देश	350
	10.3	'स्किल हब' पहल	351
11.	मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन और ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन		352
	11.1	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा	352
	11.2	ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन	354
	11.3	राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता	357
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–गुणवत्ता अधिदेश– शैक्षिक क्रियाकलाप संबंधी पहल		359
	12.1	ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)	359
	12.2	मूल्यांकन सुधार	359
	12.3	छात्राों के लिए जीवन कौशल	360
	12.4	भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड)	360
	12.5	शैक्षिक शोध आचार हेतु संघ (केयर)	361
	12.6	गुरु दक्षता– संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी)	366
	12.7	परामर्श– गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों का मार्गदर्शन	367
	12.8	मूल्य प्रवाह– मूल्यपरक तथा पेशेवर आचार अंतर्निविष्ट करना	368
	12.9	पर्यावरण शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और पाठ्यचर्या ढांचा	368
	12.10	विश्वविद्यालयों के समाज तथा उद्योग के साथ संपर्क को सक्षमकारी बनाना तथा उसका विस्तार करना	368
	12.11	छात्रों की प्रगति की निगरानी करना	

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 28 दिसम्बर, 1953 को हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 यह विनिर्दिष्ट करती है कि आयोग पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक और पूर्ण विवरण देते हुए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

वर्ष 2021–2022 की वार्षिक रिपोर्ट में गुणवत्ता के साथ–साथ देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों के समन्वय और रखरखाव के लिए शीर्ष निकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई प्रमुख पहल का उल्लेख किया गया है, साथ ही, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सामान्य विकास को बढ़ावा देने के लिए विअआ द्वारा की गई पहल पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसके परिणामस्वरूप पहुंच, समानता, प्रासंगिकता और उत्कृष्टता में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आरंभ किए जाने के एक वर्ष पूर्ण होने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स', शैक्षिक कार्यक्रमों में बहु–प्रवेश और निकास संबंधी दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण आदि जैसे प्रमुख सुधारों सहित अनेक पहल भी आरंभ की गई हैं। इन पहल के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अपने हितधारकों के लिए परिवर्तनकारी सुधार लाना, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही में सुधार करना चाहता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनईपी, 2020 का 'विजन', वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, मैं हितधारकों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इन पहल को कार्यान्वित करें।

मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए आंकड़े/जानकारियां उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं तथा प्रशासकों के लिए उपयोगी साबित होंगी।

मैं, इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं, इस अवसर पर वार्षिक रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरुप में तैयार करने हेतु मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं, डॉ. एन. गोपू कुमार, संयुक्त सचिव, विअआ; डॉ. मधुकर मारुती वावरे, संयुक्त सचिव, विअआ; श्री सुभाष चन्द्र, पूर्व–समन्वयक, विअआ; डॉ. दीक्षा राजपूत, उप सचिव, विअआ; श्री गुरमीत चंद बधवार, अनुभाग अधिकारी, विअआ; डॉ. नीलम कुमारी, परामर्शदाता, विअआ; श्री पीयूष कुमार, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, विअआ; श्री अभिषेक कुमार आनंद, परामर्शदाता, इनफिलबनेट और सुश्री शीतल, अवर श्रेणी लिपिक, विअआ को उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान और अथक प्रयासों के लिए विशेषरूप से धन्यवाद देता हूं।

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार लाने के लिए बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली
दिसंबर, 2022

प्रो. मामीडाला जगदीश कुमार
अध्यक्ष

कार्यकारी सारांश : 2021–22

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 का कार्यकारी सारांश विश्वविद्यालयी शिक्षा के समन्वय, मानकों के निर्धारण तथा रखरखाव के अनिवार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 में किए गए क्रियाकलापों को समाहित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 में लागू की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों तथा इन पर हुए व्यय को विस्तार से दर्शाता गया है। सारांश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना तथा भूमिका, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकीय विकास, वर्ष के दौरान लिए गए बड़े निर्णय, विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के वित्तीय परिव्यय तथा कौशल शिक्षा सहित गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता, शोध, पहुंच तथा समानता, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन ज्ञानअर्जन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में ब्योरा दिया गया है।

1. प्राक्कथन

- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव–शिक्षा सचिव– व्यय, तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामनिर्देशित 8 अन्य सदस्य) होते हैं। सचिव आयोग के सचिवालय का मुखिया होता है जिसमें 321 कार्यरत कर्मचारिवृंद हैं जिनमें समूह 'क' के 66 अधिकारी, समूह 'ख' के 163 अधिकारी, समूह 'ग' के 87 कर्मचारी तथा जलपानगृह के 05 कर्मचारी शामिल हैं। कार्यरत कर्मचारिवृंदों में 11.74 प्रतिशत महिलाएं, 10.81 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 2.24 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से देश में 06 क्षेत्रीय कार्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक ब्यूरो कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 15850 आवेदन तथा प्राप्त हुए हैं तथा 9194 का निपटान किया गया है। 2246 अपीलें प्राप्त हुई जिनमें से 1462 अपीलों का निपटान किया गया तथा आरटीआई शुल्क संग्रहण 23781/– रहा तथा आरटीआई नियमों के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क 1432/– रुपए रहा।
- वेतनमान अनुभाग को समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित वेतन समीक्षा समितियों के कार्य के साथ–साथ शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों जैसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक के वेतनमाान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में समन्वय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। रिपोर्टाधीन अवधि, वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए तथा उनके बारे में शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दी गई:–

  i. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के प्रथम संशोधन को दिनांक 11 अक्तूबर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

  ii. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के लागू होने के दौरान सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को भी अवकाश नकदीकरण लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में सहमति दिए जाने के आयोग द्वारा निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से 06 शिकायतें, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) से 05 शिकायतें, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से 08 शिकायतें और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा संदर्भित और शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा भेजी गई 04 शिकायतें और विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा अन्य एजेन्सियों द्वारा भेजी गई 17 शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुईं शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से जुड़े विअआ ब्यूरो को भेज दिया गया। सर्तकता प्रकोष्ठ को ऑफलाइन पद्धति से 16 तथा ऑनलाइन पद्धति से 11 सूचना का अधिकार आवेदन/अपीलों के आवेदन भी प्राप्त हुए

- वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 918 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और अधिवक्ताओं के बिल पर 300.00 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- संसद् डेस्क को वर्ष 2021–22 के दौरान पिछले वर्ष के 313 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 619 प्रश्न प्राप्त हुए। 58 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया।
- कदाचार रोधी प्रकोष्ठ मौजूदा जाली विश्वविद्यालयों तथा उपाधियों तथा उनकी बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के लिए उत्तरदायी है तथा उसने कुल 20 जाली संस्थानों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही आरंभ की है। 20 जाली संस्थानों के अतिरिक्त एक और विश्वविद्यालय यथा (1) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉनिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम), जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और धारा 03 के तहत मान्यता प्रदान नहीं की गई है। गैर–अनुमोदित संस्थानों को चेतावनी नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/छात्रों को जागरूक करने के लिए अकादमिक सत्र के आरंभ में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस/प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' से संबंधित कोई मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में नहीं आया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए एक संयुक्त सचिव को संपर्क अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है, उन्हें शिक्षा अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैंगिंग–रोधी प्रकोष्ठ, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मौजूद रैगिंग की समस्या के निराकरण के लिए उत्तरदायी है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। 12 भाषाओं में कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ एक 24x7 राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान रैगिंग रोधी हेल्पलाइन द्वारा रैगिंग की 582 शिकायतें दर्ज की गई और इनमें से 401 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है 181 शिकायतों पर कार्रवाई चल रही थी तथा 24x7 राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन के निष्पादन, निगरानी, मूल्यांकन और उसे चलाने में 245.45 लाख रुपये व्यय हुए।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शून्य सहिष्णुता की नीति को लागू करने के लिए कैम्पसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लिंग संवेदनशीलता पैदा करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष में एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 'जेंडर चैम्पियन' से जुड़े दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के संबंध में परामर्श भेजता है और एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने तथा 'सक्षम' वेब पोर्टल पर लिंग लेखापरीक्षा का ऑनलाइन अनुपालन कर उसे भरने के अनुरोध के साथ उनके संबद्ध महाविद्यालयों को भी सूचित करने का अनुरोध किया जाता है। नवीनतम परामर्श दिनांक 13 जुलाई, 2021 को अपलोड किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोक शिकायत प्रकोष्ठ को सभी शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होती हैं। प्राप्त शिकायतें तत्काल उत्तर देने के लिए ब्यूरो प्रमुख को भेज दी जाती हैं। आज तक कुल 3,028 जन शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से 2934 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।
- प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित करता रहा है जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखे, उच्चतर शिक्षा में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रमों संबंधी दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्मेलनों, समिति की रिपोर्टें, विवरणिका, पर्चे। वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने 21,42,480/– रुपये का व्यय किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त–वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बजट और अनुदान–सहायता की प्राप्ति का ब्योरा निम्नवत है:

- शिक्षा मंत्रालय से सामान्य बजट शीर्ष के तहत 13850.43 करोड़ रुपए का कुल अनुदान (राजस्व तथा पूंजीगत) प्राप्त हुए। 42.67 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष राशि (वर्ष 2020–21) को भी वर्ष 2021–22 के दौरान उपयोग किया गया है।

- वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट के तहत मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान निम्नवत थेः (1) शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य) 13850.43 करोड़ रुपये। (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्लीः 177.95 करोड़ रुपये। (अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु) (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्लीः 74.00 करोड़ रुपए।
- प्राप्त किए गए 13893.10 करोड़ रुपये के राजस्व और पूंजीगत अनुदान (प्राप्त निधियांः 13850.433 करोड़ रुपये + वर्ष 2020–21 का अव्ययित शेष = 42.67 करोड़ रुपये), वर्ष 2021–22 के दौरान संस्थानों को 13618.09 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। 8461.71 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 2659.09 करोड. रुपये की राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, 387.25 करोड़ रुपये की राशि राज्य विश्वविद्यालयों को जारी की गई, 474.67 करोड. रुपये की राशि सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी की गई, 63.23 करोड. रुपये की राशि राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, 184.74 करोड़ रुपये की राशि अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को जारी की गई, 30.23 करोड. रुपये की राशि क्षेत्रीय केन्द्रों को जारी की गई, 1237.68 करोड. रुपये की राशि छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान हेतु जारी की गई, 2.45 करोड रुपये की राशि रैगिंग रोधी उपायों, 0.24 करोड़ रुपये राशि उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई), 0.34 करोड रुपये राशि राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी), 2.47 करोड़ रुपये की राशि विविध/विश्वविद्यालयेत्तर/संस्थानों को जारी की गई। 113.99 करोड रुपये की राशि प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय) तथा (क्षेत्रीय कार्यालय) हेतु व्यय की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के पदों (समूह क, ख और ग) के लिए एक समान सेवा शर्तों के संपूर्ण ढ़ांचे की सिफारिश करने के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान, जेसीआरसी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों, (शतप्रतिशत वित्तपोषित) के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के 65 मामलों का समाधान किया है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 10 बैठकें हुईं जिसमें से 05 बैठके ई–परिचालन के माध्यम से हुई। मानकों के रखरखाव; सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ; विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को अनुदान से संबंधित मामलों पर लिए गए प्रमुख निर्णयों को अध्याय–1 में पृष्ठ 59 से पृष्ठ 76 पर में दिया गया है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, किए गए विशेष क्रियाकलाप/की गई पहल का ब्योरा अध्याय–1 में पृष्ठ 76 से पृष्ठ 104 पर में दिया गया है)।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020–संरचना और प्रणाली की पुनर्संकल्पना और नई शैक्षिक पद्धतियों के संदर्भ में भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श परिवर्तन की परिकल्पना करती है, एनईपी 2020 के तहत परिवर्तनकारी सुधारों के एक वर्ष के भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ), शिक्षा मंत्रालय, खेल विभाग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के सहयोग से एनईपी के विभिन्न विषयों पर 08 वेबिनार आयोजित किए थे। ये विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं जैसे समानता और समावेशन; बहुआयामी और समग्र शिक्षा; कौशल, उद्यमिता विकास और रोजगार; युवा अधिकारिता और खेल विकास; भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषाएँ, कला और संस्कृति; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्यायन और शिक्षक विकास; अनुसंधान, नवाचार और रैंकिंग; शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थे;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों में 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' पर विनियम, शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु–प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देश, 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (सीयूईटी), ऑनलाइन और ओडीएल शिक्षा संबंधी विनियम; 'स्वयं' के माध्यम से क्रेडिट फ्रेमवर्क संबंधी विनियम, 'इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड' डिग्री प्रोग्राम के लिए दिशानिर्देश; उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा में वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए रूपरेखा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।
- दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आने के बाद से विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के अधिदेश के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) ने अपनी स्थापना के 68 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस प्रकार, इसने देश में उच्चतर शिक्षा के गुणात्मक सुधार की अपनी यात्रा में 68 महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण कर लिए हैं।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) और 12(झ) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बधित मामलों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझता है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है जो किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के संबंध में आवश्यक हो। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़ें प्राप्त करने के लिए, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र स्थिति का आंकलन करने के लिए डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।
- आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (*http://aishe.gov.in*) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014–15 से सीधे विश्वविद्यालयों संस्थानों महाविद्यालयों से देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा से जुड़े ऐसे सभी मामलों पर आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े प्राप्त करने, उनके संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल *http://aishe.gov.in* के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। एआईएसएचई पोर्टल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन, विदेशी छात्रों, 'ऑउट–टर्न/पास ऑउट्स' और शिक्षण कर्मचारियों के बारे में शैक्षिक सांख्यिकी तैयार करने के लिए जानकारी का एकमात्र स्रोत है। एआईएसएचई 2021–22 मुद्रण के अंतिम चरण में है इसलिए उच्चतर शिक्षा के सांख्यिकीय आंकड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 में नहीं दिए जा सके। AISHE–2021–22 के आँकड़े संग्रहण की प्रक्रिया में है इसलिए सांख्यिकीय आकड़ों को विअआ की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 में सम्मिलित नही किया जा सका।
- भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2019–20, 27.10 प्रतिशत है जिसकी गणना 18–23 वर्ष आयु वर्ग के लिए की जाती है। पुरुष जनसंख्या के लिए जीईआर 26.9 प्रतिशत है और महिलाओं के लिए यह 27.3 प्रतिशत है।
- दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 1043 विश्वविद्यालय हो गई है (54 केन्द्रीय, 450 राज्य सार्वजनिक, 409 राज्य निजी, 126 सम विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत स्थापित 04 संस्थान) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत 13032 महाविद्यालय सूचीबद्ध हैं और इन महाविद्यालयों में से 10305 महाविद्यालय, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में धारा 12ख के तहत आते हैं और 2727 महाविद्यालय, धारा 2(च) के तहत आते हैं। जहां तक, संबंधित राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या का संबंध है, 86 विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान सूची में शीर्ष स्थान पर है जिसके पश्चात् गुजरात (83), उत्तर प्रदेश (80), कर्नाटक (70), महाराष्ट्र (68) तथा मध्य प्रदेश (67) हैं।
- दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 26 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय तथा 34 राज्य निजी विश्वविद्यालय और 01 सम विश्वविद्यालय संस्थान को सम्मिलित किया गया है।
- दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान 13 राज्य सार्वजनिक, 12 राज्य निजी विश्वविद्यालयों और 03 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान 46007* महाविद्यालय (42510 संबंद्ध, 1944 संघटक, 206 पीजी/ऑफ कैम्पस केन्द्र, 1347 मान्यता केन्द्र) (*अनंतिम आँकड़े) हैं।
- शिक्षा सत्र 2021–22 के दौरान नियमित तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रमों तथा सभी स्तरों पर कुल छात्र नामांकन 394.34 लाख (साधारण औसत पर परिकलित) था।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल 1482890* संख्या में से, 844567 पुरुष शिक्षक, 638184 महिला शिक्षक और 139 ट्रांसजेंडर शिक्षक (*आंकड़े (अनंतिम) एआईएसएचई पोर्टल पर वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर) हैं।

- वर्ष 2020–21 के दौरान, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की 1333355* कुल संख्या में से 881388 पुरुष शिक्षणेत्तर कमचारी, 451504, महिला शिक्षणेत्तर कमचारी और 463 ट्रांसजेंडर शिक्षणेत्तर कमचारी ('आंकड़े (अनंतिम) एआईएसएचई पोर्टल पर उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) द्वारा वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर) हैं।

3. विश्वविद्यालयों को विकास और अनुरक्षण अनुदान

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को पहुंच को बढ़ाने, समानता को सुनिश्चित करने में, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं का संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की किन्हीं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए आवर्ती व्यय का भुगतान करने, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के रखरखाव, और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, डाक खर्च आदि के लिए अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ समविश्वविद्यालयों को पूंजीगत तथा अनुदान राजस्व (वेतन तथा आवर्ती अनुदान) दोनों का भुगतान किया जा रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत पूंजीगत अनुदान का ही भुगतान किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षकों तथा छात्रों की योजनाओं के लिए ही अनुदान प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 54 थी। इनमें से नौ विश्वविद्यालयों नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) सॉउथ एशियन युनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और (vii) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश (viii) डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर– 848003 (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कोवरूक, मणिपुर– 795146 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 226578.00 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान (31), 546559.99 लाख रुपये का वेतन अनुदान (36) तथा 64384.59 लाख रुपये का पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35) अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान आवर्ती, पूंजीगत परिसंपत्तियां और वेतन मद के तहत आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस, बीएचयू) को क्रमशः 15300.00 लाख, 4300.00 लाख रुपये और 8700.00 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान एम.फिल/पी.एच.डी. हेतु गैर–नेट अध्येतावृत्ति की योजना के तहत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 134.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना के तहत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ को 62.63 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
- वर्ष 2021–22 के दौरान 'कन्नड शास्त्रीय भाषा के केन्द्र' योजना के तहत कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय को 45.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना के लिए विश्व भारती, शांति निकेतन को 50.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने की योजना तैयार की है। वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं जो विभिन्न पूर्व–सेवाएं तथा अन्य अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, अनुशासन को बढ़ावा देने के साधन के रूप मे आठ केंद्रीय विश्वविद्यालयों (1) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (2) विश्व भारती, शांति निकेतन (3) राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय

(4) सेंट्रल केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय (5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (6) मणिपुर विश्वविद्यालय (7) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (8) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्ण योग विभागों और पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी है।

- एचईएफए (उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी) को केन्द्र सरकार द्वारा लाभ नहीं अर्जित करने वाली गैर– बैंकिंग वित्त एजेन्सी कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में केन्द्र सरकार (रिवाईटलाईजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजूकेशन (आरआईएसई) बॉय 2021) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को तैयार करने के लिए बजटेत्तर संसाधनों को जुटाने के लिए दिनांक 31 मई, 2017 को स्थापित किया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा इसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा उसके तहत कोई भी इकाई, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा उससे पूर्व मूल्यांकन और प्रत्यायन करवाए बिना, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 तथा उसके पश्चात् आयोग की किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। तथापि, 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है तथापि, 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 31 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रत्यायन अवधि पूर्ण कर ली है। गुरू घासीदास विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय ने प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है। 02 नव स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय यथा आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम तथा आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं है और महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी अब तक प्रत्यायित नहीं हुई है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने भारत के संविधान में एक सौ तीनवें संशोधन के अनुरूप केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू किया है ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके और इसका अनुपालन किया जा सके। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों से दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने का अनुरोध किया है।
- भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 19 जनवरी 2019 के का0 ज्ञा0स0 36039/1/2009–स्थाप (आर0) के माध्यम से केंद्र सरकार के पदों तथा सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को अधिसूचित किया है जो दिनांक 01 फरवरी, 2019 अथवा उसके पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली सभी सीधी भर्तियों पर लागू होगी। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2018 के पत्र संख्या एफ.25–4/2007(सीयू) के पत्रांक के माध्यम से उपयुक्त निर्णय को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान पूंजीगत परिसम्पत्ति मद के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) योजना के तहत 11 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 197.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता हेतु विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल)) विनियम, 2018 को दिनांक 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य, गुणवत्ता मानकों के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करना है। श्रेणी–1 और श्रेणी–2 के तहत सात केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ग्रेडिड स्वायत्तता प्रदान की गई है।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक 29 सितंबर, 2015 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। ढ़ांचे के तहत देशभर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020 के अनुपालन में छात्रों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आरंभ की गई। यह संकल्प लिया गया कि शिक्षा सत्र 2022–2023 से सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 13 भाषाओं में केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) आयोजित की जाएगी। इच्छुक राज्यों/निजी विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों द्वारा भी सामान्य प्रवेश परीक्षा को अपनाया जा सकता है।
- दिनांक 31 मार्च, 2020 तक विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 450 राज्य सार्वजनिक और 409 राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। 265 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, और 24 राज्य निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

- दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों को 19,25,42,201/– रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
- दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को वेतन शीर्ष के तहत गैर योजनागत अनुदान के लिए 2,62,35,00,000/– रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी।
- दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में 126 सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं। इन सम विश्वविद्यालय संस्थानों में से 49 सम विश्वविद्यालय संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत हैं।
- 126 सम विश्वविद्यालय संस्थानों में से 08 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जीडीए/अनुरक्षण/निर्धारित अनुरक्षण वित्तपोषण प्राप्त हो रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2021–22 के दौरान 08 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को 45800.00 लाख रुपये (अनुदान सहायता, सामान्य/पेंशन (31): 9100 लाख रुपये तथा वेतन घटक (36): 36700.00 लाख रुपये) की राशि जारी की है।
- दिनांक 31 मार्च, 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत 409 निजी विश्वविद्यालय तथा 24 राज्य निजी विश्वविद्यालय थे, जो शिक्षकों, छात्र केंद्रित योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानक की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

4. महाविद्यालयों को विकास तथा अनुरक्षण सहायता

- महाविद्यालयों को विकास सहायता का बल, मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण– ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समर्थन देने पर रहा है। मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार तथा उन्हें सुदृढ़ करना, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण, यौक्तिकरण तथा विविधीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार करने, विशेषरूप से उन्हें कॅरियर के अवसरों से जोड़ने पर बल दिया गया है।
- दिनांक 31 मार्च, 2022 तक देश में 44454 महाविद्यालय* (संबद्ध और संघटक) (*एआईएसएचई पोर्टल के अनुसार अनंतिम आंकड़े) थे। इनमें से, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत केवल 13032 महाविद्यालयों को मान्यता प्राप्त है। कुल 13032 महाविद्यालयों में से मात्र 10305 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक से संबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली तथा बेंगलुरु स्थित विअआ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 0.98 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 तक महाविद्यालयों को विकास सहायता योजना के तहत 6743 पात्र महाविद्यालयों को 840.58 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2021–22 के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण की योजना के तहत 40 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से 25.266 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 2052 महाविद्यालयों को कुल 519.10 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों/एनआरसीबी ने 102 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को स्वायत्त महाविद्यालय की योजना के तहत 10.258 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 361 महाविद्यालयों को 275.45 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजना की योजना के तहत विज्ञान में 0.155 करोड़ रुपये तथा मानविकी में 0.223 करोड़ रुपये का अनुदान क्रमशः विज्ञान के 19 तथा मानविकी के 04

शिक्षकों को जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान मानविकी और विज्ञान के 17429 शिक्षकों को 249.9 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।

- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संगोष्ठियों/परिसंवाद/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के 06 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा पात्र महाविद्यालयों को 0.023 करोड़ रुपये की राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान योजना के तहत 6647 महाविद्यालयों को 80.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संकाय विकास कार्यक्रम योजना के तहत 53 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 1.66 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान योजना के तहत 8859 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 257.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए इसने प्रत्येक महाविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु व्यय के लिए प्रारंभिक राशि (सीड मनी) के रूप में 3.00 लाख रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ योजना (आईक्यूएसी) के तहत 4694 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 139.17 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना तथा उपकरण विकास योजना के तहत 49 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 7.28 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 1159 महाविद्यालयों को 358.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना का लाभ प्रदान कर रहा है जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं जिन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अथाह योगदान दिया बल्कि देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक ताने–बाने को बनाए रखने में अत्यधिक योगदान दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विरासत वाले संस्थानों के योगदान को मान्यता देने तथा उन्हें पुरस्कृत करता है ताकि वे हमारी युवा पीढी को शिक्षा के उचित मान के बारे में प्रोत्साहित करते रहें। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान ''महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना'' के तहत 17 महाविद्यालयों को 11.44 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए पाठक की सहायता से और शिक्षण और अधिगम सहायता सामग्री का उपयोग करके पाठक भत्ते, ब्रेल पुस्तकों, रिकार्ड की गई सामग्रियों आदि के क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध करवाकर सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। वर्ष 2021–22 के दौरान 47 लाभार्थियों को 0.23 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 279 लाभार्थियों को कुल 3.642 करोड़ रुपये का अनुदान जारी की गई।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने 8943 लाभार्थी महाविद्यालयों को 1324.47 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया, जिसमें से वर्ष 2021–22 के दौरान 81 महाविद्यालयों को ऐसी योजनाएं जिन्हें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया गया था, उनके लिए एकमुश्त 'कैच–अप' अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाओं, प्रतिबद्ध देयताओं (विअआ की पुरानी योजनाएं) के तहत स्वर्ण जयंती आयोजनों के रूप में 4.17 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 244683.22 लाख रुपये के कुल राजस्व अनुदान उपलब्ध कराए गए। भवन निर्माण परियोजनाओं और संगोष्ठियों/सम्मेलन/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 18 महाविद्यालयों को 217.68 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार घटक महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 5693.33 लाख रुपये के कुल राजस्व अनुदान उपलब्ध कराए गए।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चयनित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है जैसे कि उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय (सीपीई), विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र (सीपीईपीए) तथा नई योजना ताकि उन्हें विश्वस्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके और वे देशे के अन्य संस्थानों के लिए बेंचमार्क के रूप में काम कर सकें।
- महाविद्यालयों में मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय" (सीपीई) नामक एक योजना आरम्भ की है। यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी थी, और योजना के तहत 314 संस्थानों को अनुमोदित किया गया था। जिनमें से 295 महाविद्यालयों का सीपीई दर्जा था और 19 महाविद्यालयों का सीपीई योजना के तहत उत्कृष्टता के महाविद्यालय का दर्जा था। वर्ष 2021–22 के दौरान, सीपीई योजना के तहत 50 महाविद्यालयों/लाभार्थियों को 07,67,030/– रुपये की राशि जारी की गई थी।
- उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई) योजना के अंतर्गत बारहवीं योजना अवधि के दौरान 16 विश्वविद्यालयों का यूपीई के दर्जे के लिए चयन किया गया था। 16 विश्वविद्यालयों की समयावधि समाप्त हो गई है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी यूपीई विश्वविद्यालयों को कोई भी अनुदान जारी नहीं किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र (सीपीईपीए) नामक एक योजना आरंभ की है, ताकि शिक्षण और शोध संबंधी क्रियाकलापों में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता और अंतर्विषयक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह पहल भी जारी रही और किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र (सीपीईपीए) नामक एक योजना के तहत 29 संस्थान थे जिन्हे सीपीईपीए दर्जा प्राप्त था। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत केवल एक केन्द्र अर्थात् तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर को 3,06,207/– रुपये की राशि जारी की गई।
- स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाज विज्ञान सहित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एसएपी सहायता प्राप्त विभागों की संख्या 132 रही। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार डीआरएस–99, डीएसए–4, सीएएस–29 तथा कुल–132, विभाग चल रहे हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 95 लाभार्थी विभागों पर 15.26 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ।
- आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सम्भाव्यता वाले मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक 25 राज्यों के 118 विश्वविद्यालयों के 879 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के तहत 102 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 10.258 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।
- मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीसीबी), (अकादमिक स्टॉफ कॉलेज एएसीसी) के माध्यम से विभिन्न विधाओं में शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक वृहत कार्यक्रम का संचालन किया गया। विअआ ने 66 एचआरडीसी में से 56 को अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के अनिर्धारित खातों/गैर–परिचालन के कारण 10 एचआरडीसी को अनुदान जारी नहीं किया जा सका। लगभग 65000 शिक्षक–प्रतिभागियों ने 66 विअआ एचआरडीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया है। वर्ष 2021–22 के लिए 56 एचआरडीसी को पहले ही 58,31,28,910/– रुपये (58.31 करोड़ रुपये) की कुल राशि जारी की जा चुकी है।
- हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पण और मसौदा लेखन और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। वर्ष 2021–2022 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें दिनांक 06 अगस्त, 2021 तथा 22 दिसम्बर, 2021 को वेबीनार के माध्यम से आयोजित की गई। वर्ष 2021–2022 में, 2 अधिकारियों और 1 कर्मचारी को हिंदी प्रवीणता प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था और तीनों

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और प्रत्येक को 10,000/– रुपये (केवल दस हजार रुपये) की प्रोत्साहन राशि और एक बारगी वेतन वृद्धि प्राप्त हुई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नारवे तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है साथ ही यह छात्रवृत्तियों, शोध कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भारतीय विद्वानों को उनकी शोध क्षमता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है।
- भारत–इजरायल संयुक्त शोध कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजरायल सांइस फाउंडेशन (आईएसएफ) के तहत अब तक, 43 परियोजनाएं अवार्ड की गई है। यह कार्यक्रम सभी विधाओं के लिए खुला है। वर्ष 2021–22 के दौरान भारत–इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रम पर 44.31 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां, ब्रिटेन और भारत में संस्थान– आधारित सिद्ध शोध क्षमता वाले शोध दलों के मध्य किए जाने का लक्ष्य है। यूकेआईईआरआई चरण–III के अंतर्गत, भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए उच्चतर शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। यह कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया गया था और दूसरा चरण मार्च, 2022 में संपन्न हुआ था। यूके प्रशिक्षकों द्वारा 100 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– यूकेआईईआरई विषयगत भागीदारियों पर 9.46 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- उच्चतर शिक्षा (आईजीपी) में भारतीय– जर्मन भागीदारी (आईजीपी): मंत्रालयों तथा (जेडीआई) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) भारत और जर्मन एकेडेमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी), जर्मनी द्वारा उच्चतर शिक्षा में भारत–जर्मन भागीदार (आईजीपी) के मध्य दिनांक 05 अक्तूबर, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया। पहले चरण में वर्ष 2016 में 8 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गई। प्रथम चरण में वर्ष 2016 में दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 तक, जिसे 31 दिसम्बर, 2020 तक बढाया गया, चार वर्षों के लिए 08 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई। दूसरे चरण में दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2024 से 04 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए वर्ष 2020 में 09 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियों पर 157.41 लाख रुपये की राशि व्यय हुई थी।
- जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने नई दिल्ली में शोध छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं में भाग लेंगे। युवा पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
- भारत अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल को शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2009 में एक नए भारत– अमेरिका रणनीतिक भागीदारी के रूप में घोषित किया गया था। भारत अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल पर 52.00 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, युवा भारतीय अनुसंधानकर्त्ताओं और शिक्षकों को उभरते हुए क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण का उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान हेतु रमन अध्येतावृत्तियों की पेशकश करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियों योजना पर 4.08 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- भारत–हंगरी शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2021–22 के दौरान हंगरी छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 173 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार ने हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियों की पेशकश की। स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 10.28 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अनुसार, चार विद्वानों ''सेंट क्लिमेंट ओहरीडस्की: सोफिया यूनिवर्सिटी'' तथा ''सेंट साइरिल तथा सेंट मेथोडियस'' विश्वविद्यालय वेलिको तुरनोवो द्वारा आयोजित बुल्गारिया भाषा और संस्कृति में अंतराष्ट्रीय सगोष्ठी में भागीदारी करने के लिए नामांकित किया गया था।

- उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत–नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत और नार्वे के बीच उच्चतर शिक्षा के संपर्कों को बढ़ाना है। वर्ष 2021–22 के दौरान प्रतिपूर्ति पर 1.96 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।
- विदेशी भाषा शिक्षकः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है, जो अन्य बातों के साथ– साथ विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करता है। शिक्षा आदान–प्रदान योजना (ईईपी) और सतत् शिक्षा योजना (सीईपी) के अनुसार देश में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशी भाषा के 22 विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत भाषा के शिक्षकों के वेतन पर 41.30 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- एनईपी, 2020 के 'विजन' के अनुरूप और भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रयास करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न पहल की हैं। विअआ ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय की स्थापना के लिए सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। अब तक, 167 विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की स्थापना की है।
- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी–नेट) सहायक आचार्य और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों (जेआरएफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है ताकि मानविकी के कई विषयों (भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं सहित), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोगों, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में शिक्षण पेशे और अनुसंधान में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित किया जा सके। यह परीक्षा हर वर्ष दो बार सामान्यतः जून और दिसंबर माह में 81 विषयों में आयोजित की जाती है। दिसम्बर, 2020 और जून, 2021 की में आयोजित आमेलित विअआ–नेट परीक्षा में कुल मिलाकर 671288 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे जिनमें से 52856 अभ्यर्थियों (7.87 प्रतिशत) ही परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए। दिसम्बर, 2021 की विअआ–नेट परीक्षा कोविड–19 महामारी के चलते वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित नहीं की जा सकी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से "सीएसआईआर" विज्ञान के मुख्य पांच विषयों में नेट परीक्षा संचालित करता है। जून, 2021 में आयोजित संयुक्त सीआईएसआर–विअआ नेट परीक्षा में 7679 अभ्यर्थी सहायक आचार्य की परीक्षा में योग्य पाए गए इसके साथ–साथ विअआ योजना के तहत 3300 अभ्यर्थी जेआरएफ के लिए योग्य पाए गए। दिसम्बर 2020 में कोविड–19 के परिणामस्वरूप सीएसआईआर–विअआ आयोजित नही की जा सकी।
- राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारार एक निर्धारित अवधि के लिए ही विधिवत्रूप से प्रत्यायित किया जाता है जिसे कुछ राज्यों/राज्यों के समूहों द्वारा आयोजित किया जाता है। सेट का परीक्षा पैटर्न विअआ–नेट के समान ही है। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान निम्नवत राज्यों/राज्यों के समूहों द्वारा सेट परीक्षा आयोजित की गई–(i) आंध्र प्रदेश (ii) गुजरात (iii) कर्नाटक (iv) महाराष्ट्र और गोवा (v) पूर्वोत्तर राज्य, तथा (vi) पश्चिम बंगाल।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 105 महाविद्यालय के शिक्षकों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। वर्ष 2021–22 के दौरान लाभार्थियों को 1.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (xxx) के तहत स्वायत्त केन्द्रों के रूप में स्थापित नौ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.), भारतीय विश्वविद्यालयी प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर और अत्याधुनिक उपकरण और उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराए जा सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2021–22 के दौरान आठ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को पूंजीगत शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत क्रमशः 12123.90 लाख रुपये, 7656.54 लाख रुपये और 6660.00 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 04 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है और उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की। वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत 'वेस्ट्रन इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर' को 755.00 लाख रुपये तथा एमएसटी राडार सेन्टर को 04 लाख रुपये की राशि का अनुदान जारी किया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण और अधिगम के मिश्रित तरीके पर एक अवधारणा नोट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, मसौदा अवधारणा नोट को 06.06.2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर प्रतिक्रिया के लिए रखा गया था। अंतिमरूप से तैयार किए गए अवधारणा नोट को विचार करने के लिए दिनांक 08 सितम्बर, 2021 को आयोग की आयोजित की गई 552वीं बैठक में रखा गया था, आयोग के सदस्यों से टिप्पणियां प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में संशोधन के लिए विशेषज्ञ सदस्यों के पास भेजा गया था। अंतिम दस्तावेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

6. शोध को प्रोत्साहन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से इस विचार के तहत वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों ने खेलकूद अवसंरचना एवं उपकरण विकास योजना शुरु की है कि खेल पिरामिड के आधार को व्यापक बनाने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिजात खेलों में भागीदारी हेतु पर्याप्त संख्या में खिलाड़ी तैयार किए जा सकें जो देश को प्रतिष्ठा दिलाएंगे। वर्ष 2021–22 के दौरान 106 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्कृत के विकास के लिए एक खाका सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने मुख्य विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई 23 सिफारिशों में से अत्यंत तत्काल स्वरूप की सिफारिशें का चयन किया। 07 करोड़ रुपये के कुल बजट का अनुमान लगाया गया।
- आयोग ने दिनांक 29 मई, 2020 को आयोजित अपनी 547 वीं बैठक में शिक्षण के मिश्रित पद्धति पर चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रत्येक पाठयक्रम ('स्वयं' के पाठयक्रम के अलावा) के 40 प्रतिशत पाठयचर्या तक ऑनलाइन पद्धति के जरिए पढ़ाने की अनुमति दी जाए और संबंधित पाठ्यक्रमों का शेष 60 फीसदी पाठयक्रम ऑफलाइन पद्धति से पढ़ाया जाए।
- आयोग ने दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को आयोजित अपनी 548 वीं बैठक में बिट्स, पिलानी को अपने कार्य एकीकृत ज्ञानअर्जन कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएलपी) को जारी रखने की अनुमति देने के लिए शक्तिप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
- "शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाए" योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विधाओं में ऐसे क्षेत्रों में बल देकर जो अलग– अलग विधाओं तथा विषय जैसे स्वास्थ्य, वृद्धावस्था रोग, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव आदि कुछ क्षेत्र तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर उच्चतर शिक्षा में शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। वृहद अनुसंधान परियोजना, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए विशविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है। वर्ष 2021–22 के दौरान 140 लाभार्थियों को कुल 1.65 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- शोध अवार्ड योजना, पात्र विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी शिक्षकों द्वारा बिना शोध मार्गदर्शन प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। शिक्षक जो डाक्टोरेट हैं और 45 वर्ष की आयु से कम हैं, उन्हें अवार्ड के लिए विचार किया जाता है। सभी विधाओं के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लॉट के लिए अवार्डों का चयन किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान अवार्ड धारकों को भुगतान करने पर 44.67 लाख रूपये का व्यय किया गया।
- शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आकर्षित करने हेतु वर्ष 1983 में 'शोध वैज्ञानिक योजना' आरम्भ और लागू की गई थी। वर्ष 2021–22 के दौरान इन शोध वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 3.88 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावत्ति' की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके चयनित क्षेत्र में उच्च शोध करने का अवसर प्रदान करना है जिन्होंने डॉक्टोरल उपाधि प्राप्त कर ली है और जिनके शोध कार्य प्रकाशित हो गए हैं तथा जिन्होंने पहले ही स्वतंत्र रूप से शोध कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर

दिया है, वे इसके तहत पात्र हैं। अध्येतावृत्ति पांच वर्षों के लिए है। वर्ष 2021–22 के दौरान पोस्ट डॉक्टोरल अध्येताओं को भुगतान करने पर 5.01 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी.एच.डी. उपाधि धारक तथा पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट–डॉक्टोरल शोध करने की इच्छुक बेराज़गार महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान करने पर 578 महिला अध्येताओं पर 6.61 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।
- भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टारेल अध्येतावृत्ति, भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर उपलब्ध कराती है। योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 स्लॉट उपलब्ध हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 28 अध्येताओं को 10.06 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी।
- आधारभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी विषयों में पोस्ट डॉक्टारेल अनुसंधान करने के लिए डॉ0 डी0 एस0 कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 753 अध्येताओं को 39.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत और अधिवार्षिता की आयु के समीप पहुंच गए प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति' नाम से योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/सह–आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 80 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 7.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- इमेरिटस अध्येतावृत्ति योजना के तहत सभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष विज्ञान विषय तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या 100 है। वर्ष 2021–22 के दौरान 05 लाभार्थी अध्येताओं को भुगतान करने पर 8.22 लाख रुपये व्यय किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति योजना (जेआरएफ) (भारतीय नागरिकों के लिए) के तहत उन भारतीय अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। जेआरएफ प्रथम दो वर्षों के लिए 31,000 रुपये प्रतिमाह तथा वार्षिक आकस्मिक राशि के साथ शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति का भुगतान किया जाता है।
- रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए जेआरएफ योजनाओं के तहत 1150.73 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। वर्तमान में, लगभग 27499 विद्वान जेआरएफ योजना के तहत एम.फिल/पीएचडी कर रहे हैं।
- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 2000 अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ' उपलब्ध कराता है ताकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उच्चतर अध्ययन एवं शोध कर एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। वर्ष 2021–22 के दौरान योजना के तहत 3717 अनुसूचित जाति के लाभार्थी अध्येताओं पर 128.03 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2009 से अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषण तथा उसे लागू करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों के समान है। वर्ष 2021–22 के दौरान 2059 लाभार्थियों पर 78.15 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। चयन वर्ष 2019–20 से चयन के लिए सीबीएसई/एनटीए–यूजीसी–नेट/सीएसआईआर–नेट परीक्षा की उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियो के समान है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस योजना के तहत 1338 लाभार्थियों को 58.30 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।

- महिलाओं के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को सम्मान देते हुए तथा बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक विज्ञान विषय में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान 245 लाभार्थियों को 10.34 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।

- "विज्ञान विषय में मेधावी छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति" योजना (आरएफएसएमएस) को मेधावी छात्रों हेतु उच्च अध्ययन एवं शोध करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि मेधावी छात्रों को उन्नत अध्ययन तथा शोध कार्य आरंभ करने हेतु अवसर प्रदान किए जा सके ताकि वे विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सकें। ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालयों में विज्ञान विषयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता/उन्नत अध्ययन केन्द्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित विशेष सहायता विभागों में पीएच.डी. हेतु पंजीकृत हैं वे इस योजना के तहत पात्र हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 141 जेआरएफ/एसआरएफ को 1.41 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।

- समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 'पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना' को कार्यान्वित किया गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 585 लाभार्थियों को इस योजना के तहत 10.21 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया।

- "इंदिरा गाँधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" का उद्देश्य परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करना तथा माता–पिता को छोटे परिवार मानदंड का पालन करने हेतु प्रेरित करना है। जिन बालिकाओं ने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निष्णात उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष के लिए है जिसमें 3,100 रुपये (एक वर्ष में 10 माह) प्रतिमाह की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इस योजना के तहत कार्यरत 1350 लाभार्थियों को 14.80 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।

- प्रतिभावान छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं) विशेषज्ञता के किसी भी क्षेत्र में और साथ ही देश में उच्चतर शिक्षा के किसी भी संस्थान में जारी रख सकते हैं। सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय रैंक धारक और ऑनर्स (प्रवीण) पाठ्यक्रम में केवल प्रथम रैंक धारक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 3100 रुपये प्रतिमाह (वर्ष में दस माह के लिए) की छात्रवृत्ति की राशि के साथ छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है। योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इस योजना के तहत कार्यरत 582 लाभार्थियों को 4.67 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु सहायता करने के लिए एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा. विषयों में गेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 12,400 रुपये प्रतिमाह (गेट/जी.पी.ए.टी. में 60 प्रतिशत से अधिक अंक) की अध्येतावृत्ति राशि तथा प्रतिवर्ष 1550 रुपये (प्रथम सेमेस्टर में 60 प्रतिशत से कम अंक) की आकस्मिक राशि के साथ स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा रहा है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1313 लाभर्थियों का 12.48 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014–15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है। सामान्य उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 5,400 रुपये प्रतिमाह और तकनीकी और पेशेवर उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए 7,800 रुपये प्रतिमाह है। योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के 10,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान 10461 चयनित लाभार्थियों को 56.61 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत योजना लागू की जा रही है:
- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, वर्ष 2011 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और शिक्षकों का चयन करने के लिए एक प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के तहत 373 संकाय सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें से 160 कार्यरत हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से 141चयनित अभ्यर्थियों को वेतन के रूप में 18.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- ''नए भर्ती हुए ऐसे सभी संकायों हेतु स्टार्ट–अप अनुदान योजना'' के तहत, अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन करने वाले पी0एच0डी0 उपाधि धारक सहायक आचार्य के स्तर के सभी शिक्षक इस योजना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत, सहायता की सीमा 10 लाख रुपये है। वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 225 नव नियुक्त संकाय सदस्यों को 15.02 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- 'मिड करियर अवार्ड योजना' के अंतर्गत शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस अनुदान का उपयोग छोटे उपकरण, रसायन, आकस्मिक व्यय और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य करने वाले 36 शिक्षकों को 0.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

7. लिंग और सामाजिक समानता

- 'भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास और क्षमता निर्माण' योजना का उद्देश्य शिक्षण, शोध तथा क्षेत्र कार्यवाही और क्षेत्र कार्यवाही कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की वस्तुस्थिति के साथ लगातार संपर्क बनाने को बढ़ावा देना है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, विश्वविद्यालयी प्रणाली में 159 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं तथा कार्य कर रहे थे। योजना के तहत 13.59 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसमें से 11.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत् रूप से निगरानी कर रहे हैं। उपर्युक्त मानदंडों के बारे में जानकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग द्वारा नियमित रूप से एकत्रित की जाती है और शिक्षा मंत्रालय, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को सूचनार्थ तथा अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों को एक अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उपचारी अनुशिक्षण प्रदान करने/नेट–सेट परीक्षा/सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित समय–सारणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण योजनाएं। वर्ष 2021–22 के दौरान 9,67,750/– रुपये की राशि जारी की गई है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण योजनाओं हेतु वर्ष 2021–22 के दौरान 7,47,651/– रुपये की राशि जारी की गई है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नेट/स्लेट हेतु अनुशिक्षण हेतु वर्ष 2021–22 के दौरान 7,07,511/– रुपये की राशि जारी की गई है।
- सैद्धांतिक तथा नीतिगत महत्व वाले सामाजिक बर्हिवेशन तथा समावेशन के मुद्दों पर शोध के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन तथा बर्हिवेशन नीति का अध्ययन करने के लिए

शिक्षण–सह–शोध केन्द्रों की स्थापना की थी। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में 32 केन्द्र चल रहे थे। वर्ष 2021–22 के दौरान 23.53 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।

- वंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाध्यताओं के प्रति विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के लिए, समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी), इन समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान 2,57,550/– रुपये की राशि जारी की गई है।
- उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की अनदेखी नहीं की जाए और विशेष शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं हेतु विशेष पाठ्यक्रम विकसित करने और निःशक्त व्यक्तियों को अलग– अलग स्वरूप में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो योजनाएं अर्थात् विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) और विशेष आवश्यकताओं वाले निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) को लागू कर रहा है। अब इन योजनाओं की देखरेख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है और प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियोजन में तथा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश में निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों और अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों को (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निशक्त/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने (ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 जुलाई, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 36012/2/96–स्थापना (आरक्षण) में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्टर का प्रदर्शित करने, और (iii) इन श्रेणियों के शेष चिन्हित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों को भरने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी करता है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को पत्रांक संख्या एफ.1–8/2014 (एससीटी) के माध्यम से पत्र जारी किए गए हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के संविधान के एक सौ तीनवें संशोधन के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को तत्काल लागू करने और उसका अनुपालन करने के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचित किया।

8. प्रासंगिक और मूल्य आधारित शिक्षा

- भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के समग्र बोध को बढ़ावा देने, विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राणनीतिक तथा राजनीतिक हित में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता रहा है। तीन विश्वविद्यालय क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2021 थी। वर्ष 2021–22 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।
- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों और छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

9. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीयों का समेकन (आई.सी.टी.)

- ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ को इनफिलबनेट केन्द्र (विअआ का एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र) की मदद से वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में स्थापित किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई– गवर्नेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित तकनीकी कर्मचारियों के दल की नियुक्ति की गई है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं तथा क्रियाकलापों के तहत तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जानकारी मंगवाने के लिए वेब पोर्टल और वेब–एप्लीकेशंस विकसित की गई हैं जिससे कार्य परिवेश को पारदर्शी तथा कागज रहित बनाया जा सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में सरलीकृत, त्वरित प्रतिक्रिया प्रदाता, प्रभावी और पारदर्शी कार्यकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रीमियम संस्करण सॉफ्टवेयर 'ई–आफिस' को एनआईसी की मदद से लागू किया गया है।

- एनआईसी (ई–नोटिंग सहित) के ई–ऑफिस मॉड्यूल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से 'ई–ऑफिस' प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं के बारे में अंतिम उपयोगकर्ता/हितधारकों को जानकारी प्रदान करना है। हितधारक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय रिपोर्ट, योजना के प्रस्ताव, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/नियोजन आदि के लिए आवेदन सहित अपनी विभिन्न जानकारी प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट के हिंदी संस्करण ***http://www.ugc.ac.in*** को ऑनलाइन कर दिया गया है।
- शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसीएस)–इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) और कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में अनेक आईसीटी पहल हैं, जहां विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा उनके ज्ञानअर्जन के दायरे को व्यापक बनाने के लिए पहुंच बनाई जा सकती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (यूएएमपी): विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल समय–समय पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए 'एक स्थान पर सब समाधान' पोर्टल के रूप में कार्य कर रहा है। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का विवरण अपलोड करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे विअआ के विश्वविद्यालय पोर्टल के लिए विअआ द्वारा उपलब्ध कराए किए गए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ इस पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके अलावा, विश्वविद्यालय नियमित रूप से इस पोर्टल पर अपने संपर्क विवरण अद्यतन कर सकते हैं।
- विअआ छात्र शिकायत निवारण पोर्टल: ऑनलाइन छात्र शिकायत निवारण पोर्टल छात्रों/शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतें दर्ज करने, अनुस्मारक भेजने और उनकी शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति देखने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में, मार्च, 2022 तक कुल 48449 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 30842 शिकायतों को बंद कर दिया गया था और शेष शिकायतों पर कार्रवाई चल रही है।
- ई–पीजी पाठशाला परियोजना के 'फोर–क्वाड्रेंट' पद्धति में 70 विषयों में लगभग 23425 मॉड्यूल और 778 पेपर विकसित किए गए हैं। विश्वभर के लगभग 1.30 करोड़ शिक्षार्थियों ने ई–पीजी पाठशाला तक पहुंच बनाई है। वर्ष 2021–22 के दौरान परियोजना (इन्फिलबनेट ई–विषयवस्तु) परियोजना पर कुल 9,74,069 रुपये (केवल नौ लाख चौहत्तर हजार उनहत्तर रुपये) का व्यय हुआ है।
- सरकार ने 'स्वयं' पोर्टल आरंभ किया है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से, किसी भी छात्र के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले आभासीय पाठ्यक्रमों में शामिल होना, शिक्षक के साथ बातचीत करना, परीक्षा देना, 'शैक्षिक क्रेडिट' अर्जित करना और उन्हें उनके शैक्षिक रिकॉर्ड को स्थानांतरित करना संभव होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'लोकल चैप्टर एक्टिविटी' आरंभ करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जिसमें 'स्वयं' पर पेशकश किए जाने वाले एमओओसी पाठ्यक्रमों को अपनाना और बढ़ावा देना शामिल है।
- 'स्वयं' प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अंतरण स्वीकार करने के लिए एक सौ इकसठ (161) विश्वविद्यालय 'ऑनबोर्ड' हो गए हैं।
- भाषाओं संबंधी बाधाओं को दूर करने, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और मातृभाषा में ज्ञानअर्जन के लचीलेपन के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 08 क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु) में 27 स्नातकोत्तर 'स्वयं' गैर–इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का अनुवाद करने की प्रक्रिया चल रही है।
- विअआ ने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वयं परियोजना हेतु दर संविदा आधार पर मल्टी मीडिया संबंधी कार्यों के लिए छह वेंडरों को पेनलबद्ध किया है।

- वर्ष 2021–2022 के दौरान परियोजना ('स्वयं' के लिए एमओओसी) पर किया गया कुल व्यय 87,62,028.37 रुपये (सत्तासी लाख बासठ हजार अट्ठाईस रुपये और सैंतीस पैसे) हैं।
- राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) सभी अकादमिक पुरस्कारों का 24x7 ऑनलाइन स्टोर हॉउस है जिसे अकादमिक संस्थानों/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा विधिवत रूप से डिजिटाइज्ड और लॉग किया गया है। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एनएडी के एकल निकाय के रूप में डिजिलॉकर, इलेक्ट्रिानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से बिना कोई उपयोगकर्ता प्रभार उद्ग्रहित किए एनएडी को स्थायी योजना के रूप में कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, 1325 शैक्षणिक संस्थानों को एनएडी पर एनएडी–डिजी लॉकर पोर्टल के माध्यम से 6.51 करोड़ शैक्षणिक अवार्डों के डेटा को अपलोड किया गया है। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का अनुदान जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

10. कौशल विकास पहल

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, बी.वोक., एम.वोक. तथा पीएचडी के स्तर पर कौशल पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुविधा प्रदान कर रहा है। एनएसक्यूएफ के तहत कौशल आधारित कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1208 संस्थानों को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में 10063 छात्रों को नामांकित किया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान एनएसक्यूएफ के तहत विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 62.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य डिग्री धारक छात्रों की रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 'इंटर्नशिप/एप्रेंटिसशिप एम्बेडेड' उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु दिशानिर्देश को भी अधिसूचित किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22(3) के तहत यथा विनिर्दिष्ट सभी विधाओं में कोई भी स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम, 'इंटर्नशिप/एप्रेंटिसशिप' कार्यक्रम में जोड़े जाने के लिए पात्र है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा मंत्रालय और कौशल शिक्षा और उद्यमिता मंत्रालय के 'स्किल हब इनिशियेटिव' से भी जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पहल के लिए 200 से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल किया है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ इन संस्थानों का ब्योरा साझा किया है ताकि इन संस्थानों को 'कौशल इंडिया पोर्टल' पर ऑनबोर्ड किया जा सके।

11. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन ज्ञानअर्जन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 01 जुलाई, 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) (संशोधन) विनियम, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया।
- पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उन्हें अधिसूचित विनियमों के उपबधों के अनुरूप संसाधित किया गया था। तदनुसार, वर्ष 2021–22 के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन के तहत 1078 कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए 61 उच्चतर शिक्षा संस्थानों की पहचान की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के तहत विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार, वर्ष 2021–22 (नवम्बर, 2021 और जनवरी, 2022 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र) तथा इसके पश्चात् पांच वर्षों के लिए ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए केवल दो उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है।
- जैसा कि विनियमों द्वारा अधिदेशित किया गया है, वर्ष 2021–22 के लिए नवम्बर (यथा संशोधित, जुलाई, 2021 से) तथा जनवरी 2022 तथा इसके पश्चात् से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3(ख)(क) के तहत विनिर्धारित प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना पूर्णरूपेण ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ करने के हेतु 56 उच्चतर शिक्षा संस्थान पात्र हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2021–22 के लिए 11 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम सामग्री के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग, एमओओसी के विकास, डिजिटलीकरण, आईसीटी और गुणवत्ता आश्वासन उपायों, नेटवर्किंग आदि में सहायता करने के लिए 11.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरलीकृत मान्यता प्रणाली और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करते हेतू मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन तथा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा ओडीएल और ऑनलाइन विनियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

12. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता अधिदेश– शैक्षणिक क्रियाकलाप संबंधी पहल

- ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गुणवत्ता अधिदेश ने ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पद्धति पर पाठ्यचर्या में सुधार पर बल दिया है जिसका उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों तथा अभिवृत्ति से सुसज्जित करना है। पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए विश्वविद्यालयों को सुकर बनाने के लिए 30 विषयों में नए पाठ्यक्रम, जो एलओसीएफ पर आधारित है, को विकसित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- मूल्यांकन सुधार– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली को इस तरह से सुधारने के लिए मूल्यांकन सुधारों की शुरुआत की है कि निरंतर मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन–संचालित ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन को अधिक सार्थक बनाने और मूल्यांकन को 'ज्ञान अर्जन निष्कर्ष' और संस्थागत लक्ष्यों से जोड़ने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधार' पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। मूल्यांकन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए, हैदराबाद, पुणे, भोपाल गुवाहाटी और बेंगलुरु में प्रशिक्षण शिक्षकों/प्रशासकों/ संकाय अध्यक्ष (अकादमिक)/ उच्चतर शिक्षा संस्थान के परीक्षा नियंत्रक के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। उनकी कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग 800 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- जीवन कौशलः उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू की गई गुणवत्ता अधिदेश पहल में से एक पहल छात्रों को *जीवन कौशल* प्रदान करना है। जीवन कौशल पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और वर्ष 2019 को आरंभ किया गया था, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (***https://www.ugc.ac.in/e-book/SKILL%20ENG/mobile/index.html***) पर उपलब्ध है। इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकपूर्व स्तर पर *जीवन कौशल* पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "*जीवन कौशल* (*जीवन कौशल*) संबंधी पाठ्यक्रम के लिए "सुविधाप्रदाता" दिशानिर्देश" भी तैयार किए गए हैं। हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के लिए "*जीवन कौशल* पर मसौदा पाठ्यक्रम (जीवन कौशल) 2.0" और "*जीवन कौशल* पाठ्यक्रम (*जीवन कौशल*)" के लिए "मसौदा सुविधाप्रदाता' दिशानिर्देश अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फरवरी, 2022 में *जीवन कौशल* और सुविधाप्रदाताओं के दिशानिर्देशों पर मसौदा पाठ्यक्रम पर हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।
- भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजनाः– भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड) का उद्देश्य भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विशेषरूप से अंतर्विधा शोध हेतु शोध क्षमता को बढ़ावा देना तथा सामान्य रूप से शोध संस्कृति को पोषित करना है ताकि राष्ट्र विकास और उद्यमिता को उत्प्रेरित किया जा सके। वित्त वर्ष वर्ष 2021–22 के दौरान 3.28 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था। आज तक, कुल 16 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय लाभार्थी हुए हैं।
- कन्सोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्सः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'केयर' सूची के लिए जर्नल के विश्लेषण का उत्तरदायित्व 'सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स', सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालय (इसके पश्चात् 'केयर' विश्वविद्यालय कहा जाएगा) को सौंपा है। अकादमिक सत्यनिष्ठा में सुधार लाने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई पहल का प्रसार करने के लिए 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल' की वर्तमान स्थिति/सांख्यिकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

- *गुरू दक्षता*– संकाय प्रवेशन कार्यक्रमः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी नव–नियुक्त शिक्षकों के लिए संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी) विकसित किया है। एफआईपी का उद्देश्य शिक्षकों को योजना के तहत आने वाले ढ़ांचे, कामकाज, नियमों, विनियमों आदि से परिचित कराना है। वर्ष 2020–2021 के दौरान योजना के तहत 1595 लाभार्थियों को कवर किया गया।

- *परामर्श*– गैर–प्रत्यायित संस्थानों का मार्गदर्शन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए 'नैक प्रत्यायित आकांक्षी संस्थानों' को परामर्श प्रदान करने के लिए एक नई पहल–'*परामर्श*' की योजना लागू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 167 मार्गदर्शक संस्थानों को मंजूरी दी है वर्ष 2021–22 के दौरान इस योजना के तहत मार्गदर्शक संस्थानों को 110.23 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

- "*मूल्यप्रवाह*–उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवरों नैतिकता अंतर्निविष्ट करनाः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है– "*मूल्यप्रवाह*–उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवरों नैतिकता अंतर्निविष्ट करने संबंधी दिशानिर्देश"। भारत के पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ विश्वविद्यालय परिसरों के लिए एक ढ़ांचे को वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है ताकि सतत् विकास की दिशा में उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के योगदान को बढ़ावा दिया जा सके तथा इस दिशा में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वास है कि यह पहल एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम के रूप में उभरेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 2022 में "*मूल्य प्रवाह*– उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मानव मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को अंतर्निविष्ट करने के लिए दिशानिर्देश 2.0" पर हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

- पर्यावरण शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लचीले और अभिनव पाठ्यक्रम के माध्यम से समग्र और बहु–विषयक शिक्षा प्राप्त करने की सिफारिश करती है, जिसमें सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य–आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में क्रेडिट–आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं शामिल होंगी। इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पर्यावरण शिक्षा हेतु दिशानिर्देश और पाठ्यचर्या ढांचा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

- विश्वविद्यालयों के समाज तथा उद्योग के साथ संपर्क को सक्षमकारी बनाना तथा उसका विस्तार करनाः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने गुणवत्ता अधिदेश के तहत अनेक पहल की हैं और उनमें से एक 'प्रत्येक संस्थान के लिए सामाजिक और उद्योग संपर्क' से संबंधित है। आयोग ने अपनी 550 वीं बैठक में "विश्वविद्यालय और उद्योग संपर्क को सक्षम बनाने और उसका संवर्धन करने" विषय पर रिपोर्ट पर विचार किया और उसे संस्वीकृत किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सामाजिक उत्तरदायित्व सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा" देने पर 30 घंटे का क्रेडिट पाठ्यक्रम भी विकसित किया है।

- छात्रों की कॅरियर प्रगति को ट्रैक करनाः– आयोग ने अपनी 550 वीं बैठक में "छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क" पर रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया, ताकि पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर छात्रों की कॅरियर प्रगति को ट्रैक किया जा सके।

अध्याय 1

प्रस्तावना

- 1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन
- 1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग
- 1.3 प्रकाशन
- 1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त
- 1.5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)
- 1.6 वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय
- 1.7 विशेष क्रियाकलाप/पहल
- 1.8 नई शिक्षा नीति, 2020 तथा उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाएगा जो विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्योरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता हेतु विनिमय भी तैयार करता है।

- उच्चतर शिक्षा के बहु–आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निवर्हन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किए है तथा कार्यान्वित किए हैं।

1.1(i) संगठनात्मक ढांचा:

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से किया जाता है। शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाता है:

जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो;

जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबंद्ध हों, अथवा

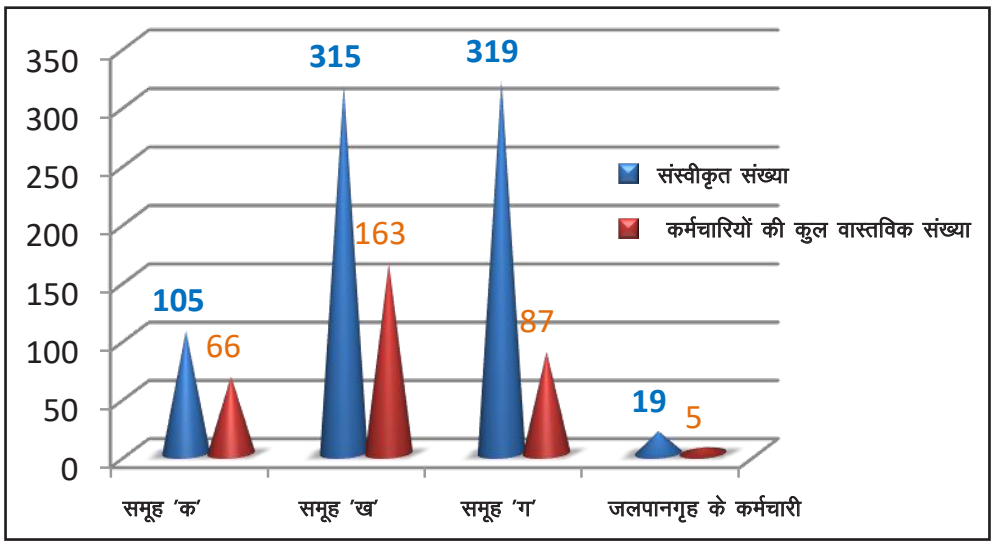
जो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी शीर्ष, सचिव महोदय हैं। सचिव महोदय ने तालिका 1.1 में उल्लिखित निम्नलिखित कर्मचारियों के साथ आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:–

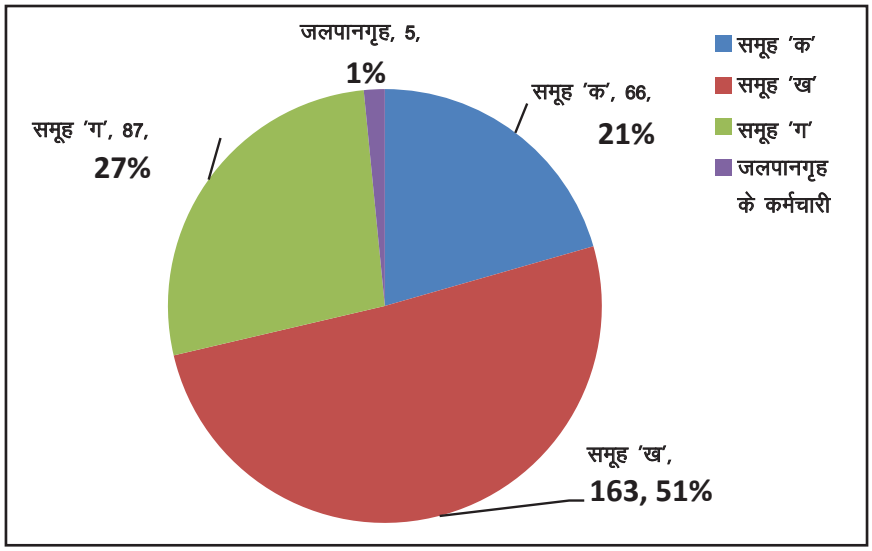
तालिका 1.1: वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग के सचिवालय में कर्मचारियों की संस्वीकृत और वास्तविक संख्या

समूह	संस्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में		
			महिला (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)
समूह 'क'	105	66 (62.85 प्रतिशत)	26 (24.76 प्रतिशत)	09 (8.57 प्रतिशत)	03 (2.85 प्रतिशत)
समूह 'ख'	315	163 (51.74 प्रतिशत)	52 (16.50 प्रतिशत)	44 (13.96 प्रतिशत)	09 (2.85 प्रतिशत)
समूह 'ग'	319	87 (27.27 प्रतिशत)	11 (3.44 प्रतिशत)	26 (08.15 प्रतिशत)	05 (1.56 प्रतिशत)
जलपानगृह के कर्मचारी	19	05 (26.31 प्रतिशत)	शून्य	03 (15.78 प्रतिशत)	शून्य
कुल	**758**	**321 (42.34 प्रतिशत)**	**89 (11.74 प्रतिशत)**	**82 (10.81 प्रतिशत)**	**17 (2.24 प्रतिशत)**

रेखाचित्र 1.1: वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग के सचिवालय में करमचारीयों की संस्वीकृत और वास्तविक संख्या

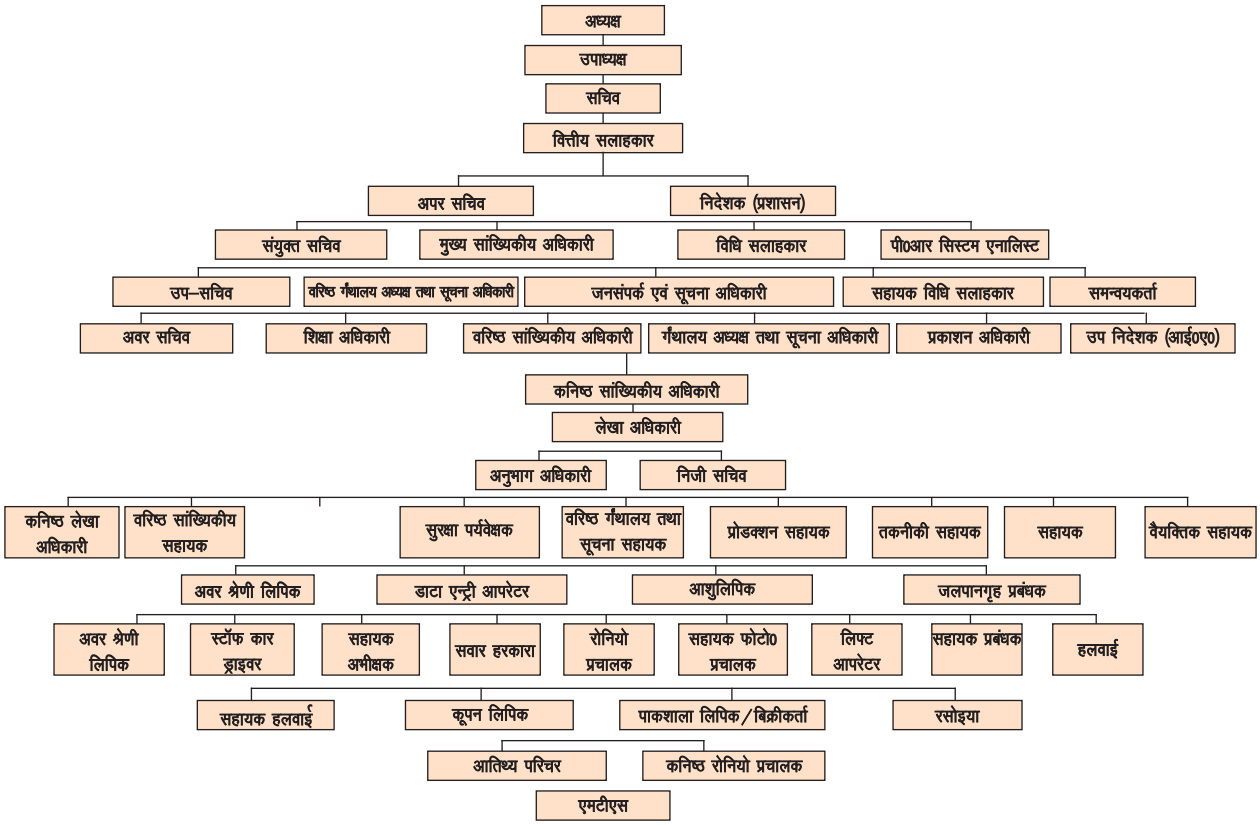


रेखाचित्र 1.1: वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग के सचिवालय की स्तर–वार वास्तविक संख्या



कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन करने अथवा निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों से विषय विशेषज्ञों की मदद प्राप्त करता है।

1.1(i)(क) संगठनात्मक चित्र



1.1(i)(ख) क्षेत्रीय कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु तथा दिल्ली में सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्यूरो,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनरत है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके तहत शामिल राज्य के महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी और तेलंगाना
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनइआरओ), गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ), बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीओ), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश

1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ

1.2 (i) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तहत एक प्रकोष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ, सूचना का अधिकार अधिनियम (आर0आईए0 के तहत आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा अपेक्षित संख्या में उनकी प्रतियां तैयार कर उन्हें केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के माध्यम से उन्हें विभिन्न सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को भेजता है, जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर 15 अपीलीय प्राधिकारी तथा 37 सीपीआईओ हैं। आवेदक से प्राप्त सूचना के अधिकार के तहत आवेदन/अपील तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नाम पर मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है जिसके पास संगत जानकारी होती है। आवेदक द्वारा भेजे गए आरटीआई आवेदन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को मुख्य कार्यालय में सीपीआईओ के नाम पर प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो प्रमुख को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके तहत ब्यूरो में तैनात उप सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा–जोखा आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर डाली गई है।

वर्ष 2021–22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 15850 आवेदन प्राप्त हुए तथा 9194 आवेदनों का निपटान किया गया तथा 2246 अपीलें प्राप्त हुई जिनमें से 1462 अपीलों का निपटान किया गया। आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा आरटीआई शुल्क संग्रहण 23781/– रुपये रहा तथा सूचना के अधिकार के नियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क 1432/– रुपये रहा।

1.2(ii) वेतनमान अनुभाग

वेतनमान अनुभाग को केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने साथ ही साथ शिक्षकों महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अन्य समकक्ष संवर्गो अर्थात् पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समन्वय करने का कार्य सौपा गया है। यह अनुभाग

शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के साथ भी संपर्क करता है। रिपोर्टाधीन अवधि, वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए तथा उनके बारे में शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दी गई:–

i. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के प्रथम संशोधन को दिनांक 11 अक्तूबर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

ii. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के लागू होने के दौरान सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को भी अवकाश नकदीकरण लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में सहमति दिए जाने के आयोग के निर्णय को दिनांक 12 अप्रैल, 2021 को शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है।

1.2 (iii) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढ़ंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के कार्यो पर नजर रखी जा सके जिससे कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य सर्तकता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी हैं और जहां कहीं भी आवश्यक होता है उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी को आगे निम्नवत सुनिश्चित करना होता है:

- संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना।
- (i) परिसम्पत्तियों तथा अर्जनों का विवरण (ii) उपहार (iii) निजी फर्मों में नियोजित रिश्तेदार अथवा निजी व्यवसाय कर रहे रिश्तेदार (iv) बेनामी लेनदेन करने वालों को कवर करते हुए सत्यनिष्ठा से जुड़े हुए आचरण नियमों का त्वरित रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- संवेदनशील स्थानों की अवस्थिति, ऐसे स्थानों का नियमित और औचक निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मियों की उचित संवीक्षा।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान के आवंटन और संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए निवारक उपायों को लागू किया जाना।
- केन्द्रीय सर्तकता आयोग द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 26 अक्तूबर से 01 नवम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न क्रियाकलाप किए गए जैसे श्री राम अवतार मीना, निदेशक, सर्तकता आयोग (सीवीसी) द्वारा ऑनलाइन व्याख्यान, ''भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका'' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, शपथ दिलवाई (ऑनलाइन) गई तथा इस अवधि के दौरान बैनर लगाना, जैसे अनेक कार्य किए गए।

सतर्कता प्रकोष्ठ ने सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का परामर्श दिया।

वर्ष 2021–22 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से 06, शिक्षा मंत्रालय से 05, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से 08 और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय को 17 शिकायतें भेजी गईं। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से जुड़े विअआ ब्यूरो को भेज दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में जांच करने के लिए कतिपय मामलों में जांच समितियों का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ, शिकायतों पर जांच के निष्कर्षों पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्रशासनिक ब्यूरो को परामर्श देता है। शिकायतों के संबंध में वास्तविक रिपोर्टों को सीवीसी/शिक्षा मंत्रालय को भी भेजा गया था।

इसके अलावा, सर्तकता प्रकोष्ठ को ऑफलाइन पद्धति से 16 तथा ऑनलाइन पद्धति से 11 सूचना का अधिकार आवेदन/अपीलों के आवेदन भी प्राप्त हुए।

1.2 (iv) विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ, देशभर में उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च/अधीनस्थ न्यायालयों, मंचों तथा आयोग आदि के समक्ष दायर किए गए विधिक प्रकरणों पर कार्यवाही करता है।

विधिक प्रकोष्ठ, न्यायालय में दायर किए गए प्रकरणों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, देशभर में अन्य न्यायिक निकायों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अलग–अलग कार्यालयों में कार्यरत 'स्टैडिंग कांऊसिल'/'पेनल के अधिवक्ताओं' के बीच का समन्वय करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी ब्यूरो को विभिन्न मामलों में विधिक मत भी देता है। वर्तमान में, चल रहे अधिकांश प्रकरण मुख्यतः वेतनमान, अर्हता, अधिवर्षिता की आयु, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की नियुक्तियों/चयन, पेशेवर/नेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा तथा विभिन्न संस्थानों/फर्जी संस्थानों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ प्रकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों से संबद्ध प्रशासनिक मामलों के संबंध में होते हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं का एक पेनल तैयार किया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 918 प्रकरण प्राप्त हुए तथा अधिवक्ताओं के बिल पर 300 लाख रुपये का व्यय हुआ।

1.2(v) संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क उच्चतर शिक्षा के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषरूप से शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुए संसदीय् प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान लोक सभा/राज्य सभा के बजट, मानसून और शरदकालीन सत्र के दौरान प्राप्त हुए तथा उत्तरित प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों मे से तारांकित प्रश्नों की संख्या
2017–18	685	54
2018–19	634	47
2019–20	801	49
2020–21	373	18
2021–22	619	58

वर्ष 2021–22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) के दौरान प्राप्त हुए संसदीय प्रश्न की संख्या

सत्र की तिथि	प्राप्त हुए लोक सभा संसदीय प्रश्न		प्राप्त हुए राज्य सभा संसदीय प्रश्न		कुल		कुल योग
	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित प्रश्न	
19 जुलाई, 2021 से 13 अगस्त, 2021	118	10	89	10	207	20	227
29 नवम्बर, 2021 से 23 दिसम्बर, 2021	70	10	60	7	130	17	147
31 जनवरी, 2022 से 08 अप्रैल, 2022	111	11	113	10	224	21	245
कुल	299	31	262	27	561	58	619

आश्वासनों की संख्या = 18

1.2 (vi) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी)

कदाचार रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना दिनांक 30 मई, 1996 को हुई थी। उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विस्तार के साथ–कई प्रकार की कदाचार भी किए जा रहे हैं जिन पर समाज के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एएमपीसी देश के उन फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मौजूदगी/कार्यकरण से संबंधित मामलों का निपटान कर रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए उपाधियां स्थापित/प्रदान कर रहे हैं। यह राज्य अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या विशेष रूप से उपाधि प्रदान करने अथवा देने के लिए ऐसे सशक्त संस्थान के तहत स्थापित नहीं हैं। इस प्रकार, फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 20 जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम है और यह सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.ac.in*** पर भी उपलब्ध है। उपयुक्त के अतिरिक्त, 20 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉनिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम), 133/4, कुतुब एन्क्लेव, फेज– II, नई दिल्ली –110016

एएमपीसी का मूल उद्देश्य जनता/विद्यार्थी/अभिभावक आदि से गैर–मान्यताप्राप्त संस्थानों के संबंध में शिकायतों की जांच करना और साथ ही इसका पिंट/इलेक्ट्रानिक पिंट मीडिया से जानकारी एकत्रित करना है और ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करना है।

I. *किए गए क्रियाकलापों के मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:*

1. जन साधारण/छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करके संस्थानों के गैर मान्यताप्राप्त दर्जे के बारे में अवगत कराया जाता है तथा उन्हें ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है।

2. प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया।

3. जाली विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.ac.in.*** पर अपलोड की गई है।

4. राज्यों के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों तथा प्रधान सचिवों को उनके क्षेत्राधिकारों में अवस्थित जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखे गए।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ (यूपी) का नाम शामिल किया गया।

II. *गैर–अनुमोदित/स्वयं को संस्थान बतलाने वाले निम्नवत फर्जी संस्थानों को चेतावनी नोटिस जारी किया गया:*

1. महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, सेक्टर –110 के सामने, नोएडा –201304 (उत्तर प्रदेश)।
2. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग स्टडीज (आईएमईएस), 263, दूसरा तल, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092

1.2(vii) कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न'' संबंधी आंतरिक समिति है जिसकी अध्यक्षता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव करती हैं। समिति का व्यापक प्रचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय के मुख्य स्वागत कक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नोटिस लगाए गए हैं। जनसाधारण की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

की वेबसाइट पर समिति की संरचना सहित संगत टेलीफोन नम्बर अपलोड किए गए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति को किसी नए मामले की जानकारी नहीं दी गई

1.2(viii) विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए एक संयुक्त सचिव को संपर्क अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है, उन्हें शिक्षा अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे।

1.2 (ix) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने और भारत को रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए:

1. यह कार्यक्रम संपूर्ण राष्ट्र को कवर करता है, निम्नवत के माध्यम से रैगिंग की समस्या की रोकथाम की जाती है। :

   क. महाविद्यालयों के प्राधिकारियों, अभिभावकों और छात्रों के बीच बेहतर संवाद

   ख. विनियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी; और

   ग. लोगों में जागरूकता बढ़ाकर।

यह कार्यक्रम छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र भी प्रदान करता है। आयोग ने सभी संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी प्रवेश विवरणिका में रैगिंग को निषेध किए जाने और परिणामों के संबंध में सरकार के निदेशों को सम्मिलित करें।

2. सभी संबंधितों द्वारा प्रभावी समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करने के अलावा, रैगिंग पीड़ितों की मदद करने के लिए कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ विअआ द्वारा 12 भाषाओं में रैगिंग रोधी निःशुल्क ''हेल्पलाइन'' 1800–180–5522 को चालू कर दिया गया है। शिकायतों को ***helpline@antiragging.in*** पर ईमेल के माध्यम से भी दर्ज कराया जा सकता है।

3. वर्ष 2021–22 के दौरान राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन द्वारा रैगिंग की 582 शिकायतें दर्ज की गईं और इसमें से 401 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है,181 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और उच्चतर शिक्षा सचिवों को दिनांक 19 मार्च, 2021 को एक पत्र जारी किया जिसमें उनके संबंधित राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों में रैगिंग रोधी विनियमों को लागू करने के लिए कड़े उपाय करने और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

5. श्री राकेश कुमार मिश्रा, आईपीएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम के उपायों की निगरानी करने के लिए दिनांक 09 अप्रैल, .2021 को रैगिंग रोधी समिति की 19वीं बैठक आयोजित की गई समिति ने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने की सिफारिश की: –

   I. रैगिंग के उपशमन पर सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) किट, ई–सामग्री तैयार करना।

   II. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में, संकाय के लिए पुनश्चर्या, अभिविन्यास पाठ्यक्रम और छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम।

   III. रैगिंग विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग के विनियमों/दिशानिर्देशों, आईईसी सामग्री और सर्वोत्तम पद्धतियों को जागरूकता प्रयोजनों के लिए विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ भी साझा किया जा सकता है।

   IV. रैगिंग रोधी उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विनियामक निकायों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए निर्धारित जांचसूची के अनुरूप बिंदुओं के अनुपालन की निगरानी करें।

V. निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि एक त्वरित और पारदर्शी निवारण तंत्र स्थापित किया जा सके।

VI. लंबित मामलों का समय से निपटान किया जाए तथा जिन राज्यों में 100 से अधिक मामले हैं उन्हें मामलों के निपटान की गुणवत्ता के बारे में संवेदनशील बनाया जाए।

VII. यह समझने के लिए एक सत्यापन तंत्र होना चाहिए कि शिकायत का उचित तरीके से निपटान किया गया है या नहीं।

VIII. भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संस्थानों में रैगिंग रोधी उपायों की निगरानी के मुद्दे पर विचार करने के लिए 13वीं अंतर्परिषद समिति की बैठक का आयोजन, दिनांक 12 अप्रैल, 2021 को किया गया। समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- समिति को सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा संस्थानों से संबंधित है और विद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता वाली अंतर्परिषद समिति द्वारा पिछले 10 वर्षों में अंतर्परिषद समिति द्वारा बहुत अनुभव और विशेषज्ञता हासिल की गई है। इस अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग विद्यालयों में रैगिंग के उन्मूलन के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भागीदारी केवल प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और विद्यालयों को ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ प्रदान करने के लिए है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले दशक में प्राप्त किया है। मसौदा विनियमों को तैयार किए जाने और सभी राज्यों की सहमति लेने के बाद पहल को आगे बढ़ाने का निर्णय शिक्षा मंत्रालय को लेना होगा। इस आशय के संबंध में, निगरानी एजेंसी की सहायता से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे शिक्षा मंत्रालय को अग्रेषित करेगा।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो निविदाएं जारी की थी और निम्नलिखित एजेंसी/एनजीओ/एनजीए का चयन किया गया है:

क्रम. संख्या	निविदा	चयनित एजेंसी/एनजीओ/एनजीए
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साउथ कैंपस में पूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना और उच्चतर शिक्षा के छात्रों से रैगिंग और नस्लीय भेदभाव की शिकायतों के निवारण के लिए एक संपर्क केंद्र का संचालन।	मैसर्स एडीसी इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
2.	एक 24x7 रैगिंग रोधी हेल्पलाइन की निगरानी करने, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संबद्ध आईटी और डाटाबेस से जुड़े कार्यों में रैगिंग को समाप्त करने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु गैर–सरकारी संगठन/एनजीए को लघुसूचीबद्ध करने के लिए आरएफपी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दक्षिण परिसर में स्थापित किया जाएगा।	मैसर्स सेंटर फॉर यूथ (सी4वाई)

7. जैसा कि मानवाधिकार आयोग ने ''रैगिंग'' को मानवाधिकारों के हनन के रूप में स्वीकार किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रैगिंग के कुछ ज्यादतियों के मामले प्राप्त हुए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन मामलों को, जिनमें माता–पिता, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई से पूरी तरह असहमत हैं, को अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अग्रेषित करना चाहता है। इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 04 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करने हेतु एक पत्र लिखा था। रैगिंग के मुद्दे पर दिनांक 13 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक बैठक आयोजित की गई थी।

8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक छात्र और उसके माता–पिता/अभिभावक के लिए एक वचनपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अपने हितधारकों द्वारा अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल के एक भाग के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी हलफनामा दायर करने की प्रक्रिया को संशोधित किया है और दिनांक 28 अक्तूबर, 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को संबोधित पत्र अपलोड किया है।

9. वर्ष 2021–22 की अवधि के लिए निम्नलिखित भुगतान किए गए:

आबंटित निधियां	लाभार्थी	भुगतान की गई राशि
वर्ष 2021–22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या जिन्हें निधियां जारी की गई	i. अमन सत्य कचरू ट्रस्ट, अमन मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ रैगिंग, 689, सेक्टर –23, गुरूग्राम (हरियाणा) पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही, 2021 के लिए एंटी रैगिंग हेल्पलाइन और डाटाबेस की निगरानी और मूल्यांकन का कार्य कर रहा है।	50,92,440/–
	ii. अमन सत्य कचरू ट्रस्ट, अमन मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ रैगिंग, 689, सेक्टर –23, गुरूग्राम (हरियाणा) को 24X7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन चलाने के लिए।	81,37,512/–
	iii. मैसर्स एडीसी इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ए–96/1, फेज–2, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110064 को 24X7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन चलाने के लिए।	97,53,341/–

1.2 (x) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ

महानिदेशक लेखापरीक्षा और राजस्व की संस्तुति पर मई, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित्त के उचित रखरखाव तथा पारदर्शिता करने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा प्रकोष्ठ गठित किया गया। तब से, यह कार्यालय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है जिनकी सहायता के लिए भारत सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखापरीक्षा/कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्रों की लेखापरीक्षा भी करता है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न वित्तीय मामलों पर भी परामर्श देता है। इस प्रकोष्ठ को पेंशन भुगतान के मामलों, जीपीएफ/सीपीएफ अंतिम भुगतान के मामलों, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेजों तथा समय–समय पर सौंपे गए अन्य मामलों तथा लेखों की बाद की लेखापरीक्षा, अनुदान सहायता रजिस्टर की परीक्षा जांच तथा संस्वीकृतियां, सांविधिक लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का विभाग से अनुपालना करवाना/निपटान तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पैरा के संबंध में विभिन्न निकायों के साथ समन्वय करना। विश्वविद्यालयों तथा अन्य लाभार्थी संस्थानों को जारी की गई निधियों तथा उनके उपयोग की जांच करना तथा लेखों का निरीक्षण कार्य करने का कार्य भी प्रकोष्ठ को सौंपा गया है।

1.2 (xi) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ/'जेंडर चैम्पियन'

लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कैम्पस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और लिंग संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि इस संबंध में शून्य सहनशीलता की नीति पर अमल किया जा सके। वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति विधेयक, 2013, विशाखा दिशानिर्देश तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय परिसरों को किसी भी प्रकार के लिंग संबंधी भेदभाव तथा उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिए एक विशेष कृतबल का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों तथा छात्रों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध तथा निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मानना है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचआई) के परिसरों में महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। उच्चतर शिक्षा संस्थान, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा के अचूक तंत्र और सुरक्षा के अभेद्य मानकों को स्थापित करके स्वस्थ परिवेश उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं। सर्वोत्तम पद्धतियों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को लागू करना ही इसकी कुंजी है, जो परिसरों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों से वास्तविक रूप से निपट सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान से निम्नवत अनुरोध किया था।

(i) लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे से निपटने और लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने–अपने संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि विश्वविद्यालय में गठित आईसीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 के अनुरूप कार्य कर रहा है।

(ii) यह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित नए विनियमों संबंधी प्रावधानों का यथा संभव व्यापक प्रसार किया जाए।

(iii) परिसर में सभी स्थानों और सुविधाओं में सभी महिलाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित परिवेश मुहैया कराएं।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्र शिकायत निवारण पोर्टल पर महिलाओं से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण और यौन उत्पीड़न की सुविधा उपलब्ध कराएं।

(v) सभी संबंधित पक्षों को महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए निःशुल्क नंबर 1800–111–656 को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसकी जानकारी दें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड–19 के मद्देनजर, लैंगिक पूर्वाग्रह और 'स्टीरियो–टाइपिंग', लैंगिक समानता और महिला अधिकार पर वेबिनार/वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आयोग की वेबसाइट पर 25 जून, 2020 को एक परामर्श अपलोड किया है, जिसे पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष में एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को परामर्श भेजता है जिसमें वार्षिक रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों पर वार्षिक विवरणी के संबंध में जानकारी भेजने का अनुरोध किया जाता है और एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने तथा 'सक्षम' वेब पोर्टल पर लिंग लेखापरीक्षा का ऑनलाइन अनुपालन कर उसे भरने के अनुरोध के साथ उनके संबद्ध महाविद्यालयों को भी सूचित करने का अनुरोध किया जाता है। नवीनतम परामर्श दिनांक 10 जून, 2021 को अपलोड किया गया।

'जेंडर चैम्पियन'

युवा किशोरों और किशोरियों को लिंग के संबंध में संवेदनशील बनाने तथा एक सकारात्मक सामाजिक मानदंड तैयार करने के लिए जिससे किशोरियों को विश्वविद्यालय परिसर में सम्मान प्राप्त हो तथा उनके अधिकारों का भी सम्मान किया जाए तथा एक ऐसे जिम्मेदार नेतृत्व का चयन करना जो एक समेकित तथा अंतर्विधायी पद्धति को सुग्राही बनाएं, जो लिंग के सामाजिक–सांस्कृतिक ताने–बाने का बोध रखते हों जिससे समाज में महिला और पुरूष के अनुभव आकार लेते हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ इसे साझा किया है।

जेंडर चौंपियंस के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वर्ष में एक बार जेंडर चौंपियंस के दिशानिर्देशों को लागू करने के अनुरोध के साथ परामर्श भेजता है और 'सक्षम' वेब पोर्टल पर 'जेंडर चैम्पियन के ऑनलाइन अनुपालन को भरने के अनुरोध के साथ अपने संबद्ध महाविद्यालयों को भी सूचित करने का अनुरोध करता है। नवीनतम परामर्श दिनांक 13 जुलाई, 2021 को अपलोड किया गया।

1.2(xii) लोक शिकायत प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोक शिकायत प्रकोष्ठ को सभी शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो प्रमुखों को तत्काल उत्तर (30 दिनों के भीतर) आवेदक/याचिकाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दिया जाता है। मामलों की एक अवस्थिति रिपोर्ट तैयार कर समय–समय पर शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाती है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक (ऑनलाइन)

- आज तक प्राप्त जन शिकायतों की कुल संख्या= 3,028
- निपटान की गई लोक शिकायतों की कुल संख्या = 2,934
- उत्तर देने हेतु अधीनस्थों के पास लंबित = 94

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोक शिकायत प्रकोष्ठ को शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से सभी शिकायतें हार्डकॉपी के रूप में प्राप्त होती हैं। ऑफलाइन प्राप्त शिकायतों को डायरी किया जाता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो प्रमुखों को भेज दिया जाता है। लोक शिकायत प्रकोष्ठ को संबंधित ब्यूरो को अंतरित किए गए लोक शिकायत (ऑफलाइन) के उत्तर की प्रति प्राप्त नहीं होती है। वे लोक शिकायत प्रकोष्ठ को सूचना दिए बिना शिक्षा मंत्रालय/याचिकाकर्ता को सीधे उत्तर देते हैं।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2021

- प्राप्त जन शिकायतों की कुल संख्या = 367
- संबंधित अनुभाग को भेजी गई लोक शिकायतों की कुल संख्या = 367
- संबंधित अनुभाग को वापस भेजी गई लोक शिकायतों की कुल संख्या = शून्य

1.3 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सम्मेलनों पर रिपार्टें, समितियों की रिपोर्ट, विवरण पुस्तिकाओं और सूचना पत्रकों का प्रकाशन करता है।

क्रम संख्या	दस्तावेजों का नाम
1	उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश
2	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पेशकश किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों में बहु–प्रवेश तथा निकास हेतु दिशानिर्देश
3	उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुता/शिक्षुता समेकित डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देश
4	अकादमिक सत्यनिष्ठा और अनुसंधान की गुणवत्ता पर हैंडबुक
5	उच्चतर शिक्षा में 'ग्लोबल सिटीजनशिप' के लिए शिक्षा का ढांचा
6	वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 (अंग्रेजी और हिंदी)
7	वार्षिक लेखा 2020–21 (अंग्रेजी और हिंदी)
8	वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी)

वर्ष 2021–22 के दौरान प्रकाशन ब्यूरो द्वारा 21,42,480/– रूपये का व्यय किया गया।

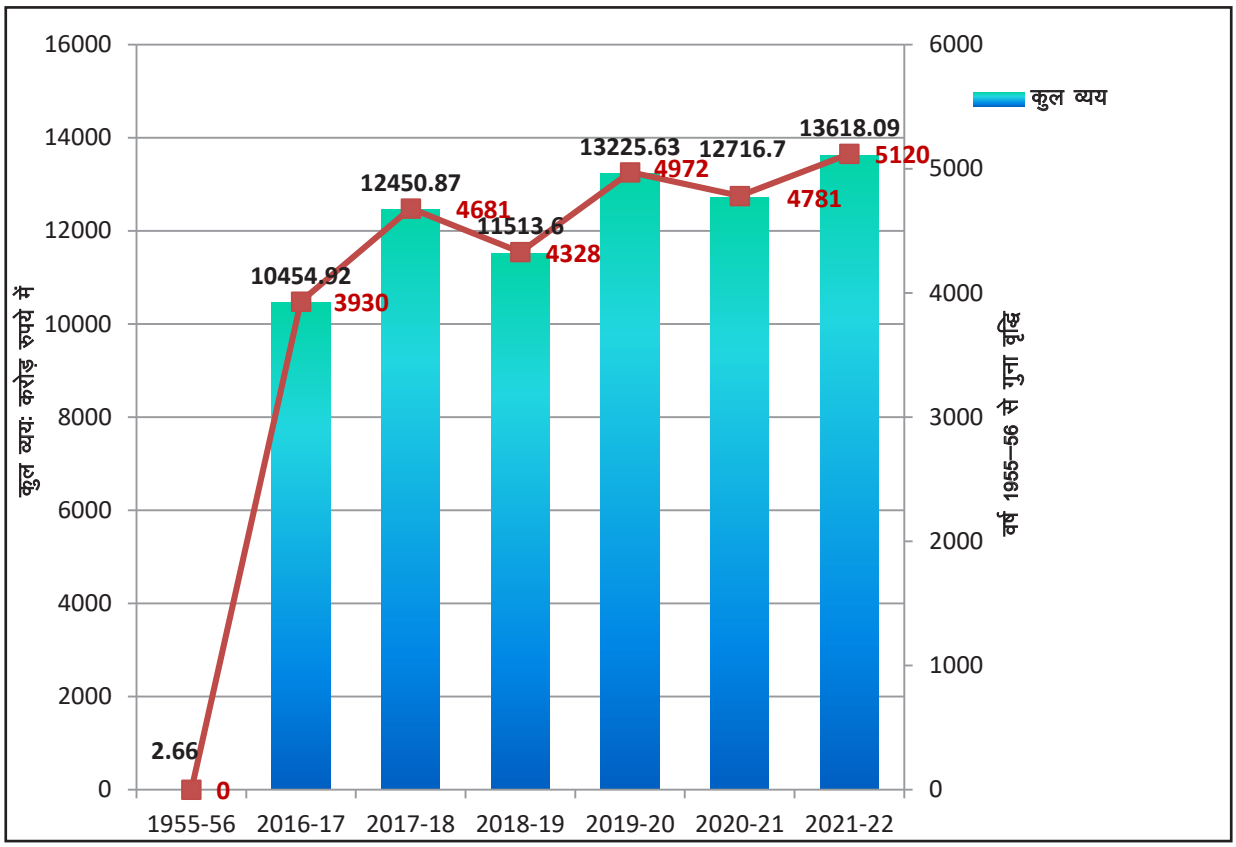
1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (राजस्व) तथा विकास (पूंजीगत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित एवं संवितरित कर सकता है, ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

तालिका 1.4(i): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– वर्ष 1955–56 से व्यय में हुई कुल वृद्धि (करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल व्यय	वर्ष 1955–56 से व्यय में गुना वृद्धि
1955–56	2.66	.
2016–17	10454.92	3930
2017–18	12450.87	4681
2018–19	11513.60	4328
2019–20	13225.63	4972
2020–21	12716.70	4781
2020–21	13618.09	5120

रेखाचित्र 1.4(i): वर्ष 1955–56, वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुल व्यय में हुई वृद्धि



तालिका 1.4 (ii) वर्ष 2021&22 के लिए बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	आबंटन (राजस्व और पूंजीगत)	
		बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (स.अ.)
1	सामान्य	12428.61	13809.44
	कुल:	**12428.61**	**13809.44**

तालिका 1.4(iii): वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त अनुदान

(करोड़ रुपये में)

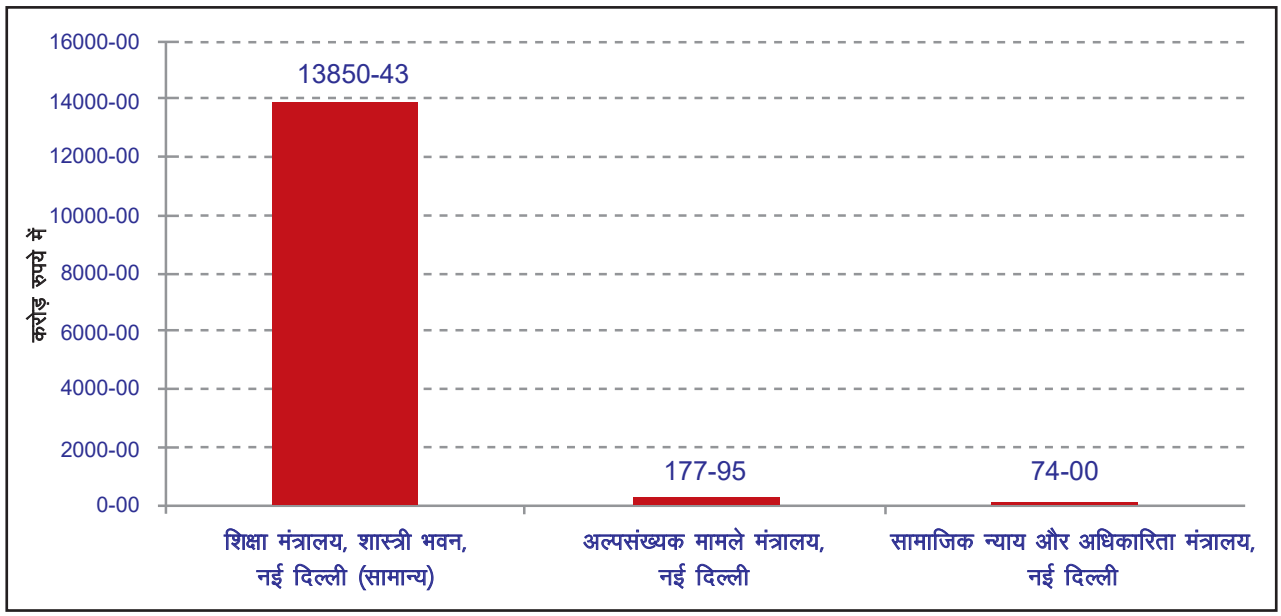
क्रम संख्या	बजट शीर्ष	प्राप्त अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)
1	सामान्य	13850.43
	कुल :	13850.43

तालिका 1.4(iv): वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)
1.	शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	13850.43
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	
	(i) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	122.40
	(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	55.55
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	74.0
	कुल:	**14102.38**

रेखाचित्र 1.4(iv): वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त अनुदान (पूंजीगत और राजस्व)



तालिका 1.4(v) : वर्ष 2021–22 के दौरान संस्थानों को जारी किए गए राजस्व और पूंजीगत अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संस्थानों का स्वरूप	राजस्व और पूंजीगत अनुदान	जारी जारी किए गए कुल अनुदान का प्रतिशत	राजस्व और पूंजीगत अनुदानों का कुल प्रतिशत + अव्ययित शेष राशि
1	राज्य विश्वविद्यालय	387.25	2.84	2.80
2	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	63.23	0.46	0.46
3	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	8461.71	62.13	61.09
4	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	2659.09	19.53	19.20
5	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	184.74	1.36	1.33
6	सम विश्वविद्यालय संस्थान	474.67	3.49	3.43
7	विविध/विश्वविद्यालयेत्तर और संस्थान	2.47	0.02	0.02

क्र.सं.	संस्थानों का स्वरूप	राजस्व और पूंजीगत अनुदान	जारी जारी किए गए कुल अनुदान का प्रतिशत	राजस्व और पूंजीगत अनुदानों का कुल प्रतिशत + अव्ययित शेष राशि
8	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आनॅलाईन भुगतान	1237.68	9.09	8.94
9	क्षेत्रीय केन्द्र	30.23	0.22	0.22
10	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	107.07	0.79	0.77
11	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	6.92	0.05	0.05
12	रैगिंग रोधी उपाय	2.45	0.02	0.02
13	उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)	0.24	0.002	0.002
14	राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)	0.34	0.0025	0.0024
	कुलः	**13618.09**	**100.00**	**98.32**

प्राप्त हुईं कुल निधियांः 13850.43 करोड़ रुपये

वर्ष 2021–22 के दौरान शिक्षा मंत्रालय के निदेश के अनुसार व्यपगत निधियांः 189.67 करोड़ रुपये

अव्ययित शेषः 42.67 करोड़ रुपये

तालिका 1.4(vi): वर्ष 2021–22 के लिए अनुदान (राजस्व और पूंजीगत अनुदान) का सारांश

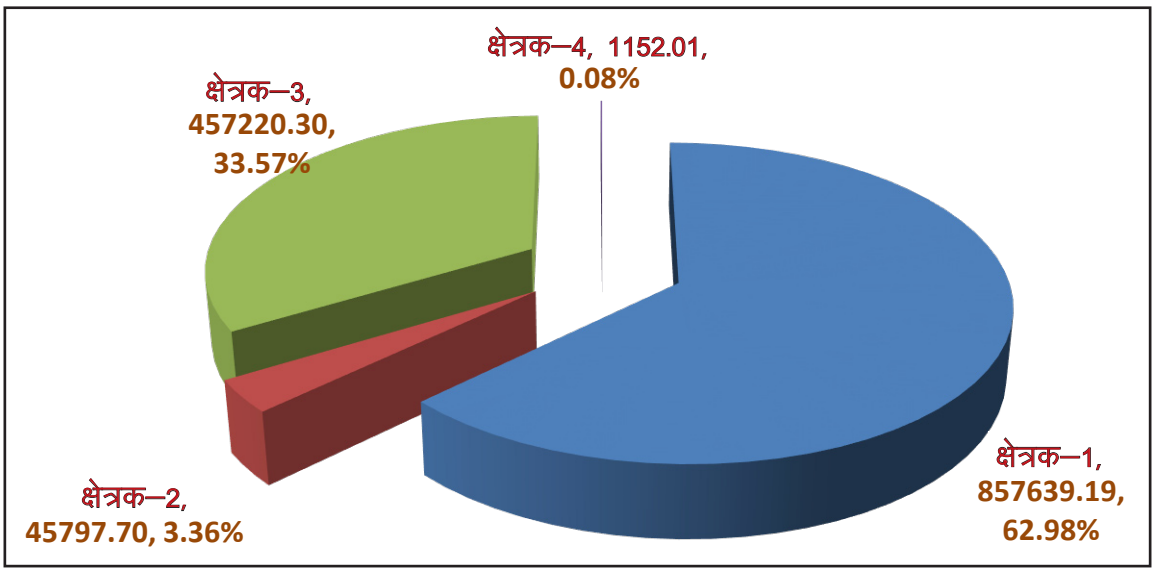
(लाख रुपये में)

	क्षेत्रक–1	क्षेत्रक–2	क्षेत्रक–3	क्षेत्रक–4	कुल (क्षेत्रक–1 से 4)
विश्वविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	841030.43		5140.10		846170.53
सम विश्वविद्यालय		45797.70	1669.76		47467.46
राज्य विश्वविद्यालय			37573.08	1152.01	38725.09
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र			18473.53		18473.53
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान			245.19		245.19
कुल (विश्वविद्यालय) :	**841030.43**	**45797.70**	**63101.66**	**1152.01**	**951081.79**
महाविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यूसीएमएस)	16608.77		249300.54		265909.31
सम विश्वविद्यालय			0.09		0.09
राज्य विश्वविद्यालय			6323.47		6323.47
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान			1.99		1.99
कुल (महाविद्यालय):	**16608.77**	**0.00**	**255626.09**	**0.00**	**272234.85**
कुल (विश्वविद्यालय+ महाविद्यालय):	**857639.19**	**45797.70**	**318727.74**	**1152.01**	**1223316.65**
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आनॅलाईन भुगतान			123768.06		123768.06
क्षेत्रीय केन्द्र			3022.92		3022.92
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)			10707.00		10707.00
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)			691.65		691.65

	क्षेत्रक–1	क्षेत्रक–2	क्षेत्रक–3	क्षेत्रक–4	कुल (क्षेत्रक–1 से 4)
रैगिंग रोधी उपाय			245.45		245.45
कुलः	**857639.19**	**45797.70**	**457162.83**	**1152.01**	**1361751.73**
उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)			23.65		23.65
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)			33.82		33.82
कुल योगः	**857639.19**	**45797.70**	**457220.30**	**1152.01**	**1361809.20**

क्षेत्रक–1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रक–2: सम विश्वविद्यालय, क्षेत्रक–3: (केन्द्रीय/राज्य/सम) विश्वविद्यालय, क्षेत्रक–4: विविध

रेखाचित्र 1.4(vi): वर्ष 2021–22 के दौरान क्षेत्र–वार जारी किया गया पूंजीगत और राजस्व अनुदान (लाख रुपये में)



1.4(vii): राजस्व और पूंजीगत अनुदानों (वर्ष 2021–22) के तहत विश्वविद्यालयों/संस्थानों* (क्षेत्रक 1,2,3 और 4) को राज्यवार जारी किया गया अनुदान

तालिका 1.4(vii): विश्वविद्यालयों/संस्थानों (क्षेत्रक 1,2,3 और 4) को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों (वर्ष 2021–22) के तहत राज्यवार जारी किया गया अनुदान ('ऑनलाइन, क्षेत्रीय कार्यालय, रैगिंग रोधी उपाय तथा प्रशासनिक प्रभारों को जारी अनुदानों के अलावा)

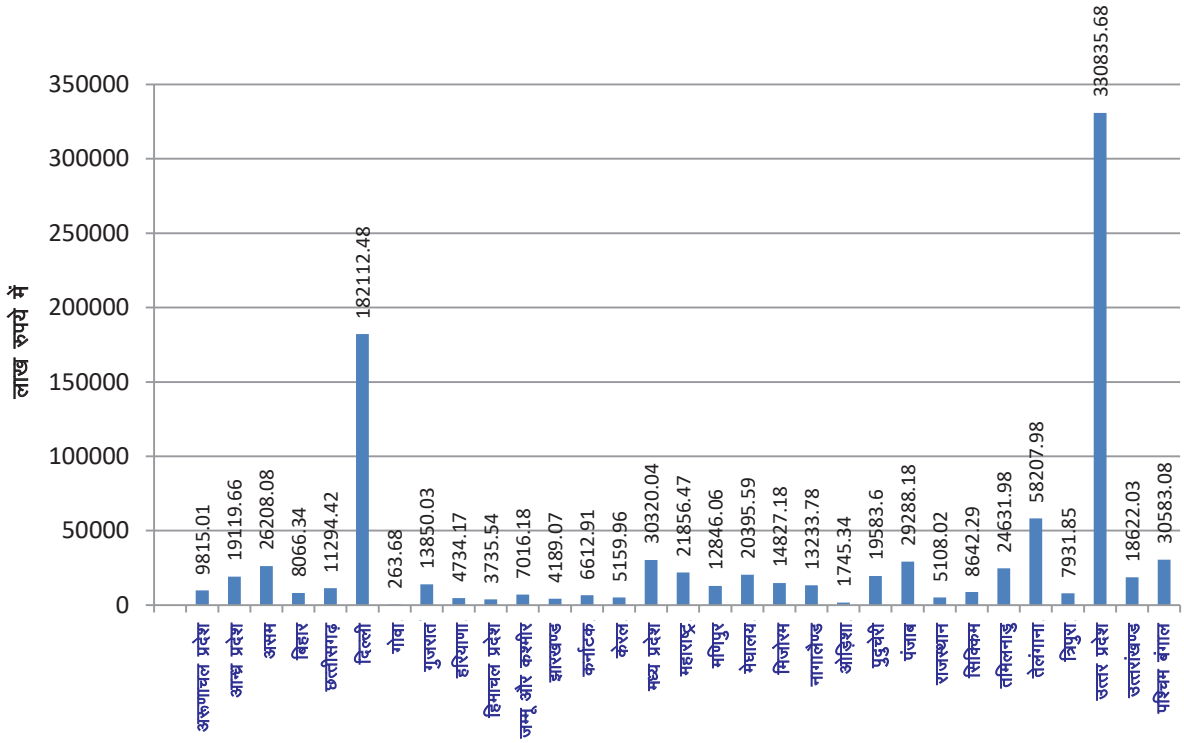
(लाख रुपये में)

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
अरूणाचल प्रदेश	2603.54	1810.99	5400.48	9815.01
आन्ध्र प्रदेश	2732.91	12601.04	3785.71	19119.66
असम	4359.84	3033.52	18814.72	26208.08
बिहार	2106.42	452.70	5507.22	8066.34

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
छत्तीसगढ़	2337.64	1926.00	7030.78	11294.42
दिल्ली	61505.41	6081.31	114525.75	182112.48
गोवा	240.08	23.60	0.00	263.68
गुजरात	3787.60	1998.73	8063.69	13850.03
हरियाणा	1735.25	475.26	2523.66	4734.17
हिमाचल प्रदेश	936.41	300.00	2499.13	3735.54
जम्मू और कश्मीर	2092.15	715.44	4208.59	7016.18
झारखण्ड	805.12	396.36	2987.59	4189.07
कर्नाटक	2388.70	472.71	3751.50	6612.91
केरल	1674.91	602.96	2882.09	5159.96
मध्य प्रदेश	9023.46	5315.99	15980.59	30320.04
महाराष्ट्र	7852.71	1685.99	12317.77	21856.47
मणिपुर	4013.72	922.17	7910.17	12846.06
मेघालय	5386.94	1140.00	13868.65	20395.59
मिजोरम	2270.38	2015.00	10541.80	14827.18
नागालैण्ड	3023.17	873.61	9337.00	13233.78
ओड़िशा	916.18	336.80	492.36	1745.34
पुदुचेरी	3801.73	2900.00	12881.84	19583.60
पंजाब/चंडीगढ़	1411.30	762.21	27114.67	29288.18
राजस्थान	1526.21	250.45	3331.36	5108.02
सिक्किम	1651.62	1749.23	5241.43	8642.29
तमिलनाडु	7189.15	562.98	16879.85	24631.98
तेलंगाना	14712.50	4551.26	38944.22	58207.98
त्रिपुरा	2161.93	843.23	4926.69	7931.85
उत्तर प्रदेश	100102.24	14164.92	216568.52	330835.68
उत्तरांखण्ड	4004.07	313.60	14304.36	18622.03
पश्चिम बंगाल	10145.24	571.34	19866.50	30583.08
कुल	268498.54	69849.40	612488.69	950836.67
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान	245.19			245.19
कुल योग	**268743.73**	**69849.40**	**612488.69**	**951081.86**

31–अनुदान सहायता, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36–वेतन

तालिका 1.4(vii): विश्वविद्यालयों/संस्थानों' (क्षेत्रक 1, 2, 3 और 4) को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों (वर्ष 2021–22) के तहत राज्यवार जारी किया गया अनुदान



1.4(viii): वर्ष 2021–22 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत राज्यवार जारी किया गया अनुदान

तालिका 1.4(viii): वर्ष 2021–22 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत राज्यवार जारी* किया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

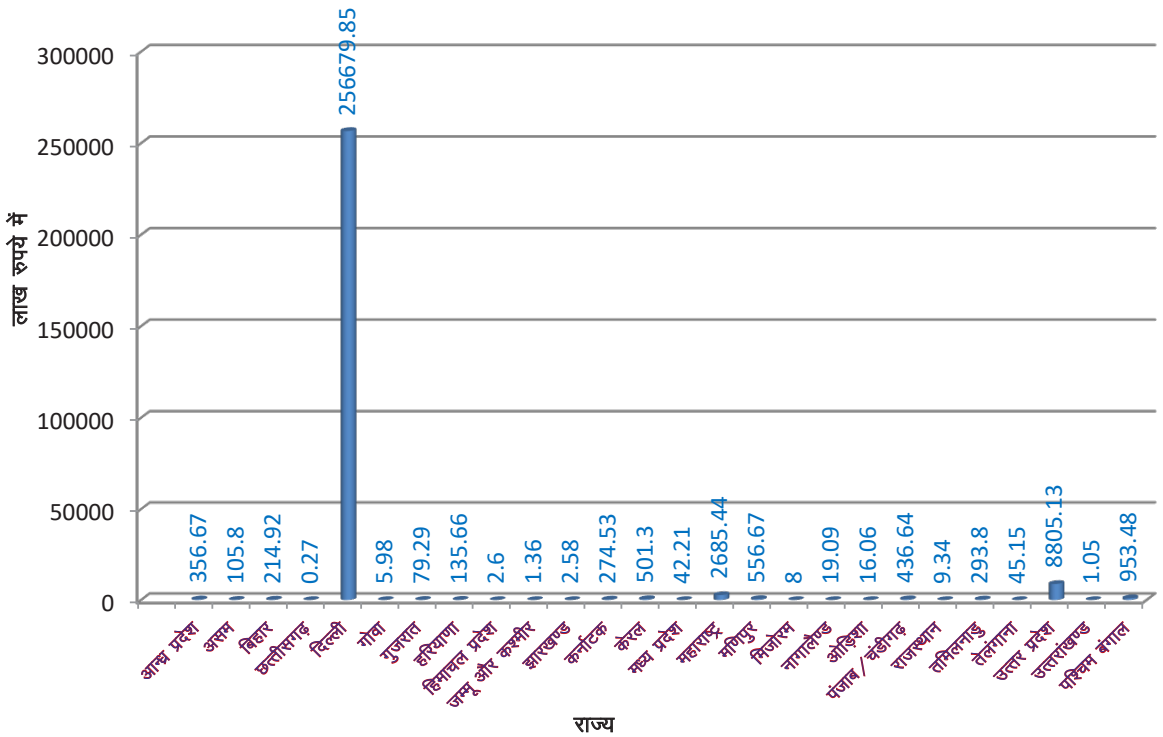
राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
आन्ध्र प्रदेश	333.55	23.12	0	356.67
असम	95.86	9.93	0	105.8
बिहार	199.92	15	0	214.92
छत्तीसगढ़	0.27	0	0	0.27
दिल्ली	56327.84	727.11	199624.9	256679.85
गोवा	5.98	0	0	5.98
गुजरात	75.4	3.89	0	79.29
हरियाणा	132.43	3.24	0	135.66
हिमाचल प्रदेश	2.6	0	0	2.6
जम्मू और कश्मीर	1.36	0	0	1.36
झारखण्ड	1.58	1	0	2.58
कर्नाटक	257.67	16.86	0	274.53

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
केरल	461.54	39.76	0	501.3
मध्य प्रदेश	42.21	0	0	42.21
महाराष्ट्र	2411.21	274.23	0	2685.44
मणिपुर	486.47	70.2	0	556.67
मिजोरम	8	0	0	8
नागालैण्ड	12.99	6.1	0	19.09
ओड़िशा	8.56	7.5	0	16.06
पंजाब / चंडीगढ़	354.18	82.46	0	436.64
राजस्थान	9.34	0	0	9.34
तमिलनाडु	269.26	24.54	0	293.8
तेलंगाना	45.15	0	0	45.15
उत्तर प्रदेश	786.53	3300.61	4717.99	8805.13
उत्तरांखण्ड	1.05	0	0	1.05
पश्चिम बंगाल	349.42	46.28	557.78	953.48
कुल	**62682.37**	**4651.82**	**204900.66**	**272234.85**

*ऑनलाइन, क्षेत्रीय कार्यालय, रैगिंग रोधी उपाय तथा प्रशासनिक प्रभारों को जारी अनुदानों के अलावा

31–अनुदान सहायता, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36–वेतन

रेखाचित्र 1.4(viii): वर्ष 2021–22 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत राज्यवार जारी* किया गया अनुदान



1.4(ix): वर्ष 2021–22 के दौरान 31–अनुदान सहायता, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36–वेतन के तहत जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) का ब्योरा

तालिका 1.4(ix): वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदानों (राजस्व और पूंजीगत) का ब्योरा

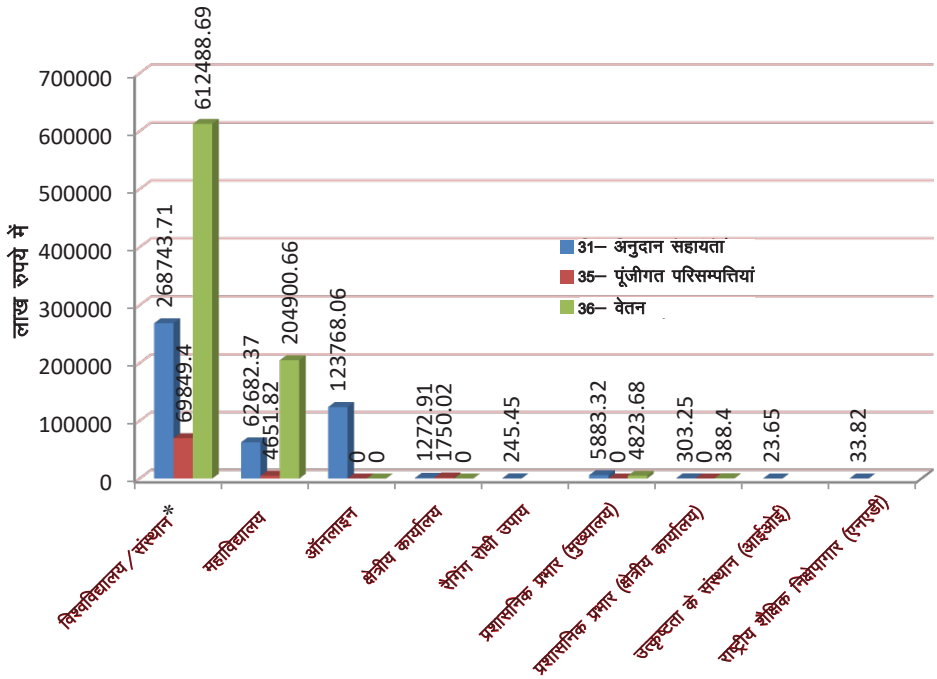
(लाख रुपये में)

वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहद जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा				
उपयोगकर्ता	कुल			
	31	35	36	कुल
विश्वविद्यालय / संस्थान'	268743.71	69849.4	612488.69	951081.8
महाविद्यालय	62682.37	4651.82	204900.66	272234.85
ऑनलाइन	123768.06	0	0	123768.06
क्षेत्रीय कार्यालय	1272.91	1750.02	0	3022.92
रैगिंग रोधी उपाय	245.45	0	0	245.45
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	5883.32	0.00	4823.68	10707.00
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	303.25	0.00	388.40	691.65
उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)	23.65	0	0	23.65
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)	33.82	0	0	33.82
कुल	**462956.54**	**76251.24**	**822601.43**	**1361809.21**

*संस्थानों में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों सहित शामिल है

31– अनुदान सहायता, 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36– वेतन

रेखाचित्र 1.4(ix): वर्ष 2021–22 के दौरान 31– अनुदान सहायता, 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36– वेतन के तहत जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) का ब्योरा



1.4(x): वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय/संस्थानों को राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार, क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

तालिका 1.4 (x): वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय/संस्थानों को राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार, क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
d\Unh; fo'ofo|ky;																	
	vkUèk çn'k																
1	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	297-3	11399-4	95-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297-3	11399-41	95-27	11791-99
2	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	204-68	847-72	61-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204-68	847-72	61-17	1113-57
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	1482	350	3629-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1482	350	3629-26	5461-26
	d|y	1983-98	12597-1	3785-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1983-98	12597-13	3785-71	18366-82
	v l e																
4	असम विश्वविद्यालय	2434-06	1332-32	11414-7	0	0	0	0-8	70	0	0	0	0	2434-86	1402-32	11414-68	15251-87
5	तेजपुर विश्वविद्यालय	1546-68	1631-19	7400-04	0	0	0	68-59	0	0	0	0	0	1615-27	1631-19	7400-04	10646-5
	d|y	**3980-74**	**2963-52**	**18814-7**	**0**	**0**	**0**	**69-39**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4050-13**	**3033-52**	**18814-72**	**25898-37**
	v:.kkpy Án'k																
6	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	2603-54	1810-99	5400-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2603-54	1810-99	5400-48	9815
	d|y	**2603-54**	**1810-99**	**5400-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2603-54**	**1810-99**	**5400-48**	**9815**
	fcgkj																
7	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1112-1	449-98	3512-79	0	0	0	39-2	0	0	0	0	0	1151-3	449-98	3512-79	5114-07
8	महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार	843-92	2-72	1994-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843-92	2-72	1994-43	2841-07
	d|y	**1956-02**	**452-7**	**5507-22**	**0**	**0**	**0**	**39-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1995-22**	**452-7**	**5507-22**	**7955-14**
	NRrhlx<																
9	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,	2000	1926	7030-78	0	0	0	134-44	0	0	0	0	0	2134-44	1926	7030-78	11091-22
	d|y	**2000**	**1926**	**7030-78**	**0**	**0**	**0**	**134-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2134-44**	**1926**	**7030-78**	**11091-22**
	fnYyh																
10	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	6866-21	2142-62	10874-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6866-21	2142-62	10874-33	19883-16
11	जामिया मिलिया इसलामिया	8649-48	641-66	29913-6	0	0	0	886-97	28-12	0	0	0	0	9536-45	669-78	29913-6	40119-83
12	दिल्ली विश्वविद्यालय	24054-33	1662-27	41153-3	0	0	0	215-04	23	0	0	0	0	24269-37	1685-27	41153-34	67107-98
13	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	15314-96	595-55	24588-3	0	0	0	87-84	0	0	0	0	0	15402-81	595-55	24588-28	40586-64
14	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,	1537-92	89-09	4345-55										1537-92	89-09	4345-55	5972-57
	d|y	**56422-91**	**5131-19**	**110875**	**0**	**0**	**0**	**1189-85**	**51-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57612-76**	**5182-31**	**110875-1**	**173670-17**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	x|tjkr																
15	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1485	1900	1925-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1485	1900	1925-6	5310-6
	d|y	**1485**	**1900**	**1925-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1485**	**1900**	**1925-6**	**5310-6**
	gfj;k.kk																
16	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1562-14	475-26	2523-66	0	0	0	23-56	0	0	0	0	0	1585-7	475-26	2523-66	4584-61
	d|y	**1562-14**	**475-26**	**2523-66**	**0**	**0**	**0**	**23-56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1585-7**	**475-26**	**2523-66**	**4584-61**
	fgekpy çn|'k																
17	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	905-21	300	2499-13	0	0	0	31-2	0	0	0	0	0	936-41	300	2499-13	3735-54
	d|y	**905-21**	**300**	**2499-13**	**0**	**0**	**0**	**31-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936-41**	**300**	**2499-13**	**3735-54**
	tEe vkj d'eh j																
18	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1098-28	348-21	1823-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1098-28	348-21	1823-63	3270-12
19	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	868-86	342-7	2078-14	0	0	0	21-66	0	0	0	0	0	890-53	342-7	2078-14	3311-36
	d|y	**1967-14**	**690-9**	**3901-77**	**0**	**0**	**0**	**21-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1988-81**	**690-9**	**3901-77**	**6581-48**
	>kj[k.M																
20	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	655-84	396-36	2987-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655-84	396-36	2987-59	4039-79
	d|y	**655-84**	**396-36**	**2987-59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655-84**	**396-36**	**2987-59**	**4039-79**
	dukVd																
21	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1135-29	386-99	2324-29	0	0	0	46-29	0	0	0	0	0	1181-58	386-99	2324-29	3892-85
	d|y	**1135-29**	**386-99**	**2324-29**	**0**	**0**	**0**	**46-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1181-58**	**386-99**	**2324-29**	**3892-85**
	dj y																
22	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1165-82	367-16	2700-1	0	0	0	0-41	0	0	0	0	0	1166-23	367-16	2700-1	4233-49
	d|y	**1165-82**	**367-16**	**2700-1**	**0**	**0**	**0**	**0-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1166-23**	**367-16**	**2700-1**	**4233-49**
	eè; çn|'k																
23	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय	5434-64	3366	9561-98	0	0	0	114-79	0	151-9	0	0	0	5549-44	3366	9713-88	18629-31
24	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी	1975-24	699-99	4021-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1975-24	699-99	4021-27	6696-5
	d|y	**7409-88**	**4065-99**	**13583-3**	**0**	**0**	**0**	**114-79**	**0**	**151-9**	**0**	**0**	**0**	**7524-67**	**4065-99**	**13735-15**	**25325-81**
	egkjk"V																
25	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	1546-16	438-97	3174-69	0	0	0	1-42	0	0	0	0	0	1547-59	438-97	3174-69	5161-25
	d|y	**1546-16**	**438-97**	**3174-69**	**0**	**0**	**0**	**1-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1547-59**	**438-97**	**3174-69**	**5161-25**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	ef.kij																
26	मणिपुर विश्वविद्यालय	3765-01	775	7623-41	0	0	0	248-71	147-17	286-76	0	0	0	4013-72	922-17	7910-17	12846-05
	d|y	**3765-01**	**775**	**7623-41**	**0**	**0**	**0**	**248-71**	**147-17**	**286-76**	**0**	**0**	**0**	**4013-72**	**922-17**	**7910-17**	**12846-05**
	e?kky ;																
27	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	5274-18	1100	13868-7	0	0	0	112-77	40	0	0	0	0	5386-94	1140	13868-65	20395-59
	d|y	**5274-18**	**1100**	**13868-7**	**0**	**0**	**0**	**112-77**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5386-94**	**1140**	**13868-65**	**20395-59**
	fe t kje																
28	मिजोरम विश्वविद्यालय	2084-67	2000	10541-8	0	0	0	185-71	15	0	0	0	0	2270-38	2015	10541-79	14827-17
	d|y	**2084-67**	**2000**	**10541-8**	**0**	**0**	**0**	**185-71**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2270-38**	**2015**	**10541-79**	**14827-17**
	ukxky|.M																
29	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	3023-17	873-61	9337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3023-17	873-61	9337	13233-78
	d|y	**3023-17**	**873-61**	**9337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3023-17**	**873-61**	**9337**	**13233-78**
	vkfM'kk																
30	vkfM'kk dUnh; fo'ofo|ky ;	660-41	336-8	492-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660-41	336-8	492-36	1489-57
	d|y	**660-41**	**336-8**	**492-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660-41**	**336-8**	**492-36**	**1489-57**
	i|n|pjh																
31	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	3744-17	2900	12881-8	0	0	0	57-56	0	0	0	0	0	3801-73	2900	12881-84	19583-57
	d|y	**3744-17**	**2900**	**12881-8**	**0**	**0**	**0**	**57-56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3801-73**	**2900**	**12881-84**	**19583-57**
	i|t kc																
32	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	952-95	699-76	2968-05	0	0	0	49-28	0	0	0	0	0	1002-23	699-76	2968-05	4670-04
	d|y	**952-95**	**699-76**	**2968-05**	**0**	**0**	**0**	**49-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1002-23**	**699-76**	**2968-05**	**4670-04**
	jk t LFkku																
33	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1200-72	250-45	3108-56	0	0	0	177-95	0	0	0	0	0	1378-66	250-45	3108-56	4737-68
	d|y	**1200-72**	**250-45**	**3108-56**	**0**	**0**	**0**	**177-95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1378-66**	**250-45**	**3108-56**	**4737-68**
	f l fDd e																
34	सिक्किम विश्वविद्यालय	1649-2	1749-23	5241-43	0	0	0	2-43	0	0	0	0	0	1651-62	1749-23	5241-43	8642-29
	d|y	**1649-2**	**1749-23**	**5241-43**	**0**	**0**	**0**	**2-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1651-62**	**1749-23**	**5241-43**	**8642-29**
	rfe yukM																
35	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1250-52	400	3575-03	0	0	0	44-58	1-8	0	0	0	0	1295-1	401-8	3575-03	5271-93
	d|y	**1250-52**	**400**	**3575-03**	**0**	**0**	**0**	**44-58**	**1-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1295-1**	**401-8**	**3575-03**	**5271-93**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	r|y|xkuk																
36	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	2920	332-18	11174-9	0	0	0	428-03	0	0	0	0	0	3348-03	332-18	11174-94	14855-15
37	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजयुनिवर्सिटी	2805	256-65	6078-05	0	0	0	100	0	360	0	0	0	2905	256-65	6438-05	9599-7
38	हैदराबाद विश्वविद्यालय	7470	3359-95	20950-5	0	0	0	354-71	0	0	0	0	0	7824-71	3359-95	20950-51	32135-18
	d|y	**13195**	**3948-78**	**38203-5**	**0**	**0**	**0**	**882-75**	**0**	**360**	**0**	**0**	**0**	**14077-75**	**3948-78**	**38563-5**	**56590-03**
	f=ijk																
39	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2145-96	843-23	4926-69	0	0	0	15-97	0	0	0	0	0	2161-93	843-23	4926-69	7931-85
	d|y	**2145-96**	**843-23**	**4926-69**	**0**	**0**	**0**	**15-97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2161-93**	**843-23**	**4926-69**	**7931-85**
	mRrj çn'k																
40	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	29752-03	733-34	90978-3	0	0	0	147-71	9-97	0	0	0	0	29899-74	743-31	90978-26	121621-32
41	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,	3314-04	738	4647-44	0	0	0	49-58	0	150	0	0	0	3363-62	738	4797-44	8899-06
42	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	51912-76	11661-5	89606-9	0	0	0	140-56	0	0	0	0	0	52053-32	11661-45	89606-94	153321-71
43	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	13862-94	1022-15	25610-9	0	0	0	7-2	0	0	0	0	0	13870-14	1022-15	25610-88	40503-17
	d|y	**98841-77**	**14154-9**	**210844**	**0**	**0**	**0**	**345-05**	**9-97**	**150**	**0**	**0**	**0**	**99186-82**	**14164-92**	**210993-5**	**324345-26**
	mRrjk[k.M																
44	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	2524-76	275-2	10029-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2524-76	275-2	10029-36	12829-32
	d|y	**2524-76**	**275-2**	**10029-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2524-76**	**275-2**	**10029-36**	**12829-32**
	if'pe cxky																
45	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	9732-3	454	18866-5	0	0	0	61-44	0	0	0	0	0	9793-74	454	18866-5	29114-24
	d|y	**9732-3**	**454**	**18866-5**	**0**	**0**	**0**	**61-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9793-74**	**454**	**18866-5**	**29114-24**
	d|y dUnh; fo'ofo|ky;	236824-46	64664-2	539542	0	0	0	3856-39	335-06	948-66	0	0	0	240680-85	64999-23	540490-5	846170-53
	सम विश्वविद्यालय																
	vkUèk çn'k																
46	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एंड मेनेजमेंट (जीआईटीएएम)	0	0	0	0	0	0	2-63	0	0	0	0	0	2-63	0	0	2-63
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2-63**	**0**	**0**	**2-63**
	nYyh																
47	जामिया हमदर्द	0	0	0	0	0	797-7	191-41	99	0	0	0	0	191-41	99	797-7	1088-11
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797-7**	**191-41**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191-41**	**99**	**797-7**	**1088-11**
	x|tjkr																
48	गुजरात विद्यापीठ	0	0	0	1240	0	5300	0	0	0	0	0	0	1240	0	5300	6540
	d|y	**0**	**0**	**0**	**1240**	**0**	**5300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1240**	**0**	**5300**	**6540**

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	>kj[k.M																
49	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (बीआइटी), मेसरा	0	0	0	0	0	0	0-07	0	0	0	0	0	0-07	0	0	0-07
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-07**	**0**	**0**	**0-07**
	dukVd																
50	इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस	0	0	0	0	0	0	25-01	13-6	0	0	0	0	25-01	13-6	0	38-61
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25-01**	**13-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25-01**	**13-6**	**0**	**38-61**
	eè; çn'k																
51	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एजूकेशन	0	0	0	0	0	0	148-38	0	0	0	0	0	148-38	0	0	148-38
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148-38**	**0**	**0**	**148-38**
	egkjk"V																
52	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट	0	0	0	0	0	0	0-01	0	0	0	0	0	0-01	0	0	0-01
53	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स,	0	0	0	0	0	0	467-82	8-18	0	0	0	0	467-82	8-18	0	476
54	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज,	0	0	0	1750	0	6735	23-27	0	0	0	0	0	1773-27	0	6735	8508-27
55	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलाजी, माटुन्गा,	0	0	0	0	0	0	331-42	0	0	0	0	0	331-42	0	0	331-42
	d|y	**0**	**0**	**0**	**1750**	**0**	**6735**	**822-51**	**8-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2572-51**	**8-18**	**6735**	**9315-7**
	vkfM'kk																
56	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, (केआईआईटी)	0	0	0	0	0	0	13-75	0	0	0	0	0	13-75	0	0	13-75
57	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर,	0	0	0	0	0	0	39-97	0	0	0	0	0	39-97	0	0	39-97
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53-72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53-72**	**0**	**0**	**53-72**
	i|tkc																
58	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला	0	0	0	0	0	0	2-68	0	0	0	0	0	2-68	0	0	2-68
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2-68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2-68**	**0**	**0**	**2-68**
	rfeyukM																
59	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन	0	0	0	1960	0	6650	58	9	0	0	0	0	2018	9	6650	8677
60	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट,	0	0	0	2145	0	6365	81-62	0	0	0	0	0	2226-62	0	6365	8591-62
61	षणमुघ आर्ट्स, सांइस, टेक्नॉलाजी एण्ड रिसर्च अकादमी (शास-	0	0	0	0	0	0	59-25	0	0	0	0	0	59-25	0	0	59-25
	d|y	**0**	**0**	**0**	**4105**	**0**	**13015**	**198-87**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4303-87**	**9**	**13015**	**17327-87**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	mRrj çn'k																
62	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट	0	0	0	760	0	5575	55-42	0	0	0	0	0	815-42	0	5575	6390-42
	d|y	**0**	**0**	**0**	**760**	**0**	**5575**	**55-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815-42**	**0**	**5575**	**6390-42**
	mRrjk[k.M																
63	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,	0	0	0	1245	0	4275	23-28	0	0	0	0	0	1268-28	0	4275	5543-28
	d|y	**0**	**0**	**0**	**1245**	**0**	**4275**	**23-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1268-28**	**0**	**4275**	**5543-28**
	if'pe cxky																
64	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, (एमवीईआरआई)	0	0	0	0	0	1000	16	0	0	0	0	0	16	0	1000	1016
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**1000**	**1016**
	d|y Mh;|	**0**	**0**	**0**	**9100**	**0**	**36697-7**	**1539-98**	**129-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10639-98**	**129-78**	**36697-7**	**47467-46**
	jkT; fo'ofo|ky;																
	vkUèk çn'k																
65	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	10-98	0	0	0	0	0	10-98	0	0	10-98
66	आन्ध्रा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	319-3	3-91	0	0	0	0	319-3	3-91	0	323-21
67	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	179-07	0	0	0	0	0	179-07	0	0	179-07
68	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	44-4	0	0	0	0	0	44-4	0	0	44-4
69	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	192-54	0	0	0	0	0	192-54	0	0	192-54
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746-3**	**3-91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746-3**	**3-91**	**0**	**750-21**
	vle																
70	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	31-26	0	0	0	0	0	31-26	0	0	31-26
71	गुवाहाटी विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	178-45	0	0	0	0	0	178-45	0	0	178-45
72	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209-71**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**309-71**	**0**	**0**	**309-71**
	fcgkj																
73	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	11-2	0	0	0	0	0	11-2	0	0	11-2
74	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11-2**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**111-2**	**0**	**0**	**111-2**

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	NÙkh l x<																
75	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	103-2	0	0	0	0	0	103-2	0	0	103-2
76	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103-2**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**203-2**	**0**	**0**	**203-2**
	fnY yh																
77	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	0	0	0	0	0	0	536-57	0	0	0	0	0	536-57	0	0	536-57
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536-57**	**0**	**0**	**536-57**
	xkok																
78	गोवा विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	240-08	23-6	0	0	0	0	240-08	23-6	0	263-68
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240-08**	**23-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240-08**	**23-6**	**0**	**263-68**
	x| t jkr																
79	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
80	गुजरात विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	336-06	0	163-88	0	0	0	336-06	0	163-88	499-94
81	सरदार पटेल विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	175-61	36-19	0	0	0	0	175-61	36-19	0	211-8
82	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	45-59	0	0	0	0	0	45-59	0	0	45-59
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557-26**	**36-19**	**163-88**	**100**	**0**	**0**	**657-26**	**36-19**	**163-88**	**857-33**
	gfj ;k.kk																
83	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	128-04	0	0	0	0	0	128-04	0	0	128-04
84	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	21-51	0	0	0	0	0	21-51	0	0	21-51
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149-55**	**0**	**0**	**149-55**
	tEe vkj d'eh j																
85	कश्मीर विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	55-01	0	306-82	0	0	0	55-01	0	306-82	361-83
86	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी य	0	0	0	0	0	0	6	24-54	0	0	0	0	6	24-54	0	30-54
87	जम्मू विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	42-33	0	0	0	0	0	42-33	0	0	42-33
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103-34**	**24-54**	**306-82**	**0**	**0**	**0**	**103-34**	**24-54**	**306-82**	**434-7**
	>kj[k.M																
88	राँची विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	149-21	0	0	0	0	0	149-21	0	0	149-21
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149-21**	**0**	**0**	**149-21**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	dukVd																
89	बंगलूरू विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	305-14	12-12	0	0	0	0	305-14	12-12	0	317-26
90	कर्नाटक विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	76-38	0	0	0	0	0	76-38	0	0	76-38
91	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32	0	0	32
92	मैंगलोर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	156-79	0	0	0	0	0	156-79	0	0	156-79
93	मैसूर विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	278-41	0	172-25	0	0	0	278-41	0	172-25	450-66
94	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	203-4	0	0	0	0	0	203-4	0	0	203-4
95	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1052-11**	**12-12**	**172-25**	**100**	**0**	**0**	**1152-11**	**12-12**	**172-25**	**1336-48**
	d|j y																
96	कालीकट यूनिवर्सिटी,	0	0	0	0	0	0	123-91	0	181-99	0	0	0	123-91	0	181-99	305-89
97	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,	0	0	0	0	0	0	111-87	65-8	0	52-01	0	0	163-87	65-8	0	229-67
98	कन्नूर विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	53-37	0	0	0	0	0	53-37	0	0	53-37
99	केरल विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	167-53	0	0	0	0	0	167-53	0	0	167-53
100	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	170	0	170
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456-68**	**235-8**	**181-99**	**52-01**	**0**	**0**	**508-68**	**235-8**	**181-99**	**926-47**
	eè; çn|'k																
101	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	26-03	0	0	0	0	0	26-03	0	0	26-03
102	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	112-8	0	145-44	0	0	0	112-8	0	145-44	258-24
103	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	211-58	0	0	0	0	0	211-58	0	0	211-58
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350-41**	**0**	**145-44**	**0**	**0**	**0**	**350-41**	**0**	**145-44**	**495-85**
	egkjk"V																
104	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	210-2	0	0	0	0	0	210-2	0	0	210-2
105	मुम्बई विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	280-32	0	585	0	0	0	280-32	0	585	865-32
106	सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	631-85	3-84	204-56	0	0	0	631-85	3-84	204-56	840-24
107	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	187-05	0	0	0	0	0	187-05	0	0	187-05
108	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	23-63	0	0	0	0	0	23-63	0	0	23-63
109	आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	244-35	0	0	0	0	0	244-35	0	0	244-35
110	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
111	कवियित्री बहिनबाई चौधरी नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	54-88	35	0	0	0	0	54-88	35	0	89-88
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1632-28**	**38-84**	**789-56**	**100**	**0**	**0**	**1732-28**	**38-84**	**789-56**	**2560-68**
	vkMh'kk																
112	सम्भलपुर विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	10-8	0	0	0	0	0	10-8	0	0	10-8
113	उत्कल विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	67-09	0	0	0	0	0	67-09	0	0	67-09
114	वीर सुरेन्द्र सांई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	24-16	0	0	0	0	0	24-16	0	0	24-16
115	ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102-05**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**202-05**	**0**	**0**	**202-05**
	i|t|kc																
116	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	5-97	0	0	0	0	0	5-97	0	0	5-97
117	पंजाब विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	264-35	54-11	24086	0	0	0	264-35	54-11	24085-96	24404-42
118	पंजाबी विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	136-07	8-34	60-66	0	0	0	136-07	8-34	60-66	205-06
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406-39**	**62-45**	**24146-6**	**0**	**0**	**0**	**406-39**	**62-45**	**24146-62**	**24615-45**
	jk|t|LFkku																
119	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	41-87	0	222-8	0	0	0	41-87	0	222-8	264-67
120	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	19-1	0	0	0	0	0	19-1	0	0	19-1
121	राजस्थान विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	86-58	0	0	0	0	0	86-58	0	0	86-58
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147-55**	**0**	**222-8**	**0**	**0**	**0**	**147-55**	**0**	**222-8**	**370-35**
	rfe|yukM|															
122	अलगप्पा विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	81-41	66-4	0	0	0	0	81-41	66-4	0	147-81
123	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	0	0	0	0	0	0	53-57	0	29-74	0	0	0	53-57	0	29-74	83-31
124	भरथियार विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	313-25	0	0	0	0	0	313-25	0	0	313-25
125	भारथीदासन विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	145-84	72	0	0	0	0	145-84	72	0	217-84
126	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	582-27	0	260-09	0	0	0	582-27	0	260-09	842-35
127	मनोन्मनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	231-16	13-78	0	0	0	0	231-16	13-78	0	244-94
128	पेरियार विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	41-41	0	0	0	0	0	41-41	0	0	41-41
129	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
130	मद्रास विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	41-28	0	0	0	0	0	41-28	0	0	41-28
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1490-18**	**152-18**	**289-82**	**100**	**0**	**0**	**1590-18**	**152-18**	**289-82**	**2032-19**
	r|y|xkuk																
131	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलाजीकल युनिवर्सिटी, हैदराबाद	0	0	0	0	0	0	242-79	0	0	0	0	0	242-79	0	0	242-79
132	ओस्मानिया विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	391-96	602-48	380-72	0	0	0	391-96	602-48	380-72	1375-16
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**634-75**	**602-48**	**380-72**	**0**	**0**	**0**	**634-75**	**602-48**	**380-72**	**1617-95**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	mÙkj çn'k																
133	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	d|y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	mÙkjk[k.M																
134	दून विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	11-2	0	0	0	0	0	11-2	0	0	11-2
135	कुमाऊँ विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	99-83	38-4	0	0	0	0	99-83	38-4	0	138-23
136	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111-03**	**38-4**	**0**	**100**	**0**	**0**	**211-03**	**38-4**	**0**	**249-43**
	if'pe cxky																
137	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	8
138	कल्याणी विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	5-36	0	0	0	0	0	5-36	0	0	5-36
139	वर्द्धमान विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	20-92	48-48	0	0	0	0	20-92	48-48	0	69-4
140	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	71-1	0	0	0	0	0	71-1	0	0	71-1
141	जाधवपुर विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	69-68	43-32	0	0	0	0	69-68	43-32	0	113
142	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	37-2	0	0	0	0	0	37-2	0	0	37-2
143	विद्यासागर विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	7-25	25-53	0	0	0	0	7-25	25-53	0	32-78
144	सिद्धो–कान्हो–बिरसा विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16	0	0	16
145	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235-5**	**117-34**	**0**	**100**	**0**	**0**	**335-5**	**117-34**	**0**	**452-83**
	d|y% , l ;|	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9425-33**	**1347-85**	**26799-9**	**1152-01**	**0**	**0**	**10577-34**	**1347-85**	**26799-9**	**38725-08**
	vkb|;|lh, l																
	fnYyh																
146	कन्सॉटियम फॉर एजूकेशनल कम्यूनीकेशन	0	0	0	0	0	0	430-56	20	985-95	0	0	0	430-56	20	985-95	1436-51
147	इंटर युनिवर्सिटी एक्सिलेरेशन सेन्टर (आईयूएसी)	0	0	0	0	0	0	2734-11	780	1867	0	0	0	2734-11	780	1867	5381-11
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3164-67**	**800**	**2852-95**	**0**	**0**	**0**	**3164-67**	**800**	**2852-95**	**6817-63**
	x|t jkr																
148	गुजरात इंफोरमेंशन एण्ड लाईब्रेरी नेटवर्क सेंटर (इनफिलबनेट)	0	0	0	0	0	0	405-34	62-54	674-21	0	0	0	405-34	62-54	674-21	1142-1
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405-34**	**62-54**	**674-21**	**0**	**0**	**0**	**405-34**	**62-54**	**674-21**	**1142-1**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
	dukVd																
149	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्	0	0	0	0	0	0	30	60	1254-96	0	0	0	30	60	1254-96	1344-96
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**60**	**1254-96**	**0**	**0**	**0**	**30**	**60**	**1254-96**	**1344-96**
	eè; Án|'k																
150	यूजीसी–डीएई कंसोट्रियम फोर साइंटिफिक रिसर्च	0	0	0	0	0	0	1000	1250	2100	0	0	0	1000	1250	2100	4350
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1250**	**2100**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1250**	**2100**	**4350**
	egkjk"V																
151	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए)	0	0	0	0	0	0	2000-33	1200	1618-52	0	0	0	2000-33	1200	1618-52	4818-85
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000-33**	**1200**	**1618-52**	**0**	**0**	**0**	**2000-33**	**1200**	**1618-52**	**4818-85**
	d|y% vkbZ|lh½	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6600-35**	**3372-54**	**8500-64**	**0**	**0**	**0**	**6600-35**	**3372-54**	**8500-64**	**18473-53**
	;kx% fo'ofo|ky;Ùkj lLFkku	0	0	0	0	0	0	245-19	0	0	0	0	0	245-19	0	0	245-19
	d|y% lh ;|	**236824-46**	**64664-2**	**539542**	**0**	**0**	**0**	**3856-39**	**335-06**	**948-66**	**0**	**0**	**0**	**240680-85**	**64999-23**	**540490-5**	**846170-53**
	d|y% Mh ;|	**0**	**0**	**0**	**9100**	**0**	**36697-7**	**1539-98**	**129-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10639-98**	**129-78**	**36697-7**	**47467-46**
	d|y% ,l ;|	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9425-33**	**1347-85**	**26799-9**	**1152-01**	**0**	**0**	**10577-34**	**1347-85**	**26799-9**	**38725-08**
	vkuykbu	0	0	0	0	0	0	123768	0	0	0	0	0	123768-06	0	0	123768-06
	vkj vk	0	0	0	0	0	0	1272-91	1750-02	0	0	0	0	1272-91	1750-02	0	3022-92
	i|'kklfud iHkkj ¼,pvk½							6128-77	0	4823-68				6128-77	0	4823-68	10952-45
	i|'kklfud iHkkj ¼vkjvk½							303-25	0	388-4				303-25	0	388-4	691-65
	d|y ;kx	**223216-05**	**64664-2**	**539542**	**9100**	**0**	**36697-7**	**153140**	**6935-24**	**41461-3**	**1152-01**	**0**	**0**	**400216-69**	**71599-42**	**617700-8**	**1089516-9**
	egkfo|ky;%													62682-37	4651-82	204900-7	272234-85
	fo'ofo|ky; + egkfo|ky;%													462899-06	76251-24	822601-4	1361751-7

1.4(xi): वर्ष 2021–22 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार, क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

तालिका 1.4(xi): वर्ष 2021–22 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार, क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	d|y
	dUnh; fo'ofo|ky;																
	fnYyh																
1	दिल्ली विश्वविद्यालय	2117-84	105-87	14385-1	0	0	0	54210	621-24	185239-8	0	0	0	56327-8	727-11	199625	256679-9
	d|y	**2117-84**	**105-87**	**14385-1**	**0**	**0**	**0**	**54210**	**621-24**	**185239-8**	**0**	**0**	**0**	**56327-8**	**727-11**	**199625**	**256679-9**
	ef.kiij																
2	मणिपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	486-47	70-2	0	0	0	0	486-47	70-2	0	556-67
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486-47**	**70-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486-47**	**70-2**	**0**	**556-67**
	fetkje																
3	मिजोरम विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	8
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**
	ukxkyM																
4	नागालैंड विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	12-99	6-1	0	0	0	0	12-99	6-1	0	19-09
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12-99**	**6-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12-99**	**6-1**	**0**	**19-09**
	mRrj çn'k																
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	644-39	3250	4717-99	0	0	0	644-39	3250	4717-99	8612-38
6	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	10-84	21-43	0	0	0	0	10-84	21-43	0	32-27
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655-23**	**3271-43**	**4717-99**	**0**	**0**	**0**	**655-23**	**3271-43**	**4717-99**	**8644-65**
	mRrjk[k.M																
7	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-05	0	0	0	0	0	1-05	0	0	1-05
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1-05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1-05**	**0**	**0**	**1-05**
	d|y dUnh; fo'ofo|ky;	2117-84	105-87	14385-1	0	0	0	55373-7	3968-97	189957-8	0	0	0	57491-6	4074-84	204343	265909-3
	le fo'ofo|ky;																
	egkjk"V																
8	भारती विद्यापीठ,	0	0	0	0	0	0	0-09	0	0	0	0	0	0-09	0	0	0-09
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-09**	**0**	**0**	**0-09**
	d|y Mh;|	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-09**	**0**	**0**	**0-09**
	jkT; fo'ofo|ky;																

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	d|y
	vkUèk çn'k																
9	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	89-61	4-34	0	0	0	0	89-61	4-34	0	93-94
10	आन्ध्रा विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	100-41	14-19	0	0	0	0	100-41	14-19	0	114-6
11	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा	0	0	0	0	0	0	21-46	0	0	0	0	0	21-46	0	0	21-46
12	कृष्णा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	83-38	0	0	0	0	0	83-38	0	0	83-38
13	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	38-7	4-59	0	0	0	0	38-7	4-59	0	43-29
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333-55**	**23-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333-55**	**23-12**	**0**	**356-67**
	v l e																
14	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	3-64	4-53	0	0	0	0	3-64	4-53	0	8-18
15	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	92-22	5-4	0	0	0	0	92-22	5-4	0	97-62
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95-86**	**9-93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95-86**	**9-93**	**0**	**105-8**
	fcgkj																
16	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	2-37	0	0	0	0	0	2-37	0	0	2-37
17	भूपेन्द्र नारायन मण्डल यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	169-56	0	0	0	0	0	169-56	0	0	169-56
18	मगध विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	25-71	15	0	0	0	0	25-71	15	0	40-71
19	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2-27	0	0	0	0	0	2-27	0	0	2-27
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199-92**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199-92**	**15**	**0**	**214-92**
20	NÙkh l x<																
21	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0-27	0	0	0	0	0	0-27	0	0	0-27
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-27**	**0**	**0**	**0-27**
	xkok																
22	गोवा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	5-98	0	0	0	0	0	5-98	0	0	5-98
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5-98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5-98**	**0**	**0**	**5-98**
	x|t jkr																

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	d\y
23	गुजरात विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-85	0	0	0	0	0	1-85	0	0	1-85
24	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	58-53	0-12	0	0	0	0	58-53	0-12	0	58-66
25	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	7-46	3-76	0	0	0	0	7-46	3-76	0	11-23
26	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-4	0	0	0	0	0	1-4	0	0	1-4
27	वीएन साउथ गुजरात विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	6-15	0	0	0	0	0	6-15	0	0	6-15
	d\y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75-4**	**3-89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75-4**	**3-89**	**0**	**79-29**
	gfj;k.kk																
28	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज	0	0	0	0	0	0	1-8	0	0	0	0	0	1-8	0	0	1-8
29	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	96-34	3-24	0	0	0	0	96-34	3-24	0	99-58
30	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	34-28	0	0	0	0	0	34-28	0	0	34-28
	d\y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132-43**	**3-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132-43**	**3-24**	**0**	**135-66**
	fgekpy çn'k																
31	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2-6	0	0	0	0	0	2-6	0	0	2-6
	d\y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2-6**	**0**	**0**	**2-6**
	tEe vkj d'ehj																
32	कश्मीर विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	1-36	0	0	0	0	0	1-36	0	0	1-36
	d\y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1-36**	**0**	**0**	**1-36**
	>kj[k.M																
33	राँची विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-58	1	0	0	0	0	1-58	1	0	2-58
	d\y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1-58**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1-58**	**1**	**0**	**2-58**
	dukVd																
34	बंगलूरू विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	16-89	1-61	0	0	0	0	16-89	1-61	0	18-51
35	कर्नाटक विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	116-5	0	0	0	0	0	116-5	0	0	116-5
36	मैंगलोर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	27-95	10	0	0	0	0	27-95	10	0	37-95
37	मैसूर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	94-67	5-25	0	0	0	0	94-67	5-25	0	99-92

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	d|y
38	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-66	0	0	0	0	0	1-66	0	0	1-66
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257-67**	**16-86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257-67**	**16-86**	**0**	**274-53**
	dj y																
39	कालीकट यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	220-83	18-84	0	0	0	0	220-83	18-84	0	239-67
40	कन्नूर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0-9	0	0	0	0	0	0-9	0	0	0-9
41	केरल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	9-57	0	0	0	0	0	9-57	0	0	9-57
42	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय कोट्टायम	0	0	0	0	0	0	230-25	20-92	0	0	0	0	230-25	20-92	0	251-16
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461-54**	**39-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461-54**	**39-76**	**0**	**501-3**
	eè; çn|'k																
43	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	39-93	0	0	0	0	0	39-93	0	0	39-93
44	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2-28	0	0	0	0	0	2-28	0	0	2-28
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42-21**	**0**	**0**	**42-21**
	egkjk"V																
45	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	487-98	55-08	0	0	0	0	487-98	55-08	0	543-06
46	मुम्बई विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	20-18	19-34	0	0	0	0	20-18	19-34	0	39-52
47	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	121-61	17-6	0	0	0	0	121-61	17-6	0	139-21
48	सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	656-95	73-15	0	0	0	0	656-95	73-15	0	730-1
49	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	513-29	44-67	0	0	0	0	513-29	44-67	0	557-96
50	शिवाजी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	109-29	28-69	0	0	0	0	109-29	28-69	0	137-98
51	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	69-53	0	0	0	0	0	69-53	0	0	69-53
52	एसआरटीएम विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	121-97	18-6	0	0	0	0	121-97	18-6	0	140-57
53	सोलापुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0	12
54	आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	298-32	17-1	0	0	0	0	298-32	17-1	0	315-42
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2411-12**	**274-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2411-12**	**274-23**	**0**	**2685-35**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	d|y
	vkMh'kk																
55	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	8-56	7-5	0	0	0	0	8-56	7-5	0	16-06
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8-56**	**7-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8-56**	**7-5**	**0**	**16-06**
	i|tkc																
56	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	320-67	36-73	0	0	0	0	320-67	36-73	0	357-4
57	पंजाब विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	33-52	45-73	0	0	0	0	33-52	45-73	0	79-25
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354-18**	**82-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354-18**	**82-46**	**0**	**436-64**
	jkt LFkku																
58	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-44	0	0	0	0	0	1-44	0	0	1-44
59	कोटा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	6-27	0	0	0	0	0	6-27	0	0	6-27
60	राजस्थान विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-63	0	0	0	0	0	1-63	0	0	1-63
	d|y	0	0	0	0	0	0	9-34	0	0	0	0	0	9-34	0	0	9-34
	rfeyukMq																
61	अलगप्पा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0-92	0	0	0	0	0	0-92	0	0	0-92
62	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	8-52	0	0	0	0	0	8-52	0	0	8-52
63	भरथियार विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	60-17	0	0	0	0	0	60-17	0	0	60-17
64	भारथीदासन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	39-32	10	0	0	0	0	39-32	10	0	49-32
65	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	38-8	0-44	0	0	0	0	38-8	0-44	0	39-24
66	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	19-64	14-1	0	0	0	0	19-64	14-1	0	33-74
67	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2-1	0	0	0	0	0	2-1	0	0	2-1
68	मद्रास विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	99-77	0	0	0	0	0	99-77	0	0	99-77
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269-26**	**24-54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269-26**	**24-54**	**0**	**293-8**
	r|y|xkuk																
69	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलाजीकल युनिवर्सिटी, हैदराबाद	0	0	0	0	0	0	2-08	0	0	0	0	0	2-08	0	0	2-08
70	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	43-07	0	0	0	0	0	43-07	0	0	43-07
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45-15**	**0**	**0**	**45-15**

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्र–I			क्षेत्र–II			क्षेत्र–III			क्षेत्र–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	d|y
	mÙkj çn'k																
71	चौधरी चरण सिंह यूनिव. र्सिटी, मेरठ	0	0	0	0	0	0	36-59	0	0	0	0	0	36-59	0	0	36-59
72	सीएसजेएम कानपुर, विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-58	20-4	0	0	0	0	1-58	20-4	0	21-98
73	डीडीयू गोरखपुर, विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	25	0-12	0	0	0	0	25	0-12	0	25-12
74	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	0	0	0	0	0	0	53-03	0	0	0	0	0	53-03	0	0	53-03
75	डॉ आरएमएलए, विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	5-18	0	0	0	0	0	5-18	0	0	5-18
76	एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	7-45	0	0	0	0	0	7-45	0	0	7-45
77	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	1-05	8-66	0	0	0	0	1-05	8-66	0	9-71
78	लखनऊ विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1-43	0	0	0	0	0	1-43	0	0	1-43
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131-3**	**29-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131-3**	**29-18**	**0**	**160-48**
	if'pe cxky																
79	कल्याणी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2-38	0	0	0	0	0	2-38	0	0	2-38
80	वर्द्धमान विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0-55	0	0	0	0	0	0-55	0	0	0-55
81	कोलकाता, विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	249-33	7	557-78	0	0	0	249-33	7	557-78	814-1
82	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	13-94	0	0	0	0	0	13-94	0	0	13-94
83	पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	58-14	0	0	0	0	0	58-14	0	0	58-14
84	वद्यासागर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	25-08	39-28	0	0	0	0	25-08	39-28	0	64-36
	d|y	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349-42**	**46-28**	**557-78**	**0**	**0**	**0**	**349-42**	**46-28**	**557-78**	**953-48**
	कुलः एसयू	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5188-71**	**576-98**	**557-78**	**0**	**0**	**0**	**5188-71**	**576-98**	**557-78**	**6323-47**
	कुलः विश्वविद्यालयेत्तर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1-99**	**0**	**0**	**1-99**
	कुलः सीयू	**2117-84**	**105-87**	**14385-1**	**0**	**0**	**0**	**55373-7**	**3968-97**	**189957-8**	**0**	**0**	**0**	**57491-6**	**4074-84**	**204343**	**265909-3**
	कुलः डीयू	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0-09**	**0**	**0**	**0-09**
	कुलः एसयू	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5188-71**	**576-98**	**557-78**	**0**	**0**	**0**	**5188-71**	**576-98**	**557-78**	**6323-47**
	कुल योग	**2117-84**	**105-87**	**14385-1**	**0**	**0**	**0**	**60564-5**	**4545-96**	**190515-6**	**0**	**0**	**0**	**62682-4**	**4651-82**	**204901**	**272234-9**

1.5 केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 20 दिसबंर, 2002 के अ0श0 पत्र संख्या 17–33/2002–डेस्क(यू) के अनुपालन में, आयोग ने दिनांक 23 जनवरी, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के एक समान स्टाफिंग पैटर्न पर संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति के गठन को मंजूरी दी। जेसीआरसी का उद्देश्य इन संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (समूह क,ख और ग) के एक समान निबंधन और शर्तों के पूर्ण ढांचे की सिफारिश करना था।

निम्नवत विषय जेसीआरसी के विचारार्थ हैं:–

विचारार्थ विषय–

क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) के वेतनमान को सरकार द्वारा स्वीकार किए गए केंद्रीय वेतनमान के संदर्भ में युक्तिसंगत बनाना।

ख) विश्वविद्यालयों में मौजूदा विसंगतियों को दूर करना और उन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए गए केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप बनाना।

ग) केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कार्यात्मक दक्षता में सुधार करने के तरीके सुझाना।

घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों में भिन्नताओं अथवा विसंगतियां, यदि कोई हों तो, की पहचान करना।

ङ) एक समान संवर्ग संरचना विकसित करना और वेतनमान, कर्तव्यों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (समूह 'क' के अधिकारी) के पदों की अर्हता को युक्तिसंगत बनाना जो शिक्षण कर्मचारियों की वेतन समीक्षा समिति के अंतर्गत कवर नहीं हैं।

च) पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित करना ताकि दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपर के स्तर के पदों तथा निचले स्तर के पदों के बीच एक इष्टतम अनुपात हो।

छ) जिन परिस्थितियों तथा परिवेश में संगठन कार्य कर रहा है, उसके आधार पर शिक्षण/शिक्षणेत्तर संगठन में कर्मचारियों के इष्टतम अनुपात को बनाए रखने की सिफारिश करना।

इस वर्ष 2021 में, जेसीआरसी ने विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों (शतप्रतिशत वित्तपोषित) से प्राप्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 65 मामलों का समाधान किया। इसके अतिरिक्त, जेसीआरसी अनुभाग में प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विसंगति से जुड़े मामलों की जांच के लिए गठित स्थायी समिति के समक्ष कुछ विसंगति के मामले भी रखे गए थे। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विसंगति से जुड़े मामलों के समाधान के लिए आवधिक रूप से बैठकें भी आयोजित की गई थी। समिति की सिफारिश शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है। इंजीनियर, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर आदि और अन्य थोड़े से पदों के लिए न्यूनतम योग्यता और अन्य निबंधन और शर्तें तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया। समूह क, ख और ग के पदों के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित) से जानकारी एकत्रित की गई और समिति द्वारा इंजीनियरिंग संवर्ग, आईसीटी और वैज्ञानिक संवर्ग में सभी पदों के तुलनात्मक विवरण पर विचार किया गया। समिति की सिफारिश शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के अ0श0 पत्र संख्या 1–7/2015–यू.II(2) के आधार पर कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी, सहायक वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी के उपरोक्त पदों के लिए वेतनमान /ढ़ांचे की समीक्षा योजना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त पदों के लिए मसौदा विनियमों तैयार करने के एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार प्रारूप विनियमों को शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों में नर्सिंग संवर्ग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले को शिक्षा मंत्रालय के साथ उठाया है। शिक्षा मंत्रालय के निदेशों के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नर्सिंग संवर्ग का ब्योरा तथा नर्सिंग संवर्ग को 'पार्ट–बी' वेतनमान प्रदान किए जाने के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय बोझ का ब्योरा प्रस्तुत कर दिया है।

1.6 वर्ष 2021–22 के दौरान आयोग के प्रमुख निर्णय

1.6 (i) वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की (1) दिनांक 28 मई, 2021 (2) 26 जुलाई, 2021 (3) 02 अगस्त, 2021 (4) 23 सितंबर, 2021 (5) 20 जनवरी, 2022 को ई–सर्कुलेशन के माध्यम 05 आपात बैठकें आयोजित की गईं।

इन बैठकों के दौरान निम्नवत निर्णय लिए गए:

28 मई, 2021: ई–सर्कुलेशन बैठक

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ स्थापना मामलों पर विचार किया, जिन्हें अलग से रिकार्ड किया गया है।

26 जुलाई, 2021: ई–सर्कुलेशन बैठक

- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और प्रासंगिक मौजूदा नियमों/विनियमों के अनुसार मंजूरी प्रदान की।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों पर विचार किया और प्रासंगिक मौजूदा नियमों/विनियमों के अनुसार मंजूरी प्रदान की।

02 अगस्त, 2021 : ई–सर्कुलेशन बैठक

- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखों पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

23 सितंबर, 2021: ई–सर्कुलेशन बैठक

- आयोग ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), मेसरा, रांची (झारखंड) के ऑफ– कैंपस केंद्रों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी प्रदान की।

20 जनवरी, 2022: ई–सर्कुलेशन बैठक

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में संशोधनों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी प्रदान की। यह भी संकल्प किया गया कि मंत्रालय की सहमति हेतु भेजे जाने से पूर्व इन संशोधनों की कानूनी रूप से जांच की जा सकती है।

वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नलिखित 05 बैठकें आयोजित की गईं:

01 जुलाई, 2021 को आयोजित 551वीं बैठक

08 सितंबर, 2021 को आयोजित 552वीं बैठक

26 अक्तूबर, 2021 को आयोजित 553वीं बैठक

25 नवंबर, 2021 को आयोजित 554वीं बैठक

12 फरवरी, 2022 को आयोजित 555वीं बैठक

वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित मदों पर आयोग द्वारा प्रमुख निर्णय लिए गए

- *मानदंडों से संबंधित मामले*
- *सरकार और अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ*
- *विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि*
- *विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान*

दिनांक 01 जुलाई, 2021 को आयोजित 551वीं बैठक

- सर्वप्रथम, आयोग ने आयोग के सेवामुक्त हो रहे सदस्यों अर्थात् प्रो. आर. पी. तिवारी और प्रो. उमा वैद्य के योगदान के लिए उनकी प्रशंसा की।
- आयोग ने दिनांक 18 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी 550वीं बैठक में लिए गए आयोग द्वारा निर्णय को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय की अभिपुष्टि की, जिसमें उम्मीदवारों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर इस निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के प्रावधान के साथ विअआ–नेट परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता को स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना गया है।
- आयोग ने सक्षम प्राधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से की गई निम्नलिखित कार्रवाइयों की अभिपुष्टि की:

  I. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 का कार्यान्वयन।

  i. शिक्षा सत्र जनवरी (संशोधनोपरांत फरवरी–मार्च) 2021 के लिए ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों (उच्चतर शिक्षा संस्थान) की मान्यता स्थिति अपलोड की गई और इसकी अभिपुष्टि की गई

  ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों (उच्चतर शिक्षा संस्थान) की अद्यतन स्थिति अपलोड करना।

  II. डीईबी कार्य समूह की संशोधित संरचना।

  आयोग द्वारा निम्नलिखित नोट किया गया:

  (i) दिनांक 18 फरवरी, 2021 को आयोजित आयोग की 550वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पांच वर्ष की मान्यता प्रदान की गई।

  III. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना ओडीएल और/या ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करने हेतु पात्र/छूट प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए निगरानी तंत्र तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त।

  IV. विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों: आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और एआईसीटीई से प्राप्त पत्र।
- आयोग ने 4 वर्ष के बजाय 5 वर्ष और 6 माह की अवधि के साथ सोवा–रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.आर.एम.एस.) के स्नातक की डिग्री की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आईयूसी के वार्षिक लेखों पर अलग–अलग लेखापरीक्षा (एसएआर) को रिपोर्ट करने का उल्लेख किया।

(मानदंडों से संबंधित मामले)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची (झारखंड) से प्राप्त आवेदन के नए पहलू पर विचार करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया।
- *आयोग ने सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए (i) सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, फोर्ट, मुंबई, (ii) सर जे. जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, फोर्ट, मुंबई और (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सर जे. जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट, फोर्ट मुंबई, के नाम से सर जे. जे. आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन यूनिवर्सिटी से प्राप्त आवेदन के नए पहलू पर विचार करने हेतु गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और विअआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को इस सिफारिश के साथ मंजूरी प्रदान की कि प्रस्तावित सम–विश्वविद्यालय के नाम विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग किए बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार बदल दिए जाने चाहिए।*
- आयोग ने यह भी सिफारिश की कि नई श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, अन्य संस्थानों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बहु–विषयक दृष्टिकोण के लिए उनके साथ अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं।
- आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु पश्चिम बंगाल महाविद्यालय

सेवा आयोग (डब्ल्यूबीसीएससी) को आगे मान्यता देने पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

- आयोग ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) आयोजित करने हेतु जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू को मान्यता देने पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के अनुसार श्रेणी–1 के अंतर्गत मदुरै कामराज विश्वविद्यालय को शामिल करने पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।
- आयोग ने जादवपुर विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) के लिए अनुशंसित संस्थानों की सूची से मुक्त करने के लिए अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की सिफारिशों को आगे की आवश्यक कार्रवाई/निदेश के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजे जाने पर विचार किया और संकल्प किया।
- आयोग ने ईईसी द्वारा संस्तुत उत्कृष्ट संस्थानों (आईओई) की अनुशंसित सूची से जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय) को मुक्त करने पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की सिफारिशों को आगे की आवश्यक कार्रवाई/निदेश के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजे जाने पर विचार किया और संकल्प किया।
- आयोग ने केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन (अपग्रेडेशन) हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन करने का भी संकल्प किया।
- आयोग ने दिनांक 19 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी आठवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर निम्नानुसार विचार किया और मंजूरी प्रदान की/अभिपुष्टि की:

मद संख्या I.

i) आयोग ने निम्नलिखित मंजूरी प्रदान की: सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए आवेदन शुल्क:

क. एक बारगी पंजीकरण शुल्क

यथा लागू जीएसटी सहित 25000/– रुपये

ख. मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम (ओडीएल)

न्यूनतम 50,000/– रुपये और यथा लागू जीएसटी के अध्यधीन कार्यक्रमों के प्रारंभ में – 10,000/– रुपये प्रति कार्यक्रम।

ग. ऑनलाइन ज्ञान अर्जन कार्यक्रम (ओएल)

न्यूनतम 75,000/– रुपये और यथा लागू जीएसटी के अध्यधीन कार्यक्रमों के प्रारंभ में – 15,000/– रुपये प्रति कार्यक्रम।

घ. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (सीआईक्यूए) रिपोर्ट का मूल्यांकन (वार्षिक) 50,000/– रुपये तथा यथा लागू जीएसटी

ii) पात्र श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु कार्यप्रणाली आयोग ने कार्य समूह की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुपालन/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कम से कम एक अवसर दिया जाए। यदि इनका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो जब भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अगले शिक्षा सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा जाएगा।

मद संख्या II : वेंकटेश्वर मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इग्नू को दी गई छूट की तर्ज पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओडीएल) विनियम, 2017 के लागू होने से छूट माँगी गईं।

आयोग ने पाया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 10 नवंबर, 2020 के एफ.सं. 8–32/2012 (सीपीपी–I/पीयू) के अंतर्गत विश्वविद्यालय को सूचित किया है कि यह एक 'मुक्त विश्वविद्यालय' नहीं है और यदि विश्वविद्यालय 'दोहरी पद्धति वाले विश्वविद्यालय' के स्थान पर विशेष रूप से 'मुक्त विश्वविद्यालय' के रूप में कार्य करने की अपेक्षा रखता है तो यह अपने अधिनियम में संशोधन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। तदनुसार, आयोग ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन) विनियम, 2017 से छूट के लिए विश्वविद्यालय के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और इस मामले को समाप्त कर दिया गया।

मद संख्या III अनुपालन नहीं किए जाने की शिकायत से संबंधित प्राप्त विशिष्ट मामले:

क. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम

आयोग ने इस निर्णय की अभिपुष्टि की कि मामले का समाधान होने तक उच्चतर शिक्षा संस्थान को कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

ख. गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थान को एक वर्ष के लिए ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने से विवर्जित/प्रतिबंधित करने हेतु कार्य समूह की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की।

ग. मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु

आयोग ने निर्णय की अभिपुष्टि की कि उच्चतर शिक्षा संस्थान को एक चेतावनी पत्र जारी किया जा सकता है और तत्पश्चात् की गई सुधारात्मक कार्रवाई और विनियमों के अनुपालन पर उच्चतर शिक्षा संस्थान से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

आयोग ने कार्य समूह की उपर्युक्त सिफारिशों की सराहना की और सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विनियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रखनी चाहिए।

मद संख्या IV: शिक्षा सत्र जुलाई–अगस्त, 2021 और उसके बाद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाना।

आयोग ने कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार किया। आयोग ने विनियमों के निम्नलिखित प्रावधानों का भी अवलोकन किया (पृष्ठ 64 पर विनियम 5): ''(1) ओडीएल और/या ऑनलाइन माध्यम से किसी कार्यक्रम की पेशकश करने की इच्छा रखने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान... को कार्यक्रम के शिक्षा सत्र के शुरू होने से न्यूनतम तीन माह पूर्व आवेदन करना होगा। ..."

उपर्युक्त और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पारंपरिक कार्यक्रमों में प्रवेश में भी विलंब हो रहा है/को स्थगित किया जा रहा है, आयोग ने निर्णय लिया कि शिक्षा सत्र जुलाई, 2021 को बदलकर नवंबर, 2021 कर दिया जाएगा, जिसमें प्रवेश की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2021 होगी। यह बदलाव असाधारण परिस्थितियों के अधीन किया जा रहा है।

मद संख्या V. संसूचित मदें

आयोग ने निम्नलिखित को नोट किया:

1. नैक स्कोर और एनआईआरएफ से संबंधित पात्रता आवश्यकताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 में संशोधन।
2. राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को अनुदान।
3. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए पांच वर्ष की मान्यता अवधि।
4. इग्नू, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के आवेदन से छूट।

सभापति की अनुमति से कोई अन्य मद

- आयोग ने कार्य समूह की निम्नलिखित सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की:
- "उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा विशेषज्ञता के रूप में किसी पाठ्यक्रम को मुक्त और दूरस्थ पद्धति/अथवा ऑनलाइन पद्धति से चलाए जाने के संबंध में उसके प्रस्तावित नामकरण पर निगरानी करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जा सकता है। तकनीकी समिति में एआईसीटीई के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं।"
- आयोग ने दिनांक 14 जून, 2021 को आयोजित अपनी नौवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की:

मद संख्या 1: कोविड–19 की लहर के दोबारा आने और उसकी स्थिति को देखते हुए शिक्षा वर्ष 2021–22 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 का कार्यान्वयन।

आयोग ने निम्नलिखित नोट किया:

1.1 शिक्षा वर्ष 2021 और उसके बाद की मान्यता/पात्रता के लिए प्राप्त आवेदन।

1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 में संशोधन पर राजपत्र अधिसूचना।

1.3 दिनांक 18 फरवरी, 2021 को आयोजित आयोग की बैठक में आयोग के निर्णय के अनुपालन में 21 वर्चुअल दौरों

के संचालन के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन।

1.4 संशोधन की अधिसूचना के बाद शिक्षा सत्र 2021–2022 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के कार्यान्वयन को और सरल बनाने के लिए कार्य समूह का निर्णय।

मद संख्या 2 : फोटो वाले किसी भी राष्ट्रीय पहचान पत्र पर विचार करने और भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकन सुरक्षित करने हेतु पासपोर्ट जमा करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विदेश मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ।

आयोग ने कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार किया और निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया:

1. विनियमों में एक प्रावधान जोड़ने के लिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कार्यक्रमों में विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन के लिए, उनके निवास के देश की फोटो वाला कोई भी राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रमाणीकरण के लिए स्वीकार्य होगा। तदनुसार, एक उपयुक्त परंतुक शामिल किया जा सकता है।
2. विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन से उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा और इसके पश्चात् आयोग को सूचित किया जाएगा।

en l[;k 3% ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति की विशिष्ट सिफारिशें 3.1 और 3.2 आयोग ने जानकारी को नोट किया।

en l[;k 4% सभापति की अनुमति से कोई अन्य मद

4.1 'नेशनल कमिशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल रूल, 2021' की दिनांक 27 मई, 2021 की अधिसूचना के संबंध में आयोग ने जानकारी को नोट किया।

4.2 ओडीएल या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से 'बैचलर प्रीपेटरी प्रोग्राम' (बीपीपी) की पेशकश। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक परामर्शिका जारी करने के लिए कार्य समूह की सिफारिशों कि बीपीपी (स्नातक तैयारी कार्यक्रम) फाउंडेशन पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, को मंजूरी प्रदान की।

इसके अलावा, आयोग ने निर्णय लिया कि यदि इसके उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4.3 ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संकाय की नियुक्ति के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की:

(i) *जो संकाय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार अर्हक/पात्र नहीं हैं, उन्हें किसी कार्यक्रम के लिए पूर्णकालिक समर्पित आधार पर नियुक्त/नामित नहीं किया जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।*

(ii) *संकाय के वेतन और अन्य लाभों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर, लागू मानदंडों के अनुसार, छोड़ा जा सकता है।*

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्शिका जारी करने के संबंध में, आयोग ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सभी संकाय मानदंडों के अनुपालन के आधार पर सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्श जारी किया जाए।

4.4 आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव से अनुरोध किया कि वे '12बी' दिशानिर्देशों में मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए भूमि की आवश्यकता को कम कर 15 एकड़ तक करने से संबंधित मामले में शीघ्रता लाएं।

- आयोग ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में विसंगति निवारण समिति की सिफारिशों में शामिल वित्तीय प्रभावों को निर्धारित/सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकोंऔर अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के संदर्भ में हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों/सुझावों पर एवं उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय, 2018 पर विचार किया और संकल्प किया कि विसंगति निवारण समिति की वित्तीय प्रभावों के साथ अथवा उसके बिना सिफारिशों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए, सिफारिशों को विषयवार श्रेणीबद्ध किया जाएगा एवं विश्वविद्यालयों और

महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता पर और शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय, 2018 पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में संशोधन हेत् शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया और संकल्प किया कि आईयूएसी की घोषणा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में करने के प्रस्ताव के गुणावगुण की जांच करने के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया जा सकता है।
- आयोग ने शैक्षिक संचार संघ (सीईसी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया और संकल्प किया कि सीईसी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव के गुणावगुण की जांच करने के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया जा सकता है।
- आयोग ने विश्वविद्यालय परिसर में त्वरक सुविधाओं को चलाए जाने के संबंध में प्रो.एस.के. जोशी की समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इसे स्वीकार किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में त्वरक सुविधाओं को संयुक्त–आईयूएएसी आयन बीम केंद्र के रूप में बदलने को मंजूरी प्रदान की।
- आयोग ने नई शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामुदायिक सहभागिता घटक, जिसमें उन्नत भारत अभियान (यूबीए 2.0) के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भी संकाय के क्षमता निर्माण के लिए पहचान किए गए विअआ क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए विअआ के बजट शीर्ष में से और स्वयं के लिए 2 क्रेडिट एमओओसी के तैयार करने के लिए भी शामिल है, को लागू करने के लिए बजट के आवंटन पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने अध्यापक शिक्षा के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसी–टीई), बीएचयू, वाराणसी में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के स्तर पर शैक्षणिक पदों के उप–नियमों और संवर्ग भर्ती नियमों (सीआरआर) पर विचार किया और उन्हें मंजूरी प्रदान की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2021 के प्रारूप पर विचार किया और सैद्धांतिक रूप से इसे मंजूरी प्रदान की। आयोग के सदस्यों से एक सप्ताह के भीतर अपने सुझाव देने का अनुरोध किया गया। आयोग ने सुझावों को शामिल करने के पश्चात् और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए विनियमों को अंतिम रूप देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

(विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान)

- आयोग ने वर्ष 2014–16 और 2015–17 के दो बैचों के लिए इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, दिल्ली में नामांकित जीएटीई/जीपीएटी अर्हता प्राप्त छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

अन्य कोई मद

- कोविड–19 महामारी को देखते हुए आयोग ने, विस्तृत विचार–विमर्श के बाद परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों के लिए अकादमिक कैलेंडर पर संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी देने का संकल्प किया। यह भी संकल्प किया गया कि इन दिशानिर्देशों की कानूनी तौर पर जांच की जा सकती है। आयोग ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और उन्हें जारी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने आयोग के सदस्य प्रो. एम.के. श्रीधर द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की।

मिश्रित पद्धति से आयोजित दिनांक 08 सितंबर, 2021 की 552वीं बैठक

- आयोग ने दिसंबर, 2018 और जून, 2019 में आयोजित नेट के लिए आवश्यक प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री पूरी करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में 15 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी दसवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों और ऑनलाइन कार्यक्रमों से संबंधित कुछ मामलों पर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की:

1. शिक्षा वर्ष 2021–22 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली।
2. तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर–स्वयं ज्ञान अर्जन प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन करने की कार्यप्रणाली।
3. आयुष मंत्रालय से प्राप्त पत्र के आधार पर ओडीएल पद्धति के माध्यम से योग आधारित कार्यक्रमों की पेशकश की अनुमति।
4. कल्याणी विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायत।
5. श्रेणी–I के उच्चतर शिक्षा संस्थानों से संबंधित मामले।
6. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा उल्लंघन।
7. अभ्यागत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का मूल्यांकन

आयोग ने निम्नलिखित को भी नोट किया:

क). दिनांक 01 जुलाई, 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2021 की अधिसूचना।

ख). दिनांक 01 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी 551वीं बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क की अधिसूचना।

ग़). अधिसूचित विनियमों के विनियम 3(ख)(क) के अनुसार ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थान से आवेदन आमंत्रित करना।

घ). अधिसूचित विनियमों के अनुसार ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की मान्यता के लिए पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थान से आवेदन आमंत्रित करना।

(मानदंडों से संबंधित मामले)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, बापू भवन, मातोश्री रमाबाई रोड, पुणे, महाराष्ट्र से प्राप्त आवेदन के पहलू पर विचार करने हेतु गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण, विनियम, 2018 की श्रेणी–2 के अंतर्गत बीएस अब्दुर रहमान क्रीसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सम विश्वविद्यालय), जीएसटी रोड, वंडलूर, चेन्नई (तमिलनाडु) के वर्गीकरण पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।
- आयोग ने संकल्प किया कि शिक्षण और ज्ञान अर्जन के मिश्रित पद्धति पर अवधारणा टिप्पण को आयोग के सभी सदस्यों को एक सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणी देने के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा, आयोग ने आयोग के सदस्यों से प्राप्त जानकारी को उपयुक्त रूप से शामिल करने के पश्चात् शिक्षण और ज्ञान अर्जन के मिश्रित पद्धति पर अवधारणा टिप्पण को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने जेसीआरसी अनुभाग में प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी की विसंगति मामलों पर विचार किया और उसे मंजूरी प्रदान की।
- आयोग ने मीनाक्षी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु के प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे मंजूरी प्रदान की।

- आयोग ने सम विश्वविद्यालयों– केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस), सम विश्वविद्यालय, चोगलमसर, लेह (लद्दाख) के प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों की जांच करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।
  - यह विचार–विमर्श किया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय के स्वरूप और विशेषताएं अलग–अलग हैं। लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बहु–विषयक विश्वविद्यालय है, जबकि केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस), चोगलामसर, लेह (लद्दाख), नई श्रेणीके अंतर्गत एक संस्थान सम विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन के लिए एक संस्थान है।
  - लद्दाख में सीआईबीएस और केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए, अंतःविषय कार्यक्रमों और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इससे दोनों संस्थान सशक्त होंगे।
- आयोग ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (केंद्रीय विश्वविद्यालय) अमरावती (महाराष्ट्र) द्वारा सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा और दर्शन केंद्र की स्थापना/निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया और मंजूरी हेतु शिक्षा मंत्रालय को इसकी सिफारिश करने का संकल्प किया।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढांचे (एनएचईक्यूएफ) के प्रारूप पर विचार किया और संकल्प किया कि आयोग के सदस्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढाँचे (एनएचईक्यूएफ) के प्रारूप पर 8–10 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सदस्यों की प्रतिक्रिया और एआईसीटीई, एनसीटीई, एनसीवीईटीऔर एनएसडीसी से प्राप्त होने वाले सुझावों को शामिल करने के पश्चात् प्रारूप रिपोर्ट को हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 'पब्लिक डोमेन' में रखा जा सकता है। हितधारकों से प्राप्त सुझावों को शामिल करने के पश्चात् रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष रखा जा सकता है।
- आयोग ने ''विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों'' पर विचार किया और संशोधन को मंजूरी प्रदान की।
- आयोग ने भारत के विख्यात व्यक्तियों के नाम पर विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अनुमोदन प्रदान किया।
  - सहमति के लिए शिक्षा मंत्रालय को इसकी सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।
  - इसके अलावा, उन विश्वविद्यालयों, जिनमें नेताजी सुभाषचंद्र बोस पीठ स्थापित की जानी हैं, को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का संकल्प किया गया।

(अन्य कोई मद)

- आयोग ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सहविश्वविद्यालय), मेसरा, रांची (झारखंड) के ऑफ–कैम्पस से संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 08.09.2021 के पत्र संख्या एफ.10/1/2016–यू.3(ए) पर विचार किया। सचिव (एचई) ने सदस्यों को बीआईटी, मेसरा और इसके 'ऑफ–कैम्पस' से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी दी। आयोग ने संकल्प किया कि अध्यक्ष निम्नलिखित उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं: –

  i. बीआईटी, मेसरा के 'ऑफ–कैम्पस' से संबंधित मुद्दों की जाँच करने;

  ii. 'ऑफ–कैंपस' खोलने के लिए वर्तमान एनआईआरएफ रैंकिंग और एनएएसी मान्यता की अंतिम तिथि की जांच करने;

  iii. वर्तमान शिक्षा वर्ष के लिए बीआईटी, मेसरा के 'ऑफ–कैम्पस' में नामांकन।

दिनांक 26 अक्तूबर, 2021 को आयोजित 553वीं बैठक

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई (23 सितंबर, 2021को ई–परिचालन द्वारा)। यह उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढांचे (एनएचईक्यूएफ) को 30 नवंबर, 2021 तक अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

- आयोग ने जम्मू और कश्मीर एसईटी के अतिरिक्त विषय के रूप में 'लोक प्रशासन' को शामिल करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ संयुक्त रूप से जम्मू और कश्मीर एसईटी आयोजित करने के लिए जम्मू और कश्मीर–एसईटी एजेंसी को दी गई मंजूरी की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं कार्य समूह की बैठक की सिफारिशों की अभिपुष्टि की।

क. मदें जिन पर चर्चा की गई:

I 12(ख) दर्जे के लिए भूमि की आवश्यकता के संबंध में सीपीपी–II ब्यूरो का निर्णयः आयोग ने सिफारिशों की अभिपुष्टि की और भूमि की आवश्यकता को कम कर 15 एकड़ तक करने पर बल देते हुए सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया ताकि यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

II नए मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए वास्तविक अवसंरचनाः आयोग ने सिफारिशों की अभिपुष्टि की कि नए मुक्त विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) नियम, 1988 और समय–समय पर यथासंशोधित प्रावधानों का पालन करेंगे। वर्ष 1988 के नियमों में उल्लिखित भूमि की आवश्यकता सहित सभी मानदंडों का अनुपालन किया जा सकता है।

III ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा 'फ्रेंचाइजी व्यवस्था' से संबंधित शिकायतों और आरटीआई की प्राप्तिः आयोग ने सिफारिशों की अभिपुष्टि की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिकायतों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए डीईबी स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जा सकता है।

IV शिक्षा सत्र जुलाई, 2021 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि (नवंबर, 2021 के रूप में संशोधित): आयोग ने ऑनलाइन/ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त/सभी पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मामले में अपने पूर्व के निर्णय को दोहराया।

V शिक्षा सत्र जुलाई, 2021 (नवंबर, 2021 के रूप में संशोधित) और जनवरी, 2022 के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने की अंतिम तिथि का निर्णय करना।

आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों की अभिपुष्टि की:

1. शिक्षा सत्र जुलाई, 2021 (नवंबर, 2021 के रूप में संशोधित) – मान्यता प्रदान करने की अंतिम तिथिः 30 नवंबर, 2021।
2. शिक्षा सत्र जनवरी–फरवरी 2022– मान्यता प्रदान करने की अंतिम तिथिः 15 फरवरी, 2022।

VI जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, तेलंगाना और संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा द्वारा आवेदन प्रस्तुत न करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। आयोग ने निर्णय लिया कि इन उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आवेदनों पर जनवरी 2022 शिक्षा सत्र के लिए कार्रवाई की जाएगी।

VII विनियमों के अनुसार पूर्णतः समर्पित शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्तिः आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन) विनियम, 2017 के कार्यान्वयन के बाद से इस मामले में अपनाई गई परंपरा को नोट किया और निम्नलिखित के अनुसार इसे जारी रखने की सिफारिश की अभिपुष्टि की:

क. निदेशक की उपलब्धता (आवेदन चरण/विशेषज्ञ समिति की बैठक (दौरा) के ठीक बाद, मुक्त विश्वविद्यालय के समकक्ष विनियमों के अनुसार)।

ख. निदेशक स्तर पर कमी के मामले में किसी कार्यक्रम को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

ग. किसी सरकारी विश्वविद्यालय के लिए, या तो बैठक की तिथि को योग्य संकाय की उपलब्धता या राज्य सरकार से पत्र को यथा अनुपालित माना जा रहा है। अन्य सभी विश्वविद्यालयों के लिए बैठक (दौरे) की तिथि पर पात्र संकाय की उपलब्धता को अनुपालन माना जा रहा है।

घ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों का भी अनुपालन किया जा सकता है।

VIII उच्चतर शिक्षा संस्थान से संबंधित विशिष्ट मुद्दे

क. स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेशः आयोग ने उन सिफारिशों की अभिपुष्टि की है कि वर्ष 2021–22 के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान के आवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

ख. पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडुः आयोग ने निम्नलिखित के अनुसार सिफारिशों की अभिपुष्टि कीः

– मामले को डीईबी शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखा जाएगा।

– ''...उच्चतर शिक्षा संस्थान के ओडीएल कार्यक्रम मान्यता प्रस्ताव, यदि कोई हो तो, को इस मामले में निर्णय लिए जाने तक रोका जा सकता है।

ग. भरथियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु–अलग से उल्लेख किया गया है।

घ. कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, कर्नाटक

आयोग ने सिफारिशों की अभिपुष्टि की कि मामले को डीईबी शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखा जाए।

नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय

ड. आयोग ने शिकायत को समाप्त करने के लिए सिफारिशों की अभिपुष्टि की।

ख. संसूचित मदें:

i. पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से दिनांक 15 जुलाई से 31 जुलाई, 2021 तक नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डीईबी वेब पोर्टल पर आवेदन जमा करने की तिथि से उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास वैध पात्रता मानदंड होंगे।

आयोग ने सूचना नोट की।

ii. पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु वर्ष भर आवेदन जमा करने के लिए वेब पोर्टल को लाइव किया गया है।

आयोग ने सूचना नोट की।

iii. ''...पिछले 3 वर्षों के लिए वर्ष 2021, 2020 और 2019 के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग को वर्ष 2020, 2019 और 2018 के स्थान पर वेब पोर्टल पर एकीकृत किया गया है...'' तदनुसार, आयोग ने निम्नलिखित के अनुसार सिफारिशों की अभिपुष्टि कीः

– उच्चतर शिक्षा संस्थान हेतु अर्हक से पात्र श्रेणी में जाने के लिए चूँकि नामांकन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2021 है और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है, इसलिए नवंबर, 2021 (जुलाई, 2021 से संशोधित) शिक्षा सत्र के लिए आवेदनों पर विचार किया जाएगा/कार्रवाई की जाएगी।

– अर्हक श्रेणी से पात्र श्रेणी में आने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए– अनुमोदित निर्णयों के अनुसार कार्रवाई; संशोधित स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार कार्यक्रमों के लिए अगले शिक्षा सत्र अर्थात् जनवरी, 2022 से छात्रों का नामांकन नहीं करने और नए सिरे से आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है।

ग. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

क. उच्चतर शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार से पत्र प्राप्त हुआ। आयोग ने कार्य समूह के निर्णय की अभिपुष्टि की।

ख. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध ओडीएल शिक्षा प्रदान करने में उल्लंघन की शिकायत– अलग से उल्लेख किया गया है।

ग. कार्य समूह ने ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डीईबी द्वारा निरंतर आधार पर किए गए प्रयासों की सराहना की। कार्य समूह ने सिफारिश की कि डीईबी को इस कार्यभार के संपादन के लिए 'यथाशीघ्र पर्याप्त और उपयुक्त' जनशक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

आयोग ने प्रयासों की सराहना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव से डीईबी में वांछित जनशक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया।

उपर्युक्त के अलावा, आयोग ने भारतियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के संबंध में डीईबी कार्य समूह की सिफारिशों पर भी विचार किया। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लियाः

i. दोनों मामलों में कानूनी परामर्श प्राप्त किया जाएगा।

ii. यह मामला कानूनी राय सहित उचित आवश्यक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करते हुए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

iii. राज्य सरकार को भेजे गए पत्र को माननीय राज्यपाल, संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते, उनके कार्यालय को भी भेजा जाएगा।

iv. जब तक मामले का समाधान नहीं हो जाता, संबंधित विश्वविद्यालय कोई नया ओडीएल कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे।

(मानदंडों से संबंधित मामले)

- आयोग ने डिग्रियों की विशिष्टता पर और डिग्रियों के विनिर्दिष्टीकरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना में चौथे संशोधन पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की। आगे यह संकल्प किया गया कि नए नामकरण को बहु–विषयक शिक्षा, एनएचईक्यूएफ और एनईपी के अन्य प्रावधानों के आलोक में देखा जाना चाहिए।

- आयोग ने सम विश्वविद्यालय संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी प्रदान की ताकि नए पाठ्यक्रम(मों)/कार्यक्रम(मों)/विभाग(गों)/संकाय(यों)/स्कूल(लों) को शुरू किया जा सके। आगे यह संकल्प किया गया कि शिक्षा मंत्रालय (एमओई) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) पर कोई वित्तीय प्रभाव नही पड़ना चाहिए।

- आयोग ने एनआईटीटीई (सम विश्वविद्यालय), मेंगलुरु (कर्नाटक) द्वारा एनआईटीटीई गांव, उडुपी जिला, कर्नाटक में 'ऑफ–कैम्पस' केंद्र की मान्यता के लिए प्रस्तुत आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और सम विश्वविद्यालय के एनएएसी ग्रेडिंग (एसीजीपीए 3.40) और एनआईआरएफ रैंकिंग, 2021 (विश्वविद्यालय श्रेणी में 77वां) को ध्यान में रखते हुए, एनआईटीटीई गांव, उडुपी जिले, कर्नाटक में एनआईटीटीई (सम विश्वविद्यालय), मेंगलुरु (कर्नाटक) के 'ऑफ–कैम्पस' केंद्र के अनुमोदन की सिफारिश करने का संकल्प किया। सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हैं, जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सशक्तिकरण और ग्रेडेड स्वायत्तता की समग्र संस्कृति और संबद्ध महाविद्यालयों की प्रणाली को चरणबद्ध रूप से उत्तरोत्तर समाप्त करने की संकल्पना की गई है। तथापि, 'ऑफ–कैम्पस' के कामकाज की समीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। सम विश्वविद्यालय को 'ऑफ–कैम्पस' में मानदंडों को मुख्य परिसर के समान बनाए रखना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी नियमों और विनियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

- आयोग ने जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली में वर्तमान स्थिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया।

  कुलाधिपति, जामिया हमदर्द से तत्कालीन कुलपति, जामिया हमदर्द के विरुद्ध शिकायत की प्राप्ति और तत्कालीन कुलपति से प्राप्त प्रतिक्रिया सहित मद की पृष्ठभूमि से आयोग को अवगत कराया गया, जिसके फलस्वरूप जामिया हमदर्द में वर्तमान स्थिति के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया गया। यह भी बताया गया कि आयोग ने 19 नवम्बर, 2020 को आयोजित अपनी आपात बैठक में उपर्युक्त कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

  आयोग ने कुलाधिपति, जामिया हमदर्द की शिकायत, उपर्युक्त शिकायत के उत्तर में तत्कालीन कुलपति द्वारा दर्ज प्रतिक्रिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय), 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया।

  आयोग ने तथ्यान्वेषी समिति के निष्कर्षों का भी संज्ञान लिया, जिसमें समिति ने जामिया हमदर्द के अधिकारियों द्वारा लिए गए प्रशासनिक/वित्तीय निर्णयों में अनियमितताओं/चूक को इंगित किया है। समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ सुझाव भी दिए। आयोग ने आगे कहा कि तथ्यान्वेषी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुलाधिपति और

तत्कालीन कुलपति के बीच सभी लंबित मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के संबंध में (संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित) पत्र के बारे में सूचित किया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त सभी पर विचार करने के बाद आयोग ने तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

आयोग ने तथ्यान्वेषी समिति के संदर्भ के निबंधनों में से एक को नोट किया, जो निम्नानुसार था– यह जांचने के लिए कि क्या सम विश्वविद्यालय की प्रशासन संरचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2019 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार है और पाया कि प्रशासन संरचना में सम विश्वविद्यालय की प्रायोजक सोसायटी के संदर्भ शामिल हैं, जैसा कि इन विनियमों के प्रासंगिक खंडों में प्रदान किया गया है। तथापि, तथ्यान्वेषी समिति ने जामिया हमदर्द के प्रायोजक निकाय से जुड़े कानूनी मामलों पर गौर नहीं किया है।

आयोग ने आगे यह पाया कि जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय), अर्थात् हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के प्रायोजक निकाय के दो पक्षों के बीच एक मुकदमा था, जो 22.10.2019 को एक पारिवारिक समझौता विलेख में समाप्त हुआ, जिसमें प्रायोजक निकाय के एक पक्ष को चिकित्सा महाविद्यालय का प्रभार दिया गया और दूसरे पक्ष को अन्य संकायों का प्रभार दिया गया। यह पाया गया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.12.2019 के अपने आदेश द्वारा समझौते को स्वीकार कर लिया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सर्वसम्मति से संकल्प किया कि:

1) जामिया हमदर्द को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथ्यान्वेषी समिति द्वारा दी गई टिप्पणियों/सुझावों के संबंध में तत्काल अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है और इसे आयोग के समक्ष रखा जा सकता है।

2) तथ्यान्वेषी समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए गए सुझावों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 पर पुनः विचार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जा सकता है।

3) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के समझौता विलेख से संबंधित मुद्दे कानूनी हैं, अध्यक्ष को विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया गया, जो इस संपूर्ण मुद्दे की जांच करेगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के आलोक में अपनी सिफारिशें देगी। समिति की रिपोर्ट आयोग के समक्ष रखी जा सकती है।

दिनांक 25 नवंबर, 2021 को आयोजित 554वीं बैठक

- आयोग ने वर्ष 2020–21 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। यह भी संकल्प किया गया कि आयोग के सदस्य 05 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, भेज सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव को वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया गया।

(मानदंडों से संबंधित विषय)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 में संशोधन पर विचार किया और मंजूरी दी।

- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में आईसीटी संवर्ग, अभियांत्रिकी सेवा संवर्ग सहित वैज्ञानिक पदों पर दिशानिर्देश और न्यूनतम योग्यताएं तथा पदोन्नति के अवसर तैयार करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के श्रेणीकरण पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की और आयोग ने आगे संकल्प किया कि इस प्रकार के मामलों को केवल जानकारी दिए जाने के उद्देश्य से आयोग के समक्ष लाया जा सकता है।

- आयोग ने नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 में संशोधन पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

- आयोग ने गुजरात विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), अहमदाबाद, गुजरात के कुलपति के रूप में डॉ. राजेंद्र खिमानी की नियुक्ति के मुद्दे की जाँच करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि: i) गुजरात विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) के कुलपति के रूप में डॉ. राजेंद्र खिमानी की नियुक्ति में प्रक्रियात्मक चूक हुई हैं और ii) अलग से गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तथ्यान्वेषी समिति ने पाया कि दिनांक 01.04.2004 से 30.04.2019 की अवधि के दौरान डॉ. राजेंद्र खिमानी कुल सचिव के रूप में गुजरात विद्यापीठ के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज मामलों में कुछ खामियों के लिए भी जिम्मेदार थे।

  उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के खंड 10.12.3.ई में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, आयोग ने गुजरात विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) के कुलाधिपति को डॉ राजेंद्र खिमानी को तत्काल प्रभाव से कुलपति के पद से हटाने का निदेश देने का संकल्प किया। आयोग ने आगे संकल्प किया कि आयोग के निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम–विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनुदानों को रोकना भी शामिल है।

- आयोग ने उच्चतर शिक्षा में वैश्विक नागरिकता के लिए प्रारूप शैक्षणिक ढ़ांचे पर विचार किया और संकल्प किया कि आयोग के सदस्य 05 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं। आयोग ने ढ़ांचे को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

दिनांक 12 फरवरी, 2022 को आयोजित 555वीं बैठक

- सर्वप्रथम, आयोग के सचिव और सदस्यों ने नए अध्यक्ष, प्रो. ममिडाला जगदीश कुमार का स्वागत किया। आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रो. डी.पी. सिंह द्वारा दिए गए योगदान के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा की गहन भावना भी प्रकट की।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त/पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एडटेक कंपनियों के साथ फ्रेंचाइजी व्यवस्था की गैर–अनुमति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना को नोट किया।

- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आईयूसी के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) की अभिपुष्टि की।

(मानदंडों से संबंधित विषय)

- आयोग ने सरलीकृत मान्यता प्रणाली और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा ओडीएल और ऑनलाइन विनियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 30 नवंबर, 2021 की अधिसूचना सं एफ.1–4/2021 (डीईबी–I)के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया।

  विस्तृत विचार–विमर्श के बाद आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया और निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की:

  1. स्वायत्त महाविद्यालयों को ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाना।
  2. ओडीएल कार्यक्रमों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की पात्रता को सक्षम बनाना।
  3. पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाना।
  4. ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं से तकनीकी सहायता (ज्ञान अर्जन प्लेटफॉर्म सहित) को सक्षम बनाना।

5. नियमित/पारंपरिक पद्धति में 'एक बैच पास आउट' की अपेक्षा के बिना ओडीएल और/या ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश की जा सकती है।

6. विनियामक/मान्यता प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा मौजूदा ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

7. उन सभी को नामांकन के लिए प्रवेश स्तर योग्यता में पास करने में सक्षम बनाना।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की अवधि के अनुसार सभी कार्यक्रमों के लिए एकाधिक–प्रवेश एकाधिक–निकास विकल्प को सक्षम करना।

9. मान्यता प्राप्त/पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों की पेशकश करना।

10. उपस्थिति और ज्ञान अर्जन को लचीला बनाना।

11. शीघ्र ही ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए एक सामान्य मान्यता प्रक्रिया तैयार करना।

आयोग ने निम्नलिखित निर्णय भी लिया:

1. प्रस्तावित संशोधन, जुलाई–अगस्त, 2022 शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा।

2. उपर्युक्त '1' पर विचार करते हुए, मौजूदा विनियमों में यह शर्त कि आवेदन शिक्षा सत्र की शुरुआत से न्यूनतम '3' माह पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे, में संशोधन किया जाएगा। समय अवधि को उचित रूप से लोप किया जाएगा।

3. अगले तीन वर्षों के लिए प्रथम संशोधन के माध्यम से अधिसूचित एनएएसी/एनआईआरएफ मानकों का प्रस्तावित संशोधन विनियमों में उल्लेख नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें तीन वर्षों के बाद संशोधन करना अनिवार्य है और यह भी कि आयोग आवश्यकता पड़ने पर मानकों में परिवर्तन कर सकता है।

4. विशेषज्ञ समिति की अनुमोदित सिफारिशों के आधार पर संशोधन विनियमों का प्रारूप हितधारकों की टिप्पणियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/डीईबी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रारूप को टिप्पणियों के लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी भेजा जाना चाहिए।

5. तत्पश्चात्, संशोधन विनियमों का अंतिम प्रारूप अनुमोदन के लिए आयोग की अगली बैठक में रखा जाएगा।

6. आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को इस मामले में यथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया। की गई कार्रवाई, यदि कोई हो तो, को आयोग की अगली बैठक में जानकारी दी जाएगी।

7. आयोग ने अपने पूर्व के निर्णय को दोहराया कि शिक्षा सत्र जनवरी–फरवरी 2022 के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने की अंतिम तिथि दिनांक 15 फरवरी, 2022 होगी। तथापि, उन आवेदनों पर मान्यता के लिए किसी भी निर्णय पर, जिसके लिए मान्यता प्रक्रिया के सभी चरण 15 फरवरी, 2022 तक पूरे नहीं हुए हैं, जुलाई–अगस्त 2022 शिक्षा सत्र के लिए कार्रवाई की जाएगी।

- आयोग ने 03 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपनी बारहवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया।

क. मदें जिन पर चर्चा की गई:

1. दिनांक 23 नवंबर, 2021 और 29 नवंबर, 2021 को आयोजित शिकायत निवारण समिति (सीआरसी) की बैठक की सिफारिशों पर विचार करने हेतु।

आयोग ने शिक्षा के ऑनलाइन और ओडीएल पद्धति के अंतर्गत कार्यक्रमों की पेशकश में देखे गए उल्लंघनों के संबंध में कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया।

ऑनलाइन शिक्षा:

आयोग ने पाया कि 'ऑनलाइन शिक्षा' श्रेणी के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के दो अलग–अलग समूह हैं; एक समूह, जिसने सीआरसी/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर सभी दस्तावेज/जानकारी प्रदान कर दी है और दूसरा समूह, जिसने वांछित दस्तावेज/सूचना प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आयोग ने विस्तृत विचार–विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया:

क. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए जिन्होंने सभी दस्तावेज/जानकारी प्रदान कर दी है (अमृता विश्व विद्यापीठम, तमिलनाडु; भारती विद्यापीठ, महाराष्ट्र; चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब और मुंबई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र):

1. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक सख्त चेतावनी जारी की जाएगी, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि यदि वे उपर्युक्त का पुनः उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
2. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को तत्काल निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें उन्हें उल्लेख करना होगा कि ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश फ्रेंचाइजी पद्धति में नहीं की जा रही है और इस पर केवल उच्चतर शिक्षा संस्थानों का पूर्ण स्वामित्व है।
3. पात्र श्रेणी के अंतर्गत नए कार्यक्रमों के लिए आवेदनों, जिनमें पूर्व से ही प्राप्त कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिन्हें पाए गए उल्लंघनों के कारण रोक दिया गया था, पर जुलाई–अगस्त 2022 शिक्षा सत्र से विचार किया जाएगा।

ख. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए, जिन्होंने सभी दस्तावेज/जानकारी प्रदान नहीं की है (जैन सम विश्वविद्यालय, कर्नाटक; ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, हरियाणा; नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), महाराष्ट्र और पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु):

1. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को यह कहते हुए एक सख्त चेतावनी जारी की जाएगी कि यदि उन्हें उपर्युक्त का पुनः उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके विरुद्ध कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
2. उच्चतर शिक्षा संस्थान जुलाई–अगस्त, 2022 शिक्षा सत्र में पात्र श्रेणी के अंतर्गत कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे। पूर्व से प्राप्त आवेदनों, जो पाए गए उल्लंघनों के कारण रोक दिए गए थे, को समाप्त माना जाएगा।
3. उच्चतर शिक्षा संस्थान जुलाई–अगस्त, 2022 शिक्षा सत्र में पूर्व से पात्र '2' कार्यक्रमों में नामांकन नहीं कराएंगे। इन कार्यक्रमों के नाम उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 31 मार्च, 2022 तक सूचित किए जाएंगे और इसका उल्लेख उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट हितधारकों के लाभ हेतु जुलाई–अगस्त, 2022 शिक्षा सत्र में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए '2' कार्यक्रमों में नामांकन नहीं किए जाने के बारे में अपनी वेबसाइट पर विवरण प्रदान करेगी।
4. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का उल्लेख करते हुए एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा कि ऑनलाइन कार्यक्रम फ्रेंचाइजी पद्धति में पेश नहीं किए जा रहे हैं और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए पूर्ण स्वामित्व केवल उच्चतर शिक्षा संस्थान का है।
5. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें उल्लिखित होगा कि ऑनलाइन कार्यक्रम फ्रेंचाइजी पद्धति में पेश नहीं किए जा रहे हैं और पूर्ण स्वामित्व केवल उच्चतर शिक्षा संस्थान का है।
6. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को जुलाई–अगस्त 2022 शिक्षा सत्र (केवल एक शिक्षा सत्र के लिए) के लिए ओडीएल और ऑनलाइन विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन (ओडीएल) शिक्षा:

(क) आयोग ने निम्नलिखित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में पाए गए उल्लंघनों के लिए कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की:

1. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
2. कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक
3. मैट्स विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
4. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु

5. पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
6. कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
7. विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, तमिलनाडु
8. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक, महाराष्ट्र
9. नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई, महाराष्ट्र

(ख) स्वयं ज्ञान अर्जन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को सशक्त करने के लिए नीतियों के संबंध में आईआईटी मद्रास से प्राप्त ईमेल।

आयोग ने पाया कि ओडीएल और ऑनलाइन विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने पूर्व में ही ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने/सशक्त करने के उपाय सुझाए हैं और तदनुसार, निर्णय लिया है कि इस मामले को समाप्त माना जाए।

(ग) दिनांक 04 सितंबर, 2020 को अधिसूचित विनियमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार अपील शुल्क की प्राप्ति।

आयोग ने कार्य समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी कि विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपील प्रस्तुत करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्रति कार्यक्रम 10,000 रुपये जीएसटी का अपील शुल्क के रूप में लिया जाएगा।

(घ) उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्शिका जारी करना।

आयोग ने कार्य समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निम्नलिखित परामर्शिका जारी की जाएगीः

- उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रदर्शित करना।
- ओडीएल और ऑनलाइन छात्रों के लिए 'प्लेसमेंट ड्राइव' आयोजित करना।
- उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर सीआईक्यूए रिपोर्ट प्रदर्शित करना।

तथापि, कार्य समूह ओडीएल और ऑनलाइन विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक और ओडीएल कार्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत सामान्य परीक्षा पत्रों के संबंध में अपनी सिफारिशों की समीक्षा कर सकता है।

(ङ) मान्यता हेतु श्रेणी–I उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त आवेदनों के लिए मान्यता प्रक्रिया।

आयोग ने पाया कि कार्य समूह की सिफारिशें महत्वहीन हो गई हैं, क्योंकि श्रेणी–1 के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अब प्रस्तावित संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2022 के अंतर्गत ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के पात्र हो जाएंगे।

(च) वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए मान्यता प्राप्त नए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए विशेषज्ञ समिति की अभ्यागत विशेषज्ञ समिति (वीईसी) के वर्चुअल दौरे के माध्यम से ऑनसाइट दौरा।

आयोग ने कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार किया और वर्चुअल मोड में विशेषज्ञ समिति के दौरे आयोजित करने में ब्यूरो के प्रयासों की सराहना की, जिससे पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ गया।

आयोग ने निर्णय लिया कि मान्यता संबंधी विशेषज्ञ समिति के दौरे केवल वर्चुअल रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। तथापि, शिकायतों और/या विशिष्ट मामलों में, मामला–दर–मामला आधार, पर विशेषज्ञ समिति का दौरा 'मैन्युअल'/वास्तविक रूप से किया जाएगा।

ख. संसूचित की गई मदें:

आयोग ने निम्नलिखित जानकारी को नोट किया।

(i) आयोग ने दो समर्पित संसाधनों के साथ डीईबी में कदाचार विरोधी प्रकोष्ठ बनाने के लिए कार्य समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी। मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह भी निदेश दिया कि प्रकोष्ठ को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए।

(ii) आयोग ने जानकारी को नोट किया और पाया कि सिफारिशों ''सभी हितधारकों को जागरूक करने और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, कानूनी रूप से सत्यापित सार्वजनिक सूचना को वेबसाइट पर रखा जा सकता है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 'स्वयं ज्ञान अर्जन प्लेटफॉर्म' के नो–फ्रैंचाइजी, फ्रैंचाइज परिभाषा, पूर्ण स्वामित्व आदि जैसे प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया जा सकता है,

जैसा कि अधिसूचित विनियमों में उल्लेख किया गया है", को प्रस्तावित संशोधित विनियमों में पूर्व से ही पालन किया जा रहा है।

(iii) आयोग ने जानकारी नोट किया कि ''नवंबर, 2021 (जुलाई, 2021 से परिवर्तित) शिक्षा सत्र के लिए नामांकन की अंतिम तिथि केवल 15 दिसंबर, 2021 (आयोग के निर्णय के अनुसार पूर्व से अधिसूचित) रहेगी। तिथि को बढ़ाने के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आयोग ने निर्णय लिया कि जनवरी–फरवरी, 2022 शिक्षा सत्र के लिए, प्रवेश की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 होगी और उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा वेबसाइट पर नामांकन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2022 होगी।

- आयोग ने भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शारीरिक स्वस्थता, खेल–कूद, छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और सैद्धांतिक रूप में उक्त दिशानिर्देशों को मंजूरी प्रदान करने का संकल्प किया। तथापि, खेल–कूद और शारीरिक स्वस्थता के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विशेषज्ञ समिति की सहायता से दिशानिर्देशों की आगे जांच करने और उनका अद्यतन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद दिशानिर्देशों को 'पब्लिक डोमेन' में रखा जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाएगी और समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। आयोग ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

आयोग ने छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा बनाने का भी संकल्प किया। इस संबंध में एक अलग प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और शीघ्र ही आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) नियम, 1988 में संशोधन पर विचार किया और निम्नानुसार संकल्प लिया:

  क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता), नियम, 1988 में, नियम 3 के खंड (x)(i) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा: विकसित भूमि 5 एकड़।

  ख. नियमों में उपर्युक्त संशोधन को सहमति के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा।

- आयोग ने इग्नू द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन, ऑनलाइन और मिश्रित ज्ञान अर्जन के 66 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–एचआरडीसी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के समकक्ष ''अल्पकालिक व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, संकाय समावेशन कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम'' पर एचआरडीसी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

(सरकार और अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ)

- आयोग ने लाभ के पद के प्रश्न, जब कोई शिक्षक संसद/राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित/नामित होता है, पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया

  (i) नई शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में संशोधित ''जीवन कौशल पर पाठ्यक्रम 2.0'' का प्रारूप।

  (ii) "जीवन कौशल पर पाठ्यक्रम के लिए सुविधा–प्रदाता दिशानिर्देश'' का प्रारूप।

आगे यह भी संकल्प किया गया कि हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने और विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त निगमन के लिए दोनों दस्तावेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आयोग ने इन दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

- आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के आलोक में संशोधित किए गए उन्नत भारत अभियान 2.0 (यूबीए 2.0) के अंतर्गत भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय

पाठ्यचर्या की रूपरेखा से संबंधित दिशानिर्देशों के प्रारूप पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की। इन दिशानिर्देशों में शिक्षा मंत्रालय की ''विद्यांजलि'' पहल को भी शामिल करने का संकल्प किया गया। यह भी संकल्प किया गया कि हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने और विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त समावेशन के लिए दस्तावेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया।

- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक संस्थानों के रूप में बदलने के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों पर विचार किया और संकल्प किया कि हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने और विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त निगमन के लिए उक्त दस्तावेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आयोग ने दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

यह भी संकल्प किया गया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक संस्थानों का दर्जा प्राप्त करने के अवसरों के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

यह भी सुझाव दिया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संस्थानों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

1.7 विशेष गतिविधियां/पहल

दिनांक 09 अप्रैल, 2021

सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे अपने छात्रों को ''गंगा क्वेस्ट 3.0'', जिसका आयोजन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है, में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें। [डी.ओ.नं.एफ.14–7/2021 (सीपीपी–II)]

दिनांक 09 अप्रैल, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समन्वितऔर सामूहिक प्रयास करने का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड–19 महामारी से निपटने में उच्चतर शिक्षा समुदाय द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के लिए नियमित परामर्श जारी कर रहा है। कोविड–19 के उभरते संकट से निपटने के लिए, स्थिति से निपटने हेतु पांच–स्तरीय रणनीति यथा परीक्षण, उपचार, कोविड से बचाव के अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से ''दवाई भी कड़ाई भी'' पर नए सिरे से बल देने के साथ जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। (डी.ओ.नं.14–1/2021 (सीपीपी–II))

दिनांक 09 अप्रैल, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार ने दिनांक 15 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती वर्ष को पूरी भव्यता और भक्ति के साथ उचित तरीके से मनाने का निर्णय लिया है।

श्री गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान देने और याद करने के लिए, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 15 अप्रैल, 2021 से 21 अप्रैल, 2022 तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर इस अवसर को मनाने का अनुरोध किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए कुछ सुझाई गई गतिविधियाँ हैं:

1. *श्री गुरु तेग बहादुर जी के संदेश और जीवन इतिहास के प्रचार–प्रसार के लिए स्थानीय /राज्य /राष्ट्रीय स्तर पर निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन।*
2. *श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन।*
3. *श्री गुरु तेग बहादुर जी पर चित्रकला प्रतियोगिताएं/वर्चुअल पोस्टर।*
4. *श्री गुरु तेग बहादुर जी पर लघु फिल्में/वृत्तचित्र (डी.ओ.नं.एफ.14–3/2021 (सीपीपी–II)*

दिनांक 19 अप्रैल, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और अत्याचार'' पर विभाग से संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की 230वीं रिपोर्ट की सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सूचित किया ताकि निम्नलिखित कदम उठाए जा सकें:

- *नेतृत्व, बलिदान और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका के बारे में लिंग संवेदीकरण के अलावा पाठ्यक्रम में अधिक सामग्री जोड़ना ताकि महिलाओं के लिए सम्मान की भावना पैदा की जा सके और समाज में मौजूद नकारात्मक मानसिकता/रूढ़ियों को दूर करने में सहायता मिल सके।*
- *महिलाओं की गरिमा और सम्मान के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए ''महिला सुरक्षा'' पर ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करना। [एफ नं.11–1/2021 (जीएस)]*

दिनांक 06 मई, 2021

कोविड–19 परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से मई, 2021 के दौरान ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित रखने का अनुरोध किया ताकि परिसरों में भीड़–भाड़ से बचा जा सके और उन छात्रों, संकाय और कर्मचारियों, जो वर्तमान में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोविड–19 का सामना कर रहे हैं, को अतिआवश्यक राहत प्रदान किया जा सके। [डी.ओ. नं. एफ.14–8/2020 (सीपीपी–II)]

दिनांक 10 मई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि कोविड–19 महामारी लहरों के रूप में फैल रही है, और लोगों और संस्थानों के जीवन और कार्यों को प्रभावित कर रही है। इस संकट का सामना करने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के सभी हितधारकों जैसे छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र कल्याण के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/नयाचार/दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कोविड–19 से बचाव के अनुकूल व्यवहार और संस्थागत गतिविधियों के प्रबंधन के लिए परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करता रहा है।

आयोग सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से आग्रह करता है कि वे अपने ठोस प्रयासों को जारी रखें और इस कठिन समय के दौरान छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उन्हें सुरक्षित और सूचित रखने के लिए सुदृढ़ता के साथ अपनी सहायता प्रदान करें। [(डी.ओ. नं एफ14.–1/2021 (सीपीपी–II)]

दिनांक 20 मई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों (उच्चतर शिक्षा संस्थान) के लिए राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट–अप नीति (एनआईएसपी) ***http://nisp-mic-gov-in #Download&Notification*** *को लागू कर रहा है ताकि वे नवाचारों और उद्यमियों को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें सक्षम बना सकें। इस संबंध में, शिक्षा मंत्रालय समयबद्ध तरीके से सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा एनआईएसपी को अपनाने के लिए उत्सुक है। अब तक दो चरण पूरे हो चुके हैं और कुल 1980 उच्चतर शिक्षा संस्थान, एनआईएसपी अभियान में शामिल हो चुके हैं तथा 3000 वरिष्ठ संकाय समन्वयकों को संस्थान स्तर पर इसे अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, ज्ञान और संसाधन विनिमय की सुविधा के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों* ***(https://nisp-mic-gov-in)*** *हेतु एक क्रियाशील एनआईएसपी पोर्टल बनाया गया है। नामित संकाय के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम जून–जुलाई, 2021 के दौरान आयोजित किए जाएंगे। [फा. नं. 1–1/2021 (एसईसीवाई)]*

दिनांक 29 मई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि दिनांक 31 मई, 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वार्षिक अभियान, तंबाकू के उपयोग और 'सेकेंड हैंड' धूम्रपान जोखिम के हानिकारक और घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने और किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने का अवसर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस

2021 का थीम था ''छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध''। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे दिनांक 31 मई, 2021 को ''विश्व तंबाकू निषेध दिवस'' मनाएं और कोविड–19 पर सरकारी दिशानिर्देशों/नयाचार का कड़ाई से पालन करते हुए उचित तरीके से शपथ लेने से संबंधित समारोह आयोजित करें। [डी.ओ. नं. 14–12/2021 (सीपीपी–II)]

दिनांक 02 जून, 2021

सार्वजनिक सूचनाः शोधार्थियों के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वि.अ.आ. द्वारा प्रायोजित अध्येतावृत्ति की अवधि, जो कोरोना महामारी की अवधि के दौरान समाप्त हो गई है, को दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय अध्येताओं को बढ़ाई गई अवधि के दौरान अपनी परियोजना को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं। तथापि, अध्येतावृत्ति की अवधि समान रहेगी और बढ़ाई गई अवधि के लिए कोई अध्येतावृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। [नं.एफ.4–2/2018(बीएसआर)]

दिनांक 03 जून, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और परिसरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने और वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के अपने निरंतर प्रयासों में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''एसएटीएटी''– उच्चतर शिक्षा संस्थानों (उच्चतर शिक्षा संस्थान) में पर्यावरण के अनुकूल और संधारणीय परिसर विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार किया है। यह रूपरेखा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी रणनीतियों, जो ऊर्जा और पानी के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैंय अपशिष्ट उत्पादन और प्रदूषण को कम करने और आर्थिक दक्षता भी, को तैयार करने में सहायता करता है। रूपरेखा की विविधता संस्थानों की उनकी भौगोलिक स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त रणनीतियों को तैयार करने और उन्हें लागू करने में सहायता करेगी। दिनांक 05 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2021–2030 को 'प्रत्येक महाद्वीप और प्रत्येक महासागर के पारिस्थितिक तंत्र के पुनःस्थापन पर दशक' के रूप में घोषित करेगा। दिनांक 05 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने के लिए, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सुझाव दिया गया कि वे संयुक्त राष्ट्र दशक के विषय और पर्यावरण और सतत् जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्विज, निबंध लेखन, वेबिनार आदि के रूप में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करें। [डीओ नं.1–6/2021 (सीएम)]

दिनांक 07 जून, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को प्लास्टिक के उपयोग, विशेष रूप से प्लास्टिक के एकल उपयोग को कम करने और प्लास्टिक कचरे का निपटान करने के लिए सूचित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं, जिन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अपनाया जाना है। ये दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्लास्टिक के एकल उपयोग के उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों को लक्षित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं:

क. छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता।
ख. एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र आदि जैसे संगठनों द्वारा गतिविधियां।
ग. वैकल्पिक सामग्रियों, पुनर्चक्रण, चक्रीय अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए छात्रों और 'स्टार्ट–अप' के बीच 'हैकाथॉन'।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे कोविड–19 पर सरकारी दिशानिर्देशों/नयाचार का कड़ाई से अनुपालन करने का सुझाव दें। [डी.ओ. नं.14–9/2021 (सीपीपी–II)]

दिनांक 10 जून, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचित किया कि कोविड–19 महामारी के कारण, युवा गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं– वे भय, चिंताऔर तनाव से पीड़ित हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हुआ है। इस संकट से बचने की कुंजी युवाओं के बीच भावनात्मक लचीलापन तैयार करना है।

युवाओं के बीच भावनात्मक लचीलापन तैयार करने के लिए, यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवेलपमेंट (एमजीआईईपी), जो यूनेस्को के अभिन्न शिक्षा संस्थान में श्रेणी–1 अनुसंधान संस्थान है और अभिनव

शिक्षा शास्त्र के माध्यम से शिक्षा प्रणालियों में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की दिशा में कार्य कर रहा है, ने लाइफ यूनिवर्सिटी (यूएसए) के सहयोग से अद्वितीय ऑनलाइन अनुभव के रूप में 'कंपैशनेट इंटेग्रिटी ट्रेनिंग सेल्फ–डायरेक्टेड लर्निंग (सीआईटी–एसडीएल)' पाठ्यक्रम विकसित किया है। इस पाठ्यक्रम को 'यूनेस्को एमजीआईईपी फ्रेमरस्पेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म' (डेटा गोपनीयता के लिए पूर्णतः सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) के अनुरूप) पर होस्ट किया गया है। यह पाठ्यक्रम युवाओं को 10 कौशलों– आत्म–विनियमन, आत्म–करुणा, दूसरों के प्रति करुणा और जटिल प्रणालियों के साथ जुड़ाव में कौशल, पर प्रशिक्षित करता है। सीआईटी–एसडीएल शरीर और मन को शांत करने के लिए कौशल विकसित करता है, छात्रों और कर्मचारियों का ध्यान उनके संबंधित कार्य, उनके साथियों, वरिष्ठ जनों, नेताओं, हितधारकों और उनके परिवार के साथ व्यवहार पर केंद्रित करने में सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने में 30 घंटे लगते हैं और एमजीआईईपी योग्य, अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सुविधाजनक ऑनलाइन सीआईटी छात्र समुदाय और मासिक मास्टर कक्षाओं के माध्यम से छात्र सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को यूनेस्को एमजीआईईपी और लाइफ यूनिवर्सिटी से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त होता है।

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का विवरण उपलब्ध कराएं क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल विकसित करना परिपूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए अतिमहत्वपूर्ण है।

दिनांक 10 जून, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे से निपटने और लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने संबंधित संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि गठित आईसीसी अनिवार्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 के अनुसार कार्य करे। [डी.ओ.नं.91–2/2020 (जीएस) पीटी.1]

दिनांक 11 जून, 2021

*कोविड–19 की विनाशकारी दूसरी लहर का सामना करने में सक्रिय परिवर्तन लाने में युवाओं को शामिल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) ने शिक्षा मंत्रालय (एआईसीटीई, सीबीएसई), युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिसेफ–युवा, नागरिक समाज संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और 1500 भागीदारों के निजी क्षेत्र के सहायता संघ के साथ सहयोग किया, जिन्होंने **#YoungWarrior** आंदोलन में **https://www-yuwaah-org/youngwarrior** पर सक्रिय रूप से भाग लिया है। सभी कुलपतियों और प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने छात्रों और/या शिक्षकों को स्वयं, अपने परिवारों, समुदायों और देश की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। [एफ नं. 1–13/2021 (ई–जीओवी)]*

दिनांक 11 जून, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचित किया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" (एनएफएससी) प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों की पहचान हेतु चयन प्रक्रिया में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 01.04.2020 से, अर्थात् चयन वर्ष 2020–21 और उसके बाद से प्रभावी हैं। संशोधित चयन प्रक्रिया के अनुसार–'छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए चयन प्रत्येक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट–जेआरएफ या सीएसआईआर–नेट–जेआरएफ परीक्षाओं में प्राप्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है और नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी। [एफ. नं. 82–44/2020 (एसए–III)]

दिनांक 11 जून, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3 (बी)(ए) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करने के पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अद्यतन सूची अपलोड की। [एफ. नं. 1–14/2020 (डीईबी–I)]

दिनांक 14 जून, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया कि वे अपने छात्रों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिरक्षा तैयार करने और तनाव से राहत के लिए ''योग के साथ रहें, घर पर रहें'' शीर्षक के साथ योग करने के लिए प्रोत्साहित करें और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए ***(https://yoga-ayush-gov-in/)*** *पर ऑनलाइन शपथ लें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2021 मनाने के लिए निम्नलिखित लिंकों को भी साझा किया।*

- *सामान्य योग संबंधी नयाचार*
- *अं.यो.दि. 2021 के लिए सुझाई गई गतिविधियां*
- *प्रमुख कार्यक्रम*
- *योग के बारे में और जानें*
- *अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई)–2021 के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप के आयोजकों के लिए आईडीवाई 'हैंडबुक' संदर्भ*

आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दिनांक 21 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए लोगों के एक जगह एकत्रित होने के बजाय डिजिटल, वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करने का सुझाव दिया। [डी.ओ. नं. 14–13/2015 (सीपीपी–II)]

दिनांक 16 जून, 2021

आयोग ने विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि कोविड–19 महामारी के दौरान कई विश्वविद्यालय शिक्षण ज्ञान अर्जन विधियों के प्रबंधन और परीक्षाओं के संचालन में 'ट्रेंड सेटिंग' पद्धतियाँ निर्मित कर रहे हैं। तथापि, सर्वोत्तम पद्धतियों को तैयार करना और अपनाना किसी विशेष अप्रत्याशित संकट पर निर्भर नहीं है और न ही होना चाहिए। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे अपने संस्थान की सर्वोत्तम पद्धति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल' (यूएएमपी) पर अपलोड करें ताकि उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जा सके, जो उन्हें शिक्षा और अनुसंधान के नएऔर उच्च मानदंडों को प्राप्त करने के लिए प्रेरितऔर प्रोत्साहित करेगा। [डी.ओ. नं. 14–14/2021 (सीपीपी–II)]

दिनांक 16 जून, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***(www.ugc.ac.in)*** *पर अकादमिक जॉब पोर्टल की तैयार किया गया है, जो नेट/सेट/पीएचडी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के अकादमिक प्रोफाइल को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य नियोक्ताओं के ध्यान में लाने में सहायता करता है, ताकि उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके। पोर्टल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करने और अपनी प्रोफाइल बनाने की सुविधा प्रदान करता है। अकादमिक जॉब पोर्टल नियोक्ताओं को इस पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की अकादमिक प्रोफाइल खोजने और ब्रॉउज करने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल नियोक्ताओं को इस पोर्टल पर नौकरी की रिक्तियों को पंजीकृत करने और पोस्ट करने की सुविधा भी देता है ताकि अभ्यर्थी रिक्तियां होने पर आवेदन कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षणेत्तर रिक्तियों को शामिल करने और कुछ नई विशेषताओं को जोड़ने सहित जॉब पोर्टल को उन्नयन करने की प्रक्रिया में है। उन्नयन किया गया यह पोर्टल शीघ्र ही कार्य करने लगेगा। विश्वविद्यालय इस पोर्टल पर अपनी नौकरी संबंधी रिक्तियों को अपलोड कर सकते हैं, जिससे पात्र अभ्यर्थियों को जानकारी मिलने में सहायता होगी। [डी.ओ. नं. 14–14/2021 (सीपीपी–II]*

दिनांक 18 जून, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि वे 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई)–2021 को इस वर्ष का विषय 'योग के साथ रहें, घर पर रहें' का पालन करके और कोविड से बचाव के अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुए वर्चुअल रूप से मनाएं। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2021 को मनाने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते एक डिजिटल योग अभियान का आयोजन कर रहा है, जिसे दिनांक 11 जून, 2021 से 10–दिवसीय 'डिजिटल काउंटडाउन' कार्यक्रम के रूप में फेसबुक/इंस्टाग्राम और ट्विटर पर समन्वित किया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सुझाव दिया गया कि वे छात्रों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को दिनांक 21 जून, 2021 को 45 मिनट के सामान्य योग नयाचार (सीवाईपी) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। [एफ. नं. 1–16/2021(वेबसाइट)]

दिनांक 25 जून, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि शिक्षा मंत्रालय ने देश में पठन, लेखन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को सबके समक्ष लाने के लिए युवा और उभरते लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने हेतु लेखक मेंटरशिप योजना शुरू की है।

युवा (युवा, उभरते और बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक) नामक योजना इंडिया@75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का भाग होगी, जो गुमनाम नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूला दिए गए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य संबंधित विषयों में उनकी भूमिका जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को अभिनव और रचनात्मक तरीके से सामने लाएगी।

*नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के अंतर्गत लेखकों का चयन करने के लिए दिनांक 01 जून से 31 जुलाई, 2021 तक एक ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। चयनित 75 लेखकों में से प्रत्येक को छह माह की अवधि के लिए प्रति माह 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति के भुगतान का प्रावधान है। नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया मेंटरशिप योजना के भाग के रूप में युवा लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का प्रकाशन करेगा। इसका विवरण **www.nbtindia-gov-in** और **myGov-in** पर देखा जा सकता है।*

सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे इस प्रतिष्ठित योजना में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों/शिक्षका/शोधकर्ताओं के बीच युवा योजना से संबंधित जानकारी का प्रचार–प्रसार करें। [डी.ओ. नं.14–16/2021 (सीपीपी–II)]

दिनांक 05 जुलाई, 2021

*आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार–2021 के लिए सिफारिश भेजने का अनुरोध किया। ये पुरस्कार डूबने, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, बिजली का करंट, भूस्खलन, जानवरों के हमले और खदानों में बचाव कार्य आदि जैसी घटनाओं में किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में मानव प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह ध्यान दिया जाए कि इस पुरस्कार के लिए की गई सिफारिश पर पुरस्कार समिति द्वारा वीरतापूर्ण कार्य के संपादन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर विचार किया जाता है। इसलिए, वर्ष 2021 के लिए, कोई भी सिफारिश, जिसके संबंध में कार्य के संपादन की तिथि 01 अक्तूबर, 2019 से पूर्व आती है, इस मंत्रालय को विचारार्थ नहीं भेजी जानी चाहिए। पुरस्कारों की जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के लिए सिफारिशें गृह मंत्रालय द्वारा डिजाइन किए गए ऑनलाइन पोर्टल (यूआरएल**; www-jrp-mha-gov-in**) के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं। सिफारिशों में उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में विनिर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें आख्यान रूप में एक उद्धरण (अधिकतम 200 शब्द) शामिल है, जो स्पष्ट रूप से घटना के अनुक्रम–वार विवरण के साथ–साथ व्यक्ति (बचावकर्ता) की विशिष्ट भूमिका/योगदान को सामने लाता है। [डी.ओ.नं.14–17/2021 (सीपीपी–II)]*

दिनांक 09 जुलाई, 2021

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3 (ख)(क)और इसमें संशोधनों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों (उच्चतर शिक्षा संस्थान) से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। **http://www-ugc-ac-in/deb** पर देखें। (एफ.नं. 1–14/2020 (डीईबी–I) पीटी. फाइल)*

दिनांक 09 जुलाई, 2021

सार्वजनिक सूचना: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों की मान्यता/पात्रता के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु शुल्क संरचना और सीआईक्यूए रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को दिनांक 04 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया।

कार्य समूह की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन के आधार पर, ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों की मान्यता/हकदारी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए शुल्क का विवरण और सीआईक्यूए रिपोर्ट का मूल्यांकन निम्नानुसार है:

क. यथा लागू जीएसटी सहित 25,000/–रुपये की एक बार देय पंजीकरण शुल्क।

ख. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (ओडीएल)।
कार्यक्रमों की शुरुआत– न्यूनतम 50,000/– के अध्यधीन 10,000/–रुपये प्रति कार्यक्रम, यथा लागू जीएसटी के अधीन।

ग. ऑनलाइन ज्ञान अर्जन कार्यक्रम (ओएल)
कार्यक्रमों की शुरुआत – न्यूनतम 75,000/– के अध्यधीन, 15,000/– रुपये प्रति कार्यक्रम, यथा लागू जीएसटी।

घ. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (सीआईक्यूए) रिपोर्ट (वार्षिक) का मूल्यांकन
50,000/– रुपये. यथा लागू जीएसटी। (एफ. नं. 1–22/2021 (डीईबी–I)।

दिनांक 12 जुलाई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त, 2021 तक टोक्यो, जापान में होना निर्धारित है। इस संबंध में युवक मामले और खेल मंत्रालय, खेल विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचित किया गया है कि इस प्रतिष्ठित मेगा खेल आयोजन में भाग लेने वाले भारतीयों को प्रेरित करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिनांक 13 जुलाई, 2021 को शाम 5.00 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे।

एथलीटों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की यह बातचीत एक खुला कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए पंजीकरण हेतु लिंक बनाया गया है और छात्र लिंक **https://pmevents-ncog-gov-in** पर पंजीकरण कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे अपने छात्रों को ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की बातचीत को देखने के लिए उपर्युक्त लिंक पर ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। [डी.ओ. नं. एफ1.–1/2021 (एसईसीवाई)]

दिनांक 13 जुलाई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और भारतीय ओलंपिक संघ संयुक्त रूप से सभी आयु वर्ग के लोगों को अंतर्क्रियात्मक तरीके से शामिल करने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बना रहे हैं, जिसमें विजेताओं के लिए पुरस्कार के साथ ''रोड टू टोक्यो 2020'' नामक एक ओलंपिक क्विज शामिल है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन दिनांक 23 जुलाई से 5 सितंबर, 2021 तक टोक्यो में होना निर्धारित है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे वेब प्लेटफार्मों पर उपर्युक्त 'क्विज' को चलाएं ताकि और अधिक भारतीय ओलंपिक में हमारे एथलीटों का उत्साहवर्धन कर सकें तथा लोग भारत की जीवंत खेल संस्कृति को जान सकें। [डीओ 14–19/2021 (सीपीपी–II)]

दिनांक 13 जुलाई, 2021

आयोग ने राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किए गए अभियान ''कैच द रेन'', जिसका उद्देश्य जल का संरक्षण करना, इसकी बर्बादी को कम करना और राज्यों के भीतर और बाहर और साम्यिक वितरण को सुनिश्चित करना है, पर विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया। यह अभियान सभी हितधारकों को वर्षा जल का संचय करने के लिए मानसून की शुरुआत से पूर्व वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएचएस) का निर्माण करने हेतु प्रेरित करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचना (आरडब्ल्यूएचएस) का निर्माण कराएं ताकि भूजल जलभृतों को रिचार्ज करने हेतु बड़ी मात्रा में वर्षा जल का दोहन किया जा सके। जल संचयन गड्ढे, छत पर आरडब्ल्यूएचएस, चेक डैम आदि का निर्माण करने के लिए अभियान चलाने; भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अतिक्रमण को हटाने और टैंकों से गाद हटाने; जलग्रहण क्षेत्रों आदि से उन तक पानी लाने वाले चैनलों से अवरोधों को हटाने; स्टेप–वेल की मरम्मत करने और पानी को जलभृतों आदि में वापस डालने के लिए निष्क्रिय बोर–वेल का उपयोग जैसी गतिविधियां मानसून की शुरुआत से पूर्व ''कैच द रेन'' अभियान के अंतर्गत छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जा सकता है।

सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे जेएसए–सीटीआर के संबंध में की गई/की जाने वाली क्रियाकलापों को कार्य योजनाओं/कार्रवाई रिपोर्ट के रूप में ईबीएसबी पोर्टल पर अपलोड करें। [डी.ओ. 14–15/2017 (सीपीपी–II)]

दिनांक 14 जुलाई, 2021

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) की शुरुआत दिनांक 09 जुलाई, 2017 को की गई, जो डिजिटल प्रारूप में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दर्ज अकादमिक अवार्ड (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र, अंकपत्र, आदि) का एक ऑनलाइन भंडार है। यह अकादमिक अवार्ड उपलब्ध कराने के लिए 24x7 कार्य करने वाला एक ऑनलाइन माध्यम है और यह उनकी प्रामाणिकता का सत्यापन करने, उनके सुरक्षित भंडारण और सहज पुनर्प्राप्ति में सहायता करेगा।

एनएडी कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए, सभी शैक्षणिक संस्थानों (अर्थात् विश्वविद्यालयों/आईआईटी/एनआईटी/आईआ. ईआईटी/आईआईएसईआर/आईआईएम/एनआईपीईआर/एआईडी/स्कूल बोर्डों/पात्र मूल्यांकन निकायों) से निम्नलिखित को करने का अनुरोध किया गया:

I. *डिजीलॉकर–एनएडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनएडी पर अपने शैक्षणिक संस्थानों को पंजीकृत करना।*

II. *अपने संस्थान के शैक्षणिक अवार्ड डेटा को डिजीलॉकर–एनएडी पर अपलोड करना/लिंक करना।*

III. *छात्रों को डिजीलॉकर पर पंजीकरण करने और अपने अवार्डों का अभिगम प्राप्त का सुझाव देना।*

IV. *अपनी संबंधित वेबसाइटों में एनएडी यूआरएल का हाइपरलिंक **https://nad-gov-in/** तैयार करना।*

V. *नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना और एनएडी के कार्यान्वयन के लिए एनएडी प्रकोष्ठ की स्थापना करना तथा अपनी वेबसाइटों पर उनके विवरण को दर्शाना।*

VI. *अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एनएडी के वीडियो/ऑडियो/पोस्टर के माध्यम से छात्रों के बीच एनएडी के बारे में जागरूकता फैलाना। एनएडी वेबसाइट (**https://nad-gov-in/nadMultimedia-html**) पर 11 भाषाओं में वीडियो/ऑडियो और पोस्टर उपलब्ध हैं।*

एनएडी की प्राप्ति और प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी शैक्षणिक संस्थान, छात्र और सत्यापन कराने वाली संस्थाएं कितनी शीघ्रता से इस पर पंजीकरण कराती हैं और एनएडी प्रणाली का अभिगम प्रारंभ करती हैं। [डी.ओ. नं. एफ.1–46/2020 (एनएडी/डिजीलॉकर)]

दिनांक 13 जुलाई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, सभी स्तरों पर सम्प्रेषण की पद्धति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जेंडर चौंपियंस शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित 16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। जेंडर चैपियंस की परिकल्पना जिम्मेदार नायकों के रूप में की गई है, जो अपने विद्यालयों/महाविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक प्रवर्तक परिवेश की सुविधा प्रदान करेंगे, जहां बालिकाओं के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है।

*विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे छात्रों के सर्वोत्तम हित में 'शैक्षिक संस्थानों में जेंडर चैपियंस के लिए दिशानिर्देश' (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध) का कार्यान्वयन शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित करें ताकि दीर्घकालिक सतत् परिवर्तन हासिल किया जा सके। महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने जेंडर चैपियंस के लिए एक 'बैज' जारी किया है, जो इसकी वेबसाइट और **My Gov Portal** पर भी उपलब्ध है। [डी.ओ. नं. एफ 91–2/2014 (जीएस)]*

दिनांक 14 जुलाई, 2021

आयोग ने विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र (सीआईसीडी), जो वर्ष 1977 से भारत की शास्त्रीय नृत्य कला, शास्त्रीय संगीत, योग और संस्कृत की शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ने 'डांस ऑफ इंडिया/75' नामक एक मेगा–कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। यह नृत्य प्रतियोगिता भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा की आठ (8) शैलियों यथा ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्तारिया और कथकली में युवा कलाकारों के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसके विषय (i) आत्मनिर्भर भारत (ii) विश्व गुरु भारत और (iii) भारत के गुमनाम नायक, होंगे। चार (4) दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत दिनांक 22 जुलाई, 2021 को होगी और वर्चुअल माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म पर विश्व स्तर पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। यह आयोजन 24 जुलाई, 2021 को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर को भी यादगार बनाएगा। (डी.ओ. नं.14–20/2021 (सीपीपी–II)

दिनांक 19 जुलाई, 2021

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य एकीकृत तरीके से मनुष्य की सभी क्षमताओं– बौद्धिक, सौंदर्यपरक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक, को विकसित करना है। इस प्रकार की शिक्षा सर्व गुण सम्पन्न व्यक्तियों को तैयार करने में सहायता करेगी, जो कला, मानविकी, भाषाओं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों और सामाजिक जुड़ाव के नैतिक ज्ञानय बातचीत, चर्चा और वाद–विवाद जैसी 'सॉफ्ट स्किल्स' और एक चयनित क्षेत्र या क्षेत्रों में परिशुद्ध विशेषज्ञता में 21वीं सदी की महत्वपूर्ण क्षमताओं वाले होंगे।

विश्वविद्यालयों से बहु–विषयक और समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करने और इस संबंध में की गई पहलों को विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (यूएएमपी) ***http://www-ugc-ac-in/uamp/*** *पर साझा करने के लिए अनुरोध किया गया। [एफ. नं. 2–1/2021/(क्यूआईपी)]*

दिनांक 28 जुलाई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत परिवर्तनकारी सुधारों के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय (एमओई) 29 जुलाई, 2021 को शाम 4.30 बजे से (एनईपी) 2020 के महत्वपूर्ण कदम की शुरूआत करेगा।

यह गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महत्वपूर्ण शुरुआत करने और शिक्षा जगत को संबोधित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।

कार्यक्रम का लाइव प्रसारण निम्नलिखित सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से किया जाएगा:

वेबकास्ट: ***http://pmindiawebcast-nic-in***

शिक्षा मंत्रालय का यूट्यूब लिंक: ***http://www-youtube-com/user/HRDMinistry/***

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे अपने संकायों, छात्रों और अन्य हितधारकों को वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। [डी.ओ.नं.एफ.1–3/2021 (क्यूआईपी)]

दिनांक 29 जुलाई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020 समानता और समावेश पर ध्यान केंद्रित करने सहित विषयों के बीच भारी अलगाव का अभाव, बहु–विषयक और समग्र शिक्षा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण चिंतन पर संकल्पनात्मक समझ, नैतिकता और मानवऔर संवैधानिक मूल्य, जीवन कौशल, विविधता और स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान जैसे लचीलेपन के सिद्धांतों पर आधारित है।

तदनुसार, एनईपी–2020 की सिफारिशों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय की सहमति से आयोग ने दिनांक 28 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021' अधिसूचित किया है।

डिजीलॉकर फ्रेमवर्क के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) द्वारा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसमें छात्र द्वारा शैक्षिक खाता खोलने और पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बोर्डिंग की सुविधा/प्रकार्यता है। एबीसी छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट्स को ध्यान में रखते हुए डिग्री/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए एबीसी के साथ पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा। एबीसी छात्रों के लिए शैक्षिक बैंक खातों को खोलने, उन्हें समाप्त करने और उनका सत्यापन करने, क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय और क्रेडिट अंतरण या प्रतिदान करने को सुनिश्चित करेगा।

पात्रता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान, एबीसी वेबसाइट (www-abc-gov-in) पर शैक्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा, छात्र भी एबीसी वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। (डी.ओ. नं. 14–31/2018 (सीपीपी–II)

दिनांक 29 जुलाई, 2021

आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कई कदम उठा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत परिवर्तनकारी सुधारों के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किया है।

ये दिशानिर्देश भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वैश्विक पहुंच के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को आगे आने और हमारे छात्रों के व्यापक हित में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में निर्देशित विभिन्न उपायों को अपनाने की सुझाव दिया गया। [डीओ 68–1/2021 (आईसी)]

दिनांक 29 जुलाई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि 29 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लॉन्च होने का एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई प्रमुख पहलों में से एक ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देश'' है। प्रस्तावित एकाधिक प्रवेश और निकास प्रणाली कल्पनाशील और लचीली पाठ्यचर्या संरचनाओं पर तैयार किया गया है, जो छात्रों को अपने ज्ञान अर्जन के प्रपथ और कार्यक्रमों का चयन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली छात्रों को विभिन्न प्रमाणन विकल्प प्रदान करती है और क्रेडिट मान्यता, क्रेडिट संचय, क्रेडिट अंतरण और क्रेडिट प्रतिदान की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईएल) के बीच या भीतर निर्बाध छात्र गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करती है। शैक्षणिक कार्यक्रमों में लचीलापन छात्रों को किसी भी स्तर के अवार्ड के बाद रोजगार की तलाश करने और योग्यता को उन्नयन करने और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाने और उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार लाने के लिए, जब भी संभव हो, वापस शामिल होने में सक्षम बनाएगा।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को इन दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए उचित उपाय करने का सुझाव दिया गया, जो उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदुओं की सुविधा प्रदान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र इस पहल का लाभ उठाएं। (डी.ओ.सं. एफ.1–3/2021 (क्यूआईपी)

दिनांक 29 जुलाई, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा नई शिक्षा नीति, 2020 पर विभिन्न विषयों पर आठ वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं।

*इन वेबिनारों का शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब लिंक **https://www-youtube-com/user/HRDMinistry/** पर लाइव वेबकास्ट किया जाएगा।*

उच्चतर शिक्षा संस्थान आपको उपर्युक्त वर्चुअल कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और अपने संकाय, छात्रों और अन्य हितधारकों को उपर्युक्त कार्यक्रमों को देखने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। [डी.ओ. नं. एफ.1–3/2021 (क्यूआईपी)]

दिनांक 30 जुलाई, 2021

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत परिवर्तनकारी सुधारों के एक वर्ष पूरा होने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूरे सप्ताह चलने वाले विषय–आधारित वेबिनार का आयोजन किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 29 जुलाई, 2021 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस ऐतिहासिक अवसर पर अनेक पहल को आरंभ किया। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने दिनांक 02 अगस्त

(सोमवार) को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 02:30 बजे तक समग्र और बहु–विषयक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है।

वेबिनार में समग्र शिक्षा, बहु–विषयक शिक्षा और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से बहु–प्रवेश और निकास को समर्पित सत्र था। [डी.ओ. नं. एफ.आई–3/2021 (क्यूआईपी)]

दिनांक 30 जुलाई, 2021

सार्वजनिक सूचनाः प्रभावित अभ्यर्थियों के हित में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेट की पात्रता शर्तों के अनुसार अपेक्षित प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रम पूरा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2018 वि.अ.आ.–नेट/संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के लिए दिनांक 30 जून, 2022 तक और जून, 2019 को आयोजित होने वाली वि.अ.आ. –नेट/संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

दिनांक 05 अगस्त, 2021

सार्वजनिक सूचनाः दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (डीबीएचपीएस), चेन्नई को संसद के अधिनियम (दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अधिनियम, 1964–1964 का संख्या 14) द्वारा स्थापित किया गया है और इसे अपने अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत हिंदी में या हिंदी शिक्षण में प्रवीणता के लिए परीक्षा आयोजित करने और डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र प्रदान करने, जैसा कि समय–समय पर सभा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, का अधिकार प्राप्त है। डीबीएचपीएस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 के अंतर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने या ग्रांट करने के उद्देश्य से शामिल संस्थानों में से एक है। आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट/डीबीएचपीएस, चेन्नई द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों को उच्चतर शिक्षा और रोजगार सहित सभी उद्देश्यों के लिए मान्यता प्रदान किया जा सकता है। (एफ.नं.14–21/2021 (सीपीपी–II)

दिनांक 08 अगस्त, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि माननीय युवक मामले और खेल मंत्री और माननीय युवक मामले और खेल राज्य मंत्री द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को दिनांक 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रव्यापी वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों द्वारा अपने जीवन में प्रतिदिन न्यूनतम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि अर्थात् 'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज' को शामिल करने का आह्वान करना है। युवक मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) ने पूरे भारत में 750 कार्यक्रमों का आयोजन किया है और वास्तविक/वर्चुअल आजादी दौड़ कार्यक्रम आयोजित किया है।

*इस दृष्टिकोण के अनुरूप, उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से अनुरोध किया गया कि वे छात्रों और संकाय सदस्यों को इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, और **#Azadi Ka Amrit Mahotsav** और **#Run4Indi a.** के साथ सोशल मीडिया चैनलों पर प्रचार–प्रसार करें। [(डी.ओ. नं. एफ.1–54/2019 (वेबसाइट/फिट इंडिया)]*

दिनांक 08 अगस्त, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के लिए समारोह सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ शुरू हो गए हैं।

*सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से ''आजादी का अमृत महोत्सव'' मनाने के लिए सक्रिय सहयोग करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की वेबसाइटों पर एक 'रनिंग बैंड/टिकर' **https://rashtragaan-in//sa** ''भारत का राष्ट्रगान मिलकर गाएं'' शामिल किया जा सकता है। छात्रों से अनुरोध किया गया कि वे **https://rashtragaan-in** पर भारत के राष्ट्रीय गान साथ मिलकर गाएं। [डी.ओ. नं. एफ 14–4/2021 (सीपीपी–II)]*

दिनांक 08 अगस्त, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि नई शिक्षा नीति–2020 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुधार के लिए 'प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण' है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत परिवर्तनकारी सुधारों के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक

10 अगस्त (मंगलवार), 2021 को प्रातः 11:00 बजे से शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं।

वेबिनार में शामिल होने के लिए छात्रों, संकायों और संस्थानों के अन्य हितधारकों को आमंत्रित किया गया। [डी.ओ. नं. एफ1.–3/2021 (क्यूआईपी)]

दिनांक 09 अगस्त, 2021

*आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि जनवरी–अप्रैल, 2021 सेमेस्टर के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म (**www.swayam.gov.in**) पर गैर–प्रौद्योगिकी स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर एमओओसी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कराने वाले सभी छात्रों/कामकाजी पेशेवरों/आजीवन शिक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे **https://examform-swayam-gov-in/** पर 'स्वयं' परीक्षा के लिए पंजीकरण कराएं। 'स्वयं' परीक्षा पंजीकरण की अंतिम तिथि दिनांक 12 अगस्त, 2021 है। {(फाइल संख्या एफ.1–8/2017 (स्वयं बोर्ड)}*

दिनांक 09 अगस्त, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की संस्थापना की है, जिसकी घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अर्थात् दिनांक 31 अक्तूबर को की जाएगी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक सशक्त और एकजुट भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने के लिए भारत के नागरिकों/संस्थानों द्वारा किए गए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान को मान्यता देगा।

नामांकनों/सिफारिशों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए भारत के व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धि/सेवा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए आख्यान के रूप में एक प्रशस्ति सहित सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए। [(डी.ओ. नं. 14–25/2018 (सीपीपी–II)]

दिनांक 16 अगस्त, 2021

*आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 17 अगस्त, 2021 को 'पैरालंपिक' में भाग लेने के लिए जाने वाले एथलीटों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की बातचीत के कार्यक्रम के बारे में बताया और छात्रों, संकायव अन्य हितधारकों द्वारा लिंक **http://pmevents-ncog-gov-in/** पर कार्यक्रम देखने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए अनुरोध किया। [डी.ओ.नं.14.–19/2021 (सीपीपी–II)]*

दिनांक 18 अगस्त, 2021

*आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता 'यूथ आइज ऑन द सिल्क रोड्स' का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस प्रतियोगिता के लिए दो विषयों को चुना गया था, जिनके नाम 'टेक्सटाइल्स एंड क्लोदिंग' और 'इंटरकल्चरल एक्सचेंजेज इन द टाइम ऑफ कोविड–19 इन्क्लुडिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोदिंग' थे। फोटो प्रतियोगिता की वेबसाइट (**https://unescosilkroadphotocontest.org**) के लिंक में प्रतिभागियों के लिए पूर्ण दिशानिर्देश और निदेश समाविष्ट हैं।*

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुझाव दिया गया कि वे फोटो प्रतियोगिता के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि इच्छुक युवा छात्र फोटोग्राफरों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। [डी.ओ.नं.14–22/2021 (सीपीपी–II)]

दिनांक 24 अगस्त, 2021

*आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में साइबर सुरक्षा हेतु अनुरोध किया। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुझाव दिया गया कि वे गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) की पहल यथा गृह मंत्रालय के ट्वीटर हैंडल **@Cyber Dost,** राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानि **[https://cybercrime-gov-in**, 14सी के इंस्टाग्राम **https://www.instagram.com/CyberDosti14C/** और फेसबुक **https://www.facebook.com/CyberDosti14C** अकाउंट, जो साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नियमित अंतराल पर अद्यतन जानकारी और परामर्श प्रदान करते हैं, के बारे में छात्रों, संकाय और हितधारकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार करें।*

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से कार्यक्रमों का एक कैलेंडर तैयार करने और सामाजिक दूरी के नयाचार और मानदंडों का अनुपालन करते हुए नियमित अंतराल पर साइबर सुरक्षा/साइबर अपराधों पर नियमित प्रतियोगिताओं, हैकाथन, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करने का भी अनुरोध किया गया। (डी.ओ.एफ. नं.1–5/2021(ई–जीओवी)

दिनांक 27 अगस्त, 2021

विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध किया गया कि वे दिनांक 30 अगस्त, 2021 से 04 सितंबर, 2021 तक 'युवा इकोज् –बॉय यंग वारियर्स' के रूप में मनाएं, जो ज्ञान सत्रों, वार्ताओं, प्रस्तुतियों, प्रतियोगिताओं और चुनौतियों से भरे हुए हों। उनसे अपने छात्रों को 'सॉल्व–ए–थॉन' (कोविड–19 पर युवाओं के लिए एक नवाचार चुनौती), 'आ. र्टिस्ट यूनाइट' (कला के माध्यम से आत्म–अभिव्यक्ति के लिए युवाओं के लिए हाइब्रिड स्पेस), 'कोविड एकेडमी' (कोविड–19 के बारे में ज्ञान अर्जन सत्रों में भाग लेना) और 'क्विज मास्टर्स' (कोविड–19 पर एक बहुस्तरीय क्विज) में शामिल करने का भी अनुरोध किया गया। जिन छात्रों ने एक या अधिक उल्लिखित क्रियाकलापों को पूरा किया, उन्हें यूनिसेफ द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के सभी विजेताओं को यूनिसेफ द्वारा एक राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया। [एफ. नं. आई.–13/2021 (ई–जीओवी)]

दिनांक 27 अगस्त, 2021

आयुष मंत्रालय ने कार्यस्थल पर लोगों के लिए एक छोटी अवधि का योग नयाचार (वाई–ब्रेक) पेश किया है, ताकि उन्हें नयापन महसूस हो सके, उनका तनाव कम हो सके और वे अपना ध्यान बढ़ी हुई दक्षता और उत्पादकता के साथ पुनः केंद्रित कर सकें। मॉड्यूल को प्रायोगिक परियोजना के आधार पर जनवरी, 2020 में आरंभ किया गया था। इसकी सफलता के परिणामस्वरूप, एक एंड्रॉइड आधारित एप्लिकेशन 'वाई ब्रेक' को सभी के उपयोग के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया। सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे आयुष मंत्रालय की इस पहल से सभी हितधारकों को अवगत कराएं। [डी.ओ. नं. 14– 13/2018 (सीपीपी–II)]

दिनांक 31 अगस्त, 2021

शिक्षा मंत्रालय के निदेशों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एचईएल) में अध्ययनरत सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों (स्नातक स्तर से आगे से) के आंकड़े उपलब्ध कराएं, जिसमें पूर्व छात्रों का ब्योरा भी शामिल हों। (डी.ओ.नं.एफ.152–812)

दिनांक 02 सितंबर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने 30.06.2021 और 01.07.2021 को आयोजित स्थायी अपीलीय समिति की बैठक (एसएसी) के आधार पर जुलाई, 2021 (दिनांक नवंबर, 2021 को यथा संशोधित) से 2025–2026 (शिक्षा सत्र जनवरी, 2026 तक) के लिए मुक्त और दूरस्थ पद्धति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों सहित उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) की अतिरिक्त सूची अपलोड की।

आयोग ने 01 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी 551वीं बैठक में निर्णय लिया कि शिक्षा सत्र जुलाई 2021 को बदलकर नवंबर, 2021 कर दिया जाएगा, जिसमें असाधारण परिस्थितियों में नामांकन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2021 होगी। मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान जुलाई, 2021 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र (दिनांक नवंबर, 2021 को यथा संशोधित) से अपलोड की गई सूची के अनुसार मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। [एफ.नं.1–5/2021 (डीईबी–1)]

दिनांक 02 सितंबर, 2021

शोधार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचना जारी की कि एमफिल/पीएचडी शोध प्रबंध जमा करने के लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाई गई तिथि ऐसे सभी छात्रों पर भी लागू होगी, जिनकी एमफिल/पीएच.डी. शोध प्रबंध जमा करने की नियत तिथि दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले है। [डी. ओ.नं.1–10/2020 (सीपीपी–II)]

दिनांक 10 सितंबर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मूल वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर) संकाय अध्येतावृत्ति, एमआईडी कैरियर अवार्ड, स्टार्ट–अप अनुदान, डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्टडॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित, अनुशंसित और गैर–अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड की।

दिनांक 13 सितंबर, 2021

उच्चतर शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव पर लगाम लगाने के लिए, विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पृष्ठ विकसित करने और इसी उद्देश्य के लिए कुल सचिव/प्रधान कार्यालय में एक शिकायत पंजी रखने का अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी भी समुदाय या छात्रों की श्रेणी के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव में शामिल नहीं है। विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों/शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन कर सकता है। [डी.ओ. नं.एफ.1–7/2011 (एससीटी)]

दिनांक 13 सितम्बर, 2021

विअआ ने वर्ष 2021–22 के लिए ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (जीआईटीएएम), आंध्र प्रदेश को प्रतिबंधित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यह सूचित किया गया है कि गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (जीआईटीएएम), आंध्र प्रदेश ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 का पालन नहीं किया है तथा पिछले और वर्तमान नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए छात्रों को प्रवेश दिया है। इसलिए, आयोग ने दिनांक 01.07.2021 को आयोजित अपनी 551वीं बैठक में उच्चतर शिक्षा संस्थान को एक वर्ष के लिए ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम की पेशकश करने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। (फा. सं. 20–2/2020 (डीईबी–IV)]

दिनांक 14 सितम्बर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3 (ख) (क) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विअआ के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने विअआ की पूर्वानुमति के बिना पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अतिरिक्त सूची अपलोड की। (फा. सं. 1–14/2021(डीईबी–1) पीटी फाइल]

दिनांक 15 सितम्बर, 2021

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 'एप्लाइड मैथमेटिक्स' पाठ्यक्रम शुरू किया। यह विषय एक नियमित शैक्षणिक विषय है और इसमें पाठ्यक्रम विनिर्देश हैं जो अन्य प्रमुख विषयों के संगत हैं। इस विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रवेश के लिए पात्रता तय करने के लिए कुल अंकों की गणना के लिए शामिल किया जा सकता है।

विअआ ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचित किया कि मूल विज्ञान के अलावा मानविकी और वाणिज्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल अंकों की गणना करते समय अनुप्रयुक्त गणित को मूल गणित के बराबर माना जा सकता है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे डिग्री कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के उद्देश्य से इस नए विषय की मान्यता के लिए उचित कार्रवाई करें। (अ.शा. पत्र सं. 14–2/2013 (सीपीपी–II)]

दिनांक 15 सितम्बर, 2021

*विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को ''आजादी का अमृत महोत्सव'' उत्सव के लिए आधिकारिक 'लोगो' के बारे में सूचित किया, जो लिंक: **https://famritmahotsa'n.nic.in/dowrloads.htm** पर उपलब्ध है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से अनुरोध किया गया था कि वे वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आधिकारिक स्टेशनरी, विज्ञापनों और सभी आधिकारिक पत्राचार के माध्यम से ''आजादी का अमृत महोत्सव'' उत्सव के लिए इस 'लोगो' का व्यापक प्रचार करें। (अ. शा. प. सं. 14–4/2021 (सीपीपी–II)]*

दिनांक 20 सितम्बर, 2021

वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा के अनुरूप तथा नए स्नातकों को आवश्यक ज्ञान, दक्षता और दृष्टिकोण के साथ रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से, विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं ताकि सामान्य डिग्री कार्यक्रमों में प्रशिक्षुता/शिक्षुता को शामिल करने के लिए प्रशिक्षुता/शिक्षुता युक्त डिग्री कार्यक्रम की पेशकश की जा सके। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने परिसरों में प्रशिक्षुता/शिक्षुता वाले डिग्री कार्यक्रमों को बढ़ावा दें और विअआ के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा करें। (अ. शा. प. सं. 14–4/2021 (सीपीपी–II),

दिनांक 20 सितम्बर, 2021

पीएमएसएसएस छात्रों से प्राप्त शिकायतों को दूर करने के लिए, विअआ ने सभी संस्थानों, जहां पीएमएसएसएस के अंतर्गत अतिरिक्त कोटा प्रदान किया जाता है, से अनुरोध किया कि वे उन पीएमएसएसएस लाभार्थियों को अवश्य प्रवेश दें, जिन्हें एआईसीटीई द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आवंटन पत्र जारी किया गया है। यह भी अनुरोध किया गया था कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक शैक्षणिक शुल्क न लिया जाए। (फा. सं. 19–412020 (एसए– III)

दिनांक 22 सितम्बर, 2021

एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम (ईबीएसबी) से संबंधित एक गतिविधि ''देश में 100 चिह्नित पर्यटन स्थलों पर छात्रों की यात्रा'' है। विअआ ने 100 पर्यटन स्थलों की सूची साझा की और उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया कि वे ईबीएसबी के अंतर्गत अपने छात्रों को गंतव्यों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजें ताकि देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाया जा सके। (अ.शा. प. सं. 2–21/2021 (सीपीपी– II),

दिनांक 23 सितम्बर, 2021

विअआ ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचित किया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने दिनांक 26 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जिसका विषय है– ''स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष'': अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता (स्वतंत्र भारत के 75 वर्षः सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता'')। तदनुसार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने परिसरों में सतर्कता सप्ताह को उचित तरीके से मनाएं और सीवीसी परिपत्र में उल्लिखित कार्यक्रमों का संचालन करें। इसके अलावा, उन्हें पीआईडीपीआई (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण) के अंतर्गत शिकायतों के बारे में जागरूकता फैलाने और अभियान चलाने के लिए सीवीसी द्वारा तैयार किए गए दो पोस्टरों को प्रसारित और प्रदर्शित करना होगा। (अ.शा. पत्र सं. 30–57/2012 (सीवीओ)]

दिनांक 24 सितम्बर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों और आम लोगों को सूचित किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ प्लानिंग एंड मैने. जमेंट (आईआईपीएम), 13314, कुतुब एन्क्लेव, फेज–दो, नई दिल्ली– 110016 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (ड.) के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय नहीं है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 (3) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 593712010 (बी. महेश शर्मा बनाम संघ सरकार और अन्य) के मामले में 26 सितंबर, 2014 के अपने आदेश के माध्यम से आईआईपीएम को किसी भी डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने से भी रोक दिया है। (फा. सं. 2–19/2007 (एएमपीसी)

दिनांक 29 सितम्बर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एमफिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए शोध हेतु ''अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति'' (एमएएनएफ) प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों की पहचान करने हेतु चयन प्रक्रिया में किए गए संशोधन के बारे में सूचित किया। संशोधित चयन प्रक्रिया के अनुसार– 'छात्रों को अध्येतावृत्ति देने के लिए चयन प्रत्येक विअआ–नेट–जेआरएफ या सीएसआईआर–नेट–जेआरएफ

परीक्षाओं के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है और नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी। नेशनल परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने दिनांक 01 फरवरी, 2020 के अपनी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिन्हें विअआ–नेट जून 2020 परीक्षा के आधार पर एमएएनएफ देने के लिए पात्र पाया गया था। (फा. सं. 82–44/2020 (एसए–II)]

दिनांक 29 सितम्बर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए शोध हेतु ''अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति'' (एनएफओबीसी) के लिए अभ्यर्थियों की पहचान हेतु संशोधित दिशानिर्देश साझा किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चयन प्रक्रिया को संशोधित किया है और संशोधित दिशानिर्देश 01.04.2019 से, अर्थात् चयन वर्ष 2019–20 से प्रभावी होंगे। तदनुसार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अपने दिनांक 01.12.2020 के सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी जो विअआ–नेट जून, 2020 परीक्षा के आधार पर एनएफओबीसी प्रदान करने के लिए पात्र पाए गए थे। (फा. सं. 82–44/2020 (एसए–III)]

नवंबर, 2020 में आयोजित संयुक्त सीएसआईआर–विअआ–नेट–जून, 2020 परीक्षा के आधार पर केवल 135 अभ्यर्थियों को एनएफओबीसी प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है। अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी विअआ द्वारा साझा की गई थी। (फा. सं. 82–44/2020 (एसए–III]

दिनांक 29 सितम्बर, 2021

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एमफिल/पीएचडी की डिग्री प्रदान करने हेतु अनुसंधान के लिए ''अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति'' (एनएफएससी) के लिए अभ्यर्थियों की पहचान हेतु चयन प्रक्रिया में संशोधन किया था। संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से, अर्थात् चयन वर्ष 2020–21 और उसके बाद से प्रभावी थे। संशोधित चयन प्रक्रिया के अनुसार– 'अध्येतावृत्ति देने के लिए छात्रों का चयन प्रत्येक विअआ–नेट–जेआरएफ या सीएसआईआर–नेट–जेआरएफ परीक्षाओं की गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है और नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी। तदनुसार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अपने दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी जो विअआ–नेट जून, 2020 परीक्षा के आधार पर एनएफएससी देने के लिए पात्र पाए गए थे। एनटीए ने एनएफएससी–2020–21 (जून, 2020 चक्र) के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त चयनों के साथ दिनांक 19 मार्च, 2021 को एक अद्यतन परिणाम जारी किया। (फा. सं. 82–44/2020 (एसए–III)

दिनांक 07 अक्तूबर, 2021

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) 2021 के अवसर पर, विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया कि वे अक्तूबर, 2021 के माह में स्थानीय भाषाओं सहित विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों कार्यशालाओं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, पोस्टरों, पत्रकों और बैज के वितरण, साइबर सुरक्षा के सोशल मीडिया संवर्धन, साइबर जागरूकता वीडियो क्लिप, रेडियो वार्ता आदि का आयोजन करके साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करें। विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए साइबर सुरक्षा को और अधिक सुगम्य, उपलब्ध और अनुकूल बनाते हुए ''एचईआई के साइबर सुरक्षा सशक्तिकरण'' पर एक संवेदीकरण वेबिनार आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी साइबर स्थिति का आकलन करने के लिए ***https://uamp.ugc.ac.in/*** *पर उपलब्ध एक 'प्री–ईवेंट' प्रश्नावली भरें। (अ. शा. पत्र. सं. 1–5/2021(ई.गोव),*

दिनांक 08 अक्तूबर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से प्लास्टिक के उपयोग, विशेष रूप से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और प्लास्टिक कचरे का निपटान करने का अनुरोध किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं जिन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अपनाए जाने की आवश्यकता है। (अ.शा.पत्र सं.14–9/2021 (सीपीपी–II)

दिनांक 12 अक्तूबर, 2021

विअआ ने कोविड–19 महामारी के मद्देनजर सहायक आचार्यों की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में पीएचडी की प्रयोज्यता की तिथि 01.07.2021 से बढ़ाकर 01.07.2023 कर दी है। तदनुसार, विअआ (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के बनाए रखने के लिए अन्य उपाय) संशोधन विनियम, 2021 को दिनांक 11.10.2021 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। (फा. सं. 9–1/2010 (पीएस/विविध) पीटी. खंड–II)

दिनांक 13 अक्तूबर, 2021

विअआ ने सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग से बचने और अपनी की–गई–कार्रवाई रिपोर्ट साझा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आयोजित करने का अनुरोध किया। (अ.शा. पत्र सं. 14–9/2021 (सीपीपी–II)

दिनांक 18 अक्तूबर, 2021

डीओपीटी में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर पदों के संवर्ग भर्ती नियम तैयार करने के संबंध में विअआ के पिछली सूचना को जारी रखते हुए, विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निम्नलिखित शर्तों के साथ शिक्षकेत्तर पदों के संवर्ग भर्ती नियम तैयार करने का निदेश दिया: अध्यादेश के एक भाग के रूप में शिक्षकेत्तर पदों के सीआरआर को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। रोस्टर सख्ती से तैयार किया गया है। शिक्षकेत्तर पदों को भरा जा सकता है यदि शिक्षण और शिक्षकेत्तर कर्मचारी अनुपात 1:1.1 से कम है; परिवहन, स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित कार्य को नियमित कर्मचारियों को सौंपने के बजाय किसी निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा। (फा. 8–1/2014 (सीयू),

दिनांक 21 अक्तूबर, 2021

शिक्षा मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में निर्देशन, संपादन, सिनेमैटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, अभिनय, पार्श्व गायन, प्रोडक्शन डिजाइन और पटकथा लेखन जैसी फिल्म निर्माण की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 75 युवा रचनात्मक लोगों का चयन करने के लिए एक कार्यक्रम के प्रस्ताव के संबंध में एक पत्र जारी किया। विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ जानकारी साझा की और उनसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने संबंधित संस्थानों में युवा और रचनात्मक उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया। चयनित आवेदकों को गोवा में दिनांक 20 से 28 नवम्बर, 2021 तक निर्धारित बहुमूल्य 'मास्टर' कक्षाओं/'इन–कन्वर्सेशन' सत्रों सहित 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) की सभी प्रमुख गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। (अ.शा. पत्र सं. 14–4/2021 (सीपीपी– I)

दिनांक 22 अक्तूबर, 2021

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आईईपीएफए–एनईवीएसए– निवेशक एवम् वित्तीय साक्षरता अभियान नामक एक अभियान आयोजित करने की संभावना का पता लगाया। इसमें तीन माह का अभियान शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया कि वे इस अभियान की सफलता के लिए इसमें भाग लें। इस अभियान का उद्देश्य निवेशक जागरूकता संदेशों को फैलाने के लिए छात्र समुदाय का उपयोग करना था। (अ.शा. पत्र सख्या. 21–82/2021 (सीपीपी–II)

दिनांक 27 अक्तूबर, 2021

विअआ के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3 (ख) (क) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विअआ की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करने के हकदार उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अतिरिक्त सूची अपलोड की। (फा. सं. 1–14/2021 (डीईबी– I) पीटी फाइल)

दिनांक 27 अक्तूबर, 2021

अपने हितधारकों के अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में विअआ की पहल के भाग के रूप में, विअआ ने छात्रों के लिए ऑनलाइन रैगिंग विरोधी हलफनामा दाखिल करने की प्रक्रिया को संशोधित किया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे संस्थानों की वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों जैसे दाखिला केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास और सामान्य सुविधाओं आदि पर 'एंटी रैगिंग के नोडल अधिकारी' का ईमेल पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करें ताकि छात्रों में ऑनलाइन रैगिंग विरोधी हलफनामा दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मुद्रित/हार्ड कॉपी की बजाय दाखिला लेने वाले छात्रों को रैगिंग के मामले में मार्गदर्शन पर विवरण देते हुए ई–प्रवेश पुस्तिका या ब्रोशर, ई–पत्रक तैयार करना होगा। (अ.शा. पत्र सं. 3–2/2021 (एआरसी)

दिनांक 28 अक्तूबर, 2021

दिनांक 31 अक्तूबर, 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए विअआ ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का अनुरोध किया। यह अवसर हमें अपने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने के लिए हमारे राष्ट्र की अंतर्निहित ताकत और लचीलापन की पुनर्पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। (अ.शा. पत्र सं. स1–25/2018 (सीपीपी– II)

दिनांक 01 नवम्बर, 2021

विअआ ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया कि वे ''संविधान को तैयार' किया जाना' पर ई–प्रदर्शनी में छात्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, जिसका उद्घाटन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने दिनांक 27 अगस्त, 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के भाग के रूप में किया था।

दिनांक 01 नवम्बर, 2021

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों/घटनाओं जिनसे लोग कम परिचित हैं, पर संगोष्ठियों का आयोजन करें। (अ.शा. पत्र संख्या 14–4/2021 (सीपीपी– II)

दिनांक 01 नवम्बर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) के नए अध्यक्ष के चयन के लिए नामांकित व्यक्तियों के जीवनपृत के साथ नामांकन आमंत्रित करना (फा. सं.7–2/2021–यू1ए)]

दिनांक 02 नवम्बर, 2021

*सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया गया कि वे भारतीय भाषाओं में मौजूदा साहित्य का अनुवाद करने के लिए समय सीमा के साथ एक योजना तैयार करें ताकि छात्रों को अपनी मातृभाषा में सीखने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण सोच विकसित करने और अन्य चीजों के बीच ज्ञान प्रणाली की बेहतर समझ बनाने में मदद मिलेगी। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे विअआ **https://uamp.ugc.ac.in/** के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर समय सीमा के साथ कार्य योजना का विवरण साझा करें। (अ.शा.पत्र सं. 1–9/2021 (क्यूआईपी)]*

दिनांक 08 नवम्बर, 2021

*उच्चतर शिक्षा संस्थानों और हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे **https//www.ugc.ac.in/UGC-Regulations.aspx** पर उपलब्ध विअआ के सभी विनियमों का अध्ययन करें और यदि कोई अनावश्यक अनुपालन हैं, उनकी पहचान करें। (फा. सं. 1–3/2021 (ई–गवर्नेंस)]*

दिनांक 11 नवम्बर, 2021

विअआ के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3 (ख) (क) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विअआ की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करने के पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अतिरिक्त सूची अपलोड की। (फा. सं. 13–1/2021 (डीईबी– I)

दिनांक 17 नवम्बर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया कि वे साइबर अपराध की रोकथाम में छात्रों की जन जागरूकता की पहल का भाग बनने के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, परस्पर बातचीत वाले सत्रों, रचनात्मक सत्रों जैसे पोस्टर मेकिंग/स्लोगन लेखन/लघु कथाओं आदि का आयोजन करें। विअआ ने 'साइबर जागरूकता दिवस' पर लेख के साथ सुझाए गए विषयों की सूची भी साझा की। [अ.शा. पत्र सं. 14–7/2009 (सीपीपी– II) पीटी]

दिनांक 18 नवम्बर, 2021

विअआ ने सूचित किया कि 'स्वयं' प्लेटफॉर्म के लिए मल्टीमीडिया 'वेंडरों' के पैनल में शामिल होने के लिए तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोली दिनांक 23.11.2021 को दोपहर 2:30 बजे शुरू की जाएगी। इच्छुक पात्र बोलीदाताओं से अनुरोध किया गया कि वे इसमें भाग लें। (फा. सं. 1–9/2020 (स्वयं)

दिनांक 18 नवम्बर, 2021

एनईपी 2020 को लागू किए जाने के एक वर्ष पूरा होने पर, विअआ ने एनईपी 2020 कार्यान्वयन के लिए की गई पहल को साझा किया। पिछले एक वर्ष में की गई पहल निम्नानुसार हैं:–

- *लचीलेपन को बढ़ावा देने और छात्र गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर विनियम;*
- *उच्चतर शिक्षा संस्थानों के शैक्षिक कार्यक्रमों में बहु– प्रवेश और निकास संबंधी दिशानिर्देश;*
- *प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप वाले डिग्री कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश;*
- *रोजगार परकता बढ़ाने हेतु व्यावसायिक शिक्षा को सुकर बनाने के लिए सम विश्वविद्यालय के विनियमों में संशोधन;*
- *जीईआर तक पहुंच का विस्तार करने और बढ़ाने के लिए ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा संबंधी विनियम;*
- *क्रेडिट की मान्यता और एकीकरण हेतु स्वयं, 2021 के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क संबंधी विनियम– क्रेडिट सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना।*
- *उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश*
- *अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय की स्थापना – विदेशी छात्रों के लिए 'वन स्टॉप' संपर्क*
- *पूर्व छात्र (विदेशी मूल के और विदेशों में रहने वाले भारतीयों) का पूर्व छात्रों के साथ जुड़ने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व छात्र संपर्क (अ.शा. पत्र सं. 1–4/2021 (क्यूआईपी)*

दिनांक 22 नवम्बर, 2021

*आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, संस्कृति मंत्रालय देशभक्ति गीत लेखन, रंगोली बनाना और लोरी लेखन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। इस पहल की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2021 को मन की बात में की थी। इच्छुक प्रतिभागी **https://amritmahotsav.nic.in/competitions.htm** पर लॉग इन कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध है कि वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने संबंधित संस्थानों में छात्रों को प्रोत्साहित करें। (अ.शा. पत्र सं. 1–1/2021 (सचिव)*

दिनांक 30 नवम्बर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में लाया गया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एनसीसी कैडेट प्रत्येक वर्ष नवम्बर/दिसम्बर के दौरान गणतंत्र दिवस शिविर की तैयारी/प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होते हैं और उनके द्वारा प्रदान की गई निःस्वार्थ सेवाओं के लिए समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जिसके कारण वे अपनी सेमेस्टर कक्षाओं से चूक जाते हैं। इसे देखते हुए, विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों से एनसीसी कैडेटों के लिए अलग–अलग तिथियों पर विशेष परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया। पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के रूप में नहीं। (अ.शा. पत्र सं. 14–10/2016 (सीपीपी– II)

दिनांक 02 दिसम्बर, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए हर वर्ष 07 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। तदनुसार, सभी विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से ईएसएम और उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए एएफएफडीएफ में योगदान करने और उनके लिए एक स्थायी सहायता प्रणाली बनाए रखने का अनुरोध किया गया। (अ.शा. पत्र सं. 14–8/2016(सीपीपी– II)

दिनांक 02 दिसम्बर, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 1972 से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता रहा है। दिनांक 8–16 जनवरी 2022 तक प्रगति मैदान के नए हॉल में आयोजित होने वाले अपने अगले मेले में यह मेला 50 वर्ष पूरा करेगा। 2022 संस्करण का विषय आजादी का अमृत महोत्सव पर केंद्रित है ताकि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया जा सके और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के संघर्षों और योगदान को भी सामने लाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसे ऐतिहासिक शैक्षिक सुधार के रूप में सराहा गया है। (अ.शा. पत्र सं. 2–8/2021(सीपीपी– II)

दिनांक 06 दिसम्बर, 2021

*आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिकों को सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों में 3.75 लाख ''सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)'' (**www.csc.gov.in**) की स्थापना को सक्षम बनाया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कम से कम एक (1) सीएससी स्थापित करना और एकीकृत आईसीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सक्षम ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना है।*

वर्तमान में, यह सीएससी देशभर में अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देशभर के कुछ विश्वविद्यालयों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और प्रवेश फॉर्म भरने, प्रमाणपत्र अनुरोध, शुल्क भुगतान, प्रवेश पत्र डाउनलोड और विभिन्न पाठ्यक्रमों की तैयारी, ऑनलाइन प्रवेश प्रबंधन प्रणाली आदि जैसी अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के एकीकरण के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी आईसीटी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित राज्य में सीएससी एसपीओसी से संपर्क करें। (अ.शा. पत्र सं. 1.29/2021(ई.गॉव)

दिनांक 07 दिसम्बर, 2021

*आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि एनईपी–2020 में वैश्विक नागरिकता और वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) की अवधारणा को दिए गए महत्व को देखते हुए, विअआ ने ''उच्चतर शिक्षा संबंधी वैश्विक नागरिकता का शैक्षिक ढांचा'' विकसित किया है जो इस बात पर वैचारिक स्पष्टता प्रदान करेगा कि उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षण, शिक्षाशास्त्र और अनुसंधान के माध्यम से छात्रों के बीच वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को कैसे एकीकृत कर सकते हैं। यह ढांचा वैश्विक नागरिक बनने के लिए छात्रों द्वारा आवश्यक अपेक्षाओं, ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रणाली आदि पर जानकारी भी प्रदान करता है। जीसीईडी फ्रेमवर्क, विअआ की वेबसाइट (**https://www.ugc.ac.in/ebook.aspx**) पर ई–बुक के रूप में*

उपलब्ध है। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जीसीईडी ढांचे को अपनाने और अपने शिक्षार्थियों के बीच वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को एकीकृत करने का परामर्श दिया गया है। (फा सं. 1–7/2021 (क्यूआईपी)

दिनांक 13 दिसम्बर, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष (''आजादी का अमृत महोत्सव'') को मनाने के लिए, अनुमोदित विषयों में से एक, यथा 'भारत की नदियों का महोत्सव' है, जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 15.12.2021 से 25.12.2021 तक जन भागीदारी के माध्यम से अधिकतम सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को अपनी–अपनी राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यकलापों में भाग लेना अपेक्षित था। (फा. सं. 14–2/2021 (सीपीपी– II)

दिनांक 14 दिसम्बर, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि विअआ ने विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पी0एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में प्रावधान किया है कि महिला अभ्यर्थी को एमफिल/पीएचडी की पूरी अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से अनुरोध किया गया था कि वे अपने–अपने संस्थानों/संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकित महिला विद्यार्थियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने के संबंध में उपयुक्त नियम/मानदण्ड तैयार करें और अवर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाली महिला विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति, परीक्षा फार्म जमा करने की तिथि में विस्तार अथवा कोई अन्य सुविधा प्रदान करने से संबंधित सभी छूट/रियायत प्रदान करें। (फा. सं. 21–116/2021 (सीपीपी– II)

दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि गुजरात सरकार ने गांधीनगर में दिनांक 10, 11 और 12 जनवरी, 2022 को दसवें 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' का आयोजन किया है। शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय ''आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक''है। शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में, दिनांक 05 और 06 जनवरी, 2022 को विज्ञान भवन, साइंस सिटी, अहमदाबाद में अकादमिक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी इच्छुक उच्चतर शिक्षण संस्थानों से उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध किया। (डी. सं एफ. 152–5/2021 (आईसी),

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि एमईआईटीवाई ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में ई–साइन सेवा पहल 'ई–हस्ताक्षर' शुरू की है, जिसे सी–डैक पुणे द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 'ई–हस्ताक्षर' कागज रहित शासन व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विजन को प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक दृष्टिकोण है। अनावश्यक कागजी कार्रवाई को एंड–टू–एंड डिजिटल समाधान के साथ बदलने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सेवा को अपनाने और व्यापक उपयोग की आवश्यकता है। विअआ ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 'ई–हस्ताक्षर' की ई–साइन सेवाओं को अपनाने का अनुरोध किया। (फा. सं. 1–31/2021 (ई–गोव)]

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे शोधगंगा में छात्र के पूर्ण पाठ पीएचडी शोध प्रबंध को अपलोड करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। वर्ष 2019, 2020 और 2021 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त छात्रों की संख्या संबंधी डेटा एनबीए द्वारा भारत रैंकिंग 2023 के लिए शोधगंगा रिपॉजिटरी से लिया जाएगा। (फा. सं. 2–10/2021 (सीपीपी–II)

दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने सरकार (इसकी कार्यान्वयन एजेंसी एआईसीटीई के माध्यम से) और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सरकारी–निजी भागीदारी मॉडल के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गठबंधन (एनईएटी) की घोषणा की है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद छात्रों के कौशल, कौशल विकास और उनके रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अनुकूलित अधिगम के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का उपयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकीय उत्पाद लाने के लिए एनईएटी योजना कार्यान्वित कर रही है। एनईएटी योजना में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित छात्रों से उच्चतर शिक्षा के मौजूदा छात्रों के लिए मुफ्त कूपन भी शामिल हैं। एआईसीटीई छात्रों को अग्रिम मुफ्त कूपन वितरित करने के लिए काम कर रहा है।

सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे सभी छात्रों के बीच निम्नलिखित जानकारी पहुंचाएं। (अ.शा.प.सं. 2–13/2021 (सीपीपी– II)

दिनांक 08 जनवरी, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, प्रतिष्ठित महिलाओं, संगठनों और संस्थानों को 'नारी शक्ति पुरस्कार' नामक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करके हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च, 2022 मनाया जाएगा और नारी शक्ति पुरस्कार, 2021 प्रदान किया जाएगा।

सभी विश्वविद्यालयों और उनके संघटक/संबद्ध महाविद्यालयों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से पुरस्कारों का व्यापक प्रचार करें। (फा. सं. 2–2/2022 (सीपीपी– II)

दिनांक 12 जनवरी, 2022

*आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि आयोग ने शिक्षा मंत्रालय की सहमति से 28 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र में "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021" अधिसूचित किया था। यह महसूस किया गया कि विनियम 1 के उप–विनियम (2) के मानदंडों को पूरा करने वाले विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों तथा अपने नैक अथवा एनआईआरएफ रैंकिंग के निरपेक्ष भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और संसद के एक अधिनियम द्वारा विशेषरूप से डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में भाग लेने और पंजीकरण करने में सक्षम होना चाहिए। इस संबंध में, इन संशोधनों को दिनांक 28 दिसंबर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और यह विअआ की वेबसाइट **www.ugc.ac.in** पर उपलब्ध है।*

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सलाह दी गई कि वे एबीसी प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाएं और अपने छात्रों को अकादमिक बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करें। (अ.शा. पत्र सं. 14–31/2018 (सीपीपी– II)

दिनांक 13 जनवरी, 2022

विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचित किया कि इस वर्ष स्वतंत्रता का 75वां वर्ष होने के नाते गणतंत्र दिवस 'आजादी का अमृत महोत्सव' के व्यापक दायरे में मनाया जा रहा है। इस संबंध में, रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आगामी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं और उनके संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे आगामी गणतंत्र दिवस मनाने के दौरान और उसके बाद पूरे देश में सर्वोत्तम पद्धतियों को अंतर्निविष्ट करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एसओपी का पालन करें। (डी. सं.2–4/2022 (सीपीपी–II)

दिनांक 13 जनवरी, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि आयुष मंत्रालय 2001 से आरोग्य मेले का आयोजन कर रहा है और यह मेला आयुष क्षेत्र में नवीनतम रुझानों के प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और हितधारकों को लाभान्वित करने में एक बड़ी सफलता रही है। विगत में विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर इनका आयोजन किया गया है।

इन मेलों की प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर, आयुष मंत्रालय दिनांक 26 जनवरी, 2022 को तिरंगे के सामने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार आयोजित करने के लिए आयुष 'लोगो' के साथ राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन (एनवाईएसएफ) की सहायता कर रहा है।

सभी विश्वविद्यालयों और उनके संघटक/संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे इस आयोजन में भाग लें और छात्रों, संकाय और कर्मचारियों के बीच इस आयोजन के बारे में व्यापक प्रचार और जानकारी का प्रसार करें। (फा.सं. 2–5/2022 (सीपीपी– II)

दिनांक 16 जनवरी, 2022

सार्वजनिक सूचना– विअआ ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची साझा की है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 और इसके संशोधन के अनुसार ओडीएल और/या ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए विअआ द्वारा मान्यता प्राप्त/घोषित हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त/पात्र कार्यक्रमों का ब्यौरा ***https://deb.ugc.ac.in*** *पर उपलब्ध है।*

विनियमों में अधिदेशित है कि ये उच्चतर शिक्षा संस्थान किसी भी 'फ्रेंचाइजी' व्यवस्था के अंतर्गत ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश नहीं करेंगे और उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं।

तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में यह आया है कि कुछ एडटेक कंपनियां समाचार पत्रों/सोशल मीडिया/टेलीविजन आदि में विज्ञापन दे रही हैं कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त/हकदार कुछ विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से ओडीएल/ऑनलाइन पद्धति में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान कर रही हैं।

इस तरह की फ्रेंचाइजी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है और चूककर्ता एडटेक कंपनियों के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों के खिलाफ लागू कानूनों/नियमों/विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

सभी छात्रों को सलाह दी गई थी कि वे किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से पहले विअआ (डीईबी) वेबसाइट पर कार्यक्रमों की मान्यता/पात्रता की स्थिति की जांच करें। (फा.सं. 4–1/2022 (डीईबी– I)

दिनांक 20 जनवरी, 2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परामर्श दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों को ब्रेल प्रिंट पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, स्पर्श पुस्तकें, श्रव्य पुस्तकें और ऐसे अन्य सहायक उपकरणों जैसे उपयुक्त शैक्षिक संसाधनों को विकसित करना/अपनाना चाहिए जो पाठ्यक्रम तक समान पहुंच के लिए दृष्टिहीन छात्रों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करे। जहां तक संभव हो, ऐसे शैक्षिक संसाधनों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना चाहिए और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (अ.शा.पत्र सं. 2–3/2022 (सीपीपी– II)

दिनांक 28 जनवरी, 2022

सार्वजनिक सूचना– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) के महत्व को मान्यता देती है और सिफारिश करती है कि प्रत्येक संस्थान एक कार्यनीतिक संस्थागत विकास योजना बनाएगा जिसके आधार पर संस्थान पहल विकसित करेंगे, उनकी प्रगति का आकलन करेंगे और उसमें निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। यह सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया है। हितधारकों से मसौदा दिशानिर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया था। (फा. सं. 1–14/2021(एनईपी/आईडीपी)

दिनांक 02 फरवरी, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के विद्यांजलि (उच्चतर शिक्षा) कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयंसेवा के माध्यम से छात्रों, संकायों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के समर्थन को मजबूत करना है। यह पहल उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न स्वयंसेवकों, अर्थात् युवा पेशेवरों, सेवानिवृत्त/कार्यरत शिक्षकों, सेवानिवृत्त/कार्यरत सरकारी अधिकारियों, पेशेवरों, यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर के छात्रों, कॉर्पोरेट्स और कई अन्य लोगों के साथ छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों को अकादमिक और अन्य सहायता प्रदान करने की दिशा में जोड़ेगी।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विद्यांजली उच्चतर शिक्षा पोर्टल पर पंजीकरण करके इस पहल का भाग बनने का परामर्श गया था। (फा. सं. 1–1/2022 (सचिव)

दिनांक 04 फरवरी, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि तम्बाकू नियंत्रण भारत सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पत्र जारी करता रहा है कि वे युवाओं के बीच तम्बाकू के उपयोग को रोकने और निवारण सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 में युवाओं में तम्बाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं, जैसे उच्चतर शिक्षा सं. स्थानों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध और किसी भी शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री का निषेध।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं जिनमें तम्बाकू नियंत्रण के उपाय और तम्बाकू उपभोग मुक्त वातावरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थानों की भूमिका और जिम्मेदारियां शामिल हैं। ये दिशानिर्देश ***https://ntcp.nhp.gov.in/assests/document/TEFI&Guidelines.pdf*** *पर उपलब्ध हैं।*

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्श दिया गया था कि वे तम्बाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उचित कार्रवाई/उपाय करें जिससे शैक्षिक संस्थानों में एक स्वस्थ और तंबाकू मुक्त परिवेश तैयार करने के लक्ष्य को साकार किया जा सके। (फा. सं..21–129/2021 (सीपीपी– II)

दिनांक 04 फरवरी, 2022

सार्वजनिक सूचना: विअआ ने सूचित किया कि जुलाई, 2021 सेमेस्टर के लिए 'स्वयं' परीक्षा 21 और 22 फरवरी 2022 के लिए पुनर्निर्धारित है। 'प्रार्क्टड' परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा पूरे देश में निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

विअआ ने हितधारकों से पाठ्यक्रम वार परीक्षा अनुसूची के लिए एनटीए का दौरा करने और नवीनतम अपडेट के लिए ***https://nta-ac-in/vkSjswayam.nta.ac.in/*** *पर एनटीए पर जाने का अनुरोध किया। (फा. सं. 1–8/2017 (स्वयम् बोर्ड)*

दिनांक 04 फरवरी, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि यूनेस्को ने सभी की मातृभाषा के प्रसार को बढ़ावा देने एवं विश्वभर में भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं और विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच एकजुटता को प्रेरित करने के लिए दिनांक 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया है। भारत में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष इस तिथि को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्श दिया गया कि वे आवश्यक कोविड नयाचार का पालन करते हुए भाषण, वाद–विवाद, गायन, निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं, संगीत और नाटकीय प्रदर्शन, प्रदर्शनियों आदि जैसी गतिविधियों का आयोजन करके और इस अवसर के अनुकूल किसी भी अन्य तरीके से इस अवसर के अनुरूप मातृभाषा दिवस मनाएं। (अ. शा. पत्र संख्या 14–5/2018 (सीपीपी– II)

दिनांक 11 फरवरी, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि देश में कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद से, विअआ महामारी से प्रभावित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रहा है और कोविड–19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के मद्देनजर परीक्षाओं के संचालन के लिए शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षाओं, संस्थानों को फिर से खोलने, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के संबंध में समय–समय पर उचित दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने अ.शा. पत्र संख्या एमओएचएफडब्ल्यू/कोविड19/एडु.इंस्टा–2021 दिनांक 10.12.2021 के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में हर समय और सभी स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

अपने संबंधित क्षेत्र में कोविड–19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उच्चतर शिक्षा संस्थान परिसर खोल सकते हैं; को. विड उपयुक्त व्यवहार और समय–समय पर केंद्र/राज्य सरकारों या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी आवश्यक नयाचार/दिशानिर्देश/सलाह का पालन करते हुए ऑफलाइन/ऑनलाइन/मश्रित पद्धति में कक्षाएं और परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। (फा. सं. 14–8/2020 (सीपीपी–II)

दिनांक 16 फरवरी, 2022

प्रेस विज्ञप्तिः विअआ ने सूचित किया कि कोविड–19 महामारी के कारण दिसंबर, 2020 का विअआ–नेट आयोजित नहीं किया जा सका। नतीजतन, दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिलों की विअआ–नेट चक्रीय परीक्षाओं को 20 नवंबर, 2021 और 05 जनवरी, 2022 के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा एक साथ आयोजित की गईं

विअआ–नेट देश के 239 शहरों में फैले 837 केंद्रों में 81 विषयों में आयोजित किया गया था और 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने विअआ–नेट परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था। परीक्षा परिणामों की प्रक्रिया चल रही है। विअआ के अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने कहा कि विअआ एनटीए के साथ मिलकर काम कर रहा है और एक या दो दिन में विअआ–नेट के परिणाम घोषित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी।

दिनांक 18 फरवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि वे बजट घोषणाओं के कुशल और त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शिक्षा और उद्योग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।

*शिक्षा और कौशल क्षेत्र के लिए वेबिनार दिनांक 21 फरवरी, 2022 के लिए निर्धारित किया गया था। सुबह 10:00 बजे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किए जाने वाले एक पूर्ण सत्र को **https://pmindiawebcast/nic.in** में लाइव वेबकास्ट भी किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सात चिन्हित उप विषयों पर सात समानांतर 'ब्रेक–अवे' सत्र होंगे और एक समापन सत्र होगा जहां प्रत्येक उप समूह द्वारा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक चर्चा का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा।*

उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे यूट्यूब/वेबकास्ट लिंक के माध्यम से वेबिनार में भाग लेने के साथ संबंधित विवरणों को संकायों, छात्रों और अन्य हितधारकों के साथ साझा करें। (फा. सं. 1–6/2022 (ई.गोव)

दिनांक 23 फरवरी, 2022

सार्वजनिक सूचनाः भारत सरकार ने सभी गतिविधियों में निशक्त व्यक्तियों की समान भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करने के लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया। विविध पृष्ठभूमि वाले निशक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यकता को पहचानना, समायोजित करना और पूरा करना, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वे ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जो विविध सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले निशक्त व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से रहने और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अपने शैक्षिक शुल्क के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाए।

सभी संभव तरीकों से उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता करने की दृष्टि से ताकि निशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की उच्चतर शिक्षा तक आसान पहुंच हो सके, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं और

विश्वविद्यालयों के लिए व्यापक अभिगम्यता दिशानिर्देश और मानकों का मसौदा तैयार किया है। (फा. सं. एफ. 6–1/2021 (एससीटी)

दिनांक 23 फरवरी, 2022

आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, आईकेएस प्रभाग, एआईसीटीई और संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है: धारा जो दिनांक 25 फरवरी, 2022 को सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित होने वाली सम्मेलन श्रृंखला के भाग के रूप में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के स्रोत का पहला सम्मेलन है।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पद्म भूषण प्राप्त और फील्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर मंजुल भार्गव थे। जो विश्व के सबसे अग्रणी गणितज्ञों में से एक हैं। अन्य वक्ता प्रख्यात गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित में भारतीय योगदान पर शोध करने में अपना जीवन बिताया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ लाइव वेबकास्ट विवरण साझा करें। (फा.सं. 1–8/2022 (ई–गॉव)

दिनांक 24 फरवरी, 2022

आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को वर्ष 2030 तक देश को आपदाओं के प्रति अधिक सुरक्षित और लचीला बनाने के भारत के माननीय प्रधानमंत्री के वादे को पूरा करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सूचित किया। (अ.शा. पत्र सं. 2–9/2022 (सीपीपी– II)

दिनांक 24 फरवरी, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 के अवसर पर रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रत्येक वोट के महत्व को दोहराने के लिए एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता 'मेरा वोट मेरा भविष्य–एक वोट की शक्ति' शुरू की है। भारत निर्वाचन आयोग के एसवीईईपी (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) कार्यक्रम द्वारा यह प्रतियोगिता लोगों की प्रतिभा और रचनात्मकता का दोहन करती है और उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को भी सुदृढ़ करती है।

पांच प्रतियोगिताएं– प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता, पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता और नारा प्रतियोगिता 25 जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक निर्धारित की गई थी। (अ.शा. पत्र सं. 2–8/2022 (सीपीपी–II),

दिनांक 24 फरवरी, 2022

सार्वजनिक सूचना: संचार, सहयोग, टीम वर्क और लचीलापन जैसे जीवन कौशल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी–2020) के मौलिक सिद्धांतों में से एक हैं, जो व्यक्तिगत संस्थानों सहित बड़े पैमाने पर दोनों शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करते हैं। 2018 में, विअआ ने स्नातक छात्रों को 'सॉफ्ट स्किल' प्रदान करने के लिए अपनी गुणवत्ता जनादेश पहल के अंतर्गत ''जीवन कौशल पर पाठ्यक्रम (जीवन कौशल) विकसित किया। इस पाठ्यक्रम को इसके प्रभावी कार्यान्व्यन हेतु जीवन कौशल संबंधी सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया है।

शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और संबंधित क्षेत्र में शामिल लोगों सहित हितधारकों से विचार/सुझाव मांगने के लिए विअआ की वेबसाइट पर ''जीवन कौशल पर मसौदा पाठ्यक्रम (जीवन कौशल) 2.0'' और ''जीवन कौशल पा. ठ्यक्रम (जीवन कौशल)'' के लिए मसौदा सुविधा प्रदाता दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए थे। (फा. सं. 6–2/2018 (क्यूआईपी),

दिनांक 28 फरवरी, 2022

*उन्नत भारत अभियान (यूबीए 2.0) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सक्रिय भागीदारी और ज्ञान संस्थानों के पाठ्यक्रम और अनुसंधान एवं विकास डिजाइन के पुनर्गठन द्वारा ग्रामीण विकास में परिवर्तनकारी बदलाव लाना है। विअआ ने यूबीए 2.0 के भाग के रूप में पाठ्यचर्या सुधार और शैक्षिक संस्थान सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी एक विषय विशेषज्ञ समूह (विअआ–एसईजी) के रूप में 2020 में ''भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थान में सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक जुड़ाव'' को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा और दिशानिर्देश तैयार किए (**https://www.ugc.ac.in/e&book/UBA/Mobile/index-html**), जो विअआ के गुणवत्ता अधिदेश यानी प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए सामाजिक और उद्योग जुड़ाव के कार्यक्षेत्र में से एक है। इस पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के आलोक में संशोधित किया गया है।*

संशोधित मसौदा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा और भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने संबंधी दिशानिर्देश 2.0 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था ताकि शिक्षकों, शोधकर्ताओं और संबंधित क्षेत्रों में शामिल लोगों से विचार/सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। (अ. शा.पत्र सं. 1–4/2018 (यूबीए)

दिनांक 28 फरवरी, 2022

सार्वजनिक सूचनाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, 2035 तक 50 प्रतिशत के जीई. आर होने और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विअआ ने सरलीकृत मान्यता प्रणाली और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए मौजूदा ओडीएल और ऑनलाइन विनियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आयोग ने 12 फरवरी, 2022 को हुई अपनी 555वीं बैठक में समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विअआ की वेबसाइट ***https://deb.ugc.ac.in*** *पर संशोधनों का मसौदा उपलब्ध कराया गया। (फा. सं. 1–38/2021 (डीईबी– I)*

दिनांक 02 मार्च, 2022

सार्वजनिक सूचनाः विअआ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चयन वर्ष 2021–22 के लिए दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन अध्येतावृत्ति (एनएफपीडब्ल्यूडी) के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। (फा. सं. 6–2/2021 (एसए– III)

दिनांक 04 मार्च, 2022

सार्वजनिक सूचनाः राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी), 2020 का मुख्य जोर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े बहु–विषयक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के समूह/ज्ञान केंद्र में बदलकर उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने बहु–विषयक संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था।

"उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बदलने के लिए मसौदा दिशानिर्देश विअआ की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया ताकि शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और संबंधित क्षेत्र में शामिल लोगों सहित हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें। (फा. सं. 1–5/2021 (क्यूआईपी)

दिनांक 25 मार्च, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार ने जल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए एक जन आंदोलन में जागरूकता पैदा करने और सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए जल शक्ति अभियान लागू किया है। जीवन और आजीविका की रक्षा हेतु हमारे देश के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल संरक्षण और पुनर्भरण अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा जल शक्ति मंत्रालय ने ''जल शक्ति अभियानः कैच द रेन–2022'' के कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिया है। यह अभियान मार्च के अंत से दिनांक 30 नवम्बर, .2022 तक 'कैच द रेन, ह्वेयर इट फॉल्स, ह्वेन इट फॉल्स' विषय के साथ लागू किया जाना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने भवनों

और परिसरों में जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए की गई कार्रवाई और जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के संबंध में नवीनतम स्थिति बताएं। (अ.शा. पत्र सं. 2–19/2022 (सीपीपी–II)

दिनांक 25 मार्च, 2022

सार्वजनिक सूचनाः विअआ के संज्ञान में आया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है और विअआ के अनुमोदन के बिना मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दे रहा है, जो विअआ (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 और समय–समय पर इसके संशोधनों तथा विअआ (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अंतर्गत निर्धारित सभी शर्तों का घोर उल्लंघन है।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय को अकादमिक केवल वर्ष 2014+15 तक ओडीएल पद्धति में किसी भी कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए मान्यता दी गई थी और ओडीएल पद्धति के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए इसे कोई आगे मान्यता नहीं दी गई है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा प्रदान किए गए ओडीएल कार्यक्रम अमान्य हैं और विश्वविद्यालय इससे उत्पन्न होने वाले छात्रों के कैरियर परिणामों, यदि कोई हों, के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

इसलिए, आम जनता, छात्रों और अन्य हितधारकों को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से चेतावनी दी जाती है कि वे अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा ओडीएल पद्धति के माध्यम से पेश किए गए किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश न लें। विअआ द्वारा कार्यक्रमों की मान्यता के अभाव को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों में प्रवेश लेने से छात्रों का कॅरियर खतरे में पड़ सकता है। (फा. सं. 1–2/2015 (डीईबी– III)

दिनांक 27 मार्च, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 13 भारतीय भाषाओं में सभी विअआ वित्तपोषित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2022–23 से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (सीयूईटी) के बारे में सूचित किया।

देश के कई राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान (उच्चतर शिक्षा संस्थान) भी विअआ कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड के अंकों का उपयोग करते हैं या प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। छात्रों को अलग–अलग तिथियों पर आयोजित अनेक प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने, कभी–कभी एक ही समय में कई परीक्षाओं के होने से बचाने के लिए, और विभिन्न बोर्डों के सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, विअआ सभी राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपने यूजी कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए वर्ष 2022–23 से सीयूईटी स्कोर को अपनाने और उपयोग करने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित करता है। (अ.शा.पत्र सं. 2–17/2022 (सीपीपी– II)

दिनांक 30 मार्च, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने उन बच्चों के लिए व्यापक सहायता की घोषणा की है जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपने माता–पिता दोनों को खो दिया है। तदनुसार, भारत सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' स्कीम शुरू की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिलाधिकारियों के सक्रिय सहयोग से इन बच्चों की पहचान कर रहा है, ताकि उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा सके। इन बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, 2021' प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को सलाह दी गई थी कि वे ऐसे बच्चों को पात्र होने पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए समायोजित करने हेतु अतिरिक्त सीटें सृजित करें। (अ.शा.फा.सं. 2–39/2022 (सीपीपी–II)

दिनांक 30 मार्च, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि नीति आयोग ने अक्तूबर 2020 में 'भारत में शहरी नियोजन शिक्षा में सुधार' पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था। परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सितंबर 2021 में ''भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार'' नामक एक वृहद दस्तावेज तैयार किया गया। इसने समिति के सदस्यों, प्रख्यात विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के साथ विचार–विमर्श का संक्षिप्त परिणाम प्रस्तुत किया। सलाहकार समिति की रिपोर्ट ***https://www-niti-gov-in/sites/default/files/2021&19/UrbanPlanningCapacity&in&India&160902021-pdf*** *पर उपलब्ध है। सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे नीति आयोग सलाहकार समिति की सिफारिशों का अक्षरशः अनुपालन करें। (अ.शा. पत्र सं.21–81/2021 (सीपीपी– II)*

दिनांक 31 मार्च, 2022

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। जमीनी स्तर पर पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी बढ़ाने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्र क्षेत्र निरीक्षण कर सकते हैं। यह पहल न केवल छात्रों को पीएम पोषण योजना के बारे में जानकारी देती है, बल्कि योजना की निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक जीवन स्थितियों के माध्यम से उनके पेशेवर अनुभव को भी समृद्ध करती है। यह तालमेल के माध्यम से पारस्परिक दक्षता लाभ में भी योगदान देगा।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, ताकि खाद्य और पोषण विभाग का प्रत्येक छात्र पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए वर्ष में कम से कम एक बार किसी एक विद्यालय का दौरा करे। (अ.शा.पत्र सं. 2–12/2022 (सीपीपी–II)।

1.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में संरचना और प्रणाली की अवधारणा और नई शैक्षिक पद्धतियों के संदर्भ में एक प्रतिमान बदलाव की कल्पना की गई है। दिनांक 29 जुलाई, 2020 को एनईपी, 2020 के शुभारंभ के बाद से, भारतीय शिक्षा प्रणाली परिवर्तनकारी बदलावों से गुजर रही है। एनईपी, 2020, 21वीं सदी की भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक वृहद और अभिनव विजन दस्तावेज है। यह नीति, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करती है जिसमें बहु–विषयक और समग्र शिक्षाय अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता; अभिशासन और शिक्षकों की क्षमता निर्माणय गुणवत्ता, रैंकिंग और प्रत्यायनय डिजिटल सशक्तिकरण और ऑनलाइन शिक्षा; न्यायसंगत और समावेशी शिक्षाय भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का संवर्धन; कौशल विकास और रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि और उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, शामिल है।

नीति का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के साथ–साथ पहुंच, समानता और समावेश बढ़ाने के लिए ''हल्का लेकिन उपर्युक्त'' विनियम है। एनईपी में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2040 तक, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) बहु–विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। इस नीति में भारत के ''वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाने की परिकल्पना'' की गई है। नीति के घोषित उद्देश्यों में से एक न केवल विचार, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीय होने पर ''अथाह गर्व'' पैदा करना है। यह ज्ञान, कौशल, मूल्यों और आचार–विचार को विकसित करने पर केंद्रित है जो मानव अधिकारों, सतत् विकास और जीवन तथा वैश्विक कल्याण के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं।

एनईपी–2020 की घोषणा के बाद, विभिन्न हितधारकों के बीच नीति के विवरण को प्रसारित करने के लिए सभी प्रयास किए गए और नीति के कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने हेतु एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई परामर्श प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं/क्रियाकलाप शामिल हैं:

– दिनांक 07 अगस्त, 2020 को एनईपी, 2020 पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) द्वारा वर्चुअल पद्धति से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था।

– 'शिक्षक पर्व' समारोह के भाग के रूप में, एनईपी, 2020 के विभिन्न विषयों पर दिनांक 05 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 के बीच अनेक वेबिनार आयोजित किए गए थे।

– शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 07 सितंबर, 2020 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में ''उच्चतर शिक्षा को बदलने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका'' विषय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों/उपराज्यपालों/शिक्षा मंत्रियों के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थिति थे।

– दिनांक 19 सितंबर, 2020 को भारत के माननीय राष्ट्रपति ने ''एनईपी, 2020 का कार्यान्वयनः उच्चतर शिक्षा'' पर 'विजिटर कान्फ्रेंस' सम्मेलन की अध्यक्षता की। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आईआईटी/आईआईआईटी/एनआईटी/एसपीए और अन्य मंत्रालयों के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले संस्थानों के निदेशकों ने भी विचार–विमर्श में भाग लिया।

– राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद यथा विहित अपने सुझाव प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ पत्र भेजे गए थे।

– एनईपी–2020 की कार्यान्वयन योजना की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए माईगोव प्लेटफॉर्म पर लिंक ***https://innovateindia.mygov.in/nep2020-citizen/*** का उपयोग किया गया।

– नीति आयोग द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2021 को राज्य सरकारों के साथ एनईपी–2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। दिनांक 20 फरवरी, 2021 को नीति आयोग की शासी परिषद् की छठी बैठक में राज्यों के साथ एनईपी–2020 के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई थी।

उपरोक्त के अलावा, प्रधानमंत्री कार्यालय और माननीय शिक्षा मंत्री ने एनईपी–2020 के कार्यान्वयन पर आवधिक समीक्षा बैठकें की।

नीति के लक्ष्यों को स्पष्ट और चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए इस नीति के प्रत्येक पहलू के लिए एनईपी–2020 के विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया था। ऐसे नौ विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया था। यह विषय हैं (i) बहु–विषयक और समग्र शिक्षा, (ii) उच्चतर शिक्षा में समानता और समावेशिता, (iii) अनुसंधान, नवाचार और रैंकिंग, (iv) उच्चतर शिक्षा की वैश्विक पहुंच, (v) प्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम संकाय, (vi) एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली, (vii) अभिशासन और विनियम, (viii) भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, (ix) प्रौद्योगिकी का उपयोग और समेकन।

एनईपी–2020 के तहत परिवर्तनकारी सुधारों के एक वर्ष के भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा मंत्रालय, खेल विभाग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के सहयोग से एनईपी के विभिन्न विषयों पर 08 वेबिनार आयोजित किए थे। यह विषय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं जैसे समानता और समावेशिता; बहु–विषयक और समग्र शिक्षा; कौशल, उद्यमिता विकास और रोजगार प्राप्त करने की अधिक क्षमता; युवा सशक्तिकरण और खेल विकास; भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, कला और संस्कृति; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्यायन और शिक्षक विकास; अनुसंधान, नवाचार और रैंकिंग; शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थे। विभिन्न प्रमुख हितधारकों, शासकीय अधिकारियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संकाय, कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। वेबिनार दिनांक 30 जुलाई, 2021 से 10 अगस्त, 2021 तक आयोजित किए गए थे।

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, विअआ, एआईसीटीई और उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने संयुक्त रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता से वर्ष 2022 में अंचलीय कार्यशालाओं का आयोजन किया, ताकि शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्ति की दिशा मे बढ़ने के लिए एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार–विमर्श किया जा सके। बड़े पैमाने पर परामर्श के लिए और वृहदाकार परिवर्तन को मूर्तरूप देने के लिए, संपूर्ण देश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र को आगे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में 4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे।

क्षेत्रीय स्तर, अंतर और अंतरा–क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यशालाओं के रूप में विस्तृत परामर्श आयोजित किए गए थे ताकि पहल, सर्वोत्तम पद्धतियों, चिंता के विषयों और सुझावों पर चर्चा की जा सके। इन कार्यशालाओं में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा), विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आईआईटी, आईआईएम, के निदेशकों, संकाय, फिक्की, सीआईआई, एसोचौम के प्रतिनिधियों, वीसीआई, पीसीआई, आईसीएआर, एनएमसी, एनसीटीई जैसे सांविधिक परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इन कार्यशालाओं में तीन विषयों– पहुंच, गुणवत्ता और भविष्य के लिए तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन विषयों के विभिन्न पहलुओं को उप–विषयों में वर्गीकृत किया गया था और उनमें से प्रत्येक को तीन मापदंडों पर आयोजित किया गया था– पहल और सर्वोत्तम पद्धतियां, चिंता के क्षेत्र, और सुझाव और कार्यनीतियां। संक्षेप में, इन परामर्शों के द्वारा, एनईपी– 2020 के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया गया था, चिंताओं को पहचाना गया, और एनईपी, 2020 को लागू करने के लिए भविष्य की कार्यनीतियों को विकसित किया गया, जिससे भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तन लाया जा सके।

एनईपी– 2020 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों, विनियामक एजेंसियों और अन्य सभी संबंधित हितधारकों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नीति को लाए जाने के बाद से ही, विअआ, एनईपी के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक पहलों का नेतृत्व कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों में 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' संबंधी विनियम, अकादमिक कार्यक्रमों में बहु–प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देश, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी), ऑनलाइन और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संबंधी विनियम, 'स्वयं' के माध्यम से क्रेडिट फ्रेमवर्क पर विनियम, 'इंटर्नशिप/एप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम' के लिए दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा में 'ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन' के लिए रूपरेखा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

अध्याय 2

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े

- 2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात
- 2.2 विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय के आंकड़े
- 2.3 छात्र नामांकन
- 2.4 आउट टर्न/पास आउट
- 2.5 शिक्षण कर्मचारी
- 2.6 शिक्षणेत्तर कर्मचारी
- 2.7 छात्र–शिक्षक अनुपात
- 2.8 संस्थानों के लिए अवसंरचना

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) और धारा 12(झ) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्रित करने का अधिकार है। विश्वविद्यालयों को अपनी वित्तीय स्थिति अथवा आरंभ की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं में अध्ययन के साथ–साथ ज्ञान अर्जन की ऐसी प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के मानकों से जुड़े सभी नियमों और विनियमों के संबंध में जानकारी भेजना अपेक्षित है।

शिक्षा क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रभावी और जानकारीप्रद नीति निर्माण की रीढ़ है। उच्चतर शिक्षा सांख्यिकीय और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) योजना के तहत अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) का गठन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था। उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया था ताकि उच्चतर शिक्षा के विभिन्न मानदंडो पर एक ऑनलाइन वृहद जानकारी संग्रहित की जा सके। संपूर्ण सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए किया गया और इसके लिए एक प्रतिबद्ध पोर्टल (***http://aishe.gov.in***) तैयार किया गया, जिससे इस प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस कर दिया गया। इस सर्वेक्षण में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने में जुटे देश के सभी संस्थानों को शामिल करने की मंशा थी। शिक्षकों, छात्रों के नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, शिक्षण से संबद्ध कर्मचारी, वित्त अवसंरचना आदि जैसे कई मापदंडों पर आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। संस्थान के घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, लिंग समता सूचकांक आदि जैसे शैक्षिक विकास के संकेतकों की गणना एआईएसएचई के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों से की जाती है। यह शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत निर्णय लेने और अनुसंधान करने में उपयोगी हैं। यह सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (***http://aishe.gov.in***) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। संस्थानों के पंजीकरण को राज्य/केन्द्र स्तर पर उपर्युक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। डीसीएफ का ई–संस्करण संस्थान के ढ़ांचे/आकार के अनुसार घटता– बढ़ता है। किसी भी अन्वेषक को आंकड़े संग्रहित करने के लिए संस्थान में नहीं भेजा जाता है। एक विशिष्ट विशेषता यह है कि भरे हुए डीसीएफ हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, जिस तक संस्थान तथा उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा पहुंच बनाई जा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना तथा सांख्यिकी ब्यूरो ने सीधे विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है, अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों का संकलन तथा

प्राक्कलन ***http://aishe.gov.in*** पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष, सर्वेक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के स्टैण्डालोन संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बड़ी संख्या में मानदंडों पर आधिकारिक आंकड़े तैयार करता है।

नई शिक्षा नीति–2020 के आलोक में, तथा देश में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन करने के लिए, उच्चतर शिक्षा हेतु आंकड़े संग्रहण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण देश में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक सूचकों की तुलना में नीति निर्धारण करने तथा उच्चतर शिक्षा की स्थिति का आंकलन करने के लिए अब पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

एआईएसएचई पोर्टल, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन, विदेशी छात्रों, आउट–टर्न/पास आउट्स और शिक्षण से संबद्ध कर्मचारी और शिक्षणेत्तर कर्मचारी के बारे में शैक्षिक सांख्यिकी तैयार करने के लिए जानकारी का एकमात्र स्रोत है। एआईएसएचई 2020–21 उच्चतर शिक्षा के विभिन्न मापदंडों पर सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने के अंतिम चरण में है। तथापि, वर्ष 2020–21 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट को अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा के सांख्यिकीय आंकड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 में वर्ष 2021–22 के लिए तैयार नहीं किए जा सके।

2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18 से 23 वर्ष) (वर्ष 2019-20)

देश में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.10 प्रतिशत है। पुरूष जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 26.9 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 27.3 प्रतिशत रहा (वर्ष 2021 और 2021–22 के लिए सकल नामांकन अनुपात उपलब्ध नहीं है)।

2.2 विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों के संबंध में आंकड़े

2.2(i) विश्वविद्यालय

ऐसे विभिन्न प्रकार के डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर के संस्थान हैं, अर्थात् ऐसे संस्थान जो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत डिग्री प्रदान करने हेतु अधिकारप्राप्त हैः (1) केंद्रीय विश्वविद्यालय (2) राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (3) राज्य निजी विश्वविद्यालय (4) सम विश्वविद्यालय संस्थान (5) राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित संस्थान (6) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और अन्य।

2.2(i)(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 450 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, 409 राज्य निजी विश्वविद्यालयों, राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित 04 संस्थानों और 126 सम विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक, 26 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, 34 राज्य निजी विश्वविद्यालयों, और 01 सम विश्वविद्यालय संस्थान और राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित 01 संस्थान को विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया गया था।

तालिका 2.2 (i)(क)(i): दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए गए राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
आंध्र प्रदेश			
1.	आंध्र केसरी विश्वविद्यालय, पेरनामिट्टा, ओंगोल, प्रकाशम जिला 523225, आंध्र प्रदेश	11.01.2022	29.03.2022
2.	क्लस्टर यूनिवर्सिटी, बी.कैंप, सिल्वर जुबली गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस, कुरनूल. 518002, आंध्र प्रदेश	07.01.2020	28.10.2021
3.	डॉ. वाई.एस.आर. वास्तुकला और ललित कला विश्वविद्यालय, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	07.01.2020	28.06.2021
4.	जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. गुरजादा, विजयनगरम (जेएनटीयू–जीवी), विजयनगरम – 535003, आंध्र प्रदेश	12.01.2022	29.03.2022
असम			
5.	बिरंगना सती साधनी राजिक विश्वविद्यालय, गोलाघाट–785621, असम	19.10.2020	28.03.2022
छत्तीसगढ			
6.	महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा–पाटन जिला दुर्ग– 491111, छत्तीसगढ़	01.04.2020	28.03.2022
गुजरात			
7.	"कौशल" कौशल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी श्रम संस्थान (एमजीएलआई) ड्राइव–इन रोड, मेमनगर अहमदाबाद–380052 गुजरात	20.10.2021	21.02.2022
कर्नाटक			
8.	नृपतुंगा विश्वविद्यालय, नृपतुंगा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	19.06.2020	01.07.2021
9.	रायचूर विश्वविद्यालय, ज्ञान तुंगा कैंपस, येरागेरा– 584133 रायचूर, कर्नाटक	01.08.2020	09.07.2021
महाराष्ट्र			
10.	अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, खेल और युवा सेवांएं, शिवछत्रपति, खेल परिसर महालुंगे. बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र	21.01.2021	03.08.2021
ओडिशा			
11.	कालाहांडी विश्वविद्यालय, भवानीपटना जिला– कालाहांडी– 766001, ओडिशा	01.09.2020	18.08.2021
12.	मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी, स्टेशन रोड, कटक, ओडिशा	28.04.2021	13.10.2021
13.	ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, टेक्नो कैंपस, घाटिकिया, पी.ओ. महालक्ष्मी विहार, भुवनेश्वर. 751029, ओडिशा	08.10.2021	08.03.2022
14.	राजेंद्र विश्वविद्यालय, बोलांगीर, ओडिशा	01.09.2020	30.07.2021
पंजाब			
15.	सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, गुरदासपुर, पंजाब	01.04.2021	21.05.2021
16.	शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर, पंजाब	01.04.2021	27.05.2021
राजस्थान			
17.	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर–342304, राजस्थान	14.09.2013	22.03.2022
सिक्किम			
18.	सिक्किम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बुर्टुक (कैंपस) गंगटोक–737101 सिक्किम	22.03.2018	22.10.2021
उत्तर प्रदेश			
19.	अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 9वां तल, अकादमिक ब्लॉक, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, लखनऊ –226210, उत्तर प्रदेश	15.10.2020	04.06.2021

क्रम संख्या	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
पश्चिम बंगाल			
20.	अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय, पीओ अलीपुरद्वार कोर्ट, जिला. अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल– 736122	07.01.2021	07.04.2021
21.	दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय, उत्तर चकभबनी (एलआईसी कार्यालय के निकट), बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर– 733101, पश्चिम बंगाल	26.02.2021	06.12.2021
22.	हरीचंद गुरुचंद विश्वविद्यालय, उत्तर 24 परगना– 743245, पश्चिम बंगाल	03.02.2021	30.06.2021
23.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में पुरबो मेदिनीपुर विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात था), पुरबा मेदिनीपुर– 721628, पश्चिम बंगाल	10.12.2020	31.05.2021
24.	मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय, 1 नंबर, शहीद सूर्य सेन रोड, बेरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल– 742101	01.06.2021	07.09.2021
25.	साधु राम चंद मुर्मू झारग्राम विश्वविद्यालय ;पूर्व में झारग्राम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था), झारग्राम राज कॉलेज, झारग्राम– 721507, पश्चिम बंगाल	01.06.2021	08.07.2021
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
26.	दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लुडलो कैसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शामनाथ मार्ग, दिल्ली– 110054	15.08.2020	27.07.2021

तालिका 2.2 (i)(क)(ii): दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए गए राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
छत्तीसगढ			
1.	भारती विश्वविद्यालय, चंदखुरी दुर्ग छत्तीसगढ़– 491001	27.08.2021	03.03.2022
2.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम सांकराकुम्हारी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ 490042	08.08.2018	28.10.2021
गुजरात			
3.	दर्शन विश्वविद्यालय, राजकोट–मोरबी राजमार्ग, एट हडाला टीए, जिला, राजकोट– 363650, गुजरात	01.06.2021	21.09.2021
4.	डॉ. किरण एंड पल्लवी पटेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (केपीजीयू), कृष्णा एजुकेशन कैंपस, ब्लॉक नंबर 136पी वडोदरा, मुंबई एनएच–8 वर्नामा, वडोदरा–391243, गुजरात	01.06.2021	21.09.2021
5.	मोनार्क यूनिवर्सिटी, एट एंड पोस्ट वहेलाल, नरोडा–दहेगाम रोड टीए. दसक्रोई, जिला अहमदाबाद– 382330, गुजरात	01.06.2021	09.08.2021
6.	सार्वजनिक विश्वविद्यालय, एमटीबी कॉलेज कैंपस, चौपाटी के सामने, आठवालाइन्स, सूरत, गुजरात– 395001	01.06.2021	27.07.2021
7.	सुरेंद्रनगर विश्वविद्यालय, श्री पंडित नाथूलालजी व्यास तकनीकी परिसर, सुरेंद्रनगर–अहमदाबाद, राजमार्ग, निकट कोथारिया गांव, वाधवान– 363030, गुजरात	01.06.2021	05.07.2021
8.	यूपीएल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ब्लॉक नंबर 402 एट एंड पीओ वटारिया, तालुका वालिया, जिला भरूच, गुजरात	01.06.2021	09.07.2021
9.	वनिता विश्राम महिला विश्वविद्यालय, वनिता विश्राम परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, अठवा गेट, सूरत, गुजरात–395001	01.06.2021	30.09.2021
हरियाणा			
10.	गीता यूनिवर्सिटी, 1326, हुडा सेक्टर 12, पानीपत–132103, हरियाणा	27.01.2022	31.03.2022

क्रम संख्या	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
झारखंड			
11.	श्रीनाथ विश्वविद्यालय, डिंडली, आदित्यपुर, जमशेदपुर– 831013, झारखंड	03.09.2021	03.03.2022
कर्नाटक			
12.	एटरिया यूनिवर्सिटी, एएसकेबी कैंपस, पहला मेन रोड, एजीएस कॉलोनी, आनंदनगर, हेब्बल, बेंगलुरु– 560024, कर्नाटक	07.01.2022	29.03.2022
13.	आरवी विश्वविद्यालय, आरवीयू प्रशासनिक भवन, आरवी विद्यानिकेतन पोस्ट, मैसूर रोड, बेंगलुरु– 560059, कर्नाटक	16.06.2021	28.06.2021
महाराष्ट्र			
14.	एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग ए, सीटीएस नंबर 83, 83/1 से 19 ऑफ ग्राम कुर्ला, तालुका कुर्ला, एलबीएस मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई– 400070, महाराष्ट्र (निजी विश्वविद्यालय)	04.08.2021	07.09.2021
15.	डी.वाई. पाटिल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, तालसंडे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र– 416112	04.02.2021	23.09.2021
16.	हैदराबाद (एसआईएनडी) नेशनल कॉलेजिट यूनिवर्सिटी, डी.एम. हरीश बिल्डिंग, 47 डॉ. आर.जी. थडानी मार्ग, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र	30.10.2019	03.06.2021
मध्य प्रदेश			
17.	श्री अरबिंदो यूनिवर्सिटी, एसएआईएमएस कैंपस, इंदौर–उज्जैन स्टेट हाईवे, एमआर–10 क्रॉसिंग के निकट, सांवेर रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश– 453555	30.03.2021	28.10.2021
मणिपुर			
18.	एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लामसांग, मणिपुर– 795113	23.02.2021	08.06.2021
मेघालय			
19.	नॉर्थ ईस्ट एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, खिलाहितर्षी, पीओ थडलास्केन– 793151 वेस्ट जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय	07.08.2020	27.07.2021
पंजाब			
20.	एमिटी यूनिवर्सिटी, डी4, ब्लॉक–डी, सेक्टर–82, अल्फा आईटी सिटी, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब	30.03.2021	28.06.2021
21.	लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी, पंजाब, चंडीगढ़–जालंधर एनएच–344ए, चंडीगढ से 40 किलोमीटर और रोपड़ से 5 किलोमीटर, चण्डीगढ़–रोपड–जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब– 144 533	09.02.2021	08.03.2022
22.	प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, पंजाब, ब्लॉक–बी, सेक्टर–101, अल्फा, आईटी सिटी, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब– 140306	20.08.2021	23.09.2021 – 25.03.2022
सिक्किम			
23.	मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी, सिक्किम सिंगतम कैंपस टोपाखानी लोअर चिसोपानी, सिंगटम बाजार, सिंगटम, जिला पूर्वी सिक्किम, सिक्किम– 737134	07.07.2021	08.03.2022
24.	सिक्किम अल्पाइन विश्वविद्यालय (पूर्व में ईआईआईएलएम विश्वविद्यालय), कामरंग, नामची जिला– दक्षिण सिक्किम– 737126	28.08.2021	29.03.2022
25.	सिक्किम कौशल विश्वविद्यालय, नमथांग, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम– 737137	10.01.2022	29.03.2022
तमिलनाडु			
26.	धनलक्ष्मी श्रीनिवासन विश्वविद्यालय, समयपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु– 621112	25.02.2021	27.07.2021
27.	जेपियार विश्वविद्यालय, राजीव गांधी सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु– 600119	26.02.2021	24.11.2021

तालिका 2.2 (i)(क)(iii): दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए गए सम विश्वविद्यालय संस्थानों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
दिल्ली		
1.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001	18.06.2021

तालिका 2.2 (i)(क)(iv): दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित किए गए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए गए संस्थानों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
तमिलनाडु		
1.	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, अन्ना सेनेटरी लाइब्रेरी के पीछे, गांधी मंडपम रोड, चेन्नई–600025, तमिलनाडु	05.05.2021

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक, 13 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, 12 राज्य निजी विश्वविद्यालयों, 3 सम–विश्वविद्यालय संस्थानों और राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित 01 संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था।

तालिका 2.2 (i)(क)(v): दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	निजी विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना/अधिसूचना की तिथि	विअआ अधिनियम 1956 की धारा 12ख के तहत विअआ सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
छत्तीसगढ़			
1.	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (पूर्व में बिलासपुर विश्वविद्यालय), पुराना उच्च न्यायालय भवन, गांधी चौक, बिलासपुर 495 001, छत्तीसगढ़ *दिनांक 12 सितम्बर, 2018 से नाम बदल दिया गया है।*	2011	15.09.2021
गुजरात			
2.	चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, सुभाष चंद्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर–20, गांधीनगर– 382020, गुजरात	2009	25.02.2022
3.	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, टीएः वेरावल, जिला जूनागढ़–362268, गुजरात	2005	15.09.2021
कर्नाटक			
4.	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बेंगलुरु	2010	15.09.2021
5.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर–570 006	1996	13.07.2021
6.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, लिंगसुगुरु रोड, रायचूर– 584104, कर्नाटक	13.05.2010	25.02.2022
केरल			
7.	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, राणागढ, कोच्चि– 682 506 केरल	2011	14.07.2021

क्रम संख्या	निजी विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना/अधिसूचना की तिथि	विअआ अधिनियम 1956 की धारा 12ख के तहत विअआ सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
महाराष्ट्र			
8.	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान (जेओटीआई), सीपी क्लब रोड, नागपुर– 440001 महाराष्ट्र	15.05.2015	25.02.2022
ओडिशा			
9.	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा	2015	13.07.2021
तमिलनाडु			
10.	तमिलनाडु अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय, कामराजार सलाई, चेन्नई– 600005	2008	14.07.2021
तेलंगाना			
11.	सातवाहन विश्वविद्यालय, ज्योतिनगर, करीमनगर– 505001, तेलंगाना	2008	22.03.2022
पश्चिम बंगाल			
12.	बांकुरा विश्वविद्यालय, पुबागन कैंप कार्यालय, पीओ भागबंध, जिला बांकुरा– 722146, पश्चिम बंगाल	2014	25.02.2022
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
13.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आजाद हिंद फौज मार्ग, सेक्टर–3 द्वारका, नई दिल्ली–110078	26.09.2018	25.02.2022

तालिका 2.2 (i)(क)(vi): दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए राज्य निजी विश्वविद्यालयों**की सूची

क्र.सं०	विश्वविद्यालय का नाम और पता	आयोग की बैठक	विअआ पत्र संख्या और दिनांक
1.	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, एईएस बंगला नम्बर 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद– 380 009	दिनांक 08.09.2021 की 552वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iv)	फा.सं. 8–13/2010 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 15.09.2021 (**)
2.	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचंद्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	दिनांक 08.09.2021 की 552वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iv)	फा.सं. 8–2/2012 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 15.09.2021 (**)
3.	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	दिनांक 01.07.2021 की 551वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (i)	फा.सं. 8–18/2018 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 13.07.2021 (**)
4.	असम डाउन टाउन यूनिवर्सिटी, शंकरमाधब पथ, गुवाहाटी	दिनांक 26.06.2021 की 553वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iii)	फा.सं. 8–26/2010 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 05.11.2021 (**)
5.	केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बी.वी. भूमराड्डी कॉलेज कैंपस. विद्यानगर. हुबली– 580031, कर्नाटक	दिनांक 26.06.2021 की 553वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iii)	फा.सं. 8–28/2015 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 15.11.2021 (**)

क्र.सं	विश्वविद्यालय का नाम और पता	आयोग की बैठक	विअआ पत्र संख्या और दिनांक
6.	श्री श्री विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा	दिनांक 26.06.2021 की 553वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iii)	फा.सं. 8–9/2012 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 05.11.2021 (**)
7.	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, दिल्ली रोड, मुरादाबाद	दिनांक 26.06.2021 की 553वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iii)	फा.सं. 9–3/2008 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 05.11.2021 (**)
9.	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अर्काडिया ग्रांट, पीओ चंदनवारी, प्रेमनगर , देहरादून– 248 007, उत्तराखंड	दिनांक 26.06.2021 की 553वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iii)	फा.सं. 8–8/2013 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 05.11.2021 (**)
10.	संदीप विश्वविद्यालय, त्रिंबक रोड, महिरावानी, नासिक महाराष्ट्र– 422213	दिनांक 26.06.2021 की 555वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iii)	फा.सं. 8–16/2016 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 25.02.2022 (**)
11.	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, सोहना. पलवल रोड, सोहना, गुड़गांव– 122 103, हरियाणा	दिनांक 26.06.2021 की 555वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iii)	फा.सं. 8–18/2010 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 25.02.2022 (**)
12.	आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ– 250001, उत्तर प्रदेश	दिनांक 26.06.2021 की 555वीं बैठक मद संख्या 1.02(क) (iii)	फा.सं. 8–23/2010 (सीपीपी–I/पीयू) दिनांक 25.02.2022 (**)

(**) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के तहत वित्तीय सहायता केवल शिक्षकों तथा छात्रों के संबंध में ही सीमित होगी

तालिका 2.2 (i)(क)(vii): दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए सम विश्वविद्यालयों संस्थानों की राज्य–वार सूची

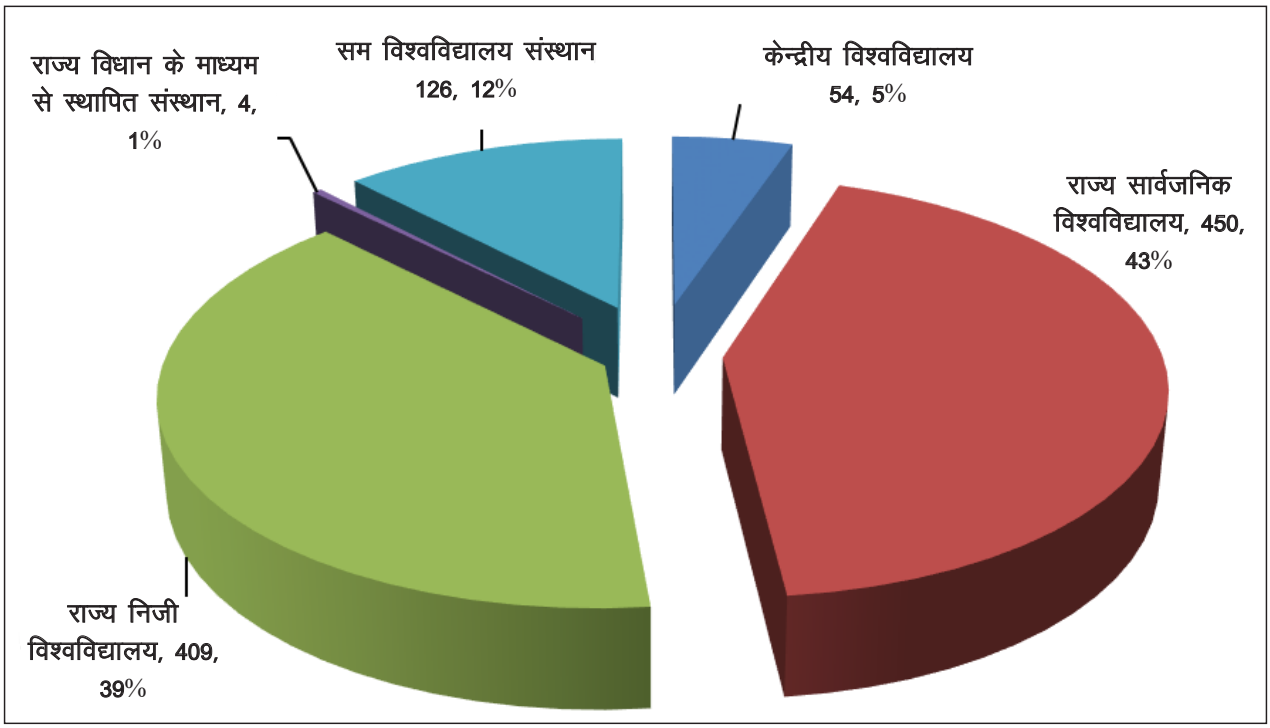
क्रम संख्या	सम विश्वविद्यालय संस्थान का नाम	स्थापना/अधिसूचना की तिथि	विअआ अधिनियम 1956 की धारा 12ख के तहत विअआ सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
पुदुचेरी			
1.	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कैंपस, पोंडी–कुड्डालोर मेन रोड, पिल्लैयारकुप्पम, पुदुचेरी – 607 402 (सम विश्वविद्यालय)	04.08.2008	14.07.2021
तमिलनाडु			
2.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च, 173, अघाराम रोड, सेलाइयुर, चेन्नई. 600073, तमिलनाडु (सम विश्वविद्यालय)	04.07.2002	06.12.2021
3.	वेल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएएस) वेलन नगर, पीवी वैथियालिंगम रोड, पल्लवरम, चेन्नई–600117, तमिलनाडु (सम विश्वविद्यालय)	04.06.2008	05.11.2021

तालिका 2.2 (i)(ख) : दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयो* की स्वरूप–वार संख्या

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय/संस्थान का स्वरूप	विश्वविद्यालय/संस्थानों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2022) की स्थिति के अनुसार)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र विश्वविद्यालयों की संख्या
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	54	
2	राज्य विश्वविद्यालय*	450	265
3	राज्य निजी विश्वविद्यालय*	409	24
4	राज्य विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान*	4	1
5	सम विश्वविद्यालय संस्थान*	126	46
	कुल	1043	336

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान

रेखाचित्र 2.2 (i)(ख): दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वरूपवार संख्या

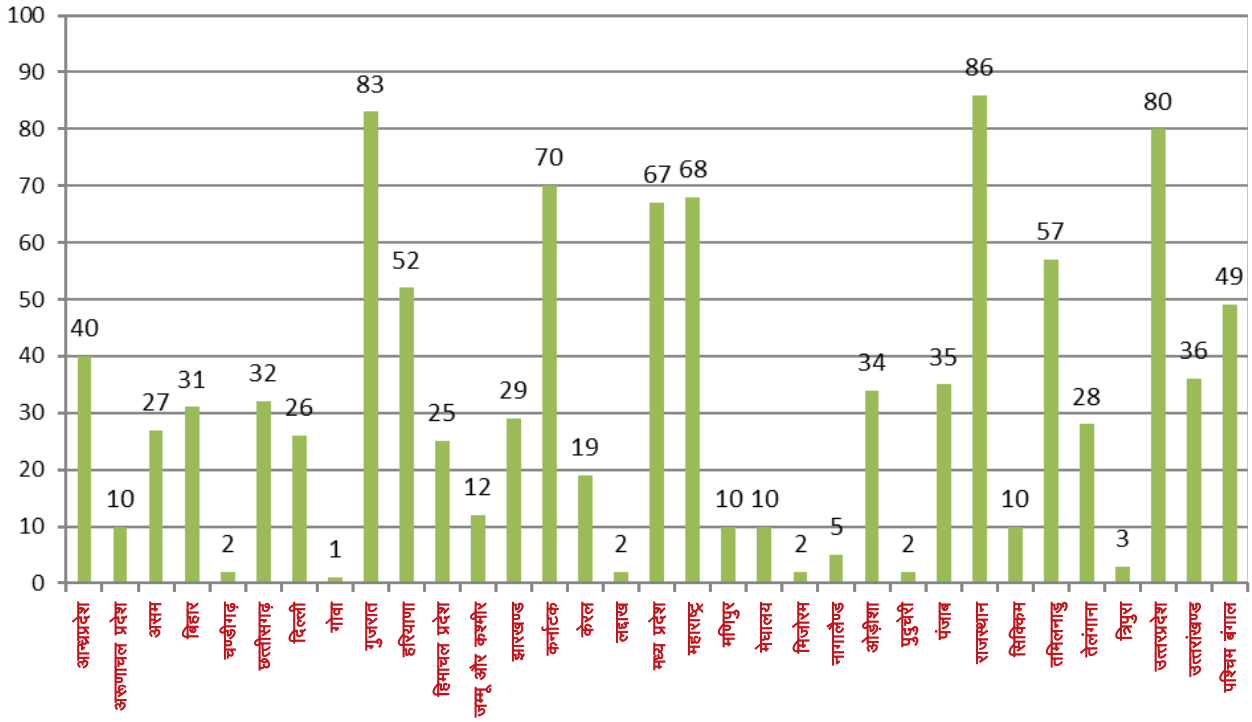


तालिका 2.2 (i)(ख)(i): दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्य वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विश्वविद्यालयों की संख्या						विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की संख्या		
		कुल	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	राज्य निजी विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय संस्थान	राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	राज्य निजी विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय संस्थान
1	आन्ध्रप्रदेश	40	3	27	6	4	.	16	.	3
2	अरूणाचल प्रदेश	10	1	.	8	1	.	.	.	.
3	असम	27	2	18	6	1	.	7	2	.
4	बिहार	31	4	18	7	1	1	10	.	.
5	चण्डीगढ़	2	.	1		1	.	1	.	.
6	छत्तीसगढ़	32	1	16	15	.	.	5	2	
7	दिल्ली	26	7	10	.	9	.	7	.	4
8	गोवा	1	.	1	.		.	1		
9	गुजरात	83	1	29	50	3	.	15	1	2
10	हरियाणा	52	1	20	25	6	.	12	2	1
11	हिमाचल प्रदेश	25	1	7	17	.	.	3	.	.
12	जम्मू और कश्मीर	12	2	9	.	1	1	6	.	.
13	झारखण्ड	29	1	11	16	1	.	6	.	.
14	कर्नाटक	70	1	34	21	14	.	20	1	5
15	केरल	19	1	15	.	3	.	10	.	1
16	लद्दाख	2	.	1	.		.		.	
17	मध्य प्रदेश	67	2	24	40	1	.	16	.	1
18	महाराष्ट्र	68	1	25	21	21	.	19	1	10
19	मणिपुर	10	3	3	4	.	.	.	.	.
20	मेघालय	10	1	.	9	.	.	.	.	.
21	मिजोरम	2	1	.	1	.	.	.	.	.
22	नागालैण्ड	5	1	.	4	.	.	.	.	.
23	ओड़ीशा	34	1	22	8	3	.	12	2	2
24	पुदुचेरी	2	1	.	.	1	.		.	1
25	पंजाब	35	1	14	18	2	.	7	2	
26	राजस्थान	86	1	25	52	8	.	12	3	3
27	सिक्किम	10	1	2	7	.	.	1	.	
28	तमिलनाडु	57	2	22	4	28	1	21	.	10
29	तेलंगाना	28	3	17	5	3	.	13	.	1
30	त्रिपुरा	3	1	1	1	.	.		.	.
31	उत्तरप्रदेश	80	6	32	32	9	1	20	7	1
32	उत्तरांखण्ड	36	1	11	21	3	.	4	1	
33	पश्चिम बंगाल	49	1	35	11	2	.	21	.	1
	कुल	1043	54	450	409	126	4	265	24	46

04 संघ राज्य क्षेत्र नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में कोई विश्वविद्यालय नहीं है।

रेखाचित्र 2.1 (i)(ख) (i): दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



- दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची को तालिका 2.2 (i) (ख) (ii)
- दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की सूची को तालिका 2.2 (i) (ख) (iii)
- दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची को तालिका 2.2 (i) (ख) (iv)
- दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों की सूची तालिका 2.2 (i) (ख) (v) में दी गई है।
- दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची को तालिका 2.2 (i) (ख) (vi) में दी गई है।

तालिका 2.2 (i) (ख) (ii): दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना का वर्ष	वेबलिंक
आंध्र प्रदेश			
1	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम	2018	http://www.cuap.ac.in
2	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश–535008	2019	http://www.ctuap.in
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	1987 (वर्ष 2020 से केन्द्रीय)	http://nsktu.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना का वर्ष	वेबलिंक
अरूणाचल प्रदेश			
4	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, डाकघर दोईमुख, अरूणाचल प्रदेश–791112	1985 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	http://www.rgu.ac.in
असम			
5	असम विश्वविद्यालय, डाकघर असम विश्वविद्यालय, सिलचर–788011	1994	http://www.aus.ac.in
6	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पो0ब0 नम्बर 72, नापाम, तेजपुर, असम–784001	1994	http://www.tezu.ernet.in
बिहार			
7	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एसएच–7, गया पांचनपुर रोड, ग्राम–करहारा, पोस्ट फतेहपुर, पीएस–टेकारी, जिला गया, बिहार–824236	2009	http://www.cub.ac.in
8	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर– 848125, बिहार,+	1970 (वर्ष 2016 से केन्द्रीय)	http://www.rpcau.ac.in
9	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा– 803 116, बिहार+ (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://www.nalandauniv.edu.in
10	महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार–845401	2014	http://www.mguniversity.ac.in
छत्तीसगढ़			
11	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़–495009	1983 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.ggu.ac.in
दिल्ली			
12	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110068+	1985	http://www.ignou.ac.in
13	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110 025	1988	http://www.jmi.nic.in
14	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110 067	1969	http://www.jnu.ac.in
15	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, कटवारिया सराय, नई दिल्ली	1987 (वर्ष 2020 से केन्द्रीय)	http://www.slbsrsv.ac.in
16	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली	2002 (वर्ष 2020 से केन्द्रीय)	http://www. Sanskrit.nic.in
17	सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली+ (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://www. southasianuniversity. Org
18	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली –110007	1922	http://www.du.ac.in
गुजरात			
19	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर–29 गाँधीनगर–382029, गुजरात	2009	http://www.cug.ac.in
हरियाणा			
20	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जंत–पाली, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा 123029	2009	http://www.cuh.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
21	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पो0बा0 नम्बर 21, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176215	2009	http://www.cuhimachal.ac.in
जम्मू और कश्मीर			
22	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैम्पस, सोनावर, जी0बी0 पंत अस्पताल के निकट, श्रीनगर– 190 005 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cukashmir.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना का वर्ष	वेबलिंक
23	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बागला (राहया–सुचानी) , जिला साम्बा, जम्मू–181143 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cujammu.ac.in
झारखण्ड			
24	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहारडगे रोड, बराम्बे, राँची–835205 झारखण्ड	2009	http://www. cuj.ac.in
कर्नाटक			
25	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कादागांची, अलांग रोड, अलांग तालुक, गुलबर्गा (जिला)–585311, कर्नाटक	2009	http://www.cuk.ac.in
केरल			
26	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तेजस्विनी हिल्स, पेरिये (पीओ), पीओ, कासरगोड–केरल– 671316	2009	http://www. cukerala.ac.in
मध्य प्रदेश			
27	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश –470003	1946 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.dhsgsu.ac.in
28	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, माकाल सदन, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश–484886	2008	http://www.igntu.nic.in
महाराष्ट्र			
29	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, मानस मंदिर पीओ, वर्धा, मुम्बई–442001	1997	http://www.hindivishwa.org
मणिपुर			
30	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल– 795 004+	1993	http://www. cau.org.in
31	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल, मणिपुर– 795003+	1980 (वर्ष 2005 से केन्द्रीय)	http://www.manipuruniv.ac.in
32	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कुत्रुक, मणिपुर–795146+	2018	www.nsu.ac.in
मेघालय			
33	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहू कैम्पस, शिलांग, मेघालय–793 022	1973	http://www.nehu.ac.in
मिजोरम			
34	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0ब0 नम्बर 910, आईजवाल, मिजोरम–796 012	2000	http://www.mzu.edu.in
नागालैण्ड			
35	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमानी, नागालैण्ड–797001	1994	http://www.nagalanduniversity.ac.in
ओड़ीशा			
36	ओड़ीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लान्डीगुड़ा, कोरापुट, ओड़ीशा–764020	2009	http://www.cuo.ac.in
पुदुचेरी			
37	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, आर. वेंकटरमन, कालापेट, पुदुचेरी–605 014	1985	http://www.pondiuni.edu.in
पंजाब			
38	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मन्सा रोड, भटिन्डा, पंजाब–151001	2009	http://www.cup.ac.in
राजस्थान			
39	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8. भण्डार सिंदरी, जिला अजमेर–305801, राजस्थान	2009	http://www.curaj.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना का वर्ष	वेबलिंक
सिक्किम			
40	सिक्किम विश्वविद्यालय, छठा माईल, समदुर, पी0ओ0 तदांग, गंगटोक, सिक्किम–737102	2007	http://www.cus.ac.in
तमिलनाडु			
41	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुड़ी कैम्पस, कंगलानचेरी (पोस्ट), तिरूवारूर–610101, तमिलनाडु	2009	http://www.cutn.ac.in
42	इन्डियन मैरीटाइम युनिवर्सिटी, ईस्ट वेस्ट रोड, उतांदी, चेन्नई–600119+	2008	http://www.imu.edu.in
तेलंगाना			
43	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, ओ0यू0 कैम्पस, हैदराबाद, तेलंगाना–500007	1973 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	http://www. efluniversity. ac.in
44	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबोली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–50032	1998	http://www.manuu.ac.in
45	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–500 046	1974	http://www.uohyd.ac.in
त्रिपुरा			
46	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यामणिनगर, अगरतला त्रिपुरा–799 130,	1987	http://www.tripurauniv.in
उत्तर प्रदेश			
47	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202002	1920	http://www.amu.ac.in
48	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद–211002	1887	http://www.allduniv. ac.in
49	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ –226025	1996	http://www.bbau.ac.in
50	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–221005	1916	http://www.bhu.ac.in
51	राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश +		
52	रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश–284003 +	2014	http://www.rlbcau.ac.in
उत्तराखंड			
53	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल–246174	1973 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	http://www.hnbgu.ac.in
पश्चिम बंगाल			
54	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल–731235	1951	http://www.visva-bharati.ac.in

(+) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है चूंकि इन्हें भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है।

टिप्पण : नौ विश्वविद्यालय नामतः (i) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इन्डियन मैरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई–600119, (iv) सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, (v) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश, (vi) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि, विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश, (vii) नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार (viii) डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार, (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कुत्रुक, मणिपुर, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है चूंकि इन्हें भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है।

तालिका 2.2 (i)(ख)(iii) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय

(* विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित और केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र विश्वविद्यालय)

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
आन्ध्र प्रदेश			
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर – 522510*	1976	http://www.anu.ac.in
2	आंध्र केसरी विश्वविद्यालय, पेरनामिट्टा, ओंगोल, प्रकाशम जिला 523225, आंध्र प्रदेश	11.01.2022	
3	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर– 522034	1964	http://www.angrau.ac.in
4	अदिकवि नन्या विश्वविद्यालय, जया कृष्णपुरम, राजामुन्द्री – 533105 आंध्र प्रदेश*	2006	http://www.nannayauniversity.info
5	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम – 530003*	1926	http://www.andhrauniversity.edu. in
6	क्लस्टर यूनिवर्सिटी, बी–कैंप, सिल्वर जुबली गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस, कुरनूल–518002, आंध्र प्रदेश	07.01.2020	
7	दामोदरम संजीवैया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के नाम से विख्यात) पैलेस लेऑउट, पेडावालटियार, विशाखापत्तनम– 530017 (आन्ध्र प्रदेश)*	2008	http://www.dsnlu.ac.in
8	डॉ. अब्दुल हक उर्दू विश्वविद्यालय, कुरनूल 518001 आंध्र प्रदेश	14.12.2018	http://ahuuk.ac.in/
9	डॉ. एन.टी.आर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसेज (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसेज के नाम से विख्यात) विजयवाड़ा – 520008	1986	http://www.ntruhs.ap.nic.in
10	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, एचेर्ला–532410, श्रीकाकुलम*	2008	http://www.brau.in
11	द्रविड़यन विश्वविद्यालय, कुप्पम– 517425*	1997	http://www.dravidianuniversity.ac.in
12	डा. वाई.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नं. 7, वेंकटारमण्नगुंडम, जिला पश्चिम गोदावरी– 536101	2011	http://www.drysrhu.edu.in
13	डॉ. वाई.एस.आर. वास्तुकला और ललित कला विश्वविद्यालय, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	07.01.2020	http://www.ysrafu.ac.in/
14	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनन्तपुर*	2008	http://www.jntua.ac.in
15	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा*	2008	http://www.jntuk.edu.in
16	जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी– गुरजादा, विजयनगरम (जेएनटीयू–जीवी), विजयनगरम– 525003, आंध्र प्रदेश	12.01.2022	
17	कृष्णा विश्वविद्यालय, आन्ध्र जातीय कालासाला, कैम्पस, राजूपेटा, मछलीपट्टनम – 521001	2008	http://www.krishnauniversity.ac.in
18	राजीव गांधी यूनीवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलाजी, आंध्र प्रदेश, वीआर मेंशन, कुचानापल्ली, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश–522501*	01.06.2016	http://www.rguktn.ac.in
19	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कूरनूल– 518002*	2008	http://rayalseemauniversity.ac.in
20	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तापुर – 515003*	1981	http://www. skuniversity.org
21	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति – 517502*	1983	http://www. spmvv. ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
22	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति – 517507*	1954	http://www. svuniversity.in
23	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक विश्वविद्यालय, पुरुन्देरादास कॉम्पलेक्स, परकासम रोड़, तिरूपति	2006	http://www. svvedicuniversity.org
24	श्री वेंकटेश्वरा वैटेरीनरी यूनिवर्सिटी, प्रशासनिक कार्यालय, क्षेत्रीय ग्रंथालय भवन, तिरूपति – 517502	2005	http://www.svvu.edu.in
25	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, तिरूपति – 517507*	1993	http://www.svimstpt.ap.nic.in
26	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश – 524003*	2008	http://www. simhapuriuniv. ac.in
27	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, वेमानापुरम, कडप्पा – 516003*	2006	http://www.yogivemanauniversity.ac.in
असम			
28	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट – 785013*	1968	http://www.aau.ac.in
29	असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को–ऑपरेटिव मेनेजमेंट, शिवसागर, गुवाहाटी, असम	2010	http://www. argucom.org.in
30	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काहीलीपारा, गुवाहाटी – 19, असम	2011	http://www.astu.org.in
31	असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट–785004	2013	http://www. awu.ac.in
32	भट्टदेव विश्वविद्यालय, बाजली, पाठशाला–785 004, असम	25.10.2017	info@bhattadevuniversity.ac.in
33	बिरंगना सती साधनी राजिक विश्वविद्यालय, गोलाघाट–785621, असम	19.10.2020	http://www.bssrv.ac.in/
34	बोडोलैण्ड विश्वविद्यालय, डिब्रागांव, डाकघर रंगालीखेटा, कोकराझार, 783370, बीटीसी, असम*	2009	http://www.bodolanduniversity.ac.in
35	कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय, पान बाजार, गुवाहाटी, असम*	2011	http://www.ccsu.ac.in
36	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़ – 786004*	1965	http://www.dibru.ac.in
37	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी – 781014*	1948	http://www.gauhati.ac.in
38	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी – 781006	2007	http://www.kkhsou.in
39	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी–781335, असम*	2011	http://www.kbvsasu.in
40	महादेव विश्वविद्यालय,पी.ओ. डिकरांग–784164, नारायनपुर, लखीमपुर, असम	01.06.2018	https://www.madhabdevuniversity.org.in
41	मजुली संस्कृति विश्वविद्यालय, मजुली, असम	01.06.2018	
42	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एण्ड जूडीशियल अकादमी, एनईजेओटीआई बिल्डिंग, बी. के. काकाती रोड़, भोलानाथ मंदिर पथ, उलूबेरी, गुवाहाटी– 781007*	2012	http://www.nluassam.ac.in
43	रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, होजाई– 782435, असम	25.10.2017	www.rntu.ac.in
44	श्रीमंत शकरादेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नरकासुर हिलटॉप, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007	http://www.ssunhs.in
45	श्री श्री अनिरूद्धदेव खेल विश्वविद्यालय, झाबुआ, बिबुगढ़, असम	22.06.2020	http://www.sasu.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
बिहार			
46	आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मीठापुर फार्म एरिया, मीठापुर, पटना – 800 001 बिहार.	2008	http://www.akubihar.ac.in
47	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर – 842001*	1952	http://www.brabu.net
48	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर, भागलपुर, 813210	2010	http://www. bausabour.org.in
49	बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, बिहार कालेज कैम्पस महाविद्यालय परिसर, पटना– 800014, बिहार	29.08.2018	https://www.basu.org.in/
50	भूपेन्द्र नारायन मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा – 852113*	1993	http://www.bnmu.bih.nic.in
51	चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टॅडीज़ कैम्पस, गांधी मैदान, पटना – 800001*	2006	http://www. cnlu.ac.in
52	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा 841301	1995	http://www.jpv.bih.nic.in
53	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा– 846008*	1961	http://www.ksdsu.edu.in
54	ललित नारायन मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008*	1972	http://www.lnmu.in
55	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया – 824234*	1962	http://www.magadhuniversity.org
56	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, 3 पोलो रोड़, पटना – 800001 (बिहार)	2004	http://www.mmhapu.bih.nic.in
57	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार	06.01.2017	https://www.mungeruniversity.ac.in/
58	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना – 800001	1995	http://www.nalandaopenuniversity. Com
59	पाटलीपुत्र यूनिवर्सिटी, कंकरबाग रोड, नियर राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना–800020, बिहार	17.08.2018	http://www.ppup.ac.in/
60	पटना विश्वविद्यालय, पटना – 800005*	1917	http://www.patnauniversity.ac.in
61	पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया – 854301, बिहार	17.08.2016	http://www.purneauniversity.ac.in/
62	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर – 812007*	1960	http://www.tmbu.org
63	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा – 802301*	1994	http://www.vksu-ara.org
चण्डीगढ़			
64	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़– 160 014*	1947	http://www.puchd.ac.in
छत्तीसगढ			
65	आयुष और स्वास्थ्य विज्ञान छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, जी.ई. रोड, रायगपुर, छत्तीसगढ़	2008	http://www.cghealthuniv. com
66	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदालपुर, जिला – बस्तर	2008	http://www.bvyjdp.ac.in
67	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (पूर्व में बिलासपुर विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात था) बिलासपुर, छत्तीसगढ*	2011	http://www.bilaspuruniversity.ac.in
68	छत्तीसगढ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग–491001	2011	www.cgkv.ac.in
69	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर–8, भिलाई 490009	2004	http://www.csvtu.ac.in
70	दुर्ग विश्वविद्यालय, वासुदेव वर्मन पाटानकर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	2015	http://durguniversity.ac.in/

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
71	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर – 492001*	2003	http://www.hnlu.ac.in
72	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर – 492006*	1987	http://www.igau.edu.in
73	इन्दिरा गाँधी कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ – 491881*	1956	http://www.iksvv.com
74	इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इंफरमेशन टेक्नोलॉजी, प्लॉट नम्बर 7, सेक्टर 24, पुरखोटी के निकट, मुक्तांगन, नया रायपुर– 493661, छत्तीसगढ़	2014	http://www.iiitb.ac.in
75	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.ktujm.ac.in
76	महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा–पाटन जिला दुर्ग–491111, छत्तीसगढ़	2020	
77	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर – 492010*	1964	http://www.prsu.ac.in
78	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2004	http://www.pssou.ac.in
79	संत गाहिरा गुरू विश्वविद्यालय (पूर्व में सरगूजा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात), अम्बिकापुर दरिपारा, सरगुजा–497001, छत्तीसगढ़	2008	http://www. sargujauniversity. in
80	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, घरुमरिया, ओडिशा रोड रायगढ़– 496001, छत्तीसगढ़	22.01.2020	http://www. Snpv.ac.in
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
81	भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006*	2007	http://www.aud.ac.in
82	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डीआईपीएसआर कैम्पस, सेक्टर–III, पुष्प विहार, नई दिल्ली	2010	http://www.dpsru.edu.in
83	दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लुडलो कैसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054	2020	
84	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड़, दिल्ली*	2009	http://www.dce.edu
85	दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, एकीकृत प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर, सेक्टर–9, द्वारका, नई दिल्ली–110077		http://www.dseu.ac.in
86	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर –16सी द्वारका, दिल्ली –110 078*	1998	http://www.ipu.ac.in
87	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली– 110006*	2013	http://www. igdtuw. ac.in
88	इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के निकट ओखला औद्योगिक एस्टेट फेज–III, नई दिल्ली– 110020*	2008	http://www. iiitd.ac.in
89	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली*	2008	http://www.nludelhi.ac.in
90	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सेक्टर –3, द्वारका, नई दिल्ली*	2018	http://www.nsit.ac.in/

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
गोवा			
91	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा – 403206*	1985	http://www.unigoa.ac.in
गुजरात			
92	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	2004	http://www.aau.in
93	बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, आदर्श निवासी विद्यालय परिसर, वावड़ी रोड, राजपीपला, जिला नर्मदा गुजरात	2018	http://www.bmtu.ac.in
94	भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, केयर ऑफ गर्वनमेंट पालीटेक्नीक कालेज, बिखना रोड, खादिया, जूनागढ–362640	2015	http://www.bknmu.edu.in
95	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर – 364002*	1978	http://www.bhavuni.edu
96	चिल्ड्रन्स यूनिवर्सिटी, सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर – 20, गांधीनगर, गुजरात*	2009	http://www. cugujarat.ac.in
97	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड़, नाडियाड – 387001 (गुजरात)*	2000	http://www.ddu.ac.in
98	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदनगर – 380003	1995	http://www.baou.edu.in
99	सरदार कृषिनगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृष्णीनगर, बनासकांठा– 385 506*	1972	http://www.sdau.edu.in
100	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर – 361008*	1968	http://www.ayurveduniversity.edu.in
101	गुजरात बॉयोटेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी, केयर ऑफ गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलाजी मिशन, ब्लॉक 11, नौवां तल, उद्योग भवन, गांधीनगर–382011, गुजरात	2018	https://btm.gujarat.gov.in/
102	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नालेज कॉरीडोर, कोबा, गाधीनगर– 382007*	2003	http://www.gnlu.ac.in
103	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदनगर– 380009*	1950	http://www.gujaratuniversity.org.in
104	गुजरात प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एल.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, नवरंगापुरा, अहमदाबाद, गुजरात*	2007	http://www.gtu.ac.in
105	गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लान्टेशन सांइस, आईकेडीआरसी–आईटीएस भवन, सिविल अस्पताल परिसर, असारवा, अहमदाबाद–380016	2015	http://guts.education/
106	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पी.बी. नम्बर 21, यूनिवर्सिटी रोड़, पाटन– 384265*	1986	http://www.ngu.ac.in
107	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, शासकीय महाविद्यालय परिसर, महात्मा मंदिर के निकट, जी–4, सेक्टर– 15, गांधीनगर, 382016	2010	http://www.iite.ac.in
108	इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नियर खोखरा सर्कल, मणिनगर (पूर्व), अहमदाबाद –380026	2013	http://iitram.ac.in/
109	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़–362001	2004	http://wwwjau.in
110	कामधेनू विश्वविद्यालय, कृषि भवन, सेक्टर 10ए, ब्लॉक बी, पोडियम लेवल, गांधीनगर–382010	2009	http://www.ku-guj.org
111	"कौशल" कौशल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी श्रम संस्थान (एमजीएलआई) ड्राइव–इन रोड, मेमनगर अहमदाबाद–380052 गुजरात	2021	https://kaushalyaskilluniversity.ac.in/

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
112	क्रान्तिगुरू श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ विश्वविद्यालय, सीएस–60, जुबली ग्राउंड रोड, भुज–कच्छ– 370001*	2004	http://www.kskvku.digitaluniversity. ac.in
113	महाराजा सायाजीरॉव बड़ोदा विश्वविद्यालय, वडोढ़रा– 390002*	1949	http://www.msubaroda.ac.in
114	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी– 396450	2004	http://www.nau.in
115	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर – 388120*	1955	http://www. spuvvn.edu
116	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट– 360005*	1955	http://www.saurashtrauniversity.Edu
117	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत– 395007*	1965	http://www. vnsgu.ac.in
118	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, तालुक वेरावल, जिला जूनागढ़– 362268*	2005	http://www.shreesomnathsanskrituniversity.info
119	श्री गोविन्द गुरू विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट पालीटेक्नीक कैम्पस, गदुकपुर, गोधरा जिला, पंचमहल–389001	2015	http://www.sggu.ac.in
120	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्टस, यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 19, पुनीत वन रोड़, सुविधा केन्द्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस के निकट, गांधीनगर, 382019	2011	http://www. sycd.gujarat.gov. in/
हरियाणा			
121	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा*	2006	http://www.bpswomenuniversity.ac.in
122	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी–127021	2014	http://www. cblu.ac.in
123	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा*	2003	http://www. cdlu.in
124	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द, हरियाणा*	2014	http://www. crsujind.org
125	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार – 125004*	1970	http://www.hau.ernet.in
126	दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरूथल, हरियाणा*	2006	http://www. dcrusm.org
127	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी (पूर्व में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, हरियाणा के नाम से विख्यात), राय, सोनीपत, हरियाणा	2012	http://www.dbranlu.ac.in/
128	गुरुग्राम विश्वविद्यालय, राव तुला राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस सेक्टर –51, गुरुग्राम –122018	2018	https://gurugramuniversity.ac.in/
129	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा*	2008	http://www.uhsr.ac.in
130	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार – 125001*	1995	http://www.gjust.ac.in
131	हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनीवर्सिटी (दुधोला पलवल), सेक्टर–18, गुरूग्राम, हरियाणा	2016	http://www.hvsu.ac.in
132	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाडी–122502*	2013	http://www. igi.ac.in
133	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र– 136119*	1956	http://www.kuk.ac.in
134	लाला लाजपत राय यूनिविर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार – 125004*	2010	http://lwww.uvas.edu.in
135	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल–132001, हरियाणा	2016	http://www.mhu.ac.in
136	महर्षि बाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, मुंदरी, कैथल– 136027, हरियाणा	2018	http://www.mvsumktl.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
137	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक – 124001*	1976	http://www.mdurohtak.ac.in
138	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, उमरी रोड, सेक्टर–8, कुरुक्षेत्र, हरियाणा –136118	2017	https://skau.ac.in/
139	स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इंटीग्रेटेड कैंपस, सेक्टर–6, रोहतक, हरियाणा	2014	http://www. supva.ac.in
140	जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पूर्व में वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात) फरीदाबाद– 121006, हरियाणा*	2009	http://www.ymcaust.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
141	अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश (पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात) एसएलबीएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश–175008	2018	http://www.amruhp.ac.in
142	डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्टरी यूनिवर्सिटी, नौनी – 173230*	1986	http://www.yspuniversity. ac.in
143	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गंधाल, शकराह, उप–तहसील धामी, जिला– शिमला– 171011, हिमाचल प्रदेश	2016	http://www.hpnlu.ac.in
144	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला – 171005*	1970	http://www.hpuniv.ac.in
145	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर – 176062*	1978	http://www. hillagric.ac.in
146	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश– 177001	2010	http://www. himtu.ac.in
147	सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मंडी 175001, हिमाचल प्रदेश	2018	http://www. Svpcumandi.ac.in
जम्मू और कश्मीर			
148	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड़, चन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू*	2005	http://www.bgsbuniversity.org
149	क्लस्टर यूनीवर्सिटी ऑफ जम्मू, महिला शासकीय महाविद्यालय, गांधी नगर, जम्मू–180004, जम्मू और कश्मीर	2016	http://www.clujammu.in
150	क्लस्टर यूनीवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, एस0पी0 महाविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	2016	http//www.cusrinagar.edu.in
151	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर – 190006*	1949	http://www.kashmiruniversity.net
152	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर– 191121*	1982	http://www. skuastkashmir.ac.in
153	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, छत्ता, जम्मू–180009	1999	http://www.skuast.org
154	श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय, कैम्प ऑफिस : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू – 180004*	2004	http://www.smvdu.net.in
155	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवान्तिपुरा, पुलवामा – 192122 (जम्मू और कश्मीर)	2005	http://www.islamicuniversity.edu.in
156	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी– 180006*	1968	http://wwwjammuniversity. in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
झारखण्ड			
157	बिनोद बिहार महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद, झारखण्ड	2017	http://bbmku.ac.in/
158	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची– 834006*	1980	http://www.baujharkhand.org
159	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड*	2017	www.spmuranchi.ac.in
160	झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, पुरानी न्यायिक अकादमी (श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान परिसर) मेयर रोड, रांची –834002	2016	http://www.rsu.ac.in
161	झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, साइंस एंड टेक्नॉलाजी, कैम्पस सिरखा टोल, नामकुम, रांची–838 010, झारखंड	2015	http://www.sbtejharkhand.nic.in/
162	कोल्हन विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूमि (झारखण्ड)	2007	http://www.kolhanuniversity.ac.in
163	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिर्सच इन लॉ, बहुकला संस्थान परिसर, बीआईटी, मेसरा, रांची–835217*	2010	http://www.nusrlranchi.ac.in
164	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मादीनीनगर, पलामू – 822101	2007	http://www.npu.ac.in
165	राँची विश्वविद्यालय, राँची– 834001*	1960	http://www.ranchiuniversity.org
166	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका– 814101*	1992	http://www.skmu.edu.in/
167	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग– 825301*	1993	http://www.vbu.co.in
कर्नाटक			
168	बंगलूरू विश्वविद्यालय, बंगलूरू – 560056*	1964	http://www.bub.ernet.in
169	बेंगलुरु नार्थ यूनीवर्सिटी, देवराज उर्स एक्सटेंशन, तमाका, कोलार– 563103, कर्नाटक	2017	http://www.bnu.ac.in
170	बेंगलुरु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय परिसर, डॉ. अम्बेडकर वीथी, बेंगलुरु – 560001, कर्नाटक	2017	http://www.bcu.ac.in
171	बेंगलुरु डॉ. बी. आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, राजाजी हॉल, सेंट्रल कॉलेज कैंपस, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, बंगलुरु–560001, कर्नाटक	2019	https://base.ac.in/
172	दावनगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावनगिरी – 577002*	2009	http://www.devangereuniversity.org
173	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा– 585106*	1980	http://www.gulbargauniversity.kar.nic.in
174	कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, जिला बेलारी, कमालपुरा– 583276*	1992	http://www.kannadauniversity.org
175	कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय, घटाघोडी एनएच–4 तालुक–शिगाँव, जिला–हवेरी, कर्नाटक –581197	2012	http://wwwjanapadauni.in
176	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़– 580003*	1949	http://www.kud.ac.in
177	कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विश्वविद्यालय, रायथा भवन, भूमरड्डी सर्किल, गदाग– 582 101, कर्नाटक	2016	http://www.ksrdpru.in
178	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर – 586 101*	2004	http://www.kswu.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
179	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा – 577451*	1987	http://www.kuvempu.ac.in
180	कर्नाटक वेट्रिनेरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, पीबी नं. 6, बीदर, कर्नाटक – 585401	2004	http://www.kvafsu.kar.nic.in
181	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली*	2009	http://www.kslu.ac.in
182	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर– 570006*	1996	http://www.ksoumysore.edu.in
183	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बेंगलुरु– 580018*	2011	http://www.ksu.ac.in
184	कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी, गोटागोड़ी, शिगगाँव तालुक, हावेरी जिला 581197	2011	http://www.janapadauni.in
185	केएसजीएच संगीत एवं अभिनय कला विश्वविद्यालय, एलजेबी रोड़, नियर अशोक सर्कल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर– 570004	2009	http://www.musicuniversity.ac.in
186	महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, पैलेस रोड, बेंगलुरु–560001, कर्नाटक	2019	
187	मांड्या विश्वविद्यालय, एम.सी. रोड, मांड्या–571401, कर्नाटक	2019	http://www.mandyauniversity.ac.in/
188	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर– 574199*	1980	http://www.mangaloreuniversity.ac.in
189	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर– 570005*	1916	http://www.uni-mysore.ac.in
190	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु – 560072*	1992	http://www.nls.ac.in
191	नृपतुंगा विश्वविद्यालय, नृपतुंगा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	2020	http://www.nrupathungauniversityblr.ac.in/
192	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु – 560041	1994	http://www.rguhs.ac.in
193	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, विद्यासंगम, एनजी–4, पीबी हाइवे, बेलागावी–591156, कर्नाटक*	2010	http://www.rcub.ac.in
194	रायचूर विश्वविद्यालय, जनाना तुंगा कैंपस, येरागेरा– 584133 रायचूर, कर्नाटक	2020	
195	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड़, तुमकुर – 572101*	2004	http://www.tumkuruniversity.in
196	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेगलूरू–560065*	1964	http://www.uasbangalore.edu.in
197	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580005*	1986	http://www.uasd.edu
198	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर – कर्नाटक 584104*	2010	http://www.uasraichur.edu.in
199	यूनीवर्सिटी ऑफ हार्टिकल साइंस, बागलकोट उद्यानगिरि, सीमीकेरी के समीप क्रॉस बागलकोट–587104, कर्नाटक	2010	http://www.uhsbagalkot.edu.in/
200	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलागावी– 590010*	1999	http://www.vtu.ac.in
201	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, ज्ञान सागर कैम्पस, विनयका नगर, छावनी, बेल्लारी– 583104*	2010	http://www. vskub.org
केरल			
202	ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, सीईटी कैम्पस, तिरूअनंतपुरम–695016	2015	https://ktu.edu.in/
203	कालीकट यूनिवर्सिटी, त्रिची पालारी, मालापुरम जिला कोझीकोड– 673 635*	1968	http://www.universityofcalicut.info.

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
204	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची– 682 022*	1971	http://www.cusat.ac.in
205	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर – 670 562*	1997	http://www.kannuruniversity.ac.in
206	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर– 680 656*	1972	http://www.kau.edu
207	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवन्नतपुरम– 695034*	1937	http://www.keralauniversity.ac.in
208	केरल यूनिवर्सिटी आफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, पनागढ़, कोच्ची– 682506, केरल*	2011	http://www.kufos.ac.in
209	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, थ्रिसूर– 680596	2011	http://www.kuhs.ac.in
210	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोसिटी कैंपस, कुराकोड, मंगलापुरम, थोनक्कल, पीओ तिरुवनंतपुरम–695317, केरल	28.09.2020	http://www.duk.ac.in
211	केरल यूनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, पोकोट लाकीदी पीओ, वायनाड, केरल	2011	http://www.kvasu.ac.in
212	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम– 686 560*	1983	http://www.mgu.ac.in
213	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड् लीगल स्टडीज (एन.यू.ए.एल.एस.) कालोर, कोच्चि – 682017, केरल*	2009	http://www.nuals.ac.in
214	श्री नारायनगुरू मुक्त विश्वविद्यालय, कोल्लम, केरल–691 606	23.09.2020	http://www.sreenarayanguru.edu.in
215	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी – 683574*	1994	http://www. ssus.ac.in
216	थुनचट्ठ एजूथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहन विलास, पुकायिल पी0ओ0 तिरूर, मल्लपुरम, जिला केरल– 676 107*	2013	http://www.malayamuniversity.edu.in
लद्दाख			
217	लद्दाख विश्वविद्यालय, सिल्क रूट रेस्ट हाउस, टीआरसी, लेह, लद्दाख	2018	http://www. Universityofladakh.ac.in
मध्य प्रदेश			
218	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा– 486003*	1968	http://www.apsurewa.nic.in
219	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल– 462016 मध्य प्रदेश	2011	http://www. abvhv.org
220	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल – 462026*	1970	http://www.bubhopal.nic.in
221	छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा–480 001, मध्य प्रदेश	2019	http://www.cuc.ac.in
222	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर– 452 001*	1964	http://www. dauniv. ac.in
223	धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भारत रत्न भीम राव आंबेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, रिज रोड, सिविल लाइन्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2018	https://www.mpdnlu.ac.in
224	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ0 अम्बेडकर नगर, महाओ–453441, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश*	2016	http://www.brauss.in
225	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर– 482004*	1964	http://www.jnkvv.nic.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
226	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर– 474011*	1964	http://www.jwaji.edu
227	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,एनएससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर, बेडाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2011	http://www.mpmsu.edu.in
228	महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश	2014	http://www.mchhatrasaluniversity.com
229	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकू – 485331, जिला सतना*	1993	http://www.mgcgvchitrakoot.com
230	एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल – 462016*	1995	http://www.bhovirtualuniversity.com
231	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल – 462039*	1993	http://www.mcu.ac.in
232	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवम् वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456010	2008	http://www. mpsvvuj_jain.org
233	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर – 482001	2009	http://www.mppcvv.org
234	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकेरी कलां, भोपाल 462044*	1999	http://www.nliu.ac.in
235	पंडित एस0एन0 शुक्ला विश्वविद्यालय, शाहडोल– 484001, मध्य प्रदेश*	2016	http://www.ptsns,university.ac.in
236	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर, 474009*	2009	http://www.rmtmusicandartsuniversity.com
237	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल – 462036*	1998	http://www.rgtu.net
238	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482001*	1957	http://www.rdunijbpin.org
239	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़ ग्वालियर–474002	2009	http://www.rvskvv.nic.in
240	सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बौद्धिस्ट–इंडिक स्टडीज, द्वितीय तल, इंस्टीटयूट ऑफ गुड गवर्नेस एण्ड पालिसी एनालिसिस, भादभादा स्क्वेयर, भोपाल–462003*	2013	http://www.sanchiuniv. edu.in
241	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन– 456010*	1957	http://www.vikramuniversity.org
महाराष्ट्र			
242	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद – 431004*	1958	http://www.bamu.net
243	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे – 402103*	1992	http://www.dbatu.ac.in
244	डॉ. होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, 15 मैडम कामा रोड, मुंबई–400032, महाराष्ट्र	15.02.2019	http://www.hbsu.ac.in
245	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला – 444104*	1969	http://www.pdkv.mah.nic.in
246	गोडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्पलेक्स, गढ़चिरोली, 422605, महाराष्ट्र*	27.09.2011	http://www.gondwana.digitaluniversity.ac.in
247	अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, खेल और युवा सेवाएं, शिवछत्रपति, खेल परिसर महालुंगे–बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र	21.01.2021	

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
248	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर– 441106*	1997	http://www.sanskrituni.net
249	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, जिला रत्नागिरि – 415712*	1972	http://www.dbskkv.org
250	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, फुटाला लेक रोड, नागपुर– 440001	2002	http://www.mafsu.in
251	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बाक्स 8338, देवनार, मुंबई–400088, महाराष्ट्र	2014	http://www.nlumumbai.edu.in
252	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (जेओटीआई), सीपी क्लब रोड, नागपुर– 440001, महाराष्ट्र*	2015	http://www.nlunagpur.ac.in
253	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बी0एड0 कालेज कैम्पस, पदमपुरा, औरंगाबाद–431005, महाराष्ट्र	2017	http://www.mnlua.ac.in
254	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक – 424004	2000	http://www.muhs.ac.in
255	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी– 413722*	1968	http://www.mpkv.mah.nic.in
256	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी– 431402*	1983	http://www.mkv2.mah.nic.in
257	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई– 400032*	1857	http://www.mu.ac.in
258	कवियित्री बहिनबाई चौधरी नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी (पूर्व में नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात) , जलगाँव– 425001*	1991	http://www.nmu.ac.in
259	सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे–411007*	1949	http://www.unipune.ac.in
260	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती– 444602*	1983	http://www.sgbau.ac.in
261	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर – 416004*	1962	http://www.unishivaji.ac.in
262	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय मुम्बई – 400020*	1951	http://www.sndt.digitaluniversity.ac
263	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर पुणे रोड़, केगांव, शोलापुर – 413255*	2004	http://www. su.digitaluniversity.ac
264	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नादेंड – 431606*	1995	http://www.srtmun.org
265	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक – 422222*	1990	http://www.ycmou.digitaluniversity.ac
266	दि राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर – 440001*	1923	http://www.nagpuruniversity.org
मणिपुर			
267	धनमंजुरी विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर	2018	http://www.dmu.ac.in
268	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय, तकियेलपेट, इंफाल, मणिपुर	2016	http//www.mtu.ac.in
269	मणिपुर संस्कृति विश्वविद्यालय, पैलेस कम्पांउड, पूर्वी इंफाल–795001, मणिपुर	2015	http//www.muc.ac.in
ओड़ीशा			
270	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर – 760007*	1967	http://www.bamu.nic.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
271	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला–769004	2003	http://www.bput.ac.in
272	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर – 596019*	1999	http://www.fmuniversity. nic.in
273	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय,फाटक, बुद्धिराजा, सम्भलपुर, ओड़िशा– 768004*	2015	http://www.gmuniversity.ac.in
274	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोथापरना, पीओ मालीपाड़ा, भुवनेश्वर–751003	2014	http://www.iiit.bh.ac.in
275	कालाहांडी विश्वविद्यालय, भवानीपटना जिला– कालाहांडी–766001, ओडिशा	2020	https://kalahandiuniversity.ac.in/
276	खालीकोटे विश्वविद्यालय, बेरहामपुर, गंजम, ओड़ीशा	2015	http://www.khallikotecollege.org
277	मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी, स्टेशन रोड, कटक, ओडिशा	28.04.2021	https://mlu.ac.in
278	उत्तरी ओड़िशा विश्वविद्यालय, बारीपेडा, जिला मयूरभंज– 757003*	1999	http://www.nou.nic.in
279	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स–28, कटक– 753001*	2008	http://www.nluo.ac.in
280	ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जी0एम0 विश्वविद्यालय कैम्पस, बुद्धिराजा, सम्बलपुर–768004, ओड़िशा	2015	http//www.osou.ac.in
281	ओड़िशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलाजी एंड रिसर्च, टेक्नो कैम्पस, पी0ओ0 महालक्ष्मी बिहार, भुवनेश्वर–751029	08.10.2021	https://www.cet.edu.in/
282	ओड़िशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर– 751003*	1962	http://www. ouat.ac.in
283	राजेंद्र विश्वविद्यालय, बोलांगीर, ओडिशा	2020	www.rajendrauniversity.ac.in
284	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ओड़िशा*	2015	http://www.rdwuniversity.nic.in
285	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक – 753003,*	2005	http://www.ravenshawuniversity.ac.in
286	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, सम्भलपुर – 768019*	1967	http://www.suniv.ac.in
287	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी–752003*	1981	http://www. sjsv.nic.in
288	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004*	1943	http://www.utkal-university.org
289	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर – 751009	1999	http://www.uuc.ac.in
290	वीर सुरेन्द्र सांई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुरला, जिला सम्बलपुर, ओडीशा –768018*	2009	http://www.vssut.ac.in
291	वीर सुरेन्द्र सांई इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइस एंड रिसर्च, आयुर्विहार, बुरला सम्बलपुर– 768017, ओडीशा	2014	http//www.vimsar.ac.in
पंजाब			
292	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, सादिक रोड़, फरीदकोट – 151203*	2002	http://www.bfuhs.ac.in
293	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर – 143005*	1969	http://www.gndu.ac.in
294	गुरू अंगददेव वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना – 141004*	2005	http://www. gadvasu.in
295	गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब–146001	2010	http://www. graupunjab.org
296	जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला, पंजाब	2019	http://www.psou.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
297	महाराज रणजीत सिंह राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय, डबवाली रोड, भटिंडा–151001*	2015	http://www.mrsptu.ac.in
298	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना – 141004*	1962	http://www.pau.edu
299	सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, गुरदासपुर, पंजाब	2021	http://www.bcetgsp.ac.in/
300	शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर, पंजाब	2021	www.sbsstc.ac.in
301	आई के गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर –144 011	1998	http://www.ptu.ac.in
302	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला – 147002*	1962	http://www.punjabiuniversity.org
303	श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, तरन तरण–143401, पंजाब	2020	
304	महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मोहिंद्र कोठी, फव्वारा चौक के निकट, पटियाला–147001, पंजाब	2019	http://mbspsu.pgsgcpe.com/
305	द राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला– 147001*	2006	http://www.rgnul.ac.in
राजस्थान			
306	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर– 342304, राजस्थान	2013	https://www.aujodhpur.ac.in/
307	बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीकानेर कैम्पस, करणी औद्योगिक क्षेत्र, पुगल रोड, बीकानेर–334004	2017	https://www.btu.ac.in
308	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	2019	http://www.babasaheb. university.nic.in
309	गोविन्द गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, श्री गोविन्द गुरु गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस, बनासवाड़ा–327001	2012	http://www. ggtu.ac.in
310	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, 213, राजीव गांधी विद्या भवन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर–302017	2019	http://www.hjuj.ac.in
311	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342011*	1962	http://wwwjnvu.edu.in
312	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, 2–2ए, झालना डोंगरी, जयपुर (राजस्थान)*	1998	http://www jrrsanskrituniversity.ac.in
313	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा – 324010*	1987	http://www. vmou.ac.in
314	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001	2000	http://www.mpuat.ac.in
315	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर – 305009*	1987	http://www.mdsuajmer.com
316	महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, एम0एस0जे0 महाविद्यालय भवन, भारतपुर–321001 (राजस्थान)	2012	http://www. brijuniversity. ac.in
317	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001*	1962	http://www.mlsu.ac.in
318	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर– 342004	2004	http://www.nlujodhpur.ac.in
319	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर –334 006. (पूर्व में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात)*	1987	http://www.raubikaner.org

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
320	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	http://www.raujodhpur.org
321	राजस्थान आईएलडी स्किल यूनीवर्सिटी (आरआईएसयू), होटल खासा कोठी कैम्पस, जयपुर 302031, राजस्थान	30.03.2017	http://www.rajskills.edu.in
322	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान –342004	2012	http://www.policeunviersity.ac.in
323	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – 302004*	1947	http://www.uniraj.ernet.in
324	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बी–1, सवाई मानसिंह रोड़, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर*	2005	http://www.ruhsraj.org
325	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान*	2010	http://www.rajuvas.org
326	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर, राजस्थान*	2003	http://www.mgsubikaner.ac.in
327	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अखेलगढ़, रावतभाटा रोड़, कोटा 324010	2006	http://www.rtu.ac.in
328	राजऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, महिला छात्रावास भवन, बाबू शोभराम शासकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर, राजस्थान	2012	http://www.rrbmuniv. ac.in
329	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (पूर्व में शेखावाटी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात), श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001	2012	http://www.shekhauni.ac.in
330	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)*	2003	http://www.uok.ac.in
सिक्किम			
331	खांगचेन्दोंगा राज्य विश्वविद्यालय, सिक्किम, (पूर्व में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय), गंगटोक पूर्वी सिक्किम, ताडोंग –737102, सिक्किम (राज्य विश्वविद्यालय)	2017	http://www.sikkimstateuniversity.in/
332	सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय, सिक्किम शासकीय विधि महाविद्यालय, बुरतुक (कैम्पस) गंगटोक–737102, सिक्किम	2018	
तमिलनाडु			
333	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी –630003*	1985	http://www.alagappauniversity.ac.in
334	अन्ना विश्वविद्यालय, गुंडई, चेन्नई – 600025*	1978	http://www.annauniv. edu
335	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर – 608002*	1929	http://www.annamalaiuniversity. ac.in
336	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641046*	1982	http://www.b-u.ac.in
337	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली – 620024*	1982	http://www.bdu.ac.in
338	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई – 600005*	1857	http://www.unom.ac.in
339	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई – 625021*	1965	http://www.mkuniversity.org
340	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेल्ली – 627012*	1992	http://www.msuniv.ac.in
341	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल – 624102*	1984	http://www.motherterasawomenuniv.org
342	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम – 636010*	1998	http://www.periyaruniversity. ac.in
343	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर –613010*	1981	http://www.tamiluniversity.ac.in
344	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641003*	1971	http://www.tnau.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
345	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, संख्या 577, अन्ना सलाई साइदापेट, चेन्नई – 600025*	2004	http://www.tnou.ac.in
346	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600028*	1998	http://www.tndalu.ac.in
347	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई – 600032*	1989	http://www.tnmgrmu.ac.in
348	तमिलनाडु मत्सियिकी विश्वविद्यालय, प्रथम लाईनबीच रोड, नागापट्टनम–611001*	2012	http://www.tnfu.org.in
349	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवालूर, कुट्टापट्टू, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली – 620009*	2012	http://www.tnnls.ac.in
350	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सम्पत, मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई*	2005	http://www.tnpesu.org
351	तमिलनाडु संगीत तथा ललित कला विश्वविद्यालय, डॉ0 डी0जी0एस0 दिनाकरन सलाई, चेन्नई– 600028	2013	http://www.tnmfau.in
352	तमिलनाडु वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600051*	1990	http://www.tanuvas.ac.in
353	तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय, सरक्कादु, वेल्लोर 632115*	2003	http://www.tvuni.in
354	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई – 600005*	2008	http://www.tnteu.in
तेलंगाना			
355	डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद–500033*	1982	http://www.braou.ac.in
356	जवाहर लाल नेहरू वास्तुकला तथा ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मसाब टैंक, हैदराबाद–500028*	2008	http://www.jnafau.ac.in
357	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलाजीकल युनिवर्सिटी, हैदराबाद–500085*	1972	http://www.jntuh.ac.in
358	कालोजी नारायणराव यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांइस, ककातिया मेडीकल कालेज कैम्पस, रंगमपेट, वारंगल, तेलंगाना– 506002	2017	http://www.knruhs.in
359	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल – 506009*	1976	http://www.kakatiya.ac.in
360	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, येल्लारेइडीयुगुडेम, नलगोण्डा – 508254*	2008	http://www.mguniversity.ac.in
361	नालसार कला, विधि और न्याय विश्वविद्यालय, शमीरपेट, आर0आर जिला, हैदराबाद– 500101*	1999	http://www.nalsar.ac.in
362	निजाम इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांईस, पंजागुट्टा, हैदराबाद–500082	1989	http://www.nims.ap.nic.in
363	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500007*	1918	http://www.osmania.ac.in
364	पालामुरू विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्पलेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर – 509001*	2008	http://www.palamuruuniversity.ac.in
365	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500004*	1985	http://www. teluguuniversity.ac.in
366	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030*	2014	http://www.pjtsau.ac.in
367	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ नालेज टेक्नोलाजी, हैदराबाद*	2011	http://www.rgukt.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
368	सातवाहन विश्वविद्यालय, मल्कापुर रोड, करीमनगर – 505001*	2008	http://www. satavahana.ac.in
369	श्रीकोण्डा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	2014	http://www.skitshu.ac.in
370	श्री पी0 वी0 नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटेनरी यूनीवर्सिटी, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद–500030*	2014	http//www.tsvu.nic.in
371	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद –503322*	2006	http://www.telanganauniversity.ac.in
त्रिपुरा			
372	महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा	2015	http://www. mbbuniversity. ac.in
उत्तर प्रदेश			
373	इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, सीपीआई परिसर, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2016	http://www. alldstateuniversity.org
374	अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, 9वां तल, अकादमिक ब्लॉक, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, लखनऊ –26210, उत्तर प्रदेश	2020	https://abvmuup.edu.in/
375	बंदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बंदा–210001, उत्तरप्रदेश	2010	http://www.buat.edu.in
376	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी – 284128*	1975	http://www.bujhansi.org
377	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर – 208002*	1974	http://www.csauk.ac.in
378	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर – 208024*	1965	http://www.kanpuruniversity. org
379	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ –250005*	1965	http://www. ccsuniversity. org
380	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर – 273009*	1957	http://www. ddugu.edu.in
381	डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (पूर्व में उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात), लखनऊ 226 031*	2001	http://www. uptu.ac.in
382	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224001*	1975	http://www.rmlau.ac.in
383	डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश	2018	https://www.drrmlims.ac.in/
384	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर – डी–1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड़ स्कीम, लखनऊ 226012*	2005	http://www.rmlnlu.ac.in
385	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा – 282004*	1927	http://www. dbrau.com
386	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला – गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201312*	2002	http://www.gbu.ac.in
387	हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर– 208002, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.hbtu.ac.in
388	जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उत्तरप्रदेश	2016	http://www.jncu.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
389	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226013*	2010	http://www. uafulucknow.ac.in
390	किंग जार्ज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226003*	2004	http://www.kgmcindia.edu
391	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226007*	1921	http://www. lucknowuniv.org
392	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273010*	2013	http://www.mmmut.ac.in
393	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006*	1975	http://www.mjpru.ac.in
394	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी–221002*	1974	http://www.mgkvp.ac.in
395	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224229*	1974	http://www.nduat.ernet.in
396	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221002*	1958	http://www.ssvv.up.nic.in
397	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ – 250110	2004	http://www.svbpmeerut.ac.in
398	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर –272202	2015	http://www. sidunikapilvastu. edu.in
399	यू.पी. किंग जार्ज दंत चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226003	2004	
400	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान,मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	http://www. upvetuniv. edu.in
401	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड़) इलाहाबाद – 211001	2004	http://www.uprtou.ac.in
402	उत्तरप्रदेश यूनीवर्सिटी ऑफ मेडिकल सांइस, सैफई, इटावा–206130, उत्तरप्रदेश	2016	http//www.upums.ac.in
403	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ0 शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड, लखनउ, उत्तर प्रदेश–226017*	2008	http://www.dsmru.up.nic.in
404	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर – 222002*	1987	http://www.vbspu.ac.in
उत्तराखण्ड			
405	दून विश्वविद्यालय, मोथरवाला रोड, केदारपुर, देहरादून –248001*	2005	http://www.doonuniveristy.ac.in
406	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पंतनगर– 263145*	1960	http://www.gbpuat.ac.in
407	हेमवती नन्दन बहुगुणा आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, गंगा विहार, रोडवेज कार्यशाला के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड	2014	http://www.hnbumu.ac.in
408	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल – 263001*	1973	http://www.kuntl.in
409	सोबल सिंह जेना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	2020	
410	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बडशाहीथोल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249199	2011	http://www.sdsuv. ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
411	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7–ए, प्लेजेन्ट वेली, राजपुर रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड	2009	http://www.uau.ac.in
412	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार– 249401 (उत्तराखंड)*	2005	http://www.usvv.org
413	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए–12, सरस्वती विहार, लवर अघोवाला, पोस्ट–धालानवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	2008	http://www.uktech.ac.in
414	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के समीप, तीन पानी बॉय पास रोड, पी.ओ. इंडस्ट्रीयल एस्टेट, हल्द्वानी–263139 (नैनीताल), उत्तराखंड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	http://www.uou.ac.in
415	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 246123	2011	http://www.uuhf.ac.in
पश्चिम बंगाल			
416	अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय, पीओ अलीपुरद्वार कोर्ट, जिला– अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल–736122	2021	https://alipurduaruniversity.ac.in/
417	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700091*	2007	http://www.aliah.ac.in
418	बांकुरा विश्वविद्यालय, पुआबागन कैम्प कार्यालय, डाकघर बागबंद, जिला बांकुरा–722146*	2014	http://www.bankurauniv. ac.in
419	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया – 741252*	1974	http://www.bckv.edu.in
420	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाती, वर्द्धमान – 713104*	1960	http://www.buruniv.ac.in
421	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700073*	1857	http://www.caluniv.ac.in
422	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विवेकानन्द रोड, कूच बिहार–736101	2012	http://www.cbpbu.ac.in
423	दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय, उत्तर चकभबनी (एलआईसी कार्यालय के निकट), बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर–733101, पश्चिम बंगाल	26.02.2021	https://www.dduniv.ac.in/
424	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय, केयर ऑफ फकीर चंद कॉलेज, डायमंड हार्बर, दक्षिण चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल–743331*	2013	http://www.dheou.ac.in
425	हरीचंद गुरुचंद विश्वविद्यालय, उत्तर 24 परगना– 743245, पश्चिम बंगाल	2021	https://harichandguruchanduniversity.com/
426	हिंदी विश्वविद्यालय, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	01.01.2021	http://www.hindiuniv.org.in
427	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता–700032*	1955	http://www.jadavpur.edu
428	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी – 741235*	1960	http://www.klyuniv.ac.in
429	कन्याश्री विश्वविद्यालय, कृष्णानगर, नाडिया, पश्चिम बंगाल	2020	
430	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, पुराना एडीडीए कार्यालय भवन (आसनसोल बालिका महाविद्यालय के पीछे), पी ओ– आसनसोल –713304, जिला – बर्दवान, पश्चिम बंगाल*	2012	http://www.knuedu.in
431	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में पुरबा मेदिनीपुर विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात), पुरबा मेदिनीपुर–721628, पश्चिम बंगाल	10.12.2020	www.mguwb.org.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
432	मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय, 1 नंबर शहीद सूर्य सेन रोड, बेरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल– 742101	01.06.2021	https://www.murshidabaduniversity.ac.in/
433	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जलिंग – 734430*	1962	http://www.nbu.ac.in
434	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकता – 700020	1997	http://www.wbnsou.ac.in
435	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता – 700073*	2010	http://www.presiuniv.ac.in
436	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700050*	1962	http://www.rbu.ac.in
437	रायगंज विश्वविद्यालय, पीओ–रायगंज, जिला उत्तरी दिंजापुर–733134*	2015	http://www.raiganjuniversity.ac.in
438	रानी रश्मोनी ग्रीन यूनिवर्सिटी, तारकेश्वर, हुगली, पश्चिम बंगाल	09.01.2018	http://www.rrgu.org
439	साधु राम चंद मुर्मू झारग्राम विश्वविद्यालय (पूर्व में झारग्राम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात), झारग्राम राज कॉलेज, झारग्राम– 721507, पश्चिम बंगाल	01.06.2021	https://jhargram.gov.in/
440	सिद्धो–कान्हो–बिरसा विश्वविद्यालय, 10 ए, ब्लॉक – एलए, प्रशासनिक भवन, रेंच रोड परिसर, सैनिक स्कूल के निकट, पुरलिया –723104*	2010	http://www.skbu.ac.in
441	द संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता– 700073	2016	http://www.sanskritcollegeanduniversity.org.in
442	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर–III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता*	2004	http://www.nujs.edu
443	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी–36, सेक्टर–1, साल्ट लेक, कोलकाता – 700064*	2002	http://www.wbuhs.ac.in
444	पश्चिम बंगाल अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, 25/2 और 25/3, बैलीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता–700019	2015	http://www. wbuttepa.ac.in
445	गौड़ बंगा विश्वविद्यालय, रवीन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर, पीओ और जिला–मालदा–732 101*	2007	http://www.ugb.ac.in
446	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला – कूच बिहार – 736165	2001	http://www.ubkv.ac.in
447	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर – 721102*	1981	http://www. vidyasagar.ac.in
448	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एंड फिशरीज़ साइंसेज, बेलगाचिया, कोलकाता 700037*	1995	http://www.wbuafscl.ac.in
449	पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बीएफ–142, साल्ट लेक, कोलकाता–700091*	2001	http://www.wbut.net
450	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, बारासात गर्वेनमेंट कालेज एनेक्सी बिल्डिंग, 10 के0एन0सी0 रोड, कोलकाता 700124*	2007	http://www.wbsubregistration.org

तालिका 2.2 (i)(ख)(iv) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय

(*विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना की तिथि	वेबलिंक
आंध्र प्रदेश			
1	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार विश्वविद्यालय, गाउनीवारीपल्ली, गोरांटला मंडल, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	17.02.2019	http://www.bestiu.in
2	सेंचुरियन यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी एंड मैनेजमेंट, गिडीजाला जंक्शन, आनंदपुरम मंडल, विशाखापत्तनम– 531173, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.cutm.ac.in
3	केआरईए विश्वविद्यालय, सेंट्रल एक्सप्रेसवे, श्री सिटी, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	http://krea.edu.in/
4	सविता अमरावती विश्वविद्यालय, तीसरी मंजिल, वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, एक्जीक्यूटिव क्लब के सामने, विजयवाड़ा– 520008, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	www.saveethaamaravati.university
5	एसआरएम विश्वविद्यालय, नीरुकोंडा–कुरागल्लू ग्राम, मंगलगिरी मंडल, गुंटूर जिला –522502, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.srmap.edu.in
6	वीआईटी–एपी विश्वविद्यालय, अमरावती – 522237, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	https://vitap.ac.in/
अरूणाचल प्रदेश			
7	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरूणाचल प्रदेश–791102	10.05.2013	http://www.apexuniversity. ac.in
8	अरूणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, एनएच–52, नामसाई, जिला नामसाई,–792103, अरूणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.arunachaluniversity.ac.in
9	अरूणोदय विश्वविद्यालय, ई–सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला–नामसाई–791109, अरूणाचल प्रदेश	21.10.2014	http://www.arunodayauniversity.ac.in
10	हिमालयन यूनिवर्सिटी, 401, ताकर कॉम्प्लेक्स, नाहरलागुन, ईटानगर, जिला–पापुमपारे–791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	http://www.himalayanuniversity.com
11	नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर टेक्नीकल युनिवर्सिटी, सिबु–पियुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग(जिला), अरूणाचल प्रदेश–791001	03.09.2014	http://www.neftu.edu.in
12	द ग्लोबल यूनीवर्सिटी, होलोंगी, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	18.09.2017	http://www.globaluniversity.edu.in
13	द इंदिरा गांधी टेक्नॉलोजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरूणाचल प्रदेश–791120	26.05.2012	http://www.indiragandhiuniversity. in
14	वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश	20.06.2012	http://www.vou.ac.in
असम			
15	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी–781017*	12.02.2009	http://www.dbuniversity. ac.in
16	असम डॉउन टॉउन यूनिवर्सिटी, शंकर महादेव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी – 781036*	29.04.2010	http://www.adtu.in
17	कृष्णगुरु आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, नासात्रा, बारपेटा, असम –781307	11.04.2017	http://www.kav.org.in/
18	महापुरूष श्रीमंत शकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत, श्रीमंत शंकरदेव संघ काम्पलेक्स, हलधर भायुन पथ, कालोंपार, नौगांव–782001, असम	14.08.2013	http://www.mssv.co.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
19	द असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम–785006	11.04.2012	http://www.kazirangauniversity.in
20	द असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी,बेटकुची, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने,एनएच –37, गुवाहाटी –781035, असम	23.08.2013	http://www.rgu.ac.in
बिहार			
21	अल–करीम यूनिवर्सिटी कटिहार–पुरनेया रोड के निकट, सिरसा, करीम बाग, कटिहार – 854 106 (बिहार)	15.06.2018	http://www.alkarimuniversity.edu.in/
22	एमिटी यूनिवर्सिटी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना – 801503, बिहार	18.08.2017	http://amity.edu/patna/
23	डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी ब्लॉक – भगवानपुर, एन एच–77 (पटना–मुजफ्फरपुर हाईवे), जिला–वैशाली – 844114, बिहार	29.01.2018	http://cvru.ac.in/
24	गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुहार, जिला– रोहतास– 821305 बिहार	15.06.2018	https://www.gnsu.ac.in/
25	माता गुजरी यूनिवर्सिटी, पूरबपाली रोड, किशनगंज– 855107, बिहार	20.02.2019	http://www.matagujriuniversity.com
26	संदीप यूनीवर्सिटी, ग्राम सिजोली, जिला मधुबनी,–847235, बिहार	08.06.2017	http://www.sandipuniversity.edu.in
27	के0 के0 यूनीवर्सिटी, बेरौती, नेपुरा, बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार–803115	08.06.2017	http://www.kkuniversity.ac.in
छत्तीसगढ़			
28	एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्टस्, ग्राम–माथ, तहसील–तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	17.04.2018	https://aaft.edu.in/
29	एमिटी युनिवर्सिटी, ग्राम मंथ, तहसील–तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	http://www. amity. edu/raipur/
30	भारती विश्वविद्यालय, चंदखुरी दुर्ग छत्तीसगढ़– 491001	27.08.2021	https://bhartiuniversity.org/
31	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड़, कोटा, बिलासपुर–495001	03.11.2006	http://www. cvru.ac.in
32	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम सांकराकुम्हारी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ–490042	08.08.2018	http://www.dsvvsankara.com/
33	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, रा0रा0–6, रायपुर–भिलाई रोड़, ग्राम–छोरहा, आरआई सर्कल, अहीवारा, धामधा, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www. iuraipur.edu.in
34	आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गॉव–नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील– छुरा, जिला–गरियाबंद –493996, छत्तीसगढ़	09.09.2016	http://www. isbmuniversity.edu. in
35	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नं. 137, उपावाड़ा, नया रायपुर, जिला–रायपुर – 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	http://www. itmuniversity. org
36	के.के. मोदी विश्वविद्यालय, खासरा नंबर 72,73,75,217 और 220 ग्राम मेहमरा, जलबंध (रासमड़ा) रोड, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	08.08.2018	https://kkmu.edu.in/
37	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़*	24.03.2011	http://www. kalingauniversity.org
38	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर – 495001	17.04.2018	http://www. mumt.com

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
39	मैट्स विश्वविद्यालय, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत, गुल्लू, ग्राम – गुल्लू, तहसील – अरांग, जिला – रायपुर छत्तीसगढ़	03.11.2006	http://www. matsuniversity.ac.in
40	ओ0पी0 जिन्दल युनिवर्सिटी, नालेज पार्क, घरोन्दा रोड, पुन्जीपाथरा, रायगढ़–496001	21.08.2014	http://www. opju.ac.in
41	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ (निजी विश्वविद्यालय)*	17.04.2018	http://sruraipur.ac.in/
42	श्री शंकराचार्या व्यावसायिक विश्वविद्यालय ग्राम जुनवानी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़– 490020 (निजी विश्वविद्यालय)	09.06.2020	
गुजरात			
43	अहमदाबाद विश्वविद्यालय,एईएस बंगलो नम्बर– 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009*	07.07.2009	http://www.ahduni.edu.in
44	अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृतधाम परिसर, भोपाल गुमा–संसद रोड अहमदाबाद, गुजरात –382115	09.05.2016	http://www. anu.edu.in
45	आत्मीय युनिवर्सिटी, योगीधाम गुरुकुल, कालवाड़ रोड, राजकोट – 360005, गुजरात	13.04.2018	https://atmiyauni.ac.in/
46	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिटेलिटी एण्ड मेनेजमेंट, सूरत, गुजरात–394510	12.10.2011	http://www. aurouniversity.edu.in
47	भगवान महावीर विश्वविद्यालय, वीआईपी रोड, वेसू, सूरत, गुजरात	25.09.2019	http://www. bmvsurat.ac.in
48	भाईकाका विश्वविद्यालय, गोकल नगर, करमसाद–388325, गुजरात	25.09.2019	http://www.bhaikakauniv.edu.in/
49	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009	12.04.2015	http://www. cept.ac.in
50	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा – 388421, जिला – आनन्द	04.11.2009	http://www.charusat.ac.in
51	चारूतार विद्या मंडल (सीवीएम) विश्वविद्यालय, बीवीएम कॉलेज के बगल में शास्त्री मेंदान के सामने, वल्लभ विद्यानगर, जिला आनंद गुजरात	25.09.2019	http://www. cvmu.edu.incept.ac.in
52	सी0यू0 शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर–अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वधावन सिटी–363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013	http://www.cushahuniversity.ac.in
53	दर्शन विश्वविद्यालय, राजकोट–मोरबी राजमार्ग, एट हडाला टीए, जिला, राजकोट–363650, गुजरात	01.06.2021	https://www.darshan.ac.in/
54	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गाँधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर, 382007	06.03.2003	http://www.daiict.ac.in
55	डॉ. किरण एंड पल्लवी पटेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (केपीजीयू), कृष्णा एजुकेशन कैंपस, ब्लॉक नंबर 136पी वडोदरा, मुंबई एनएच–8 वर्नामा, वडोदरा– 391243, गुजरात	01.06.2021	https://kpgu.ac.in/
56	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा – 382711	23.03.2005	http://www.ganpatuniversity.ac.in
57	जी0एल0एस0 विश्वविद्यालय, गुजरात ला सोसायटी कैम्पस, लॉ गार्डन के सामने, एलीसब्रिज, अहमदाबाद–380006	15.04.2015	http://www.glsuniversity. ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
58	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गोकुल एजुकेशनल कैम्पस, नियर जीआरएसएल, सुजानपुर पाटिया, सिद्धपुर, जिला पाटन, गुजरात (निजी विश्वविद्यालय)	23.03.2018	http://gokuleducation.ac.in/
59	गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात	06.05.2017	https://gmu.edu.in/
60	जी0एस0एफ0सी0 यूनिवर्सिटी, विज्ञान भवन, डाकघर फर्टीलाइजर नगर–391750, जिला वदोदरा, गुजरात	19.12.2014	http://www.gsfcuni.edu.in
61	इन्डस विश्वविद्यालय, इन्डस कैम्पस, रणचारदा, वाया–थालटेज, अहमदाबाद – 382115	02.05.2012	http://www.iiuedu.in
62	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ–गांधीनगर, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसर्च कैंपस, ड्राइव–इन–रोड, थलतेज, अहमदाबाद – 380054	02.05.2015	http://www.iiphg.edu.in
63	इंद्रशील विश्वविद्यालय, रतनपुर, धांधुका, अहमदाबाद – 382465, गुजरात	31.03.2017	http://www.indrashiluniversity.educ.in
64	इन्स्टीटयूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इन्स्टीटयूशनल एरिया, खोबा, गांधीनगर–382007	12.10.2011	http://www.iar.ac.in
65	आईटीएम–वोकेशनल यूनीवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमेता रोड, रावाल तालुका, वाघोडिया, वदोदरा, गुजरात	08.05.2014	http://www.itm.ac.in
66	आईटीएम (एसएलएस) बड़ौदा विश्वविद्यालय, पालडी, जारोद के पास, वडोदरा–हलोल राजमार्ग, वडोदरा–391510 गुजरात	25.09.2020	http://www.itmbu.ac.in
67	जे.जी. यूनिवर्सिटी, उवारसाद, जिला–गांधीनगर–380054, गुजरात	25.09.2019	
68	कादी सर्वा विश्वविद्यालय, सर्वा विद्यालय कैम्पस, सेक्टर 15/23, गांधीनगर–382015	16.05.2007	http://www.ksvuniversity. org.in
69	कर्नावती विश्वविद्यालय, 907/ए, उवारसाड़,– 382422, जिला गांधीनगर, गुजरात	31.03.2017	http://www.karnavatiuniversity.com
70	लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, "लोटस व्यू" निरमा विश्वविद्यालय के सामने, एस0जी0 राजमार्ग, छारोडी, अहमदाबाद–382481	16.04.2013	http://www.lyu.ac.in
71	लोक जागृति केंद्र विश्वविद्यालय, एफपी नंबर 74, 100+113, टीपीएस नंबर 86 (सरखेज–ओकाफ–फतेवाड़ी, मकरबा) जिला अहमदाबाद, गुजरात	25.09.2019	http://www.ljku..edu.in
72	मारवाड़ी विश्वविद्यालय, राजकोट–मोरबी राजमार्ग, राजकोट –360003	09.05.2016	http://www.marwadiuniversity.ac.in
73	मोनार्क यूनिवर्सिटी, एट एंड पोस्ट वहेलाल, नरोडा–दहेगाम रोड टीए. दसक्रोई, जिला अहमदाबाद– 382330, गुजरात	01.06.2021	https://monarkuni.ac.in/
74	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना–भयली रोड़, वडोदरा–382015	07.07.2009	http://www.nuv. ac.in
75	निरमा यूनिवर्सिटी सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद .382481	12.3.2003	http://www.nirmauni.ac.in
76	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसेन, जिला गाँधीनगर – 382009	04.04.2007	http://www.pdpu.ac.in
77	पीपी सावानी विश्वविद्यालय, रा0 रा0–8, गेटको, बिल्टैक, ग्राम धामदोड़, कोसाम्बा, तहसील– मंगरोल, जिला सूरत–394125, गुजरात	31.03.2017	www.ppsu.ac.in
78	पारूल विश्वविद्यालय, डाकघर लिम्दा, ताल्लुक–वाघोडिया, जिला वदोदरा–391760	21.04.2015	http://www.paruluniversity.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
79	प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डुंगरा, जीआईडीसी, वीएपीआई, जिला–वलसाड– 396195	09.05.2016	http://www.plastindia.edu.in
80	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट–भावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात–360020	14.10.2011	http://www.rku.ac.in
81	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात–382260	02.05.2009	http://www.raiuniversity.edu
82	साबरमती विश्वविद्यालय (पूर्व में कैलॉक्स शिक्षक विश्वविद्यालय), अहमदाबाद–382481	07.07.2009	http://www.ctu.calorx.org
83	संकलचंद पटेल विश्वविद्यालय, संकल्पचंद पटेल विद्याधाम, विसनगर– 384315	09.05.2016	http://www.spceung.ac.in
84	सार्वजनिक विश्वविद्यालय, एमटीबी कॉलेज कैंपस, चौपाटी के सामने, आठवालाइन्स, सूरत, गुजरात– 395001	01.06.2021	https://sarvajanikuniversity.ac.in/
85	श्रेयार्थ विश्वविद्यालय, गुजरात संचार भवन, खानपुर, अहमदाबाद–380001, गुजरात	25.09.2019	http://www.shreyarthuni.ac.in
86	सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी एसजी हाईवे गोटा, अहमदाबाद 382481, गुजरात	25.09.2019	https://silveroakuni.ac.in/
87	सुरेंद्रनगर विश्वविद्यालय, श्री पंडित नाथूलालजी व्यास तकनीकी परिसर, सुरेंद्रनगर–अहमदाबाद, राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वाधवान– 363030, गुजरात	01.06.2021	https://suni.ac.in/
88	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इन्नोवेशन यूनीवर्सिटी, भोयान राठौड, इफको के सामने, अदलाज सेलथा रोड, गांधीनगर,– 382420, गुजरात	31.03.2017	http://www.ssiu.ac.in
89	टीम लीज स्किल युनिवर्सिटी, तारसाली बाईपास, वडोदरा–394350	22.04.2013	http://www.teamleaseuniversity.org
90	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली–महुआ रोड़, जिला–सूरत, गुजरात–394350	14.10.2011	http://www.utu.ac.in
91	यूपीएल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ब्लॉक नंबर 402 एट एंड पीओ वटारिया, तालुका वालिया, जिला भरूच, गुजरात	01.06.2021	https://upluniversity.ac.in/
92	वनिता विश्राम महिला विश्वविद्यालय, वनिता विश्राम परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, अठवा गेट, सूरत, गुजरात– 395001	01.06.2021	https://www.vvwusurat.in/
हरियाणा			
93	अल–फलाह युनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	http://www.alfalahuniversity.edu.in
94	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला – गुड़गाँव – 122413, हरियाणा	26.04.2010	http://www. amity. edu/gurgaon
95	एपीजे स्टॉय यूनिवर्सिटी, पलवल रोड़, सोहना, गुड़गाँव – 122103, हरियाणा*	02.11.2010	http://www.university.apeejay.edu. in
96	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नम्बर. 2, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, कुण्डली, रा0रा0क्षे0, सोनीपत, हरियाणा–131028	02.05.2014	http://www. ashokaka.edu.in
97	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा 124021	10.02.2012	http://www.babamastanathuniversity. com
98	बीएमएल मुंजाल युनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, रा0रा0–8, सिधरावली, जिला–गुड़गांव–123413, हरियाणा	02.05.2014	http://www. bml.edu.in
99	गीता यूनिवर्सिटी, 1326, हुडा सेक्टर–12, पानीपत– 132103, हरियाणा	27.01.2022	https://www.geetauniversity.edu.in/

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
100	जी0डी0 गोएनका विश्वविद्यालय, जी0डी0 गोएनका एजूकेशन सिटी, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122 103	03.05.2013	http://www. gdgoenkauniversity.com
101	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर –53, गुरुग्राम – 122003, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	06.04.2018	http://www.iilmlr.ac.in/
102	द नार्थकैप यूनीवर्सिटी, हुडा सेक्टर 23ए, गुरूग्राम–122107, हरियाणा	21.10.2009	http://www.itmindia.edu
103	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़, – झझर रोड, झझर – 124507, हरियाणा	03.05.2013	http://www. jagannathuniversityncr. ac.in
104	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122103	03.05.2013	http://www.krmangalam.edu.in
105	मानव रचना विश्वविद्यालय, सेक्टर–43, दिल्ली सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	http://www.manavrachna.edu.in
106	एम0वी0एन0 विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा–121105	10.02.2012	http://www.mvn.edu.in
107	महर्षि मारकण्डेशवर विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला अम्बाला, हरियाणा –134007	29.10.2010	http://www.mmumullana.org
108	एनआईएलएम विश्वविद्यालय, 9 कि0मी0 माईलस्टोन, रा0रा0–65, कैथल–136027, हरियाणा	27.09.2011	http://www.niilmuniversity. in
109	ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एनएच–65, कैथल–136027, हरियाणा	15.03.2019	https://www.osgu.ac.in/
110	ओ0पी0 जिन्दल ग्लोबल युनिवर्सिटी, सोनीपत हरियाणा–131001*	10.11.2006	http://www.jgu.edu.in
111	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स 15, सैक्टर–3ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़–124507	14.01.2016	http://www.pdm.ac.in
112	ऋषिहुड युनिवर्सिटी, एनएच–44 (जीटी रोड), के भालगढ़ चौक के निकट, रा0रा0क्षेत्र दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा–131021	04.05.2020	http://www.rishihood.edu.in
113	सुशांत यूनिवर्सिटी (पूर्व में अंसल यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात), गुरुग्राम, हरियाणा	10.02.2012	http://www. ansaluniversity.edu.in
114	श्री गुरू गोबिंद सिंह ट्राईसेनेटरी यूनिवर्सिटी, फारूखनगर रोड, बुढेडा, जिला गुरूग्राम, हरियाणा	03.05.2013	http://www.sgtuniversity. org
115	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, दिल्ली–एनसीआर, सोनीपत–कुंडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा– 131029	03.05.2013	http://www. srmuniveristy. ac.in
116	स्टारेक्स यूनीवर्सिटी, रा0 रा0–8, ग्राम बिनोला, पी0ओ0 भोराकलां, गुरुग्राम, हरियाणा	25.08.2016	http://www.starexuniversity.com
117	वर्ल्ड यूनीवर्सिटी ऑफ डिजाईन, प्लॉट नम्बर 1, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, राई, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत– 131029, हरियाणा	07.02.2018	http://www. worlduniversityofdesign.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
118	अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचौक (चाचौट), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	http://www.abhilashiuniversity.in
119	ए.पी.जे. (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम–पुजारली, शोघी मेहली बाई पास रोड, पंथाघाटी के पास, शिमला –171009	07.06.2012	http://www. apg.edu.in
120	अर्नी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला– कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)–176401	03.11.2009	http://www. arni.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
121	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बद्दी, जिला – सोलन हिमाचल प्रदेश–173205	15.10.2009	http://www. baddiuniv. ac.in
122	बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ – वाकनाघाट, तहसील – कांडाघाट, जिला – सोलन, हिमाचल प्रदेश–173215	21.01.2011	http://www. bahrauniversity. edu. in
123	कैरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–176041	03.05.2012	http://www. cpuniverse.in
124	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन – 174103	21.01.2009	http://www. chitkara.edu.in
125	एटेरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब, जिला सिरमौर, पिन –173101 (हिमाचल प्रदेश)	22.10.2009	http://www. eternaluniversity. edu. in
126	आई.ई.सी. (इंडिया एजुकेशन सेंटर) विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 7 और 10, अटल शिक्षा कुंज, बद्दी जिला, सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012	http://www. iecuniversity.com
127	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूजिहिन्दा, पीओ मंधाला, वाया बारोतीवाला, बद्दी, जिला – सोलन, हिमाचल प्रदेश – 174103	20.10.2011	http://www. iuhimachal.edu.in
128	इन्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश– 174301	01.02.2010	http://www. iiuedu.in
129	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, पी.ओ. वाकनाघाट, तहसील– कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश– 173234	22.05.2002	http://www.juit.ac.in
130	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड़, सोलन – 173229	19.09.2010	http://www.mmusolan.org
131	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला – सोलन– 174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	http://www.mau.ac.in
132	मानव भारती विश्वविद्यालय, लाडो, सुल्तानपुर, कुमारहट्टी, सोलन –173229	22.09.2009	http://www. manavbhartiuniversity. edu.in
133	शूलिनी विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान, सोलन, (हिमाचल प्रदेश)	15.10.2009	http://www.shooliniuniversity. com
134	श्री साईं विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	http://www.srisaiuniversity. org
झारखण्ड			
135	एआरएके जैन यूनीवर्सिटी, केरल पब्लिक स्कूल के सामने, मोहनपुर, गमहारिया, जिला सेराईकेला खारसावान–832108, झारखंड	04.07.2017	http://www.arkauniversity.ac.in
136	एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची शहर परिसर निवरानपुर मुख्य सड़क, रांची झारखंड	13.05.2016	http://www.amity. edu.in
137	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, मटवारी चौक, गांधी मैदान के सामने, हजारीबाग, झारखंड	13.05.2016	http://www.aisectuniversity.ac.in
138	कैपिटल विश्वविद्यालय, रांची–पटना मेन रोड, कोडरमा, झारखंड	11.10.2018	http://www.capital.edu.in
139	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची –835222	02.02.2012	http://www.jru.edu.in
140	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, पोखरी, पीओ– भिलाई पहाड़ी, पीएस– एमजीएम, जिला– पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	19.09.2018	http://www.wbnsou.ac.in/

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
141	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बोरटू रोड, बूटी मोर, पीओ–आरएमसीएच, रांची –834009, झारखंड	16.05.2016	http://www.pragyanuniversity.edu. in
142	राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी, रामगढ़	11.10.2018	http://rguniversity.org/
143	राम कृष्णा धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय, 604, 5वां तल, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अरगोड़ा चौक के पास, रांची–834002, झारखंड	06.12.2018	https://rkdf.ac.in/
144	रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, नवाडीहकला, पीओ और पीएस बिश्रामपुर, पलामू–822132, झारखंड	19.09.2018	https://www.rcu.edu.in/
145	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	27.04.2012	http://www.sainathuniversity.com
146	सरला बिरला यूनीवर्सिटी, बिरला कैम्पस, ग्राम आरा, पी0ओ0 माहलौंग, रांची– पुरूलिया राजमार्ग, रांची–835103, झारखंड	20.07.2017	http://www.sbu.ac.in
147	श्रीनाथ विश्वविद्यालय, डिंडली, आदित्यपुर, जमशेदपुर– 831013, झारखंड	03.09.2021	https://www.srinathuniversity.in/
148	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रांड एमरेल्ड बिल्डिंग, मार्ग संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, राँची – 834202, झारखण्ड	17.06.2008	http://www.iujharkhand.edu.in
149	उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, 12 माइल, रांची खुंटी रोड, एन एच–95, रांची– 835221	20.01.2014	http://www.ushamartinuniversity. com
150	वाईबीएन यूनीवर्सिटी, पंचवटी साउथ रेलवे कॉलोनी, रांची–834001, झारखंड	04.07.2017	http://www.ybnuniversity.in
कर्नाटक			
151	आदिचुनचानागिरी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग–75, तालुक– नागामंगला, जिला–मांडया, बी.जी. नगर–571448, कर्नाटक (निजी विश्वविद्यालय)	22.01.2018	https://acu.edu.in/
152	अलॉयन्स यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, (कर्नाटक)	16.09.2010	http://www.alliance.edu.in
153	एटरिया यूनिवर्सिटी, एएसकेबी कैंपस, पहला मेन रोड एजीएस कॉलोनी, आनंदनगर, हेब्बल, बेंगलुरु– 530024, कर्नाटक	07.01.2022	https://www.atriauniversity.edu.in/
154	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड़ बेंगलुरु, कर्नाटक	13.10.2010	http://www.azimpremjiuniversity. edu.in
155	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2, 3 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक , बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बेंगलुरु – 560043, कर्नाटक	16.05.2013	http://www.cmr.edu.in
156	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवराखागल्ली ग्राम, हरोहल्लाहोबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	http://www.dayanandsagar.edu.in
157	गार्डन सिटी यूनीवर्सिटी, जीसीसी हाउस, 340, पांचवा मेन, इंदिरा नगर डबल रोड, प्रथम स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलुरु – 560038, कर्नाटक	24.06.2013	http://www.gardencityuniversity
158	जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलाजी यूनीवर्सिटी, जेएसएस टेक्नीकल इंस्टीटयूशन कैम्पस, मैसूरू– 570006, कर्नाटक	16.01.2016	http://www.jssstuniv.in
159	ख्वाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, ख्वाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय परिसर, रॉउज–ए बुजुर्ग, कालाबुर्गी–585104, कर्नाटक	21.04.2018	www.kbn.university.

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
160	केएलई टेक्लाजिकल यूनिवर्सिटी, बी0वी0 भूमारडी कॉलेज कैम्पस, विद्यानगार, हुबली–580031, कर्नाटक*	04.04.2015	http://www.kletech.ac.in
161	एम0एस0 रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाईड सांइस, प्रशासनिक ब्लॉक, नई बेल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बेंगलुरु –560054	09.07.2013	http://www.msruas.ac.in
162	पीईएस यूनिवर्सिटी, सौ फीट रिंग रोड, बीएसके–III स्टेज, बेंगलुरु –560085	16.05.2013	http://www.pes.edu
163	प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक) , डिब्बूर एवं ईगलपुर ग्राम, हेसाराघाट होबली, बेंगलुरु (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www.presidencyuniversity.in
164	राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, दोडाबालापुर नेलमंगलला रोड, एसएच –74, ऑफ हाईवे 207, दोडाबादलापुर तालुक, बेंगलुरु – 561204	09.07.2013	http://www.raitechnologyuniversity. in
165	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बेंगलुरु – 560064	16.05.2013	http://www.reva.edu.in
166	आरवी विश्वविद्यालय, आरवीयू प्रशासनिक भवन, आरवी विद्यानिकेतन पोस्ट, मैसूर रोड, बेंगलुरु– 560059, कर्नाटक	16.06.2021	https://rvu.edu.in/
167	शरनबासवा विश्वविद्यालय, कलाबुरागी (गुलबर्गा)	29.07.2017	http://sharnbasvauniversity. edu.in
168	श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर विश्वविद्यालय, छठा तल, मंजूश्री भवन, एसडीएम कॉलेज चिकित्सा विज्ञान एवं अस्पताल परिसर, सत्तूर, धारवाड़–580009 कर्नाटक	19.12.2018	https://www.sdmuniversity.edu.in/
169	श्रीनिवास यूनिवर्सिटी, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगर, मुका, सुरथाकल, मंगलोर–574146	20.02.2015	https://www.srinivasuniversity.edu.in
170	श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमेन एक्सीलेंस, श्री सत्य साईं विद्यानिकेतन परिसर, नवनिहाला, पोस्ट–ओकली, तालुकमलपुर, जिला–कालबुर्गी–585313, कर्नाटक	08.03.2019	https://sssuhe.ac.in/
171	द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांस–डिसीप्लीनरी, हैल्थ साइंस एण्ड टेक्लॉनोलाजी, 74/2, जाकरबंद कावल, येलाहांका, वाया अट्टूर पोस्ट, बेंगलुरु –560064, कर्नाटक	26.06.2013	http://www.tdu.in
मध्य प्रदेश			
172	आवंतिका यूनीवर्सिटी, विश्वनाथपुरम, लेकोड़ा ग्राम, उज्जैई– 456006, मध्य प्रदेश	12.01.2017	http://www.avantikauniversity.edu. in
173	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश 485001	31.12.2011	http://www.aksuniversity. ac.in
174	एकलव्य विश्वविद्यालय, ओजस्विनी नगर, सागर रोड, दमोह, मध्य प्रदेश	26.09.2020	http://www.eklavyauniversity.ac.in
175	रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, गाँव मेंडुआ, भोपाल–चिकलोड़ रोड, तहसील–गोहरगंज, जिला–रायसेन, मध्य प्रदेश	30.12.2010	http://www.rntu.ac.in
176	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश–474005	30.12.2010	http://www.amity. edu/gwalior
177	भाभा विश्वविद्यालय, रा0 रा0–12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल– 462026, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	https://www.bhabhauniversity.edu.in/
178	डॉ ए.पी. जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर–देवास बायपास रोड, गाँव– अरंडिया, पोस्ट– झालरिया, मध्य प्रदेश –452016	01/04/2016	http://www.aku.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना की तिथि	वेबलिंक
179	डॉ सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, खंडवा–इंदौर रोड, पोस्ट – छैगांव माखन, खंडवा – 450771 (मध्य प्रदेश)	28.07.2018	http://cvru.ac.in/
180	जी.एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, ग्राम– साईखेड़ा, ढोडा बोरगांव, तहसील– सोनसार, जिला– छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	27.08.2016	http://www.ghru.edu.in
181	आईईएस यूनिवर्सिटी, आईईएस कैंपस, रतिबाद मेन रोड, भोपाल–462044 मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.iesuniversity.ac.in/
182	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम परिसर, सिथौली रैली स्टेशन के सामने, एनएच – 75, झांसी रोड, ग्वालियर –474 001	04.05.2011	http://www.itmuniversity. ac.in
183	जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम पंचायत मुगलिया छप, तहसील हुजूर, भोपाल – 462 044	24.04.2013	http://www.jlu.edu.in
184	जेपी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड, रघोगढ़, जिला गुना–473226	13.08.2010	http://www.juet.ac.in
185	एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके टाऊन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल–462042	08.01.2015	http://www. lnctu.ac.in
186	मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैम्पस, रातीबड़, भोपाल –462044, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	https://www.mpu.ac.in/
187	महाकौशल विश्वविद्यालय, अंताखेड़ा चरगवां रोड, तिलवाड़ा के बाद, जबलपुर, मध्य प्रदेश	13.01.2021	https://www.mku.ac.in
188	महिर्षी महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर–482001	29.11.1995	http://www.mmyw. com
189	मालवंचल विश्वविद्यालय इंडेक्स सिटी, एनएच –59 ए नीमवार रोड, खुदेल के निकट, इंदौर जिला–452016	04.01.2016	http://www.malwachaluniversity.com
190	मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गाँव – गादिया और रत्नाखेडी, ब्लॉक – बिलिकिसगंज, सीहोर (मध्य प्रदेश)	11.01.2018	http://www.mguindia.com/
191	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवास देवड़ा रोड एसएच–31, मंदसौर–458001	19.08.2015	http://www.mandsauruniversity.edu.in
192	मंगलायतन विश्वविद्यालय, एनएच–30, मंडला रोड, शारदा देवी मंदिर के पास, रिचाई–बरेला, जबलपुर–483001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.mangalayatan.in/
193	मेडी कैप्स यूनिवर्सिटी, ए.बी.रोड, पिगदाम्बर, राऊ, इंदौर– 453331	22.07.2015	http://www. medicaps.ac.in
194	ओरियन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट न0 1 के सामने, सानवर रोड, पोस्ट बॉक्स 311, विजय नगर डाक घर, इंदौर–452010	04.05.2011	http://www.orientaluniversity. in
195	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल–462037	04.05.2011	http://www. peopleuniversity. edu. in
196	पीके यूनिवर्सिटी, ग्राम–थानारा, तहसील–कारेरा, रा0रा0–27, शिवपुरी, जिला–शिवपुरी–473551	19.08.2015	http://www. pkuniversity.edu.in
197	रेनीसां विश्वविद्यालय, सर्वे नम्बर 34/2, 51/1/1, ग्राम रेओती, सानवर रोड, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, इंदौर– 452015, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.rnu.edu.ng/
198	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाय–पास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011	http://www. rkdf.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
199	सेज युनीवर्सिटी, कायलोड कर्ताल, इंदौर देवास बॉयपास रोड, राऊ, इंदौर–452020 मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.sageuniversity.in
200	सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अगरिया चोपडा, बिलखिरिया, भोपाल, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.samglobaluniversity.ac.in
201	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, कटारा एक्सटेंशन, सहारा बाईपास रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश	14.08.2019	
202	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार पटेल नॉलेज सिटी, वारसोनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट	28.07.2018	http://www.spuvvn.edu/
203	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, रा0रा0–12, होशंगाबाद रोड, जटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	http://www.srku.edu.in
204	श्री अरबिंदो यूनिवर्सिटी, एसएआईएमएस कैंपस, इंदौर–उज्जैन स्टेट हाईवे, एमआर–10 क्रॉसिंग के निकट, सांवेर रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश–453555	30.03.2021	https://sriaurobindouniversity.edu.in/
205	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, एनएच– 86, ग्राम चौका, सागर रोड, छतरपुर– 471001, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	28.07.2018	http://www.skuindia.ac.in/
206	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, इंदौर –453111	08.01.2015	http://www. svvv.edu.in
207	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा, सेहोर–466001,	12.02.2014	http://www.ssutms.co.in
208	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011	http://www. svnuniversity. ac.in
209	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बड़ा बंगाडा सुपर कॉरिडोर, इंदौर –452001	27.08.2016	http://www. suas.ac.in
210	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोन्ज (गोशाला के निकट) जिला–विदिशा, मध्य प्रदेश–464228	09.01.2013	http://www.technoglobaluniversity. com
211	वीआईटी भोपाल यूनीवर्सिटी, भोपाल इंदौर नेशनल हाईवे, कोथरीकलां, सेहोर–466144, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.vitbhopal.ac.in
महाराष्ट्र			
212	अजीन्क्या डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, चारहोली भद्रक, वाया लोहेगांव, पुणे–412105	25.02.2015	http://www. adypu.edu.in
213	एमिटी युनिवर्सिटी, मुबंई–पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट–सोमाथने, पनवेल, मुबंई, महाराष्ट्र–410206	25.07.2014	http://www. amity.edu/mumbai
214	एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग ए, सीटीएस नंबर 83, 83/1 से 19 ऑफ ग्राम कुर्ला, तालुका कुर्ला, एलबीएस मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई– 400070, महाराष्ट्र (निजी विश्वविद्यालय)	04.08.2021	https://atlasuniversity.edu.in/
215	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, शेडुंग टोल प्लाजा के पास, पुराना मुंबई पुणे राजमार्ग, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	09.08.2018	https://www.csmu.ac.in/
216	डॉ0 विश्वनाथ कराड़ एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनीवर्सिटी, एस0 नम्बर 124, पौड़ रोड, कोथरूड, पुणे–411038, महाराष्ट्र	05.06.2017	http://www.mitwpu.edu.in
217	डी.वाई. पाटिल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, तालसंडे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र–416112	04.02.2021	https://www.dyp-atu.org/

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
218	डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, सीरीयल नंबर 124 और 126, एम्बी, तलमवल, एमआईडीसी रोड, तलेगांव डाभाडे, पुणे– 410507 महाराष्ट्र	16.07.2019	https://www.dypiu.ac.in
219	डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 29, प्रधानकरन, अकुर्डी, पुणे – 411044, महाराष्ट्र (निजी विश्वविद्यालय)	14.03.2018	https://www.dypiu.ac.in/
220	फ्लेम यूनिवर्सिटी, गेट न0 1270, ग्राम लावाल, तालुक मुल्शी, पुणे–411042	13.02.2015	http://www.flame.edu.in
221	जी.एच. रायसोनी यूनिवर्सिटी, बाडनेरा, अंजनगांव, बारी रोड, अमरावती–444701, महाराष्ट्र	20.07.2018	http://ghru.edu.in/
222	हैदराबाद (एसआईएनडी) नेशनल कॉलेजिट यूनिवर्सिटी, डी.एम. हरीश बिल्डिंग, 47 डॉ. आर.जी. थडानी मार्ग, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र	30.10.2019	www.hsncu.edu.in
223	एमजीएम विश्वविद्यालय, एमजीएम परिसर, एन–6, सिडको, औरंगाबाद–431003, महाराष्ट्र	09.09.2019	https://mgmu.ac.in/
224	एमआईटी आर्टस् डिजाईन एण्ड टेक्नॉलाजी यूनिवर्सिटी, राजबाग, हदाप्सर लोनी कालभर से अगला, पुणे–412201,	13.10.2015	http://www.mituniversity. edu.in
225	संदीप विश्वविद्यालय, त्रिबंक रोड, माहिरावाणी, नासिक, महाराष्ट्र*	09.10.2015	http://www.sandipuniversity.com
226	स्पाइसर एडवेन्ट यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंदशिखंद, पोस्ट, पुणे–411004	25.07.2014	http://www.sau.edu.in
227	सिम्बॉयसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनीवर्सिटी (पूर्व में सिम्बॉयसिस स्किल एंड ओपन यूनीवर्सिटी के नाम से प्रख्यात) ग्राम– किवाले, पुणे के समीप, मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ, ताल– हावले, पुणे– 412101, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.ssou.ac.in
228	संजय घोड़ावट यूनीवर्सिटी, ए/पी– अटिगरे,– 416118, हटांनानगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13.07.2017	http://www.sanjayghodawatuniversity.ac.in
229	सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, सोमैया भवन, 45–47, महात्मा गांधी रोड, किला, मुंबई–400001, महाराष्ट्र	26.08.2019	https://www.somaiya.edu/en
230	श्री बालाजी विश्वविद्यालय, एस. नंबर 55/2–7, ताथवाडे, मुंबई–बैंगलुरु बाईपास, पुणे–411033, महाराष्ट्र	20.08.2019	sribalajiuniversity.org
231	विश्वकर्मा यूनीवर्सिटी, सर्वे नम्बर 2,3,4, लक्ष्मीनगर, कोंधावा, बुदरूक, पुणे– 411048, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.vupune.ac.in
232	विजयभूमि विश्वविद्यालय, जमरूंग, पोस्ट अंबिवली, तालुका कर्जत, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र–410201	13.09.2020	http://www.vijaybhoomi.edu.in
मणिपुर			
233	एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लामसांग, मणिपुर– 795113	23.02.2021	https://aiu.edu.in/
234	बीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय, ब्लॉक ए, थौबाइ लींसहैंगथेम वांगमा टाबा, जिला थौबल, इम्फाल मणिपुर	26.03.2020	https://www.birtikendrajituniversity.ac.in
235	मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईयू पैलेस, घरी, एयरपोर्ट रोड, इंफाल–795140, मणिपुर	14.02.2019	https://www.miu.ac/
236	सांगई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चुराचांदपुर, मणिपुर	05.05.2015	http://www.sangaiinternationaluniversity.com

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
मेघालय			
237	सी एम जे यूनिवर्सिटी, शिलोंग, (मेघालय)	20.07.2009	http://www.cmjuniversity.edu.in
238	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पी.ओ. अराइमाइल, माचाकोलग्रे, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	http://www.mgu.edu.in
239	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कांफ्रेस सेंटर, सेन्ट्रल वार्ड, शिलांग – 793001	13.07.2005	http://www.mlcuniv.in
240	नॉर्थ ईस्ट एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, खिलाहितर्षी, पीओ थडलास्केन– 793151 वेस्ट जयंतिया हिल्स, जिला मेघालय	07.08.2020	https://www.neauniversity.in/
241	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलीटेक्निक कैम्पस, मावली, शिलांग – 793 022	02.12.2008	http://www. technologlobaluniversity. org
242	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, चौथा डांकाग्रे पी.ओ. अरायमाईल तुरा, पश्चिम गारो हिल्स्– 793001	04.11.2009	http://www.iumeghalaya.edu.in
243	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नो सिटी, किलिंग रोड, बारी दुआ, नाईनथन मिल, मेघालय 793101	02.12.2008	http://www.ustm.ac.in
244	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय–793003	27.05.2011	http://www.utm.ac.in
245	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराम विला, बोम्फलाइड रोड़, शिलांग – 793001, मेघालय	13.07.2005	http://www.wcu.co.in
मिजोरम			
246	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी दुर्तला नार्थ, आइज़ॉल–796025	21.03.2006	http://www.iumizoram.edu.in
नागालैण्ड			
247	उत्तर पूर्व क्रिश्चियन विश्वविद्यालय, एंकर कॉम्प्लेक्स, ईस्ट ब्लॉक, बर्मा कैंप, पोस्ट बॉक्स–109, दीमापुर–797112, नागालैंड (निजी विश्वविद्यालय)	05.06.2013	http://www.necu.ac.in
248	सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, वर्जिन टाउन, खाकीहो–झिमोमी रोड, इकिशे मॉडल कॉलेज, पीएस–डिप्युपर, दीमापुर –797115	16.12.2016	http://www.stjosephuniversity. org
249	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा– 797111	18.09.2006	http://www.nagaland.net.in
250	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, छठा माइल सोविमा ग्राम कोहिमा रोड, दीमापुर – 797112,	04.11.2009	http://www.iunagaland.edu.in
ओड़ीशा			
251	ए.आई.पी.एच. यूनिवर्सिटी, पहाला, भुवनेश्वर– कटक, राष्ट्रीय राजमार्ग–5, भुवनेश्वर–752101, ओडिशा	26.02.2018	http://aiph.ac.in/
252	एएसबीएम विश्वविद्यालय, शिक्षा विहार, पीओ–भोला, चंडाका, जिला–खुर्दहा, भुवनेश्वर–754012, ओडिशा	26.09.2019	https://www.asbm.ac.in/
253	बिड़ला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, विलेज–गोठपटना, पीएस–चंडाका, भुवनेश्वर –751029	17.02.2016	http://www.bgu.ac.in
254	सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, ग्राम आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी – 761221 गजपति, ओड़ीशा*	27.08.2010	http://www.cutm.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
255	सी.वी. रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर–752054, ओडिशा	29.02.2020	http://www.cgu-odisha.ac.in
256	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुनुपुर– 765022, जिला रायगढ़, ओडिशा	27.12.2018	http://www.giet.edu/
257	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा*	26.12.2009	http://www. srisriuniversity. edu.in
258	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कवेयर, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	13.05.2013	http://www. Ximb.ac.in
पंजाब			
259	आदेश विश्वविद्यालय, रा0रा0–7, बरनाला रोड़, भटिंडा, पंजाब	10.07.2012	http://www. adeshuniversity. ac.in
260	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो–151302, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015	http://www.auts.ac.in
261	एमिटी यूनिवर्सिटी, डी4, ब्लॉक–डी, सेक्टर–82, अल्फा आईटी सिटी, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब	30.03.2021	https://www.amity.edu
262	सी.टी. युनिवर्सिटी फिरोजपुर रोड, लुधियाना–142024	23.12.2016	http://www.ctuniversity. in
263	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, घारूवान, मोहाली– 140413*	10.07.2012	http://www. chandigarhuniversity. ac.in
264	चितकारा यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़–पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, (रा0रा0–64), ग्राम – झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब – 140401	07.12.2010	http://www.chitkara.edu.in
265	डी.ए.वी. विश्वविद्यालय, जालंधर–पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग –44, गांव–सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब	18.02.2013	http://www.@davuniversity. org
266	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब*	18.02.2013	http://www. deshbhagatuniversity. in
267	जीएनए युनिवर्सिटी, ग्राम–श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला–144401	21.08.2014	http://www.gna.edu.in
268	गुरू काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी सावो, जिला – भटिंडा, पंजाब	26.12.2011	http://www.gurukashiuniversity. in
269	लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी, पंजाब, चंडीगढ़–जालंधर एनएच–344ए, चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर और रोपड़ से 5 किलोमीटर, चण्डीगढ़–रोपड़–जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब– 144 533	09.02.2021	https://ltsu.ac.in/
270	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालन्धर–लुधियाना जी.टी. रोड़, चेहरू रेल पुल के निकट, फगवाड़ा, जिला – कपूरथला, पंजाब – 144002	26.12.2005	http://www.lpu.in
271	प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, पंजाब, ब्लॉक–बी, सेक्टर–101, अल्फा, आईटी सिटी, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब– 140306	20.08.2021	https://plaksha.edu.in/
272	रायत बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ – सहौरान, तहसील – खार, जिला – मोहाली, पंजाब – 140105	13.08.2014	http://www.rayatbahrauniversity. edu.in
273	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फलोटिंग रेस्त्रा के सामने, सिरहन्द साईड, मण्डी गोबिंदगढ़–147301	08.12.2015	http://www.rimt.ac.in
274	संत बाबा भाग सिंह युनिवर्सिटी, ग्राम–खियाला, डाकघर–पंदियाना, जिला जालंधर–144030	12.02.2015	http://www.sbbs.edu.in
275	श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ साहिब – 140406	15.05.2008	http://www.sggswu.org

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना की तिथि	वेबलिंक
276	श्री गुरू राम दास यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांइस, मेहता रोड, वाल्लाह, श्री अमृतसर–143001, पंजाब	17.11.2016	http//www.sgrduhs.in
राजस्थान			
277	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच–11सी, कान्त कालवार, जयपुर – 303002	29.03.2008	http://www.amity. edu/jaipur
278	एपेक्स यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 5, साइंस टेक सिटी, रा0 रा0– 48, लिंक रोड, 248 अचरोल, जयपुर, राजस्थान– 303002	05.10.2018	https://www.apexuniversity.co.in/
279	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सीकर रोड़, अजमेर – 305004	16.04.2008	http://www.bhagwantuniversity.com
280	भारतीय स्किल डेवलेपमेंट यूनीवर्सिटी, प्लॉट नम्बर एसआई/आईएनएसटी/001, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर– 302037, राजस्थान	30.03.2017	http://www.ruj.bsdu.in
281	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्कल, उदयपुर –313001	05.10.2015	http://www.bnuniversity. ac.in
282	कॅरियर प्वांइट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	http://www. cpur.in
283	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट–1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–II, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान – 304021	22.04.2010	http://www.dknmu.org
284	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	http://www. geetanjaliuniversity.com
285	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर– 302029	03.04.2010	http://www.homoepathyuniversity. org
286	आईसीएफएआई, विश्वविद्यालय, खसरा नं. 505/1, गांव जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर – 302031	23.08.2011	http://www. iujaipur.edu.in
287	आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी, 1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर विमानापत्तन के निकट, जयपुर–302029	26.02.2014	http://www. iihmr.edu.in
288	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	http://wwwjecrcuniversity. edu.in
289	जे.के. लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय, लालिया का वास, पी.ओ. महापुर, अजमेर रोड़, जयपुर – 302026	15.09.2011	http://www.jklu.edu.in
290	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, रा0रा0–12, चाकसू बाय पास, टोंक रोड, जयपुर –303901	16.04.2008	http://www.jagannathuniversity.org
291	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर 302017	21.10.2007	http://www.jnujaipur. ac.in
292	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदन्त ज्ञान वैली विलेज, ग्राम झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड़, एनएच–8, जयपुर 303007*	21.04.2008	http://www.jvwomensuniv. com
293	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड़, जोधपुर – 342001	11.08.2008	http://www.jodhpurnationaluniversity. com
294	लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, अलवर–तिजारा–दिल्ली हाईवे, चिकानी, अलवर, राजस्थान	05.10.2018	http://www.lordsuni.edu.in/
295	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बनास ब्रिज टॉल के सामने, रा0रा0–14, ग्राम–वादा/भुजेला, पंचायत समिति–भारजा, तहसील–पिंडवाड़ा, अबु रोड, जिला–सिरोही, राजस्थान–307026	04.03.2014	http://www.madhavuniversity.edu. in
296	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.mvgu.ac.in
297	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंदीयारामसर, बिंदयाका औद्योगिक क्षेत्र के समीप, जयपुर–302012	05.10.2015	http://www.maujaipur.org

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
298	महात्मा गांधी यूनीवर्सिटी ऑफ मेडीकल सांईस एण्ड टेक्नोलॉजी, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर–302022	15.09.2011	http://www.MGUMST.ORG
299	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसपी–2 और 3, कान्त कालवार, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच–1, आचरोल, जयपुर	03.02.2009	http://www. mjrpuniversity.com
300	मनीपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इनफोटेक यूनिवर्सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के निकट, जयपुर–अजमेर एक्सप्रेस–वे, पोस्ट थिकारा, जयपुर – 302 026	15.09.2011	http://www.jaipur.manipal.edu
301	मौलाना आज़ाद युनिवर्सिटी, ग्राम– बुजावाड़, तहसील–लुनी, जोधपुर–342802	16.09.2013	http://www. mauj.ac.in
302	मेवाड़ विश्वविद्यालय, एनएच 79, गंगरार, चित्तौड़गढ़ –312901*	22.09.2008	http://www. mewaruniversity. org
303	मोदी इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड सांइस, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान	16.09.2013	http://www.modyuniversity.ac.in
304	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	http://www. niituniversity. in
305	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर – 303001	29.03.2008	http://www. nimsuniversity. org
306	निर्वान विश्वविद्यालय, एनएच–21, ग्राम झर, बस्सी के पास, मेन आगरा रोड, जयपुर–303705, राजस्थान	30.03.2017	http://nirwanuniversity.in/
307	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजीला, तहसील–राजगढ़, जिला–चूरू, राजस्थान	16.09.2013	http://www. opjsuniversity. edu. in
308	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.ई.आर.) पेसेफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड़, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर– 313003	29.04.2010	http://www.pacific-university. ac.in
309	पेसेफिक मेडीकल युनिवर्सिटी, बिलो का बेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	http://www. pacificmedicaluniversity.ac.in
310	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान*	16.05.2012	http://www.poornima.edu.in
311	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुर, (चांदवाजी) आमरे–दिल्ली–मुम्बई हाइवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	http://www.pratapuniversity. in
312	राफेल्स विश्वविद्यालय, जैपनीज जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग – 8, नीमराना – 201705, राजस्थान	27.03.2011	http://www.rafflesunivrsity.,edu. in
313	आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर–334601	27.04.2015	http://www.mbglobal.edu.in
314	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.sangamuniversity. ac.in
315	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, अम्बुआ रोड, गाँव–उमर्दा, गिरवा, उदयपुर– 313015	21.04.2016	http://www.saitirupati.ac.in
316	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला विश्वविद्यालय, विद्या नगरी, झूंझुनू–चुरू रोड, चुडेला, जिला–झूँझुनूं 333001	03.02.2009	http://www.j_jtu.ac.in
317	श्री कल्लाजी वैदिक विश्व विद्यालय, कामधेज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), राजस्थान–335801	28.03.2018	http://www. kallajivedicuniversity.com
318	श्री कुशल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान–335801	05.10.2018	https://skduniversity.com/
319	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, चिरावा रोड़, पिलानी, राजस्थान– 333031	03.04.2010	http://www.shridharuniversity. ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
320	श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, जिला– दौसा, राजस्थान– 303511	05.10.2018	https://shyamuniversity.in/
321	सिंधानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झूँझुनूं, राजस्थान– 333515	29.03.2008	http://www.singhaniauniversity.co.in
322	सर पदमपत सिंहानिया विश्वविद्यालय, भतेवार, उदयपुर – 313601	29.03.2008	http://www.spsu.ac.in
323	सनराईज विश्वविद्यालय, बागड़ राजपूत, तहसील रामगढ, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	http://www.sunrise.ac.in
324	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान –302017	21.04.2008	http://www.gyanvihar.org
325	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड़, श्री गंगानगर–335002	16.09.2013	http://www.tantiauniversity. com
326	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.uem.edu.in
327	यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	18.05.2017	http://www.universityoftechnology. edu.in
328	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 36, एनआरआई रोड़, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर – 3030012	02.05.2012	http://www.vgu.ac.in
सिक्किम			
329	मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी, सिक्किम सिंगतम कैंपस टोपाखानी लोअर चिसोपानी, सिंगटम बाजार, सिंगटम, जिला पूर्वी सिक्किम, सिक्किम– 737134	07.07.2021	https://www.saylor.org
330	श्री रामासामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी 5वाँ माइल, तदांग, रानीपूल पो.ओ. गंगटोक, सिक्किम–737102	16.01.2014	http://www.srmus.ac.in
331	सिक्किम अल्पाइन विश्वविद्यालय (पूर्व में ईआईआईएलएम विश्वविद्यालय), कामरंग, नामची जिला– दक्षिण सिक्किम– 737126	28.08.2021	https://sikkimalpineuniversity.edu.in/
332	सिक्किम–मनीपाल यूनिवर्सिटी 5वाँ माइल, पो.ओ. तदांग, गंगटोक– 737102	11.10.1995	http://www.smu.edu.in
333	सिक्किम व्यावसायिक विश्वविद्यालय (पूर्व में विनायका मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय) प्लॉट नंबर 438, एन–312 सांग फाटक रोड, मिडल तदांग, पूर्वी सिक्किम–237102	30.07.2008	http://www.vmsu.in
334	सिक्किम कौशल विश्वविद्यालय, नमथांग, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम– 737137	10.01.2022	http://sikkimskilluniversity.com/
335	द इंस्टीटयूट ऑफ चाटर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया यूनीवर्सिटी, (आईसीएफएआई), रानका रोड, लोवर सिचे, गंगटोक–737101	04.10.2004	http://www.iusikkim.edu.in
तमिलनाडु			
336	धनलक्ष्मी श्रीनिवासन विश्वविद्यालय, समयपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु– 621112	25.02.2021	http://www.dsuniversity.ac.in/
337	जेपियार विश्वविद्यालय, राजीव गांधी सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु– 600119	26.02.2021	
338	साई विश्वविद्यालय, सिटी कैंपस, एसएसपीडील टॉवर, चौथा तल, बीटा ब्लॉक, नवलुर ओमएमआर रोड, चेन्नई, तमिलनाडु	28.04.2021	https://saiuniversity.edu.in/
339	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी सलाई (ओएमआर), कालवाक्कम– 603110, तमिलनाडु (निजी विश्वविद्यालय)	08.02.2021	

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
तेलंगाना			
340	अनुराग विश्वविद्यालय, वेंकटपुर (वि), घाटकेसर (एम) मेचल (जिला), हैदराबाद, तेलंगाना–500088	20.05.2020	http://www.anurag.edu.in
341	महिंद्रा यूनिवर्सिटी बहादुरपाली (वि), कुदबुलपुर मंडल, माचल–मलकजगिरी जिला तेलंगाना (निजी विश्वविद्यालय)	20.05.2020	
342	मल्ला रेड्डी विश्वविद्यालय, मैसममागुडा, धुलापल्ली (पोस्ट बारास्ता कोम्पली), मेदचल–मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना–500100	20.05.2020	http://www.mallareddyuniversity.edu.in
343	एसआर यूनिवर्सिटी अनंतसागर (वि), हसनपर्थी (एम), वारंगल–506371, तेलंगाना	20.05.2020	http://www.sru.edu.in
344	वोक्ससेन विश्वविद्यालय वोक्ससेन कैंपस, कामकोले सादसिवपेट, मेडक जिला, तेलंगाना (निजी विश्वविद्यालय)	20.05.2020	http://www.woxsen.edu.in
त्रिपुरा			
345	इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरत्तला (आईसीएफएआई), पी.ओ. कमलघाट, अगरत्तला– सिमना रोड, मोहनपुर– 799210, त्रिपुरा	31.03.2004	http://www.iutripura.edu.in
उत्तर प्रदेश			
346	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	http://www.amity. edu
347	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.bbdu.org
348	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज कैंपस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली –243006	16.09.2016	http://www.biu.edu.in
349	बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 8–11, टेक जोन– II, ग्रेटर नोएडा –2013	16.09.2016	http://www.bennett.edu.in
350	एरा विश्वविद्यालय, सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ –226003	16.09.2016	http://www.erauniversity.in
351	एफ.एस. यूनिवर्सिटी एनएच–19, बालाजी मंदिर के निकट, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	12.04.2021	https://fsu.edu.in/
352	जी.एल.ए. यूनीवर्सिटी, 17 किलोमीटर स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग–2, दिल्ली मथुरा रोड, पी.ओ. चुमुहन, मथुरा– 281406*	01.09.2010	http://www.gla.ac.in
353	गलगोटिया यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 17 ए, ग्रेटर नोएडा– 201203*	07.04.2011	http://www.galgotiauniversity.edu. in
354	आईएफटीएम यूनीवर्सिटी, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद– 244102	12.10.2010	http://www.iftmuniversity. ac.in
355	आईआईएमटी विश्वविद्यालय, ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ– 250001*	16.09.2016	http://www.iimtu.com
356	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड़, लखनऊ – 226026 (उत्तर प्रदेश)*	26.02.2004	http://www.integraluniversity.ac.in
357	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली–लखनऊ नेशनल हाइवे–24, बरेली – 243123	01.09.2010	http://www.invertisuniversity.ac.in
358	जगतगुरू रामभद्राचार्य हैण्डीकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम – 210204 (उत्तर प्रदेश)*	06.10.2001	http://www.jrhu.com
359	जेपी युनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर–203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	http://www.jaypeeu.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
360	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015	http://www.jsu.edu.in
361	महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आरोग्य धाम, बालापुर रोड, सोनबरसा, जिला गोरखपुर– 237007, उत्तर प्रदेश	09.06.2021	https://www.mgug.ac.in/
362	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़– 202145	30.10.2006	http://www.mangalayatan.in
363	महिर्षी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, महिर्षी बालविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट धिबुरिया, लखनऊ–226020	24.09.2013	http://www.muit.in
364	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	http://www.jauharuniversity. org
365	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ–पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश–245101	12.10.2010	http://www.monad.edu.in
366	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 1, सेक्टर–17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)– 201301	12.10.2010	http://www.niu.ac.in
367	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी0टी0 रोड, मंधाना, कानपुर–209217	10.01.2014	http://www.ramauniversity.ac.in
368	संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किलोमीटर स्टोन, मथुरा– दिल्ली राजमार्ग, छत्ता, मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	http://www.sanskriti.edu.in
369	शारदा विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 32–34, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा – 201306	24ण्03ण्2009	http://www.sharda.ac.in
370	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	http://www.snu.edu.in
371	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला–सहारनपुर– 247 341	05.07.2012	http://www.shobituniversity. ac.in
372	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा–लखनऊ रोड़, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	http://www. srmu.ac.in
373	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, रा0रा0–24, राजाबपुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.svu.edu.in
374	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली–हरिद्वार बाईपास रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250005	05.09.2008	http://www. subharti.org
375	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, एन एच–24 दिल्ली रोड, मुरादाबाद –244001*	05.09.2008	http://www.tmu.ac.in
376	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील–बेहट, सहारनपुर – 247001*	05.07.2012	http://www. glocaluniversity. edu. in
377	यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, रावतपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश– 211012	12.04.2021	uniteduniversity.edu.in
उत्तराखण्ड			
378	भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विलेज एंड पोस्ट– उत्तर झंडी चौर, तहसील– कोटद्वार, जिला– पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड– 246149	19.12.2016	http://www.bgukotdwar.ac.in
379	देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, नवगाँव, मंडूवाला, देहरादून, उत्तराखंड	24.09.2021	https://www.dbuu.ac.in/
380	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शक्तिकुंज, हरिद्वार – 249411	22.01.2002	http://www. dsvv. ac.in
381	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – 248009	15.02.2013	http://www. dituniversity. edu.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
382	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेट हाउस, देहरादून – 248002	28.04.2011	http://www.gehu.ac.in
383	हिमालयन गढवाल यूनीवर्सिटी धैड़ गांव, पोखरा, पौढी गढ़वाल	07.12.2016	http://www.hgu.ac.in
384	हिमालय विश्वविद्यालय, मुख्यालय फतेहपुर टांडा, जीवनवाला, वाया डोईवाला, देहरादून – 248140, उत्तराखंड	27.06.2019	http://www.himalayiyauniversity.ac.in
385	हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, शीशमबाडा, पीओ–शेरपुर, वाया शहसपुर, देहरादून – 248197	11.07.2003	http://www.himgirizeeuniversity.edu.in
386	आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, माक्कवाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड	15.02.2013	http://www.iuu.ac
387	इंस्टीटयूट ऑफ चाटर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई), राजावाला रोड, सेन्ट्रल होप टाउन, सेलाक्वी, देहरादून–248197	10.07.2003	http://www.iuuttarakhand.edu.in
388	मदरहुड विश्वविद्यालय, ग्राम–कारोन्दी, पोस्ट–भगवानपुर, रूडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	19.01.2015	http://www.motherhooduniversity. edu.in
389	क्वैंटम यूनीवर्सिटी, मंदवार (22 किलोमीटर माइलस्टोन), रूणकी,– देहरादून हाईवे (रा0रा0–73), रूणकी,– 247167, उत्तराखंड	07.04.2017	http://www.quantumuniversity.edu.in
390	रास बिहारी बोस सुभारती यूनीवर्सिटी, सुभारतीपुरम, कोटदा संतौर, आमवाला रोड, पीओ– चंदनवाड़ी, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून–248007, उत्तराखंड	08.12.2016	http://www.rbbsu.edu.in
391	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, बालावाला, देहरादून– 248161, उत्तराखंड	03.08.2018	https://sbsuniversity.edu.in/
392	श्री गुरू राम राय यूनीवर्सिटी, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड	07.04.2017	http://www.sgrr.ac.in
393	सूरजमल विश्वविद्यालय, सिरौली, किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड– 263148	05.08.2021	https://www.smu.ac.in/
394	स्वामी रामा हिमालयन यूनीवर्सिटी, स्वामी राम नगर, जॉली ग्रांट, पो.ओ. डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013	http://www. srhuedu.in
395	पंतजलि विश्वविद्यालय, पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006	http://www.universityofpatanjali.com
396	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, बिधोली परिसर, ऊर्जा एकड़, पी.ओ. दीधोली, देहरादून –248006	10.07.2003	http://www.upes.ac.in
397	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलाजी, रुड़की पोस्ट बॉक्स नंबर 27, ऑन रुड़की–हरिद्वार रोड पर 7 किमी, वर्धमानपुरम, रुड़की– 247667, उत्तराखंड	25.03.2021	https://www.uetr.ac.in/
398	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, आर्केडिया ग्रांट, पीओ चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून – 248 007*	15.02.2013	http://www.uttranchaluniversity.ac.in
पश्चिम बंगाल			
399	एडमेस युनिवर्सिटी, बारासात, बाराकपोर रोड, बारबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, थाना बारासात, कोलकाता–700126	11.04.2014	http://www.au.edu.et
400	एमिटी विश्वविद्यालय, राजारहाट, न्यू टॉऊन, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015	http://www.amity. edu/kolkata/
401	ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय, 398 रामकृष्णपुर रोड, कोलकाता–700124	24.02.2016	http://www.brainwareuniversity.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना की तिथि	वेबलिंक
402	जेआईएस युनिवर्सिटी, अगरपारा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	http://www.jisuniversity. ac.in
403	सीकॉम स्किल युनिवर्सिटी, ग्राम केन्द्राडांगल, डाकघर–सातोर, थाना–पानरुई, जिला–बीरभूम–731236	11.04.2014	http://www. seacomskillsuniversity. ore
404	सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, डीजी –1 /2, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता – 700 156, पश्चिम बंगाल	22.02.2018	https://snuniv.ac.in/
405	सेंट जेवियर यूनीवर्सिटी, भवन नम्बर III, बी–1, प्लॉट नम्बर III बी/1, एक्शन एरिया– IIIबी, पीएस न्यू टाउन, कोलकाता– 700156	16.01.2017	http://www.sxuk.edu.in
406	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, बारा कंठालिया, सेवली टेलिनी प्रारा, उत्तर–24 परगना, बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700121	05.12.2019	http://www. swamivivekanandauniversity. ac.in
407	टेक्नो इंडिया युनिवर्सिटी, ईएम–4, सेक्टर–ट, सॉल्ट लेक, कोलकाता–700091	16.08.2012	http://www. technoinidauniversity. ac.in
408	द नियोतिया यूनिवर्सिटी, झिंगा सरिसा, डीएच रोड, जिला 24 परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल–743368	03.02.2015	http://www.tnu.ac.in
409	युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट, युनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट नम्बर III–बी/5, मेन आर्टिरियल रोड(पूर्व–पश्चिम), न्यू टॉऊन एक्शन एरिया–III, कोलकाता–700156	03.02.2015	http://www.uem.edu.in

तालिका 2.2 (i)(ख)(v) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
बिहार			
1	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	1992	http://www.igims.org
जम्मू और कश्मीर			
2	शेर–ए–कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान	1990	http://www.skmis.nic.in
तमिलनाडु			
3	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, अन्ना सेनेटरी लाइब्रेरी के पीछे, गांधी मंडपम रोड, चेन्नई–600025, तमिलनाडु	01 अप्रैल,2021	htt://www.mse.ac.in
उत्तर प्रदेश			
4	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान	1983	http://www.sgpgi.ac.in

तालिका 2.2 (i)(ख)(vi) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थान

(*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र विश्वविद्यालय)

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
आन्ध्र प्रदेश			
1	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गांधी नगर कैम्पस, रशिकोन्डा, विशाखापत्तनम–530045, आंध्र प्रदेश*	13.08.2007	http://www. gitam.edu
2	कोनेरू लक्ष्मैया एजूकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्डस्, कुन्चानापल्ली पोस्ट, वाडेशवरम्, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश 522002*	20.02.2009	http://www. kluniversity. edu.in
3	श्री सत्य सांई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम–515134, जिला अनन्तापुर, आंध्र प्रदेश*	10.11.1981	http://www.sssihl.edu.in
4	विज्ञान फाउंडेशन फॉर सांइस टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश–522313*	19.12.2008	http://www. vignanuniversity. org
अरूणाचल प्रदेश			
5	नार्थ इर्स्टन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला–पापुम पारे–791109, अरूणाचल प्रदेश	31.05.2005	http://www.nerist.ac.in
असम			
6	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी), बालगाँव, बीटीएडी, कोकराझार, असम	13.12.2018	https://www.cit.ac.in/
बिहार			
7	नव नालान्दा महाविहार, नालन्दा–803111 (बिहार)	13.11.2006	http://www. navanalandmahavihara.org
चंडीगढ़			
8	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर–12, चंडीगढ़–160 012	16.10.2003	http://www.pec.ac.in
दिल्ली			
9	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली–110012*	22.08.1958	http://www.iari.res.in
10	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी–21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016*	20.05.2002	http://www. iift.edu
11	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली–110001*	29.10.2004	http://www. ili.ac.in
12	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी सांइसेज (आईएलबीएस), डी–1, वसंत कुन्ज, नई दिल्ली–110070*	10.07.2009	http://www.ilbs.in
13	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062*	10.05.1989	http://www. jamiahamdard. edu
14	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशो रोड, नई दिल्ली–110001	18.06.2021	http://www.yogamdniy.nic.in/
15	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्टस्, कन्ज़र्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली–110011	28.04.1989	http://www.nmi.gov.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
16	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 17–बी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016.	11.08.2006	http://www.nuepa.org
17	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबीटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	05.10.1999	http://www.teriuniversity.ac.in
गुजरात			
18	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर नवजीवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद–380014, गुजरात *	16.07.1963	http://www. gujaratvidyapith. ac.in
19	नेशनल रेल एंड ट्रांसर्पोटेशन इंस्टीट्यूट (एनआरटीआई), एनएआईआर कैम्पस, लालबाग, वडोदरा, गुजरात	26.07.2018	https://nrti.edu.in/
20	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वागहोदिया, जिला वडोदरा , गुजरात *	17.01.2007	http://www.sumandeepuniversity. co.in
हरियाणा			
21	लिंगाया यूनिवर्सिटी, नाचौली, पुराना फरीदाबाद–जासना रोड, फरीदाबाद–121002, हरियाणा	05.01.2009	http://www.lingayasuniversity. edu.in
22	महर्षि मार्केण्डेश्वर एजूकेशन ट्रस्ट, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा–133003	12.06.2007	http://www.mmumullana.org
23	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ रिसर्च, फरीदाबाद, हरियाणा–121001*	21.10.2008	http://www.mriu.edu.in
24	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुरूग्राम–122050, हरियाणा	20.05.2002	http://www.nbrc.ac.in
25	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल–132001, हरियाणा	28.03.1989	http://www.ndri.res.in
26	नेश्नल इस्ट्रीटयूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रिनियोरशिप एण्ड मेनेजमेन्ट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नम्बर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कुन्डली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	http://www.niftem.ac.in
झारखण्ड			
27	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची–835215, झारखण्ड	28.08.1986	http://www.bitmesra.ac.in
लद्दाख			
28	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, चोगलमसर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर	15.01.2016	http://cibs.ac.in/
कर्नाटक			
29	बी.एल.डी.ई., बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	http://www.bldeuniversity.ac.in
30	क्रॉइस्ट, होसूर रोड, बेंगलुरु –560029	22.07.2008	http://www.christuniversity.in
31	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु –560012, कर्नाटक*	12.05.1958	http://www.iisc.ernet.in
32	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, 26/सी, इन्फोसिस (द्वार सं0–1) के सामने, इलेक्ट्रिॉनिक सिटी, होसूर रोड, बेंगलुरु –560100	28.02.2005	http://www.iiitb.ac.in
33	जे.एस.एस. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, जगद्गुरु डॉ0 श्री शिवरात्रि राजेंद्र सर्कल, रामानुज रोड, मैसूर – 570 004*	28.05.2008	http://wwwjssuni.edu.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
34	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जक्कुर कैंपस, जक्कुर, बेंगलुरु–560 064*	17.08.2002	http://wwwjncasr.ac.in
35	जैन, जैन ग्लोबल कैम्पस, 45वां किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग–209, जाक्कासांदरा पोस्ट, कनक पुरा तालुक, रामानगर जिला–562112	19.12.2008	http://wwwjainuniversity.ac.in
36	के.एल.ई. एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एंड रिसर्च, जे.एन. मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)– 590010	13.04.2006	http://www.kleuniversity.edu
37	मनीपाल अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, माधव नगर, मनीपाल–576104	01.06.1993	http://www.manipal.edu
38	एन.आई.टी.टी.ई., मंगलोर –575018, कर्नाटक*	04.06.2008	http://www.nitte.edu.in
39	श्री देवराज उर्स अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बीएच रोड,तमाका, कोलार –563101	25.05.2007	http://www.sduu.ac.in
40	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, जिला तुमकुर –572 102, कर्नाटक	30.05.2008	http://www.sahetumkur.ac.in
41	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या–9, अपाजप्पा, अग्रहारा, चमाराजपेट, बेंगलुरु –560018, कर्नाटक*	08.05.2002	http://www.svyasa.org
42	येनेपोया, देरालकाटे, मंगलोर–5750118	27.02.2008	http://www.yenepoya.edu.morg
केरल			
43	चिन्मय विश्वविद्यापीठ, आदि शंकरा निलायम, वेलियानद, एर्नाकुलम –692313	16.01.2017	http://www.chinmayauniversity.ac.in
44	केरल कलामण्डलम, वालाथोल नगर, चेरूथुरूथि –679531, वाया थ्रिसूर, केरल*	14.03.2006	http://www.kalamandalam.org
45	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस सांइस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरूअनन्तापुरम, केरल–695547	03.07.2008	http://www.iist.ac.in
मध्य प्रदेश			
46	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर–474002, मध्य प्रदेश *	21.09.1995	http://www.lnipe.gov.in
महाराष्ट्र			
47	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे, महाराष्ट्र–412105*	26.04.1996	http://www.bvuniversity.edu.in
48	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज् एजूकेशन, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, 7, बंगलो, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई–400061	27.03.1989	http://www.cife.edu.in
49	डी. वाई. पाटिल एजूकेशनल सोसायटी, लेन बाजार, कासाबा, बावाड़ा, कोल्हापुर–416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	http://www.dypatilunikop.org
50	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वांगी (मेघे) वर्धा–442004*	24.05.2005	http://www.dmimsu.edu.in
51	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे–411006	05.03.1990	http://www.dsccancollegepune.ac.in
52	डॉ0 डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे–411018*	11.01.2003	http://www.dpu.edu.in
53	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, बीएमसी कालेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे –411004*	07.05.1993	http://www.gipe.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
54	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालयः नालेज मेनेजमेन्ट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सेन्ट्रल काम्पलेक्स, मुम्बई –400085*	03.06.2005	http://www. hbni.ac.in
55	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई–400065	05.12.1995	http://www. igidr.ac.in
56	डिफेन्स इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलाजी (इंस्टीटयूट ऑफ आर्मामेन्ट टेक्नॉलाजी), गिरीनार, पुणे–411025	10.09.1999	http://www. diat.ac.in
57	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़, गोवान्डी स्टेशन रोड, देवनार, मुम्बई–400088	31.07.1985	http://www. iipsindia.org
58	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलाजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुन्गा, मुम्बई महाराष्ट्र–400019*	12.09.2008	http://www. ictmumbai.edu.in
59	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, मलका पुर, कराड़, जिला सतारा, महाराष्ट्र	24.05.2005	http://www.kimsuniversity.in
60	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैम्पस, सेक्टर–18, कामोठे, नवी मुम्बई–410209	30.08.2006	http://www.mgmuhs.com
61	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्डीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुम्बई–400056*	13.01.2003	http://www.nmims.edu
62	पदमश्री डॉ0 डी.वाई पाटिल विद्यापीठ,, विद्यानगर, सेक्टर–7, नेरूल, नवी मुम्बई–400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	http://www.dypatil.ac.in
63	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डाकघर लोनी, बीके–413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	http://www.pravara.com
64	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, ग्राम लावाले, तहसील मुलशी, जिला पुणे–412115*	06.05.2002	http://www.symbiosis.ac.in
65	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई होमी भाभा रोड, मुंबई–400005*	07.05.2002	http://www.tifr.ac.in
66	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार, मुम्बई–400088*	29.04.1964	http://www.tiss.edu
67	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे–411037	28.04.1987	http://www.tmv.edu.in
ओड़ीशा			
68	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर–751024, ओड़ीशा*	26.06.2002	http://www. kiit.ac.in
69	कलिंगा इंस्टीटीयूट ऑफ सोशल सांइस, भुवनेश्वर, ओडिशा	25.08.2017	
70	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर, कंधागिरी, जे–15, भुवनेश्वर, ओड़ीशा 751030*	17.07.2007	http://www. soauniversity. ac.in
पुदुचेरी			
71	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर, पोंडी–कुड्डालोर मेन रोड, पिल्लियारकुप्पम, पुदुचेरी–607 402*	04.08.2008	http://www.sbvuniversity.com
पंजाब			
72	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), लोंगोवाल, जिला संगरूर–148106	10.04.2007	http://www. sliet.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
73	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैम्पस, भाडसन रोड, पटियाला–147004	30.12.1985	http://www. thapar.edu
राजस्थान			
74	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली–304022*	25.10.1983	http://www. banasthali.org
75	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड सांइस, पिलानी–333 031	27.06.1964	http://www.bits-pilani.ac.in
76	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन, गांधी विद्यामंदिर, सदर शहर,–331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002	http://www.iaseuniversity. org.in
77	आई.आई.एस., गुरूकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान 302020*	02.02.2009	http://www. iisuniv. ac.in
78	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, लान्डनू, नागौर– 341306, राजस्थान*	20.03.1991	http://www.jvbi.ac.in
79	जर्नादन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ प्रतापनगर, उदयपुर– 313001	12.01.1987	http://www.jrnrvu.org
80	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम–रूपा की नागल, पोस्ट–सुमेल, बारास्ता कानोटा, जिला–जयपुर–303012	03.02.2006	http://www. lnmiit.ac.in
81	नेशनल इनस्टिक्यूशन ऑफ आयुर्वेद (एनआईए) जोराबर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर–302002, राजस्थान	09.11.2020	http://www. nia.ac.in
तमिलनाडु			
82	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 135, ईस्ट कोस्ट रोड, कनाथुर, चेन्नई –603113	21.08.2007	http://www.ametuniv. ac.in
83	अमृत विश्व विद्यापीठम्, एतीमादाई पोस्ट, कोयम्बटूर –641112	13.01.2003	http://www.amrita.edu
84	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर–641043, तमिलनाडु*	08.06.1988	http://www.avinashilingam.edu
85	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अग्रहरम रोड, सेलयुर, चेन्नई–600073*	04.07.2002	http://www.bharathuniv.com
86	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एण्ड टेक्नोलॉजी, वान्डालुर, चेन्नई, तमिलनाडु–600 048	16.12.2008	http://www.bsauniv.ac.in
87	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच–1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पाडुर पोस्ट, सिरयूसेरी–603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	http://www.cmi.ac.in
88	चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजूकेशन (केयर), पादुर, केलाम्बक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु*	04.08.2008	http://www.chettinadhealthcity.com
89	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, डिन्डीगुल–624302*	03.08.1976	http://www.ruraluniv.ac.in
90	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस (हिट्स), पादुर, पुराना महाबलीपुरम रोड, केलम्बालम, चेन्नई 603103	05.05.2008	http://www.hindustanuniv.ac.in
91	कैलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एचड हायर एजूकेशन, आन्नद नगर, कृष्णनकोईल, विरूद्धनगर– 626190, बारास्ता श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006	http://www.kalasalingam.ac.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
92	कारूण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कारूण्या नगर, कोयम्बटूर–641114	23.06.2004	http://www.karunya.edu
93	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजूकेशन, पोलाच्ची मुख्य मार्ग, कोयम्बटूर	25.08.2008	http://www.karpagamuniv.com
94	डॉ. एमजीआर एजूकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट, पेरियार ईवीआर सेलाई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई–600095	21.01.2003	http://www.drmgrdu.ac.in
95	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, संख्या 12, वेम्बूली अम्मन कोईल मार्ग, पश्चिम के0के0 नगर, चेन्नई–600 078	31.03.2004	http://www.maher.ac.in
96	नूरूल इस्लाम सेंटर फॉर हॉयर एजूकेशन, कुमाराकोईल, थुकालाले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु –629 175	08.12.2008	http://www.niuniv.com
97	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वालाम, थंजावुर–613 403	17.08.2007	http://www.pmu.edu
98	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी),यगप्पा चावाडी, थंजावुर–614904	04.01.2008	http://www. prist.ac.in
99	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एएसआरएम नगर, कट्टंकुलथुर– 603203, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु)*	02.08.2002	http://www. srmuniv. ac.in
100	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जपीयार नगर, पुराना मामलपुरम मार्ग, चेन्नई–600119*	16.07.2001	http://www. sathyabamauniv. ac.in
101	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, संख्या 162, पोन्नमाले हाई रोड, वेलापापन्चवड़ी, चेन्नई–6000077*	18.03.2005	http://www.saveetha.com
102	षणमुघ आर्ट्स, सांइस, टेक्नॉलाजी एण्ड रिसर्च अकादमी (शास्त्र), तिरूमलाई, समुद्रम, तंजावुर–613401, तमिलनाडु*	26.04.2001	http://www.sastra.edu
103	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, श्री जयेन्द्र सरसवती स्ट्रीट, एनाथुर, काँचीपुरम–631 561	26.05.1993	http://www. kanchiuniv.ac.in
104	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचन्द्र नगर, चेन्नई–600 116*	29.09.1994	http://www.sruramachandra. edu. in
105	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, अवाडी, चेन्नई–600054	26.05.2008	http://www.atpetersuniversity.org
106	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज (विस्टास), पालवरम्, चेन्नई, तमिलनाडु–600117*	04.06.2008	http://www. velsuniv. ac.in
107	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर–632014	19.06.2001	http://www. vit.ac.in
108	विनायक मिशन्स रिसर्च फाउन्डेशन, शंकर मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47, अरियानूर नगर, सलेम–636308, तमिलनाडु	01.03.2001	http://www. vinayakamission. com
109	वेलटेक रंगाराजन डॉ0 शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई तमिलनाडु– 600062	15.10.2008	http://www. veltechuniv. edu. in
तेलंगाना			
110	चैतन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हनामकोंडा, तेलंगाना	29.11.2019	http://www.cist.in

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
111	इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी, सर्वे न0 25, गाचीबाऊली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद–500032	21.08.2001	http://www. iiit.ac.in
112	आईसीएफएआई फांऊडेशन फार हायर एजूकेशन, दोतानापल्ली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद–501203, तेलंगाना*	16.12.2008	http://www.ifheindia.org
उत्तर प्रदेश			
113	सैम हिग्गिनबोटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद–211007	15.03.2000	http://www.shiats.edu.in
114	भारतखण्डे संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ , उत्तर प्रदेश–226001	24.10.2000	http://www.bharkhandemusic.edu.in
115	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी–221007,उत्तर प्रदेश	05.04.1988	http://www.cihts.ac.in
116	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा–282005*	16.05.1981	http://www.dei.ac.in
117	इंडियन वेट्रिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर–243122	16.11.1983	http://www.ivri.res.in
118	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, ए–10, सेक्टर–62, नोएडा–201307	01.11.2004	http://www.jiit.ac.in
119	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा–जमुनीपुर, धुबवली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	http://www.ngbu.edu.in
120	शोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, धुलेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ–250010	08.11.2006	http://www.shobhituniversity.ac.in
121	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201009	13.06.2007	http://www. santoshuniversity.com
उत्तराखण्ड			
122	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून–248006	28.11.1991	http://www.icfre.org
123	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249404	19.06.1962	http://www.gkv.ac.in
124	ग्रॉफिक इरा यूनिवर्सिटी, 566/6, बेल रोड, कलेमेन्ट टाऊन, देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008	http://www.gehu.ac.in
पश्चिम बंगाल			
125	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), 2ए और 2बी, राजा एस.सी. मुल्लिक रोड, जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700032	08.05.2018	www.iacs.res.in
126	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा–711 202, पश्चिम बंगाल*	05.01.2005	http://www. rkmvu.ac.in

2.2 (ii) महाविद्यालय

महाविद्यालय का अभिप्राय किसी संस्थान से है, चाहे वह इसी नाम से जाना जाए अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो कि किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने हेतु ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुरूप अध्ययन पाठ्यक्रम चलाता हो, तथा उसे अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सक्षम माना गया हो तथा ऐसी अर्हता प्रदान किए जाने हेतु ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों परीक्षा हेतु तैयार करे। यह ऐसे संस्थान होते है जिन्हें किसी विश्वविद्यालय के तहत स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा उस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के तहत सम्मिलित किया जाता है।

सामान्यतः महाविद्यालय/संस्थान दो प्रकार के होते हैः (1) संबद्ध महाविद्यालय (2)संघटक महाविद्यालय

ऑफ कैम्पस केन्द्र/स्नातकोत्तर केन्द्रः इसके द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय केंद्र है जो मुख्य परिसर के बाहर (राज्य के भीतर या बाहर) संचालित किया जाता है और अपनी घटक इकाई के रूप में बना रहता है, जिसमें विश्वविद्यालय की सुविधाएं, संकाय और कर्मचारियों होते हैं।

मान्यताप्राप्त केन्द्रः इन संस्थानों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी एक संस्था है जिसे इन संस्थानों द्वारा चलाया जाता है जैसे आर्मी कैडेट कॉलेज विंग, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है लेकिन संस्थान में संचालित कार्यक्रमों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जाती है।

इस प्रकार दो प्रकार के महाविद्यालय/संस्थान होते हैः (1) संबद्ध महाविद्यालय (2) संघटक महाविद्यालय (3) स्नातकोत्तर और ऑफ कैम्पस केन्द्र (4) मान्यताप्राप्त केन्द्र

तालिका 2.2 (ii) (क) : वर्ष 2021-22 के दौरान महाविद्यालय/संस्थानों की राज्यवार और स्वरूपवार संख्या

(*एआईएसएचई पोर्टल पर आधारित अनंतिम आंकड़ेः वर्ष 2021-22 के दौरान महाविद्यालयों की सूची)

राज्य	महाविद्यालयों का स्वरूप					स्टैण्डालोन# संस्थान#
	संबद्ध महाविद्यालय	संघटक/ विश्वविद्यालय महाविद्यालय	स्नातकोत्तर केन्द्र/ ऑफ कैम्पस केन्द्र	मान्यताप्राप्त केन्द्र	कुल	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9				9	1
आन्ध्र प्रदेश	2541	64	7	1	2613	697
अरूणाचल प्रदेश	40	2			42	14
असम	589	6	3	1	599	93
बिहार	755	286	2	28	1071	283
चण्डीगढ़	26				26	10
छत्तीसगढ़	833	37	1	4	875	79
दिल्ली	110	72	1	6	189	97
गोवा	60	1	3	8	72	17
गुजरात	2191	360	27	50	2628	301
हरियाणा	1062	28	2	1	1093	228
हिमाचल प्रदेश	340	8	2	7	357	83
जम्मू और कश्मीर	324	24	10	1	359	154
झारखण्ड	255	87	2		344	109
कर्नाटक	4158	139	41	56	4394	1592
केरल	1382	67	20	68	1537	376
लद्दाख	3		1		4	5
लक्षद्वीप			3		3	
मध्य प्रदेश	2571	110	2	830	3513	335

राज्य	महाविद्यालयों का स्वरूप					स्टैण्डालोन# संस्थान#
	संबद्ध महाविद्यालय	संघटक / विश्वविद्यालय महाविद्यालय	स्नातकोत्तर केन्द्र / ऑफ कैम्पस केन्द्र	मान्यताप्राप्त केन्द्र	कुल	
महाराष्ट्र	4451	174	11	131	4767	2153
मणिपुर	102	3			105	34
मेघालय	72	3	2	3	80	22
मिजोरम	36	3			39	19
नागालैण्ड	67	1		2	70	20
ओड़ीशा	1178	43	3	3	1227	481
पुदुचेरी	80	8	2		90	12
पंजाब	987	53	17	1	1058	362
राजस्थान	3658	47	2	78	3785	514
सिक्किम	21	9			30	8
तमिलनाडु	2576	127	10		2713	895
तेलंगाना	2024	40	10	2	2076	458
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	19		1	1	21	1
त्रिपुरा	53	1	1		55	14
उत्तरप्रदेश	8077	64	11	46	8198	1148
उत्तरांखण्ड	461	24	3	3	491	153
पश्चिम बंगाल	1399	53	6	16	1474	527
कुल योग	42510	1944	206	1347	46007	11295

#**स्टैण्डालोन संस्थान** (विश्वविद्यालय से संबंद्ध नहीं) ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें उपाधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है इसलिए वे डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं।

इस प्रकार के पांच संस्थानों को कवर किया गया है। वे है:

(1.) तकनीकी जैसे बहुकला संस्थान गुजरात और छत्तीसगढ़ में बहुकला संस्थानों को विश्वविद्यालय से संबंद्ध किया गया है इसलिए, उन्हें स्टैंण्डालोन संस्थानों के रूप में नहीं गिना गया है)। इन दो राज्य में बहुकला संस्थानों को महाविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है)

(2.) एआईसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(3.) शिक्षक प्रशिक्षण जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान।

(4.) भारतीय परिचर्या महाविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त परिचर्या संस्थान।

(5.) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन संस्थान।

एआईएसएचई के पोर्टल पर सूचीबद्ध देश में कुल 11295 स्टैंण्डालोन संस्थान हैं। (स्रोत एआईएसएचई पोर्टल रिपोर्ट 2020–21 संस्थानों की सूची)।

2.2 (ii) (ख) : स्टैण्डालोन संस्थानों की राज्यवार और स्वरूपवार संख्या

राज्य	संस्थानों का स्वरूप							कुल योग
	होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी	मंत्रालयों के अधीन संस्थान	परिचर्या	परा–चिकित्सीय	पीजीडीएम संस्थान	अध्यापक प्रशिक्षण	तकनीकी/ बहुकला संस्थान	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह						1		1
आन्ध्र प्रदेश		3	241		5	295	153	697
अरूणाचल प्रदेश						6	8	14
असम	1	2	23	1	1	37	28	93
बिहार	2	1	151	1	4	60	64	283
चण्डीगढ़	2	1			1	3	3	10
छत्तीसगढ़		1	40		3	32	3	79
दिल्ली	3	2	23	1	13	39	16	97
गोवा	1	1	1	2	1	3	8	17
गुजरात	1	6	162	1	8	113	10	301
हरियाणा	7	4	31		5	46	135	228
हिमाचल प्रदेश	2	1	25			19	36	83
जम्मू और कश्मीर	2	1	30	45		19	57	154
झारखण्ड	1	2	41	11	6	5	43	109
कर्नाटक	2	3	577	358	20	222	410	1592
केरल	2	2	133	1	7	146	85	376
लद्दाख				1		1	3	5
मध्य प्रदेश	5	2	108	3	63	92	62	335
महाराष्ट्र	2	12	606		51	748	734	2153
मणिपुर		1	14	3		11	5	34
मेघालय	1	1	8			9	3	22
मिजोरम			8			9	2	19
नागालैण्ड			3	1		9	7	20
ओड़िशा	1	3	210	55	8	65	139	481
पुदुचेरी			1			2	9	12
पंजाब	1	3	128	5		56	169	362
राजस्थान	7	1	59	67	4	239	137	514
सिक्किम	1		1			4	2	8
तमिलनाडु	2	4	105		10	280	494	895
तेलंगाना	1	3	126		16	177	135	458
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीव	1							1
त्रिपुरा		2	8			4		14
उत्तर प्रदेश	4	6	284	77	38	197	542	1148
उत्तरांखण्ड	1	2	24		2	11	113	153
पश्चिम बंगाल	2	14	96	6	16	227	166	527
कुल योग	**55**	**84**	**3267**	**639**	**282**	**3187**	**3781**	**11295**

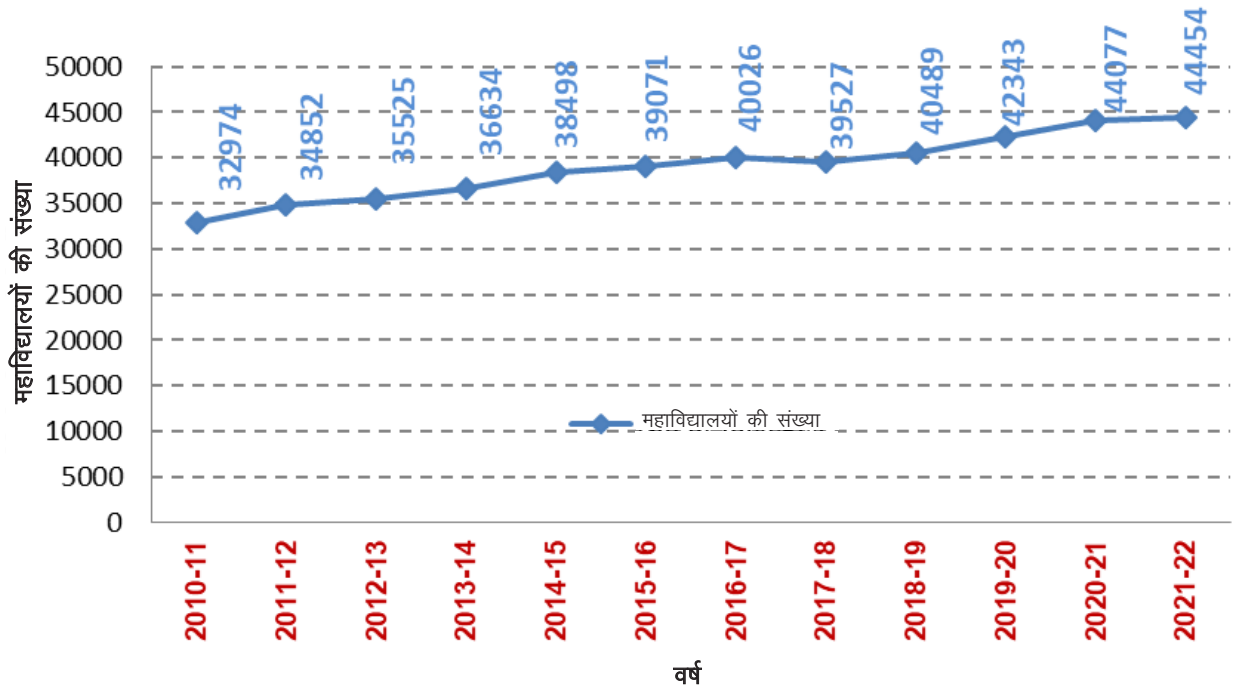
तालिका 2.2(ii) (ग): वर्ष 2010-11 से 2021-22 के दौरान महाविद्यालयों (संबद्ध/संघटक) की वर्ष-वार संख्या

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या
2010–11	32974
2011–12	34852
2012–13	35525
2013–14	36634
2014–15	38498
2015–16	39071
2016–17	40026
2017–18	39527
2018–19	40489
2019–20	42343
2020–21	44077*
2021–22	44454**

* अनतिम आंकड़े (स्रोत–एआईएसएचई पोर्टल 2020–21 रिपोर्ट–संस्थानों की सूची)

** अनतिम आंकड़े (स्रोत–एआईएसएचई पोर्टलः डायरेक्ट्री ऑफ इंस्टीटयूशन्सः 2021–22)

रेखाचित्र 2.2(ii) (ग): वर्ष 2010-11 से 2021-22 के दौरान (संबद्ध/संघटक) महाविद्यालयों की वृद्धि



2.3 छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2020–21 के दौरान उच्चतर शिक्षा के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्टैंडालोन संस्थानों* में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम) में 39434256 लाख छात्रों का नामांकन हुआ था।

तालिका 2.3(i)(क): छात्र नामांकन में अखिल भारतीय वृद्धि (वर्ष 2010-11 से 2021-22 के दौरान)

वर्ष	कुल छात्र नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010–11	27433749		
2011–12	29184331	1684582	6.13:
2012–13	30152417	968086	3.32:
2013–14	32336234	2183817	7.24:
2014–15	34211637	1875403	5.80:
2015–16	34584781	373144	1.09:
2016–17	35705905	1121124	3.24:
2017–18	36642378	936473	2.62:
2018–19	37399388	757010	2.07:
2019–20	38536359	1136971	3.04:
2020–21	39434256	897897	2.33:

कवरेज: उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्टैंडालोन संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन के आंकड़े, एआईएसएचई की वर्ष 2010–11 से 2019–20 और वर्ष 2020–21 के लिए रिपोर्टों पर आधारित है।

***नामांकन का अनुमान, पिछले पांच वर्षों के दौरान साधारण औसत वृद्धि पर लगाया गया है।**

रेखाचित्र 2.3(i)(क): वर्ष 2010–11 से 2021–22 के दौरान छात्र नामांकन में वर्षवार वृद्धि (उच्चतर शिक्षा संस्थान) (एचईआई)



2.4 आउट टर्न/पास आउट

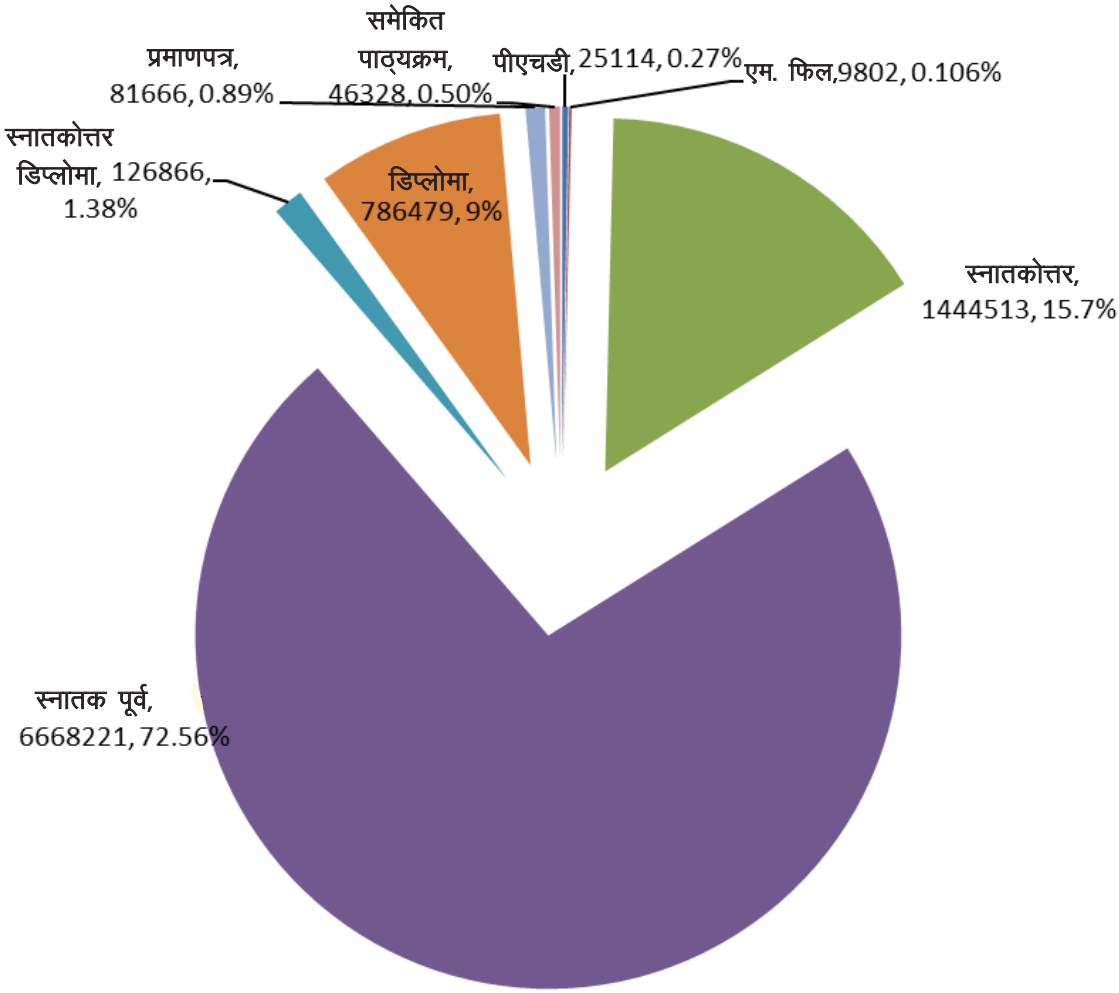
तालिका 2.4: वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान वर्ष–वार और स्तर–वार आउट टर्न/पास आउट

स्तर	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
पी.एच.डी.	28779	34400	40813	38986	25114
एम.फिल.	26325	28059	25787	18220	9802

स्तर	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
स्नातकोत्तर	1477919	1504403	1500064	1577704	1444513
स्नातकपूर्व	6456386	6419639	6474715	6650071	6668221
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	129032	143176	159697	189608	126866
डिप्लोमा	740561	737077	783914	807330	786479
प्रमाणपत्र	67933	75383	75358	80927	81666
समेकित पाठ्यक्रम	26151	26409	31550	39064	46328
कुल योग	8953086	8968546	9091898	9401910	9188989

*आंकड़े एआईएसएचई पोर्टल 2020–21 में वास्तविक प्रतिक्रिया पर आधारित है।

रेखाचित्र 2.4: वर्ष 2021-22 के दौरान स्तर-वार आउट टर्न/पास आउट (आईएसएचई पोर्टल 2020-21 के आंकड़े)



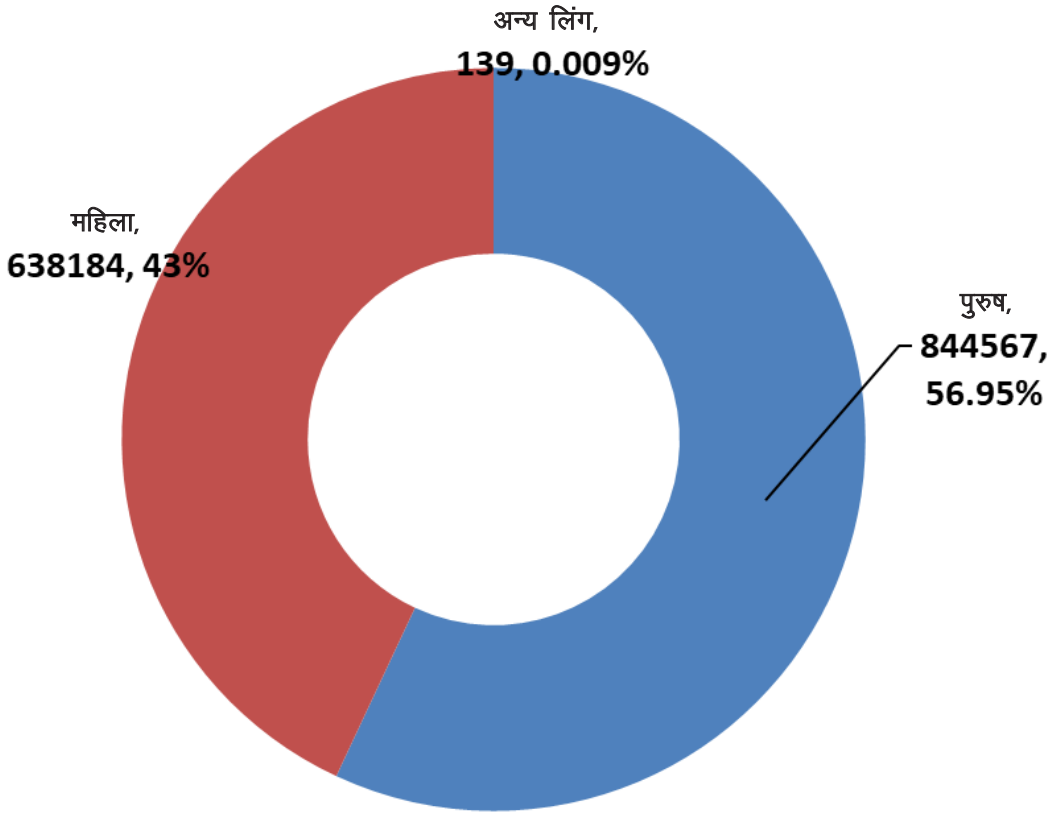
2.5 शिक्षण कर्मचारी

तालिका 2.5: वर्ष 2020-21 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शिक्षकों की राज्य-वार संख्या (एआईएसएचई में वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल योग			
	पुरूष	महिला	अन्य लिंग	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	64	60		124
आन्ध्र प्रदेश	62343	37014	12	99369
अरूणाचल प्रदेश	1237	927		2164
असम	12578	9084	2	21664
बिहार	27471	8434	5	35910
चण्डीगढ़	1541	2079		3620
छत्तीसगढ़	11215	10744		21959
दिल्ली	9737	11235	2	20974
गोवा	1534	2040		3574
गुजरात	35022	24987	4	60013
हरियाणा	18331	20731	5	39067
हिमाचल प्रदेश	5181	4852	1	10034
जम्मू और कश्मीर	6545	4606	1	11152
झारखण्ड	9716	4678	1	14395
कर्नाटक	74954	66130	10	141094
केरल	21373	35162	9	56544
लद्दाख	62	40		102
मध्य प्रदेश	43351	31541	14	74906
महाराष्ट्र	92402	66754	16	159172
मणिपुर	2816	2648		5464
मेघालय	1501	1983		3484
मिजोरम	991	908		1899
नागालैण्ड	1062	1374		2436
ओड़ीशा	25803	16208	8	42019

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल योग			
	पुरूष	महिला	अन्य लिंग	कुल
पुदुचेरी	3478	2832		6310
पंजाब	19885	29815	6	49706
राजस्थान	47324	27147	7	74478
सिक्किम	864	607		1471
तमिलनाडु	100157	99854	13	200024
तेलंगाना	42704	31195	5	73904
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीव	322	256		578
त्रिपुरा	1528	897		2425
उत्तरांखण्ड	9913	6370	2	16285
उत्तरप्रदेश	106116	49716	12	155844
पश्चिम बंगाल	45446	25276	4	70726
अखिल भारतीय		**638184**	**139**	**1482890**

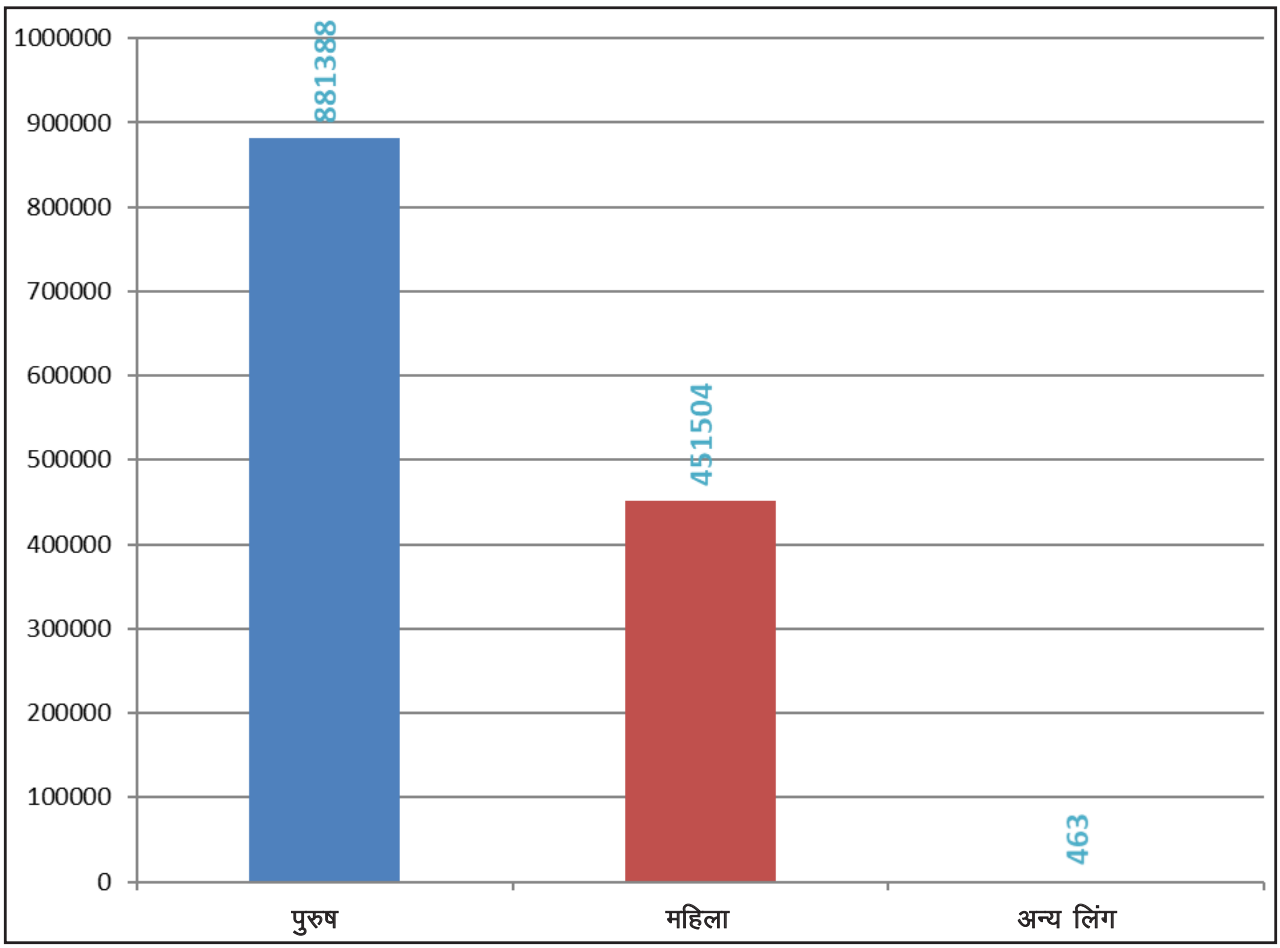
रेखाचित्र 2.5: वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पुरूष, महिला और अन्य लिंग के शिक्षकों की संख्या



तालिका 2.6 : वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) (वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर) में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या

पद	पुरूष	महिला	अन्य लिंग	कुल
समूह–क	116382	70849	101	187332
समूह–ख	143627	95377	66	239070
समूह–ग	360171	174004	203	534378
समूह–घ	261208	111274	93	372575
कुल	881388	451504	463	1333355

रेखाचित्र 2.6: वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पुरूष, महिला और अन्य लिंग के शिक्षकों की संख्या (एआईएसएचई में वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)



अध्याय 3

विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता

- 3.1 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता
- 3.2 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सहायता
- 3.3 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को सहायता
- 3.4 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सहायता

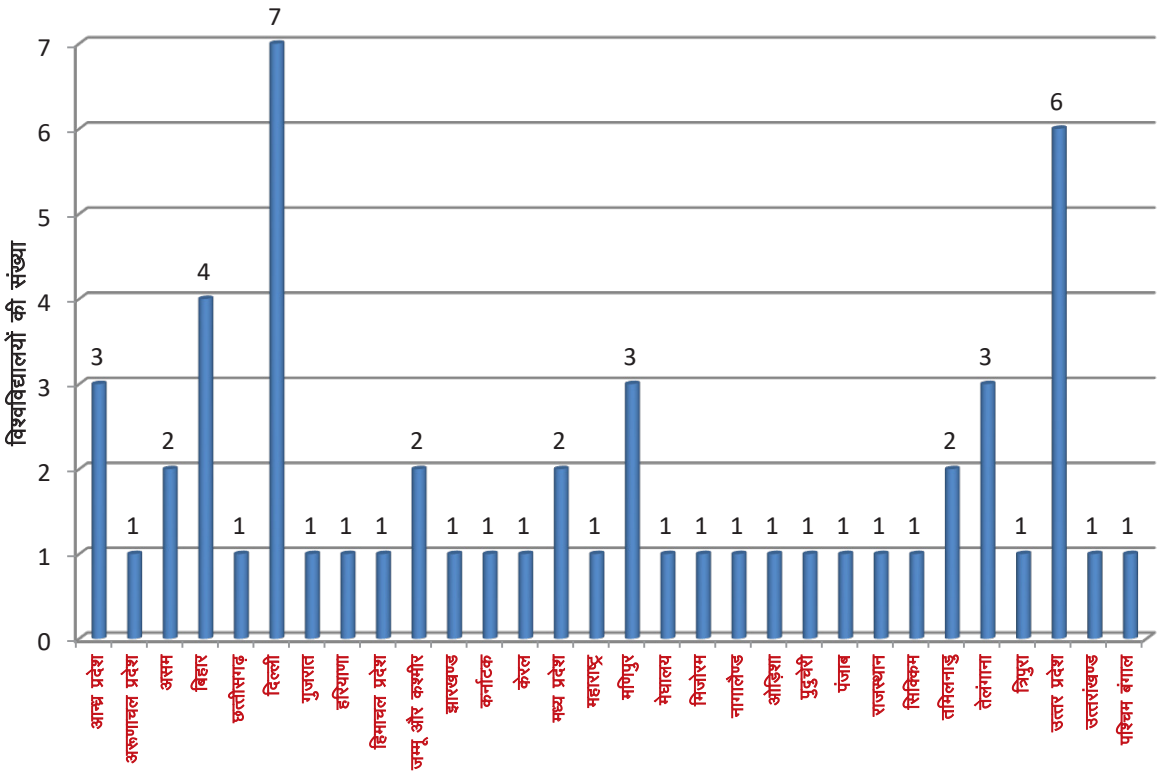
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न पहलुओं नामतः पहुंच में वृद्धि करने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करने, उनके विश्वविद्यालय प्रशासन को और प्रभावी बनाने, अधिक संकाय सुधार कार्यक्रमों की व्यवस्था करने, छात्रों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं में वृद्धि करने तथा विश्वविद्यालय की अन्य योजनाओं को कवर करते हुए समग्र विकास हेतु प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करता है।

3.1 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 54 केन्द्रीय विश्वविद्यालय थे जिनमें से 9 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार (v) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (vi) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन युनिवर्सिटी, राय बरेली, उत्तर प्रदेश (vii) रानी लक्ष्मीबाई केन्दीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, (viii) डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, और (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है और इसलिए, इन नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिन्हें वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय–2 की तालिका 2.2 (i) (ख) (ii) में दी गई है।

रेखाचित्र 3.1 दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य–वार संख्या



3.1 (i) ब्लॉक अनुदान के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

वर्ष 2021–22 के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में बजट के विभाजन को नीचे संक्षेप में दिया गया है:–

तालिका 3.1(i)(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बजट आबंटन

(लाख रुपये में)

मद	बजटीय आबंटन			
	आवर्ती (31)	पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)	वेतन (36)	कुल
1	2	3	4	5
गैर–एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान				
गैर–पूर्वोत्तर के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	200409.00	39100.00	469917.00	709426.00
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालय				
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	25550.00	12400.00	76300.00	114250.00
आईएमएस– बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनुदान	15300.00	4300.00	8700.00	28300.00
आंध्र प्रदेश राज्य				
आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान	400.00	11911.00	200.00	12511.00
आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को अनुदान	220.00	974.00	143.00	1337.00
कुल	241879.00	68685.00	555260.00	865824.00

तालिका 3.1(i)(ख) : वर्ष 2021-22 के दौरान आवर्ती अनुदान (31) और वेतन अनुदान (36) के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	आवर्ती अनुदान (31)		वेतन अनुदान (36)	
		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किया गया अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	400.00	399.00	200.00	200.00
2	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	220.00	220.00	143.00	143.00
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति	1482.00	1482.00	3629.26	3629.26
4	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1112.17	1112.17	3512.79	3512.79
5	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी	846.72	846.72	2183.79	2183.79
6	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	2000.00	2000.00	7030.78	7030.78
7	दिल्ली विश्वविद्यालय	24160.00	24160.00	41153.34	41153.34
7 (क)	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल सांइसेज (यूसीएमएस)	2117.85	2117.85	14385.06	14385.06
8	जामिया मिलिया इस्लामिया	8649.48	8649.48	29913.60	29913.60
9	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	15425.33	15425.33	24621.80	24621.80
10	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली	1600.00	1600.00	4391.64	4391.64
11	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली	8372.93	8372.93	10916.94	10916.94
12	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	1485.00	1485.00	1925.60	1925.60
13	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1575.98	1575.98	2523.74	2523.74
14	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	905.21	905.21	2499.13	2499.13
15	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	873.20	873.20	2078.14	2078.14
16	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1098.28	1098.28	1823.63	1823.63
17	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	655.92	655.92	2987.62	2987.62
18	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1140.00	1140.00	2530.92	2530.92
19	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1060.15	1060.15	2857.18	2857.18
20	डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय,	5435.36	5435.36	9562.10	9562.10
21	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,	1975.24	1975.24	4021.28	4021.28
22	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	1547.00	1547.00	3286.72	3286.72
23	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडीशा	660.45	660.45	492.86	492.86
24	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	954.34	954.34	3020.21	3020.21
25	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	3744.20	3744.20	12881.89	12881.89
26	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1338.60	1338.60	3264.16	3264.16
27	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1280.56	1280.56	3575.03	3575.03
28	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू)	2920.00	2920.00	11174.94	11174.94
29	हैदराबाद विश्वविद्यालय	7470.00	7470.00	20950.51	20950.51
30	टीईएफएलयू–द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	2805.00	2805.00	6078.05	6078.05
31	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	2740.00	2740.00	10029.36	10029.36
32	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	29752.03	29752.03	90978.26	90978.26
33	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	36666.65	36666.65	80911.84	80911.84

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	आवर्ती अनुदान (31)		वेतन अनुदान (36)	
		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किया गया अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किया गया अनुदान
34	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3314.05	3314.05	4647.44	4647.44
35	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	13863.00	13863.00	25610.88	25610.88
36	विश्व भारती	9732.30	9732.30	18866.50	18866.50
	कुल– (गैर–एनईआर विश्वविद्यालय)	**201378.00**	**201378.00**	**470659.99**	**470659.99**
37	असम विश्वविद्यालय	2437.90	2437.90	11457.02	11457.02
38	तेजपुर विश्वविद्यालय	1547.31	1547.31	7400.04	7400.04
39	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	2626.31	2626.31	5466.25	5466.25
40	मणिपुर विश्वविद्यालय	3765.01	3765.01	7623.41	7623.41
41	नार्थ–इस्टर्न हिल यूनीवसिर्टी	5274.27	5274.27	13868.65	13868.65
42	मिजोरम विश्वविद्यालय	2084.67	2084.67	10542.23	10542.23
43	नागालैंड विश्वविद्यालय	3369.43	3369.43	9340.00	9340.00
44	सिक्किम विश्वविद्यालय	1767.31	1767.31	5244.26	5244.26
45	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2327.79	2327.79	4958.14	4958.14
	कुल (एनईआर विश्वविद्यालय)	**25200.00**	**25200.00**	**75900.00**	**75900.00**
	कुल योग (गैर–एनईआर और एनईआर)	**226578.00**	**226578.00**	**546559.99**	**546559.99**

तालिका 3.1(i)(ग) : वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत अनुदान-35 के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	पुस्तकों और जर्नल, ऑनलाइन शिक्षण और ई–संसाधन के लिए आईसीटी सक्षम अवसंरचना, छोटे उपकरणों /प्रयोगशालाओं, परिसर विकास और फर्नीचर और फिक्सचर्स सहित अन्य अवसंरचना के लिए वार्षिक आवंटन,	अवसंरचना विकास/ परिसर विकास/ ईडब्ल्यूएस अनुदान आदि के लिए अतिरिक्त अनुदान	जारी किया गया कुल अनुदान
1	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	11911.00	0.00	11911.00
2	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	974.00	0.00	973.99
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	350.00	0.00	350.00
4	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	450.00	0.00	450.00
5	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	425.00	0.00	425.00
6	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	550.00	1376.00	1926.00
7	दिल्ली विश्वविद्यालय	700.00	1000.00	1700.00
7क	यूसीएमएस	300.00	0.00	300.00
8	जामिया मिलिया इस्लामिया	700.00	0.00	641.66
9	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	700.00	0.00	700.00
10	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	375.00	19.00	394.00
11	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	400.00	1767.00	2167.00
12	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	400.00	1500.00	1900.00
13	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	500.00	0.00	500.00

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	पुस्तकों और जर्नल, ऑनलाइन शिक्षण और ई–संसाधन के लिए आईसीटी सक्षम अवसंरचना, छोटे उपकरणों /प्रयोगशालाओं, परिसर विकास और फर्नीचर और फिक्सचर्स सहित अन्य अवसंरचना के लिए वार्षिक आवंटन,	अवसंरचना विकास/ परिसर विकास/ ईडब्ल्यूएस अनुदान आदि के लिए अतिरिक्त अनुदान	जारी किया गया कुल अनुदान
14	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	300.00	0.00	300.00
15	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	350.00	0.00	350.00
16	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	350.00	0.00	350.00
17	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	400.00	0.00	400.00
18	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	400.00	0.00	400.00
19	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	400.00	0.00	400.00
20	डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय,	600.00	2766.00	3366.00
21	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,	700.00	0.00	700.00
22	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	550.00	0.00	550.00
23	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडीशा	500.00	0.00	500.00
24	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	650.00	50.00	700.00
25	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	600.00	2300.00	2900.00
26	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	400.00	56.00	456.00
27	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	400.00	0ण्00	400.00
28	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	450.00	0.00	450.00
29	हैदराबाद विश्वविद्यालय	600.00	2811.00	3411.00
30	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	300.00	0.00	300.00
31	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	500.00	0.00	500.00
32	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	800.00	0.00	733.34
33	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	900.00	7019.00	7919.00
34	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	500.00	238.00	738.00
35	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	600.00	613.00	1213.00
36	विश्व भारती	500.00	0.00	500.00
	कुल– (गैर–एनईआर विश्वविद्यालय)	**30485.00**	**21515.00**	**51874.99**
37	असम विश्वविद्यालय	1475.00	0.00	1475.00
38	तेजपुर विश्वविद्यालय	1750.00	0.00	1750.00
39	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	1875.00	0.00	1875.00
40	मणिपुर विश्वविद्यालय	775.00	0.00	775.00
41	नार्थ–इस्टर्न हिल यूनीवसिर्टी	1100.00	0.00	1100.00
42	मिजोरम विश्वविद्यालय	2000.00	0.00	2000.00
43	नागालैंड विश्वविद्यालय	875.00	0.00	875.00
44	सिक्किम विश्वविद्यालय	1750.00	0.00	1750.00
45	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	800.00	109.60	909.60
	कुल (एनईआर विश्वविद्यालय)	**12400.00**	**109.60**	**12509.60**
कुल योग (गैर–एनईआर और एनईआर)		**42885.00**	**21624.60**	**64384.59**

तालिका 3.2 (i) (ग): वर्ष 2021-22 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल सांइस (आईएमएस), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को जारी किया गया अनुदानः

(लाख रुपये में)

वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किया गया अनुदान					
आवर्ती		पँजीगत परिसम्पत्तियां		वेतन	
आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	आवंटन
15300.00	15300.00	4300.00	4300.00	8700.00	8700.00

3.1 (ii) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वित्तपोषित योजनाएं

3.1 (ii) (क) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम0फिल0/ पी0एच0डी0 के लिए गैर-नेट अध्येतावृत्ति की योजना

दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को आयोग की आयोजित 433वीं बैठक के माध्यम से आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2006–2007 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर– नेट अध्येतावृत्ति की योजना आरंभ की गई। अध्येतावृत्ति की दर नीचे दी गई है:–

(i)	पूर्णकालिक पीएचडी हेतु अध्येतावृत्ति	5000 रुपये प्रतिमाह
(ii)	पूर्णकालिक एमफिल हेतु अध्येतावृत्ति	3000 रुपये प्रतिमाह
(iii)	आकस्मिक राशि	विज्ञान के विषयों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000/– रुपये प्रति वर्ष

दिनांक 27 जनवरी, 2009 को आयोग की बैठक में मद संख्या पर 5.06 अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्येतावृत्ति की दर को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था, जोकि निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	अध्येतावृत्ति	मौजूदा अध्येतावृत्ति	संशोधित अध्येंतावृत्ति
(i)	पूर्णकालिक पीएचडी हेतु अध्येतावृत्ति	5000 रुपये प्रतिमाह	8000 रुपये प्रति माह
(ii)	पूर्णकालिक एमफिल हेतु अध्येतावृत्ति	3000 रुपये प्रतिमाह	5000 रुपये प्रति माह
(iii)	आकस्मिक राशि	विज्ञान के विषयों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिमाह और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000/– रुपये प्रतिमाह	कोई परिवर्तन नहीं किया गया

योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 134.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

3.1 (ii) (ख) : अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना

चूंकि, सेवाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपचारी अनुशिक्षण योजना ने वांछित प्रभाव नहीं डाला है इसलिए, अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु 'आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों' को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में स्थापित किया गया था।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा निःशुल्क/नाममात्र शुल्क/बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

योजना के तहत वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ को 62.63 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

3.1 (ii) (ग): कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कन्नड़ और हैदराबाद विश्वविद्यालय में तेलुगू शास्त्रीय भाषाओं के लिए केन्द्रों की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक भाषा हेतु 150.00 लाख रुपए के आबंटन के साथ क्रमशः 17.3.2011 को कन्नड़ और तेलुगु शास्त्रीय भाषाओं के केन्द्र की स्थापना के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को पहले ही 75.00 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं।

वर्ष 2021–22 के लिए, योजना के तहत वर्ष 2021–2022 के दौरान कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय को पहले ही 45.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

3.1 (ii) (घ): लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण तथा उनके संवर्धन के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना आरंभ करने का निर्णय लिया, इस योजना के निम्नवत उद्देश्य थेः

1. लुप्तप्राय भाषाओं के संबंध में अंतर्विभागीय और अंतर्विधायी अनुसंधान शोध आरंभ करना।
2. सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य अर्थात प्रारूपों अर्थात् डिजीटाईज पाठ, श्रव्य और वीडियो प्रारूप में अत्याधुनिक भाषण और भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लघु लुप्तप्राय भाषाओं में क्षेत्रकार्य, अनुसंधान, विश्लेषण, पुरालेखन और दस्तावेजीकरण का कार्य करना। ।
3. मोनोग्राफ, व्याकरण, व्याकरणिक स्केच, शब्दकोश और शब्द संग्रह, नृजातीय– भाषाई और सैद्धांतिक विवरण, मौखिक और लोक साहित्य और लुप्तप्राय भाषाओं पर विद्वानों की पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन करना।
4. अल्पसंख्यक और लुप्तप्राय भाषाओं के विशेष संदर्भ के साथ भाषा और बोली एटलस को तैयार करना।
5. लुप्तप्राय भाषाओं से संबंधित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना ताकि लुप्तप्राय भाषाओं के संबंध में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।
6. क्षेत्रगत भाषा विज्ञान, कोश रचना और डॉटा प्रबंधन और प्रलेखन के लिए तकनीकों में अन्य विभागों/केंद्रों से शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करना। क्षेत्रगत भाषा विज्ञान केंद्र का एक अनिवार्य भाग होना चाहिए।
7. केंद्र को केंद्र के अनुसंधान के निष्कर्षों, अर्थात् भाषाई डॉटा, भाषा शिक्षण सामग्री, और भाषा की कृतियों के डिजिटल और एनालॉग अभिलेखागार को सुलभ करवाकर, स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषा समुदायों की सेवा करनी चाहिए।
8. लुप्तप्राय भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उसके संपोषण का संवर्धन करना ताकि लिपियों, अक्षर ज्ञान की पुस्तकों जैसे वर्तनी विषयक संसाधनों का विकास सहित भाषायी जीवन शक्ति को बनाए रखने और संरक्षित करने में अल्पसंख्यक/लुप्तप्राय भाषा समुदायों का संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके।
9. केंद्र में अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े को डिजिटल करना और इसे इंटरनेट द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराना।
10. प्रारंभिक चरणों में यह केंद्र विश्वविद्यालय में भाषा, भाषाविज्ञान, लोककथाओं, नृविज्ञान, और साहित्य के अन्य केंद्रों से संसाधन (जैसे जनशक्ति, प्रयोगशाला, पुस्तकें, छात्र आदि) को प्राप्त कर सकता है लेकिन अंततः एक ऐसे स्वतंत्र केन्द्र के गठन के बारे में विचार करना चाहिए जो विशुद्ध रूप से लुप्तप्राय और स्वदेशी भाषाओं के मुद्दों के लिए समर्पित हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केंद्र की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी हैः –

1. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
2. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरूणाचल प्रदेश
3. सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम

4. इंदिरा गांधी नेशनल ट्रॉइबल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश

5. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड

6. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

7. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक

8. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल

9. विश्व भारती, पश्चिम बंगाल

वर्ष 2021–22 के दौरान योजना के तहत विश्व भारती, शांति निकेतन को 50.00 लाख रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

3.1 (ii)(ङ) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालयों को स्थापित करना/ सुदृढ़ करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग की स्थापना करने तथा शिक्षकों और अध्यापकों हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बल देता आ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अध्यापकों की शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (वर्ष 2012) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यापकों की शिक्षा हेतु संस्थागत सहायता को विस्तार देने के लिये साथ ही उसमें विभिन्न गुणात्मक सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। ऐसे कदम उठाने की दिशा में एक ऐसा पहलू देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके भीतर एक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने तथा सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अलावा अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए पत्र व्यवहार किया। इनमें पाठ्यचर्या शोध, नीतिगत तथा शैक्षणिक विकास, ज्ञानअर्जन तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, निर्धारण तथा मूल्यांकन, अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का पेशेवर विकास करना शामिल है। एक संबंधित मुद्दा जिस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कार्य करने का अनुरोध किया गया था वह अध्यापक शिक्षा (एनसीटीई), 2009 के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार करने से संबंधित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए निधियां संस्वीकृत की जिसके विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु कदमों को भी बल प्रदान करते हुए 'शैक्षणिक स्टॉफ कालेजों' से अध्यापक शिक्षकों को पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया ताकि अध्यापक शिक्षा विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके तथा समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा सके।

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप, वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं, जो विभिन्न सेवा–पूर्व तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं तथा उन्होंने अध्यापक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है।

3.1 (ii)(च): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभागों की स्थापना

स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द तथा अनुशासन को बढ़ावा देने में योग की भूमिका के बारे मे सर्व विदित है। इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि युवाओं में ज्ञानशील, विश्वास से भरपूर, संतुलित दृढ़ चरित्र तथा नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण कर बेहतर नागरिक बनने के लिए कला और विज्ञान के विभिन्न रूपों में योग से परिचय करवाने की आवश्यकता है। योग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है तथा यह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

योग के हमारे स्वास्थ्य तथा व्यवहार पर सटीक जैविक प्रभाव का आंकलन करने के लिए इस विषय पर अधिकाधिक मुख्य धारा का शोध किया जा रहा है। यह अनिवार्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय भी मानव स्वास्थ्य पर योग तथा ध्यान के सकारात्मक प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुदृढ़ करें। योग में शिक्षा प्रदान करने तथा उसे व्यवहारिक रूप से करने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में योग विभागों/केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

1. **उद्देश्य**

(i) योग में अध्ययन का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ पारंपरिक योग की गहन जानकारी प्रदान करना है।

(ii) योग के विभिन्न पहलुओं में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर नियमित पाठ्यक्रम आरंभ करना।

(iii) प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तरों पर योग में पाठ्यक्रमों का पदानुक्रम विकसित करना।

(iv) विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कॉर्पोरेट संगठनों, केंद्रीय सेवाओं में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ सभी आयु समूहों के इच्छुक लोगों को योग सिखाने के लिए योग्य संसाधन व्यक्तियों को तैयार करना।

(v) योग और विभिन्न क्षेत्रों में योग के अनुप्रयोग में शिक्षण विधियों की गहन जानकारी देना।

(vi) अनुप्रयुक्त मानव शरीर रचना और शरीर विज्ञान, भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर जैसे वैकल्पिक उपचारों और योग के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित शास्त्रीय योग ग्रंथों और योग चिकित्सा की गहन जानकारी प्रदान करने में मदद करने के लिए प्रासंगिक ज्ञान की मूलभूत समझबूझ विकसित करना ताकि उन्हें योग के सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद की जा सके।

(vii) योग में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(viii) स्नातकोत्तर छात्रों को अपने स्वयं के योग केंद्रों को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने और जनता के बीच स्वास्थ्य चेतना को बढ़ावा देने में छात्रों को सक्षम बनाना।

तालिका 3.1 (ii) (च): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित 08 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग को संस्वीकृति प्रदान की है:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
2.	विश्वभारती
3.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय
7.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
8.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

3.1 (iii): शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक अवसंरचना और प्रणालियों को पुनर्जीवित कर उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी (आरआईएसई) का विस्तार करना

केंद्र सरकार के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए बजटीय से इतर संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गैर–लाभकारी, गैर– बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 31 मई, 2017 को एचईएफए की स्थापना की गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक अवसंरचना और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना (आरआईएसई)

आरआईएसई, 2022 बाजार से संसाधन उपलब्ध कराकर उद्देश्यों को कार्य योजना में बदलने का प्रयास है। सभी संस्थानों, विशेषरूप से वर्ष 2014 के बाद स्थापित संस्थानों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, और सीमित आंतरिक संसाधनों वाले संस्थानों और विद्यालयी शिक्षा/स्वास्थ्य शिक्षा अवसंरचना जैसे एम्स, केन्द्रीय विद्यालयों के लिए, सरकार ने एचईएफए के तहत वित्तपोषण और निधियों के मूल भाग के पुनर्भुगतान के तौर–तरीकों के लिए निम्नलिखित पांच माध्यमों को मंजूरी दी है (इन सभी मामलों में सरकारी अनुदान के माध्यम से ब्याज चुकाया जाएगा):

i. नव–स्थापित संस्थान (2014 के बाद आरंभ हुए) और शिक्षा मंत्रालय के अन्य संस्थान, जिनमें शुल्क संशोधन/आंतरिक संसाधनों के सृजन की बहुत कम गुंजाइश हैः उनके अनुदान के मूल और ब्याज सहित ऋण की संपूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ii. अन्य शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुदान– सहायता प्राप्त संस्थानः सभी नए स्थापित एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थान, केंद्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालयों को वित्तपोषित किया जाएगा और संबंधित विभाग/मंत्रालय को संस्थान को पर्याप्त अनुदान सुनिश्चित कर ऋण और ब्याज के संपूर्ण भुगतान हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।

iii. वर्ष 2004 से पूर्व आरंभ किए केंद्रीय विश्वविद्यालयः आंतरिक संसाधनों से ऋण के मूल भाग के 10 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान करेंगे और शेष मूल भाग हेतु अनुदान प्राप्त करेंगे।

iv. वर्ष 2008 और 2014 के बीच आरंभ हुए तकनीकी संस्थानः आंतरिक संसाधनों से ऋण के मूल भाग के 25 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान करेंगे और शेष मूल भाग हेतु अनुदान प्राप्त करेंगे।

v. 10 वर्ष से अधिक पुराने तकनीकी संस्थानः आंतरिक रूप से सृजित बजटीय संसाधनों से ऋण के संपूर्ण मूल भाग पुनर्भुगतान करेंगे।

एचईएफए की क्रेडिट नीति में शामिल परियोजनाओं की एक नकारात्मक सूची होगी ताकि वित्तपोषण के लिए केवल आवश्यक परियोजनाएं शुरू की जाएं। प्रत्येक प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ– साथ मौजूदा क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम, राजस्व सृजन की कार्यनीति, सृजित की गई परिसंपत्तियों से राजस्व सृजन और एस्क्रो प्रणाली शामिल होंगे। 'नीति' सहित हितधारक मंत्रालयों/संगठनों द्वारा निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड के साथ एक परियोजना निगरानी प्रणाली के माध्यम से सभी परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी।

3.1 (iv): एनएएसी द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अनिवार्य प्रत्यायन

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शी तथा संसूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावी पद्धतियां हैं जिससे छात्रों तथा अन्य को सामान्य संदर्भ ढांचा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा सभी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्रों के स्थानांतरण में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसी संस्थान में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व मूल्यांकन आरंभ किया जाता है। संस्थान द्वारा उसकी स्थापना के कतिपय वर्ष (6 वर्ष) पूर्ण होने पर/विनिर्दिष्ट संख्या में बैच (दो बैच) उत्तीर्ण होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन आरंभ किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा इसके अंतर्गत कोई इकाई, चाहे जिस नाम से इसे जानी जाए, यदि वह दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा इससे पूर्व अपना निर्धारण तथा मूल्यांकन नहीं करवाती है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2016 तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसकी किसी भी योजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगी।

45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। तथापि, 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से, 31 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रत्यायन वैधता अवधि समाप्त कर ली है। दो नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (अर्थात् आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम तथा आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम) प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं और महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी को अब तक प्रत्यायन प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयवार नैक प्रत्यायन का दर्जा नीचे दिया गया है:–

तालिका 3.1 (iv) केन्द्रीय विश्वविद्यालयवार नैक प्रत्यायन का दर्जा

I	प्रत्यायित केन्द्रीय विश्वविद्यालय = 42			
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	सीजीपीए	ग्रेड	निम्नवत तिथि तक वैधता की अवधि
1	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.77	ए++	29.10.2022
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय (चरण 3) (07 वर्ष की वैधता)	3.72	ए++	20.02.2021
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.71	ए++	14.11.2020
4	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.41	ए+	02.03.2020
5	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.35	ए+	02.03.2020
6	दिल्ली विश्वविद्यालयक (चरण 1)	3.28	ए+	29.11.2023
7	इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी (चरण 2)	3.26	ए+	24.05.2021
8	तेजपुर विश्वविद्यालय (चरण 3)	3.25	ए	10.07.2021
9	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.25	ए	04.07.2017
10	नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनीवर्सिटी (चरण 3)	3.20	ए	08.06.2022
11	मिजोरम विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.16	ए	19.05.2024
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.11	ए	28.03.2021
13	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.10	ए	28.03.2022
14	जामिया मिलिया इस्लामिया (चरण 1)	3.09	ए	02.03.2020
15	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.09	ए	24.05.2021
16	पुदुचेरी विश्वविद्यालय (चरण 4)	3.1	ए	30.04.2024
17	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.06	ए	02.03.2020
18	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.06	ए	24.05.2021
19	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (चरण 3)	3.04	ए	24.06.2020
20	मणिपुर विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.02	ए	15.12.2021
21	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.01	ए	30.04.2020
22	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.01	ए	24.05.2021
23	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.01	ए	15.09.2021
24	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.01	ए	24.06.2020
25	असम विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.92	बी++	09.12.2019
26	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.88	बी++	29.10.2022
27	इलाहाबाद विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.86	बी++	31.03.2024
28	विश्वभारती (चरण 1)	2.82	बी++	05.10.2020
29	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.80	बी++	24.05.2021
30	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.80	बी++	04.11.2021
31	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.80	बी++	29.10.2022
32	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.78	बी++	02.05.2022
33	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.78	बी++	15.09.2021
34	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.76	बी++	04.11.2021
35	गुजरात विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.76	बी++	04.11.2021
36	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.72	बी+	20.02.2019
37	त्रिपुरा विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.63	बी+	14.11.2020

I	प्रत्यायित केन्द्रीय विश्वविद्यालय = 42			
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	सीजीपीए	ग्रेड	निम्नवत तिथि तक वैधता की अवधि
38	सिक्किम विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.60	बी+	24.06.2020
39	ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.59	बी+	29.10.2022
40	नागालैंड विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.58	बी+	09.07.2019
41	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.40	बी	24.07.2020
42	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.34	बी	14.07.2024

II	केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो, नैक प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं = 02
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
2	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम
III	अब तक प्रत्यायन नहीं किए गए केन्द्रीय विश्वविद्यालय = 01
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1.	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी

3.1 (v): केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नियुक्ति हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण

शिक्षा मंत्रालय/भारत सरकार ने संविधान में किए गए एक सौ तीनवें संशोधन के अनुरूप आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नियुक्ति हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू किया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20013/01/2018–बीसी–II में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार होगा और निम्नलिखित के अध्यधीन होगाः

(क) शिक्षा वर्ष 2019–20 और उसके बाद से केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा (2) के खंड (घ) में यथा परिभाषित के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के साथ, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक प्रवेश की संख्या से इतर अतिरिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि करेगा ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर, उपलब्ध सीटों की संख्या, इस ओएम के लागू होने की तिथि से तुरंत पूर्व शिक्षा सत्र के लिए प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम नहीं हो।

ग) जहां कहीं भी, किसी भी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान के अभ्यावेदन पर, उपयुक्त प्राधिकारी संतुष्ट हो कि वित्तीय, वास्तविक अथवा शैक्षणिक सीमाओं के कारणों के लिए अथवा शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए, इस अधिनियम के लागू होने के बाद, मौजूदा शिक्षा सत्र के दौरान, अध्ययन या संकाय की किसी भी शाखा में वार्षिक संस्वीकृत संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती है तो वह इस अधिनियम के लागू होने के बाद आगामी शिक्षा सत्र से आरंभ होकर अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक प्रवेश संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान कर सकता है; और तत्पश्चात्, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा उस शिक्षा सत्र के लिए इस प्रकार सीमित होगी कि प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराई गई सीटों की संख्या के फलस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उपलब्ध कराए गए आरक्षण का प्रतिशत और सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी।

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की योजना को यथा संभव शीघ्र, परंतु दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों से केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने का अनुरोध किया है।

इसी प्रकार से, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने दिनाक 19 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019– स्थाप0 (आरईएस) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को अधिसूचित किया है और यह 01 फरवरी, 2019 अथवा उसके पश्चात् अधिसूचित होने वाली सभी सीधी भर्ती वाली रिक्तियों के संबंध में प्रभावी होगा। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2019 के पत्र संख्या एफ. 25–4/2007 (सीयू) पार्ट फाइल के माध्यम से उपयुक्त निर्णय को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया।

वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत 197.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2021–22 के दौरान ईडब्ल्यूएस तथा कैम्पस विकास अनुदान का केन्द्रीय विश्वविद्यालय वार ब्योरा तालिका 3.1(v) में दिया गया है:–

तालिका 3.1(v): वर्ष 2021-22 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार ईडब्ल्यूएस तथा कैम्पस विकास अनुदान का ब्योरा

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत ईडब्ल्यूएस तथा कैम्पस विकास अनुदान	प्रयोजन
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	613.00	ईडब्ल्यू
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1000.00	ईडब्ल्यू
3.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	2300.00	ईडब्ल्यू
4.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	109.60	ईडब्ल्यूएस
5.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	1376.00	ईडब्ल्यू
6.	बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	238.00	ईडब्ल्यू
7.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	6500.00	ईडब्ल्यू
8.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	2811.00	ईडब्ल्यू
9.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	2766.00	ईडब्ल्यू
10.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1500.00	कैम्पस विकास
11.	नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनिवर्सिटी	519.00	ईडब्ल्यू
	कुल	**19735.60**	

3.1 (vi): उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थाकृत बनाने के लिए ग्रेडिड स्वायत्ता

एक सक्षमकारी परिवेश तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकें, उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के लिए स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है। विनियामक ढांचे ने इस आवश्यकता को पहचाना है और इस दिशा में, दिनांक 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता के अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य गुणवत्ता बैंचमार्क के आधार पर स्वायत्तता प्रदान करना है।

इन विनियमों के तहत, जिन विश्वविद्यालयों के पास 3.51 या उससे ऊपर का नैक प्राप्तांक हैं अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पैनलबद्ध की गई एक प्रतिष्ठित मान्यता प्रदान करने वाली एजेंसी से संबंधित प्राप्तांक/ग्रेड प्राप्त हुआ है या जिन्हें प्रतिष्ठित रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है, उन्हें श्रेणी– I में रखा गया है। जिन विश्वविद्यालयों को 3.26 तथा उससे अधिक 3.50 तक नैक प्राप्तांक प्राप्त हुआ हो और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पैनलबद्ध की गई एक प्रतिष्ठित प्रत्यायन एजेंसी से संबंधित प्रत्यायन ग्रेड/अंक प्राप्त हुए हों, उन्हें श्रेणी– II में रखा गया है। जो विश्वविद्यालय उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें श्रेणी–III में रखा गया है।

निम्नवत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निम्नानुसार स्वायत्तता प्रदान की गई है: –

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी– I	श्रेणी– II
1.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	I	
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	I	
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी		II
4.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ		II
5.	द इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी, तेलंगाना		II
6.	दिल्ली विश्वविद्यालय	I	
7.	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरूपति (वर्ष 2018 के दौरान ग्रेडिड स्वायत्ता प्रदान की गई थी। अब, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 से यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है)	I	

3.1 (vii) एनआईआरएफ रैंकिंग

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक 29 सितंबर, 2015 को माननीय शिक्षा मंत्रालय मंत्री ने इसका शुभारंभ किया था।

यह ढांचा देशभर के संस्थानों को रैंक करने की कार्यप्रणाली को रेखांकित करता है। यह कार्यप्रणाली विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक कोर समिति द्वारा दी गई समग्र सिफारिशों तथा उसके द्वारा बनाई गए व्यापक समझ की तैयार की जाती है। मानदंड, मोटे–तौर पर ''शिक्षण, ज्ञानअर्जन और संसाधन,'' ''अनुसंधान और व्यावसायिक पद्धतियों,'' ''स्नातक परिणाम,'' ''ऑउटरीच और समावेशन,'' और ''धारणा'' को कवर करते हैं (तालिका 3.1(vii)।

तालिका 3.1(vii):एनआईआरएफ रैंकिंग मानदंड

टीएलएस	शिक्षण ज्ञानअर्जन और संसाधन (आरपी) डाक्टोरल छात्रों (एसएस) सहित छात्रों की संख्या संकाय छात्र अनुपात (एफएसआर) पीएच.डी तथा अनुभव (एफक्यूई) के साथ संकाय हेतु समेकित मापन वित्तीय संसाधन और उनका उपयोग (एफआरयू)
आरपीपी	अनुसंधान और पेशेवर पद्धति (आरपी) प्रकाशन हेतु समेकित मापन (पीयू) प्रकाशन की गुणवत्ता हेतु संयुक्त मापन (क्यूपी) आईपीआर और पेटेंटः प्रकाशित और प्रदत्त (आईपीआर) परियोजनाओं तथा पेशेवर पद्धतियों के फूटप्रिंट (पीपीपीपी)
जीओ	स्नातम परिणाम (जीओ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं हेतु मापन (जीयूई) पीएच.डी. करने वाले छात्रों की संख्या हेतु मापन (जीपीएचडी)
ओआई	पहुंच और समावेशिता (ओआई) अन्य राज्यों/देशों के छात्रों का प्रतिशत (क्षेत्र विविधता (आरडी) महिलाओं का प्रतिशत (महिला विविधता (डब्ल्यू डी) शारीरिक रूप से निशक्त छात्रो के लिए सुविधाएं (पीसीएस) आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचितवर्ग के छात्रों (ईएससीएस) धारणा (पीआर) रैंकिग
धारणा	सहकर्मी धारणाः कर्मचारी (पीआरईएमपी) सहकर्मी धारणाः अकादमिक सहकर्मी (पीआरएसीडी)

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (समग्र श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (समग्र श्रेणी में)								
रैंकिंग– 1 से 100								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	66.61	9	71.19	44.96	95.07	73.36	54.12
2	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	63.10	10	64.50	45.00	100.00	53.13	49.38
3	जामिया मिलिया इस्लामिया	59.54	13	66.44	43.43	86.67	72.35	20.25
4	हैदराबाद विश्वविद्यालय	57.67	17	69.59	40.74	77.44	58.72	32.13
5	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	57.38	18	69.06	40.86	80.06	56.93	27.00
6	दिल्ली विश्वविद्यालय	56.03	19	42.65	54.23	82.66	59.60	44.81
7	तेजपुर विश्वविद्यालय	45.22	73	58.32	30.02	61.65	52.17	11.62
8	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	43.10	87	39.94	30.10	72.40	58.18	17.89
9	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	42.79	90	55.53	16.31	74.61	51.63	11.62
10	विश्वभारती	41.74	97	49.51	26.16	73.81	36.58	6.22

रैंकिंग– 101 से 150	
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1	असम विश्वविद्यालय
2	बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय
3	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4	मिजोरम विश्वविद्यालय

रैंकिंग– 151 से 200	
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2	द इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी
3	मणिपुर विश्वविद्यालय
4	राजीव गांधी विश्वविद्यालय

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के भीतर) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के भीतर)								
रैंकिंग– 1 से 100								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	67.99	2	71.19	44.96	95.07	73.36	67.88
2	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	64.02	3	64.50	45.00	100.00	53.13	58.57
3	जामिया मिलिया इस्लामिया	60.74	6	66.44	43.43	86.67	72.35	32.17

4	हैदराबाद विश्वविद्यालय	59.71	9	69.59	40.74	77.44	58.72	52.49
5	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	58.97	10	69.06	40.86	80.06	56.93	42.90
6	दिल्ली विश्वविद्यालय	57.09	12	42.65	54.23	82.66	59.60	55.37
7	तेजपुर विश्वविद्यालय	47.27	46	58.32	30.02	61.65	52.17	32.14
8	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	44.36	58	39.94	30.10	72.40	58.18	30.52
9	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	44.24	59	55.53	16.31	74.61	51.63	26.14
10	विश्वभारती	42.76	64	49.51	26.16	73.81	36.58	16.35
11	बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय	42.63	65	47.93	15.81	71.24	71.60	20.97
12	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	39.99	84	51.13	17.39	53.26	62.10	25.74
13	असम विश्वविद्यालय	39.21	93	52.68	13.32	63.79	48.04	18.51

रैंकिंग– 101 से 150	
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**
1	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2	द इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी
3	मणिपुर विश्वविद्यालय
4	मिजोरम विश्वविद्यालय
5	राजीव गांधी विश्वविद्यालय
6	सिक्किम विश्वविद्यालय

रैंकिंग– 151 से 200	
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**
1	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
3	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4	नागालैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (इंजीनियरिंग श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (इंजीनियरिंग श्रेणी में)								
रैंकिंग– 1 से 100								
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**	**प्राप्तांक**	**रैंक**	**टीएलएस**	**आरपीसी**	**जीओ**	**ओआई**	**धारणा**
1	जामिया मिलिया इस्लामिया	54.46	33	60.27	50.00	72.96	54.71	13.24
2	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	54.00	35	71.79	50.09	56.66	40.38	20.65

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (प्रबंधन श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (प्रबंधन श्रेणी में)								
रैंकिंग– 1 से 75								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	जामिया मिलिया इस्लामिया	52.39	36	65.25	32.45	75.78	67.99	11.11
2	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	47.89	47	55.85	27.42	78.26	52.04	20.53
3	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	47.64	49	57.89	36.63	68.96	44.61	10.29

रैंकिंग–76 से 100	
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1	बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (भेषजी श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (भेषजी श्रेणी में)								
रैंकिंग–1 से 75								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	45.64	42	70.01	32.45	53.71	41.62	0.00

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (वास्तुशिल्प श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (वास्तुशिल्प श्रेणी में)								
रैंकिंग–1 से 25								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	जामिया मिलिया इस्लामिया	57.23	10	65.08	4.88	88.43	72.26	53.00
2	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	55.24	13	47.15	49.62	86.90	44.35	46.52

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (विधि श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (विधि श्रेणी में)								
रैंकिंग–1 से 30								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	जामिया मिलिया इस्लामिया	64.67	7	70.55	34.99	73.52	72.29	55.90
2	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	55.96	11	55.23	23.67	90.06	48.72	29.44
3	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	46.72	23	49.18	26.55	57.26	34.65	53.00

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (चिकित्सा श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (चिकित्सा श्रेणी में)								
रैंकिंग–1 से 50								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	67.62	7	73.35	57.84	84.13	64.98	49.27
2	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	58.10	15	70.49	44.24	79.57	58.31	19.41
3	यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज	51.89	30	59.53	34.42	75.71	59.96	25.70

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (दंत चिकित्सा श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (दंत चिकित्सा श्रेणी में)								
रैंकिंग–1 से 40								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	जामिया मिलिया इस्लामिया	58.32	20	74.65	33.84	58.47	72.22	68.70
2	आईएमएस, बीएचयू	53.23	25	64.21	18.25	74.10	63.17	73.59
3	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	52.85	26	73.26	22.93	77.67	50.05	34.56

एनआईआरएफ रैंकिंग- 2021 (शोध श्रेणी में) निम्नवत है:-

एनआईआरएफ रैंकिंग– 2021 (शोध श्रेणी में)								
रैंकिंग–1 से 50								
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	रैंक	टीएलएस	आरपीसी	जीओ	ओआई	धारणा
1	दिल्ली विश्वविद्यालय	56.96	11	48.00	57.28	69.47	59.14	55.83
2	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	54.96	14	42.60	49.07	89.76	52.91	42.22
3	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	53.52	18	46.72	38.47	84.60	72.75	37.69
4	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	49.81	24	36.60	40.43	84.02	56.77	42.22
5	हैदराबाद विश्वविद्यालय	49.25	25	46.28	34.95	75.67	58.20	39.45
6	जामिया मिलिया इस्लामिया	48.28	30	40.40	35.91	75.02	71.97	31.93

3.1 (viii) विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020 के अनुपालन में छात्रों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आरंभ की गई। शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 के पत्र संख्या 65–4/2020. सीयू II के उत्तर में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) आयोजित करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर आर. पी. तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और शोध के स्तर के कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) आयोजित करने के लिए समिति की रिपोर्ट को इस मामले में उचित दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है।

समिति की सिफारिशों पर चर्चा करने और सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। व्यापक विचार–विमर्श के बाद यह संकल्प लिया गया कि शिक्षा सत्र 2022–2023 से सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 13 भाषाओं में केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) आयोजित की जाएगी। इच्छुक राज्यों/निजी विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों द्वारा भी सामान्य प्रवेश परीक्षा को अपनाया जा सकता है।

3.1 (ix) वर्ष 2021–22* (45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में जानकारी) के संबंध में शिक्षण कर्मचारिवृंदों, छात्र नामांकन, छात्रों के दाखिले, शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों और छात्रावास में निवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों की कुल संख्या/कवरेज

3.1 (ix)(क) शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद

तालिका 3.1 (ix)(क) : 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण, शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों तथा छात्र नामांकन की संख्या

	कुल	मौजूदा	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त		
शिक्षण कर्मचारिवृंदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)	18924	12375	8387	1306	568	1741	171	202		
शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)	36334	22082	16128	2061	1186	2336	133	238		
छात्र नामांकन (दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)	कुल	महिला	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	अन्य लिंग	विदेशी
	291583	126286	136431	34872	30050	74553	11214	4056	6	401

वर्ष 2021–22 के दौरान छात्रों, संकाय की संख्याः–

छात्रों की संख्या

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर (श्रेणी–वार) पर कुल वास्तविक प्रवेश									
श्रेणी→ /पाठ्यक्रम ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	अन्य लिंग	विदेशी	कुल
स्नातकपूर्व	136431	34872	30050	74553	11214	4056	6	401	114473
स्नातकोत्तर									108049
05 वर्ष समेकित									12878
एम.फिल./एम. टेक.									5164
पीएच.डी.									37592
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र									13427
कुल योग									291583

संकाय की संख्या

संकाय की संख्या– वर्ष 2021–22														
		संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार)						कार्यरत संकाय (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)						
श्रेणी →/विक्षण संकाय ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप सेकमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल
आचार्य	1534	306	140	382	111	71	2544	864	69	15	41	10	6	1005
सह आचार्य	3050	621	302	766	216	144	5099	2276	195	63	132	23	12	2701
सहायक आचार्य	6063	1367	702	2342	476	331	11281	5247	1042	490	1568	138	184	8669
कुल योग	10647	2294	1144	3490	803	546	18924	8387	1306	568	1741	171	202	12375

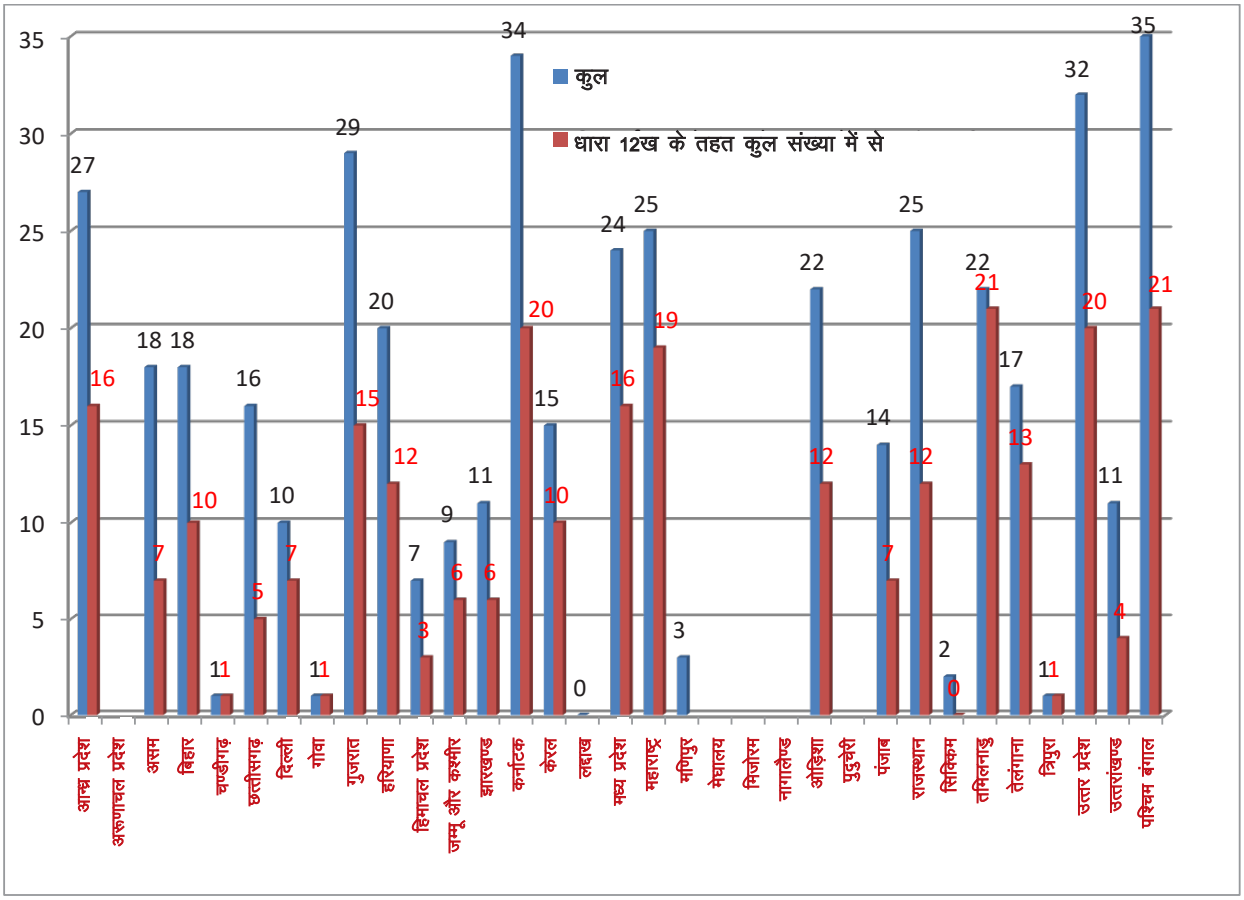
गैर-संकाय की संख्या

गैर–संकाय की संख्या–वर्ष 2021–22														
	गैर–संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार)							गैर–संकाय की वास्तविक संख्या (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)						
गैर–संकाय / श्रेणी→ ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप सेकमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप सेकमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल
समूह क	1669	116	52	214	28	37	2116	1044	71	51	93	2	13	1274
समूह ख	5891	735	375	856	220	123	8200	3722	450	255	581	75	30	5113
समूह ग	17119	2659	1562	3522	640	516	26018	11362	1540	880	1662	56	195	15695
कुल योग	**24679**	**3510**	**1989**	**4592**	**888**	**676**	**36334**	**16128**	**2061**	**1186**	**2336**	**133**	**238**	**22082**

3.2 : राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को सहायता

वर्ष 2021–22 के दौरान, 450 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय थे जिनमें से 265 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत मान्यताप्राप्त हैं

रेखाचित्र 3.2: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12ख के तहत राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों बनाम विश्वविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या



3.2 (i) राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

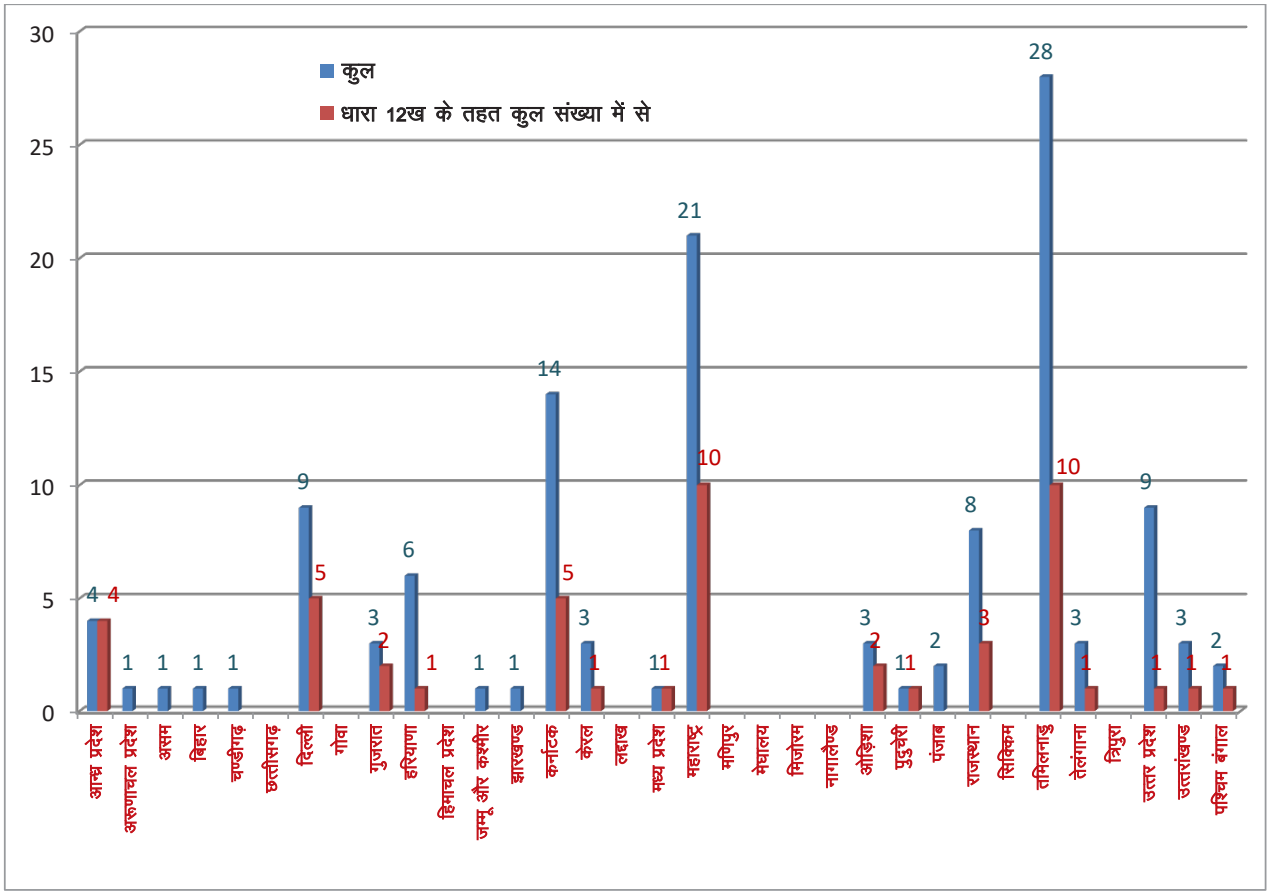
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनिर्दिष्ट मानकों के ढांचे तथा व्यापक परिव्यय के भीतर ऐसे सभी पात्र 161 राज्य विश्वविद्यालय को **सामान्य विकास सहायता** मुहैया करवाता है जो **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख)** के तहत मान्यता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सके, जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले निकायों से प्राप्त नहीं होती है। भवन, कर्मचारिवृंदों, पुस्तकों तथा जर्नलों, उपस्करों एवं अन्य मदों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता, योजनागत **ब्लॉक अनुदान** के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय–उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, यात्रा अनुदान/सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य, अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।
- **सामान्य विकास सहायता योजना** के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को 19,25,42,201/- **रुपये** (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) की राशि संस्वीकृत की गई।
- पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को वेतन शीर्ष के तहत **गैर- योजनागत अनुदान** के रूप में 262,35,00,000/- **रुपये** (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) की राशि संस्वीकृत की गई।

3.3 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को सहायता

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश में 126 सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं, इन सम विश्वविद्यालय संस्थानों में से 49 सम विश्वविद्यालय संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत हैं।

रेखाचित्र 3.3: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान बनाम सम विश्वविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विकास तथा अनुरक्षण सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जीडीए/पूंजी/अनुरक्षण/निर्धारित रखरखाव हेतु 08 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान निधियां प्राप्त कर रहे हैं। चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	राज्य/सम विश्वविद्यालय संस्थान
दिल्ली	
1.	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110 062
गुजरात	
2.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात– 380 014
महाराष्ट्र	
3.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुंबई, महाराष्ट्र– 400 088

क्रम संख्या	राज्य/सम विश्वविद्यालय संस्थान
तमिलनाडु	
4.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हॉयर एजूकेशन, कोयंबतूर, तमिलनाड– 641 043
5.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल, तमिलनाड–624 302,
उत्तर प्रदेश	
6.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश– 282 005,
उत्तराखण्ड	
7.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड– 249 404
पश्चिम बंगाल	
8.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इंस्टीटयूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल–711 202

अनुदान सहायता

चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में मौजूदा अवसंरचना में सुधार तथा समेकन करना बल्कि कतिपय चिह्नित क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करना है। विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय–उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, छात्रों को गैर– नेट अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य /अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिए सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम, वेतन और भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और पेंशन लाभ, गैर–वेतन अनुदान (उपभोग्य सामग्री, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिकताएं, भवनों का रखरखाव/मरम्मत और अन्य खर्चों) आदि शामिल हैं। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को सभी चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों में स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालयों को अनुदान सहायता ओएच–31 (पेशन) तथा ओएच–36 वेतन मद के रूप में सामान्य विकास सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2021–22 के दौरान विकास अनुदान के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान शीर्ष के अंतर्गत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान को 45800.00 लाख रुपये की राशि जारी की। अनुदानों को संस्वीकत किए जाने का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष 2021–22 के दौरान चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य/पेंशन 31	वेतन मद 36	कुल शीर्ष 31 और 36
गुजरात				
1.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात – 380 014	1240.00	5300.00	6540.00
महाराष्ट्र				
2.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइस, सियोन, ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई, महाराष्ट्र–400 088	1750.00	6735.00	8485.00

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य/पेंशन 31	वेतन मद 36	कुल शीर्ष 31 और 36
तमिलनाडु				
3.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजूकेशन, कोयम्बतूर, तमिलनाडु– 641 043	1960.00	6650.00	8610.00
4.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल, तमिलनाडु– 624 302	2145.00	6365.00	8510.00
उत्तर प्रदेश				
5.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा, उत्तरप्रदेश– 282 005	760.00	5575.00	6335.00
उत्तराखंड				
6.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड– 249 404	1245.00	4275.00	5520.00
	कुल .I	9100.00	34900.00	44000.00

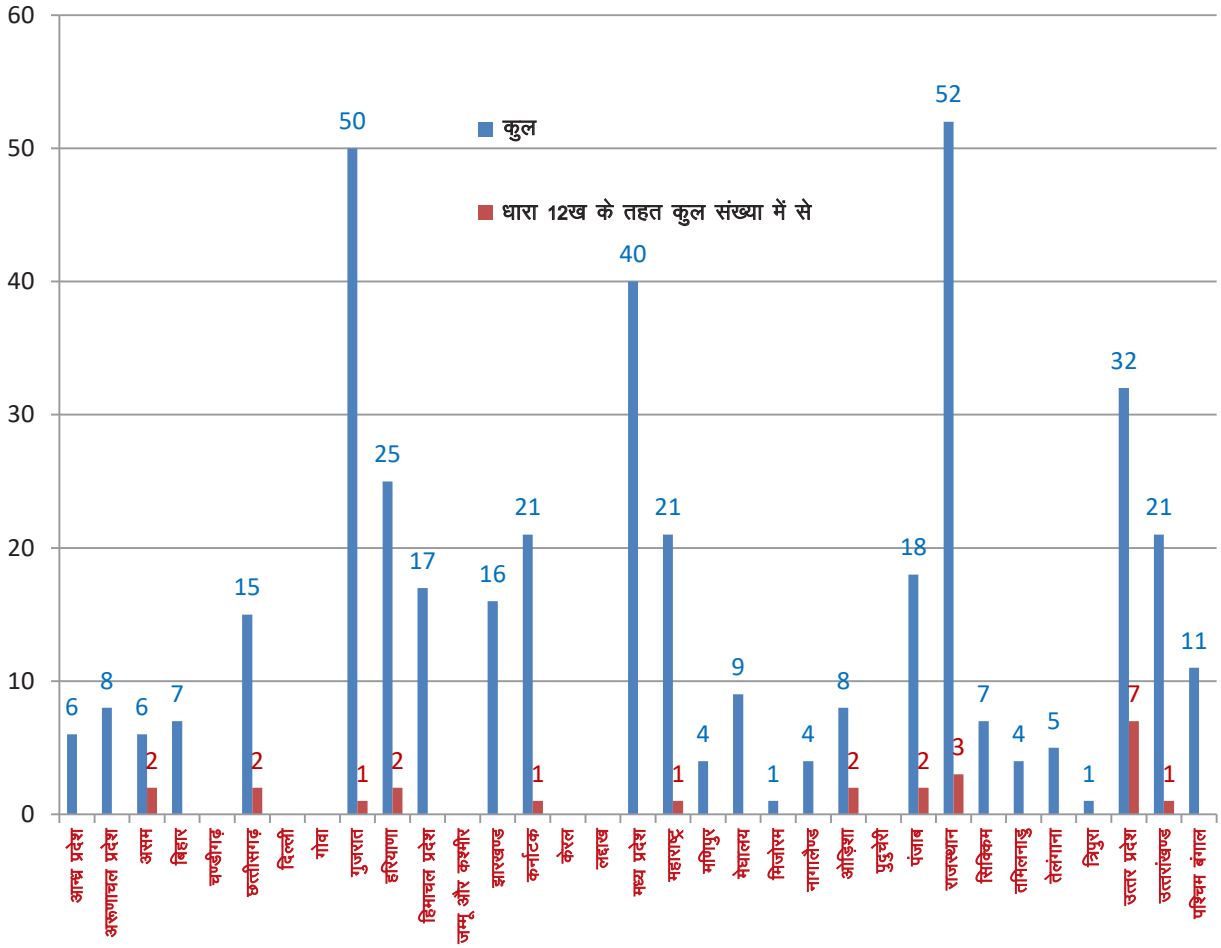
निर्धारित अनुरक्षण अनुदान

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य/ पेंशन 31	वेतन मद 36	कुल शीर्ष 31 और 36
दिल्ली				
1.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली– 110 062	0.00	800.00	800.00
पश्चिम बंगाल				
2.	रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल– 711 202	0.00	800.00	800.00
	कुल .II	0.00	1800.00	1800.00
	कुल योग (I+II)	9100.00	36700.00	45800.00

3.4 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सहायता

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में 409 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में से 24 निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत हैं।

रेखाचित्र 3.4: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत निजी विश्वविद्यालय बनाम निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या



निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से की जाती है। संबंधित राज्य सरकार से विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए स्थापना संबंधी अधिनियम तथा अधिसूचना की प्राप्ति होने पर निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत निजी विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है।

पिछले दस वर्षों के दौरान स्थापित किए गए निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 409 राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से 342 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2010 के बाद हुई है।

निजी विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा मानदंडों का रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित किया जाता है।

- इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्र समुदाय के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था जिसमें उच्चतर शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण एक विशेषज्ञ समिति (जिसमें संबंधित सांविधिक परिषद्(दों) से प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं) द्वारा किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय व्यहार्यता आदि के संबंध में न्यूनतम मानदंडों पर खरा उतरने के संबंध में उनका आंकलन किया जा सके)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों को विश्वविद्यालय को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु भेजा जाता है जिसे आयोग द्वारा इसकी दिनांक 10 जनवरी, 2014 को आयोजित 497वीं बैठक में गठित समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाता है और तत्पश्चात् जानकारी हेतु आयोग के समक्ष रखा जाता है।

अध्याय 4

विकास योजनाएं और महाविद्यालयों को सहायता

- 4.1 महाविद्यालयों का विकास
- 4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय
- 4.3 विअआ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान
- 4.4 दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान

4.1 महाविद्यालयों का विकास

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तरको बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, नवोन्मेष तथा परिवर्तन का संवर्धन करने, शिक्षा को उभरते करियर पैटर्न, पहुंच से जोड़ने, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की दृष्टि से महाविद्यालयों का विकास करना, भारतीय उच्चतर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्नातकपूर्व और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने में महाविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। महाविद्यालयों को प्रदान की जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, करियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर बल दिया जाना चाहिए।

4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12 ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विनियम अधिसूचित किए थे। जब भी महाविद्यालयों से धारा 2 (च) के तहत शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उन्हें विनियमों के तहत उपबंधों के अनुसार शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो इन विनियमों के संदर्भ में महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है।

धारा 2 (च) के तहत महाविद्यालयों को शामिल करने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप महाविद्यालयों को धारा 12ख के तहत शामिल करता है। इससे महाविद्यालय केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले भारत सरकार या किसी भी संगठन से केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हो जाते हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत कुल 13032 महाविद्यालयों को मान्यता दी गई है, (धारा 2 (च) के तहत 2727 महाविद्यालय और धारा 12 (ख) के तहत 10305 महाविद्यालय जबकि दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा 2 (च) और 12 (ख)

के तहत मान्यताप्राप्त कुल महाविद्यालयों की संख्या 12717 थी (धारा 2 (च) के तहत 2574 महाविद्यालय और धारा 12 (ख) के तहत 10143 महाविद्यालय)।

तालिका 4.2 (क) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की संख्या

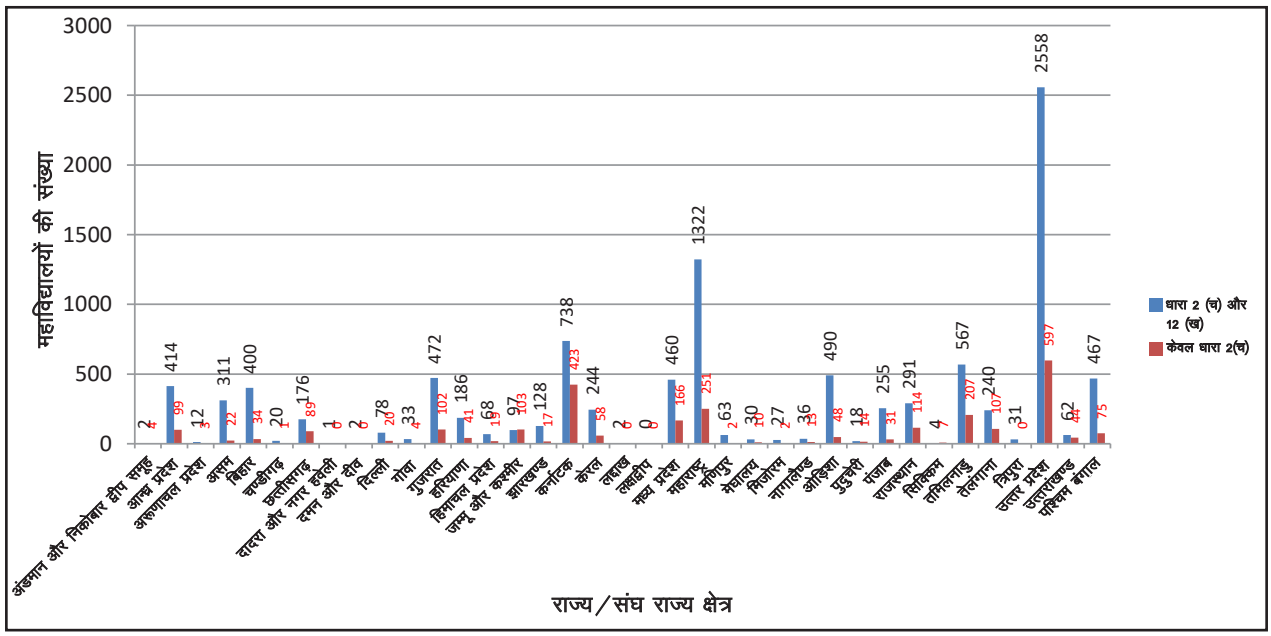
वर्ष	धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत महाविद्यालयों की कुल संख्या	केवल धारा 2 (च) के तहत आने वाले महाविद्यालय की संख्या जिन्हें धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है	कुल
31.03.2020 तक	9993	2460	12453
31.03.2021 तक	10143	2574	12717
31.03.2022 तक	10305	2727	13032

तालिका 4.2 (ख) : दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत सम्मिलित किए गए महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		धारा 2 (च) और 12 (ख)	धारा 2 (च) (धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किए गए)	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	4	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	414	99	513
3.	अरूणाचल प्रदेश	12	3	15
4.	असम	311	22	333
5.	बिहार	400	34	434
6.	चण्डीगढ़	20	1	21
7.	छत्तीसगढ़	176	89	265
8.	दादरा और नगर हवेली	1	0	1
9.	दमन और दीव	2	0	2
10.	दिल्ली	78	20	98
11.	गोवा	33	4	37
12.	गुजरात	472	102	574
13.	हरियाणा	186	41	227
14.	हिमाचल प्रदेश	68	19	87
15.	जम्मू और कश्मीर	97	103	200
16.	झारखण्ड	128	17	145
17.	कर्नाटक	738	423	1161
18.	केरल	244	58	302
19.	लद्दाख	2	0	2
20.	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	460	166	626
22	महाराष्ट्र	1322	251	1573
23.	मणिपुर	63	2	65
24.	मेघालय	30	10	40
25.	मिजोरम	27	2	29
26.	नागालैण्ड	36	13	49

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		धारा 2 (च) और 12 (ख)	धारा 2 (च) (धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किए गए)	
27.	ओड़िशा	490	48	538
28.	पुदुचेरी	18	14	32
29.	पंजाब	255	31	286
30.	राजस्थान	291	114	405
31.	सिक्किम	4	7	11
32.	तमिलनाडु	567	207	774
33.	तेलंगाना	240	107	347
34.	त्रिपुरा	31	0	31
35.	उत्तर प्रदेश	2558	597	3155
36.	उत्तरांखण्ड	62	44	106
37.	पश्चिम बंगाल	467	75	542
	कुल	10305	2727	13032

रेखाचित्र 4.2(ख) : दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत सम्मिलित किए गए महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या



4.2 (i) : वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 44454* (*एआईएसएचई पोर्टल से लिए गए अनंतिम आंकड़े) संबद्ध/ संघटक महाविद्यालय हैं, जिनमें से केवल 13032 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं। मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में से केवल 10305 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सरकारी महाविद्यालय (केंद्रीय/राज्य), संघटक महाविद्यालय (केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय) और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय, सभी योजनाओं के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, केवल छात्र/ शिक्षक केंद्रित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी और कार्यान्वित किया जा सके। तत्पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को ''उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो'' में परिवर्तित कर दिनांक 25 सितम्बर, 2001 से गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, अवस्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्योरा निम्नवत है:

तालिका 4.3 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो की सूची

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.09.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव
3.	मध्य क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बेंगलुरू	25.04.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	नई दिल्ली (मंडी हाउस)	03.12.1994 25.09.2001	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, लद्दाख

वर्ष 2021–22 (बारहवीं पंचवर्षाय योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नवत योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों को अनुदानों का संवितरण कर रहे हैं:–

1. महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता**
2. महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रावासों का निर्माण
3. स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदानों को जारी किया जाता है)
4. महाविद्यालयों हेतु लघु शोध परियोजनाएं
5. महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन
6. महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम
7. महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
8 महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास
9. महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना
10. दृष्टिबाधित शिक्षक
11. प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

(**जीडीए में शिक्षा से जुड़े नवोन्मेष, क्षेत्र कार्य,/ अध्ययन दौरे, विस्तार क्रियाकलाप, शिक्षा में आईसीटी, मौजूदा भवनों में सुविधाओं में सुधार, कॉमन रूम तथा महिलाओं के लिए शौच सुविधाएं, दिवसीय देखभाल केन्द्र, मानवाधिकार तथा कर्त्तव्य शिक्षा, करियर तथा परामर्श प्रकोष्ठ शामिल है)

पात्रता संबंधी मानदण्ड: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपर्युक्त योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत मान्यताप्राप्त पात्र महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। 12 (ख) का दर्जा प्राप्त स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय केवल शिक्षक/छात्र केन्द्रीत योजनाओं हेतु पात्र हैं।

4.3 (i) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता (बारहवीं पंचवर्षीय योजना)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत, महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपकरणों, कैम्पस विकास, उपर्युक्त शिक्षण हेतु अनिवार्य शिक्षण उपकरण, मौजूदा भवन के विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार क्रियाकलापों, महिलाओं के लिए सुविधाओं, आदि के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2021–22 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022) के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का राज्य–वार (तालिका–4.3(i)(क) और क्षेत्रीय कार्यालय–वार (तालिका–4.3(i)(ख) ब्योरा नीचे दिया गया है:–

तालिका 4.3(i)(क) : जारी किए गए सामान्य विकास सहायता अनुदानों (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022) का राज्य–वार ब्योरा तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या

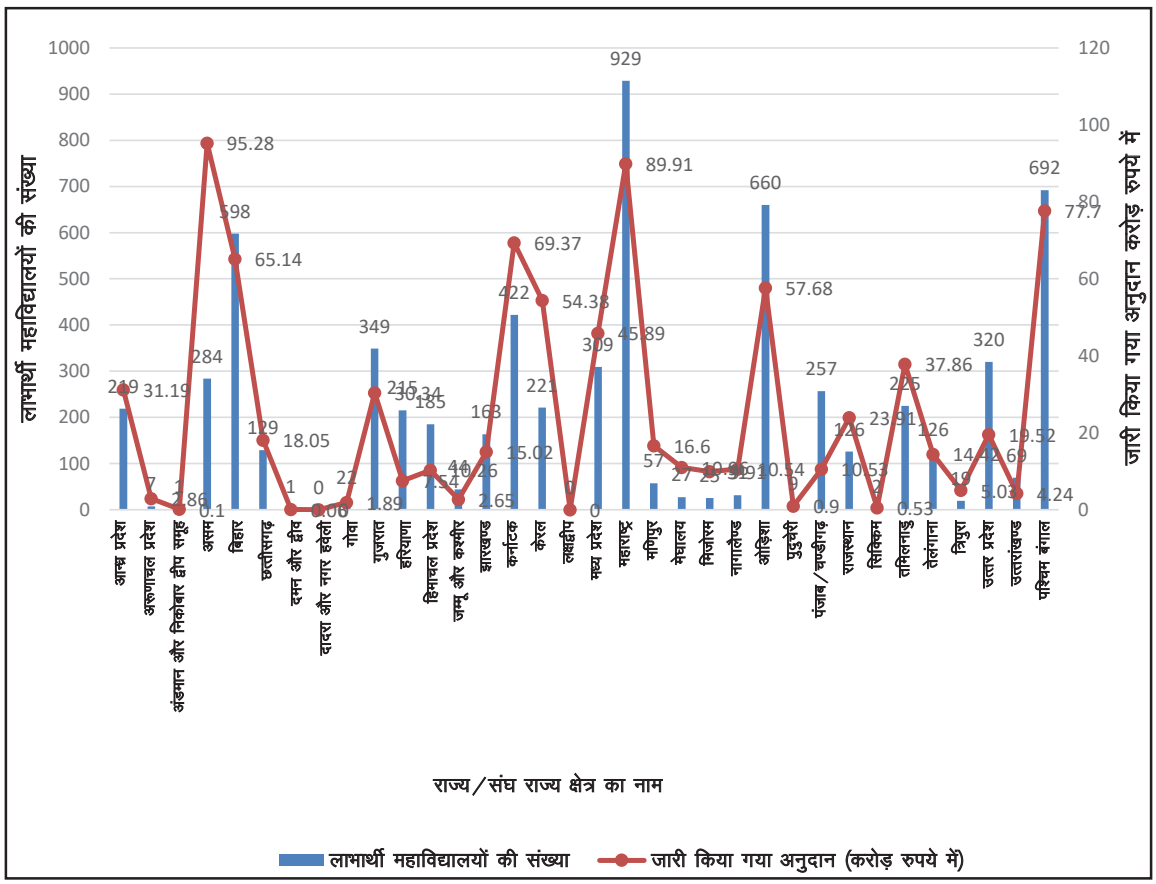
(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022)		
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	219	62.85	31.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	7	3.25	2.86
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0.21	0.1
4.	असम	0	0	284	115.46	95.28
5.	बिहार	0	0	598	96.38	65.14
6.	छत्तीसगढ़	0	0	129	43.39	18.05
7.	दमन और द्वीव	0	0	1	0.23	0.06
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
9.	गोवा	0	0	22	7.65	1.89
10	गुजरात	0	0	349	112.3	30.34
11.	हरियाणा	0	0	215	7.54	7.54
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	185	10.26	10.26
13.	जम्मू और कश्मीर*	0	0	44	2.65	2.65
14.	झारखण्ड	0	0	163	24.57	15.02
15.	कर्नाटक	2	0.09	422	119.18	69.37
16.	केरल	5	0.39	221	90.4	54.38
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	1	0.29	309	103.89	45.89
19.	महाराष्ट्र	0	0	929	274.76	89.91
20.	मणिपुर	0	0	57	18.48	16.6
21.	मेघालय	0	0	27	14.12	10.96
22.	मिजोरम	0	0	25	12.21	9.91
23.	नागालैण्ड	0	0	31	11.00	10.54

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022)		
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	जारी किया गया अनुदान
24.	ओड़िशा	0	0	660	94.21	57.68
25.	पुदुचेरी	0	0	9	1.48	0.9
26.	पंजाब / चण्डीगढ़	0	0	257	10.53	10.53
27.	राजस्थान	0	0	126	55.68	23.91
28.	सिक्किम	0	0	2	0.6	0.53
29.	तमिलनाडु	1	0.02	225	74.14	37.86
30.	तेलंगाना	1	0.19	126	29.53	14.42
31.	त्रिपुरा	0	0	19	8.43	5.03
32.	उत्तर प्रदेश	0	0	320	19.52	19.52
33.	उत्तरांखण्ड	0	0	69	4.24	4.24
34.	पश्चिम बंगाल	0	0	692	123.92	77.7
	कुल	10	0.98	6743	1553.06	840.58

*इसमें केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए अनुदान शामिल है।

रेखाचित्र 4.3(i)(क) : जारी किए गए सामान्य विकास सहायता अनुदान (करोड़ रुपये में) (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022) का राज्य–वार ब्योरा तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या

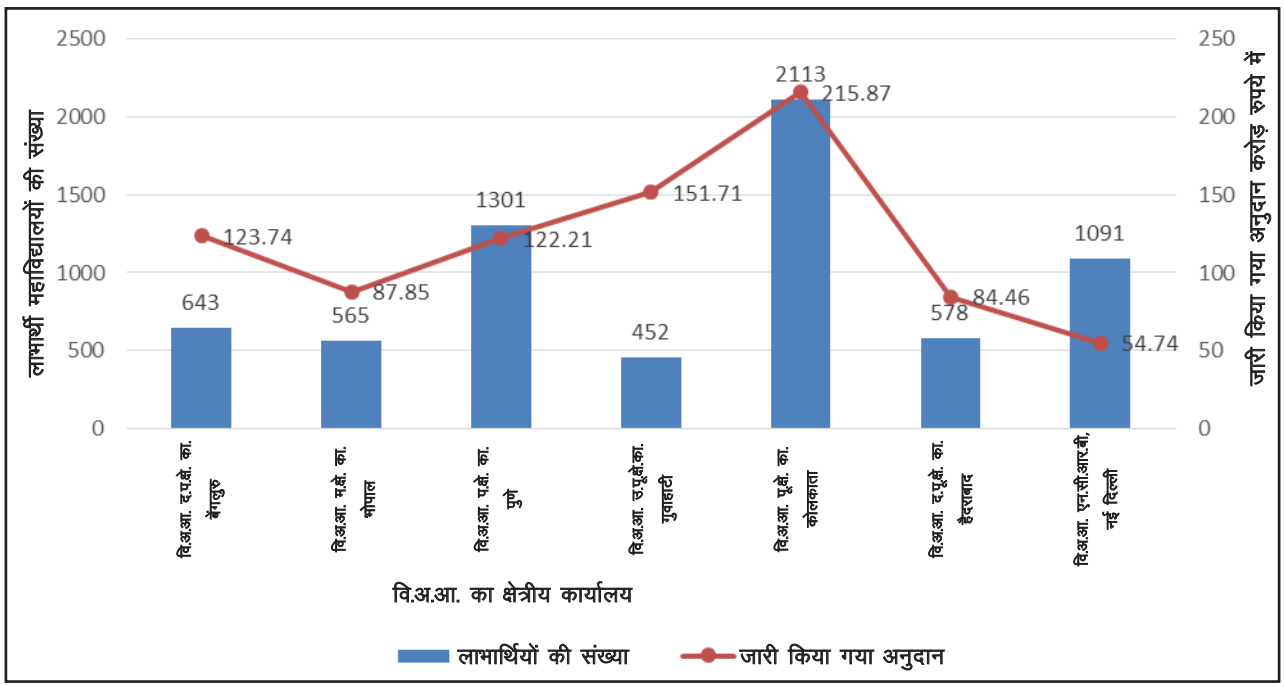


तालिका 4.3(i)(ख) : क्षेत्रीय कार्यालय वार जारी की गई सामान्य विकास सहायता (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022) तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022)				सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022)		
		वर्ष 2021–22 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	7	0	0.49	0.49	643	209	123.74
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	1	0.043	0.243	0.28	565	202.96	87.85
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	1301	394.94	122.21
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	452	184.33	151.71
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	2113	339.09	215.87
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	2	0	0.21	0.21	578	168	84.46
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	1091	54.74	54.74
	कुल	10	0.043	0.943	0.98	6743	1553.06	840.58

रेखाचित्र 4.3(i)(ख) : क्षेत्रीय कार्यालय वार जारी की गई सामान्य विकास सहायता (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022) (करोड़ रुपये में) तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या



4.3 (ii) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रवासों का निर्माणः-

महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना आरंभ की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता, नीचे तालिका 4.3 (ii)(क) में दी गई अधिकतम सीमा के अध्यधीन शतप्रतिशत आधार पर है:

तालिका 4.3 (ii)(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रवासों का निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

महिलाओं का नामांकन	गैर महानगरीय शहरों के संबंध में वित्तीय सहायता	महानगरीय शहरों, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के संबंध में वित्तीय सहायता
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251 से 500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर परियोजना के लिए वित्तपोषण को मंजूरी प्रदान करता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/ ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत अनुदान नीचे **तालिका 4.3 (ii)(ख)** दिया गया है:

तालिका 4.3 (ii)(ख) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो–वार द्वारा महिला छात्रवासों के निर्माण की योजना हेतु संस्वीकृत अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान			महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	9	1.23	1.23	282	83.35
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	2	0.156	0.156	91	24.96
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	398	63.24
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	22	3.54	3.54	475	136.75
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	4	0.34	0.34	454	131.53
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	3	20	20	208	50.45
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	144	28.82
	कुल	40	25.266	25.266	2052	519.1

4.3 (iii) स्वायत्त महाविद्यालय

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों को संबद्ध ढ़ांचे से असंबद्ध करके स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जिन महाविद्यालयों को स्थापित हुए दस से अधिक वर्ष हो गए हैं तथा जिनके पास एनएएसी ग्रेड 'बी' अथवा इससे बेहतर ग्रेड उपलब्ध है उन्हें कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाती थी तथा निम्नवत अधिकतम राशि की सहायता प्रदान की जाती है:

1. स्नातकपूर्व महाविद्यालय के एकल संकाय के लिए 9 लाख रुपये।
2. स्नातकपूर्व महाविद्यालय के बहु संकाय के लिए 15 लाख रुपये।
3. स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों महाविद्यालयों के एकल संकाय के लिए 10 लाख रुपये।
4. स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों महाविद्यालयों के बहु संकाय के लिए 20 लाख रुपये।

शिक्षा वर्ष 2013–2014 से नेशनल क्रेडिट कार्पस् (एनसीसी) के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने के लिए 1.00 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

एक विशेषज्ञ समिति महाविद्यालय का दौरा करती है तथा महाविद्यालय को स्वायत्ता प्रदान करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिश करती है। स्वायत्ता छह वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

स्वायत्त महाविद्यालय योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान संस्वीकृत अनुदान नीचे तालिका 4.3 (iii) दिया गया है:

तालिका 4.3 (iii): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया स्वायत्त महाविद्यालय की योजना अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान				दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान	
		लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	11	0.59	1.54	2.13	53	48.64
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	5	1.438	0	1.438	18	10.09
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	13	2.14	0	2.14	47	10.36
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	7	0	0.49	0.49	13	2.69
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	2	0.13	0.18	0.31	48	18.91
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	64	3.75	0	3.75	169	183.37
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	13	1.39
	कुल	102	8.048	2.21	10.258	361	275.45

4.3 (iv) महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं:-

योजना का उद्देश्य विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्धन करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पात्र शिक्षक लघु शोध परियोजना की योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु 3.00 लाख रूपये तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान में 5.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2015–2016 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के लिए केवल ऑनलाइन पद्धति से ही प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।

तालिका 4.3 (iv) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया योजना अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान								लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान	
		लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		अनुदान– सहायता सामान्य –31		पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35		कुल		(दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 तक)	
		विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	0		0	0.004	0	0	0	0.004	4861	48.36
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	1	7	0.005	0.028	0	0	0.005	0.028	1598	17.22
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	0	0	0	0	4153	32.29
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	2	0	0	0.011	0	0	0	0.011	554	35.67
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	8	0	0.12	0.16	0	0	0.12	0.16	3718	55.04
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	8	0	0.03	0.02	0	0	0.03	0.02	2005	58.66
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	540	2.66
	कुल	**19**	**9**	**0.155**	**0.223**	**0**	**0**	**0.155**	**0.223**	**17429**	**249.9**

4.3 (v) : महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ सम्मेलन

इस योजना के तहत संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ परिसंवाद तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को साझा के लिए मंच प्रदान करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों का संवर्धन करना है। योजना के तहत सभी पात्र महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1.00 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तपोषण को अनुमोदन प्रदान करता है।

तालिका 4.3 (v) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया योजना अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान संगोष्ठियां/परिसंवाद/ सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान			संगोष्ठियां/ परिसंवाद/सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक)	
		लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	1	0.003	0.003	486	21.63
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	412	5.82
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	2621	15.6
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	5	0.02	0.02	484	10
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	1744	15.71
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	489	9.7
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	411	2.36
	कुल	6	0.023	0.023	6647	80.82

4.3 (vi) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रमः-

इस कार्यक्रम का लक्ष्य संकाय सदस्यों को शोध करने के लिए संस्थानों में शैक्षणिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता का अवसर उपलब्ध करवाना है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्यगण अपने शोध कार्य को अद्यतन तथा शैक्षणिक कौशल बढाने में सक्षम होंगे।

संकाय विकास कार्यक्रम योजना का उद्देश्य निम्नवत हैः–

1. महाविद्यालय के शिक्षकों को अपनी अकादमिक/अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना, जिससे एमफिल/पीएचडी की उपाधि प्रदान की जा सके।
2. शिक्षकों को अकादमिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में पत्र प्रस्तुत करने या कार्यशालाओं में भाग लेने और ज्ञान और विचारों का आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान करना।
3. युवा संकाय सदस्यों को एक बेहतर अकादमिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें उनकी पसंद के संस्थानों में एक अल्पावधि (दो सप्ताह से कम नहीं और दो माह से अधिक नहीं) व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षक अध्येता के स्थान पर तैनात एवजी शिक्षक को वेतन तथा साथ ही शिक्षक अध्येता को 15000 रुपये प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय के स्तर पर गठित चयन समिति, दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप आवेदनों की संवीक्षा करती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभ्यर्थी की सिफारिश करती है।

तालिका 4.3 (vi) : दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया योजना अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान			संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक)	
		लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	अनुदान– सहायता सामान्य– 31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	17	0.85	0.85	5098	128.45
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	6	0.31	0.31	436	7.43
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	1468	40.63
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	5	0.05	0.05	155	28.07
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	1	0.02	0.02	480	12.34
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	24	0.43	0.43	858	33.03
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	364	7.68
	कुल	53	1.66	1.66	8859	257.63

4.3 (vii) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मानकों का रखरखाव करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (गगग) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् की स्थापना की। ऐसे संस्थागत आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के महत्व को पहचानते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी महाविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने के हेतु निदेश देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए व्यय हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि (सीड मनी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। वर्ष 2014–15 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान इस योजना को इस योजना को महाविद्यालयों के लिए आरंभ किया गया था।

ऐसे सभी महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत आते हैं वे अपने संस्थान में आईक्यूएसी की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए दो बैच के उत्तीर्ण होने अथवा छह वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन एजेन्सी से प्रत्यायित होना अनिवार्य है। निम्नवत मदों पर तालिका 4.3 (vii) के अनुरूप व्यय किया जा सकता हैः–

तालिका 4.3 (vii) : महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ अनुदान का प्रयोजन

क्रम संख्या	अनुदान का प्रयोजन	(रुपये में)
1.	आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक को 100012X5 रुपये की दर से मानदेय	60,000
2.	कार्यालयी उपस्कर	60,000
3.	सचिवालयी तथा तकनीकी सेवाओं के सेवाओं को किराए पर लेना	60,000
4.	आईसीटी संचार व्यय	70,000
5.	आकस्मिक व्यय	50,000
	कुल	3,00,000

तालिका 4.3 (vii) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया योजना अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान					
		लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक)	
						लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	0	0	0	0	652	19.47
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	566	16.41
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	1214	36.05
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	442	12.69
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	1255	37.65
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	0	565	16.9
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	4694	139.17

4.3 (viii) महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों का विकास :

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में आपसी सहयोग से उपलब्धियाँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना है।

उपयुक्त उद्देश्यों के मद्देनजर, योजना को निम्नवत की पेशकश करने के लिए तैयार किया गया है

(क) खेलों में छात्रों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई और मौजूदा बाहरी/ आंतरिक अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता। जबकि, छात्रों को ऐसी खेल सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का विशेष उद्देश्य, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में पहली पीढी के छात्रों की सेवा करना है।

(ख) किसी विशेष खेल में 'प्राप्ति' के स्तर पर, छात्रों को बेहतर उपकरण और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से खेल के उसी अथवा संबद्ध क्षेत्र में खेल के अधिक उन्नत स्तर पर भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

(ग) जहां, पहले से उपलब्ध अवसंरचना में सुधार/ सुदृढ़ किए जाने की मंशा हो। महाविद्यालय को ऐसी मानक अवसंरचना और गैर– विस्तारणीय उपकरण सुविधाओं के सृजन में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपने छात्रों के लिए ऐसे क्रियाकलापों को आयोजित करने हेतु सुविधा प्रदान की जा सके।

वित्तीय सहायता के तीन पृथक चरण हैं और इन चरणों की अधिकतम सीमा निम्नवत है:–

(क) चरण– I : 12 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10.00 लाख रुपये = 22.00 लाख रुपये।
(ख) चरण– II : 170.00 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10.00 लाख रुपये = 180.00 लाख रुपये।
(ग) चरण– III : 240.00 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10.00 लाख रुपये = 250.00 लाख रुपये।

तालिका 4.3 (viii) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया योजना अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान खेलकूद अवसंरचना और उपकरण के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान			खेलकूद अवसंरचना और उपकरण के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक)	
		लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	9	0.83	0.83	334	68.55
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	1	0.5	0.5	10	3.58
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	51	3.16
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	31	4.66	4.66	301	173.11
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	109	15.96
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	8	1.29	1.29	268	76.55
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	86	17.53
	कुल	**49**	**7.28**	**7.28**	**1159**	**358.44**

4.3 (ix) : महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजनाः-

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है तथा गुणवत्ता तथा प्रमात्रा में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जिससे गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसे महाविद्यालय भी हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा लगातार लंबे समय तक गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा प्रदान करते आए हैं। ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा उन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है बल्कि हमारे देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक ताने–बाने को सहेज कर रखा है। इसलिए, ऐसे धरोहर रूपी इन संस्थानों को पहचान प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी में 'वास्तविक शिक्षा' के मूल्यों का संचार करने में सक्षम हो सकें।

इस कार्यक्रम के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये है।

तालिका 4.3 (ix) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया योजना अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान				विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक)	
		वर्ष 2021–22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	0	0	0	0	2	3.87
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	1	0.1
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	3	1.82
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	1	2.18
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	0	0
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	0	1	1.44
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	9	2.03
	कुल	0	0	0	0	17	11.44

4.3 (x) : दृष्टिबाधित शिक्षक

इस योजना को रीडर की सहायता से शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन के उपकरणों का उपयोग कर तथा रीडर भत्ता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की गई सामग्री आदि के क्रय हेतु निधियां उपलब्ध करवाकर स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। 2) इस योजना का उद्देश्य स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों को शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन तथा शोध करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलती है। योजना का उद्देश्य सुविधा प्रदान करना है ताकि स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक को विभिन्न शिक्षा, ज्ञानअर्जन और अनुसंधान हेतु उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके आत्म निर्भरता प्राप्त करने में मदद की जा सके। स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक को 36,000 रुपये प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जाता है।

तालिका 4.3 (x) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया योजना अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022)				दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक)		
		लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	3	0.06	0	0.06	21	0.22	0.22
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	15	0.182	0.182
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	13	0.14	0.14
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	2	0.92	0.92
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	22	0.36	0.36
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	44	0.17	0	0.17	199	1.72	1.72
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	7	0.1	0.1
	कुल	47	0.23	0	0.23	279	3.502	3.642

4.3 (xi) प्रतिबद्ध देयताएं (विवविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बंद की गई योजनाएं जैसे एकमुश्त 'कैच–अप' अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाएं, आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को वर्ष 2021–22 और दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 के दौरान भुगतान किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे **तालिका 4.3** (xi) में दिया गया है:

तालिका 4.3 (xi) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो–वार संस्वीकृत किया गया योजना अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान				प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक)	
		वर्ष 2021–22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान– सहायता– 31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	0	0	0	0	611	187.25
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	540	105.35
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	78	1.49	2.34	3.83	2482	325.72
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	3	0	0.34	0.34	1241	205.75
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	2425	154.72
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	0	612	212.33
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	1032	133.35
	कुल	81	1.49	2.68	4.17	8943	1324.47

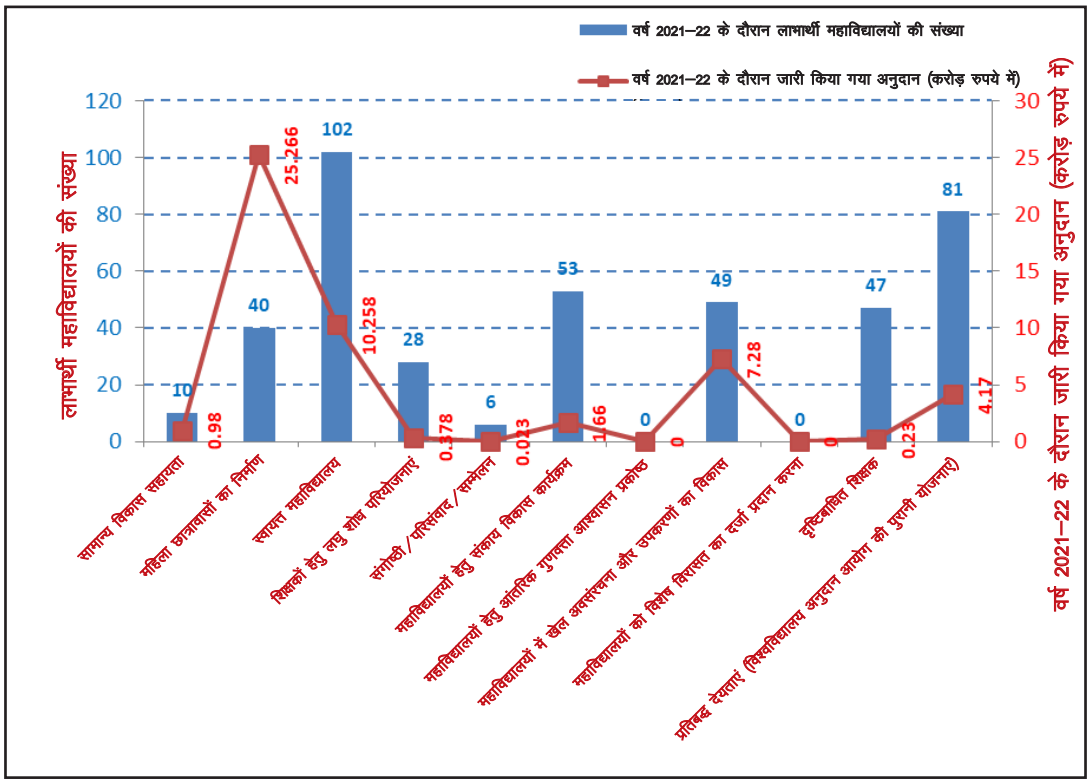
सारांशः वर्ष 2021-22 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का योजनावार ब्योरा तालिका 4.3 (xii) में उपलब्ध कराया गया है।

तालिका 4.3 (xii): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदानों का योजनावार ब्योरा नीचे दिया गया है:–

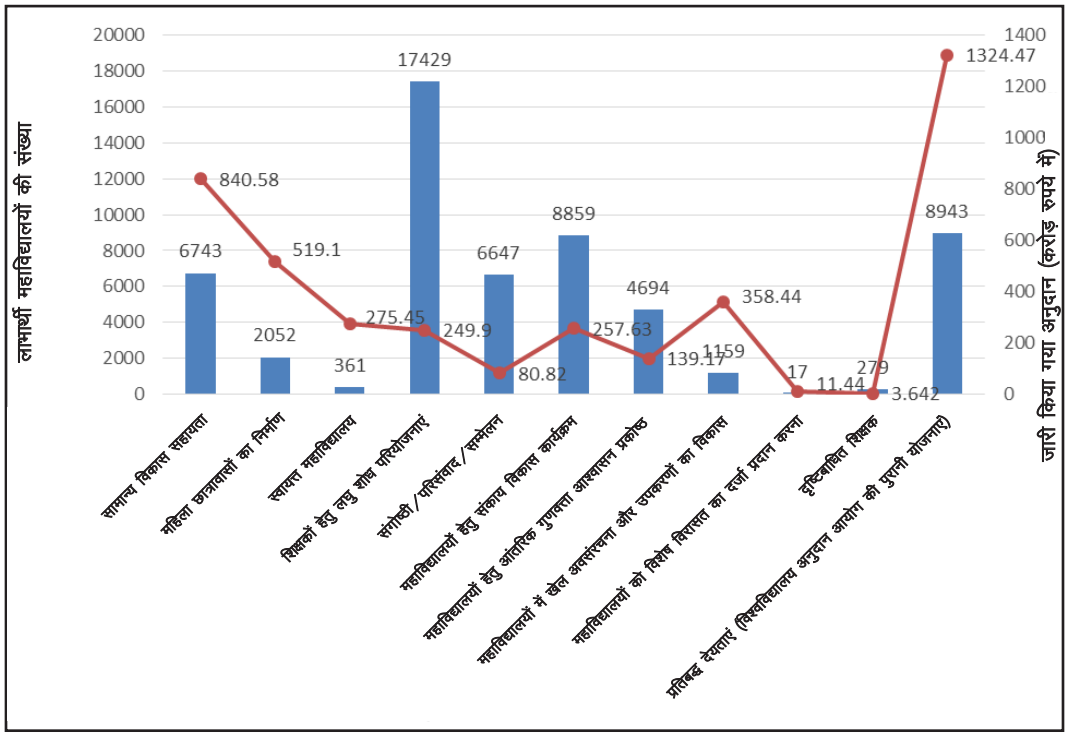
(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	महाविद्यालयों हेतु योजनाएं	(क) वर्ष 2020–21 के दौरान महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान		(ख) महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
1.	सामान्य विकास सहायता	10	0.98	6743	840.58
2.	महिला छात्रावासों का निर्माण	40	25.266	2052	519.1
3.	स्वायत्त महाविद्यालय	102	10.258	361	275.45
4.	शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं	28	0.378	17429	249.9
5.	संगोष्ठी/ परिसंवाद/ सम्मेलन	6	0.023	6647	80.82
6.	महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम	53	1.66	8859	257.63
7.	महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	0	0	4694	139.17
8.	महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास	49	7.28	1159	358.44
9.	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना	0	0	17	11.44
10.	दृष्टिबाधित शिक्षक	47	0.23	279	3.642
11.	प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)	81	4.17	8943	1324.47

रेखाचित्र 4.3 (क): वर्ष 2021–22 के दौरान महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का योजनावार ब्योरा



रेखाचित्र 4.3 (ख): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का योजनावार ब्योरा



4.4 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर–योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा 11 छात्रावासों को तथा राजस्व अनुदान के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और पूंजीगत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 64 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के महाविद्यालयों/दिल्ली में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

4.4 (i) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

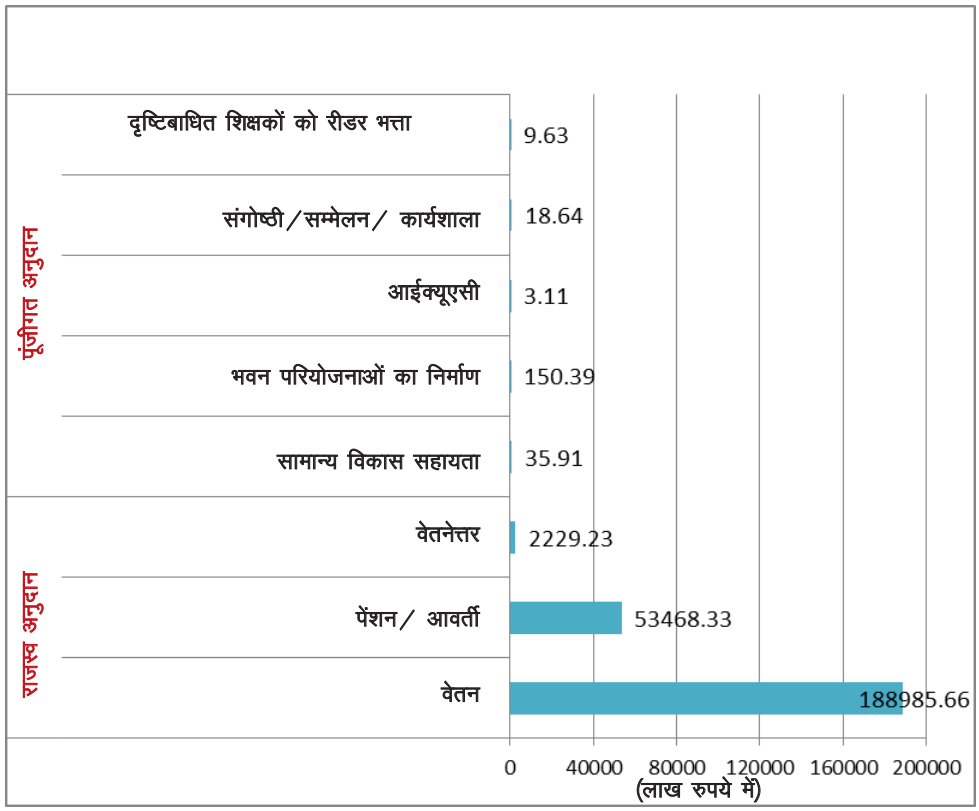
वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंद्ध महाविद्यालयों को कुल 24900.90 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। राजस्व तथा पूंजीगत शीर्षों के तहत उपलब्ध कराए गए अनुदान का ब्योरा तालिका 4.4 (i) में उपलब्ध कराया गया है।

तालिका 4.4(i) वर्ष 2021–22 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंद्ध महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्योरा

(लाख रुपये में)

राजस्व अनुदान					पूंजीगत अनुदान					कुल योग
वेतन	पेंशन/आवर्ती	वेतनेत्तर	कुल	सामान्य विकास सहायता	भवन परियोजनाओं का निर्माण	आईक्यूएसी	संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला	दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	कुल	
				शीर्ष 31	शीर्ष 35	शीर्ष 35	शीर्ष 31	शीर्ष 31		
188985.66	53468.33	2229.23	244683.22	35.91	150.39	3.11	18.64	9.63	217.68	244900.9

रेखाचित्र 4.4(i) : वर्ष 2021–22 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को जारी किया गया योजनावार अनुदान



4.4 (i)(क): दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को राजस्व अनुदान

वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व अनुदानों के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों का बजट और उन्हें जारी किए गए अनुदान का ब्योरा तालिका 4.4 (i)(क)(i) में उपलब्ध कराया गया है:

तालिका 4.4 (i)(क)(i): वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व अनुदानों के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को आवंटित बजट और उन्हें जारी किए गए अनुदान

(लाख रुपये में)

विवरण	आबंटन	जारी किया गया अनुदान
दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालय	244683.22	244683.22

53 महाविद्यालयों में से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 36 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और शेष 17 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (08 साध्यंकालीन महाविद्यालय* 09 विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले इन 36 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय दिल्ली प्रशासन से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करते हैं और 20 महाविद्यालयों को उनके संबंधित न्यासों/सोसायटियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

तालिका 4.4 (i)(क)(ii): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राजस्व अनुदान प्राप्त करने वाले के महाविद्यालयों और छात्रावासों की श्रेणी–वार सूची

क्रम संख्या	श्रेणी 1	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
1	1.1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज
2	1.2	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय)*
3	1.3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)
4	1.4	किरोड़ी मल कॉलेज*
5	1.5	मिरान्डा हॉउस*
6	1.6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)
7	1.7	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
8	1.8	रामानुजन महाविद्यालय
9	1.9	आर्यभट्ट महाविद्यालय
		उप योग : 9
	श्रेणी 2	**सांध्यकालीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत अनुदान दिया जाता है) (न्यास और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)**
10	2.1	दयाल सिंह कॉलेज (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
11	2.2	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
12	2.3	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (न्यास)
13	2.4	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
14	2.5	श्याम लाल महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
15	2.6	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
16	2.7	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
17	2.8	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (न्यास)
		उप योग : 8
	श्रेणी 3	**दिल्ली प्रशासन के अधीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत और दिल्ली प्रशासन द्वारा 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)**
18	3.1	भारती महाविद्यालय

19	3.2	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स
20	3.3	विवेकानन्द महाविद्यालय
21	3.4	गार्गी महाविद्यालय*
22	3.5	कालिन्दी महाविद्यालय*
23	3.6	कमला नेहरू महाविद्यालय*
24	3.7	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय*
25	3.8	मैत्रेयी महाविद्यालय*
26	3.9	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)*
27	3.10	राजधानी महाविद्यालय*
28	3.11	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)*
29	3.12	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)*
30	3.13	शिवाजी महाविद्यालय*
31	3.14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय*
32	3.15	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)*
33	3.16	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय*
उप योग : 16		
	श्रेणी 4	**न्यास द्वारा प्रबन्धित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत और न्यास द्वारा 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है।)**
34	4.1	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
35	4.2	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स
36	4.3	लेडी इरविन महाविद्यालय
37	4.4	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
38	4.5	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय
39	4.6	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय*
40	4.7	दौलतराम महाविद्यालय*
41	4.8	हंसराज महाविद्यालय*
42	4.9	हिन्दू महाविद्यालय*
43	4.10	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय*
44	4.11	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज*
45	4.12	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज*
46	4.13	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय*
47	4.14	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
48	4.15	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)*
49	4.16	रामजस महाविद्यालय*
50	4.17	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय)*
51	4.18	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)*
52	4.19	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
53	4.20	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय*
उप योग : 20		
कुल योग : 53		

*ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जो 1000 छात्रों पर शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध यह 53 महाविद्यालय तथा 11 छात्रावास, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन, पेंशन और वेतनेत्तर व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों से बजट अनुमान/ संशोधित बजट अनुमान मंगवाए गए हैं साथ ही साथ महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान 11 छात्रावासों सहित दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए राजस्व अनुदान का महाविद्यालय–वार व्योरा

तालिका 4.4 (i)(क)(iii): वर्ष 2021–22 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को महाविद्यालय–वार जारी किया गया राजस्व अनुदान

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेशन/ आवर्ती	वेतनेत्तर	कुल
1	आत्माराम सतान धर्म महाविद्यालय	5006.82	950.00	30.00	5986.82
2	भारती महाविद्यालय	1720.00	567.75	40.00	2327.75
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज	1755.00	535.00	10.00	2300.00
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	4970.00	1295.00	50.00	6315.00
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	1066.48	620.00	20.00	1706.48
6	दौलतराम महाविद्यालय*	3805.00	1425.01	35.00	5265.01
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	6600.00	1600.00	60.00	8260.00
8	रामानुजन महाविद्यालय	2360.00	1070.00	30.00	3460.00
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स	2994.24	803.13	25.00	3822.37
10	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	2400.00	345.00	25.00	2770.00
11	गार्गी महाविद्यालय	5450.00	1199.00	30.00	6679.00
12	हंसराज महाविद्यालय*	4590.00	845.01	60.00	5495.01
13	हिन्दू महाविद्यालय*	5105.00	1265.01	60.00	6430.01
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय*	2785.00	1397.14	55.00	4237.14
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	1240.00	818.00	40.00	2098.00
16	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज	3580.00	1055.00	40.00	4675.00
17	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज	3030.00	1070.00	40.00	4140.00
18	कालिन्दी महाविद्यालय	3403.91	1150.00	30.00	4583.91
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	3300.00	1500.00	40.00	4840.00
20	किरोड़ी मल कॉलेज*	5455.00	1087.00	60.00	6602.00
21	लेडी इरविन महाविद्यालय*	3880.00	1642.00	60.00	5582.00
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	2230.00	1445.00	40.00	3715.00
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय*	3468.00	1535.01	30.00	5033.01
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	3730.00	1480.00	45.00	5255.00
25	मिरान्डा हॉउस*	5196.00	1393.50	60.00	6649.50
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	3255.15	1170.00	40.00	4465.15
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	5613.05	865.00	35.00	6513.05

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेशन/ आवर्ती	वेतनेत्तर	कुल
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2610.00	480.00	25.00	3115.00
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	3866.16	1310.00	35.00	5211.16
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1560.07	610.00	25.00	2195.07
31	रामजस महाविद्यालय*	4410.00	1015.01	60.00	5485.01
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	2933.00	744.50	40.00	3717.50
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	3500.00	565.00	40.00	4105.00
34	राजधानी महाविद्यालय	5233.57	1130.00	35.00	6398.57
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	4465.20	1400.00	40.00	5905.20
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2371.45	475.00	10.00	2856.45
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज*	2600.00	805.00	40.00	3445.00
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स*	2587.60	961.26	45.00	3593.86
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	5050.00	1900.00	60.00	7010.00
40	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज	3160.00	1140.00	20.00	4320.00
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	6150.00	1050.00	60.00	7260.00
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	3415.00	515.00	25.00	3955.00
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2350.00	440.00	25.00	2815.00
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	5000.00	1130.00	40.00	6170.00
45	श्यामा प्रसाद मुख्र्जी महाविद्यालय	4650.00	1030.00	60.00	5740.00
46	सत्यवती महाविद्यालय (दिवसीय)	3318.41	920.00	40.00	4278.41
47	सत्यवती महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1650.00	430.00	20.00	2100.00
48	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	2750.00	720.00	229.23	3699.23
49	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2445.02	430.00	25.00	2900.02
50	शिवाजी महाविद्यालय	4340.00	1670.00	30.00	6040.00
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	1570.63	865.00	40.00	2475.63
52	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय (दिवसीय)	6210.90	1245.00	55.00	7510.90
53	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2800.00	360.00	15.00	3175.00
	कुल	188985.66	53468.33	2229.23	244683.22

*छात्रावास सहित महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान

4.4 (i)(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को पूंजीगत अनुदान

वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भवन निर्माण और संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करने, दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ते के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को भी अनुदान जारी किया है।

इस योजना के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की सूची नीचे तालिका 4.4 (i)(ख)(i):में दी गई है:

तालिका 4.4 (i)(ख)(i): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
1	आत्माराम सतान धर्म महाविद्यालय	34	राजधानी महाविद्यालय
2	भारती महाविद्यालय	35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज	36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स
6	दौलतराम महाविद्यालय	39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	40	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
8	रामानुजन महाविद्यालय	41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स	42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)
10	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
11	गार्गी महाविद्यालय	44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय
12	हंसराज महाविद्यालय	45	एस0पी0एम कालेज फॉर वीमेन
13	हिन्दू महाविद्यालय	46	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	47	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	48	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	49	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
17	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय	50	शिवाजी महाविद्यालय
18	कालिन्दी महाविद्यालय	51	विवेकानन्द महाविद्यालय
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
20	किरोड़ी मल कॉलेज	53	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	54	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	56	भास्कराचार्य महाविद्यालय
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	57	केशव महाविद्यालय
25	मिरान्डा हॉउस	58	शहीद राजगुरू कॉलेज फॉर एप्लाईड सांईस फॉर वीमेन
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	59	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	60	दुर्गाबाई देशमुख कालेज ऑफ स्पेशल एजूकेशन
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	62	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	63	अदिति महाविद्यालय
31	रामजस महाविद्यालय	64	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)		

वर्ष 2021–22 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तालिका 4.4 (i)(ख)(ii) में उल्लिखित योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों को पूंजीगत अनुदान जारी किया

तालिका 4.4 (i)(ख)(ii): दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को योजनावार जारी किया गया पूंजीगत अनुदान

(रुपये में)

विषय	जारी किया गया अनुदान		कुल
	शीर्ष– 31	शीर्ष– 35	
सामान्य विकास सहायता	3590905		3590905
भवन परियोजनाओं का निर्माण/मरम्मत		15039233	15039233
आईक्यूएसी अनुदान	310787		310787
संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं	1863578		1863578
दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	963000		963000

तालिका 4.4(i)(ख)(iii): वर्ष 2021–22 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को महाविद्यालय–वार और योजना–वार जारी किया गया पूंजीगत अनुदान

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान (बारहवीं पंचवर्षीय योजना का जीडीए)	जारी किया गया अनुदान (भवन–जीडीए) XII	जारी किया गया अनुदान (निर्माण/मरम्मत/नवीकरण/भवन)	जारी किया गया अनुदान (आईक्यूएसी) XII	दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	संगोष्ठियां/सम्मेलन
1	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय)						949954
2	रामानुजन महाविद्यालय					36000	100000
3	हिन्दू महाविद्यालय	1284100	642050		150000		
4	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज			1000000			
5	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज	526000	263000		51911		104894
6	कालिन्दी महाविद्यालय						
7	कमला नेहरू महाविद्यालय	944324	2100000				
8	किरोड़ी मल कॉलेज	361738	362950				150000
9	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय			1000000			152550
10	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय			7000000			
11	मिरान्डा हॉउस		2671233			72000	
12	मैत्रेयी महाविद्यालय				55309		
13	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	474743				72000	
14	आर्यभट्ट महाविद्यालय					123000	
15	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स					144000	
16	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज					216000	
17	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)					216000	
18	शिवाजी महाविद्यालय					84000	406180
19	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)				53567		
	कुल	**3590905**	**6039233**	**9000000**	**310787**	**963000**	**1863578**

4.4 (ii) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को भी 95 प्रतिशत गैर–योजनागत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 04 महाविद्यालयों की सूची नीचे **तालिका 4.4(ii)(क)** में दी गई है :

तालिका 4.4(ii)(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
1.	डी0ए0वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2.	वसंत कन्या महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
3.	वसंत महिला महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
4.	आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

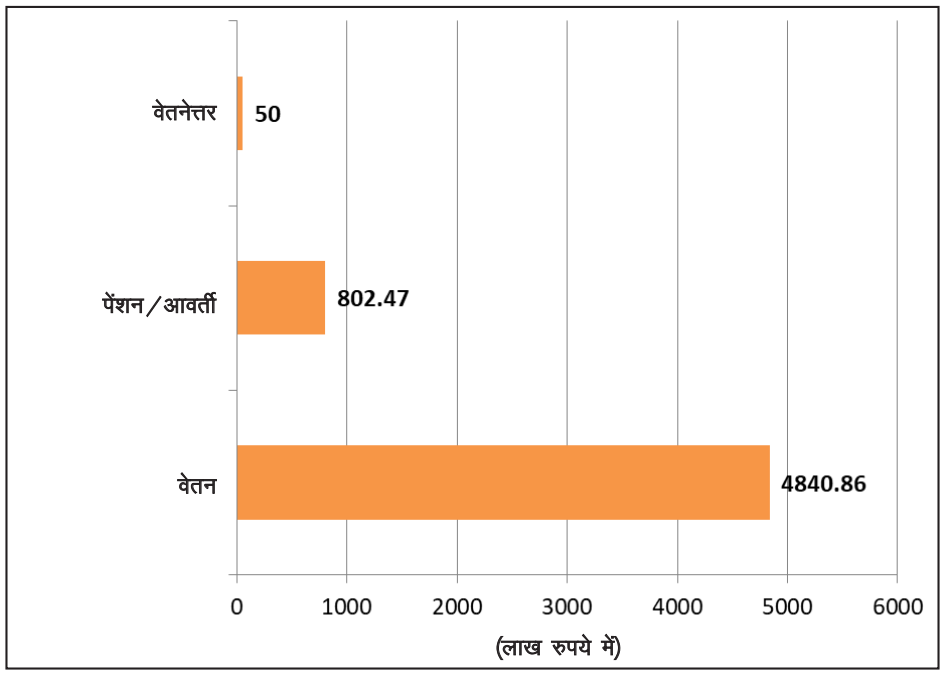
वर्ष 2021–22 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को जारी किए गए राजस्व अनुदान का महाविद्यालय–वार ब्योरा नीचे तालिका 4.4(ii)(ख) में दिया गया है :

तालिका 4.4 (ii)(ख): वर्ष 2021–22 के दौरान महाविद्यालय–वार जारी किया गया राजस्व अनुदान

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन/ आवर्ती	वेतनेत्तर	कुल
1.	डी0ए0वी0 डिग्री कॉलेज	1113.15	220.00	0.00	1333.15
2.	आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय	1770.00	290.00	29.00	2089.00
3.	वसंत कन्या महाविद्यालय	845.00	182.47	21.00	1048.47
4.	वसंत महिला महाविद्यालय	1112.71	110.00	0.00	1222.71
	कुल	4840.86	802.47	50.00	5693.33

रेखाचित्र 4.4 (ii)(ख): वर्ष 2021–22 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को जारी किया गया राजस्व अनुदान



अध्याय 5

गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

- 5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता–शिक्षण और शोध
- 5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)
- 5.3 स्वायत्त महाविद्यालय
- 5.4 मानव संसाधन विकास केन्द्र तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र
- 5.5 राजभाषा का संवर्धन
- 5.6 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम
- 5.7 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा
- 5.8यात्रा अनुदान
- 5.9 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र
- 5.10 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र
- 5.11 शिक्षण और ज्ञानअर्जन की मिश्रित पद्धति

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता-शिक्षण और शोध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निम्नवत योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं का ब्योरा निम्नवत हैः–

5.1(i) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

5.1(ii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (सीपीई)

5.1(iii) किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए)

5.1(i) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया। इस योजना के तहत महाविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, ज्ञानअर्जन और मूल्यांकन में नवोन्मेष को अपनाना तथा तथा डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य चयनित महाविद्यालयों को मुख्यतः उनके शिक्षण क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करना और ऐसे महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति आरंभ करना है। यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी थी, और योजना के तहत 314 संस्थानों को अनुमोदित किया गया था। जिनमें से 295 महाविद्यालयों का सीपीई दर्जा था और 19 महाविद्यालयों का सीपीई योजना के तहत उत्कृष्टता के महाविद्यालय का दर्जा था।

5.1(ii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवी, दसवीं, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना योजना अवधियों के दौरान शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान करने की कार्यनीति अपनाई है। यह पहल बारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रही, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई) योजना के अंतर्गत 16 विश्वविद्यालयों को यूपीई का दर्जा प्राप्त था। कुछ और विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए जो न केवल शिक्षण और

अनुसंधान में बल्कि सभी संबंधित कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं जिससे वे विश्वविद्यालयों के समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं।

यह योजना वर्ष 2021–22 में बंद कर दी गई थी।

5.1 (iii) किसी विषेश क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र (सीपीईपीए) नामक एक योजना के रूप में एक और पहल की है, जिसका उद्देश्य विभागीय और विधायी अवरोधों से इतर, चयनित विश्वविद्यालय में चुने हुए विभागों को अपने समान विचारधारा वाले संकाय सदस्यों को नियमित आधार पर उनके कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में सहयोग और साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है। यह पहल 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी थी और किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए) के अंतर्गत 29 संस्थाओं को सीपीईपीए का दर्जा प्राप्त था।

नए विश्वविद्यालयों को योजना के तहत सम्मिलित करने के लिए उपर्युक्त योजनाओं की अवधि पूरी हो गई है और सीपीई, सीपीईपीए और यूपीई की योजनाओं को अब बंद कर दिया गया है।

(i) वर्ष 2021–2022 अर्थात् (01.04.2021 से 31.03.2022) के दौरान सीपीई योजना के तहत 50 महाविद्यालयों/लाभार्थियों को 07,67,030/– रुपये (सात करोड़ सतासठ लाख तीस रुपये) की राशि जारी की गई थी।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021–2022 अर्थात (01.04.2021 से 31.03.2022) के दौरान और अनुदान किसी भी यूपीई विश्वविद्यालय को जारी नहीं किया गया था।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021–2022 अर्थात (01.04.2021 से 31.03.2022) के दौरान 3,06,207/– रुपये (तीन लाख छह हजार दो सौ सात रुपये मात्र) की राशि सीपीईपीए योजना के तहत केवल एक केंद्र अर्थात् तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर जारी की गई थी।

5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

एसएपी कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में समूह के रूप में कार्य करने तथा उत्कृष्टता प्राप्ति को प्रोत्साहित करना है। सर्वप्रथम, ऐसे कार्यक्रम को **'उच्च अध्ययन केन्द्र' (सीएएस)** के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था । ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय प्राप्त हुई है। **''विशेष सहायता विभाग'' (डीएसए) और ''विभागीय शोध सहायता'' (डीआरएस)** कार्यक्रमों को क्रमशः वर्ष 1972 और 1977 में सीएएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग का सृजन करने के लिए आरंभ किया गया था। **विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) स्तर हैं (1)** शोध सहायता विभाग (डीआरएस); **(2)** विशेष सहायता विभाग (डीएसए); **(3)** उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस)

कार्यक्रम की अवधिः विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) का कार्यकाल एक विशिष्ट चरण के लिए **पांच वर्ष** का होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीआरएस और डीएसए के समान स्तर पर तीन से अधिक बार (05 वर्ष का प्रत्येक) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा।

सहायता की स्वरूप– कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगीः

कार्यक्रम/ स्तर	विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी (लाख रुपये में)	गणित, सांख्यिकीय, मानविकी और सामाजिक विज्ञान (लाख रुपये में)
सीएएस	300	200
डीएसए	200	150
डीआरएस	150	120

वित्तीय सहायता में (1) परियोजना अध्येताओं का वेतन और (2) व्यय की अनावर्ती और आवर्ती मदें सम्मिलित हैं।

एसएपी विभागों की मौजूदा स्थिति– दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्या

स्तर/ अनुभाग	एसएपी–I (विज्ञान)	एसएपी–II (विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी)	एसएपी–III (मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान और भाषाएं)	कुल
सीएएस	10	12	7	29
डीएसए	3	1	0	4
डीआरएस	19	43	37	99
कुल	32	56	44	132

1. वर्ष 2016–17 के बाद से नए विभागों की समीक्षा अथवा प्रवेशन नहीं हुआ है।
2. वर्ष 2021–22 के दौरान हुआ व्यय =15.26 करोड़ रुपये

   *(3,89,82,961/– रुपये + 7,82,62,416 रुपये + 3,53,32,158 रुपये त्र 15,25,77,535/– रुपये
3. लाभार्थी विभागों की संख्याः 95

5.3 स्वायत्त महाविद्यालय

शिक्षा आयोग, वर्ष 1964–66 ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परमावश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश पैदा नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार करने में सह–भागीदार हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964–66) ने महाविद्यालयों को स्वायत्तता की प्रदान करने की सिफारिश की थी। मूलतः महाविद्यालयों को स्वायत्तता ही अकादमिक उत्कृष्टता को वढ़ावा देने का एक माध्यम है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना तैयार की। स्वायत्तता संबंधी योजना लंबे समय से चल रही है और इस अवधि के दौरान देश में बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान जो गुणवत्ता के मापदंडों पर खरा उतरते हैं, को ऐसी योजना से अनेक प्रकार से लाभ हुआ है। स्वायत्तता की योजना में न केवल स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मानक के कुछ स्तरों पर खरा उतरने की परिकल्पना की गई है बल्कि यह अन्य शैक्षिक प्रयासों के साथ–साथ, परीक्षा और मूल्यांकन की मौजूदा प्रणाली में पाठयक्रम विकास संबंधी सुधारों के क्षेत्र में विभिन्न सुधार करते हुए उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की भी परिकल्पना करता है ।

योजना के उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं, कार्यक्षेत्र, नया स्वायत्त दर्जे प्रदान किए जाने/दर्जे के विस्तार के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता और प्रक्रिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, स्वायत्त महाविद्यालयों की निगरानी और वित्तीय सहायता के बारे में विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***http://www.ugc.ac.in*** पर उपलब्ध है।

स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु ग्राह्य स्वायत्त अनुदान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जो हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु और दिल्ली में स्थित है, द्वारा जारी किया जा रहा है।

वर्ष 2021–22 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 102 लाभार्थियों को 10.258 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।

आयोग, योजना के दिशानिर्देशों (अलग से विहित किए गए) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। तथापि, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को स्वायत्तता अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। स्वायत्तता अनुदान के उपयोग और खातों के रखरखाव से संबंधित मामलों में, महाविद्यालय को योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक 118 विश्वविद्यालयों और 25 राज्यों में फैले 879 स्वायत्त महाविद्यालय हैं।

5.4 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रिय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए वर्ष 1986–87 में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की योजना आरंभ की गई थी। वर्तमान में, देशभर में 66 एचआरडीसी केन्द्र (पूर्व में एएससी के नाम से जाना जाता था) हैं। इस प्रकार से स्थापित ऐसे महाविद्यालय, नए नियुक्त हुए व्याख्याताओं के लिए चार सप्ताह का विशेषरूप से तैयार किया गया अभिविन्यास कार्यक्रम तथा सेवारत शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिसे अब एफआईपी (गुरू दक्षता) के नाम से जाना जाता है, आयोजित कर रहे हैं।

विअआ ने 66 एचआरडीसी में से 56 को अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के अनिर्धारित खातों/गैर–परिचालन के कारण 10 एचआरडीसी को अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

लगभग 65000 शिक्षक–प्रतिभागियों ने 66 विअआ एचआरडीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया है।

66 मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसी) के संबंध में वर्ष 2021–22 के लिए संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (गुरु दक्षता), पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अल्पकालिक कार्यक्रम, कार्यशालाओं और अन्य के पाठ्यक्रमों के आवंटन के संबंध में स्थायी समिति की बैठक 21 मई, 2021 को आयोजित की गई थी।

वर्ष 2021–22 के लिए 56 एचआरडीसी को पहले ही 58,31,28,910/– रुपये (58.31 करोड़ रुपये) की कुल राशि जारी की जा चुकी है।

5.5 राजभाषा का संवर्धन

केन्द्र सरकार ने राजभाषा अधिनियम, 1963 को अधिनियमित किया जिसमें भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध किया गया है जिसे केन्द्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाएगा। परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार के सभी विभागों को सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ''राजभाषा प्रकोष्ठ'' स्थापित करने का निदेश दिया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन करते हुए प्रारंभ में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1992 में पूर्णतः राजभाषा अनुभाग में परिवर्तित कर दिया गया। तदनुसार, नीति के अनुसार, राजभाषा अनुभाग की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत हैं:

- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेजों (सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचना, नियम, करार, संविदा, निविदा नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि) का अनुवाद किया गया था।

- वर्ष 2021–2022 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें दिनांक 06 अगस्त, 2021 तथा 22 दिसम्बर, 2021 को आयोजित की गई।

- दिनांक 24 दिसम्बर, .2021 को संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण की जानकारी और आधिकारिक कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी उपयोग को निरंतर बढ़ावा देने के लिए प्रेरक उपायों को अपनाने हेतु दिनांक 30 मार्च, .2021 को कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिसमें आयोग के 47 अधिकारियों और 30 कर्मचारियों ने भाग लिया।

- वर्ष 2021–2022 में, 2 अधिकारियों और 1 कर्मचारी को हिंदी प्रवीणता प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था और तीनों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और प्रत्येक को 10,000/– रुपये (केवल दस हजार रुपये) की प्रोत्साहन राशि और एक बारगी वेतन वृद्धि प्राप्त हुई।

- आयोग के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री का हिन्दी में अनुवाद कार्य राजभाषा अनुभाग द्वारा किया गया है जैसेः– वार्षिक रिपोर्ट, 2020–21, वार्षिक लेखा– 2020–21 के साथ–साथ प्रशासनिक निविदा सूचनाएँ, प्रशासन द्वारा निर्धारित विभिन्न अवकाशों के प्रारुप (अर्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश/चिकित्सा अवकाश नकदीकरण, कार्यभार ग्रहण, त्यागपत्र इत्यादि), सूचना के अधिकार संबंधी सूचना एवं पत्र, प्रशासनिक कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानान्तरण, तैनातियां, सेवानिवृत्तियां, अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी आदेश, अर्द्धशासकीय पत्र तथा अनुभागों

द्वारा प्राप्त विज्ञापन, परिपत्र और आयोग में सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चिकित्सा पूर्ति दावा प्रपत्र, संस्थानों में रैगिंग की समस्या की रोकथाम के संबंध में उच्चतर शिक्षा विनियम, उच्चतर शिक्षा के लिए 1956 के शीर्ष नियामक की स्लाइड, दिसंबर, 2021 में उच्चतर शिक्षा में 'ग्लोबल सिटीजनशिप' के लिए शैक्षिक ढांचा आदि का हिंदी में अनुवाद किया गया है।

- दिनांक 15 फरवरी, 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का राजभाषा निरीक्षण, राजभाषा संसदीय समिति की पहली उप–समिति द्वारा आयोजित किया गया था। निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों को पूरा करने का कार्य प्रगति पर है।

- वर्ष 2021 के दौरान, आयोग के अधिकारियो/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे हिन्दी श्रुतलेख, हिन्दी कम्प्यूटर टंकण, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण, स्वरचित कविता तथा वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को क्रमशः 5,000/–रुपये, 4,000/–रुपये और 3,000/–रुपये प्रदान किए गए तथा प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए।

- वैश्विक महामारी कोवडि–19 के चलते दिनांक 01 से 14 सितम्बर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़ा तथा हिन्दी दिवस का आयोजन (ऑनलाइन) किया गया। हिन्दी दिवस के आयोजन एवं पुरस्कार वितरण हेतु कुल रु0 96,000/– (छियानवे हजार रुपये) का व्यय किया गया।

- दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित छमाही प्रगति रिपोर्ट को नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति को प्रेषित किया गया।

- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना और उन्नयन के लिए पूर्व में विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया था और जिन विश्वविद्यालयों ने विअआ द्वारा जारी अनुदान सहायता को व्यय नहीं किया है। कुछ विश्वविद्यालयों से व्यय नहीं की गई राशि प्राप्त हुई है।

- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में शिक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और अनुदान राशि का व्यय पूरा करने वाले विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना और उन्नयन के लिए पूर्व में विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया था, और जिन विश्वविद्यालयों ने अनुदान राशि का व्यय कर लिया, ऐसे विश्वविद्यालयों से अव्ययित राशि मंगवाने के लिए अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

- गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021–2022 में दिए गए निदेशों के अनुपालन के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

5.6 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

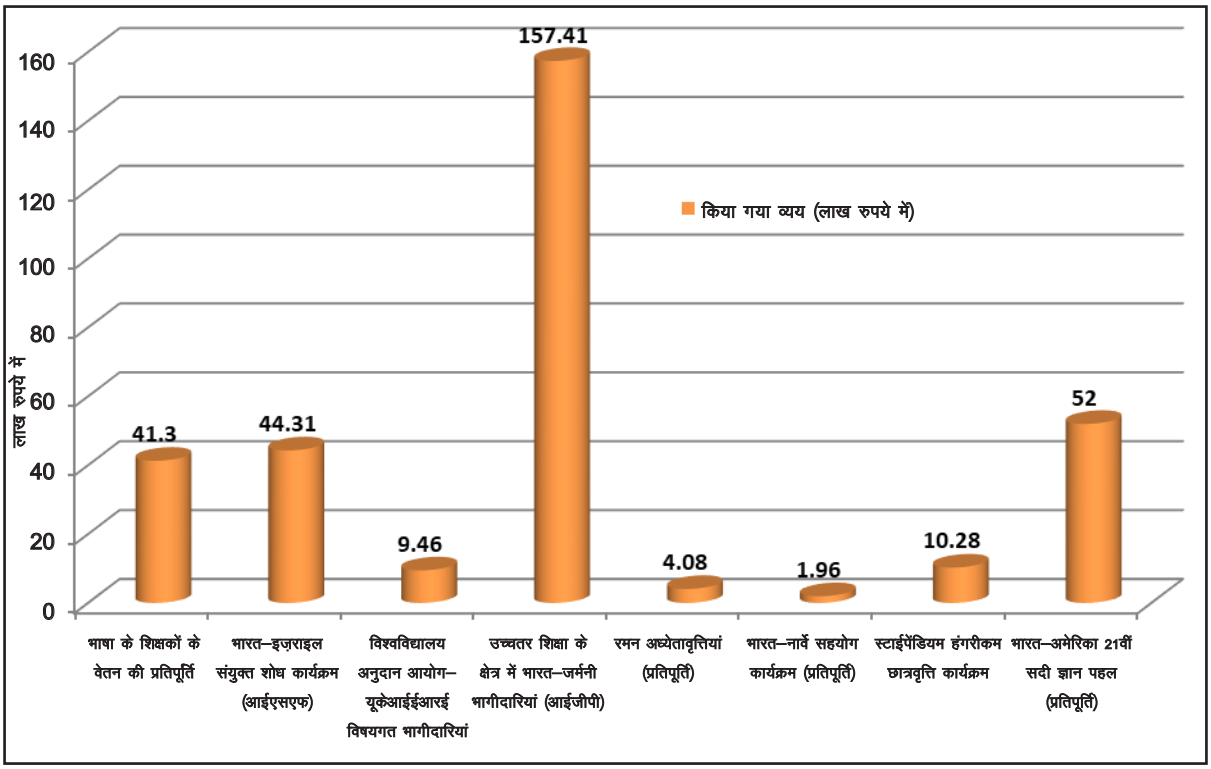
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच विभिन्न सहयोगात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, नारवे और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है तथा आयोग ने स्टाईपेन्डीयम हंगेरिकम, अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध हेतु रमन अध्येतावृत्ति, परियोजना आधारित कार्मिक विनिमय कार्यक्रम में छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति तथा शोध कार्यक्रमों के माध्यम से विद्वानों को शोध क्षमता को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है।

वर्ष 2021-22 के दौरान (दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) विभिन्न कार्यक्रमों पर किए व्यय का ब्योरा निम्नवत है:

योजना का नाम	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के तहत भाषा के शिक्षकों के वेतन की प्रतिपूर्ति	41.30
भारत–इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रम (आईएसएफ)	44.31
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– यूकेआईईआरई विषयगत भागीदारियां	9.46
उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी)	157.41
रमन अध्येतावृत्तियां (प्रतिपूर्ति)	4.08
भारत–नार्वे सहयोग कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति)	1.96
स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	10.28
भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल (प्रतिपूर्ति)	52.00
कुल व्यय	320.80

रेखाचित्र 5.6: वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विनियम कार्यक्रमों पर हुआ व्यय (लाख रुपये में)



5.6 (i): संयुक्त शोध कार्यक्रम

5.6 (i)(क): भारत-इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रमः

संयुक्त शोध कार्यक्रम का उद्देश्य इज़राइली और भारत के वैज्ञानिकों के बीच शोध सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) और इज़राइल विज्ञान फॉउडेशन (आईएसएफ) के बीच हुए एक

सहयोग समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और भारतीय और इज़राइल सरकार द्वारा दो वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित विनियमों के अनुरूप अपने वैज्ञानिकों को वित्तपोषित करती है, के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम सभी विधाओं के लिए खुला है।

अब तक, इस कार्यक्रम के तहत 43 परियोजनाएं अवार्ड की गई है।

वर्ष 2021–22 के दौरान भारत–इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रम पर 44.31 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

5.6 (i)(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूकेआईईआरई विषयगत भागीदारियां

'ब्रिटेन इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव' (यूकेआईईआरआई) को दोनों देशों के बीच शैक्षिक संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2006 में आरंभ किया गया था।

यूकेआईईआरआई (वर्ष 2006–2011) के चरण–I के अंतर्गत वर्ष 2009 के दौरान भारत में एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें दोनों देशों के 14 उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने भाग लिया था। कार्यशाला के आयोजन पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया गया था।

दिनांक 16 अगस्त, 2011 को यूकेआईईआरआई के चरण–2 के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विषयगत भागीदारी के तहत एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया।

चरण–II (वर्ष 2011–2016) के तहत, कुल 61 परियोजनाएं अवार्ड की गई थी।

चरण– III (वर्ष 2016–2021) के तहत, कुल 43 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं अवार्ड की गई थी।

यूकेआईईआरआई चरण–III के अंतर्गत, भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए उच्चतर शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। यह कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया गया था और दूसरा चरण मार्च, 2022 में संपन्न हुआ था। यूके प्रशिक्षकों द्वारा 100 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ब्रिटिश काउंसिल और एडवांस एचई, यूके द्वारा लागू किया गया था। चूंकि यह कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया था, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ा।

वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– यूकेआईईआरई विषयगत भागीदारियों पर 9.46 लाख रुपये का व्यय हुआ।

5.6 (i) (ग) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी)

द्वितीय भारत–जर्मनी अंतर–सरकार परामर्श के अवसर पर बर्लिन में दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब, शिक्षा मंत्रालय), भारत और फैडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष उच्चतर शिक्षा में भारत–जर्मन साझेदारी (आईजीपी) नामक नए वित्तपोषण कार्यक्रम पर सहमत थे। इस कार्यक्रम की अवधारणा और वित्तीय तथा संगठनात्मक प्रशासन का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा डीएएडी पर है।

मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन और और आशय की संयुक्त घोषणा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत और जर्मन शैक्षिक प्रतिदान सेवा (डीएएडी), जर्मनी के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर दिनांक 05 अक्तूबर, 2015 को एक समझौता किया गया। प्रथम चरण में, 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020, जिसे बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020 कर दिया गया था, के चार वर्ष की परियोजना अवधि के लिए 08 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई थी।

दूसरे चरण में, 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2024, तक की चार वर्ष की परियोजना अवधि के लिए 09 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई थी।

वर्ष 2021–22 के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियों (आईजीपी) पर 157.41 लाख रुपये की राशि व्यय हुई थी।

5.6 (i)(घ): परियोजना आधारित व्यैक्तिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी):

जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने नई दिल्ली में शोध छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र

में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं में भाग लेंगे। युवा पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

5.6 (i) (ङ) : भारत-अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल :

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्धित भारत–अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को तैयार करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल की घोषणा की गई थी। इसके कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, वि0अ0आ0 ने भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल के अंतर्गत एक खुली प्रतियोगिता की घोषणा की है और वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में **संयुक्त शोध** हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

- ऊर्जा अध्ययन
- सतत् विकास
- जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरणीय अध्ययन
- शिक्षा और शैक्षणिक सुधार,
- सामुदायिक विकास और नवोन्मेष

भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल पर 52.00 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

5.6 (ii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां और विद्वानों का आदान-प्रदान

5.6 (ii)(क): संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियां :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उभरते हुए क्षेत्रों में उन्नत तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक शोध प्रशिक्षण के लिए युवा भारतीय शोधकर्त्ताओं और सभी विषयों के शिक्षकों को सुनहरा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इन अध्येतावृत्तियों की पेशकश की है जिससे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनकी शोध क्षमता और उच्चतर शिक्षा में उनके योगदान को और बढाया जा सके और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को विकसित किया जा सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियों पर 4.08 लाख रुपये की राशि का व्यय हुआ।

5.6 (ii)(ख): स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रमः

दिनांक 19 नवंबर, 2014 को हंगरी के 'ह्यूमन कैपेसिटिज' मंत्रालय और भारत गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित भारत–हंगरी शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट संबंधी अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए। इस करार के तहत हंगरी की सरकार 200 भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है, और उनके अध्ययन की समाप्ति उपरांत उनकी हवाई यात्रा हेतु व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत हंगेरियन छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 173 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियों की पेशकश करता है।

स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर 10.28 लाख रुपये की राशि का व्यय हुआ।

5.6 (ii)(ग): भारत-बुल्गारिया सीईपी

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अनुसार, चार विद्वानों ''सेंट क्लीमेंट ओहरीडस्कीः सोफिया यूनिवर्सिटी'' तथा ''सेंट साइरिल तथा सेंट मेथोडियस'' विश्वविद्यालय वेलिको तुरनोवो द्वारा आयोजित बुल्गारिया भाषा और संस्कृति में अंतराष्ट्रीय सगोष्ठी में भागीदारी करने के लिए नामांकित किया गया था।

5.6 (ii)(घ): इंडो -नारवीयन सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी)

उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत–नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत और नार्वे के बीच उच्चतर शिक्षा के संपर्कों को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम दिनांक 14 फरवरी, 2014 को भारत और नार्वे के बीच हस्ताक्षरित

उच्चतर शिक्षा में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नार्वे केंद्र (एसआईयू) के बीच शैक्षणिक सहयोग संबंधी करार पर आधारित है।

आईएनसीपी का वित्तपोषण संयुक्त रूप से भारत के शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और नार्वे के विदेश मंत्रालय (एमएफए) द्वारा समान अनुदान के माध्यम से किया जाता है। विअ0आ0, भारत और एसआईयू, नार्वे इस कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

आईएनसीपी के तहत, विअआ, भारत तथा एसआईयू, नार्वे संयुक्त शोध परियोजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए तथा वर्ष 2014 में 3 वर्ष की अवधि के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया। 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 जिसे 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

वर्ष 2021–22 के दौरान प्रतिपूर्ति पर 1.96 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

5.6 (ii) विदेशी भाषा के शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए विदेशी भाषा के शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालयों में इनकी नियुक्ति संबंधित देश के मिशन और संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से किया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में भाषा संबंधी शिक्षक की नियुक्ति करते समय सामान्यतया यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिए उपर्युक्त अवसंरचना मौजूद हो।

शिक्षा आदान–प्रदान योजना (ईईपी) और सतत् शिक्षा योजना (सीईपी) के अनुसार देश में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशी भाषा के 22 विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया है।

जर्मन – 3	स्पेनिश – 10	पश्तो – 1	बुलगारियाई . 1	चेक. 1
पुर्तगाली – 2	हंगेरियाई – 1	क्रोएशियाई – 1	रोमानियन दृ 1	पोलिश. 1

वर्ष 2021–22 के दौरान सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत भाषा के शिक्षकों के वेतन पर 41.30 लाख रुपये का व्यय हुआ।

5.6 (iv) एनईपी, 2020 और उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

एनईपी, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप और भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रयास करने के लिए, विअआ ने कुछ पहल की हैं जो इस प्रकार हैं:

अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े कार्यालयः

- संस्थागत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की स्थापना से उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रभावी दृष्टिकोणों को सुगम और प्रचालित किया जा सकेगा। यह कार्यालय विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिनमें अन्यों के साथ निम्न शामिल हैं:
- विदेशी छात्रों का स्वागत और सहायता करने से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करना ।
- विदेशी संस्थानों के साथ सभी सहयोगी गतिविधियों को पूरा करने के लिए एकल बिंदु संपर्क।
- विदेशी छात्रों और प्रायोजक एजेंसी के बीच एक संपर्क निकाय के रूप में कार्य करना ।
- सभी मामलों में विदेशी छात्रों की शिकायतों को दूर करना ।
- एफआरआरओ/ई–एफआरआरओ के साथ विदेशी छात्र के पंजीकरण के लिए एकल बिंदु संपर्क।
- साथी छात्रों के साथ अंतरराष्ट्रीय छात्रों की नेटवर्किंग की सुविधा ।
- विदेशी छात्रों को नए सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल होने और भारत में अपने प्रवास को आरामदायक और समृद्ध बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना ।
- संस्थान की शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के समाकलन के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना।

- भावी विदेशी छात्रों के बीच प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का प्रसार करना ।
- विदेशों में ब्रांड तैयार करने के अभियान के लिए प्रचार गतिविधियों और प्रभावी दृष्टिकोण की अवधारणा और शामिल होना।
- ट्विनिंग व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय छात्रों की चिंता को दूर करना ।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए संस्था स्तर की रणनीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी ।
- रिकॉर्ड बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित जानकारी का प्रसार करना।
- पूर्व छात्रों सहित विदेशी छात्रों का डेटाबेस बनाए रखना और उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर सर्वेक्षण करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मामले के कार्यालय की स्थापना के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पहले ही आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

अब तक, 167 विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय स्थापित किए हैं।

पूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठः

विदेशी मूल के पूर्व छात्रों के साथ–साथ विदेशों में रहने वाले पूर्व भारतीय छात्र विदेशों में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के ब्रांड निर्माण और भारत को एक वैश्विक अध्ययन केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पूर्व छात्रों के लिए फिर से जुड़ने, ब्रांड निर्माण के लिए उपयुक्त माध्यम तैयार करने और उनके योगदान को उचित मान्यता देने के लिए एक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। ''एलुमनी कनेक्ट'' भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पूर्व छात्रों (विदेशी मूल के और विदेशों में रहने वाले भारतीयों) के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूर्व छात्रों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान कई गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं, जैसेः

- पूर्व छात्र प्रकोष्ठ स्थापित करना और विदेशों में रहने वाले पूर्व छात्रों (भारतीय और विदेशी दोनों) का एक विस्तृत डेटाबेस बनाए रखना।
- संस्थान की नवीनतम पहल को पूर्व छात्रों के साथ साझा करना ।
- पूर्व छात्रों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ना और उन्हें सम्मेलनों / वेबिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना ।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व छात्रों के बीच नेटवर्किंग मिलन समारोह।
- विदेशों में इसके प्रसार के लिए संस्थान, कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों के बारे में ब्रोशर, पैम्फलेट और अन्य विज्ञापन सामग्री प्रदान करना ।
- पूर्व छात्रों की मदद से सामुदायिक सेवा गतिविधि में शामिल होना।
- ब्रांड तैयार करने के कार्य के साथ–साथ संस्थान के समग्र विकास में सहायता के लिए प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को सम्मानित करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पहले ही आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक, 154 विश्वविद्यालयों ने पूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठ स्थापित किया है।

5.7 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षाः शिक्षण तथा शोध हेतु मानव संसाधन विकास

मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विअआ–नेट) आयोजित की जाती है। सामान्यतः, यह परीक्षा वर्ष में दो बार, अर्थात्: जून और दिसम्बर माह में 81 विषयों में, पत्र–I के अलावा, आयोजित की जाती है जिसमें परीक्षार्थी के सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, तर्क विश्लेषण, शिक्षण अभिवृत्ति और शोध के लिए रूझान की जांच करने के लिए देशभर में फैले अनेक शहरों में की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने शोध के क्षेत्र में व्यापक समतुलनीयता के साथ–साथ वैधता और विश्वसनीयता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 से नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। देश में एक समान शिक्षण तथा शोध के मानदंड बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति, 1986 के माध्यम

से परिकल्पना की थी कि ''व्याख्याता के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पूरा करने वाले केवल ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ विशेषरूप से आयोजित की गई एक वृहद परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो, ही व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।'' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक आचार्य/व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता परीक्षा को विकसित करने के संबंध में इस मुद्दे पर शिक्षाविदों तथा शैक्षणिक प्रशासकों जैसे राज्य शिक्षा सचिवों के साथ व्यापक चर्चा की। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसके द्वारा पहले ही आयोजित की जा रही जेआरएफ की परीक्षा के साथ जोड़ दिया तथा 24 दिसम्बर, 1989 को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा व्याख्याता हेतु प्रथम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट) भाषाओं सहित मानविकी के तहत आने वाले विषयों, सामाजिक विज्ञान तथा कुछ विज्ञान विषयों में आयोजित की। साथ ही, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने आधारभूत विज्ञान विषयों के तहत आने वाले विषयों के लिए 31 दिसम्बर, 1989 को जेआरएफ तथा व्याख्याता हेतु पात्रता परीक्षा, सीएसआईआर–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा आयोजित की। उसी समय से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा को वर्ष में दो बार जून तथा दिसम्बर के माह में आयोजित किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2014 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा स्वयं आयोजित की। तत्पश्चात्, दिसम्बर, 2014 से जुलाई, 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट की परीक्षा को आयोजित करने का कार्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑउटसोर्स कर दिया गया है। तत्पश्चात् विअआ–नेट को आयोजित करने का कार्य, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) को सौंपा गया था। परिणामस्वरूप, दिसम्बर, 2018 में आयोजित विअआ–नेट परीक्षा को एनटीए द्वारा आयोजित किया गया था।

सीएसआईआर–विअआ परीक्षा को सीएसआईआर के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में विज्ञान के 5 मुख्य विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणित विज्ञान और शारीरिक विज्ञान विषयों में आयोजित किया जा रहा है।

ऐसे प्रत्याशी, जो शोध करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट अथवा सीएसआईआर– वि0अ0आ0 संयुक्त परीक्षा के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे0आर0एफ0) परीक्षा में बैठ सकते हैं। उच्च मेरिट वाले प्रत्याशी जो वि0अ0आ0–नेट परीक्षा में जे0आर0एफ0 परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं। वे देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु भी पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सी0एस0आर0आई0–वि0अ0आ0 संयुक्त नेट परीक्षा के माध्यम से लगभग 1500 अभ्यर्थियां (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधारभूत विज्ञान शोध ब्यूरो की 300 अध्येतावृत्तियों सहित) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होती है।

5.7 (i) वि0अ0आ0- नेट परीक्षा में निष्पादन

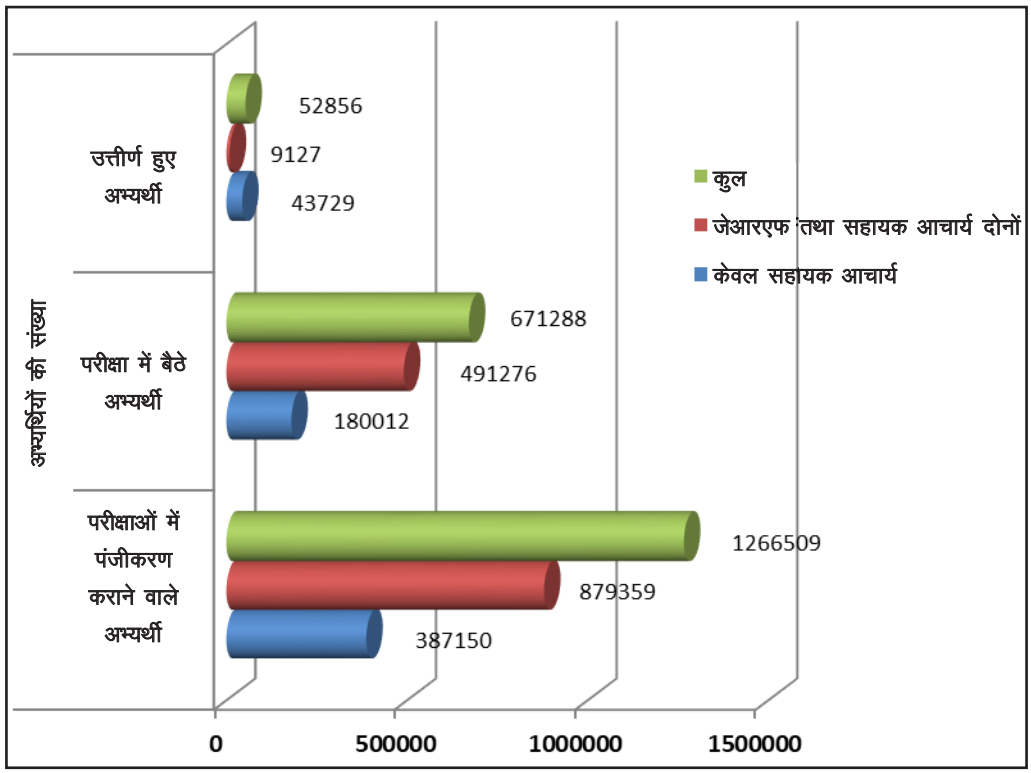
कोविड–19 के कारण दिसंबर, 2020 विअआ–नेट परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, इसे जून 2021 विअआ–नेट के साथ विलय कर दिया गया था। शोधकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षाओं के जेआरएफ को विलय कर दिया गया था।

वि0अ0आ0–नेट परीक्षा के तहत व्याख्याता एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और सफल हुए अभ्यर्थियों का संक्षिप्त ब्योरा निम्नवत तालिका–5.7 (i) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.7 (i) : वर्ष 2021–22 के दौरान विअआ–नेट की दिसंबर 2020 और जून 2021 की आमेलित परीक्षाओं में पंजीकृत, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या

किया गया आवेदन	अभ्यर्थियों की संख्या			परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों में से प्रतिशत
	पंजीकृत	परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी	उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी	
केवल सहायक–आचार्य	387150	180012	43729	24.29 प्रतिशत
जे.आर.एफ. और सहायक–आचार्य दोनों	879359	491276	9127	1.86 प्रतिशत
कुल	1266509	671288	52856	7.87 प्रतिशत

रेखाचित्र 5.7 (i) : वर्ष 2021–22 के दौरान विअआ–नेट की दिसंबर 2020 और जून 2021 की आमेलित परीक्षाओं में पंजीकृत, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या



5.7 (i)(क) : वंचित श्रेणियों को उपलब्ध कराई गई छूट/ रियायतें

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के वंचित वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए अनेकानेक उपाय कर रहा है। उन्हें अनेकानेक छूट और रियायतें प्रदान की जा रही हैं। चूंकि अब, विअआ–नेट परीक्षा का आयोजन, राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी को सौंप दिया गया है, यह निम्नवत तरीकों से समाज के वंचित वर्गों को लगातार पूर्ण सहायता उपलब्ध करवा रहा है:

(i) शुल्क में उपलब्ध कराई गई छूटः जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1000/– रुपये है, वहीं भारत सरकार की सूची के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के असम्पन्न वर्गों के उम्मीदवारों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह केवल 500/– रुपये है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, ट्रांसजेंडरों और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 250 रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

(ii) जे0आर0एफ0 के लिए आयु में उपलब्ध कराई गई छूटः सामान्य श्रेणी के लिए जेआरएफ परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/ ट्रांसजेंडरों/ शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

(iii) कोविड–19 के कारण अपरिहार्य विलम्ब को देखते हुए, एक विशेष मामले के रूप में दिसंबर 2020 और जून 2021 चरण के विअआ–नेट के लिए सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक वर्ष की और छूट प्रदान की गई थी।

➢ नेट हेतु पात्रता की शर्तों में उपलब्ध कराई गई छूट

1	सामान्य अभ्यर्थी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित)	निष्णात उपाधि में 55 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 50 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)

➢ विअआ–नेट हेतु अर्हता मानदण्ड में उपलब्ध कराई गई छूटः अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र–ए और II में अलग–अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

श्रेणी	न्यूनतम कुल प्रतिशत
सामान्य श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित)	40 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी)	35 प्रतिशत

जैसा की यहां स्पष्ट है कि नेट परीक्षा हेतु अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। इसके अलावा, जेआरएफ के साथ– साथ सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटित करने हेतु आयोजित सीएसआईआर– वि0अ0आ0 परीक्षा के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया गया है। समान विषयों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए विषयवार कट–ऑफ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निशक्त/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) श्रेणियों मे सबसे कम है।

5.7 (i)(ख) : सशस्त्र बलों के लिए कर्मियों हेतु व्यवस्था

कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु आवेदन करने के लिए, सशस्त्र सेनाओं में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को 05 वर्ष तक की छूट उपलब्ध कराई जाती है, जोकि संबंधित विअआ–नेट के माह के प्रथम दिन तक सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा की अवधि के अध्यधीन है।

5.7 (i)(ग) : विअआ-नेट में नए विषयों को आरंभ किया जाना

आयोग ने दिनांक 10 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी 556 वीं बैठक में विअआ–नेट में शामिल करने के लिए विअआ के अध्यक्ष द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार ''हिंदू अध्ययन'' के पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार, जून 2022 से विअआ–नेट के विषयों में से एक विषय 'हिंदू अध्ययन' भी होगा।

5.7(ii) संयुक्त सी0एस0आई0आर0- वि0अ0आ0 नेट परीक्षा

सीआईएसआर– वि0अ0आ0 संयुक्त परीक्षा को प्रत्येक वर्ष में दो बार अर्थात् जून तथा दिसम्बर माह में सीआईएसआर द्वारा आयोजित किया जाती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) द्वारा जेआरएफ और व्याख्याता/ सहायक आचार्य दोनों के लिए पात्र घोषित अभ्यर्थियों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के तहत 1500 जेआरएफ अवार्ड किए जाते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कतिपय संख्या में अभ्यर्थियों को व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए पात्र घोषित करता है। चूंकि, दिसंबर 2020 संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा, सीएसआईआर द्वारा आयोजित नहीं की जा सकी थी, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1500 जेआरएफ को जून, 2021 की संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के 1500 जेआरएफ के साथ सम्मिलित करने की पहल की। इस प्रकार, जून 2021 की परीक्षा के लिए विअआ योजना के तहत 3000 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

तालिका 5.7(ii)(क) उन मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाती है जिसमें सीएसआईआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर– वि0अ0आ0– नेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका 5.7(ii)(ख) जे0आर0एफ0 के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या तथा संयुक्त सीआईएसआर–वि0अ0आ0 नेट के माध्यम से व्याख्याता हेतु पात्रता को दर्शाता है।

तालिका 5.7(ii) (क) संयुक्त सी0एस0आई0आर0- वि0अ0आ0 नेट के तहत शामिल विज्ञान के विज्ञायों की सूची

क्रम संख्या	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणित विज्ञान
5.	शरीर विज्ञान

तालिका 5.7(ii)(ख) सी0एस0आई0आर0-वि0अ0आ0 संयुक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

सीएसआईआर–वि0अ0आ0–नेट संयुक्त परीक्षा	परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या	
	वि0अ0आ0 जे0आर0एफ0	सहायक आचार्य हेतु पात्रता (जे0आर0एफ0 सहित)
जून, 2021	3300*	7679
दिसम्बर, 2021	कोविड–19 के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी	

स्रोतः सीएसआईआर से प्राप्त डाटा

*जेआरएफ के लिए आंकड़े भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जेआरएफ स्लॉट आबंटन के कारण 3000 अधिक है।

5.7 (iii) : अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी)

भारत विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत एमफिल/पीएचडी के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत प्रतिवर्ष 2000 अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। विअआ–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के तहत आने वाले विषयों के लिए क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत अध्येतावृत्ति चिह्नित की गई हैं। अवार्ड प्राप्तकर्त्ताओं का चयन उन अभ्यर्थियों में से किया जाता है जिन्होंने कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और सहायक आचार्य के लिए पात्रता हेतु लिए आवेदन किया था, लेकिन विअआ–नेट या संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा में केवल सहायक आचार्य हेतु पात्रता परीक्षा ही उत्तीर्ण कर पाए। जून में आयोजित विअआ–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से एक हजार अध्येतावृत्तियां आवंटित की जाती हैं और अन्य 1000 अध्येतावृत्तियां दिसंबर चरण की इन परीक्षाओं के माध्यम से आवंटित की जाती हैं।

तदनुसार, तर्कसंगत सांख्यिकीय पद्धति को नियोजित करके अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का परिणाम तैयार किया जाता है। दिसंबर, 2020 और जून, 2021 की विअआ–नेट परीक्षाओं के विलय होने और सीएसआईआर की दिसंबर परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ होने के कारण, विअआ द्वारा सभी 2000 अध्येतावृत्तियों को एकल विअआ–नेट और एकल संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से अवार्ड करने का निर्णय लिया गया था, जो उस अवधि में आयोजित की गई थी।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान विअआ–नेट/ संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से घोषित एनएफएससी के परिणामों को संक्षेप में नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष और माह	प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की संख्या		परिणाम घोषित किए जाने की तिथि
	विअआ–नेट के माध्यम से	सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से	
2018–19 (जून, 2018 चरण)	940 (परीक्षाएं जुलाई माह में आयोजित की जाती हैं)	260	17.09.2019
2018–19 (दिसम्बर, 2018 चरण)	854	257	
जून, 2019	890	284	27.12.2019
दिसम्बर, 2019	958	256	20.05.2020
जून, 2020	4434*	407*	30.11.2020 और 19.03.2021 (विअआ–नेट के माध्यम से) तथा 11.06.2021 (संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से)
दिसम्बर, 2020 और जून, 2021, आमेलित चरण	1600	332/	19.02.2022/ 28.02.2022(विअआ–नेट के माध्यम से) तथा 06.05.2022 (संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से)

*सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त नहीं की गई अध्येतावृत्तियों के बैकलॉग की इस वर्ष पेशकश की गई है।

@ केवल जून, 2021 की संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा आयोजित की गई थी; महामारी के कारण सीएसआईआर द्वारा दिसम्बर 2020 की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी।

5.7 (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफओबीसी)

भारत विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत एमफिल/पीएचडी के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत प्रतिवर्ष 1000 अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। एनएफएससी के अनुरूप ही, विअआ–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के तहत आने वाले विषयों के लिए क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत अध्येतावृत्ति चिह्नित की गई हैं। अवार्ड प्राप्तकर्त्ताओं का चयन उन अभ्यर्थियों में से किया जाता है जिन्होंने कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और सहायक आचार्य के लिए पात्रता हेतु लिए आवेदन किया था, लेकिन विअआ–नेट अथवा संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा में केवल सहायक आचार्य हेतु पात्रता परीक्षा ही उत्तीर्ण कर पाए। जून में आयोजित विअआ–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से पांच सौ अध्येतावृत्तियां आवंटित की जाती हैं और अन्य पांच सौ अध्येतावृत्तियां दिसंबर चरण की इन परीक्षाओं के माध्यम से आवंटित की जाती हैं।

चूंकि, दिसंबर, 2020 और जून, 2021 विअआ–नेट का विलय कर दिया गया था और सीएसआईआर दिसंबर परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ था, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी 1000 अध्येतावृत्तियों को एकल विअआ–नेट और एकल संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से अवार्ड करने का निर्णय लिया गया था जो उस समय आयोजित की गईं थी।

वर्ष 2019 से आयोजित विअआ–नेट/ संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से घोषित एनएफओबीसी के परिणामों को संक्षेप में नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष और माह	प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की संख्या		परिणाम घोषित किए जाने की तिथि
	विअआ–नेट के माध्यम से	सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से	
2019.20 (जून चरण)	659	150	21.05.2020
2019.20 (दिसम्बर चरण)	578	133	
जून, 2020	469	135	30.11.2020 और 19.03.2021 (विअआ–नेट के माध्यम से) तथा 29.09..2021 (संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से)
दिसम्बर, 2020 और जून, 2021 आमेलित चरण	834	260/	19.02.2022/ 28.02.2022(विअआ–नेट के माध्यम से) तथा 06.05.2022 (संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से)

@ केवल जून, 2021 की संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा आयोजित की गई थी; महामारी के कारण सीएसआईआर द्वारा दिसम्बर 2020 की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी।

5.7 (v) अल्पसंख्यक छात्रें के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)

भारत विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत एमफिल/पीएचडी के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत प्रतिवर्ष 1000 अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। एनएफएससी के अनुरूप ही, विअआ–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के तहत आने वाले विषयों के लिए क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत अध्येतावृत्ति चिह्नित की गई हैं। अवार्ड प्राप्तकर्त्ताओं का चयन उन अभ्यर्थियों में से किया जाता है जिन्होंने कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और सहायक आचार्य के लिए पात्रता हेतु लिए आवेदन किया था, लेकिन विअआ–नेट अथवा संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा में केवल सहायक आचार्य हेतु पात्रता परीक्षा ही उत्तीर्ण कर पाए। जून में आयोजित विअआ–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से पांच सौ अध्येतावृत्तियां आवंटित की जाती हैं और अन्य पांच सौ अध्येतावृत्तियां दिसंबर चरण की इन परीक्षाओं के माध्यम से आवंटित की जाती हैं।

चूंकि, दिसंबर, 2020 और जून, 2021 विअआ–नेट का विलय कर दिया गया था और सीएसआईआर दिसंबर परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ था, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी 1000 अध्येतावृत्तियों को एकल विअआ–नेट और एकल संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से अवार्ड करने का निर्णय लिया गया था जो उस समय आयोजित की गईं थी।

संक्षेप में, अभ्यर्थियों के निष्पादन को विअआ–नेट/ संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से एमएएनएफ के परिणामों का संकलन करने के बाद तैयार किया जाता है, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है:

वर्ष और माह	प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की संख्या		परिणाम घोषित किए जाने की तिथि
	विअआ–नेट के माध्यम से	सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से	
2019–20 (जून चरण)	469	131	31.07.2020
2019–20 (दिसम्बर चरण)	526	125	
जून, 2020	479	129	30.11.2020 और 19.03.2021 (विअआ–नेट के माध्यम से) तथा दिनांक 29.09..2021 (संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से)
दिसम्बर, 2020 और जून, 2021 आमेलित चरण	966	108/	19.02.2022/ 28.02.2022 (विअआ–नेट के माध्यम से) तथा 06.05.2022 (संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के माध्यम से)

@ केवल जून, 2021 की संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा आयोजित की गई थी; महामारी के कारण सीएसआईआर द्वारा दिसम्बर 2020 की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त तीन राष्ट्रीय स्तर की अध्येतावृत्ति योजनाओं के पात्र अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति अवार्ड किए जाने संबंधी पत्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugcnetonline.in. पर अपलोड कर दिया गया है।

5.7 (vi) सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन हेतु विअआ-नेट के पात्र अभ्यर्थियों की मांग

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, वि0अ0आ0–नेट को प्रतिभा के पूल के एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है; इसे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जा रहा है। अनेक प्रमुख सरकारी निकायों ने विभिन्न विषयों में अपने अधिकारियों की भर्ती के लिए वि0अ0आ0–नेट प्राप्तांक का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया है। वर्ष 2021–22 में भी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) से प्रशासनिक, प्रबंधकीय, विधिक और वित्तीय पदों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया में नेट प्राप्तांक का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर, निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में विअआ के प्राप्तांक का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया है। वे निम्नवत हैं:

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी)
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर लिमिटेड
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
- पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- राष्ट्रीय पन विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी)
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी)
- न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले ही इस संबंध में अपना डॉटा साझा करने की इच्छा व्यक्त कर चुका है और साथ ही समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके अनुरोध पर जानकारी उपलब्ध कराता है।

5.7 (vii) राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1988 की अधिसूचना के माध्यम से वि.अ.आ. ने राज्य सरकारों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था तथा अब **राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)** के नाम से जाना जाता है, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस.ई.टी. का पैटर्न भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा के समान है।

कुछ राज्यों/समूहों के नेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उनके प्रस्तावों की जांच करने तथा उनकी सक्षमता और योग्यता का पूर्णतया मूल्यांकन करने पश्चात् ही सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए सेट परीक्षा को अधिकतम तीन वर्ष के लिए आयोजित करने हेतु प्रत्यायित करता है। एस0ई0टी0 अभिकरणों के निष्पादन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञ समितियों की सहायता से समीक्षा की जाती है। जिन अभ्यर्थियों ने व्याख्याता हेतु दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है ओर वे भारत में कहीं भी सहायक आचार्य के पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जून, 2002 या उसके बाद आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी संबंधित राज्य के केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगें जहां से उन्होंने अपनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार यदि चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटन करने के लिए मानदंड, जिसे वि0अ0आ0–नेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा था उसे अब सेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए कुल स्लॉटों का परिकलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित पात्रता मानदंड के अनुरूप ही किया जाता है, उन्हें संबंधित राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप ही आबंटित किया जाता है।

अब तक, निम्नवत राज्यों/राज्य समूहों ने सेट का संचालन किया है:

- आन्ध्र प्रदेश
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू और कश्मीर
- झारखण्ड
- कर्नाटक
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र और गोवा
- उत्तर–पूर्व क्षेत्र के राज्य (भागीदारी करने वाले राज्यः असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
- राजस्थान
- तमिलनाडु
- तेलंगाना
- उत्तरांखण्ड
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में से, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन करने राज्य/ समूहों का ब्योरा को नीचे दिया गया है:

i. आन्ध्र प्रदेश

ii. गुजरात

iii. कर्नाटक

iv. महाराष्ट्र और गोवा

v. उत्तर–पूर्व राज्य

vi. पश्चिम बंगाल

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान निम्नवत राज्यों को अगले तीन वर्षों के लिए सेट परीक्षा आयोजित करने के लिए नए सिरे से प्रत्यायन प्रदान किया गया है:

1. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख
2. उत्तर–पूर्व राज्य

5.8 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव के स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्य के मामले में, उन्हें पद पर नियुक्त होना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सूचीबद्ध महाविद्यालय के स्थायी शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों को तीन वर्ष की अवधि में एक बार यात्रा, पंजीकरण शुल्क, प्रति दिवस भत्ता और वीजा शुल्क आदि के लिए शतप्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आयोग के सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के महाविद्यालय के शिक्षकों को दो वर्ष की अवधि में एक बार शतप्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यात्रा अनुदान योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन को सम्मेलन के आरंभ होने से दो माह पूर्व सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र और सम्मेलन के आयोजकों से स्वीकृति पत्र सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किए गए व्यय का ब्योरा निम्नवत है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या						व्यय (करोड़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/ पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्यगण/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी	महिला	अ0 जाति	अ0 जनजाति	
2020–2021	–	105	–	37	23	07	1.29

5.9 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (xxx) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) की स्थापना की है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतः लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे 08 केन्द्र स्थापित किए हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम पद्धतियां तथा विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- शोधकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक उत्कृष्ट पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंसोर्टियम फॉर एजूकेशनल कम्यूनीकेशन (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में तथा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में दूरदर्शन से दिनांक 15 अगस्त, 1984 को प्रथम देशव्यापी कक्षा (सी0डब्ल्यू0सी0आर0) कार्यक्रम प्रसारित हुआ था।

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य, नीचे तालिका में दिए गए हैं:–

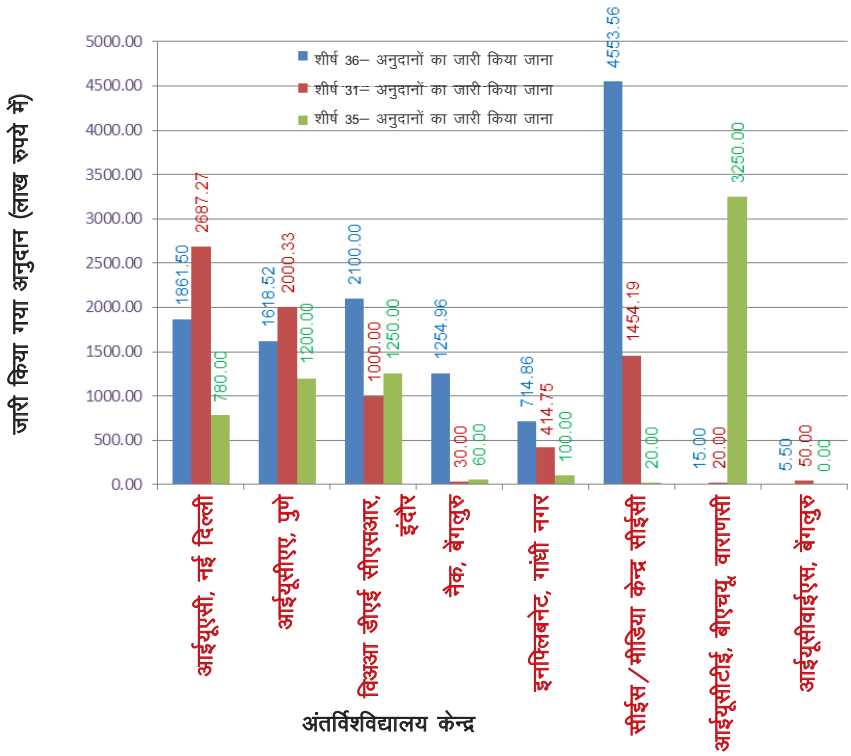
तालिका 5.9 (क): अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य

क्रम सख्या	केन्द्रों का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1.	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	1984	ऐक्सीलरेटर परक शोध
2.	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे–411007	1988	खगोल विज्ञान में शोध के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3.	वि0अ0आ0–डीएई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर–452001	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् बंगलुरु– 560010	1994	उच्चतर शिक्षा के सरकारी तथा निजी संस्थानों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करना
5.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इनफिलबनेट) गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6.	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, अरूण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली–110067	1993	टेलीविजन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 शैक्षणिक मीडिया शोध केन्द्र स्थापित हैं।
7.	अंतर्विशविद्यालय केन्द्र–अध्यापक शिक्षा, काकीनाड़ा	2013	साधारण रूप से शिक्षा में तथा विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन कर अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना।
8.	अंतर्विशविद्यालय केन्द्र–अध्यापक शिक्षा, वाराणसी	2014	
9.	योग विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	2018	योग शिक्षा में नए ज्ञान के सृजन के माध्यम से योग के ज्ञान और योग विज्ञान को सुदृढ़ करना, पाठ्यचर्या का तुलनात्मक अध्ययन और योग के लाभ तथा इसकी पद्धति का प्रसार करना।

तालिका 5.9 (ख) : वर्ष 2021–22 के दौरान जारी अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को बजटीय अनुदानों का जारी किया जाना

क्रम सख्या	केन्द्र का नाम	शीर्ष 36	शीर्ष 31	शीर्ष 35
		अनुदानों का जारी किया जाना	अनुदानों का जारी किया जाना	अनुदानों का जारी किया जाना
1	आईयूएसी, नई दिल्ली	1861.50	2687.27	780.00
2	आईयूसीएए, पुणे	1618.52	2000.33	1200.00
3	विअआ डीएई सीएसआर, इंदौर	2100.00	1000.00	1250.00
4	नैक, बेंगलुरु	1254.96	30.00	60.00
5	इनफिलबनेट, गांधी नगर	714.86	414.75	100.00
6	सीईस/मीडिया केन्द्र सीईसी	4553.56	1454.19	20.00
7	आईयूसीटीई, बीएचयू, वाराणसी वापर??? व	15.00	20.00	3250.00
8	आईयूसीवाईएस, बेंगलुरु	5.50	50.00	0.00
	कुल	12123.90	7656.54	6660.00

तालिका 5.9 (ख) : वर्ष 2021–22 के दौरान बजटीय अनुदानों (लाख रुपये में) का जारी किया जाना



विभिन्न अन्तर्विश्वविद्यालय केंद्रों की प्रमुख विशेषताएं

5.9(ख)(i) अन्तर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली (आईयूएसी)

अन्तर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योजना आयोग और प्रधानमंत्री के सम्यक् अनुमोदन के बाद परमाणु विज्ञान केंद्र नामक पहले अन्तर्विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसी) के रूप में की गई थी। यह केंद्र जुलाई, 1991 को बीम परीक्षणों की एक श्रृंखला और भारत के सबसे बड़े टेंडम त्वरक के संचालन मापदंडों के अनुकूलन के बाद अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय उपयोगकर्ता सुविधा बन गया, जिसे 15 यूडीपेलेट्रॉन टेंडम त्वरक के रूप

में जाना जाता है। इसके बाद, आईयूएसी ने नाइओबियम क्वार्टर वेव रेजोनेटर (क्यूडब्ल्यूआर), 1–7 एमवीपेलेट्रॉन टेंडम त्वरक, 0.5 एमवीपीईएलटीएलएटी और एम त्वरक आधारित त्वरक द्रव्य वर्णक्रममापी (एएमएस), इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस (ईसीआर) आयन स्रोत आधारित आयन बीम सुविधा, नकारात्मक आयन बीम सुविधा आदि का उपयोग करके अत्याधुनिक अतिचालक संरेख त्वरक (एससी–लिनैक) जैसे अन्य त्वरक विकसित किये। एक हजार से अधिक अनुसंधान विद्वानों ने आईयूएसी में विश्व स्तरीय आयन त्वरक आधारित अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करके अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी की। आईयूएसी, दिल्ली वर्तमान में देश में प्रधान आयन त्वरक सुविधा है। विभिन्न आयन त्वरक सुविधाओं के अलावा, आईयूएसी परमाणु भौतिकी, सामग्री विज्ञान, विकिरण जीव विज्ञान, परमाणु तथा आणविक भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोगात्मक अनुसंधान सुविधाओं हेतु निम्नलिखित अत्याधुनिक प्रयोगात्मक अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है। आईयूएसी में एक उच्च शक्ति कम्प्यूटिंग (एचपीसी) सुविधा (70 टीएफ) स्थापित की गई है, जिसका उपयोग पूरे भारत के 400 से अधिक शोधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत, आईयूएसी में विकसित विज्ञान प्रयोगों के लिए सघन कंप्यूटर अंतरापृष्ठ (एक्सपीईईईएस) का अकादमिक समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। देश भर के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को नियमित रूप से कंप्यूटर अंतरापृष्ठ विज्ञान प्रयोगों, पायथन प्रोग्रामिंग आधारित डेटा विश्लेषण, खुला स्रोत शैक्षिक सॉफ्टवेयर की संस्थापना और दृश्यीकरण पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

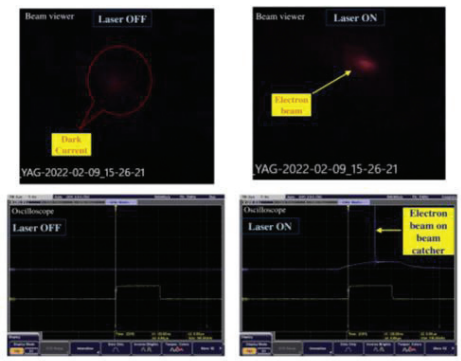
अंतर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करके विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान के लिए संभावनाएं बनाने हेतु अग्र–श्रेणी त्वरक आधारित अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्र की त्वरक प्रणालियों और प्रायोगिक सुविधाओं का उपयोग कई विश्वविद्यालयों द्वारा परमाणु भौतिकी, सामग्री विज्ञान, आण्विक भौतिकी, विकिरण जीवविज्ञान, विकिरण भौतिकी और त्वरक संहति वर्णक्रममापन के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया जाता है, जिससे जर्नल प्रकाशनों व पीएचडी शोध प्रबंध में पर उच्च प्रभाव पड़ता है।

आईयूएसी में सघन टेराहर्ट्ज विकिरण और इलेक्ट्रॉन बीम सुविधा को चालू करने व परिचालन की स्थिति

अंतर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली में दिल्ली लाइट सोर्स (डीएलएस) के रूप में जानी जाने वाली एक सघन टेराहर्ट्ज विकिरण सुविधा चालू की जा रही है। यह सुविधा एक सघन अंड्युलेटर में 8MeV की अधिकतम ऊर्जा के साथ सक्रिय इलेक्ट्रॉन बीम को इंजेक्ट करके 8–18 से 3–0 टेराहर्ट्ज की आवृत्ति सीमा में तीव्र टेरा–हर्ट्ज विकिरण का उत्पादन करेगी। बीम संरेख संस्थापना को अंड्युलेटर चुंबक (चित्र 1 (क) तक पूरा किया गया है और लेजर प्रेरित फोटो करंट इलेक्ट्रॉन बीम का उत्पादन पहली बार फरवरी 2022 में आईयूएसी (चित्र 1 (ख) में किया गया है। प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर, इलेक्ट्रॉन बीम के 20 हर्ट्ज की पुनरावृत्ति दर पर एकत्रित ऊर्जा और आवेश क्रमशः लगभग 1–3 डमट (अधिकतम) और 1 पिको–कूलम्ब होने का अनुमान लगाया गया है। इलेक्ट्रॉन बीम की ऊर्जा को 8MeV तक बढ़ाने और इस इलेक्ट्रॉन बीम को सघन अंड्युलेटर में इंजेक्ट करके तीव्र टेरा–हर्ट्ज विकिरण का उत्पादन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यह वर्ष 2022 तक टेरा–हर्ट्ज विकिरण के पहले सिग्नेचर का उत्पादन करने की आशा है।



(क) चित्र 1. (क) बीम संरेख को अंड्युलेटर तक चालू करना



(ख) इलेक्ट्रॉन बीम का पहला 'सिग्नेचर'

सघन टेराहर्ट्ज परियोजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आईयूएसी और परमाणु विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। आईयूएसी के स्थायी कर्मचारियों के अलावा, कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं (जेआरएफ/एसआरएफ), अनुसंधान सहायकों, डीएस कोठारी अनुसंधान अध्येताओं आदि जैसे

कुछ विद्वानों ने इस परियोजना में योगदान दिया है। निकट भविष्य में इस सुविधा के उपयोगकर्ता आधार को विकसित करने के लिए जून 2021 में बहु–विषयक क्षेत्रों में टेराहर्ट्ज और इलेक्ट्रॉन बीम के साथ प्रयोग करने के लिए भारतीय और विदेशी शोधकर्ताओं को शामिल करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय युगल कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

उच्च धारा अंतःक्षेपित्र : सुविधा विवरण और वर्तमान स्थिति

उच्च धारा अंतःक्षेपित्र को पीकेडीईएलआईएस ईसीआर आयन स्रोत से निष्कर्षण किए गए आयन बीम को त्वरित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 200 केवी उच्च वोल्टेज डेक पर संस्थापित है, जिसमें आरएफक्यू और छह डीटीएल गुहाओं का उपयोग करके 1.8 MeV/amu की अंतिम ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

आरएफक्यू और डीटीएल गुहाओं सहित त्वरित खंड की संस्थापना पूरी हो गई है। इससे बीम हॉल #3 संस्थापना पूरी तरह से प्राप्त की गई । चित्र 1 बीएच रु3 का पूर्ण संस्थापित दृश्य को दर्शाता है।



चित्र 1: बीएच #3 में उच्च धारा अंतःक्षेपित्र सुविधा का दृश्य

संस्थापना बीम के बाद एन् 5बीम को 1.8 MeV/amu उनकी ऊर्जा में सफलतापूर्वक त्वरित करके एचसीआई के डिजाइन को वैधीकृत करने के लिए त्वरित किया गया। सभी अलग–अलग त्वरण गुहाओं द्वारा ऊर्जा लब्धि भी सफलतापूर्वक वैधीकृत किया गया। सफल परीक्षण का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है/

गुहा	डीटीएल#1	डीटीएल#2	डीटीएल #3	डीटीएल #4	डीटीएल #5	डीटीएल#6
डिजाइन ऊर्जा लब्धि	0.32					
MeV/u	0.55 MeV/u	0.85 MeV/u	1.15 MeV/u	1.46 MeV/u	1.8 MeV/u	
एन$^{5+}$ बीम के लिए ऊर्जा लब्धि	0.32					
MeV/u	0.55 MeV/u	0.85 MeV/u	1.15 MeV/u	1.46 MeV/u	1.8 MeV/u	

परीक्षण के बाद, एचसीआई नियंत्रण को मौजूदा पेलेट्रॉन नियंत्रण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है और इस कक्ष से बीम की ट्यूनिंग की जा रही है। आवश्यक उच्च शक्ति स्तर प्राप्त करने के लिए आरएफक्यू व डीटीएल का अनुकूलन चल रहा है। एचईबीटी घटकों की खरीद प्रक्रिया शुरू करके एससी लिनैक के साथ एचसीआई के ससमय युग्मन को सुनिश्चित करने के लिए

एचईबीटी खंड में प्रगति हुई है। एचईबीटी खंड के लिए दो रिबंचर (सर्पिल बंचरों) का निर्माण शुरू कर दिया गया है। सरकार से सरकार के आधार पर सीएसआईआर–सीईसीआरआई प्रयोगशाला में इन सर्पिल बंचरों का ताम्र लेपन करने की योजना है। इससे पहले एमईबीटी सर्पिल बंचरों के लिए सीएसआईआर–सीईसीआरआई ने सफलतापूर्वक ताम्र लेपन किया है।

बीम हॉल #1 का पुनर्अभिविन्यास करने के लिए एईआरबी से विकिरण अनुमति से संबंधित कार्य भी प्रगति पर है।

प्रमुख स्वदेशी विकास

1. *रेडियो आवृत्ति क्वाड्रुपोल का संविरचन भारतीय संविरचकों का उपयोग करके सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।*
2. *ड्रिफ्ट ट्यूब लिनैक गुहाओं के बाहरी कक्षों का संविरचन टीआरआईयूएमएफ, कनाडा के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया गया। सभी छह गुहाओं के लिए किनारों व तनों, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, का संविरचन स्वदेशी रूप से किया गया।*
3. *सर्पिल बंचर पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित किया गया।*
4. *सर्पिल बंचर का ताम्र लेपन केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर–सीईसीआरआई), कराईकुडी की सुविधाओं का उपयोग करके किया गया। हमने राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर के ताम्र लेपन सुविधाओं का भी उपयोग किया। यह अंतर–संस्थान सहयोग को दर्शाता है।*
5. *उपकरणों सहित उच्च सघन नैदानिक कक्ष का संविरचन स्वदेशी रूप से किया गया।*

परमाणु संरचना प्रयोगशालाः

किए गए प्रयोगः देश भर के विश्वविद्यालयों के उपयोगकर्ताओं ने परमाणु संरचना सुविधाओं का उपयोग किया और परमाणु अन्योन्यक्रिया के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हुए दस प्रयोग किए। प्रयोगों में आईएनजीए में उच्च घूर्णन वर्णक्रममापी के साथ–साथ प्लंजर उपकरणों और डॉप्लर शिफ्ट क्षीणन विधि का उपयोग करके उत्तेजित परमाणु स्थितियों के जीवनकाल का अध्ययन शामिल था। जीडीए में क्लोवर जीई संसूचकों का उपयोग करके कूलम्ब उत्तेजना व अपूर्ण संलयन अध्ययन किए गए। इन अध्ययनों के लिए बीम समय की कुल 150 शिफ्टों का उपयोग किया गया था।

विकसित की गई इलेक्ट्रॉनिक्सः

एक नया वीएमई आधारित डेटा अर्जन प्रणाली (डीएएस), जिसमें संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ क्रेट नियंत्रक और ग्लोबल इवेंट ट्रिगर (जीईएम) मॉड्यूल शामिल है, केंद्र–विकसित अभियंताओं द्वारा विकसित किया गया और राष्ट्रीय न्यूट्रॉन संसूचक सरणी (एनएएनडी) तथा आईएनजीए के नए वीएमईएसआईनिन–बीम प्रयोगों को नियोजित किया गया। एक नया वीएमई आधारित डेटा अर्जन प्रणाली (डीएएस), जिसमें संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ क्रेट नियंत्रक और ग्लोबल इवेंट ट्रिगर (जीईएम) मॉड्यूल शामिल है, केंद्र विकसित अभियंताओं द्वारा विकसित किया गया और राष्ट्रीय न्यूट्रॉन संसूचक सरणी (एनएएनडी) तथा आईएनजीए के नए वीएमईडीआईनिन–बीम प्रयोगों को नियोजित किया गया। विक्रेताओं से आवश्यक वीएमई क्रेट, एडीसी, टीडीसी और क्यूडीसी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल खरीदे गए। नए डीएएस ने समान परमाणु प्रतिक्रिया स्थितियों के लिए उपकरण डीसीएएमएसी आधारित डीएएस की तुलना में उच्च थ्रुपुट के कारण बहुत अधिक डेटा एकत्र करने में सहायता की, जिससे परमाणु प्रतिक्रिया और संरचना के बेहतर पहलुओं को देखने की संभावना को सक्षम बनाया गया। टाइम क्लॉक (इन्स) आधारित डेटा संग्रह, जो जीईएम का हिस्सा है, दो समानांतर डेटा अर्जन प्रणालियों से घटनाओं के सहसंबंध की अनुमति देगा और परमाणु आइसोमर अध्ययन के लिए तेज–धीमी गति से संयोग की अनुमति देगा। 10 किलो गामा–गामा के लिए गामा ट्रिगर दर प्राप्त हुई, प्रणाली द्वारा लगभग 80ः ट्रिगर स्वीकार किए गए।

क्लोवर जीई संसूचकों के चार क्रिस्टल से व्यक्तिगत समय रिकॉर्ड करने के लिए एक नया ''क्लोवर एक्सटेंडर मॉड्यूल'' प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, जो कॉम्पटन निरूद्ध वर्णक्रमों में सिग्नल से शोर के अनुपात में सुधार करने में सक्षम होगा।

शैक्षिक क्रियाकलापः

दिनांक 28 से 29 जून, 2021 को ''आईएनजीए के अभिनव परिणाम और भावी दृष्टिकोण'' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला परमाणु समावयवता के खोज की शताब्दी के संपाती था, परमाणु समावयवों पर एक विशेष व्याख्यान सरे विश्वविद्यालय, यूके के प्रोफेसर फिलिप वॉकर द्वारा दिया गया। दिनांक 20–24 सितंबर 2021 को ''गामा किरण वर्णक्रममापी का उपयोग कर परमाणु संरचना'' पर एक स्कूल का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य संस्थानों के वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया। युवा विद्वानों (पीएचडी और संकायों) ने दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्हें बेहद लाभ हुआ, क्योंकि इसका व्यवहार प्रयोगों, डेटा विश्लेषण,

डेटा लघुकरण और व्याख्या की विभिन्न तकनीकों के साथ था। स्कूल ने विभिन्न श्रेणियों में उत्तेजित परमाणु स्थितियों के जीवनकाल माप, गामा किरणों के कोणीय सहसंबंध और ध्रुवीकरण माप, कूलम्ब उत्तेजना अध्ययन, डिजिटल स्पंद प्रसंस्करण और गामा किरण अनुवर्तन संसूचकों पर विषयों को शामिल किया। स्कूल में लगभग 80 विद्वानों और युवा शोधकर्ताओं ने भाग लिया। व्याख्यान भारत, जर्मनी और पोलैंड के संकायों द्वारा दिए गए।

हाइब्रिड पद्धति में डेटा सहायता समूह के साथ डेटा अर्जन प्रणाली (दिनांक 21–22 फरवरी, 2022) और आरओओटी आधारित डेटा विश्लेषण (दिनांक 1–.3 मार्च, 2022) पर दो स्कूल भी आयोजित किए गए। स्कूल का विवरण डेटा सहायता लैब क्रिया–कलापों पर अनुभाग में दिया गया है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीएससी, एमएससी, बीटेक और एमटेक के विद्वानों ने प्रयोगशालाओं के संसाधनों का उपयोग करते हुए महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2021 में (ऑनलाइन पद्धति में अपनी पाठ्यक्रम आवश्यकता के हिस्से के रूप में प्रशिक्षु परियोजनाओं का संपादन किया। श्री यशराज के मार्गदर्शन में आईएनजीए लैब में किए गए बीएससी ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम–वर्ष 2021 के दौरान सुश्री योगिता कुमारी की ''परिकल्नात्कम विधियों के माध्यम से परमाणु पदार्थ के गुणों का निर्धारण'' नामक शीर्षक वाली एक परियोजना का चयन आईयूएसी में सर्वश्रेष्ठ तीन परियोजनाओं में हुआ। पिछले प्रयोगों के परिणामों के फलस्वरूप प्रकाशनों और 126, 128Xe में 5–अवस्था की 133Ba, समता पहचान में मल्टीफोनन अनुप्रस्थ डगमगाहट के प्रेक्षण के अध्ययन में शामिल किया जा रहा है।

ऊर्जा 4.3–6.3 MeV/A प्रतिचुंबकीय घूर्णन पर कम ऊर्जा प्रक्षेप्य ब्रेक–अप प्रभाव और 103Pd में क्रमिक न्यूट्रॉन संरेखण की भूमिका पर कम ऊर्जा प्रक्षेप्य ब्रेक–अप प्रभाव पर 19F++175Lu अन्योन्यक्रिया में संलयन–विखंडन घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन

127I में ऑक्टुपोल सहसंबंध

103Pd में सामूहिक और 66Zn में गैर–सामूहिक अवस्थाओं में प्रतिचुंबकीय घूर्णी गति के साक्ष्य

18O + 93Nb प्रणाली पर प्रवेश चैनल में न्यूट्रॉन की अधिकता का प्रभावः अपूर्ण–संलयन गतिकी के प्रासंगिक एक प्रयोगात्मक अध्ययन

अल्पकालिक उत्तेजित परमाणु अवस्था के जीवनकाल मापनों के लिए तनु Nb लक्ष्य का संविरचन

72 Se में सह–अस्तित्व और ऑक्टुपोल सहसंबंध

परमाणु जीवनकाल मापनों के लिए 169Tm लक्ष्य का संविरचन और अभिलक्षण प्रोटॉन समृद्ध Se समस्थानिकों में उपर्युक्त–बाधा ऊर्जा आकार सह–अस्तित्व पर कसकर बंधे प्रक्षेप्यों के लिए संलयन निरोध का व्यवस्थित अध्ययन

216Fr स्तर की में समावयवता के माध्यम से परमाणु संरचना का विकास

संक्रमणकालीन नाभिक 215Fr में संरचना

93Nb के साथ 13C के अपूर्ण संलयन के प्रयोगात्मक अध्ययन में प्रवेश चैनल की भूमिका

एचआईआरए और एचवाईआरए - परमाणु भौतिकी समूह - आईयूएएसीः

एचआईआरए और एचवाईआरए, भारत में केवल दो और विश्व में भी गिनती के प्रचालनी प्रतिक्षेप संहति पृथक्कारी/वर्णक्रममापी (आरएमएस) हैं, जिनका उपयोग वर्ष 2021–2022 में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुसंधान विद्वानों के शोध प्रबंध कार्य के हिस्से के रूप में निम्नलिखित प्रयोगों में किया गया। ये 15UD पेलेट्रॉन (और एससी–लिनाक, अंतिम मामले में) त्वरक(कों) से प्राथमिक बीम की दिशा में किए गए प्रयोग हैं। इस प्रकार के शून्य–डिग्री मापन अत्यंत कुशल प्राथमिक बीम अस्वीकृति (कई बिलियन से ट्रिलियन बार) और एचआईआरए तथा एचवाईआरए सुविधाओं द्वारा प्रतिक्रिया उत्पादों की चयनात्मकता के कारण संभव होते हैं।

- 16O +107, 109Ag प्रणाली से 123,125Cs* यौगिक नाभिक की प्राप्ति (श्री ए विनायक, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ का शोध प्रबंध प्रयोग) – उप–बाधा हस्तांतरण और संलयन, अर्ध प्रत्यास्थ रोही–प्रकीर्णन।
- 19F+ 191,193Ir प्रणाली से 210,212Rn* यौगिक नाभिक की प्राप्ति शोध प्रबंध प्रयोग (श्री अमृतराज महतो, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची) – उप–बाधा संलयन और अर्ध प्रत्यास्थ रोही–प्रकीर्णन।

- $^{16}O + ^{116}Cd$ और $^{140,142}Ce$ के परिणामस्वरूप $^{132}Ba^*$ और $^{156,158}Dy^*$ यौगिक नाभिक (श्री रोहन बिस्वास, आईयूएसी/जेएनयू, नई दिल्ली का शोध प्रबंध प्रयोग) – उप–बाधा संलयन और अर्ध प्रत्यास्थ रोही–प्रकीर्णन।

- $32S + 208Pb$ के परिणामस्वरूप $^{240}Cf^*$ यौगिक नाभिक (रंजन सरियाल, पीयू, चंडीगढ़ का शोध प्रबंध प्रयोग) – परमाणु श्यानता का निष्कर्षण करने के लिए उच्च विखंडनीय यौगिक नाभिक हेतु वाष्पीकरण अवशिष्ट अनुप्रस्थ काट और कोणीय संवेग वितरणय $^{32}S + ^{154}Sm$ के परिणामस्वरूप अंशांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले $^{186}Pt^*$ यौगिक नाभिक।

- ^{19}F $^{64,68}Zn$ (शोएब नूर, थापर विश्वविद्यालय, पटियाला का शोध प्रबंध प्रयोग) में शून्य डिग्री (अर्थात् प्राथमिक बीम की दिशा) पर लक्ष्य–जैसे कणों के संसूचन द्वारा निकट बाधा अंतरण अध्ययन।

जैसा कि देखा जा सकता है, प्रत्येक प्रयोग में, प्रतिक्रिया गतिकी के एक से अधिक पहलुओं का समकालिक अध्ययन संसूचन प्रणालियों के उचित चयन द्वारा किया गया, जिससे बीम समय का इष्टतम उपयोग किया गया। चौथा प्रयोग बीम हॉल–II में पेलेट्रॉन + एससी–लिनैक बीम का उपयोग करके और भारी नाभिक में संलयन वाष्पीकरण अवशिष्ट द्वारित कोणीय संवेग वितरणों के कठिन मापनों को पूरा करने के लिए एचवाईआरए गैस से भरे मोड और टीआईएफआर 4p प्रचक्रण वर्णक्रममापी के शक्तिशाली संयोजन का उपयोग करके किया गया।

वीएमई–आधारित डेटा अर्जन प्रणाली (डीएएस) को एचआईआरए सुविधा में कार्यान्वित किया गया है, जिसका परीक्षण प्रारंभ में स्पंदक, अल्फा कणों और अंत में बीम के साथ सुविधा परीक्षण रन में किया गया। उचित प्रतिध्वनिदर्शी के लिए सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर सेटिंग्स का इष्टतमीकरण किया गया और पांचवां प्रयोग वीएमई डीएएस प्रणाली के साथ किया गया। एचवाईआरए के लिए एक समान प्रणाली का परीक्षण स्पंदक के साथ किया गया है और अल्फा कणों तथा बीम के साथ अन्य परीक्षण उपयोगकर्ता प्रयोगों में नियोजित करने से पहले किए जाने हैं।

एचआईआरए/एचवाईआरए समूह की सहायता से वर्ष 2021 में आईयूएसी में दो एयूसी बैठकों में विश्वविद्यालय के उपयोगकर्ताओं द्वारा कुछ और प्रयोगात्मक प्रस्ताव किए गए और सफलतापूर्वक इनका समर्थन किया गया।

सुश्री अंजलि रानी (दिल्ली विश्वविद्यालय की अनुसंधान विद्वान) ने दिनांक 01 से 05 दिसंबर, 2021 के दौरान बीएआरसी, मुंबई में हाइब्रिड मोड में आयोजित परमाणु भौतिकी पर डीएई संगोष्ठी में वर्ष 2021 में एचआईआरए सुविधा का उपयोग करके अपने प्रयोगात्मक कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार प्राप्त किया।

एचआईआरए का उपयोग करके किए गए प्रयोगात्मक कार्य पर आधारित दो हस्तलेख प्रकाशित की गई हैं और एचवाईआरए का उपयोग करके किए गए प्रयोगात्मक कार्य पर आधारित एक अन्य हस्तलेख को फिजिकल रिव्यू सी (अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी) में स्वीकार किया गया है। एचवाईआरए का उपयोग करते हुए प्रयोगात्मक कार्य के आधार पर इसे परमाणु 'भौतिकी ए' (एल्सेवियर) में प्रकाशित किया गया है।

दिनांक 24 और 25 फरवरी, 2022 को ''प्रतिक्षेप पृथक्कारकों के साथ भौतिकी'' पर दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आमंत्रित वक्ताओं में आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी (यूएसए), यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स (यूएसए), एएनयू (ऑस्ट्रेलिया)/आरआईकेईएन (जापान), आईएनएफएन–एलएनएस (इटली), जीएएनआईएल (फ्रांस), एफएलएनआर–जेआईएनआर (रूस), ट्रायम्फ (कनाडा), जीएसआई (जर्मनी) के अलावा भारत के कई लोग शामिल थे। बड़े समय के अंतर के कारण उत्तरी अमेरिका के वक्ताओं की सुविधा के लिए देर शाम के सत्र को शामिल किया गया।

विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2022 को एचआईआरए/एचवाईआरए उपयोग पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम ऑनलाइन रूप में आयोजित किया गया। विद्वानों को व्याख्यान के माध्यम से एचआईआरए और एचवाईआरए सुविधाओं, उनके प्रचालन, प्रयोगात्मक योजना और प्रारंभिक गणना, फोकल प्लेन संसूचकों, पारगमन दक्षता का निष्कर्षण, संलयन के लिए इष्टतमीकरण, अंतरण और अर्ध–प्रत्यास्थ रोही–प्रकीर्णन प्रयोगों, विचलन और संहति विभेदन में सुधार के लिए उनके न्यूनीकरण आदि से परिचित कराया गया।

वर्ष वर्ष 2021–2022 में धन की कमी के कारण, एचआईआरए बजट मद के अंतर्गत केवल 1.28 लाख रुपये खर्च किए गए और एचवाईआरए बजट मद के अंतर्गत कोई व्यय नहीं हुआ।

कोविड–19/ओमीक्रोन/डेल्टा से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को रोकथाम और पूर्वोपायों से संबंधित योजना विशिष्ट परामर्शिकाएं/पत्र जारी किए गए।

कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल के अनुसार पर्याप्त सावधानी अपनाते हुए प्रयोग और कार्यशाला/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

15 यूडी पेलेट्रॉन त्वरित्र

15 यूडी पेलेट्रॉन त्वरित्र पूरे वर्ष नियमित रूप से प्रचालनशील था, जिसमें महामारी की अवधि भी शामिल थी, जिसके दौरान पूरे समूह ने त्वरित्र का चौबीसों घंटे प्रचालन सुनिश्चित किया।

- पिछले वित्तीय वर्ष में, पूरे भारत के 30 विभिन्न विश्वविद्यालयो/महाविद्यालयों/संस्थानों से 55 उपयोगकर्ताओं को बीम समय की 595 शिफ्ट की सुपुर्दगी की गई थीं। 595 शिफ्टों में से 152 शिफ्ट बीमटाइम को अतिचालक सरैखिक त्वरित्र (लिनाक) के माध्यम से पेलेट्रॉन त्वरित्र से उपयोगकर्ताओं को सुपुर्द किया गया ताकि उपयोगकर्ता उच्च ऊर्जा का लाभ उठा सकें। (त्वरित्र के प्रचालन का 1 शिफ्ट 8 घंटे हैं)।
- परमाणु भौतिकी प्रयोग के 22 उपयोगकर्ताओं और पूरे भारत से सामग्री विज्ञान सुविधा के 28 उपयोगकर्ताओं ने पेलेट्रॉन त्वरित्र से बीमटाइम का उपयोग किया। सामग्री विज्ञान उपयोगकर्ताओं में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के उपयोगकर्ता शामिल थे।
- प्रोटॉन बीमलाइन सुविधा को दुबारा शुरू किया गया और इसका परीक्षण 25 डमट प्रोटॉन बीम के साथ किया गया। इस परीक्षण के दौरान सभी अनिवार्य विनियमों का ध्यान रखा गया।
- उच्चतम टर्मिनल संभाव्यता, जिस पर उपयोगकर्ता को बीम की सुपुर्दगी की गई,13–74 डट (मिलियन वोल्ट) थी और सबसे कम टर्मिनल संभाव्यता 6–33 डट थी। इसके अतिरिक्त, त्वरित्र का परीक्षण 7स्प बीम के साथ 4–0 डट तक की क्षमता पर किया गया।
- पेलेट्रॉन समूह के सदस्यों द्वारा किए गए श्रमसाध्य अनुरक्षण और क्षतिग्रस्त/घिसे हुए हिस्सों को उपयुक्त पुर्जों के द्वारा प्रतिस्थापन के कारण पेलेट्रॉन त्वरित्र का उच्च और स्थिर टर्मिनल संभाव्यता प्रचालन संभव हुआ। उपयोगकर्ता समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और त्वरित्र की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए पेलेट्रॉन समूह दो प्रयोगों के बीच त्वरित्र पर कार्य करता रहता है।
- उपयोगकर्ताओं को उनके प्रयोगों के लिए 1H, 7Li, 10B, 11B, 12C, 14N, 16O, 19F, 28Si, 30Si, 32S, 35 Cl, 48Ti, 58Ni, 107Ag, 197AU बीम सुपुर्द किए गए। निरंतर प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए आयन स्रोत को खोला गया और इस वर्ष के दौरान स्रोत सामग्रियों को 7 बार भारित किया गया।
- 'मशीन के अंदर शॉफ्ट के टूटे हुए रबर युग्मक की मरम्मत के लिए पेलेट्रॉन त्वरित्र सुविधा में एक संक्षिप्त अनुरक्षण किया गया। पेलेट्रॉन त्वरित्र के आयन स्रोत में भी एक खराबी थी, जिसमें फोकसन भाग ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। उपयोगकर्ता बीम समय में निम्नतम हानि सुनिश्चित करने के लिए इसे कम से कम संभव समय में ठीक किया गया।
- '15 यूडी पेलेट्रॉन त्वरित्र की स्थिति एसएनईएपी सम्मेलन (ऑनलाइन) में प्रदर्शित की गई। यह सम्मेलन दुनिया भर के त्वरित्र प्रौद्योगिकीविदों का एक मिलन बिंदुओं रहा। आईयूएसी त्वरित्र में 15 यूडी पेलेट्रॉन की स्थिति और प्रचालन सुविधाओं की बहुत सराहना की गई।

1.7 एमवी (5एसडीएच-2) पेलेट्रॉन त्वरित्र आधारित आयन बीम विश्लेषण सुविधा

(i) आयन बीम तकनीक के लिए 1.7 एमवी (5एसडीएच–2) अनुबद्ध त्वरित्रः रदरफोर्ड प्रकीर्णनरोही वर्णक्रममिति (आरबीएस), आरबीएस–चैनलिंग, अनुनाद–आरबीएस, हाइड्रोजन के लिए प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप संसूचन विश्लेषण (ईआरडीए) मापन निरंतर प्रचालनशील है।

(ii) वर्ष 2021–22 में 22 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों के 49 उपयोगकर्ताओं द्वारा कुल 816 मापन किए गए।

(iii) आरएफ चार्ज विनियम आयन स्रोत अनुरक्षण इस अवधि के दौरान दो बार किया गया, पहला अप्रैल–मई 2021 के माह में और दूसरा नवंबर 2021 के माह में।

(iv) स्रोत को खोला गया और चार्ज विनियम कोष्ठिका को साफ किया गया और नए बीम निकास बोर और विद्युतरोधी नाल के साथ पुनः संयोजित किया गया।

(v) अवशिष्ट रूबिडियम का उचित तरीके से निपटान किया गया और नए दो एम्प्यूल (प्रत्येक 5 ग्राम) Rb को भारित किया गया।

(vi) स्थिर He^- बीम निष्कर्षण कुछ घंटों के स्रोत प्रानुकूलन के साथ संभव हुआ।

(vii) इस अवधि में सुविधा प्रचालन सुचारू और स्थिर है।

ऋणात्मक आयन बीम सुविधा (एनआईबीएफ)

आईयूएसी में ऋणात्मक आयन इम्प्लांटर सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य एक प्रयोगात्मक सुविधा प्रदान करना है, जो सामग्री विज्ञान, परमाणु भौतिकी और अन्य संबद्ध विज्ञानों में केंद्रित अनुसंधान के लिए उपयोगकर्ताओं को विभिन्न निम्न ऊर्जा, 30–200 KeV, आयन बीम प्रदान कर सके।

एनआईबीएफ त्वरित्र को सामान्य प्रचालन में वापस लाना– चूंकि त्वरित्र सुविधा के प्रचालन में मुख्य रूप से सामान्य उद्देश्य त्वरण (जीपी) ट्यूबों के सिरेमिक रोधन अंतराल के विद्युत शॉर्टिंग के साथ–साथ कैथोड वोल्टेज में उतार–चढ़ाव के कारण कुछ प्रमुख खराबी से बाधा उत्पन्न हुई थी, इसलिए पहला लक्ष्य एनआईबीएफ त्वरित्र को बेहतर स्थिरता के साथ सामान्य प्रचालन में वापस लाना था।

इंजेक्टर बीम लाइन को इसके सामान्य उद्देश्य त्वरण ट्यूबों, आयन स्रोत, आयन निष्कर्षण प्रणाली और फोकसिंग लेंस को पुनर्निर्मित करने के बाद विघटित और पुनर्संस्थापित किया गया। कॉकक्रॉफ्ट वाल्टन वोल्टेज गुणक को भी अच्छी तरह से स्वच्छ किया गया। संदूषित शीतलक, जिसने अपनी रोधन गुणों को खो दिया था, उसे नए शीतलक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मशीन के अनुकूलन के बाद अपने उच्चतम त्वरण वोल्टेज, 200 KeV के साथ त्वरित्र प्रणाली का सामान्य प्रचालन और स्थिरता प्राप्त की गई। स्वदेशी रूप से विकसित नियंत्रण प्रणाली को पूरे त्वरित्र घटकों को नियंत्रित करने के लिए नियोजित किया गया।

विकास क्रियाकलापः

न्यू बीम विकास– नियमित रूप से, विभिन्न आयन प्रकारों की आयन तीव्रता में सुधार के अतिरिक्त नए आयन बीम विकसित करने के प्रयास किए जा रहे थे। इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान, हमने आयन आरोपण प्रयोगों के लिए एक नया बीम, ^{130}Te प्रदान किया।

पूरे इम्प्लांटर त्वरित्र को बंद करने का स्वचालन– नियंत्रण प्रणाली में एक स्रोत कोड लिखा गया और संस्थापित किया गया। निगमित प्रोग्राम कोड उच्च वोल्टेज को छोड़कर पूरे त्वरित्र प्रणाली को बंद करने में सफल रहा। शीघ्र ही हम कार्यक्रम में उच्च वोल्टेज भाग को भी समाविष्ट करेंगे।

प्रयोगों के लिए बीम सुपुर्दगी– कोविड–19 महामारी के साथ–साथ प्रमुख खराबी से एनआईएफ त्वरित्र सुविधा के प्रचालन और बीम सुपुर्दगी प्रभावित हुई। खराबी अनुरक्षण के बाद अक्तूबर, 2021 से आयन बीम सुपुर्दगी शुरू हुई और तब से इम्प्लांटर त्वरित्र का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। सुविधा के प्रचालन सांख्यिकी इस प्रकार हैंः उपयोगकर्ताओं की कुल संख्याः 18ए आरोपण के लिए लिया गया कुल समय = 448 घंटे, आरोपित नमूनों की कुल संख्या = 581ए सुपुर्द किए गए आयन बीमः ऊर्जा रेंज 30 से 200 झमट के साथ ^{7}Li, ^{12}C, ^{16}O, ^{28}Si, ^{31}P, ^{40}MgO, ^{56}Fe, ^{58}Ni, ^{59}Co, ^{74}Ge, ^{107}Ag, ^{130}Te तथा ^{197}Au, आयन आयन फ्लुएंसः 1x1013 से $5x10^{16}$ आयन/से'टी2 और आयन आरोपणों की गहराई को कम करने के लिए कुछ प्रयोग नत कोण पर किए गए।

राष्ट्रीय भू-कालक्रम सुविधाः

राष्ट्रीय भू–कालक्रम सुविधा (एनजीएफ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार से वित्तीय सहायता के साथ आईयूएसी में स्थापित की जा रही है। यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर पृथ्वी विज्ञान शोधकर्ताओं की लगभग सभी कालानुक्रमिक आवश्यकताओं के लिए नमूना तैयारी और माप सुविधाएं प्रदान कर रही है और वैज्ञानिक योग्यता तथा अभिनव विचारों के साथ सभी पृथ्वी वैज्ञानिकों को समान अवसर प्रदान करती है। एनजीएफ के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न साधनों के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए गए।

- **500 केवी एक्ससीएएमएस त्वरित्र संहति वर्णक्रममिति (एएमएस) सुविधाः**

एक समर्पित 500केवी आयन त्वरित्र (पेलेट्रॉन) पर आधारित ^{14}C, ^{10}Be तथा ^{26}Al के मापन के लिए एक त्वरित्र संहति वर्णक्रममिति सुविधा मार्च 2015 से प्रचालनशील है। कार्बन नमूना प्रसंस्करण और ग्राफिटाइजेशन एक समर्पित व्यापक ग्राफिटाइजेशन प्रयोगशाला में किया जाता है, जबकि 10ठम तथा 26।स नमूने एक स्वच्छ रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में संसाधित किए जाते हैं। कोरोना महामारी के कारण, वर्ष के आधे नमूने उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए हैं और हमने उनकी नमूना तैयारी और मापनों का संपादन किया। बाद में, जब महामारी की स्थिति में सुधार हुआ, तो हमने उपयोगकर्ताओं को स्वयं अपना विश्लेषण करने के लिए आमंत्रित किया। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त भौतिक लक्ष्यों का वर्णन नीचे किया गया है।

(i) ग्राफिटाइजेशन प्रयोगशालाः विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 56 उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने अनुसंधान कार्य के लिए 1062 नमूनों का पूर्व–उपचार और ग्राफीकरण किया गया।

(ii) स्वच्छ रसायन विज्ञान प्रयोगशालाः 8 संस्थानों के 10 उपयोगकर्ताओं से संबंधित 320 नमूने (^{10}Be–190 तथा ^{26}Al–130 नमूने) एएमएस मापनों के लिए संसाधित किए गए। क्वार्ट्ज शुद्धिकरण की एक नई तकनीक स्थापित की गई।

(iii) एक्ससीएएमएस–एएमएस प्रणालीः देश के विभिन्न संस्थानोंधविश्वविद्यालयों के 51 उपयोगकर्ताओं द्वारा ^{14}C, ^{10}Be और ^{26}Al के 1136 नमूनों का मापन किया गया। ^{14}C मापनों के लिए एएमएस प्रणाली को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए ईएसए के बाद एक एसएसबीडी संसूचक भी संस्थापित किया गया।

- **उच्च विभेदन माध्यमिक आयन संहति वर्णक्रममापी (एचआर-एसआईएमएस):**

(i) यह भारत का पहला वृहत् ज्यामिति द्वितीयक आयन संहति वर्णक्रममापी है और इसका उपयोग महाद्वीपों के विकास, क्रस्ट निर्माण के कालक्रम और पर्यावरणीय अनुप्रयोगों को समझने के लिए किया जाएगा।

(ii) इस प्रणाली की संस्थापना दिसम्बर, 2021 में पूरी हुई। स्वीकृति परीक्षण आयोजित किए गए और प्रणाली को चालू किया गया और यह गुणवत्ता कालानुक्रमिक डेटा का निर्मित कर रहा है।

(iii) एचआर–एसआईएमएस और एलए–एचआर–आईसीपीएमएस के विभिन्न नमूनों के जिरकॉन तिथियों की अंतर–तुलना की गई और दोनों प्रणालियों के परिणामों के बीच उत्कृष्ट समानताएं पाई गईं।

- **क्वाड्रोपोल -प्रेरक युग्मित प्लाज्मा संहति वर्णक्रममापी (क्यू-आईसीपीएमएस)**

(i) क्यू–आईसीपीएमएस यंत्र पीपीबी स्तर पर अवयवी विश्लेषण के लिए एक अत्यंत ही कुशल और सुविधाजनक उपकरण है।

(ii) वित्त वर्ष 2021–22 में विभिन्न संस्थानों के 20 उपयोगकर्ताओं के लिए 2600 नमूनों की माप की गई।

(iii) क्यू–आईसीपीएमएस का उपयोग करके छह (6) अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों को प्रकाशित किया गया।

- **फेम्टो-द्वितीयक लेजर उच्च विभेदन आईसीपीएमएस (एफएस-एलए-एचआर-आईसीपीएमएस)**

(i) आईयूएसी में एलए–एचआर–आईसीपी–एमएस ने भारतीय क्रेटन के क्रस्ट संबंधी विकास और हिमालयी पर्वतन के विभिन्न चरणों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ii) लेजर मोड में 6 अलग–अलग उपयोगकर्ताओं हेतु जिरकॉन के U-Pb कालनिर्धारण के लिए ~600 ग्रेन का अपक्षारण किया गया।

(iii) समाधान मोड में और स्न समस्थानिकों के लिए ~400 नमूनों (अज्ञात्मानक) का मापन किया गया।

- **एक्स-रे विवर्तनमापी (एक्सआरडी)**

(i) एक्सआरडी का उपयोग किसी भी नमूने में मौजूद खनिजों की पहचान के लिए किया जाता है।

(ii) 12 विभिन्न विश्वविद्यालयों और 5 संस्थानों के 34 उपयोगकर्ताओं के 672 नमूनों का मापन एक्सआरडी का उपयोग करके किया गया।

- **तरंगदैर्ध्य क्षेपणी एक्स-रे प्रतिदीप्ति वर्णक्रममापी (डब्ल्यूडी-एक्सआरएफ)**

(i) यह भूवैज्ञानिक नमूनों और अन्य प्रकार के नमूनों के लिए प्रमुख अवयवी विश्लेषण हेतु एक उत्कृष्ट उपकरण है।

(ii) विभिन्न चट्टान प्रकारों के मानकों का उपयोग करके प्रणाली अंशांकन किया गया।

(iii) पिछले वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 115 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

- क्षेत्र उत्सर्जन-स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी (एफई-एसईएम)

  (i) यह विभिन्न भूवैज्ञानिक नमूनों और परमाणु लक्ष्यों की सतह स्थलाकृति का अध्ययन करने के लिए बहुमुखी प्रतिबिंबन उपकरण है।

  (iii) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पूरे भारत में 17 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 30 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इस सुविधा का उपयोग किया।

अतिचालक लिनैक, क्रायोजेनिकी और एसआरएफ कार्यक्रम

इस वर्ष, अतिचालक रैखिक त्वरित्र (लिनैक) के निर्धारित प्रचालन की योजना अप्रैल 2021 से बनाई गई। वर्ष जनवरी–फरवरी 21 के दौरान, लिनैक को इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया। लिनैक का कूलडाउन मार्च के मध्य में शुरू हुआ और मार्च–अप्रैल में प्रारंभिक अवधि के दौरान, अनुनादी का ऑफलाइन प्रानुकूलन और मापन किया गया। सभी अनुनादी को 3.15 MV/m की औसत त्वरण प्रवणता पर कलाबद्ध किया जा सकता है और लिनैक उपयोगकर्ता प्रयोगों के लिए बीम त्वरण तथा सुपुर्दगी के लिए तैयार था। हालांकि, महामारी की दूसरी लहर में देश भर में कोविड–19 मामलों में तेजी के कारण, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में लिनैक रन को रोकना पड़ा। लेकिन सुविधा विकास से जुड़े कुछ प्रयोग मौजूदा स्म्म स्तर के संवेदक का अभिलक्षणन तापमान संवेदक के रूप में करने हेतु संपादित किया गया। ये संवेदक पहले से ही देवर्स और लिनैक निम्नतापस्थापी के अंदर संस्थापित हैं। प्रयोगों से, यह स्थापित किया जा सकता है कि स्तर संवेदक का उपयोग तापमान संवेदक के रूप में भी किया जा सकता है और प्रतिक्रिया वक्र कक्ष तापमान इलेक्ट्रॉनिक्स से 70mA सक्रियण प्रवाह का उपयोग करके रैखिक है। प्रयोगों के परिणाम सैद्धांतिक विश्लेषण सहित प्रकाशित किए गए हैं [1]। अगस्त में, महामारी के कम होने के संकेत मिलने के बाद, लिनैक रन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। द्रव हीलियम संयंत्र को सितंबर के मध्य में फिर से शुरू किया गया और दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक लगभग तीन महीने (150 शिफ्ट) के लिए प्रचालित किया गया। निर्धारित बीम सुपुर्दगी शुरू करने से पहले, एक पृथक एलएचई देवर का उपयोग करके एमआरआई (चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन) परियोजना से संबंधित उप–घटकों को चिह्नित करने के लिए कुछ ऑफलाइन प्रयोग किए गए। अनुनादियों पर एक माह के ऑफलाइन प्रानुकूलन और मापन के बाद, तीन अलग–अलग बीम प्रकारों, अर्थात् 19F] 28Si और 32S को लिनैक के माध्यम से त्वरित किया गया और निर्धारित उपयोगकर्ता प्रयोगों के लिए सुपुर्द किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में पंजीकृत और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पंजीकृत आईयूएसी के एक पीएचडी छात्र ने कुल छह प्रयोग लिनैक बीम के साथ पूरा किया।

लिनैक रन खत्म होने के बाद, तीसरा लिनैक मॉड्यूल खोला गया और तीन अनुनादियों, जिनके प्रदर्शन में अतिरिक्त प्रसंस्करण करके सुधार किया जा सकता था, उन्हें नीचे उतारा गया और क्रायोमोड्यूल को फिर से बंद कर दिया गया। इनमें से पहले अनुनादी को उच्च दबाव वाले प्रक्षालन का एक दौर दिया गया है और 4के शीत परीक्षण के लिए ऑफलाइन परीक्षण निम्नतापस्थापी सुविधा में भारित किया गया। इस परीक्षण के परिणाम के आधार पर, दूसरे अनुनादी के प्रदर्शन में सुधार के लिए इसके ताप उपचार के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। लिनैक रन के बाद तरल हीलियम संयंत्र का भी निर्धारित अनुरक्षण कार्य किया गया। यह पूरा कार्य आंतरिक कर्मियों द्वारा किया गया। अनुनादी के परीक्षण और एमआरआई परियोजना से संबंधित कुछ परीक्षणों सहित तरल हीलियम संयंत्र के इस रन के दौरान पहले लिनैक मॉड्यूल का शीतन करने की भी योजना है।

उच्च ऊर्जा लब्धि के साथ एससी लिनैक के प्रचालन में हमारे समग्र प्रयासों में लचीलापन प्रदान करने के लिए कुछ अतिरिक्त क्यूडब्ल्यूआर का निर्माण किया जा रहा है। अतिरिक्त अनुनादी ऑफलाइन विकासात्मक गतिविधियों का संपादन करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, समूह आवश्यकता पड़ने पर क्यूडब्ल्यूआर के पुनः कार्य करने में शामिल है। इस श्रृंखला में, एक अनुनादी जिसपर पुनर्कार्य किया गया तथा 4के पर परीक्षण किया गया जिसने पूर्व में 6WRF इनपुट पावर से कम पर 4 डटध्उ त्वरण प्रवणता के नाममात्र डिजाइन लक्ष्य को प्राप्त किया था, का आईयूएसी में उपलब्ध उच्च निर्वात भट्टी में 650 डिग्री सेल्सियस पर ताप उपचार किया गया। मार्च 2021 में, लिनैक रन के लिए क्रायोमॉड्यूल का शीतन करने से ठीक पहले क्यूडब्ल्यूआर का ऑफलाइन परीक्षण निम्नतापस्थापी सुविधा में 4के पर फिर से किया गया था। इस बार अनुनादी गुणवत्ता कारक में निम्न प्रवणता पर ~ 50 प्रतिशत का सुधार हुआ, तथापि, उच्च प्रवणता पर इसमें न तो सुधार हुआ और न ही गिरावट देखी गई। इस क्यूडब्ल्यूआर पर नाइट्रोजन–डोपिंग करने की योजना है, जिससे इसके प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा है। इस क्षेत्र में टीईएम वर्ग अनुनादी पर बहुत अध्ययन नहीं किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास

(i) 48 चैनल तापमान और निर्वात मापनों (टीआरवी) और डीए प्रणाली के लिए मौजूदा अप्रचलित वीएमई प्रणाली के लिए एक निम्न लागत वितरित प्रतिस्थापन डिजाइन किया गया है। यह वाणिज्यिक तापमान मॉनिटर को प्रतिस्थापित कर सकता है और DT–470, 670, Pt–100, कार्बन सिरेमिक संवेदक, टीआरवी मापनों के लिए निर्देश कस्टम संवेदक को सपोर्ट करता है। यह आरएस 232, यूएसबी, ईथरनेट आदि को सपोर्ट करता है। इसमें फर्मवेयर विकास शामिल है। इस प्रकार के छह उपकरणों का संविरचन और परीक्षण किया गया है। सितंबर–दिसंबर 2021 के दौरान हाल ही में लिनैक रन में इनमें से दो इकाइयों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

(ii) विविध विकासः (i) एफपीजीए आधारित नियंत्रण कक्ष यंत्रीकरण और केबलिंग (ii) तीव्र डेटा अर्जन (डीए) सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 (iii) 0.5 मिली सेकंड प्रतिचयन के 24 तीव्र अंकरूपक (iv) शामक निगरानी और लॉगिंग।

(iii) स्वचालित विकिरण अभिगम घोषणा के लिए व्यक्ति संसूचन एल्गोरिथ्म का परीक्षण और निर्माण किया गया। अवधारणा के प्रमाण के रूप में, हमने टेंसरफ्लो लाइट लाइब्रेरी के साथ निम्न–शक्ति सूक्ष्मनियंत्रक और एक अर्डुकैम मिनी 2एमपी का उपयोग किया, ताकि किसी व्यक्ति का संसूचन होने पर विकिरण सीमाओं के डिजिटल ऑडियो उद्घोषक को स्वचालित रूप से चालू/बंद किया जा सके।

संदर्भ

[1] तापमान संवेदक के रूप में अतिचालक द्रव हीलियम संवेदक का उपयोग और इसके अनुप्रयोग, अनूप कुमार चौधरी, निम्नतापिकी, 121 (2022) 103413।

[2] आईयूएसी में अतिचालक लिनैक में यांत्रिक समस्वरक प्रणाली के साथ प्रचालन अनुभव, ए पांडे ईटी एएल., को आरएफ अतिचालकता पर 20 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – एसआरएफ 2021 (वर्चुअल कॉन्फ्रेंस), मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, ईस्ट लैंसिंग, यूएसए, दिनांक 28 जून 2021 से 2 जुलाई 2021 की कार्यवाही में प्रकाशित किया जाएगा।

सामग्री विज्ञान कार्यक्रम

सामग्री विज्ञान सुविधाएं पूरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करती हैं। यद्यपि दूसरी कोविड लहर के दौरान व्यवधान थे, लेकिन विभिन्न प्रतिबंधों के कारण उपयोगकर्ताओं द्वारा वास्तविक रूप से दौरा करना सम्भव नहीं था, तो उनके नमूने प्राप्त करके उपयोगकर्ता रन को पूरा करने हेतु अतिरिक्त प्रयास किए गए। 108 शिफ्टों में कुल 28 उपयोगकर्ता थे और इन्हें इस वर्ष (अप्रैल 2021– मार्च 2022) किया गया। इस अवधि के दौरान सुविधाओं में कोई बड़ी खराबी नहीं आई, जिसके परिणामस्वरूप बीमहॉल–I में सामग्री विज्ञान बीमलाइन में बीम समय की हानि हुई। विद्वानों के पीएचडी कार्यक्रमों से जुड़े बीटीए प्रयोगों को प्राथमिकता दी गई और पीएचडी के पांचवें वर्ष में विद्वानों पर विशेष जोर दिया गया और 61 शिफ्टों में 17 विद्वानों के रन पूरे किए गए। नियमित उपयोगकर्ता प्रयोगों के अलावा यूआरएससी बेंगलुरु और एससीएल, मोहाली से निम्न फ्लुएंस किरणन को शामिल करते हुए जीपीएससी में दो विशेष रन किए गए। सुविधा परीक्षण के लिए बीएच II में एक रन सहित 7 शिफ्टों के 2 रन भी हुए। अध्ययनों के परिणामस्वरूप जे, ऐप. फिज., जे. लुमिन, जे. फिजः डी, प्लोस वन, जे. ऑल. कॉम., वैकुअम आदि जैसे उच्च प्रभाव वाली प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में पचास से अधिक प्रकाशन हुए हैं।

आयन बीम प्रयोगों के अलावा, ऑफ–लाइन अभिलक्षणन ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना जारी रखा। एसईएम, ईडीएक्स, टीईएम (नमूना तैयार करने सहित), एएफएम, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, संपर्क कोण मापन, परिवहन मापन, पीएल, एफटीआईआर, यूवी–विस आदि सुविधाओं का उपयोग वाष्पीकरण और कणक्षेपण स्थापना द्वारा लगभग 140 नमूनों के संश्लेषण के अलावा 1500 से अधिक नमूनों का विश्लेषण करने के लिए किया गया। लक्षित प्रयोगशाला ने उपयोगकर्ताओं के लिए 275 लक्ष्यों की तैयारी में सहायता के साथ परमाणु भौतिकी प्रयोगों को प्रमुख सहायता प्रदान की है। 600 कार्बन फॉइल के साथ त्वरित्र के लिए सपोर्ट भी प्रदान किया गया।

अनुप्रयोग आधारी महत्वपूर्ण रन

इसरो और संबंधित समूहों (यूआरएससी बेंगलुरु और एससीएल मोहाली) से जुड़े अनुप्रयोग आधारी रन भी इस वर्ष (जनवरी 2022) हुए।

आईयूएसी विद्वानों को पुरस्कार

सुश्री अनुस्मिता चक्रवर्ती और श्री आबिद हुसैन ने परमाणु प्रणालियों में विकिरण क्षति के परमाणु मॉडलिंग पर संयुक्त आईसीटीपी–आईएईए वर्चुअल कार्यशाला में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार जीते (अक्तूबर 2021)।

अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों/स्कूलों का आयोजन

भारत के सभी हिस्सों के शोधकर्ताओं के लाभ हेतु (ऑनलाइन पद्धति में शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए प्रमुख प्रयास किए गए।

(i) आयन बीम्स (आईसीएनआईबी 2021) द्वारा नैनोस्ट्रक्चरिंग पर छठा अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन दिनांक 5–8 अक्तूबर 2021 को आईओपी (भुवनेश्वर), आईआईटी भुवनेश्वर, एनआईएसईआर भुवनेश्वर और आईबीएसआई के साथ (ऑनलाइन पद्धति में आयोजित किया गया। इनमें 23 आमंत्रित वार्ताएं (10 विदेश से सहित), 23 मौखिक प्रस्तुतियां और 50 फ्लैश प्रस्तुतियां थीं।

(ii) संवेदक विकास में आयन बीम पर ऑनलाइन स्कूल–सह–कार्यशाला दिनांक 7–8 सितंबर 2021 को (ऑनलाइन पद्धति में आयोजित की गई। इसमें 250 प्रतिभागी शामिल हुए और 16 संसाधन व्यक्तियों (विदेश से 2 सहित) ने व्याख्यान दिया।

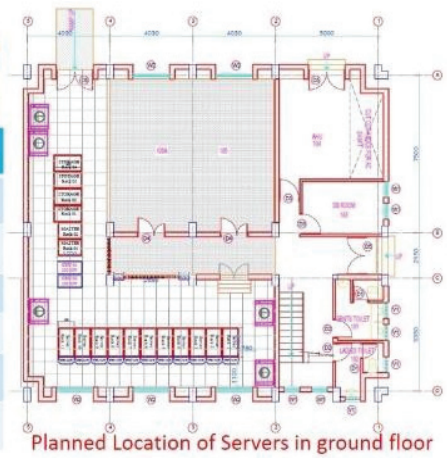
(iii) दिनांक 9–12 नवंबर, 2021 को आईयूएसी द्वारा सूक्ष्मदर्शी अभिलक्षणन तकनीकों (टीईएम/एसईएम/एएफएम) पर वर्चुअल स्कूल भी आयोजित किया गया। स्कूल में 205 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 4 विदेशियों सहित 17 संसाधन व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए गए।

आईयूएसएसी में 3पीएफ कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) ने सीडीएसी की तकनीकी टीम के सहयोग से आईयूएसी में 3 पीएफ सुपरकंप्यूटिंग प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दी है। इस कंप्यूटिंग सुविधा का उपयोग विभिन्न विश्वविद्यालय उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाएगा और यह अंतर विश्वविद्यालय कंप्यूटिंग केंद्र के रूप में कार्य करेगा। आगामी कंप्यूटिंग सुविधा के डिजाइन विनिर्देश को चित्र 1 में दर्शाया गया है। सी.डी.ए.सी. के परामर्श से उपयुक्त डेटा केंद्र भंडारण सुविधा सहित तैयार किया जा रहा है। आईयूएसी के मौजूदा भवन में अवसंरचना की सहायता करने के लिए 2000 वर्ग फुट की अन्य जगह सहित लगभग 1800 वर्ग फुट स्थान को चिह्नित किया गया है, ताकि सर्वर कक्ष की स्थापना की जा सके। आवश्यक सहायक प्रणाली के साथ डेटा केंद्र भूतल पर स्थित होगा, ताकि सर्वरों के भार को सहा जा सके, जो 2 टन प्रति वर्ग मीटर तक अनुमानित है। कंप्यूटिंग सुविधा को एनएसएम के चरण 3 योजना में मेक इन इंडिया सुपरकंप्यूटिंग सुविधा के अंतर्गत सीडीएसी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। आईयूएसी में सुविधा की स्थापना करने के लिए सीडीएसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कम्प्यूटिंग सुविधा वर्चुअल अंतर विश्वविद्यालय कंप्यूटिंग केंद्र के रूप में कार्य करेगी और विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी शोधकर्ताओं को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अभिगम प्रदान करेगी। आईयूएसी ने विश्वविद्यालय समुदाय के भीतर अंतःविषय शाखाओं से संभावित उपयोगकर्ता आधार बनाने के लिए विभिन्न कंप्यूटिंग उपयोगकर्ता समुदाय के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है।

Sr.No.	Description	Unit	Details
1	Compute Power	Peta Flop	3
2	Storage	Peta Byte	4

Sr.No.	Description	Unit	Number of Racks	Power Per Rack Kw	Total Power – KW
1	Compute Racks	Nos.	11	40	440
2	Storage Racks	Nos.	4	12	48
3	Master and Service Node rack	Nos.	2	10	20
4	**Total IT Power Required**	**KW**		**508**	
5	**Spare Rack**	**Nos.**		**2**	
6	**Total Number of Racks**	**Nos.**		**19**	



चित्र. भौतिक अभिविन्यास सहित आईयूएसएसी कंप्यूटिंग सुविधा विनिर्देश

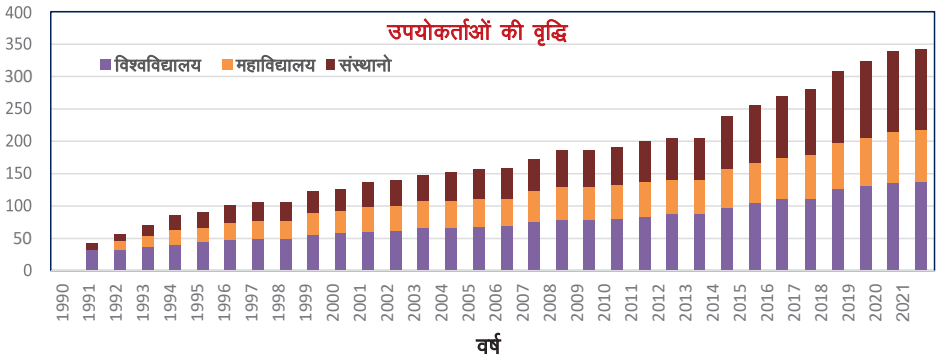
शैक्षिक क्रियाकलापः -

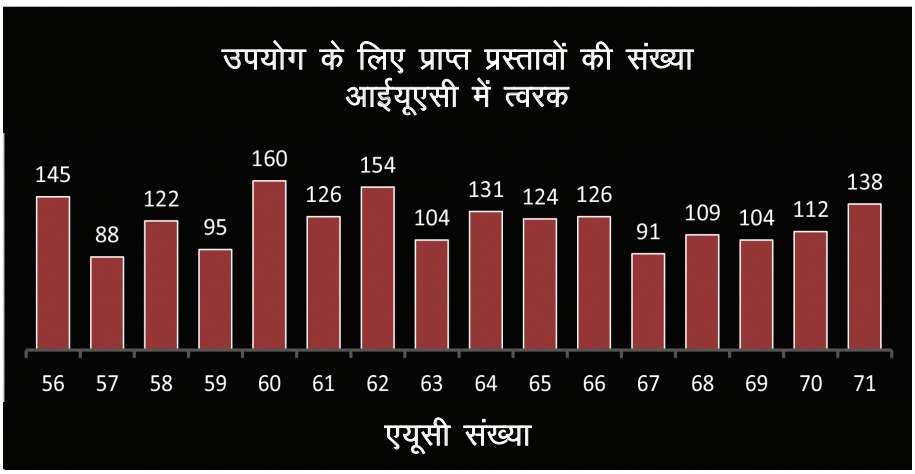
इस अवधि के दौरान आईयूएसी ने उपयोगकर्ताओं को कोविड–19 प्रतिबंध/एसओपी के साथ प्रयोगों के लिए आमंत्रित किया। यह सुनिश्चित किया गया कि कोविड–19 के एसओपी/दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए बीम समय प्रयोग प्रभावित न हों। इस अवधि के दौरान पेलेट्रॉन उपयोगकर्ता प्रयोगों के लिए प्रचालनशील था।

जनवरी से दिसंबर, 2021 तक बीम समय उपयोग का सारांश

जनवरी–जून 2021										
शिफ्टों का सुविधा–वार ब्रेक–अप							क्षेत्र–वार ब्रेक–अप			
पेलट्रॉन (शिफ्ट)						एलईएनआईआईएफ (शिफ्ट)	पेलट्रॉन (शिफ्ट)			एलईएनआईआईएफ (शिफ्ट)
एमए	जीपीएसी	एचआईअ	जीडीए	एनएएनडी	आरबी	निम्न ऊर्जा ऋणात्मक आयन इंप्लांटर सुविधा	एमएस	एनपी	अन्य	निम्न ऊर्जा ऋणात्मक आयन इंप्लांटर सुविधा
38	9	87	15	36	6	3	38	147	6	3

जलाई–दिसंबर 2021												
शिप्टों का सुविधा–वार ब्रेक–अप								क्षेत्र–वार ब्रेक–अप				
पेलेट्रॉन (शिफ्ट)						एलईआईबीएफ (शिफ्ट)	एलईएनआईआईएफ (शिफ्ट)	पेलेट्रॉन (शिफ्ट)			एलईआईबीएफ (शिफ्ट)	एलईएनआईआईएफ (शिफ्ट)
एमए	जीपीएससी	एचआईआरए	जीडीए	एनएएनडी	आईएनजीए (नमूने)	धनात्मक आयन	ऋणात्मक आयन	एमएस	एनपी	एएमएस (नमूना)	धनात्मक आयन	ऋणात्मक आयन
22	16	15	43	99	30	224	12	22	203	224	1	12





एयूसी–70 (जुलाई 2021) के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

निम्न ऊर्जा आयन बीम सुविधाएं (एलईआईबीएफ)/बीटीआर–5=13

एयूसी–70 (जुलाई 2021) के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या				
श्रेणी	नए प्रस्ताव	थीसिस प्रस्ताव	यूएफआर प्रस्ताव	जारी प्रस्तावध् बीम समय विस्तार
	(बीटीआर–1)	(बीटीआर–2)	(बीटीआर–3)	(बीटीआर–4)
सामग्री विज्ञान	5	10	19	1
नाभिकीय भौतिकी	7	12	3	0
परमाणु भौतिकी	1	3	1	0
विकिरण जीवविज्ञान	0	0	1	0
एएमएस	13	20	3	0
कुल=99	26	45	27	1

निम्न ऊर्जा आयन बीम सुविधाएं (एलईआईबीएफ)/बीटीआर–5=18

एयूसी–71(दिसंबर 2021) के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या				
श्रेणी	नए प्रस्ताव	थीसिस प्रस्ताव	यूएफआर प्रस्ताव	जारी प्रस्ताव/बीम समय विस्तार
	(बीटीआर–1)	(बीटीआर–2)	(बीटीआर–3)	(बीटीआर–4)
सामग्री विज्ञान	13	10	29	0
नाभिकीय भौतिकी	3	8	11	0
परमाणु भौतिकी	1	1	0	0
विकिरण जीवविज्ञान	0	0	0	0
एएमएस	18	22	2	2
कुल=99	35	41	42	2

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनुदान और किया गया खर्च

(लाख रुपये में)

जारी किया गया अनुदान	किया गया खर्च
5328.77	6279.00

5.9 (ख)(ii) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स, पुणे

IUCAA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए) की स्थापना वर्ष 1988 में उत्कृष्टता के स्वायत्त केन्द्र के रूप में की थी हुई थी।

आईयूसीएए की स्थापना के उद्देश्यः

- भगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (ए.एंड.ए) के क्षेत्र में अपनी तरह के गहन शोध करना और भारतीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित करना।
- भारतीय विश्वविद्यालयों में सक्रिय समूहों के संकेन्द्रण को बढ़ावा देना और विकास करना।
- भारत और पड़ोसी देशों में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (ए.एंड.ए) कार्यों में क्षेत्र स्टेशन और संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना और सामान्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना ।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आईयूसीएस ने अनके कार्यक्रम तैयार किए हैं और कुछ

उद्देयों का उल्लेख किया है :

(क) ए.एंड.ए. में मूलभूत शोध।

(ख) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ए.एंड.ए. का शिक्षण।

(ग) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रों के लिए 'वेकेशन स्टूडेंटस् प्रोग्राम' और ग्रीष्मकालीन विद्यालय।

(घ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(ङ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के लिए एसोशिएटशिप कार्यक्रम।

(च) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए विजिटर कार्यक्रम।

(छ) विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आईयूसीएए सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आईसीएआरडी)।

(ज) आईयूसीएए में और इसके बाहर विद्यालयों, कार्यशलाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना

(झ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संकायों तथा छात्रों के लिए आईयूसीएए गिरवाली प्रयोगशाला का प्रचालन करना।

(ञ) भागीदारी के माध्यम से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और छात्रों के लिए दक्षिण अफ्रीका लार्ज टेलीस्कोप (एसएएलटी) तक पहुंच।

(ट) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, विद्यालय छात्रों और आम जनता के लिए व्यापक जन पहुंच कार्यक्रम।

(ठ) ए.एंड.ए. में राष्ट्रीय वृहद परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाना :

(प) विज्ञान और 'लेजर इंटरफरोमेट्रिक ग्रेवीटेशनल–वेव आबजर्वेटरी' (एलआईजीओ) में कम्प्यूटिंग – भारत।

(ii) तीस मीटर टेलीस्कोप।

(iii) स्क्वेयर किलोमीटर अरे– भारत।

(ड) इसरों के वैज्ञानिक कार्यकलापों में अग्रणी भूमिका और विश्वविद्यालय प्रयोक्ता इंटरफेस :

(i) एस्ट्रोसैट–2015 में प्रक्षेपित बहुद्देशीय खगोलीय उपग्रह।

(ii) आदित्य–एल1–सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में वेधशाला में प्रक्षेपित किया जाने वाला।

(ढ़) प्रचालन डाटा केन्द्र।

(ण) ए.एंड.ए. में शिक्षण ज्ञानअर्जन केन्द्र {शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक एवं शिक्षण योजना पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन(पीएमएमएमएनएमटीटीएस) के तहत}

(त) ए.एंड.ए. में शिक्षण ज्ञानअर्जन केन्द्र (शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएमएमएमएनएमटीटीएस के तहत)

(थ) प्रीसिशन एंड क्वेंटम मेज़रमेंट लेबोरेटरी।

(द) पुणे नालेज क्लस्टर।

आईयूसीएए शिक्षक तथा अभ्यागत एसोशिएट तथा उनके द्वारा किए गए प्रकाशनः

वर्ष	आईयूसीएए शिक्षकों की संख्या	आईयूसीएए शिक्षकों द्वारा किए गए प्रकाशन	अभ्यागत एसोशिएटों की संख्या	अभ्यागत एसोशिएटों द्वारा किए गए प्रकाशनों की संख्या
2021	115	226	197	338

लक्ष्य समूह और लाभार्थियों की संख्या (2020–2021)

नीचे दी गई तालिका में, लाभार्थियों की संख्या में आईयूसीएए में आगन्तुकों के साथ साथ आईयूसीएए में तथा अन्यत्र आयोजित सम्मेलन/ कार्यशालाओं/ 'स्कूल' के लाभार्थियों की संख्या भी शामिल है।

लक्षित समूह	लाभार्थियों की संख्या
शोधकर्ता	189
विश्वविद्यालय	24
विश्वविद्यालय के छात्र	78
महाविद्यालय	10
महाविद्यालय के छात्र	2500
विद्यालय	100
विद्यालय के छात्र	7000
विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय शिक्षक	2300
जनसाधारण	49000 (ऑफलाइन और ऑनलाइन)

इनमें, लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं हैं

- आईयूसीएए के तहत आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अन्य बैठकों की संख्याः
- आईयूसीएए में कार्यशालाएंः 4(ऑनलाइन) ; आईयूसीएए के बाहर आयोजित कार्यशालाएंः 4

कोविड–19 महामारी तथा उसके बाद लगने वाले लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, किसी आगंतुक और विजिटिंग एसोशियेट को मार्च, 2020 से आज तक आईयूसीएए का दौरा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनुदान और किया गया खर्च

(लाख रुपये में)

जारी किया गया अनुदान	किया गया खर्च
4818.85	5249.44

5.9 (ख) (iii) वैज्ञानिक अनुसंधान, इंदौर के लिए विअआ-डीएई संघ (विअआ-डीएई-सीएसआर)

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विअआ–परमाणु ऊर्जा विभाग संकाय को परमाणु ऊर्जा विभाग के 'महत्वपूर्ण विज्ञान' की सुविधाओं को विश्वविद्यालय प्रणाली में शोधकर्ताओं हेतु उपलब्ध कराने का अधिदेष है। तदनुसार, संकाय के इंदौर, कोलकाता और मुंबई में तीन केंद्र हैं, और इंदौर में प्रधान कार्यालय के साथ कलपक्कम में एक नोड है। समय के साथ–साथ, कन्सोर्टियम ने अपना दायरा बढ़ा दिया है तथा आईजीसीएआर, कलापक्कम तथा आईअपेपी, भुवनेश्वर स्थित डीएई की 'लो एनर्जी ऑयन एक्सलरेटर' की विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं की पहुंच का विस्तार किया है। एक 'लो एनर्जी हैवी ऑयन आधारित एक्सलरेटर' को वीईसीसी, कोलकाता में भी उपलब्ध कराया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं के अलावा, संकाय ने अत्यधिक परिष्कृत और उन्नत अनुसंधान सुविधाओं की भी स्थापना की है और विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को कम तापमान और उच्च चुंबकीय क्षेत्र सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। शोधकर्त्ताओं को सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं।

1.1 प्रमुख कार्यक्रम/नई पहलें/विशेष उपलब्धियांः

डीएई मेगा सुविधाओं का अभिगम अधिकांशतः परियोजना कर्मचारियों की सहायता से दीर्घकालिक (3 वर्ष) सहभागी अनुसंधान योजनाओं (सीआरएस) के माध्यम से हुआ है। कंसोर्टियम प्रयोगशालाओं के भीतर स्थापित केंद्र की सुविधाओं का अभिगम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं हेतु एक–शॉट प्रयोग सहित दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपयोग दोनों के लिए उपलब्ध है।

कोविड–19 महामारी के बावजूद, उपयोगकर्ता कार्यक्रम का प्रबंधन (ऑनलाइन पद्धति में नए विकसित उपयोगकर्ता पोर्टलः www.csruserportal.com (केंद्र के कर्मचारियों द्वारा विकसित एक पोर्टल) के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया, जहां नमूने डाक द्वारा स्वीकार किए जाते थे। अब तक इस पोर्टल पर कुल 2800 शोधकर्ताओं ने पंजीकरण किया है, जो पोर्टल और कंसोर्टियम गतिविधियों की सफलता को दर्शाता है।

कोलकाता केंद्र में परमाणु भौतिकी समूह ने गामास्फीयर सुविधा का उपयोग करते हुए आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी (एएनएल), यूएसए में एक आयन–बीम प्रयोग में (सुदूर मोड में) भाग लिया। समूह ने इस अभ्यास में भाग लेने हेतु सूरत के ऑरो विश्वविद्यालय से दो कर्मियों को लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी किए। वीईसीसी में कक्ष तापमान साइक्लोट्रॉन (आरटीसी) के चैनल #3 में 20MeV के अल्फा–बीम का सफल परिवहन वीईसीसी में डिजिटल आईएनजीए (भारतीय राष्ट्रीय गामा सरणी) के अभियान के सफल कार्यान्वयन के मुख्य आकर्षण में से एक है।

कंसोर्टियम नियमित रूप से विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की क्षमताओं पर जोर देने के लिए जागरूकता कार्यशालाओं और इन सुविधाओं का उपयोग करके किए जा सकने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान पर प्रकाश डालने के लिए विषयवस्तुक जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करता है। दिनांक 2 अगस्त से 6 अगस्त, 2021 तक ऐसी पांच जागरूकता कार्यशालाओं (ऑनलाइन पद्धति में) का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का एक परिणाम दीर्घकालिक सीआरएस परियोजनाओं के लिए हमारे आह्वान के समक्ष 676 से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति थी। इनमें से 296 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

डीएई संस्थान और विश्वविद्यालयों के सहयोग से कंसोर्टियम ने 5 कार्यशालाओं/बैठकों (ऑनलाइन पद्धति में) का आयोजन किया, इनमें से कुछ हैं; दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 को सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत के साथ सामग्री विज्ञान, मुंबई में दिनांक 24 जून, 2021 को ध्रुव रिएक्टर में न्यूट्रॉन प्रकीर्णन और भविष्य के लिए संभावनाएं, कोलकाता में दिनांक 16 जुलाई, 2021 को आयन बीम का उपयोग करके सामग्री विज्ञान और अभियांत्रिकी पर थीम बैठक। इसके अलावा, 5 औपचारिक वार्तालाप (ऑनलाइन) भी आयोजित किए गए, जिसमें पूरे भारत से प्रख्यात वक्ताओं को वार्ता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया।

कंसोर्टियम दौरा करने वाले शोधकर्ताओं के स्थानीय आतिथ्य का भी ध्यान रखता है, जिसकी संख्या वर्षों से लगातार बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए, इंदौर केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. सिंह के कर कमलों से दिनांक 9 नवंबर 2021 को एक नए उपयोगकर्ता अतिथि गृह भवन (जिसमें 2 बिस्तर वाले 10 कमरे और एक कैंटीन सुविधा शामिल है) का उद्घाटन किया गया।

पनवेल परिसर, डीसीएस एंड ईएम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–डीएई सीएसआर मुंबई केंद्र के लिए शीघ्र निर्मित होने वाले भवन के लिए डीएई ने एक भवन योजना तैयार की है, जिस पर भवन निर्माण कार्य समिति द्वारा चर्चा की गई। समिति से मिले इनपुट के साथ, निधि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम योजना तैयार की जा रही है।

1.2 सांख्यिकीय संकेतक

वर्तमान में सीआरएस के अंतर्गत 233 परियोजनाओं को सहायता प्राप्त है और इस अवधि में 925 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इस सीआरएस योजना के साथ–साथ अल्पकालिक प्रस्तावों के माध्यम से कंसोर्टियम की सुविधाओं का उपयोग किया है। इनमें से लगभग 46 प्रतिशत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से थे और 50 प्रतिशत महिलाएं थीं। केंद्र में हुए अनुसंधान कार्यों सहित इन सीआरएस परियोजनाओं से निर्गत होने वाले लगभग 300 पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में हुआ।

विवरण	संख्या
उपयोगकर्ता	925
(महिलाएं 465, छात्र 305, विश्वविद्यालय 426, महाविद्यालय 101, संस्थान 398)	
सीआरएस परियोजनाएं	233
प्रकाशन–जर्नल	300
कार्यशालाएं बैठकें	9
संवाद	5

सम्मान और पुरस्कारः डॉ. वसंत साठे, सीएसआर इंदौर केंद्र के संकाय को सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2021 के लिए मैटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया मेडल प्राप्त हुआ। डॉ. पंपा साधुखन (पीएचडी छात्र) ने दिसंबर 2021 में बीएआरसी मुंबई में आयोजित 65वें डीएई एसएसपीएस में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध पुरस्कार और सुश्री अनीता बागरी (पीएचडी छात्र) ने सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार प्राप्त किया। 10 से अधिक केंद्र के विद्वानों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।

बजट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किया गया अनुदान और किए गए खर्चों का विवरण

(लाख रुपये में)

जारी किया गया अनुदान	किए गए खर्चा
4350.00	5050.87

5.9 (ख) (iv) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरुः

नैक अपने सार्थक अस्तित्व का 25वां वर्ष मना रहा है। नैक उन प्रत्यायनों की संख्या और संस्थानों की विविधता के मामले में विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यायन एजेंसियों में से एक है जो उसके दायरे में आते हैं।

एक प्रमुख गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी के रूप में नैक लगातार बदलते उच्चतर शिक्षा परिदृश्य के साथ–साथ हितधारकों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियात्मक रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए), 1992 में निहित विचारों के परिणामस्वरूप, भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआईएस) की गुणवत्ता वृद्धि की दिशा में सकारात्मक दिषा में बल देने हेतु दिनांक 16 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की स्थापना की गई थी। इन वर्षों के दौरान नैक भारत में उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता का लगभग पर्याय ही बन गया है। नैक ने किसी न किसी तरीके से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितधारकों तक पहुंच बनाई है। 'गुणवत्ता' आज उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अकादमिक परिसरों में मूलमंत्र बन गया है और यह उन दूरदर्शी लोगों के लिए बहुत संतोष की बात है जिन्होंने नैक के लिए संभावना तैयार की और उस सपने को साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम किया ताकि नैक की स्थापना हो सके। यह किसी न किसी रुप में न केवल नैक से जुड़े सभी लोगों के लिए हर्ष का अवसर है, बल्कि साथ में यह निरंतर आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए गंभीरता बरतने का भी समय है।

नैक अपनी सामान्य परिषद् (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के माध्यम से कार्य करता है, जहां उच्चतर शिक्षा प्रणाली के एक छोटे से भाग के शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं और वरिष्ठ शिक्षाविद्ों का प्रतिनिधित्व होता है। विअआ के अध्यक्ष नैक के जीसी के अध्यक्ष होते हैं और ईसी के अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद् होते हैं, जो सामान्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। निदेशक नैक के अकादमिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं, और सामान्य परिषद् और कार्यकारी समिति दोनों के सदस्य–सचिव भी होते हैं। नैक के पास अपने विभिन्न कार्यों को शुरू करने के लिए सलाहकारों का पूरक कोर स्टॉफ होता है।

नैक को देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के निष्पादन का मूल्यांकन, जांच और मान्यता कराने का काम सौंपा गया है। नैक का दर्शन दंडात्मक या आलोचनात्मक होने की बजाय सुधारात्मक और सक्षमकारी है, ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को अपने संसाधनों, अवसरों और क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए समर्थ किया जा सके।

नैक का विजन, मिशन और उद्देश्यः-

- –विजनः

  आत्म और बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और जीविका पहल के संयोजन के माध्यम से भारत में उच्चतर शिक्षा के परिभाषित तत्व को गुणवत्तापूर्ण बनाना।

- –मिशन
  - उच्चतर शिक्षा अथवा उनकी इकाइयों के संस्थानों या विशिष्ट अकादमिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और उन्हें मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना;
  - उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण–अधिगम और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक परिवेश को प्रोत्साहित करना;
  - उच्चतर शिक्षा में आत्म–मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नवाचारों को प्रोत्साहित करना;
  - गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, और
  - गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और सततता के लिए उच्चतर शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना।

- मूल्यगत ढांचा

देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच निम्नलिखित मौलिक मूल्यों को बढ़ावा देनाः

– राष्ट्रीय विकास में योगदान

– छात्रों के बीच वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना

– छात्रों के बीच एक मूल्यगत प्रणाली का निर्माण

– प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना

– उत्कृष्टता के लिए अन्वेषण

- उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् का मुख्य कार्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों या उनकी एक या अधिक इकाइयों, अर्थात् विभागों, स्कूलों, संस्थानों, कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन करना और मान्यता प्रदान करना है।

– मूल्यांकन और प्रत्यायन के मुख्य उद्देश्य हैंः

क) उच्चतर शिक्षा के ग्रेड संस्थान और उनके कार्यक्रमय

ख) इन संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण और शिक्षण तथा अनुसंधान की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करनाय

ग) संस्थानों को उनके शैक्षणिक उद्देश्यों को साकार करने में सहायता करनाय

घ) उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कार्य करने वाले संस्थानों के सभी पहलुओं में आवश्यक परिवर्तन, नवाचार और सुधार को बढ़ावा देनाय

ङ) उच्चतर शिक्षा में नवाचारों, आत्म मूल्यांकन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।

- नैक में प्रमुख नीतिगत निर्णय और विकासरू

नैक, जिसकी उद्देश्य अपनी गुणवत्तापूर्ण पहल, अपने हितधारकों के बीच गुणवत्तापूर्ण संस्कृति के प्रसार के माध्यम से भारतीय उच्चतर शिक्षा की पारिस्थितिकी प्रणाली को बदलने का है, उसके मामले में प्रभावी और कुशल तरीके से प्रत्यायन की प्रक्रिया भी लगातार बदल रही है। बदलते परिदृश्य और प्रणाली के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा के हितधारकों की आकांक्षाओं के अनुरूप नैक ने एक नई प्रणाली शुरू की है जिसे आरएएफ (संशोधित प्रत्यायन ढांचा) कहा जाता है। आरएएफ पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रणाली आधारित, हितधारक के अनुकूल मूल्यांकन और प्रत्यायन की विधि है।

वर्ष 2021 में कोविड–19 महामारी और मूल्यांकन प्रक्रिया की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। नैक ने विभिन्न संस्थानों अर्थात् पारंपरिक संस्थानों (सामान्य विश्वविद्यालयों/स्वायत्त महाविद्यालयों/संबद्ध महाविद्यालयों के लिए संशोधित मैनुअल) और पेशेवर संस्थानों और एक्यूएआर के प्रारूपों के लिए अनुकूलित मैनुअल की संकल्पना तैयार की।

देश के प्रमुख प्रत्यायन निकाय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुभवी और मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन निकाय में से एक होते हुए, नैक हमेशा से मान्यता प्रक्रिया में विभिन्न सुधारों को शुरू करने में सबसे आगे रहा है। हाल की कुछ पहलें इस प्रकार हैंरू

- ✓ संबद्ध महाविद़यालयों के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थागत पात्रता (आईईक्यूए) प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन शुरू करना।
- ✓ नैक की वेबसाइट पर प्रत्यायन परिणाम अपलोड करने के अलावा नैक को प्रस्तुत करने से पहले संस्थागत वेबसाइट पर उच्चतर शिक्षा संस्थान के एसएसआर अपलोड करने का प्रावधान।
- ✓ आंतरिक डेटा पुष्टि और सत्यापन इकाई की स्थापना
- ✓ मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने और व्यक्तिपरकता को कम करनारू नैक मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने और व्यक्तिपरक तत्व को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
- ✓ ऑनसाइट विजिट की वीडियो रिकॉर्डिंगरू नीतिगत उपाय के तौर पर नैक ने पीयर टीम दौरे की पूरी कार्यवाही को वीडियो रिकॉर्ड करने का निर्णय किया है। संस्थानों द्वारा दौरे के तुरंत बाद नैक को वीडियो रिकार्डिंग जमा करनी होगी और वीडियो को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।
- ✓ राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावारू भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए नैक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।
- ✓ विश्वविद्यालयों के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में मात्रात्मक मूल्यांकन संकेतकों की शुरुआत।
- ✓ मूल्यांकन अवसंरचना के हिस्से के रूप में शिक्षण परिणाम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण चेतना जैसी नई अवधारणाओं की 'शुरुआत।
- ✓ उपर्युक्त पहलों के अलावा, मूल्यांकन और प्रत्यायन के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रयास किए जा रहे हैंरू
- ✓ एसएसआर, पीयर टीम रिपोर्ट और ग्रेड शीट्स से प्राप्त जानकारी के आधार पर नैक के साथ उपलब्ध बड़े डेटा संसाधन का उपयोग करके उच्चतर शिक्षा डोमेन में – मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के–अनुसंधान और विकास करना
- ✓ उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों का बेंचमार्किंग और विकास
- ✓ मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करना
- ✓ मूल्यांकनकर्ताओं के कॉलेजियम का विस्तार और समीक्षा

किसी भी सफल परिवर्तनकारी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी सक्रिय रूप से परिवर्तन की अवधारणा और कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में लगे हों। परिणामों के लिए संरचनाओं और ऑपरेटिंग मॉडल को तर्कसंगत बनाने के प्रयास किए जाएंगे। चूंकि हम नैक में विभिन्न परिवर्तन ला रहे हैं, यह भी आवश्यक है कि संबंधित क्षेत्र में क्षमता निर्माण का ध्यान रखते हुए नैक के भीतर तथा नैक से इतर भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट हों। इसका अभिप्राय यह है कि पूरा दृष्टिकोण अब 'टॉप डाउन' और 'बॉटम अप' वाला हो जाता है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् अपने अधिदेश को पूर्ण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठा रहा हैः

क) अनुभव से प्राप्त मूल्यांकन की तकनीकों और कार्य–रीतियों के आलोक में आवश्यक होने पर आवधिक रूप से समीक्षा करना और संशोधन करना तथा अद्यतित करनाय

ख) मूल्यांकन और ग्रेडिंग के परिणामों के बारे में संबंधित संस्थान को सुधारात्मक कार्रवाई, परिशोधन और आत्म सुधार के लिए उपयुक्त तरीके से संप्रेषित करनाय

ग) स्व–मूल्यांकन हेतु अपनी कार्यविधियों, तकनीकों और कार्य–रीतियों को विकसित करने में संस्थानों की सहायता करना और उन्हें प्रोत्साहित करनाय

घ) शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों आदि की योजना और मूल्यांकन में अनुसंधान अध्ययन शुरू करनाय

ड़) संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के चिह्नित लक्ष्यों ड.की प्राप्तिय

च) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् समान प्रकृति के कार्य में लगे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है और अनुरोध पर विदेशों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन भी कर सकता है।

- नैक में एंड टू एंड आईसीटी समाधान

नैक ने एक एंड–टू–एंड ऑटोमेशन प्रक्रिया शुरू की है जो सुदृढ़, पारदर्शी और एक समान है। आरएएफ जिसमें मात्रात्मक मूल्यांकन, जो कि मात्रात्मक मैट्रिक्स के समुच्चय पर आधारित होता है तथा गुणात्मक मैट्रिक्स के समुच्चय पर आधारित गुणात्मक मूल्यांकन के दोनों अवयवों पर आधारित होता है, को मूल्यांकन और प्रत्यायत प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित पद्धति प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

नैक के लिए ई–2–ई समाधान में विभिन्न मॉड्यूल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थान सूचना (आईआईक्यूए), स्व–अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर), छात्रों की संतुष्टि सर्वेक्षण (एसएसएस), डेटा पुष्टि और सत्यापन (डीवीवी), मूल्यांकनकर्ता प्रबंधन, पीयर टीम चयन मॉड्यूल, ऑनसाइट पीयर टीम दौरा, कार्यकारी समिति और शासन (ईसीएंडजी) मॉड्यूल, अपील मॉड्यूल, वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) मॉड्यूल, इनफ्लिबनेट मॉड्यूल एंड इश्यू मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) मॉड्यूल से मिलकर बने हैं। देश के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन समिति (सीसीएमसी) नामक एक प्रणाली विकसित की गई है। आज की तिथि के अनुसार, नैक ने लगभग 500 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर लिया है। हितधारकों की सुविधा के लिए विभिन्न डैशबोर्ड का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के उद्देश्य से सुदृढ़ और पारदर्शी प्रणाली तैयार की गई है। केलट्रॉन द्वारा डिजाइन और एनआईसी सर्वर में होस्ट किए गए हितधारकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् की एक नई वेबसाइट जारी की गई थी। वेब आधारित पोर्टल उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना के ऑनलाइन आवेदन (आईआईक्यूए) और नई कार्यप्रणाली के अनुसार वेबसाइट में उपलब्ध उच्चतर शिक्षा संस्थान पोर्टल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

नैक ने 77 विश्वविद्यालयों तथा 614 महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया है और दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कुल 691 संस्थानों का प्रत्यायन किया है।

- प्रशासनिक प्रक्रिया और क्रियाकलाप

– निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के सक्षम नेतृत्व में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने कोविड –19 महामारी की चुनौतियों के दौरान अधिकांश मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शीघ्र ही कुशलतापूर्वक स्थानांतरित कर लिया। इससे देश के अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सहायता मिली।

– राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् में कोविड–19 पूर्वोपाय किए गए। फोटो छवि के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना शुरू किया गया।

– राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् ने कोविड–19 महामारी के उपचार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् स्टाफ कार्मिकों के लिए परीक्षण और चिकित्सा सहायता के लिए बीबीएमपी के साथ समन्वय किया।

– स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखने के लिए समय–समय पर पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया।

– सिस्को वेबेक्स प्लेटफॉर्म को शुरू और चालू किया गया, इसके कारण हम ऑनलाइन बातचीत के लिए एक समय में 1000 से अधिक संस्थानों को जोड़ने में सक्षम हुए।

– क्रय समिति की बैठकों, आंतरिक बैठकों का आयोजन वेबेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अत्यंत सुप्रवाही बनाया गया।

- आईसीटी संबंधित गतिविधि

– शिक्षा मंत्रलय डैशबोर्ड

शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ–साथ कार्य करने और दैनंदिन कार्य–प्रगति को साझा करने के लिए, एक डैशबोर्ड डिजाइन किया गया और शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा किया गया। यह डैशबोर्ड गत्यात्मक डैशबोर्ड है और आईआईक्यूए, एसएसआर, डीवीवी, पीयर टीम दौरों तथा परिणामों जैसी विभिन्न गतिविधियों की समवर्ती कार्य स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। डैशबोर्ड में मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के साथ एंड से एंड कार्य स्थिति शामिल है।

– ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता मॉड्यूल

वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक डेटाबेस डिजाइन किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् में निर्धारित मूल्यांकनकर्ता विवरण डेटाबेस की आवश्यकता के अनुकूल नहीं था। साथ ही, मूल्यांकनकर्ताओं का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता थी। ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता पंजीकरण को अनंतिम किया गया, और मूल्यांकनकर्ताओं के स्पष्ट विवरण तैयार करने के लिए डेटा बेस की जांच की गई ताकि प्रणाली पीयर टीम दौरे के लिए मूल्यांकनकर्ताओं का स्वतः चयन कर सके। इसे समर्पित टीम के साथ निरंतर अनुवर्तन के साथ छह माह से भी कम समय में प्राप्त किया गया। मूल्यांकनकर्ताओं की स्थिति का अनुसरण करने के लिए एक विशेष डैशबोर्ड भी रखा जाता है।

– 'इश्यू मेनेजमेंट साफ्टवेयर' का केंद्र में विकास

उच्चतर शिक्षा संस्थान की दैनंदिन समस्याओं का समाधान करने का एक अभिनव तरीका राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् का पहला कार्य था। तथापि, पूर्व में ईमेल और फोन कॉल के प्रावधान किए गए थे, लेकिन आरएएफ से संबंधित मुद्दों के कारण यह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें समन्वय के विभिन्न पहलू शामिल थे। इसलिए, एक मुद्दा प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को डिजाइन किया गया और इसे उच्चतर शिक्षा संस्थान, प्रक्रिया स्वामियों तथा अकादमिक समन्वयकों के डैशबोर्ड के साथ एकीकृत किया गया। संस्थानों को इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय अपनी शंकाओं, चिंताओं और 8 आशंकाओं को उठाने के लिए एक प्रणाली के सक्षम बनाया गया। यह उस क्षेत्र, जिसमें चिंताओं या मुद्दों को उठाया जाता है, के आधार पर संबंधित पक्ष को आवंटित किया जाता है। प्रत्युत्तर करने का समय एक दिन के अंदर होता है और समर्पित टीम द्वारा इसकी गहनता से निगरानी की जाती है। इस सुविधा को उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा इसकी सराहना की गई है। मुद्दों को ऑनलाइन उठाए जाने, संबंधित पक्ष को ऑनलाइन समाधान प्रदान किए जाने और स्थिति की निगरानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जाने से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के कार्यकरण का पारदर्शिता स्तर बढ़ गया है। विशेषरूप से, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् गर्व के साथ यह घोषणा करता है कि यह मॉड्यूल राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् की आईसीटी टीम द्वारा, बिना आउटसोर्स किए, केंद्र में ही तैयार, विकसित और तैनात किया गया था, जो टीम की दक्षता के बारे में बताता है।

– राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् वीडियो ट्यूटोरियल

डिजिटल आरएएफ के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता करना एक बड़ी चुनौती थी। दूरस्थ परिदृश्य में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की डिजिटल साक्षरता राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के लिए चिंता का विषय थी। इसे दूर करने के लिए, मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया में संस्थानों को चरण–दर–चरण दिशा–निदेश देने के लिए 'वीडियो ट्यूटोरियल' तैयार किए गए और उसी में पोर्टलों की जानकारी भी प्रदान की गई। इन वीडियो को भी नवनियुक्त सहायक परामर्शदाताओं द्वारा केंद्र में ही तैयार किया गया। यह संस्थानों के लिए राहत भरी सांस के रूप में था, जो उन्हें पोर्टल की झलक देते हुए अंत तक मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही 9 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी यहां समाधान दिया गया है। ये वीडियो विस्तृत हैं और संस्थान के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् वेबसाइट में डाउनलोड तथा उपयोग के अंतर्गत होस्ट किए गए हैं।

– डीवीवी को 'स्ट्रीमिंग' करना

डेटा वैधीकरण तथा सत्यापन आरएएफ का केंद्र–बिंदु और संस्थान की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण घटक है। डीवीवी की प्रक्रिया सुप्रवाही और स्थिर है। मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया है और मेट्रिक्स की समझ तथा दस्तावेजों को साझा करने के बीच की खाई को पाटने के लिए इसे वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संस्थान के डेटा को सत्यापित करने वाले डीवीवी पार्टनर और डेटा प्रदान करने वाली संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रदत्त मेट्रिक्स को एक साथ समझने हेतु एक ही पृष्ठ पर हों। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि संस्थानों की डीवीवी प्रक्रिया 30–40 दिनों के भीतर पूरी हो जाए।

– अपीलों पर कार्रवाई करने हेतु कियाविधि

अपीलों की प्रक्रिया की कार्य–रीतियों को अंतिम रूप दिया गया और इन्हें कार्यान्वित किया गया। अपीलों को भी एंड से एंड तक आईसीटी सक्षम बनाया जा रहा है। किसी भी पीड़ित संस्था को निर्धारित समय के भीतर अपील करने हेतु सक्षम बनाया गया है। अपील समिति कार्रवाई की विधि का सुझाव दे सकती है और इसे ऑनलाइन कार्यान्वित किया जा सकता है। अपील के अंतिम परिणामों को भी संस्थान को ऑनलाइन सूचित करने की योजना बनाई जा रही है। एक वर्ष से, अपील का मुद्दा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के पास लंबित है, इसलिए यह आरएएफ के अंतर्गत एक नई प्रक्रिया होगी। इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया गया और इसे मंजूरी दे दी गई थी। अपीलों के प्रथम परिणामों की घोषणा की जा रही है।

बजट

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनुदान और किया गया खर्च

(लाख रुपये में)

जारी किया गया अनुदान	किया गया खर्च
1344.96	1730.45

5.9 (ख) (v) सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) केन्द्र, गांधी नगर

- इनफ्लिबनेट की एतिहासिक पृष्ठभूमि

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफ्लिबनेट), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) के एक स्वायत्त अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) के रूप में हुई जो कि गुजरात के इन्फोसिटी में स्थित हैं। वर्ष 1991 में इसकी स्थापना से लेकर दिनाकं 16 मई, 1996 तक, जब इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्णरूपेण अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र का दर्जा प्राप्त किया, तब तक यह आईयूसीएए, पुणे की एक परियोजना थी। इस केन्द्र के मुख्य क्रियाकलापों में अकादमिक ग्रंथालय एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण, करना शामिल है जिससे जानकारी के अंतरण तथा पहुंच, छात्रवृत्तियों, ज्ञान अर्जन, तथा शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। यह केन्द्र, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक नोडल ऐजन्सी के रूप में कार्य करता है।

- मानव संसाधन

केंद्र अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करता है। वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मी अधिकांशतः अर्ह हैं और पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान, एवं कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता रखते हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, एक निदेशक के नेतृत्व में अध्यक्षता में केंद्र में 28 वैज्ञानिक तथा तकनीकी, और 15 प्रशासनिक तथा सहायक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। केंद्र में उपलब्ध सभी वैज्ञानिक और तकनीकी मानवबल को केंद्र की कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न कार्य समूहों अर्थात् अभिगम प्रबंधन समूह, डेटाबेस प्रबंधन और अनुसंधान तथा विकास समूह, ई–संसाधन प्रबंधन समूह, मानव संसाधन विकास (एचआरडी), नेटवर्क और क्यूसी समूह, खुला अभिगम अनुसंधान तथा विकास समूह, खुला स्रोत सॉफ्टवेयर समूह, वेब सेवा अनुसंधान तथा विकास समूह, सॉफ्टवेयर अनुसंधान तथा विकास समूह, बिब्लियोमेट्रिक्स एवं अनुसंधान मूल्यांकन समूह, ई–शिक्षा अर्जन तथा ई–सामग्री विकास समूह और प्रकाशन प्रभाग में बांटा गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान केंद्र में इन कार्यात्मक समूहों द्वारा की गई प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों/पहलों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है।

- प्रमुख पहल

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक आधारभूत कारक होने के कारण, केन्द्र ने अपने भारत में शैक्षिक समुदाय के लाभ हेतु अनेक पहल की हैं। इन सभी पहल को मोटे तौर पर निम्नलिखित 12 श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

& विश्वविद्यालय ग्रंथालयों का स्वचालन

यह केन्द्र विश्वविद्यालयों को विभिन्न तरीकों से ग्रंथालयों के स्वचालन में सक्रिय रूप से मदद करता है। इन्फ्लिबनेट केन्द्र ने ग्रंथालय स्वचालन के संबंध में 166 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो विश्वविद्यालयों को उनके ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथालय की सूची के अभिलेखों का इनफ्लिबनेट केन्द्र के यूनियन कैटलॉग इन्डकैट में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

& इन्डकैटः भारतीय विश्वविद्यालय का यूनियन कैटलॉगः

इन्डकैट में भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों, सीरियलों तथा पीएचडी शोध प्रबंधों का यूनियन कैटलॉग शामिल है। इसमें 199 विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों से 1,76,10,005 पुस्तकों, 205 विश्वविद्यालय हेतु 35,614 विशिष्ट जर्नल के संबंध में धारिता जानकारी तथा 226 विश्वविद्यालयों से 4,41,725 ग्रंथालय सूची के रूप में 444 विश्वविद्यालयों के शोध प्रबंधों के रिकार्ड अंतर्विष्ट हैं।

i) गुजकैट (ऑनलाइन यूनियन कैटेलॉग ऑफ गुजरात कॉलेजेज): सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा विकसित गुजकैट (ऑनलाइन यूनियन कैटेलॉग ऑफ गुजरात कॉलेजेज) को दिनांक 22 सितंबर 2021 को गुजरात सरकार के उच्चतर शिक्षा निदेशक श्री नागराजन द्वारा ऑनलाइन रूप से आरंभ किया गया। इसमें गुजरात के 33 महाविद्यालय के पुस्तकालयों के 6,03,366 रिकॉर्ड शामिल हैं।

ii) ओसीएस (ऑनलाइन कॉपी-कैटेलॉग सिस्टम): ओसीएस को प्रो. योगेश सिंह (सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के गवर्निंग बोर्ड के माननीय अध्यक्ष और डीटीयू, नई दिल्ली के कुलपति) द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इसमें 27 विश्वविद्यालयों के 5,990 अनन्य रिकॉर्ड शामिल हैं।

- **सॉफ्टवेयर विकास : एसओयूएल 2.0 और 3.0 (एकीकृत पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर)**

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र केंद्र विकसित एसओयूएल (विश्वविद्यालयी पुस्तकालयों के लिए सॉफ्टवेयर) सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुस्तकालयों के स्वचालन की दिशा में योगदान देता है। एसओयूएल के देश भर में कुल 4002 प्रतिष्ठान हैं। वर्ष 2021 में, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा एसओयूएल का नया संस्करण विकसित किया गया, जो एसओयूएल 3.0 है, जिसे प्रोफेसर डी पी सिंह, माननीय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली और माननीय अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2021 को ऑनलाइन आरंभ किया गया। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, देश में संस्थानों के लिए 98 एसओयूएल संस्थापनाएं की गईं।

- **मुक्त पहुँच, मुक्त डेटा पहल, और साहित्यिक चोरी संसूचना सॉफ्टवेयर (पीडीएस)**

i) शोधगंगा: जनवरी, 2010 में शुरू की गई, शोधगंगा, भारतीय शोध प्रबंध का एक भंडार है, जो वर्तमान में, 538 संस्थानों से योगदान देने वाले 3,50,000 पूर्ण–पाठ शोध प्रबंध को होस्ट करता है। इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 437 योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा लगभग 47,974 पूर्ण–पाठ शोध प्रबंध अपलोड किए गए हैं और साथ ही 87 समझौता ज्ञापनों (विश्वविद्यालय/संस्थान/केंद्र वित्तपोषित तकनीकी संस्थान) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 3,00,000 शोध प्रबंध को आरंभ करने के उपलक्ष्य में ''शोधगंगा (भारतीय शोध प्रबंध का एक जलाशय) में 3,00,000वाँ शोध प्रबंध अपलोड करना'' पर दिनांक 09 अप्रैल, 2021 को सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा ऑनलाइन समारोह आयोजित किया गया और शोध प्रबंध को आरंभ करने का कार्य प्रोफेसर रजनीश जैन, माननीय सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के कर–कमलों से प्रोफेसर जे.पी. सिंह जौरेल, निदेशक, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र की उपस्थिति में किया गया।

शोधगंगा में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं और अन्य उन्नत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। प्रमुख विशेषताओं में शोधगंगा में एक मॉड्यूल के रूप में सिफारिशों को जोड़ना और इसके विषयवार समेकित प्रदर्श, शीर्षकों की नकल जांच आदि शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए, लाइव अपडेट सांख्यिकी, एक ही फाइल के रूप में शोध प्रबंध का पूर्ण–पाठ डाउनलोड, बिबटेक्स प्रारूप में उद्धरण डाउनलोड करने के लिए समर्थन के साथ–साथ एएससीआईआई, नए डैशबोर्ड को विश्वविद्यालयों के विषयवार वर्णमाला क्रम प्रदर्शन आदि के लिए शोधगंगा के साथ एकीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय समन्वयकों और शोधगंगा के प्रशासन के लिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग (एलसीएसएच) से कीवर्ड को जोड़ने, राज्य–वार /विश्वविद्यालय–वार शोध प्रबंध की गणना का प्रदर्शन, अलग–अलग सिफारिश मॉड्यूल, शोध प्रबंध अपलोड करते समय शोध प्रबंध के नकल शीर्षकों की जांच आदि के लिए अद्यतम किए जाते हैं।

ii) शोधगंगोत्री: वर्ष 2013 में आरंभ किया गया शोधगंगोत्री, किए जा रहे अनुसंधान कार्य का एक कोष है जिसमें 115 संस्थानों द्वारा प्रदत्त कुल 8,571 सार संग्रह/वृहद– लघु शोध परियोजनाएं (एमआरपी)/पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप (पीडीएफ)/एमिरेटस फेलोशिप होस्ट किए गए हैं।

iii) शोधशुद्धि- साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर (पीडीएस): भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई), राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्विश्वविद्यालयों (आईयूसी) सहित सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर (पीडीएस) उपलब्ध कराया जाना था। इनफिल्बनेट केन्द्र, शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधाान में इस परियोजना/पहल को निष्पादित करने के लिए एक नोडल एजेन्सी है। साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर जमा किए गए दस्तावेज को दस्तावेजों के बहु–डाटाबेस से तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सब्सक्रिप्शन आधारित संसाधनों, मौजूदा तथा अभिलेखाबद्ध इंटरनेट वेबपृष्ठों तथा वेब दस्तावेजों, प्रधान प्रकाशकों तथा 'एग्रीगेटरों', छात्र पत्रों आदि के डाटाबेसों से मुक्त पहुंच संसाधनों को कवर करता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, पीडीएस– शोध शुद्धि विषय पर 15 अखिल भारतीय राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों (जून–जुलाई, 2021) का देशभर से आयोजन किया गया। जहां देशभर से 1040 संस्थानों से कुल 2864 भागीदारों ने भाग लिया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पीडीएस टूल/सॉफ्टवेयर द्वारा इसे आरंभ किए जाने अर्थात् दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से लेकर 31 मार्च, 2022 तक 817 संस्थानों से साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समग्ररूप से कुल 8,73,905 दस्तावेज जमा किए गए और समग्र रूप से 19,88,174 दस्तावेजों को स्कैन किया गया। पीडीएस सॉफ्टवेयर को जब खरीदा गया था, तो इसका नाम '' उरकुंड'' था और दिनांक 15 मार्च 2021 को ''यूआरकुंड'' के प्लैगस्कैन नामक एक अन्य पीडीएस के साथ विलय के बाद, इसका नाम बदलकर 'आवरिजिनल' कर दिया गया। अन्य सॉफ्टवेयर टर्नइटबॉट ''आवरिजिनल'' I के मालिक ने व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में ''आवरिजिनल'' I को खरीद लिया था, इसलिए अब दिनांक 30 नवंबर, 2021 से ''आवरिजिनल'' औपचारिक रूप से ''टर्नइटइनबॉट आवरिजिनल'' का भाग है।

iv) आईसीएसएसआर डेटा सेवा- भारतीय समाजिक विज्ञान डेटा रिपोजिटरी: यह परियोजना भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 2015 में सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र को सौंपी गई थी, जो एनएडीए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अनुकूलित मंच पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 140 डेटासेट होस्ट करती है। वर्तमान में, रिपॉजिटरी में 5073 पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। यह अनुसंधान समुदाय में काफी लोकप्रिय रहा है और 50 लाख से अधिक संसाधन डाउनलोड किए गए हैं। इसके अलावा, केंद्र ने ''आर'' भाषा का उपयोग करके ''आईसीएसएसआर डेटा एनालिटिक टूल'' नामक एक डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित किया है, जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन डेटासेट में उपलब्ध इकाई–स्तरीय डेटा का पता लगाने और दृश्यीकरण करने की सुविधा प्रदान करता है।

v) आईआर@इंफ्लिबनेट: केंद्र ने डीस्पेस का उपयोग करके आईआर/इंफ्लिबनेट नामक एक संस्थागत रिपॉजिटरी स्थापित की है, जो ***http://ir-inflibnet-ac.in***/ में सुलभ मुक्त–स्रोत सॉफ्टवेयर है। कैलिबर और प्लानर की कार्यवाही में प्रकाशित पत्रों को रिपॉजिटरी में अपलोड किया जाता है। रिपॉजिटरी में पाठ्यक्रम सामग्री, समाचार पत्र की कतरन आदि भी शामिल हैं। रिपॉजिटरी में 1,859 पूर्ण पाठ लेख हैं।

vi) इंफोपोर्ट: 'ए सब्जेक्ट गेटवे टू इंडियन स्कालरली इंटरनेट रिसोर्सज': इंफोपोर्ट को पोर्टल में इंटरनेट संसाधन के पंजीकरण की सुविधा और उपयोगकर्ताओं तक इसके अभिगम का विस्तार करने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इन्फोपोर्ट डेवी दशमलव वर्गीकरण (डीडीसी) योजना द्वारा इंटरनेट संसाधनों की ब्राउजिंग को सपोर्ट प्रदान करता है। रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान, उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया के आधार पर विषय गेटवे की कई विशेषताओं और कार्यक्षमताओं में अभिवृद्धि की गई और पोर्टल में अतिरिक्त इंटरनेट संसाधन जोड़े गए। अंतरापृष्ठ पर 1,742 ई–संसाधन उपलब्ध हैं।

vii) नेशनल रिसर्च डेटा रिपॉजिटरी (एनआरडीआर): नेशनल रिसर्च डेटा रिपॉजिटरी (एनआरडीआर) की परिकल्पना पूरे भारत से अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा निर्मित अनुसंधान डेटासेट से एक अनुसंधान डेटा रिपॉजिटरी बनाने के लिए की गई है। संकाय और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सृजित अनुसंधान डेटा को एनआरडीआर में जमा करने पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (बिंदु संख्या 24.4 (ग) ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और डिजिटल रिपॉजिटरी को तैयार किए जाने पर बल देती है। केंद्र ने एनआरडीआर का एक पायलट दृष्टांत विकसित किया है और आधिकारिक तौर पर आरंभ होते ही इसे अकादमिक समुदाय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

- पुस्तकालय कंसोर्टियम और इसके उप-उत्पाद

i) ई-शोधसिंधुः ई–शोधसिंधु, जिसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, 448 से अधिक संस्थानों को 7,145 से अधिक ई–पत्रिकाओं और 6 लाख से अधिक ई–पुस्तकों (एनडीएलआई के माध्यम से) का अभिगम प्रदान करता है, जिसमें विश्वविद्यालय, केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान शामिल हैं। एनएलआईएसटी ई–शोधसिंधु का एक महाविद्यालय घटक है, जो 3,414 महाविद्यालयों में फैले 5.22 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को 6,500 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और 1,99,500 से अधिक ई–पुस्तकों का अभिगम प्रदान करता है।

ii) इंफीस्टैटः इंफीस्टैट्स,जो वर्ष 2015 में आरंभ किए गए ई–शोधसिंधु का एक उप–उत्पाद है, ई–शोधसिंधु के अंतर्गत सदस्य संस्थानों को प्राप्त सबस्क्राइब किए गए ई–संसाधनों के अभिगम के प्रयोग सांख्यिकी की निगरानी और मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है।

iii) इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन (इंफेड): सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा 2017 के दौरान पूर्ण तरीके से शुरू किया गया आईएनएफईडी ई–शोधसिंधु के अंतर्गत शामिल किए गए संस्थानों में उपयोगकर्ताओं को ई–संसाधनों तक ऑफ–कैंपस अभिगम प्रदान करता है। वर्तमान में, 210 से अधिक संस्थानों ने आईएएफईडी में शामिल होने के लिए सदस्यता पर हस्ताक्षर किए हैं, और 158 से अधिक संस्थान सक्रिय रूप से सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, कुल 42 प्रकाशक आईएनएफईडी में शामिल हुए हैं।

iv) जे-गेट प्लसः जे–गेटप्लस/ई–शोधसिंधु जर्नल साहित्य का एक वर्चुअल पुस्तकालय है, जिसे ई–शोधसिंधु के सदस्य संस्थानों के लिए एक अनुकूलित ई–जर्नल लेख अभिगम गेट वे और डेटा बेस समाधान के रूप में निर्मित किया गया है। यह कंसोर्टियम के अंतर्गत सदस्यताप्राप्त ई–जर्नलों के साथ–साथ सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के आईएल केंद्रों के रूप में नामित 25 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा सदस्यता प्राप्त ई–पत्रिकाओं तक लेख–स्तर अभिगम प्रदान करता है।

- ई-शिक्षा, सामग्री विकास और एमओओसी

i) ई-पीजी पाठशालाः वर्ष 2012 में शुरू होकर इनफ्लिबनेट सेंटर ने विअआ द्वारा निष्पादित आईसीटी (एनएमई–आईसीटी) के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक एमओई पहल ई–पीजी पाठशाला को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वर्तमान में, केन्द्र पोर्टल का रखरखाव कर रहा है। इसके अलावा, केन्द्र ई–पुस्तकों को ई–पीजी पाठशाला विषयवस्तु से प्राप्त कर रहा है जिसमें 700 से अधिक पीजी पाठ्यक्रम सहित 23000 से अधिक माड्यूल हैं।

ii) विद्या-मित्रः विद्या–मित्र परियोजना को इनफ्लिबनेट केन्द्र को मई, 2014 में सौंपा गया था। यह एनएमई–आईसीटी, शिक्षा मंत्रालय के तहत विकसित सभी ई–विषयवस्तु पोर्टल का एक समेकित ई–विषयवस्तु पोर्टल है । विद्या–मित्र 66,000 से अधिक वीडियो (स्व– ज्ञान अर्जन/ई– अनुशिक्षण) तथा44,000 से अधिक ई– विषयवस्तु को होस्ट करता है। जबकि यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है, इनफ्लिबनेट केन्द्र अनुरोध के आधार पर देशभर के भारतीय संस्थानों के संकाय सदस्यों/शिक्षाविदों द्वारा विकसित ई–विषयवस्तु के लिए निःशुल्क होस्टिंग सेवा प्रदान कर रहा है।

iii) स्वयंः **वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु):** इनफ्लिबनेट केंद्र दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आरंभ किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एमओओसी के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है। केंद्र, विअआ के मार्गदर्शन से इस परियोजना का निष्पादन कर रहा है। इनफ्लिबनेट की प्रमुख भूमिका सभी पाठ्यक्रम समन्वयकों के लिए निधि वितरण(वर्ष 2021 के सत्र से पूर्व), पाठ्यक्रम प्रस्तावों के लिए एक वेब इंटरफेस का विकास करना है और यह विअआ–एमओओसी के लिए एक समर्पित पोर्टल है। पोर्टल स्वयं समन्वयकों, मेंटरों, स्नातकोत्तर–पाठ्यक्रमों के अद्यतन, कार्यशाला विवरण आदि की जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है। केंद्र ने वर्ष 2020–2021 के लिए उक्त सभी गतिविधियों को जारी रखा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, विअआ–एमओओसी पोर्टल पर विषयवस्तु सृजन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति को जोड़ा गया था।

एक एंकर संस्थान के रूप में सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र ने रिपोर्ट अवधि के दौरान 2021 (जुलाई–दिसंबर, 2021 सेमेस्टर) में लगातार तीसरे वर्ष 'गैर–प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर डिग्री ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास' के अंतर्गत अनुसंधान नीति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं–एमओओसी पाठ्यक्रम (4 क्रेडिट– 15 सप्ताह पाठ्यक्रम) सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम में 3063 शिक्षार्थी/छात्र नामांकित थे। इसके अलावा, 914 शिक्षार्थियों/छात्रों ने अंतिम परीक्षा के लिए पंजीकरण किया, जिसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दिनांक 21 और 22 फरवरी, 2022 के दौरान आयोजित किया गया।

iv) **स्वयं-प्रभाः** एनएमई–आईसीटी के अंतर्गत एक एमओई परियोजना, 'स्वयं–प्रभा' की परिकल्पना 24ग7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित 34 डीटीएच चैनलों के समूह के रूप में की गई है। इनफ्लिबनेट केंद्र ने वर्ष 2021–22 के दौरान सभी चैनलों के लिए वीडियो संग्रह सहित स्वयं प्रभा पोर्टल और इसकी होस्टिंग के विकास और रखरखाव का कार्य जारी रखा है। विद्यालयी शिक्षा के लिए 12 चैनल निर्धारित किए गए हैं तथा शेष चैनल उच्चतर शिक्षा (एचई) को समर्पित हैं। उक्त रिपोर्टाधीन अवधि में कुल सब्सक्राइबर 124,390, वीडियो 15,246 तथा एचई चैनलों के लिए 11,801,405 व्यू प्राप्त हुए।

v) **इनफ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईएलएमएस):** इनफ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईएलएमएस) देशभर में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्रद्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है। यह सेवा अनुरोध के आधार पर सभी केंद्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों को दी जा रही है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं पाठ्यक्रम निर्माण, नामांकन, एसाइनमेंट और मूल्यांकन, चर्चा हेतु प्लेटफार्म आदि हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इनफ्लिबनेट केन्द्र ने देश के 14 संस्थानों के लिए निशुल्क आईएलएमएस सेवा आरंभ की। इसके अलावा, रिपोजिटरी में 300 से अधिक पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया।

- **एनबीए और नैक के लिए संस्थानों की रैंकिंग तथा प्रत्यायन**

i) **भारत रैंकिंग 2021 (एनआईआरएफ):** 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' (एनआईआरएफ) के तहत वर्ष 2016 में 'इंडिया रैंकिंग' का पहला संस्करण आरंभ किया गया था। केंद्र नेएनआईआरएफ परियोजना को जारी रखा है और रिपोर्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत 'इंडिया रैंकिंग 2020'के अपने 6वें अभ्यास को निष्पादित किया। भारत रैंकिंग 2021 को माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के कर–कमलों से दिनांक 09 सितंबर 2021 को माननीय शिक्षा राज्य मंत्रियों, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी तथा डॉ सुभाष सरकार और माननीय विदेश तथा शिक्षा राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह की गरिमामय उपस्थिति में ई–रिलीज किया गया। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। केंद्र डेटा कैप्चरिंग प्रणाली, परसेप्शन कैप्चरिंग प्रणाली, फीडबैक तंत्र और रैंकिंग प्लेटफॉर्म सहित, एनआईआरएफ वेब पोर्टल के विकास के लिए जिम्मेदार था। केंद्र ने प्रकाशनों, उद्धरणों, पेटेंट और अधिक उद्धृत किए जाने वाले पत्रों पर भी डेटा प्रदान किया और सत्यापित किया।

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' (एनआईआरएफ) के अंतर्गत भारत रैंकिंग 2022 से संबंधित–कार्य रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान शुरू किया गया और प्रगति पर है। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र को एनआईआरएफ अर्थात् इंडिया रैंकिंग 2022 की 7वें अभ्यास को कार्यान्वित करने का कार्य दिया गया है।

ii) **ई-एनबीएः प्रत्यायन कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली (एडब्ल्यूएमएस):** प्रत्यायन कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली' (एडब्ल्यूएमएस) नामक यह परियोजना तकनीकी संस्थान के कार्यक्रम के प्रत्यायन से संबंधित है। केंद्र वर्ष 2018 से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी संस्थानों के लिए प्रत्यायन कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली का एक पूर्ण ऑनलाइन मंच विकसित करने के कार्य में जुटा हुआ है।

iii) **अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन्स् ऑन इनोवेशन एचीवमेंट (एआरआईआईए):** एआरआईआईए, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है ताकि देश में सभी बड़े उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को छात्र और संकाय के मध्य ''नवोन्मेष और उद्यमिता विकास'' से संबंधित सूचकों पर प्रणालीगत रूप से रैंक किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इनफ्लिबनेट ने माननीय उप शिक्षा राज्य मंत्री, डॉ. सुभाष सरकार द्वारा 29 दिसम्बर, 2021 को शुभारंभ किए गए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन्स् ऑन इनोवेशन एचीवमेंट (एआरआईआईए) फ्रेमवर्क के तीसरे चरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। यह केन्द्र एआरआईआईए परियोजना का तकनीकी भागीदार है तथा उसने इसके लिए एआईसीटीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, चौथे वार्षिक अभ्यास के लिए पंजीकरण आरंभ हो गया है।

iv) **एनएएसीः** एनएएसी ने प्रत्यायित किए जाने वाले संस्थानों के लिए प्रकाशन, साईटेशन, एच–इंडेक्स तथा अन्य संबंधित पुस्तकों के आंकड़ों को उपलब्ध कराने का कार्य नवम्बर, 2017 में सौंपा है।

- **विद्वान तथा भारतीय शोध सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईआरआईएनएस)**

  i) **विद्वानः** एनएमई–आईसीटी.विद्वान द्वारा मई, 2014 में परियोजना कार्य इन्फ्लिबनेट को सौंपा गया था, विद्वान में 12510 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 1,21,988 संकाय सदस्यों तथा भारतीय वैज्ञानिकों के विस्तृत प्रोफाइल मौजूद है। विद्वान परियोजना ने विभिन्न स्रोतों से 17.12 लाख प्रकाशन मेटाडाटा प्राप्त किए हैं। और, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 33,527 प्रोफाइल सृजित किए गए थे तथा विद्वान में जोड़े गए थे।

  ii) **भारतीय शोध सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस):** वर्ष 2018 में एनएमईआईसीटी के द्वितीय चरण के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा परियोजना को इनफ्लिबनेट को सौंपा गया। आईआरआईएनएस एक वेब आधारित शोध सूचना प्रबंधन (आरआईएम) सेवा है जिसे भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है। आईआरआईएनएस शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा संकाय सदस्यों, वैज्ञानकों को विद्वतापूर्ण सम्प्रेषण क्रियाकलापों को एकत्रित करने, प्रबंधन करने तथा प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करता है तथा विद्वतापूर्ण नेटवर्क सृजित करने का अवसर प्रदान करता है। इस परियोजना के माध्यम से इनफ्लिबनेट ने 475 'आईआरआईएनएस इन्सटेंसों' का सृजन किया है तथा 75,804 संकाय सदस्यों को जोड़ा है। इस परियोजना ने विभिन्न स्रोतों से 13.45 लाख प्रकाशन मेटाडाटा को पुनः प्राप्त किया है और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 148 लाख 'साईटेशन' प्राप्त की हैं और और रिपोर्ट की गई अवधि तक 41.84 लाख ऑल्टमेट्रिक्स उल्लेख प्राप्त किए। और, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 186 'इन्सटेंसिज' सृजित किए गए, जहां संकाय सदस्यों की 19,073 संख्या जुड़ी, और 2,21,317 की संख्या में प्रकाशनों के मेटाडेटा की पुनर्प्राप्त की गई।

- **इनफ्लिबनेट की वेबसाइट विकास तथा रखरखाव**

  केन्द्र अंग्रेजी हिन्दी में अपनी वृहद वेबसाइट का रखरखाव करता है जो ***https:// www.inflibnet.ac.in/.*** पर उपलब्ध है। केंद्र, अपनी वेबसाइट के माध्यम से और साथ ही अपनी व्यक्तिगत सेवाओं और उत्पादों की वेबसाइटों के माध्यम से शैक्षिक समुदाय को अपनी सेवाओं और संसाधनों तक संगठित और संरचित पहुंच प्रदान करने के लिए वेब प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। वेब 2.0 की विशेषताएं तथा कार्यकरण में विकी, ब्लॉग, चैट तथा चर्चा संबंधी मंच, आरएसएस फीड आदि हैं, जिन्हें वेबसाइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा, केंद्र एक ही स्थान पर नियमों और विनियमों, कार्यालय परिपत्रों और सूचनाओं, समितियों के विवरण, छुट्टियों और प्रस्तुतियों आदि की सूची जैसे विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों को संग्रहीत करने और आसान पहुंच के लिए एक इंट्रानेट पोर्टल रखरखाव करता है और एक आईएचआरएमएस मॉड्यूल (इनफ्लिबनेट मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली), एक वेब–आधारित इंटरफेस जो नियमित प्रशासनिक क्रियाकलापों की सुविधा प्रदान करता है।

- **विभिन्न सरकारी पहलों और संस्थानों के संबंध में वेब पोर्टल और वेबसाइटें**

  यह केन्द्र, केन्द्र को सौंपी गई परियोजना के एक भाग के रूप में विभिन्न सरकारी पहल/एजेन्सियों के लिए अनेक वेबसाइटें तथा पोर्टलों का रखरखाव करता है।

  i) **स्टडी इन इंडियाः** स्टडी इन इंडिया, भारत में अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी छात्रों हेतु डिजाइन किया गया एक वेब पोर्टल है। यह ऐसी जानकारियां उपलब्ध कराता है जो किसी व्यक्ति को देश में भारतीय शिक्षा संस्थानों के बारे में जानने, उन्हें अपने अध्ययन को आयोजनाबद्ध करने, भारत में किस प्रकार तथा कहां ठहरें यह जानने, किस प्रकार के कार्यक्रम योजनाबद्ध किए गए हैं, आवेदन प्रक्रिया आदि को प्लॉन करने में मदद करता है। पोर्टल का मुख्य भाग 'इंस्टीट्यूट लॉगिन' है (जहां संस्थान विदेशी छात्रों को अपनी सीटें विदेशी छात्रों को निर्दिष्ट कर सकते हैं) तथा छात्र लॉगिन (जहां पंजीकृत छात्र विकल्प को चुनने, मॉक काउंसिलिंग तथा अंतिम काउंसिलिंग सहित विकल्प को चुनने में भागीदारी कर सकते हैं)। केन्द्र ने स्टडी इन इंडिया के वार्षिक अभ्यास को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

  ii) **एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) :** पोर्टल विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के ब्योरे को होस्ट करता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं। ईबीएसबी को सभी भारतीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक सुदृढ़ तथा ढांचागत संबंध के माध्यम से राज्यों के बीच वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थान, विभिन्न मंत्रालय तथा अन्य सरकारी ऐजन्सियां 13 अलग–अलग क्रियाकलापों में डाटा उपलब्ध करवा रहे हैं।

iii) पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग (पीएमएमएमएनएमटीटी): पीएमएमएमएनएमटीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। योजना का उद्देश्य 1,00,000 से अधिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करना, पेशेवर विकास, पाठ्यचर्या को तैयार करना, मूल्यांकन को तैयार करना और उसका विकास करने से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से समाधान करके विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इनफ्लिबनेट केन्द्र, वेब और तकनीकी विकास सहायता प्रदान कर रहा है।

iv) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए): इनफ्लिबनेट केन्द्र, एनटीए को वेबसाइट विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पोर्टल प्लेटफॉर्म की सुविधा देता है जो ''परीक्षा प्रेक्षक'', ''प्रशिक्षण अभ्यास केंद्र'', आदि की पूरी प्रशासनिक और प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करता है।

v) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), नई दिल्ली के लिए गतिविधि पोर्टल: सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के लिए एक गतिविधि पोर्टल विकसित किया है। एआईयू पोर्टल भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ विदेशी डिग्री की समानता को पूरी तरह से स्वचालित करने के संदर्भ में अपने सदस्यों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करता है। केंद्र ने कई मॉड्यूल विकसित किए हैं जैसे एआईयू हितधारक प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा एआईयू सहयोग पोर्टल की सुविधा के लिए प्रत्येक सदस्य विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ विभाग/संकाय की पहचान, विदेशी डिग्री/पीजीडीएम/डॉक्टरेट डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय छात्र पोर्टल, खेल कार्यक्रम, आदि।

vi) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय): केंद्र ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल निर्मित करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को, किसी भी कार्यालय में गए बिना, देश में कहीं से भी डिजिटल रूप से प्रमाणपत्र और पहचानपत्र के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। इसमें ''गरिमा गृह'' मॉड्यूल को जोड़ा गया है।

इसके अलावा, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति प्रभाग के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय पोर्टल पर 35 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य पोर्टल के कामकाज के बारे में जिला अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और टीजी प्रमाणपत्र तथा आईडी कार्ड जारी करने से संबंधित उनके संदेहों और तकनीकी मुद्दों को स्पष्ट करना था।

- अन्य संस्थागत वेबसाइट विकास और अनुरक्षण

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, प्रारंभिक चरण से कई भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों के विकास, प्रबंधन से लेकर केंद्र को संस्थान की सौंपी गई परियोजना के एक अंश के रूप में होस्टिंग तक, जैसे अनुरक्षण कार्य करता है।

& गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट की मरम्मत और इसकी होस्टिंग: सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र को रिपोर्ट अवधि के दौरान गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट की मरम्मत करने और इसकी होस्टिंग करने के लिए एक परियोजना दी गई।

& जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (जेजीएनडीपीएसओयू), पटियाला: सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र ने रिपोर्ट अवधि के दौरान प्रभावी और कुशल दैनंदिन के कामकाज के लिए आवश्यक अपनी विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियाओं के स्वचालन/कम्प्यूटरीकरण हेतु जगत गुरुनानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी (जेजीएनडीपीएसओयू), पटियाला के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

& श्री श्री अनिरुद्धदेव स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़, असम के लिए वेबसाइट का विकास: सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र को श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़, असम के लिए एक वेबसाइट विकसित करने, चालू करने और प्रबंधित करने के लिए एक परियोजना दी गई।

& बाल विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात के लिए पोर्टल और भर्ती प्रणाली का विकास: सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र को बाल विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात के लिए एक वेब–आधारित पोर्टल और भर्ती प्रणाली विकसित करने हेतु एक परियोजना सौंपी गई।

- lLFkkxr fji,fjVjh vuqdyu] lgk;rk vkj gkfLVax lsok,a

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र संस्थागत रिपॉजिटरी के निर्माण और अनुरक्षण की प्रक्रिया में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्र डीस्पेस, लिनक्स, पर्ल, जावा, अपाचे टॉमकैट, पोस्ट ग्रेएसक्यूएल, माईएसक्यूएल आदि जैसे खुले स्रोत सॉफ्टवेयर में स्व–विकसित विशेषज्ञता का उपयोग कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत, केंद्र ने विभिन्न संस्थानों के लिए संस्थागत रिपॉजिटरी संस्थापित, संरूपित, अनुकूलित और होस्ट किए हैं।

- fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx dh oSclkbV vkj fo-v-vk- e bZ&vfHk'kklu

& विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइटः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइट के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र को सौंपी है, जिसमें इसकी विभिन्न योजनाओं का स्वचालन, अनुदान प्रबंधन प्रणाली और ई–छात्रवृत्ति–अध्येतावृत्ति पुरस्कार पंजीकरण अनुवर्तन प्रणाली (ई–सारटीएस) आदि शामिल हैं।

& वि.अ.आ. में ई-शासन योजनाएंः सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र ने अपनी छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, यात्रा सहायता, सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावास, स्वायत्त और विरासत संस्थानों, दूरस्थ शिक्षा आदि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु 30 से अधिक वेब सेवाएं विकसित की हैं।

& दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए वेब पोर्टल का विकासः सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र ने दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए एक वेबपोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–डीईबी की सभी गतिविधियों को स्वचालित करना है। केंद्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–डीईबी गतिविधियों जैसे कि प्रस्ताव आमंत्रित करना, ऑनलाइन बैठकें, वर्चुअल दौरे आदि को स्वचालित कर दिया है।

& मानव संसाधन विकास, क्षणता निर्माण कार्यक्रम एवं परामर्श कार्य सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र अपनी स्थापना के बाद से ही सक्रिय रूप से विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अर्थात् इन–हाउस और ऑफ–साइट कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों , विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में शामिल रहा है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, केंद्र ने वेबिनार, जागरूकता और अन्य सहयोगी कार्यक्रमों और 01 ऑफलाइन सहयोगी कार्यक्रमों सहित 58 ऑनलाइन अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की है, जिनमें कुल 9,254 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

& पश्चिमी क्षेत्र के लिए नई शिक्षा नीति कार्यक्रम का आयोजनः सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र ने समन्वय संगठन के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा पश्चिमी भारत, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, लक्षद्वीप, और दादरा आदि राज्य शामिल थे, के लिए 29 दिसंबर 2021 को आयोजित 'उच्चतर शिक्षा की विनियामक प्रणाली : नई शिक्षा नीति, 2020 द्वारा परिकल्पित उत्कृष्टता और सार्वजनिक उत्साह को प्रोत्साहित करना' पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री संस्था की मेजबानी की।

- प्रकाशन

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के दो प्रमुख प्रकाशन अर्थात् त्रैमासिक सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र न्यूजलेटर और वार्षिक रिपोर्ट हैं। दोनों प्रकाशन पीडीएफ और ई–पुस्तक प्रारूप में डाउनलोड किए जा सकते हैं, जो सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र वेबसाइट के ''प्रकाशन'' पृष्ठ, ***http://www.inflibnet.ac.in/publication/*** पर उपलब्ध हैं। केंद्र के वैज्ञानिकों और कार्मिकों द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट, प्लानर और कैलिबर कार्यवाहियाँ और लेख, सम्मेलन पत्र, उपयोगकर्ता गाइड तथा मैनुअल जैसे प्रकाशनों की प्रतियां भी केंद्र के संस्थागत रिपॉजिटरी (आईआर) के माध्यम से ***http%//ir-inflibnet-ac-in*** पर उपलब्ध हैं।

लाभार्थियों की संख्या (संचयी): एक दृष्टि: में सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के क्रियाकलाप

क्रम संख्या	क्रियाकलाप, सेवाएं और परियोजनाएं	प्रारंभ होने का वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	रिकार्डों की संचयी संख्या
1	इंड–कैट: विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तकों, सिरियल्स और शोध प्रबंध का यूनियन कैटेलॉग	1991		
	योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या/पुस्तकों की संख्या		205	1,76,10,005
	योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या/सिरियल्स की संख्या		226	35,614
	योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या/शोध प्रबंध की संख्या		444	4,41,725
	गुज–कैट: ऑनलाइन यूनियन कैटेलॉग ऑफ गुजरात कॉलेज	2021	33	6,03,366
	ओसीएस (ऑनलाइन कॉपी–कैटेलॉग सिस्टम)	2021	27	5,990
	पहुँच: विश्वभर के समुदाय का खुला उपलब्ध है			
2	आईआर/इनफ्लिबनेट : संस्थागत रिपोजिटरी	2004	1,859	
	पहुँच: विश्वभर के शैक्षिक समुदाय के लिए खुला अभिगम उपलब्ध है।			
	उपयोग: कलेक्टिव व्यूज		45,874	
3	**प्रशिक्षण और कार्यशालाएं (आईआरटीपीएलए, ई–संसाधन जागरूकता, डी–स्पेस, शोधगंगा, बिबिलियोमेट्रीक्स और अन्य विशेषज्ञता कार्यक्रम/वेबिनार सहित) ;2021.2022)**	1991	59	
	प्रतिभागियों की कुल संख्या (2021–2022)		9254	
	पीडीएस– कार्यक्रमों की सं. (क्षेत्रीय कार्यक्रम)(2021–2022)	2019	15	
	पीडीएस– प्रतिभागियों की कुल संख्या		2864	
4	एसओयूएल पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर	2000	4002	
	एसओयूएल 3.0: संस्थापनाओं की संख्या (अप्रैल 2021–मार्च 2022)	2021	98	
	एसओयूएल 2.0 से एसओयूएल 3.0: अपग्रेडेशनों की संख्या	2021	536	
	एसओयूएल 3.0: आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन पद्धति)	2021	13	
	एसओयूएल में प्रशिक्षित किए गए प्रतिभागी		526	
5	शोधगंगा: भारतीय शोध प्रबंध का एक भंडार	2010		
	वर्ष 2021–2022 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन		87	
	31 मार्च, 2022 तक हस्ताक्षर किए गए कुल समझौता ज्ञापन	(640 विश्वविद्यालय + 45 सीएफटीआई)	685	
	वर्ष 2021–2022 में प्राप्त किए गए शोध प्रबंध की संख्या		47,974	
	शोधगंगा में शोध प्रबंध की कुल संख्या		3,50,000	
	सहयोग करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों की कुल संख्या		538	
6	ई–पाठशाला: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ई–सामग्री	2011		
	विषयों की संख्या		70	
	मॉड्युलों की संख्या (ई–पाठ)		23,000	

क्रम संख्या	क्रियाकलाप, सेवाएं और परियोजनाएं	प्रारंभ होने का वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	रिकार्डों की संचयी संख्या
	मॉड्युलों की संख्या (वीडियो)		23,000	
	पहुँचः विश्वभर के शैक्षिक समुदाय के लिए खुला अभिगम उपलब्ध है।			
7	शोधगंगोत्रीः डॉक्टोरल डिसर्टेशन शोध प्रबंध के लिए अनुमोदित सिनोप्सिसों का	2013		
	सिनोप्सिस/एमआरपी/पीडीएफ/अध्येतावृत्तियों की संख्या			
			8571	
	सिनोप्सिस/एमआरपी/पीडीएफ/अध्येतावृत्तियों के लिए सहयोग करने वाले संस्थानों की संख्या		115	
8	विद्वानः विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ता नेटवर्क	2013		
	विशेषज्ञों के प्राफाइलों की संख्या		1,21,988	
	योगदान करने वाले संस्थानों की संख्या		12,510	
	पहुँचः विश्वभर के शैक्षिक समुदाय के लिए खुला अभिगम उपलब्ध है।			
	वर्ष 2021–2022 में निर्मित किए गए विशेषज्ञ प्रोफाइलों की संख्या		33,527	
9	आईआरआईएनएसःभारतीय अनुसंधान सूचना नेटवर्क प्रणाली	2018		
	कुल दृष्टांत		475	
	निर्मित किए गए प्रोफाइलों की संख्या		75,804	
	पुनर्प्राप्त किए गए प्रकाशन मेटाडेटा की संख्या		13.45 लाख से अधिक	
	प्राप्त किए गए साइटेशनों की संख्या		148 लाख से अधिक	
	अभी तक प्राप्त आल्टेमेट्रीक मेंशनों की संख्या		41.84 लाख से अधिक	
	वर्ष 2021–2022 में निर्मित दृष्टांतों की संख्या		186	
	वर्ष 2021–2022 में निर्मित प्रोफाइलों की संख्या		19,073	
	वर्ष 2021–2022 में पुनर्प्राप्त किए गए प्रकाशन मेटाडेटा की संख्या		2,21,317	
	पहुँचः विश्वभर के शैक्षिक समुदाय के लिए खुला अभिगम उपलब्ध है।			
10	विद्या–मित्रः सभी ई–सामग्री परियोजना और शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित शिक्षा मंत्रालय की ई–सामग्री का एकीकृत भंडार	2013		
	ई–पाठों की संख्या		44,450	
	ट्यूटोरियलों की संख्या		66,174	
	अन्य ई–सामग्री		37,827	
11	इंडिया रैंकिंग (एनआईआरएफ)	2015		
	इंडिया रैंकिंग 2021 में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या		6,272	
12	अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्युशन्स ऑन इनोवेशन एचीवमेंट (एआरआईआईए)	2019		
	एआरआईआईए 2021 में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या		1,438	
13	आईसीएसएसआर डेटा सेवाः भारतीय समाजिक विज्ञान डेटा भंडार	2015		
	डेटासेटों की संख्या		140	
	उपयोगः डाउनलोड किए गए ई–संसाधनों की कुल संख्या		50 लाख से अधिक	
	कुल पंजीकृत उपयोगकर्ता		5073	

क्रम संख्या	क्रियाकलाप, सेवाएं और परियोजनाएं	प्रारंभ होने का वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या / रिकार्डों की संचयी संख्या
14	ई–शोधसिंधुः भारतीय संस्थानों को ई–संसाधनों (ई–जर्नलों, ई–बुक और डेटाबेस) का अभिगम	दिनांक 01 दिसंबर, 2015 (2016)	98
	मुख्य सदस्यों (सीएफटीआई) की संख्या		
	मुख्य सदस्यों (विश्वविद्यालयों) की संख्या		217
	तकनीकी संस्थानों (एआईसीटीई) की संख्या		133
	ई–जर्नलों की संख्या		7,145
	बिबिलियोग्राफीक्स डेटाबेसों की संख्या		4
	ई–पुस्तकों (एनडीएलआई के माध्यम से) की संख्या		6,00,000
	एन–लिस्टः महाविद्यालयों के लिए ई–संसाधन		
	महाविद्यालयों की संख्या		3,414
	ई–जर्नलों की संख्या		6,500 से अधिक
	ई–पुस्तकों की संख्या		1,99,500 से अधिक
	उपयोगः अभिगम के लिए निर्मित किए गए उपयोगकर्ता आईडी की संख्या		5,22,010
15	शोधशुद्धिः साहित्यिक चोरी पहचान सॉफ्टवेयरः शामिल किए गए संस्थानों की संख्या	2019	
	शोधशुद्धि के अंतर्गत साहित्यिक–चोरी–रोधी सॉफ्टवेयर यूआरकेयू		1,061
	दिनांक 1 सितंबर, 2019 से शिक्षा मंत्रालय की योजना शोधशुद्धि के अंतर्गत साहित्यिक चोरी की जाँच के लिए स्कैन किए गए दस्तावेजों की संख्या वर्ष 2021–2022 में स्कैन किए गए दस्तावेजों की		19,88,174 8,73,905
	सृजित उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2021–22 में जोड़े गए उपयोगकर्ताओं की संख्या		1,27,777 22079
16	स्वयं प्रभा 34 शैक्षिक डीटीएच चैनल	2017	
	चैनलों की संख्या		34
	वीडियो व्याख्यानों (अद्वितीय) उच्चतर शिक्षा की संख्या		15,246
	कुल सबस्क्राइबरों की संख्या		1,24,390
	एचई चैनलों के लिए व्यूज की कुल संख्या		11,801,405
17	भारतीय अभिगम प्रबंधन संघ (आईएनएफईडी)	2017	
	आईएनएफईडी के लिए हस्ताक्षर करने वाले संस्थानों की संख्या		210
	प्रोडक्शन पर		158
	प्रकाशकों की संख्या		42
18	इनफ्लिबनेट ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (आईएलएमएस)	2020	
	आईएलएमएस के लिए भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या		52
	सक्रिय आईएलएमएस स्टैटस वाले संस्थानों की संख्या		30
	वर्ष 2021–2022 में कार्यान्वयनों की संख्या		14
19	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के राष्ट्रीय पोर्टल (समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	2020	
	जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या (वर्ष 2021–2022)		35

बजट

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनुदान और किया गया खर्च

(लाख रुपये में)

जारी किया गया अनुदान	किया गया खर्च
1229.61	1142.09

5.9 (ख) (vi) कन्सोर्टियम फॉर एजूकेशनल कम्यूनीकेशन (सीईसी)/मीडिया केन्द्र

कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के तहत 26 मई, 1993 को स्थापित एक अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसे शैक्षिक मल्टीमीडिया सामग्री विकसित करने और टेलीविजन, रेडियो, सीईसी गुरुकुल, वेब पोर्टलों और ऑफलाइन पद्धति सहित विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से इसके प्रसार के द्वारा उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिदेशित है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक डिजिटल विषयवस्तु को तैयार करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकी जनशक्ति के साथ देशभर में स्थित कंसोर्टियम सदस्यों के रूप में इसके 21 शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र (ईएमआरसी) हैं।

ईएमआरसी की अवस्थिति



सीईसी के प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्र तीन प्रमुख क्षेत्रें के अंतर्गत आते हैं-

क. फिल्म निर्माण

ख. प्रचार–प्रसार

ग. आईसीटी परिवेश तैयार करना

शैक्षिक वीडियो

सीईसी तथा इसका मीडिंग केन्द्र, पाठ्यचर्या आधारित तथा विषय को समृद्ध बनाने (अनुपूरक शिक्षण हेतु) विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक वीडियो, कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम चार बैंड/विषयों में विभिन्न विषयों को कवर करते हैं:–

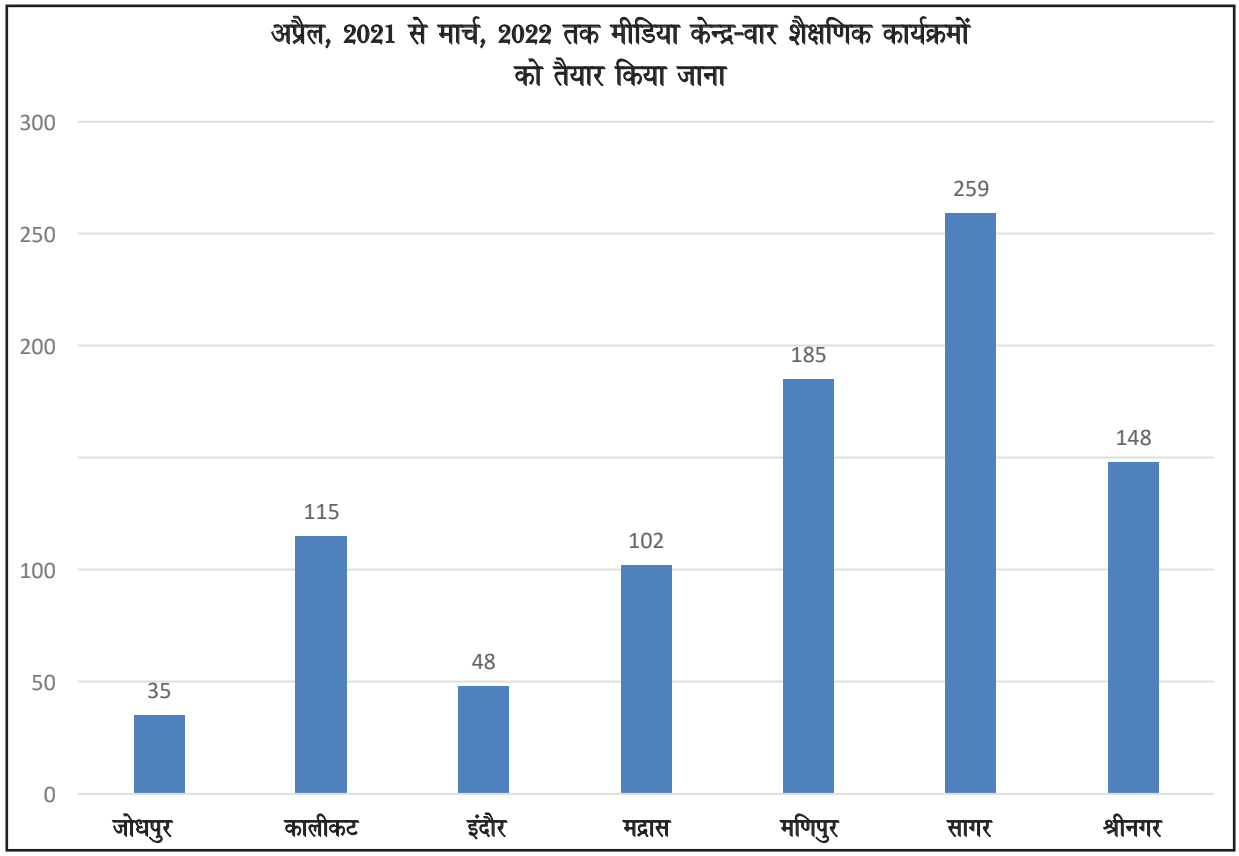
1. भाषा/साहित्य/कला और संस्कृति
2. सामाजिक विज्ञान
3. प्रबंधन तथा अन्य पेशेवर विषय
4. प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान

सीईसी के पास अंग्रेजी और हिंदी में विभिन्न शीर्षकों, विषयों पर लगभग 42217 शैक्षणिक वीडियो के ज्ञान का भण्डार उपलब्ध है। इसके अलावा, जैसा कि सीईसी मीडिया केन्द्र से प्राप्त हुए विभिन्न विषयों तथा शीर्षकों पर 892 वीडियो कार्यक्रमों को भी इस वर्ष जोड़ा गया। वीडियो कार्यक्रमों के संपूर्ण संग्रह को डिजिटाईज किया जा रहा है ताकि वीडियो कार्यक्रम को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और डिजिटल पद्धति से चलाया जा सके ताकि यह लंबे समय तक चले तथा सुवाह्य हो।

विभिन्न मीडिया केन्द्रों से प्राप्त वीडियो कार्यक्रम

मीडिया केन्द्र	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल प्राप्त हुए कार्यक्रमों की संख्या
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	मार्च, 2022 तक
ईएमआरसी													
अहमदाबाद													
कोलकत्ता													
दिल्ली (जामिया)													
हैदराबाद (इएफएलयू)													
जोधपुर	15				15						5		35
मदुरै													
पुणे													
कालीकट	1				14							100	115
हैदराबाद (ओएसए)													
इंदौर				48									48
मद्रास		20		27					16		5	34	102
मणिपुर				55		39		45				46	185
मैसूर													
पटियाला													
रूडकी													
सागर				107			31		25		49	47	259
श्रीनगर	1	12	13	13	7	7				71	20	4	148
लखनऊ													
कुल योग	17	32	13	250	36	46	31	45	41	71	79	231	892

अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक कुल 892 शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।



वीडियो कार्यक्रमों का पूर्वावलोकन

सीईसी तथा उसके मीडिया केंद्रों द्वारा निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सामग्री को प्रमाणित करने के लिए एक पूर्वावलोकन प्रक्रिया से गुजरते हैं। पूर्वावलोकन प्रक्रिया मूल रूप से मैक्रो और माइक्रो स्तरों पर सामग्री का विश्लेषण करने की एक समग्र प्रक्रिया है, जिसमें वैचारिक स्पष्टता का विश्लेषण, सामग्री का प्रमाणीकरण, कार्यक्रमों की सभी संरचना और वीडियो तथा ऑडियो गुणवत्ता के संबंध में तकनीकी पर्याप्तता का विश्लेषण शामिल है। पूर्वावलोकन समिति शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करती है और सिफारिश करती है कि क्या कार्यक्रमों को स्वीकार किया जा सकता है या उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में मानकों को पूरा नहीं करने के कारण कार्यक्रमों को खारिज कर दिया जाता है। निर्मित कार्यक्रमों की प्रस्तुति, कैप्शन/ग्राफिक्स में त्रुटियों को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने से पहले नोट किया जाता है और ठीक किया जाता है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान, कुल 800 वीडियो कार्यक्रमों का पूर्वावलोकन किया गया। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक पूर्वावलोकन किए गए वीडियो कार्यक्रमों की संख्या का माह–वार डेटा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

क्रम संख्या	माह	पहले ही देखे कार्यक्रमों की संख्या
1.	अप्रैल, 2021	70
2.	मई, 2021	#
3.	जून, 2021	#
4.	जुलाई, 2021	80
5.	अगस्त, 2021	80
6.	सितम्बर, 2021	90

क्रम संख्या	माह	पहले ही देखे कार्यक्रमों की संख्या
7.	अक्तूबर 2021	80
8.	नवम्बर, 2021	80
9.	दिसम्बर, 2021	80
10.	जनवरी 2022	80
11.	फरवरी 2022	80
12.	मार्च 2022	80
	कुल	800

कोविड-19 महामारी फैलने के कारण 'प्रीव्यू' रद्द कर दिया गया।

गुरूकुल लाइव प्रसारण के अंतर्गत एमओओसी के लिए गैप क्षेत्रों के अधीन विकसित कार्यक्रम

गुरुकुल प्रसारण को जनवरी, 2019 में व्यास उच्चतर शिक्षा चौनल को लाइव फीड प्रदान करने और स्वयं प्रभा डीटीएच चै नलों के माध्यम से प्रसारित करने के लिए आगे के उपयोग हेतु लाइव कार्यक्रमों को फिर से तैयार करने के ध्येय के साथ फिर से चालू किया गया। तदनुसार, अंतराल क्षेत्रों पर 13 श्रृंखलाओं की पहचान की गई। सॉफ्टवेयर इकाई ने नीचे दिए गए विषय में तीन पाठ्यक्रम (वीडियो क्वाड्रंट) विकसित किए हैं:

क्रम संख्या	एमओओसी का शीर्षक	विषय	प्रस्तावित व्याख्यान	पूर्ण किए गए
1.	1500 ई.पू. तक भारतीय इतिहास में जेंडर	इतिहास	24	24
2.	असमानता और भिन्नता	इतिहास	22	22
3.	भारत का इतिहास 1750–1857	इतिहास	30	30

इन पंक्तिबद्ध पाठ्यक्रमों में निवेश के मूल सिद्धांत, सी++ प्रोग्रामिंग का परिचय और भारतीय इतिहास 1500–1950 में जेंडर शामिल हैं।

क्रम संख्या	एमओओसी का शीर्षक	विषय	प्रस्तावित व्याख्यान	पूर्ण किए गए
1.	निवेश के मूल सिद्धांत	वाणिज्य	34	18
2.	सी++ प्रोग्रामिंग का परिचय	गणित	32	18
3.	भारतीय इतिहास 1500–1950 में जेंडर	इतिहास	14	08

सीईसी गुरुकुल लाइव व्याख्यान

सीईसी के लाइव लेक्चर प्रख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए जाते हैं जिन्हें व्यास चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाता है और लोकप्रिय वीडियो नेटवर्किंग साइट–यूट्यूब पर सीईसी यूट्यूब चैनल के रूप में भी उपलब्ध हैं। सीधे व्याख्यान को कला और साहित्य, प्रबंधन और व्यावसायिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, और प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में प्रसारित किए जाते हैं। यह व्याख्यान, उभरते ज्ञान के क्षेत्रों, विषयों के बुनियादी सिद्धांतों और कॅरियर अभिविन्यास पर आधारित हैं। देश के विभिन्न भागों से शिक्षार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं और व्याख्यान के दौरान दिए गए निःशुल्क नंबर और ई–मेल के माध्यम से और प्रतिप्राप्ति दे सकते हैं।

क्रम संख्या	माह	व्याख्यानों की कुल संख्या
1.	अप्रैल, 2021	80
2.	मई, 2021	4 का प्रसारण व्यास के माध्यम से 10 होम रिकार्डिड*
3.	जून, 2021	16 का प्रसारण व्यास के माध्यम से 47 होम रिकार्डिड*
4.	जुलाई, 2021	126

कम संख्या	माह	व्याख्यानों की कुल संख्या
5.	अगस्त, 2021	136
6.	सितम्बर, 2021	150
7.	अक्तूबर 2021	132
8.	नवम्बर, 2021	134
9.	दिसम्बर, 2021	144
10.	जनवरी 2022	60 का प्रसारण व्यास के माध्यम से 12 होम रिकार्डिड*
11.	फरवरी 2022	44 होम रिकार्डिड*
12.	मार्च 2022	140
	कुल	1235

**मई 2021 से जून 2021 और जनवरी 2022–फरवरी 2022 के बीच लॉकडाउन के दौरान, कुल 113 व्याख्यान*

विषय विशेषज्ञों द्वारा घर से रिकॉर्ड किया गया, और बाद में सीईसी यूट्यूब चौनल पर अपलोड किए गए।

सीईसी-यूट्यूब चैनल

सीईसी का यूट्यूब चैनल वर्ष 2010 में शुरू किया गया और तत्काल सीईसी के शैक्षिक वीडियो के प्रसार के सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक बन गया।

सीईसी गुरुकुल लाइव व्याख्यान की पहुंच और अभिगम को और अधिक बढ़ाने के लिए, इन्हें बाद में सीईसी के यूट्यूब चैनल (सीईसी–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), जिसे कभी भी देखा जा सकता है, पर अपलोड किया गया ताकि सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से युवाओं को आकर्षित किया जा सके। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान यूट्यूब पर 1235 वीडियो अपलोड किए गए।

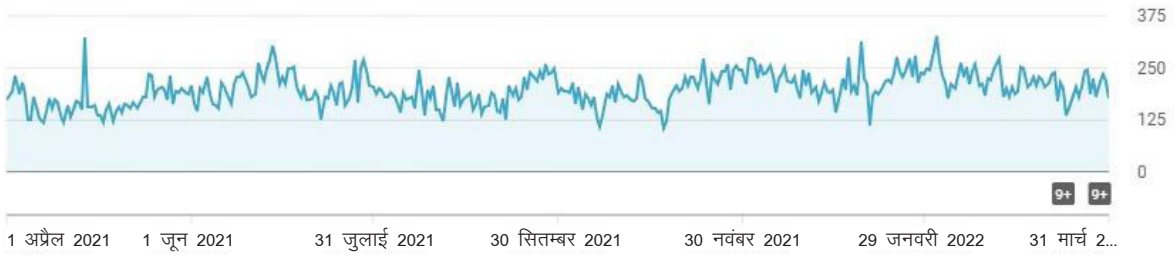
ये व्याख्यान यूट्यूब पर बहुत लोकप्रिय हैं और इनकी व्यापक दर्शक संख्या है। अप्रैल 2021– मार्च 2022 में व्याख्यानों में 72,79,4000 से अधिक नियमित सबस्क्राइबरों के 'फुटफॉल' देखे गए, जिसमें 6.6 मिलियन व्यूज और 708,372.8 घंटे का वॉच समय था।

क्रम संख्या	माह	सीईसी गुरूकुल पर व्याख्यानों की कुल संख्या	यूट्यूब पर अपलोड किए गए व्याख्यानों की कुल संख्या
1.	अप्रैल, 2021	80	80
2.	मई, 2021	4	4 को व्यास के माध्यम से प्रसारित किया गया और 10 को घर में रिकॉर्ड किया गया*
3.	जून, 2021	16	16 को व्यास के माध्यम से प्रसारित किया गया और 47 को घर में रिकॉर्ड किया गया*
4.	जुलाई, 2021	126	126
5.	अगस्त, 2021	136	136
6.	सितंबर, 2021	150	150
7.	अक्तूबर, 2021	132	132
8.	नबंवर, 2021	134	134
9.	दिसंबर, 2021	144	144
10.	जनवरी, 2022	60	60 को व्यास के माध्यम से प्रसारित किया गया और 12 को घर में रिकॉर्ड किया गया*
11.	फरवरी, 2022	–	44 को घर में रिकॉर्ड किया गया*
12.	मार्च, 2022	140	140
	कुल	1122	1235

सीईसी यूट्यूब चैनल एनालिटिक्सः अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान कार्यक्रमों के देखे जाने की संख्या के बारे में यूट्यूब स्रोत से निर्मित रिपोर्ट निम्नानुसार है।

चयनित अवधि में, आपके चैनल को 6,561,388 बार देखा गया

कितनी बार देखा गया	देखने का समय (घंटे)	सब्सक्राईबर ▲
6.6M	708.4K	+72.8K



सीईसी के यूट्यूब चैनल का व्यूअरशिप

^Lo;* ifj;ktuk ¼,evkvkbZ½

वि.अ.आ. एमओओसी के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की स्थितिः

(क) स्वयं ईओआईपोर्टल और वास्तविक पद्धति के माध्यम से लगभग 18 विषयों के लिए एसईजी बैठकें आयोजित की गईं

(ख) स्वयं ईओआई पोर्टल के माध्यम से 7 विषयों में एएसी बैठकें आयोजित की गईं

(ग) एसईजी द्वारा संस्तुत प्रस्तावों की कुल संख्या– 160 (लगभग)

(घ) इन 160 पाठ्यक्रमों में से, एएसी द्वारा अनुमोदित कुल पाठ्यक्रम– 39

क्रम संख्या	सेमेस्टर	तैयार किए गए पाठ्यक्रम	पेशकश किए गए पाठ्यक्रम	नामांकित छात्र	जारी किए गए क्रेडिट–प्रमाणपत्रों की संख्या
1.	जुलाई–दिसंबर, 2021	32	82	139415	परिणाम प्रतीक्षित है
2.	जनवरी–जुलाई, 2022	29	102	206414	परीक्षा होनी निर्धारित है

पीजी एमओओसी के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की स्थितिः

क्रम संख्या	सेमेस्टर	तैयार किए गए पाठ्यक्रम	पेशकश किए गए पाठ्यक्रम	नामांकित छात्र	जारी किए गए क्रेडिट–प्रमाणपत्रों की संख्या
1.	जुलाई–दिसंबर, 2021	0	40	143439	परिणाम प्रतीक्षित है
2.	जनवरी–जुलाई, 2022	2	48	112027	परीक्षा होनी निर्धारित है

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल परियोजना की स्थिति

चैनल संख्या	संगठन का नाम	चैनल का नाम	कवर किए गए विषय	'व्यूअरशिप8 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक)	सब्सक्राइबरों की संख्या (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक)	अवधि की अनुसूची
सीईसी– वि0अ0आ0 01	ईएमआरसी, हैदराबाद	वागीश	भाषा और साहित्य	1276717	17392	08
सीईसी– वि0अ0आ0 02	सीईसी, नई दिल्ली	संस्कृत	इतिहासए संस्कृति और दर्शनशास्त्र	4225720	34415	08
सीईसी– वि0अ0आ0 03	ईएमआरसी, जोधपुर	प्रबोध	सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान	688305	9219	08
सीईसी– वि0अ0आ0 04	सीईसी, नई दिल्ली	सारस्वि	शिक्षा और गृह विज्ञान	595185	6130	08
सीईसी– वि0अ0आ0 05	ईएमआरसी, जामिया मिलिया, नई दिल्ली	प्रबंधन	सूचना, संचार और प्रबंधन अध्ययन	763487	8746	08
सीईसी– वि0अ0आ0 06	ईएमआरसी, पटियाला	तवतधक	विधि और विधि संबंधी अध्ययन	349,259	5274	08
सीईसी– वि0अ0आ0 07	ईएमआरसी अहमदाबाद	कौटिल्य	अर्थशास्त्र और वाणिज्य	171412	2447	12
सीईसी– वि0अ0आ0 08	ईएमआरसी कालीकट	आर्यभट्	भौतिक और पृथ्वी विज्ञान	438052	4784	08
सीईसी– वि0अ0आ0 09	ईएमआरसी, श्रीनगर	स्पंदन	जीव विज्ञान	443950	8343	08
सीईसी– वि0अ0आ0 10	ईएमआरसी, चेन्नई	दक्ष	अनुप्रयुक्त विज्ञान	637301	7309	08
सीईसी– वि0अ0आ0 21	ईएमआरसी, नई दिल्ली	व्यास	**बैंड 01:** कला/साहित्य **बैंड 02:** सामाजिक विज्ञान **बैंड 03:** प्रबंधन और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम **बैंड 04:** प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान	**देखे जाने की संख्या:** 6561388 **देखे गए घंटे:** 708372.8 घंटे	415166	11450

सीईसी द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनः

क्रम संख्या	संगठन जिसके साथ हस्ताक्षर किए गए	दिनांक
1.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	28 जून, 2021
2.	कमीशनरेट ऑफ कोलिजिएट ऑफ एजूकेशन (सीसीई), तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	22 जुलाई, 2021
3.	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	01 अक्तूबर, 2021
4.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश	06 अक्तूबर, 2021

vrjk"Vªh;@jk"Vªh; lEesyu] cBdksa] çf'k{k.k@dk;Z'kkykvksa vkj lxkf"B;ksa

- सीईसी ने 14–15 मार्च, 2022 को ईएमएमआरसी पुणे में एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। देश भर के विभिन्न ईएमआरसी के कुल 17 कार्मिकों ने कार्यशाला में भाग लिया।

- सीईसी ने एसजेएमसी में 07 से 08 मार्च, 2022 तक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (एसजेएमसी), आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, पटना के सहयोग से ''डिजिटल शिक्षाः मल्टीमीडिया कंटेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी'' शीर्षक वाले नए और अभिनव डिजिटल मीडिया पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

- निदेशक, सीईसी और अतिरिक्त निदेशक, सीईसी ने शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया, जिसमें स्वयं और स्वयं प्रभा के कार्यान्वयन और भविष्य के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप पर चर्चा की गई। यह बैठक अतिरिक्त सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में बुलाई गई थी और 26 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गई थी।

- निदेशक, सीईसी और अतिरिक्त निदेशक, सीईसी ने परियोजना से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए स्वयं प्रभा परियोजना के मुख्य समन्वयक, आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। यह बैठक 10 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गई थी।

- तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) – सीईसी की द्वारा ईएमआरसी में उपकरण की आवश्यकता का विश्लेषण करने और सभी ईएमआरसी में मौजूदा तकनीकी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए ग्ग बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 25 अक्तूबर, 2021 को सीईसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

- सीईसी शैक्षिक वीडियो निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी उत्कृष्टता को पोषित करने, प्रोत्साहित करने और पहचान करने के लिए शैक्षिक वीडियो प्रतियोगिता आयोजित करता है। प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फिल्म निर्माताओं, छात्रों, शिक्षाविदों, प्रशासकों, विकास कार्यकर्ताओं और मीडिया को एक साथ आने और वृत्तचित्र फिल्म निर्माण की कलात्मक शैली की सराहना करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जाता है। यह समानता, नैतिकता, पारिस्थितिकी और स्वस्थकारिता के शैक्षिक पहलुओं पर कार्य करने वाले लोगों के व्यापक गठबंधन की दिशा में एक कदम है। इस वर्ष, दिनांक 24–25 नवंबर, 2021 को सीईसी की शैक्षिक वीडियो प्रतियोगिता और दिनांक 26–27 नवंबर, 2021 को प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का संयुक्त पुरस्कार–सह–स्क्रीनिंग मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर में आयोजित किया गया। शैक्षिक वीडियो प्रतियोगिता के दौरान, 12 फिल्में चलायी गईं। प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में 17 फिल्में चलाई गईं। शैक्षिक वीडियो प्रतियोगिता में विजेता प्रविष्टियों को 10 विभिन्न श्रेणियों में दिखाया गया और विशेष स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र के साथ 25 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रकृति उत्सव के पुरस्कार विजेताओं को विशेष स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र के साथ 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

  – दिनांक 14 से 30 सितंबर, 2021 के बीच हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान तीन मुख्य प्रतियोगिताओं यथा निबंध लेखन, आशु भाषण और वर्ष भर में हिंदी भाषा में किए गए कार्य, का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों ने सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं की विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को 12,200 रुपये के नकद पुरस्कार वितरित किए गए।

  – कंसोर्टियम की गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर चर्चा करने और उन्हें विकसित करने के लिए सीईसी द्वारा 102वीं समन्वय समिति का आयोजन किया गया। यह बैठक 28 और 29 जुलाई, 2021 को ईएमआरसी, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित की गई।

  – डॉ अस्मिता बख्शी, अकादमिक समन्वयक ने 10 और 17 जून, 2021 को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में एमओओसी/स्वयं पाठ्यक्रमों को कैसे शामिल किया जाए'' पर ऑनलाइन कार्यशाला में भाग लिया।

ekdfVx vkj ckM r;kj djuk

सीईसी सामग्री की पहुंच को बढ़ाने और छात्रों तथा कार्यरत पेशेवरों एवं अन्य हितधारकों के बीच संगठन के कार्यों और गतिविधियों से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, नियमित सोशल मीडिया पोस्ट निर्मित तथा अपडेट किए जा रहे हैं। ये पोस्ट सीईसी के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

इन सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, सीईसी 11 सीईसी स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों तथा व्यास चैनल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीईसी द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न स्वयं एमओओसी पाठ्यक्रमों के बारे में प्रवेश मार्गदर्शन, उनके परिणाम और अन्य संबंधित जानकारी भी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अधिसूचित की जाती है। वैश्विक कोविड–19 महामारी के दौरान, छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिससे इन पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने में सहायता मिली।

सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से छात्रों और कार्यरत पेशेवरों को शिक्षित करने के लिए सीईसी के पास उपलब्ध डिजिटल सामग्री से संबंधित नियमित ब्रांडिंग अभ्यास विभिन्न अंतरालों पर किए जा रहे हैं।

सीईसी न्यूजलेटर

प्रत्येक माह, सीईसी सीईसी न्यूजलेटर में विभिन्न विषयों पर चुनिंदा प्रतिष्ठित शिक्षाविदों द्वारा लिखे गए लेख प्रकाशित करता है। न्यूजलेटर दोनों सीईसी और इसके 22 शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्रों (ईएमआरसी) द्वारा प्रत्येक माह आयोजित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। सीईसी न्यूजलेटर हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप से प्रकाशित होता है, और यह प्रख्यात उच्च शिक्षण संस्थानों तथा शीर्ष सरकारी संगठनों के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

मीडिया केन्द्रों की सूची निम्नवत है:

1. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   गुजरात विश्वविद्यालय, गुरू नानक भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
2. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   सेंट जेवियर कालेज, 50, सर्कस एवन्यू
   कोलकाता–700017
3. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   द इग्लिश एण्ड फारेन लैग्वेज यूनीवर्सिटी हैदराबाद–500017
4. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी संकाय परिसर
   जोधपुर–342001
5. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   मदुरई कामराज विश्वविद्यालय,
   पालकालाई नगर, मदुरई–625021
6. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   पुणे विश्वविद्यालय गणेशखिन्ड, पुणे–411007
7. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   द्वितीय तल, ओस्मानिया विश्वविद्यालय ग्रंथालय भवन,
   ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500007
8. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ए0बी0 रोड, भंवर कुंआ,
   इंदौर–452001
9. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
   अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय
   चिन्नेई–600025
10. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
    मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर–570006
11. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
    मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इंफाल–7950003

12. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला–147002

13. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
आईआईटी रूणकी, रूणकी–247667 (उ0 प्र0)

14. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर–190006 (जम्मू और कश्मीर)

15. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
जनसंचार विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट–675635

16. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर–470003 (मध्यप्रदेश)

17. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर,
मास कम्यूनीकेशन रिसर्च सेंटर (एमसीआरसी)
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (केन्द्रीय विश्वविद्यालय का भाग)

18. एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क्स एंड सोशल साइंसेज (एनआईएसडब्ल्यूएएसएस),
3, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर–751023, ओड़िशा (कार्य नहीं कर रहा)

वर्ष 2010–11 के दौरान देश के विभिन्न भागों में चार (04) नए मीडिया केन्द्रों को लघुसूचीबद्ध किया गया, तथापि, जिनकी सूची नीचे दी गई है:–

1. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
डिब्रूगढ़, असम–786004

2. मगध विश्वविद्यालय
बोधगया, बिहार–824234

3. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड,
लखनऊ–226005 (उ0 प्र0)

4. ईएमएमआरसी, पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी–605014

बजट

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनुदान और किया गया खर्च

(लाख रुपये में)

जारी किया गया अनुदान	किया गया खर्च
6027.75	5280.9

5.9 (ख) (vii) अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (आईयूसी-टीई, बीएचयू), वाराणसी

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2014 को स्वतंत्रता भवन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उद्घाटन के साथ ही अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय (आईयूसीटीई), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। आईयूसीटीई एक स्वायत्त निकाय है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 12 (गगग) के तहत स्थापित किया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) का शुभारंभ किया। आईयूसीटीई का उद्देश्य पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय

अध्यापक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) को प्रोत्साहित करना है जो अध्यापक, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करने, अध्यापक शिक्षक और उनके पेशे के विकास, पाठ्यक्रम, आंकलन और मूल्यांकन तथा प्रभावी अध्यापन के विकास से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करने की परिकल्पना करता है।

- भवन निर्माण कार्य की स्थिति

  – दिनांक 01 मार्च, 2022 तक हुई प्रगति

आईयूसीटीई के स्थायी स्थल पर भवन निर्माण की स्थिति यह है कि तीन प्रमुख ऊंचे भवन निर्माणाधीन हैं जिन्हें आईयूसीटीई और विअआ की भवन एवं निर्माण समिति और स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। मार्च, 2022 तक विभिन्न भवनों की कार्य स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	भवन का नाम	स्थिति
1	अतिथि गृह सह बहुउद्देशीय भवन (भूमितल 7 मंजिला)	लगभग तैयार, अधिग्रहण के लिए तैयार हो सकता है।
2	शैक्षणिक सह प्रशासनिक ब्लॉक (निम्नतल+भूमितल 6 मंजिला)	लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
3	आवासीय ब्लॉक (एस+6)	लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
4	निदेशक का बंगला (भूमि तल+1)	केवल 40 कार्य पूरा हो गया है।

परियोजना के हमारे वास्तविक अवलोकन के अनुसार, सभी भवनों के लिए सीवेज और विद्युत कनेक्टिविटी पूरी नहीं हुई है। सीपीडब्ल्यूडी ने दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक परियोजना सौंपने का आश्वासन दिया है।

- लॉकडाउन अवधि (अप्रैल से जून, 2021 तक) के दौरान प्रगति

कोविड के चरम चरणों और पूर्ण लॉकडाउन अवधि (अप्रैल से जून, 2021) के दौरान संस्था द्वारा ऑनलाइन कार्य को बढ़ावा दिया गया था। कोविड–19 से 75 प्रतिशत से अधिक कार्यालय कर्मचारी प्रभावित हुए थे। 21 जून, 2021 से आईयूसीटीई ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए कार्यालय से काम करना आरंभ कर दिया। निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

– वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने का कार्य पूरा हो गया और इसे विअआ, नई दिल्ली को भेज दिया गया।

– माननीय अध्यक्ष, अभिशासी निकाय प्रो. जे. एस. राजपूत द्वारा चौथे आरएसी का गठन किया गया।

– आईआईसी, नई दिल्ली में दिनांक 13 अगस्त, 2021 को विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। आईयूसीटीई के शैक्षणिक कार्यों संबंधी बैठक के दौरान संक्षिप्त चर्चा हुई।

– वर्ष 2021–22 के लिए शैक्षणिक कार्यों पर चर्चा करने और इन्हें तैयार करने के लिए प्रो. के. रामचन्द्रन के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया गया।

– प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक शिक्षा प्रणाली (चल रही है) में इनके निहितार्थ।

– चौथी आरएसी दिनांक 07 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी और वर्ष 2021–22 के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर पूरी तरह से चर्चा की गई थी। सम्मानित सदस्यों ने वर्ष 2021–22 के लिए उपर्युक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों को मंजूरी दी।

– कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ विशेषज्ञों को शामिल करते हुए दो ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गई हैं। विचार–विमर्श के आधार पर, कार्यक्रम निम्नानुसार चलाए जा रहे हैं:

- अध्यापक शिक्षा में अनुसंधानों के रूझानों का विश्लेषण

अध्यापक शैक्षिक अनुसंधान हमेशा हमारे तात्कालिक सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिबिंब रहे हैं तथा सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम अभ्यास के साथ–साथ सिद्धांत से भी बहुत जुड़े हुए हैं। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षक प्रवीणता और क्षमता का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं; उम्मीदवार छात्रों को शिक्षित

करने में नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। आज के विश्व में, शिक्षकों पर मांग बढ़ रही है। उन्हें खोजी दिमाग के साथ समझ बनाने; आवश्यक परिवर्तन को आत्मसात करने और सार्वभौमिक आवश्यकताओं को समायोजित करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए। यह सर्वविदित है कि समावेशी शिक्षा प्रणाली के विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा तक सार्थक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक प्रेरित, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक महत्वपूर्ण कारक हैं। अध्यापक शिक्षा शिक्षकों की प्रवीणता और क्षमता के विकास की प्रक्रिया है जो बदले में उन्हें वर्तमान समय में पेशे की आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाती है।

अनुसंधान अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान खंड से परे हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय ढांचे को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। वे नए ज्ञान की मानवीय खोज में भी योगदान करते हैं। अध्यापक शिक्षा पर अनुसंधान को समझने, मजबूत करने और इसमें तेजी लाने का कारण अध्यापक शिक्षा के बारे में ठोस निर्णय लेने के लिए व्यवस्थित रूप से एक अनुभवजन्य आधार विकसित करने की आवश्यकता द्वारा समझाया गया है। इस तरह की संकेन्द्रता का प्रमुख जोर अनुसंधान गतिविधि तक सीमित था जिसका परिणाम शिक्षा में 'डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी' की डिग्री, अप्रकाशित अनुसंधान, जर्नल और अनुसंधान प्रबंधों में अनुसंधान पत्र है।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा के समान ही महत्वपूर्ण है। अध्यापक शिक्षा अनुसंधान मुख्य रूप से सेवारत और सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा पर केंद्रित थे, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए अध्यापक शिक्षा शैक्षिक अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है इसलिए, इस पर विचार किया गया है। अधिकांश अध्यापक शिक्षा को शिक्षकों और उनके व्यवहार तथा छात्रों को विद्यालय में मिलने वाले लाभ पर इसके प्रभाव के संदर्भ में देखा जाता है। संभावित शिक्षकों पर विभिन्न अध्ययन किए गए थे। तथापि, शिक्षक शैक्षिक अनुसंधान अधिक जटिल है क्योंकि यह शैक्षिक व्यवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और कार्यनीतियों का उपयोग कर सकता है। इसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, व्यवहार, पाठ्यक्रम, नेतृत्व, ढांचा, नौकरी में संतुष्टि, आईसीटी आदि जैसे विभिन्न विषयों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, ज्ञान विकास, व्यावहारिक सुधार और नीतिगत जानकारी में योगदान के कारण शिक्षक शैक्षिक अनुसंधान महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग सभी शिक्षकों द्वारा उनकी दक्षताओं और शिक्षण–सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए किया जा सकता है।

1947 से 2021 तक अनुसंधानों की प्रवृत्ति विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट निम्नवत पर आधारित हैः

- पूर्व अध्यापक शिक्षा अनुसंधान, बुच (संस्करण) (1974) 2–बुच (संस्करण) (1979),
- बुच (संस्करण) (1987),
- बुच (संस्करण) (1991),
- एनसीईआरटी (1997) सिंह ईटीएएल (2011) यथासंभव
- विद्यालय शिक्षा में डॉक्टोरल अनुसंधान और अनुसंधान परियोजना, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सिंह, एस. के. (2020), शिक्षा में अनुसंधान सर्वेक्षण, भाग तीन,
- एम. चांद और ए.एस. यादव, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को सौंपे गए पीएचडी शोध प्रबंध की सूची,
- एनसीईआरटी द्वारा शिक्षा में अनुसंधान का आनलाइन सर्वेक्षण (***www.osre.ncert.gov.in***)
- *अनुसंधान गंगाः–ए रिजर्वोयर आफ इंडियन थीसिस' @इनफ्लिबनेट, और
- इंटरनेट और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में मुहैया कराए गए नए निष्कर्ष।

विशेषरूप से उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शोधों की समीक्षा से पता चलता है कि विभिन्न समयावधि के दौरान क्रमिक प्रतिमान परिवर्तन को समझने के लिए शिक्षक शैक्षिक अनुसंधान करने की पूरी समय अवधि को प्रस्तुति की संक्षिप्तता के लिए पांच चरणों में विभाजित किया गया है। अध्यापक शिक्षा के प्रत्येक चरण को पहले मोटे–तौर पर 2–सेवा पूर्व और सेवारत में विभाजित किया गया था, और फिर आगे विभिन्न उप–समूहों में विभाजित किया गया था। कुछ अध्ययनों को एक से अधिक उप–समूह के तहत रखा गया है। पांच चरण इस प्रकार हैंः

- चरण एकः वर्ष 1947 से 1985
- चरण दोः वर्ष 1986 से 1990
- चरण तीनः वर्ष 1991 से 2000
- चरण चारः वर्ष 2001 से 2010
- चरण पांचः वर्ष 2011 से 2020

चरण एक– अध्ययन को समझने के लिए समय–सीमा का पहला विभाजन वर्ष 1947 से 1985 है। 1947 से 1963 तक उच्चतर शिक्षा से संबंधित अध्यापक शिक्षा पर ऐसा कोई अध्ययन दर्ज नहीं किया गया था। 1964 से 1985 तक सेवा–पूर्व और सेवारत शिक्षकों के साथ अध्यापक शिक्षा के बारे में कुछ अनुसंधान पाए गए। इस चरण के दौरान, अध्यापक शिक्षा के संबंध में 40 अध्ययन दर्ज किए गए हैं। इस चरण के दौरान प्रमुख क्षेत्र थे, व्यावसायिक विकास, शिक्षण कौशल, माइक्रोटीचिंग और शैक्षिक प्रबंधन। पांड्या (1972) ने शिक्षकों के लिए व्यावसायिक परीक्षणों पर अध्ययन किया, सरन (1975) ने शिक्षण पेशे और कुछ व्यक्तित्व चर के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण के अध्ययन पर अध्ययन किया, जो उनकी शिक्षा के स्तर और अनुभव की मात्रा से संबंधित थे, भटाचार्य (1975) ने पॉलिटेक्निक शिक्षक के प्रशिक्षण में 'माइक्रोटीचिंग' के बारे में अध्ययन किया, उमादेवी (1983) ने संगठनात्मक लक्ष्य, संगठनात्मक जलवायु और संकाय प्रदर्शन मूल्यांकन– आंध्र विश्वविद्यालय का एक केस स्टडी के बारे में अध्ययन किया। अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे अकादमिक मानदंड, शिक्षक प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, शिक्षण व्यवहार, शिक्षक व्यक्तित्व, पर्यवेक्षण, शैक्षिक प्रबंधन आदि।

चरण दोः अगली समय सीमा में बड़ी संख्या में अध्ययनों को देखते हुए वर्ष 1986 से 1990 का एक दशक लिया गया और यह देखा गया कि पिछली समय सीमा की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनों की संख्या में वृद्धि हुई है। अध्यापक शिक्षा में विभिन्न नए अनुसंधान क्षेत्रों को कवर करते हुए इस चरण में कुल 46 अध्ययन दर्ज किए गए हैं।

चरण तीनः– वर्ष 1992 से 2000 के दौरान शिक्षा में अनुसंधान। वर्ष 1992 तक अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का परिदृश्य शिक्षक के विभिन्न क्षेत्रों में जीवंत और विविध हो गया। इस चरण के दौरान अब तक 76 अध्ययनों पर विचार किया गया है। इस चरण के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के तहत सबसे अधिक अध्ययन किए गए तथा शैक्षणि ाक कर्मी महाविद्यालय और उच्च शिक्षकों पर कुछ अध्ययन किए गए हैं। सेवारत शिक्षकों पर शोधों की संख्या 53 थी और सेवा–पूर्व शिक्षकों पर अनुसंधान की संख्या 23 थी। सबसे अधिक अनुसंधान नौकरी की संतुष्टि, शिक्षकों के दृष्टिकोण, शिक्षक की क्षमता, शिक्षकों की दक्षता पर किए गए थे, जबकि शैक्षणिक कर्मी महाविद्यालय, डाइट/एससीईआरटी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और पेशेवर कौशल पर कुछ अनुसंधान किए गए थे। विशेष शिक्षकों, पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण आदि पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

चरण चारः– वर्ष 2001–2010 के दौरान शिक्षा में अनुसंधान। इस दशक में अध्यापक शिक्षा का परिदृश्य मुख्य रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवीनतम शिक्षाशास्त्र और दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित है। इस चरण के दौरान शैक्षिक प्रौद्योगिकी और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा भावी शिक्षकों पर सबसे अधिक अध्ययन किए गए। इस चरण में अब तक कुल 74 अध्ययन दर्ज किए गए हैं। इस दशक का प्रवृत्ति अध्ययन चल रहा है।

चरण पांच– वर्ष 2011–2021 के दौरान शिक्षा में अनुसंधान । इस दशक में अध्यापक शिक्षा का परिदृश्य स्पष्ट और विविध हो गया जो शिक्षक के विभिन्न क्षेत्रों में भाग ले रहा था। इस चरण के दौरान शिक्षक ढांचे, पाठ्यक्रम, आईसीटी, सहयोगी शिक्षण, ई–लर्निंग रचनात्मक शिक्षण सिद्धांत, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और भावी शिक्षकों के अंतर्गत बहुसांस्कृतिक शिक्षा टीम शिक्षण पर सबसे अधिक संख्या में अध्ययन किया गया। इस दशक का प्रवृत्ति अध्ययन चल रहा है।

भविष्य में किए जाने वाले कार्यः-

1. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधानों का प्रवृत्ति विश्लेषण एक संपूर्ण अध्ययन है जो वरिष्ठ परियोजना अध्येताओं द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालयों, डिजिटल अभिलेखागार (ऑनलाइन) केस, आईएएसई और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्यापक शिक्षा विभाग का मुआयना किए बिना अधूरा है। इसलिए, पुस्तकालय के मुआयने के लिए अनुमोदन और व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है।

2. विभिन्न समयावधि में विभिन्न प्रवृत्तियों के श्रेणीकरण को समझने के लिए अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ बैठक आयोजित किया जाना होता है।

3. चरण चार (वर्ष 2001 से 2010) और चरण पांच (वर्ष 2000–2010) किया जाना होता है।

4. चरण एक (वर्ष 1947 से 1985) और तीन (वर्ष 1990 से 2000) में भी आगे समीक्षा अध्ययनों को जोड़ा जाना होता है।

5. अंत में, संपूर्ण अनुसंधान कार्यों को एक ही प्रारूप में समेकित किया जाना होता है।

- उच्चतर शिक्षा में संकाय के लिए पेशेवर मानक

अध्ययन करते समय, आरंभ में ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, फिनलैंड, कोलोराडो, दक्षिण कोरिया, राष्ट्रमंडल, यूनाइटेड किंगडम (यूके), फिलीपींस, न्यू जर्सी, स्कॉटलैंड, वेल्स और एनसीटीई द्वारा तैयार शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक जैसे विदेशी व्यावसायिक मानकों का विस्तृत अनुसंधान और समीक्षा शैक्षिक अंतर्राष्ट्रीय, यूनेस्को ग्लोबल फ्रेमवर्क और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों की समीक्षा के साथ की गई थी। विभिन्न देशों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि द्वारा विकसित व्यावसायिक मानकों की विस्तृत समीक्षा के बाद भारत में उच्चतर शिक्षा संकाय के लिए व्यावसायिक मानकों की वर्तमान मसौदा संरचना की संकल्पना की गई है। मानकों में चार कैरियर चरण अपने करियर में शिक्षकों के पेशेवर विकास को पहचानने के लिए बेंचमार्क प्रदान करते हैं। चार कैरियर चरणों में वर्णनकर्ता शिक्षकों के लिए ज्ञान, अभ्यास और पेशेवर जुड़ाव के बढ़ते स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चरणों के माध्यम से यह प्रगति एक बढ़ती समझ का वर्णन करती है, जो स्थिति की एक व्यापक और अधिक जटिल श्रृंखला में बढ़ते परिष्कार के साथ लागू होती है।

इन मानकों के चार कैरियर चरण निम्नवत हैं:

1. प्रारंभिक
2. प्रवीणता
3. अत्यधिक निपुण शिक्षक
4. प्रधान शिक्षाविशारद

भारत में उच्चतर शिक्षा में संकाय के लिए व्यावसायिक मानकों को निम्नलिखित चार श्रेणियों या क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो ऊपर उल्लिखित चार कॅरियर चरणों की जरूरतों के अनुसार समान रहेंगे।

– *पेशेवर ज्ञान और बोध*

– *मूल मान और नैतिकता*

– *पेशेवर अभ्यास*

– *पेशेवर संबंध*

आगे किया जाने वाला कार्यः–

हम उच्चतर शिक्षा संकाय के लिए पीएसटी का प्रारंभिक मसौदा लेकर आए हैं। काम को आगे बढ़ाने के अगले कदम में, शामिल राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ अकादमिक बैठकों और मंथन सत्रों की एक श्रृंखला की तत्काल आवश्यकता होती है।

– प्रत्येक मानक और डोमेन को विस्तार से परिभाषित करना।

– विनियामक निकायों की भूमिका को दुहराना

– उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कार्यान्वयन प्रक्रिया को परिभाषित करना

– निगरानी और मूल्यन प्रक्रिया तैयार करना

– कार्यनिष्पादन संकेतकों (ज्ञान, कौशल और मनोभाव आदि) का समावेशन।

- महामना संपूर्ण वांग्मय

आईयूसीटीई महामना संपूर्ण वांग्मय में भी योगदान दे रहा है; यह ''महामना और शिक्षा का दर्शन'' विषय पर केंद्रित एक प्रतिष्ठित राष्ट्रव्यापी परियोजना है। यह कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रो. डी. पी. सिंह की देखरेख में किया जा

रहा है। शिक्षाविदों की एक टीम प्रोफेसर बीके त्रिपाठी, निदेशक और आईयूसीटीई के मार्गदर्शन में इस परियोजना पर काम कर रही है, जो इस कार्य में गहनता से लगे हुए हैं। हमने महामना के भाषणों, लेखन, पत्रों और नोट्स आदि से लिए गए महामना के शिक्षा दर्शन पर मूल सामग्री एकत्र की है और यह काम अंतिम चरण में है।

सर्वप्रथम, जीबी के सदस्य सचिव प्रोफेसर बी.के. त्रिपाठी ने जीबी के माननीय अध्यक्ष के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और उनसे बैठक के लिए आगे बढ़ने के लिए अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रारंभिक टिप्पणी देने का अनुरोध किया।

शासी बोर्ड के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर जे. एस. राजपूत ने जीबी के सम्मानित सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने आईयूसीटीई के उद्देश्यों और कार्यों पर अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां कीं और इच्छा व्यक्त की कि केंद्र तदनुसार अपनी शैक्षणिक योजना और कार्यों को करे। माननीय सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि निदेशक, आईयूसीटीई कार्यसूची पर विचार करे।

प्रो. बी. के. त्रिपाठी, निदेशक, आईयूसीटीई, बीएचयू, जीबी के सदस्य सचिव ने माननीय अध्यक्ष और सभी सम्मानित सदस्यों को उनके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। इसके बाद निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई:

— 23 फरवरी, 2021 को हुई छठी शासी बोर्ड की बैठक की अभिपुष्टि।

— 23 फरवरी, 2021 को हुई छठी शासी बोर्ड की बैठक के कार्यवाही सारांश पर की गई कार्रवाई।

— पांचवीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश का अनुमोदन।

— चौथी अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश का अनुमोदन।

— वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2020–21 का अनुमोदन।

— रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन (आरएफआरएफ), नागपुर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने हेतु अनुमोदन।

— आईयूसीटीई के अवकाश रहित शैक्षणिक पदों के क्षेत्रों, विषयों और विशेषज्ञता का अनुमोदन।

बजट

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विअआ द्वारा जारी की गई और व्यय की गई राशि का ब्योरा

(लाख रूपए में)

जारी किए गए अनुदान	हुए व्यय
3285.00	3544.59

5.9(ख)(viii) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसी- वाईएस), बेंगलुरु

- 'इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज', बेंगलुरु विअआ अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, जिसका उद्देश्य योग शिक्षा में नए ज्ञान का सृजन करके योग और योग विज्ञान के ज्ञान को मजबूत करना, पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन करना और योग और इसके अभ्यास के लाभ का प्रसार करना है।

  'इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज' (आईयूसी–वाईएस) को दिनांक 27 जुलाई, 2018 को कर्नाटक गवर्नमेंट सोसाइटी एक्ट, 1960 के तहत पंजीकृत किया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार, आईयूसी–वाईएस का पता राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), पीओ बॉक्स नंबर 1075, नगरभवी, राजराजेश्वरी नगर, बैंगलोर –560072 है। एसोसिएशन का ज्ञापन और नियम तैयार किए गए थे।

  निदेशक, आईयूसी–वाईएस ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिष्ठित परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए भूमि के आवंटन के लिए दिनांक 8 जनवरी, 2020 को कुलपति, बंगलौर विश्वविद्यालय को एक पत्र आईयूसी–वाईएस/2020/2/5582 भेजा। दिनांक 15 फरवरी, 2020 को, बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कुलपति ने आईयूसी–वाईएस के लिए 15 एकड़ भूमि के लिए सहमति व्यक्त की है और दिनांक 17 मार्च, 2020 के का. ज्ञा. ईडी/21/यूबीवी/2020 के तहत कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कर्नाटक विश्वविद्यालय

अधिनियम, 2000 की धारा 3 (4) के तहत बेंगलुरु विश्वविद्यालय, ज्ञानभारती परिसर, बैंगलोर में निकट 15 एकड़ भूमि को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसी–वाईएस) बेंगलुरु को हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी दी थी।

- अप्रैल, 2021 का वर्ष कोविड–19 की दूसरी लहर के साथ आरंभ हुआ, जिसमें सब कुछ स्थिर हो गया। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा *''ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोनो वायरस महामारी से लड़ रही है, योग आशा की एक किरण बना हुआ है''। इसलिए, धीरे–धीरे और लगातार सभी गतिविधियां आरंभ हो गईं।* दिनांक 21 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए (विषयः 'स्वास्थ्य के लिए योग'), आईयूसी–वाईएस, बेंगलुरु ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वेबिनार/कार्यशाला आयोजित करने के लिए विअआ के अध्यक्ष और आईयूसी–वाईएस की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के संदेश के माध्यम से योग पाठ्यक्रम वाले 40 विश्वविद्यालयों/संस्थानों से संपर्क किया। आईयूसी–वाईएस ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 9,82,420/– रुपये (नौ लाख बयासी हजार और चार सौ बीस रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की।

इन वेबिनारों द्वारा भारत और विदेश में भारी संख्यां में छात्रों को इस अभूतपूर्व समय में इस बीमारी से लड़ने में सहायता मिली।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम संयोजक	वेबिनार का विषय
1	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक	डॉ. के. कृष्णा शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मानव चेतना और यौगिक विज्ञान विभाग	22 जून–27 जून, 2021 के दौरान योग अंतरराष्ट्रीय वेबिनार
2	बरकतुलाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश	डॉ. साधना दाउनेरिया, योग विभागाध्यक्ष	निम्नलिखित पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार– (i) रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करना। (ii) योगिक जीवन शैली के माध्यम से कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम और उसे सीमित करना। (iii) 19 जून से 21 जून, 2021 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक कुशलता
3	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान	डॉ. संजीब पात्रा, विभागाध्यक्ष योग	मधुमेह मेलेटस (डीएम) के प्रबंधन और रोकथाम के लिए योग की भूमिका पर वेबिनार, टाइप–2 डीएम के लिए योग प्रोटोकॉल अभ्यास, क्रोनिक लोअर बैक दर्द (सीबीबीपी) और गर्दन के दर्द के लिए योग प्रोटोकॉल अभ्यास, योगः पीठ के निचले हिस्से और गर्दन के दर्द के प्रबंधन और रोकथाम के लिए एक संभावित उपकरण, उच्च रक्तचाप और संबंधित कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के लिए योग प्रोटोकॉल अभ्यास, उच्च रक्तचाप और कार्डियोवैस्कुलर जोखिमों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए योग एक प्रभावी उपकरण, कोविड प्रेरित लक्षणों के प्रबंधन के लिए योग प्रोटोकॉल अभ्यास और पोस्ट कोविड के पुनर्वास के लिए योग प्रोटोकॉल अभ्यास। दिनांक 21 जून से 24 जून, 2021 के दौरान कोविड के लक्षणों और पोस्ट कोविड जोखिम के प्रभावी प्रबंधन में योग की संभावित भूमिका।
4	लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	डॉ. अमरजीत यादव, समन्वयक, योग और वैकल्पिक औषधि संकाय	दिनांक 09 जून से 21 जून, 2021 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय योग एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर वेबिनार
5	गुरूकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय) हरिद्वार	डॉ. सुरेन्द्र कुमार, यौगिक विज्ञान विभागाध्यक्ष	'नेशनल वेबिनार ऑन योगा फॉर मेंडल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड सोशल वेलबिइंग' की तिथि अभी तय नहीं की गयी है।
6	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश	प्रो. एस. एच. काबिया, निदेशक, निदेशक आईक्यूएसी	दिनांक 21 जून, 2021 को होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की ओर से वेबिनार।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम संयोजक	वेबिनार का विषय
7	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), पश्चिम बंगाल	स्वामी आम्माप्रियनन्दा, प्रो चांसलर	कोविड–19 महामारी की चुनौतियों को योग से निपटने संबंधी वेबिनार को दिनांक 16 जून से 04 जुलाई, 2021 को किया जाना है।
8	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी, मध्य प्रदेश	प्रो. ओम नारायण तिवारी, योग विभागाध्यक्ष	कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान संपूर्ण स्वास्थ्य में योग की भूमिका संबंधी अंतरराष्ट्रीय वेबिनार दिनांक 20–21 जून, 2021 को आयोजित किया जाना है।
9	लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात	डॉ. सहाना, सहायक कुल सचिव	कोविड पश्चात फेफड़ा संबंधी पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योग वेबिनार, दिनांक 21 जून, 2021 को आयोजित किया जाना है। दिनांक 22 जून, 2021 को महामारी के दौरान छात्रों में गुणवत्तापूर्ण अधिगम और दिनांक 23 जून, 2021 को कोविड पश्चात कार्डिक पुनर्वास के लिए योग।
10	भारत अध्ययन केंद्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	डॉ. गीता भट, सह–समन्वयक, भारत अध्ययन केंद्र, बीएचयू	दिनांक 21 जून, 2021 को 7वें अंतः राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वेबिनार
11	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापतनम	प्रो. ओ.एस.आर.यू. भानु कुमार, योग विभाग, आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय	इम्युनिटी (परंपरागत और आधुनिक पद्धति) को मजबूत करने के गतिशील दृष्टिकोण संबंधी अंतः राष्ट्रीय संगोष्ठिया, 24 जून, 25 जून, 2021 के दौरान।
12	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	डॉ. राजीव चौधरी, संयोजक	22 जून से 24 जून, 2021 के दौरान योग के माध्यम से पुनर्जीवन संबंधी वेबिनार।
13	विश्वभारती शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल	प्रो. समीरन मंडल, यौगिक कला और विज्ञान विभागाध्यक्ष	दिनांक 14 जून, 2021 से 18 जून, 2021 के दौरान योग और भारतीय संगीत (संगीत उपचार) तथा कोविड–19 महामारीः योग के माध्यम से रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास संबंधी वेबिनार। दिनांक और समयः 19 जून, 2021 को 10:30 पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न। कोविड–19 महामारी के विरूद्ध लड़ाईः योग के माध्यम से रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास तिथि और समयः 20 जून, 2021 और 10:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न।
14	उच्चतर तिब्बती अध्ययन केंद्रीय विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	डॉ. हिमाशू पांडेय, निदेशक (सीटीई) उप निदेशक (प्रशासन)	17 से 18 जून, 2021 को योग और मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय वेबिनार
15	सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	डॉ. नवीन चंद्र भट्ट, संयोजक और विभागाध्यक्ष	26 से 27 जून, 2021 को कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान संपूर्ण स्वास्थ्य में योग की भूमिका संबंधी अंतः राष्ट्रीय वेबिनार
16	मोरारजी देसाई योग संस्थान, अशोक रोड, नई दिल्ली	डॉ. वंदना सिंह, समन्वयक	17 जून, 2021 को योगः संपूर्ण स्वास्थ्य का एक तरीका संबंधी वेबिनार
17	लखनऊ विश्वविद्यालय	डॉ. अमरजीत यादव, समन्वयक, योग और वैकल्पिक औषधि संकाय	30 नवम्बर, 2021 से 01 दिसम्बर, 2021 के दौरान गर्भधारण के दौरान योग और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी राष्ट्रीय वेबिनार

- वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया गया और आईयूसी–वाईएस के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया और अनुमोदन के लिए विअआ को विधिवत अग्रेषित किया गया।
- आयुष मंत्रालय में दिनांक 05 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में तीसरे शासी बोर्ड ने भविष्य की कार्रवाई को देखने और आईयूसी–वाईएस की गतिविधियों को आरंभ करने के लिए निम्नलिखित समितियों का विधिवत गठन किया: –
  - (i) आईयूसी–वाईएस द्वारा गठित गुणवत्ता आश्वासन समिति।
  - (ii) आईयूसी–वाईएस द्वारा गठित अस्थायी कार्यालय के परिचालन संबंधी समिति।
  - (iii) आईयूसी–वाईएस द्वारा गठित योग विज्ञान संचार समिति।
  - (iv) आईयूसी–वाईएस द्वारा गठित योग शिक्षा, अनुसंधान और पहुंच नीति संबंधी समिति।

- वेबसाइट तैयार करने संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है और इसे वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

बजट

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विअआ द्वारा जारी अनुदान और खर्च की गई राशि का ब्यौराः

(लाख रूपए में)

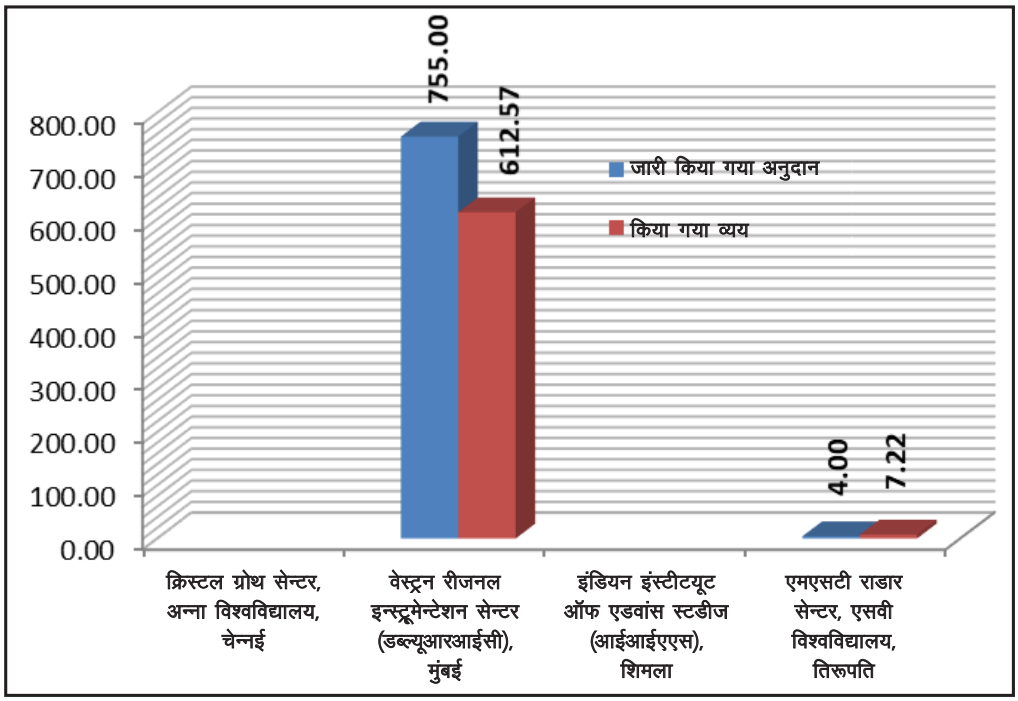
जारी की गई अनुदान राषि
55.50

5.10 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रः-

विष्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 04 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं, जो निम्नवत हैं

1. क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
2. वेस्ट्रन रीजनल इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई
3. इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएएस), शिमला
4. एमएसटी राडार सेन्टर, एसवी विश्वविद्यालय, तिरूपति

रेखाचित्र 5.10: वर्ष 2021–22 के दौरान विअआ द्वारा जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में) तथा हुआ व्यय (लाख रुपये में)



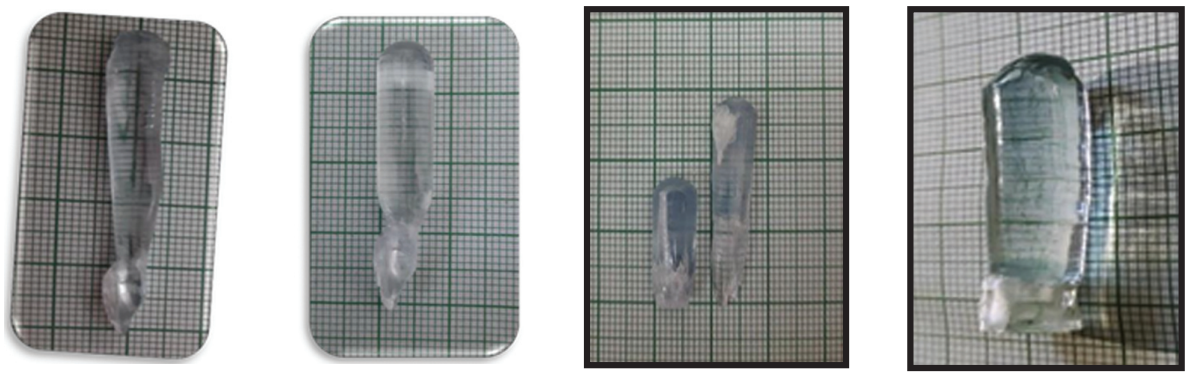
5.10 (i) क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई की स्थापना वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देष्यों से की गई थीः–

- प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल के विकास एवं केरेक्ट्राईजेशन हेतु सुविधाओं को विकसित करना;
- जरूरतमंद उद्योगों तथा शोध प्रयोगशालाओं के बीच की खाई को पाटना;
- शोध हेतु विशेष क्रिस्टल की आवश्यकताओं के संबंध में देश के विभिन्न संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

केंद्र की वैज्ञानिक उपलब्धिः

गैलियम ऑक्साइड (Ga_2O_3) पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संभावित अनुप्रयोगों के साथ–साथ ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए पारदर्शी सब्सट्रेट्स के संचालन के लिए एक आशाजनक व्यापक बैंड गैप पारदर्शी संचालन ऑक्साइड है। Ga_2O_3 के कई बहुरूपताओं में, β– G_2O_3 सबसे स्थिर है और इसलिए जीएएन आधारित उपकरणों के विकल्प के रूप में व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। β– Ga_2O_3 4–9मट का प्रत्यक्ष बैंड अंतर प्रदर्शित करता है, और 8 एमवी/सेमी का विद्युत ब्रेकडाउन वोल्टेज विद्युत उपकरणों के लिए एक आदर्श सामग्री प्रतीत होता है। β– Ga_2O_3 के मुख्य अनुप्रयोग डीयूवी फोटो डिटेक्टर, फोटोडायोड, पारदर्शी पतली–फिल्म ट्रांजिस्टर, एलईडी, शोटकी डायोड, उच्च वोल्टेज एमओएसएफईटी और उच्च तापमान ईंधन सेंसर हैं। β–Ga_2O_3 शुद्ध और मिश्रित के एकल क्रिस्टल विकास रन के लिए क्रिस्टल विकास प्रयास किए गए थे। इस अवधि के दौरान दस से अधिक शुद्ध क्रिस्टल, सात डोप्ड (एसएन और सीआई) उगाए गए थे।



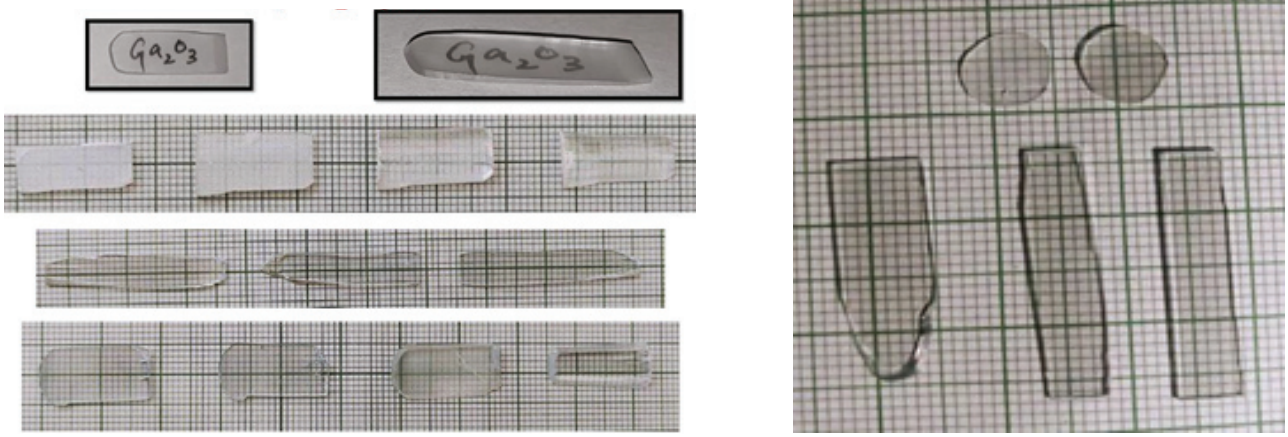
(a) (b) (c) (d)

चित्र 1(क) शुद्ध (ख) एसएन डोप, (ग) एसआई–डोप (0.1 तथा 0.2 प्रतिशत) तथा (घ) एसआईडोप (0.05 प्रतिशत) β-Ga_2O_3

वेफर प्रक्रियाः

विकसित β– Ga_2O_3 एकल क्रिस्टल को 10×10×1 मिमी^{3} के विशिष्ट आयामों में काटा गया था। काटने की गति वेफर्स को तब, ताली बजाने और यांत्रिक चमकाने के अधीन किया जाता है। उच्च पारदर्शिता, चिकनी और सपाट सतहों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पॉलिशिंग माध्यम (1, 0.25,0.1 माइक्रोन कण) और समय अवधि (300 से 1200 सेकंड) के साथ पॉलिशिंग की गई है। पॉलिशिंग के बाद सतहों को एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का उपयोग करके देखा गया था और बाद में परमाणु बल माइक्रोस्कोपी (एएफएम) पार्क एक्सई –100 का उपयोग करके सतह आकृति विज्ञान का विश्लेषण किया गया था।

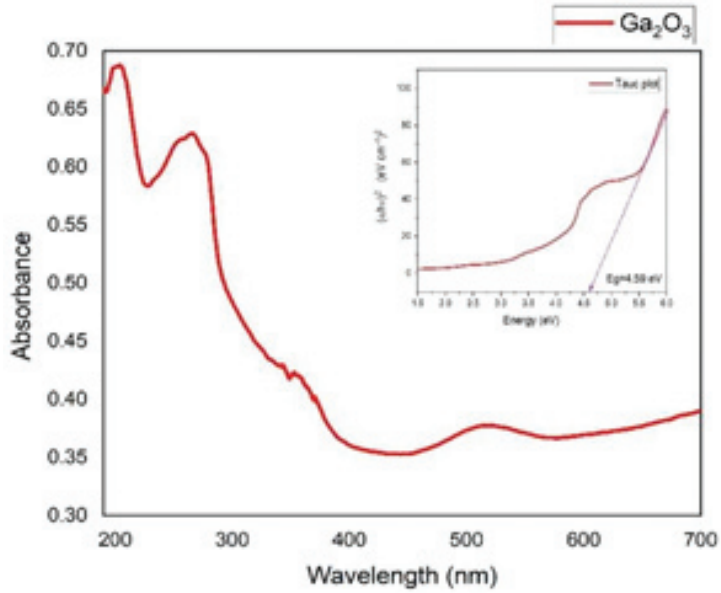
गैलयिम आक्साइड (Ga_2O_3) पालिश किए गए वेफर



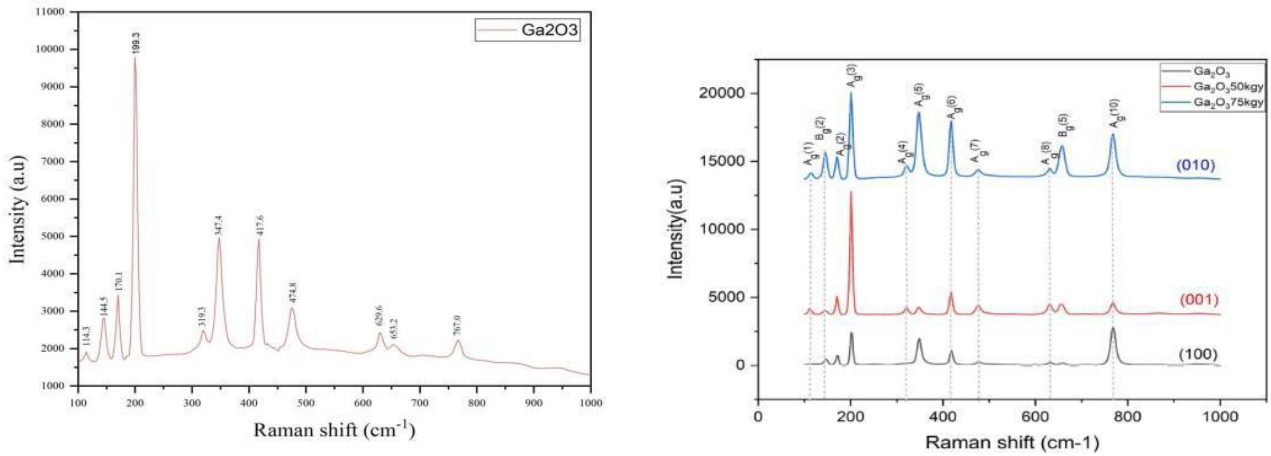
चित्र 2: काटे और प्रसंस्कृत किए गए गैलियम आक्साइड एकल क्रिस्टल वेफर्स

'k) β-Ga2O3 dk vkfIVdy fo'y"kdj.k

विकसित शुद्ध गैलियम ऑक्साइड नमूनों के ऑप्टिकल बैंड गैप को यूवी–दृश्य अवशोषण स्पेक्ट्रा (चित्र 3) के साथ 4.59 ईवी के रूप में निर्धारित किया गया था। रमन परिणाम (चित्र 4) उगाए गए नमूनों की संरचनात्मक और ऑप्टिकल गुणवत्ता की पुष्टि करते हैं।



चित्र 3: शुद्ध Ga2O3 के यूवी दृष्यमान अवशोषण स्पेक्ट्रा

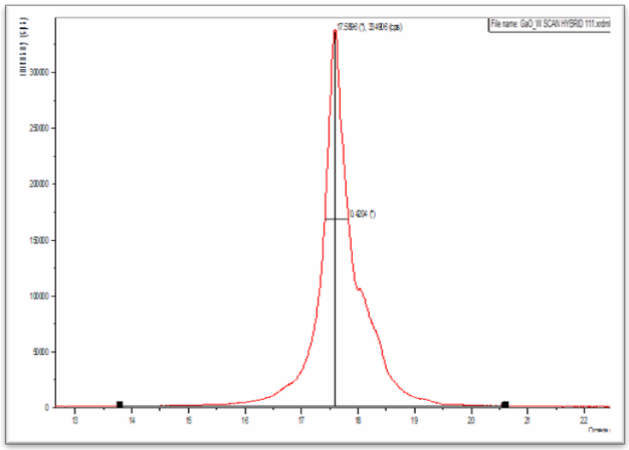


चित्र 4: शुद्ध Ga2O3 वेफर का रमण स्पेक्ट्रा

हाल ही में, अनुकूलित प्रक्रिया के साथ 'ग्रोथ रन' किए गए थे। रोटेशन दर, सिस्टम को पावर और अन्य पैरामीटर सभी रन के लिए समान रखे गए थे। विकसित क्रिस्टल के उपयोग के माध्यम से उन्मुख विकास तैयार करने के प्रयास किए गए थे, स्वयं बीज के रूप में और विकास को शुद्ध एकल क्रिस्टल विकास के लिए अनुकूलित किया गया था। डोप्ड क्रिस्टल के दौरान, पूर्ववर्तियों में एसएन के 05 प्रतिशत तक एसएन–डोपिंग का प्रयास किया गया था और विकास रन सफल रहे थे। लेकिन, सिलिकॉन डोप्ड विकास के दौरान एक प्रतिशत से अधिक सिलिकॉन रेशेदार सतह के साथ अपारदर्शी क्रिस्टल का कारण बनता है। गैलियम ऑक्साइड में 0 से 5 प्रतिशत सिलिकॉन के अच्छी गुणवत्ता वाले क्रिस्टल सफलतापूर्वक पारदर्शिता के साथ और रेशेदार सतह के बिना उगाए गए हैं।

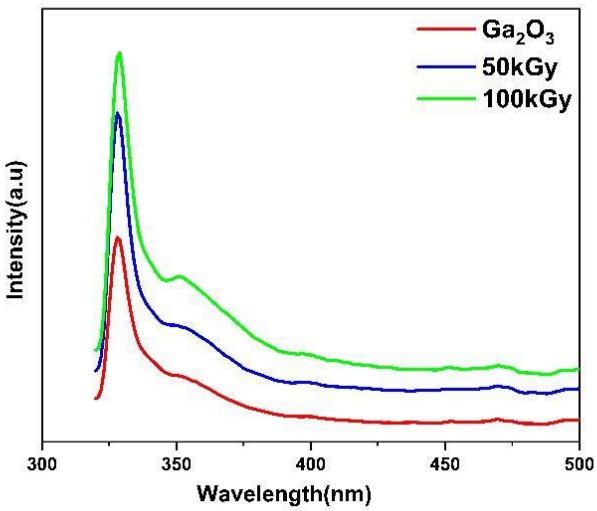
संरचनात्मक और ऑप्टिकल निरूपण

वेफर के विशिष्ट प्लानर ओरिएंटेशन पर एक्स–रे विवर्तन परिणामों को जेसीपीडीएस डेटा के साथ अनुक्रमित किया गया है। एक्सआरडी डेटा को संबंधित वेफर की स्थलाकृति के साथ जोड़कर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि Ga2O3 के विभिन्न विमान अलग–अलग स्थलाकृति पैटर्न देते हैं। प्रमुख प्लेनो के अलावा, (–201) प्लेन ळं2ब3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया प्लेन है। (–201) के साथ वेफर की क्रिस्टलीय गुणवत्ता का विश्लेषण एचआरएक्सआरडी के साथ 0–4204 डिग्री के एफडब्ल्यूएचएम के साथ किया गया था (चित्र 5)।



चित्र (5): शुद्ध Ga2O3 एकल क्रिस्टल वेफर का एचआरएक्सआरडी रॉकिंग वक्र

β-Ga2O3 को पराबैंगनी (यूवी), नीले और हरे रंग के उत्सर्जन बैंड से बना एक व्यापक ल्यूमिनेसेंस बैंड प्रदर्शित करने की सूचना मिली है। विभिन्न समृद्धि पर गामा किरणों द्वारा विकिरणित β& Ga2O3 नमूनों के कमरे के तापमान प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रा को चित्र 6 में दिखाया गया है।



चित्र 6 प्रतिशत विभिन्न फ्लुएंसेज पर गामा किरणों द्वारा प्रकाशित β– Ga2O3 नमूनों के कमरे के तापमान का फ्लोरेन्स स्पेक्ट्रा

गैर–विकिरणित β–Ga2O3 नमूने की तुलना में उच्च समृद्धि पर गामा विकिरण पर उत्सर्जन शिखर की तीव्रता काफी बढ़ जाती है। उच्च विकिरण समृद्धि पर शिखर की स्थिति में लाल बदलाव होता है। यह लाल–बदलाव संभवतः नए दोष स्तरों के गठन के कारण होता है।

5-10 ¼ii½ oLVu jhtuy bLVhVîV'ku lsVj ¼MCY;vkjvkblh½] eEcbZ

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना इंस्ट्रूमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए वि.अ.आ. के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 1977 में की गई। इसका पूर्ण वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूआरआईसी शासी निकाय के साथ एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य करती है, जिसके शासी निकाय के पदेन सदस्य मुम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति है और वि0अ0आ0 द्वारा अब इसे इंस्ट्रूमेंटेशन में राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

डब्ल्यूआरआईसी का प्रमुख उत्तरदायित्व देश के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योगों के सहयोग से इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप करना है।

अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप

माइक्रोकंट्रोलर का विकास

विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षु छात्रों के लिए सॉफ्टवेयर संस्थापित किया गया:

1. तीन पर्सनल कम्प्यूटर पर विंडोज 10 की संस्थापित करना।
2. नए पर्सनल कम्प्यूटर पर विंडोज 11 संस्थापित किया गया।
3. सभी सॉफ्टवेयर यथा माइक्रो–कंट्रोलर 8051, (एटमेगा 32 के एटमेल स्टूडियो5, एक्स्ट्रीम बर्नर, आरडयूनो का आरडयूनो 1.8.8.) को संस्थापित किया।
4. इंटरफेस बोर्ड के साथ सभी तीन किट का परीक्षण किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खरीदी गई किट

1. फेरेंट मॉडयूल आईआर, एलडीआर, एमक्यू6
2. एटमेगा32 तथा आरडयूनो के लिए अतिरिक्त उपकरण।
   - ईक्यूई ग्राफ को तैयार करने के लिए 3.4 इंच के टीएफटी टच स्क्रीन डिस्पे के इंटरफेसिंग द्वारा एलईडी आधारित स्पेक्ट्रल रिस्पांस मीटर को बढ़ाना।
   - क्लाउड पर प्लांट इरिगेशन डेटा मॉनिटर के लिए विवेकानंद कॉलेज के दो बीई छात्रों (चैतन्य ब्रिड और ऋग्वेद पवार) को मार्गदर्शन।

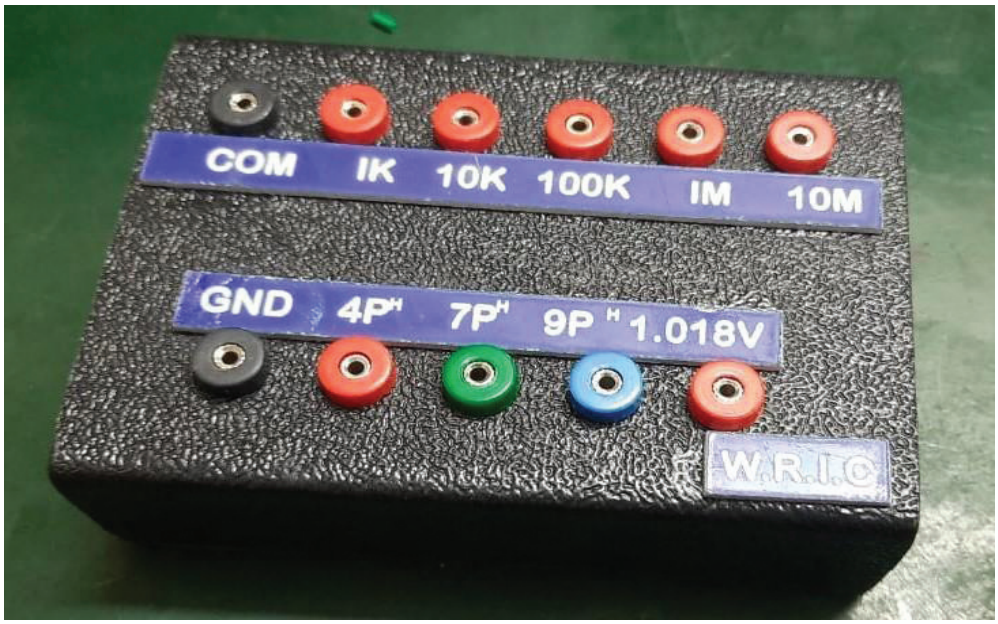
ifj;kstuk,¼

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए डब्लूआरआईसी में निम्नलिखित उपकरणों को डिजाइन और विकसित किया गया है:

- ओपी एम्प. ट्रेनर किट।
  - यह डीआईवाई किट के रूप में विकसित बहुमुखी परिचालन एम्पलीफायर ट्रेनर किट है। छात्रों और कॉलेजों को इस तरह के किट प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र स्वयं किट को इकट्ठा कर सकते हैं और किट का उपयोग करके विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। यह किट मोबाइल चार्जर के साथ काम करती है।



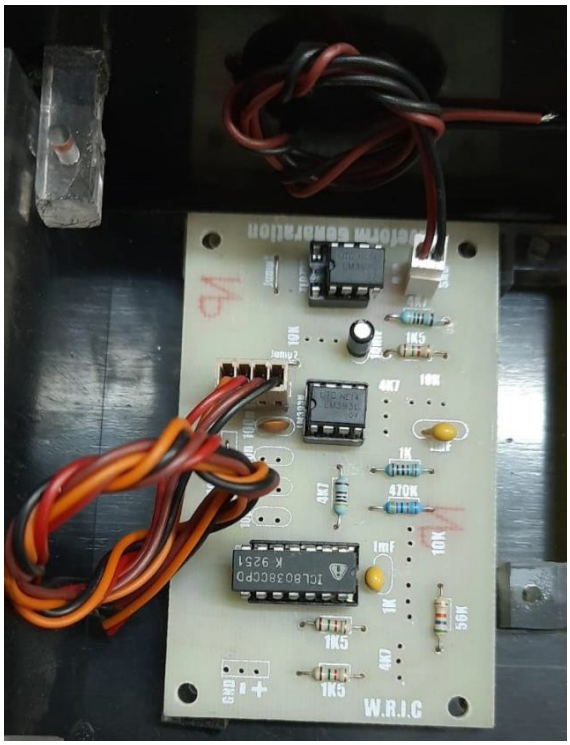
– महाविद्यालयों के लिए मल्टी पैरामीटर कैलिब्रेटर जिसका उपयोग पीएच, चालकता और पोटेंशियोमीटर के अंशांकन के लिए किया जा सकता है।
– यह कैलिब्रेटर विश्वसनीयता और सटीकता के लिए उपकरणों के परीक्षण के बारे में महाविद्यालयों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर विकसित हुआ। इस कैलिब्रेटर का उपयोग करके वे पीएच मीटर, चालकता मीटर, पोटेंशियोमीटर आदि जैसे विभिन्न उपकरणों की जांच कर सकते हैं।



– विद्युत आपूर्ति प्रशिक्षण किट
– यह एक वहनीय डीआईवाई विद्युत आपूर्ति प्रशिक्षण किट है। महाविद्यालय स्तर पर यह विद्युत आपूर्ति निरूपण के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण किट है।



– फंक्शन जेनरेटर प्रशिक्षण किट



चल रही परियोजनाएँ:

– वर्तमान में 'पोर्टेबल पीसीआर एनॉलाइजर' पर कार्य हो रहा हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमः

डब्ल्यूआरआईसी ने विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों और संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की। इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूआरआईसी और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच एक मजबूत बातचीत हुई है, जिससे सभी को लाभ हुआ है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला, विद्युत, विश्लेषणात्मक और ऑप्टिकल (माइक्रोस्कोप और अन्य) उपकरणों की मरम्मत की गई।

डब्लूआरआईसी शिक्षकों, प्रयोगशाला कर्मियों और छात्रों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है:

– पहुंच प्रशिक्षण कार्यक्रमः भारत के विभिन्न हिस्सों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आमंत्रण पर, हम प्रयोगशाला उपकरणों से संबंधित सप्ताह भर के प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं।

– इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमः ये इंस्ट्रूमेंटेशन पर विशिष्ट विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। लक्षित दर्शक छात्र, प्रयोगशाला कर्मचारी और शिक्षक होंगे।

– इन–प्लांट प्रशिक्षणः हम डिप्लोमा छात्रों के लिए इस कार्यक्रम को चलाते हैं। इस कार्यक्रम की अवधि 6 महीने होगी। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एम्बेडेड सिस्टम, पीसीबी डिजाइनिंग और एक परियोजना के साथ समाप्त करने के क्षेत्रों में कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

– इंटर्नशिपः बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग छात्रों के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में 3 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

– लघु अवधि पाठ्यक्रमः हम प्रतिभागियों से आवश्यकता के अनुसार इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

संगठन के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रमः

क्रम संख्या	विषय	स्थान	लक्षित दर्शक/श्रोता	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	मरम्मत किए गए उपकरण
1	आप्टो एनॉलिटिकल उपकरण के संबंध में प्रायोगिक अनुभव संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	डब्लूआरआईसी	पीजी/शोधार्थी (सरकारी के एच महाविद्यालय, अभानपुर, छत्तीसगढ़)	14 से 19 सितम्बर, 2021	40	––
2	पीसीबी डिजाइन और फेब्रिकेशन (डिप ट्रेस)	डब्लूआरआईसी	पॉलिटेक्निक छात्र (विवेकानंद पॉलिटेक्निक)	7 से 14 दिसम्बर, 2021	3	––
3	नौकरी के दौरान प्रशिक्षण (3 सप्ताह)	डब्लूआरआईसी	पॉलिटेक्निक छात्र (विवेकानंद पॉलिटेक्निक)	9 दिसम्बर से 1 जनवरी, 2022	8	––
4	पीसीबी डिजाइन और फेब्रिकेशन (डिप ट्रेस)	डब्लूआरआईसी	पॉलिटेक्निक छात्र (विवेकानंद पॉलिटेक्निक)	31 दिसम्बर से 7 जनवरी 2022	8	––
5	नौकरी के दौरान प्रशिक्षण (1 महीना)	डब्लूआरआईसी	डिग्री के छात्र (त्रिनिटी महाविद्यालय)	2 मार्च से 2 अप्रैल, 2022	3	––
6	पीसीबी डिजाइन और फेब्रिकेशन (बैच प्रथम)	डब्लूआरआईसी	डिप्लोमा अंतिम वर्ष के छात्र (सरकारी पॉलिटेक्निक)	8 से 21 मार्च, 2022	12	––
7	पीसीबी डिजाइन और फेब्रिकेशन (बैच द्वितीय)	डब्लूआरआईसी	डिप्लोमा अंतिम वर्ष के छात्र (सरकारी पॉलिटेक्निक)	22 मार्च से 1 अप्रैल, 2022	13	––
				कुलः	**112**	

पहुंच प्रशिक्षण कार्यक्रमः

क्रम संख्या	विषय	स्थान	लक्षित दर्शक/श्रोता	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	मरम्मत किए गए उपकरण
1	ऑप्टो एनॉलिटिकल उपकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला	सरकारी एनपीजी विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	शिक्षक/शक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्र	4–8 अक्तूबर, 2021	40	150
2	कंप्युटर, प्रिंटर और नेटवर्किंग अनुरक्षण संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला	सरकारी एनपीजी विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्र	4–8 अक्तूबर, 2021	22	15
3	प्रयोगशाला उपकरण अनुरक्षण संबंधी राज्य स्तरीय कार्यशाला	सरकारी जेडीबी बालिका महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान	शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्र	4 से 8 जनवरी, 2022	77	98
4	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण अनुरक्षण संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला	सरकारी छात्र महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान	शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्र	22–26 फरवरी, 2022	30	150
5	ऑप्टो एनॉलिटिकल उपकरण अनुरक्षण संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला	सरकारी छात्र महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान	शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्र	22–26 फरवरी, 2022	65	25
				कुल	**234**	**438**

उपकरणों का परीक्षण और अंशांकन

डब्ल्यूआरआईसी में विभिन्न प्रकार के अंशांकन मानक उपकरण हैं जिनका उपयोग शैक्षिक संस्थानों, सरकारी संगठनों और उद्योगों से विभिन्न उपकरणों के अंशांकन के लिए किया जाता है। रिपोर्ट अवधि के लिए, अंशांकन के लिए प्राप्त 83 उपकरणों में से, 81

उपकरणों को कैलिब्रेट किया गया था और 2 उपकरणों को उपयोगकर्ताओं को वापस कर दिया गया था क्योंकि वे मरम्मत से परे थे।

अंशांकित उपकरणों के विशेष प्रकार

1	फ्लूक 715 अंशांकक	2	एसीए लिकेज टेस्टर
3	जी.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स अंशांकक	4	आरटीडी अंशांकक
5	रिले किट	6	एसीध्डीसी करंट प्रोब
7	गौण किट	8	5 केवी मेगर
9	हैंडी कैलिब्रेटेर योकोगावा	10	डेटा लॉगर अंशाकक
11	बहुकार्य प्रक्रिया अंशांकक	12	लीक टेस्टर मशीन
13	लो डिस्टोर्शन ऑडियो जेनेरेटर	14	तापमान गेज
15	डिजिटल प्रेशर गेज	16	डिकेड रजिस्टेंस बॉक्स
17	हाई वोल्टेज किट		

सामान्य प्रकार के अंशाकित उपकरण

1	एनालॉग अर्थ टेस्टर	2	फंक्शन जेनेरेटर
3	डिजिटल अर्थ टेस्टर	4	हाई वोल्टेज किट
5	डीएमएम	6	तापमान गेज
7	क्लेम्प मीटर	7	आईआर थर्मोमीटर

निम्नलिखित संस्थाओं/उद्योगों ने हमारे परीक्षण और अंशांकन सेवाओं का लाभ लियाः

1	वीनस सेफ्टी एंड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड	2	मंथन इंजीनियरिंग वर्क्स
3	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	4	केवीएआर टेक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड
5	एम.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स	6	एडिस कम्प्युटर
7	पावर इंजीनियर्स	8	प्रिस्टिन इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
9	एड्री मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	10	बेनसन मरीन सर्विसेज
11	रवि इलेक्ट्रॉनिक्स		

डब्लूआरआईसी में अंशांकित मानक उपकरणः

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	मॉडल संख्या	मेक
1.	हाई प्रिसिजन डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स	7400	वैसेशिका
2.	हाई स्टेब्लिटी डिकेड रजिस्टेंस बॉक्स	8400	वैसेशिका
3.	डिजिटल मल्टीमीटर	87वो.	फ्लूक
4.	गीगा ओम बॉक्स	डब्लूआरआईसी	वैसेशिका
5.	मेगा ओम बॉक्स	डब्लूआरआईसी	वैसेशिका
6.	क्लेम्प मीटर	2056आर	क्योरितु

अंशांकन हेतु भेजे गए मानक उपकरण:

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	मॉडल संख्या	मेक
1.	हाई प्रिसिजन डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स	7400	वैसेशिका
2.	हाई स्टेब्लिटी डिकेड रजिस्टेंस बॉक्स	8400	वैसेशिका
3.	डिजिटल मल्टीमीटर	87वो.	फ्लूक
4.	गीगा ओम बॉक्स	डब्लूआरआईसी	वैसेशिका
5.	मेगा ओम बॉक्स	डब्लूआरआईसी	वैसेशिका
6.	क्लेम्प मीटर	2056आर	क्योरितु

प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु खरीदी गई किट:

1. भिन्न मॉड्यूल आईआर, एलडीआर, एमक्यू6
2. एटीएमईजीए32 और एआरडीयूआईएनओ के लिए सहायक उपकरण

उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण

डब्ल्यूआरआईसी देश के विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, विश्लेषणात्मक और ऑप्टिकल उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान, मरम्मत के लिए प्राप्त 227 उपकरणों में से, 207 उपकरणों की मरम्मत निम्नलिखित विश्वविद्यालय विभागों /महाविद्यालयों /संस्थानों/ उद्योगों द्वारा हमारी मरम्मत और रखरखाव सेवाओं का उपयोग करके की गई थी:

मुम्बई विश्वविद्यालय के विभाग	मुम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय
• रसायन विभाग • जैवभौतिकी विभाग • स्वास्थ्य केंद्र • राष्ट्रीय नैनोविज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र • गरवेयर इंस्टीच्युट ऑफ कैरियर एडुकेशन एंड डेवलपमेंट	• वीईएस फार्मेसी महाविद्यालय, चेम्बुर, मुम्बई • के. एम. कुंडनानी कॉलेज आफ फार्मेसी, कफ पैरेड, मुम्बई • डॉ. एल.एच. हिरानंदानी कॉलेज आफ पॉलिटेक्निक, उल्हासनगर • गवर्मेंट पॉलिटेक्निक, मुम्बई • डी.वाई पाटील फार्मेसी महाविद्यालय, नेरूल • बम्बई कॉलेज आफ फार्मेसी, सांताक्रुज, मुम्बई

महाविद्यालयों के साथ पारस्परिक संबंध:

अनुरक्षण कैंप:

डब्लूआरआईसी निम्नलिखित महाविद्यालयों में अनुरक्षण कैंप आयोजित करता है। इस गतिविधि का लक्ष्य वहनीय लागत पर उपकरणों का मरम्मत और अनुरक्षण करना है। इसका ब्योरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय	मरम्मत किए गए उपकरण के प्रकार	अवधि	मरम्मत किए गए उपकरणों की संख्या
1.	वीईएस कॉलेज आफ फार्मेसी, चेम्बुर, मुम्बई	मुम्बई विश्वविद्यालय	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	02 से 03 अगस्त, 2021	55
2.	कुंडनानी महाविद्यालय, कफ पैरेड, मुम्बई	एआईसीटीई द्वारा सरकार सहायता प्राप्त और प्रत्यायित	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	02 से 03 सितम्बर, 2021	86
3.	बम्बई कॉलेज आफ फार्मेसी, शांताक्रुज, मुम्बई	एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित और मुम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध एक स्वायत्त संस्थान	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	22 से 23 अक्तूबर, 2021	46
4.	डी.वाई. पाटील स्कूल ऑफ फार्मेसी, नेरूल, नवी मुम्बई	डी. वाई. पाटील मानद विश्वविद्यालय	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	19 मार्च, 2022	32
				कुल :	**219**

dk;'kkyk fØ;kdyki

यांत्रिक कार्यशाला में, हमने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इन–प्लांट प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास प्रभाग, रखरखाव अनुभाग, अंशांकन अनुभाग और केंद्र की अन्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक विभिन्न यांत्रिक घटकों को डिजाइन और निर्मित किया है।

vkfIVdy ,oa Xykl Cykbx

डब्ल्यूआरआईसी मुंबई विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विभागों के प्रयोगशाला माइक्रोस्कोप, अन्य ऑप्टिकल उपकरणों के निर्माण कार्य और मरम्मत/सर्विसिंग में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। हम केंद्र के साथ–साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रखरखाव शिविरों में इन उपकरणों की मरम्मत करते हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	मुम्बई महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के विभाग	कार्य का स्वरूप	प्रमात्रा
1.	जैव भौतिकी विभाग	ग्लॉस डिफ्यूजन का फेब्रिकेशन	1
2.	रसायन विभाग	ग्लॉस के लिए नाइट्रोजन और टेफलॉन स्टॉपकॉक कॉलम एसेम्बली का रिपेयर	2

बजट

वित्तीय वर्श 2021–22 के दौरान विअआ द्वारा जारी की गई और व्यय की गई राषि का ब्योरा

(लाख रूपए में)

जारी किए गए अनुदान	हुए खर्च
755.00	612.57

5.10 (iii): भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी, 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के 56वें वर्ष में छात्रवृत्ति के क्षेत्र में उच्च शोध एवं विद्वतापूर्ण चिंतन–मनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसमें 35 अध्येताओं का आवासीय समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के एसोसियेटों को संपूर्ण देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से चुना जाता है और वे इस अकादमिक परिवेश से लाभान्वित होने के साथ–साथ वे यहां के अंतर्विधा संस्कृति से काफी कुछ सीखते हैं।

केन्द्र का उद्देश्य

केन्द्र के शैक्षणिक कार्यक्रम में तीन बुनियादी घटक होते हैं: (i) एसोशिएटशिप की योजना (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन, और (iii) शिमला में संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

आईयूसी एसोशिएट 2020-21

वर्ष 2021–22 के दौरान कोविड–19 की महामारी तथा देश के विभिन्न राज्यों में लगे लॉकडाउन/कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण केवल चार (4) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षक अर्थात् 2 महिलाएं (सामान्य श्रेणी–2) तथा 2 पुरूष (सामान्य श्रेणी–1 और अपिव–1) ने मार्च, 2021 के माह में आईयूसी एसोशिएट के रूप में संस्थान का दौरा किया। सभी एसोशिएट, जिन्होंने संस्थान का दौरा किया, आईयूसी कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना कर रहे थे, जैसा कि उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। आईआईएएस, एसोशियेट को पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाओं के साथ एक शान्त एवं प्राकृतिक शैक्षिक परिवेश, सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक विद्वानों के साथ संपर्क करने का सुअवसर उपलब्ध कराता है तथा एसोशिएट अपने शिक्षण वृत्ति को जारी रखने के लिए बौद्धिक रूप से स्फूर्त होकर संस्थान से प्रस्थान करते हैं। एसोशिएट ने इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में करते हैं जिससे वे पिछले कुछ समय से जुडे रहे हों; (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने में व्यतीत करते हैं; (ग) संस्थान के ग्रंथागार में वाचन क्षमता को प्राप्त करने में; (घ) एक पत्र लिखने के लिए उपयोग करते है जिसे वे अपने सहयोगियों के समक्ष प्रस्तुत

करें; (ङ) संस्थान के अध्येताओं तथा यदा–कदा देश–विदेश से आने वाले विशिष्ट विद्वानों के साथ बातचीत करने में सार्थक ढ़ंग से समय व्यतीत करते हैं। एसोशिएट, संस्थान के नियमित क्रियाकलाप के रूप में होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं। एसोशिएट जो संस्थान का दौरा करते हैं उन्हें अपनी पसंद के एक विषय पर संस्थान के अकादमिक समुदाय के समक्ष प्रस्तुति देनी होती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान का दौरा करने वाले 56 आईयूसी एसोशिएट ने अपनी प्रस्तुतियां दी।

प्रकाशन

संस्थान विअआ कार्यक्रम के आईयूसी के तहत मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन (एसएच एंड एसएस) द्वि–वार्षिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। वर्ष 2021–22 (अर्थात् 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) के दौरान संस्थान (एसएचएंडएसएस) ने जर्नल के निम्नलिखित अंक प्रकाशित किए हैं।

1. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन, खंड XXVI, संख्या 2, विंटर, 2019 प्रोफेसर एम.पी. सिंह द्वारा संपादित।
2. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन, खंड XXVII, संख्या 1, समर 2020 प्रोफेसर एम.पी. सिंह द्वारा संपादित।
3. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन, खंड XXVII, संख्या 2, समर 2020 प्रोफेसर एम.पी. सिंह द्वारा संपादित।
4. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन, खंड XXVIII, संख्या 2, विंटर, 2021 प्रोफेसर आर.सी. प्रधान द्वारा संपादित।

पुस्तकालय

पुस्तकालय सेवाएं: पुस्तकालय ई–शोध सिंधु का सदस्य है और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंसोर्टियम के तहत सभी प्रमुख ई–संसाधनों तक पहुंच प्राप्त है। पुस्तकालय पूरी तरह से स्वचालित है और पुस्तकों की सूची संस्थान की वेबसाइट पर है। इंटरनेट का उपयोग करके, उपयोगकर्ता कहीं से भी 24ग7 घंटे लाइब्रेरी कैटलॉग तक पहुंच बना सकते हैं। पुस्तकालय रिप्रोग्राफी सेवा, आईएलएल, डीडीएस, सीएएस सेवा, 'रिमोट एक्सेस सर्विस' और साहित्यिक चोरी जांच सेवा भी प्रदान कर रहा है। आईआईएएस में अपने प्रवास के दौरान एसोशियेट, पुस्तकालय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं।

5.10 (iv) एमएसटी राडार केन्द्र, तिरूपति

केन्द्र का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक राडार तथा अन्य यंत्र सुविधाओं के संभावित उपयोग के प्रति वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना तथा एम.एस.टी. राडार सुविधा के उपयोग के प्रति मेधावी युवा शोधकर्ताओं को एमएसटी राडार, लीडार तथा एनएआरएल, गदांकी में भी मौजूद अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने एसवी विश्वविद्यालय, तिरूपति में वि0अ0आ0–एसयूवी केन्द्र की स्थापना की है जो देश की विश्वविद्यालयी प्रणाली में एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर सके ताकि वैज्ञानिक ज्ञान का आदान–प्रदान किया जा सके और यह केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे वैज्ञानिक तथा शोधकर्ताओं की पहुंच में हो।

उद्देय और प्रमुख विशेषताएं:

- विअआ–एसवीयू केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान में क्षेत्र में कार्यरत भारतीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- विअआ–एसवीयू केन्द्र शोध और मौलिक अभिकलनात्मक कार्य और ऐसे शोध करने के लिए अन्य सहायता हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
- विअआ–एसवीयू केन्द्र जो वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में आदान–प्रदान के दौरों के लिए मंच की पेशकश करता है, ताकि भारतीय वायुमंडलीय वैज्ञानिक समुदाय ऐसे सहयोग से लाभान्वित हो सके।

- विअआ–एसवीयू केन्द्र वायुमंडलीय भौतिकी के बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अनेक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों और शोध अध्यवेत्ताओं के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है।

- विअआ–एसवीयू केन्द्र, एमएसटी राडार और इन सुविधाओं के अवस्थिति के विशेष संदर्भ में अन्य एमएसटी राडार और सह–स्थानिक उपकरण सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायुमंडलीय गतिकी के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यक्रम का समन्वय करने में सहायता करता है।

- विअआ–एसवीयू केन्द्र विशेषकर एमएसटी राडार और अन्य सहस्थिति सुविधाओं से प्राप्त बड़ी मात्रा में संसाधित डॉटा में से वायुमंडलीय विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े व्यापक राष्ट्रीय डाटा/अभिलेख को सुव्यवस्थित करता है।

- विअआ–एसवीयू केन्द्र भारतीय आक्षांश पर मध्य वायुमंडल के लिए मॉडल तैयार करने और उसे अद्यतन करने में सहायता करता है। परिणामस्वरूप, ऐसे मॉडलों और डाटा के प्रयोग से आईएमडी और अन्य संबंधित राष्ट्रीय संगठनों को पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है।

वर्तमान शिक्षा वर्ष में निम्नलिखित सदस्यों (संकाय, वैज्ञानिक और शोधार्थी) ने विअआ–एसवीयू केंद्र का दौरा किया।

1. डॉ. एस. मुरूगप्पन, सेवानिवृत्त, मुख्य (भूभौतिकी), सुभानसिरी लोअर प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेरूकामुख, असम।
2. प्रो. डी. दिनकर, भौतिकी विभाग, एनआईटी वारंगल।

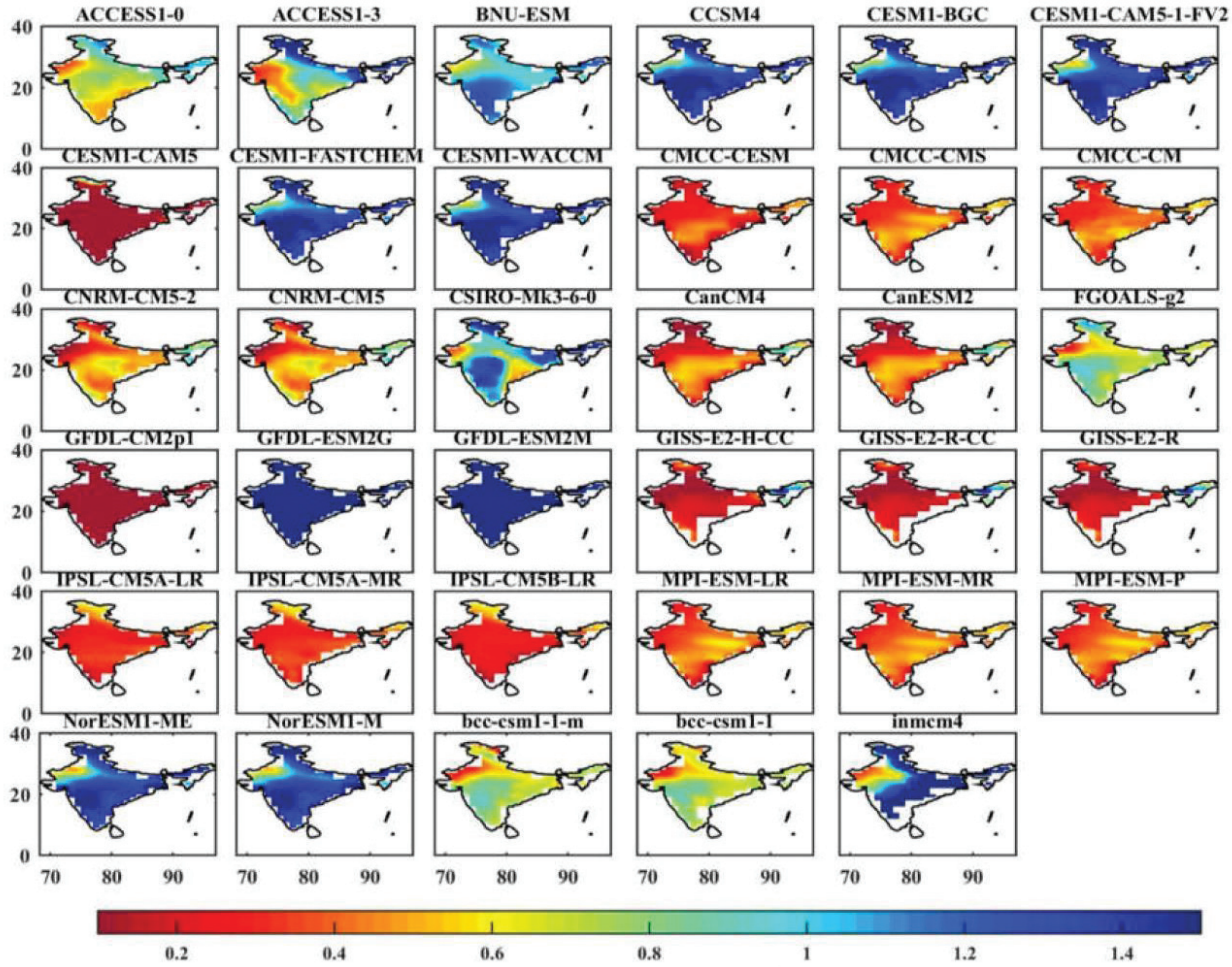
प्रदान की गई पीएचडी डिग्री

3. सुश्री के. विजय कुमारी, मार्च, 2021 को प्रो. एस. विजय भास्कर राव के मार्गदर्शन में ''स्टीमुलेशन आफ ट्रोपिकल साइक्लोन ओवर बे आफ बंगाल यूजिंग डब्लूआरएफ–एआरडब्लू मॉडलः सेंसिटीविटी ऑफ प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर, एयर–शी प्रोसेस एंड डाटा एसिमिलेशन'' विषय पर पीएचडी डिग्री प्रदान की गई ।

वर्ष 2021–22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) के दौरान एनएआरएल, गोडान्की, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के सहयोग से किए गए कार्यों की मुख्य विशेषताएं।

5.10(iv)(क) 'सीएमआईपी5 और 'सैटेलाइट आबजरवेशन' का प्रयोग करते हुए भारतीय क्षेत्र के उपर 21वीं सदी के दौरान मृदा नमी में जलवायु संबंधी परिवर्तन।

मिट्टी की नमी (एसएम) भविष्य की भविष्यवाणियां मौसम विज्ञान के विशिष्ट अनुसंधान विषयों के विश्लेषण में सहायता करती हैं। मॉडल सिमुलेशन में तापमान प्रतिक्रियाओं की तुलना जिसमें एसएम वर्तमान या भविष्य की जलवायु का प्रतिनिधित्व करने के लिए विवश है, बहुत प्रभावी है, जबकि, यूरोप में देखा गया कि वर्ष 2003 और 2010 में हीटवेव भविष्यवाणियां प्रभावी थीं जब मॉडल सिमुलेशन में एसएम का आरंभ होता है। कम एसएम के परिणामस्वरूप शुद्ध ऊर्जा प्रवाह में भिन्नता होती है, जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, जो हवा में जल वाष्प की कमी और बाष्पीकरणीय मांग की जांच कर सकता है। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट (एआर 5) के तकनीकी सारांश में मूल्यांकन किया गया है कि भूमध्यसागरीय, दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में एसएम सूखना उच्च परिसंचरण में अनुमानित परिवर्तन और सतह के तापमान में वृद्धि के अनुरूप था। इसने निष्कर्ष निकाला कि आरसीपी 8–5 परिदृश्य के तहत इस सदी के अंत तक इन क्षेत्रों में सतह सुखाने में अधिक विश्वास था। तथापि, हाल के आकलनों ने सूखे और सूखापन सूचकांकों के बीच भिन्नता और पौधों के पानी के उपयोग की दक्षता पर बढ़ी हुई कार्बन डाईऑक्साइड सांद्रता के प्रभावों सहित कई कारकों के कारण सूखापन अनुमानों में अनिश्चितताओं पर प्रकाश डाला है।



मृदा की नमी (धन मी./घन मी.)

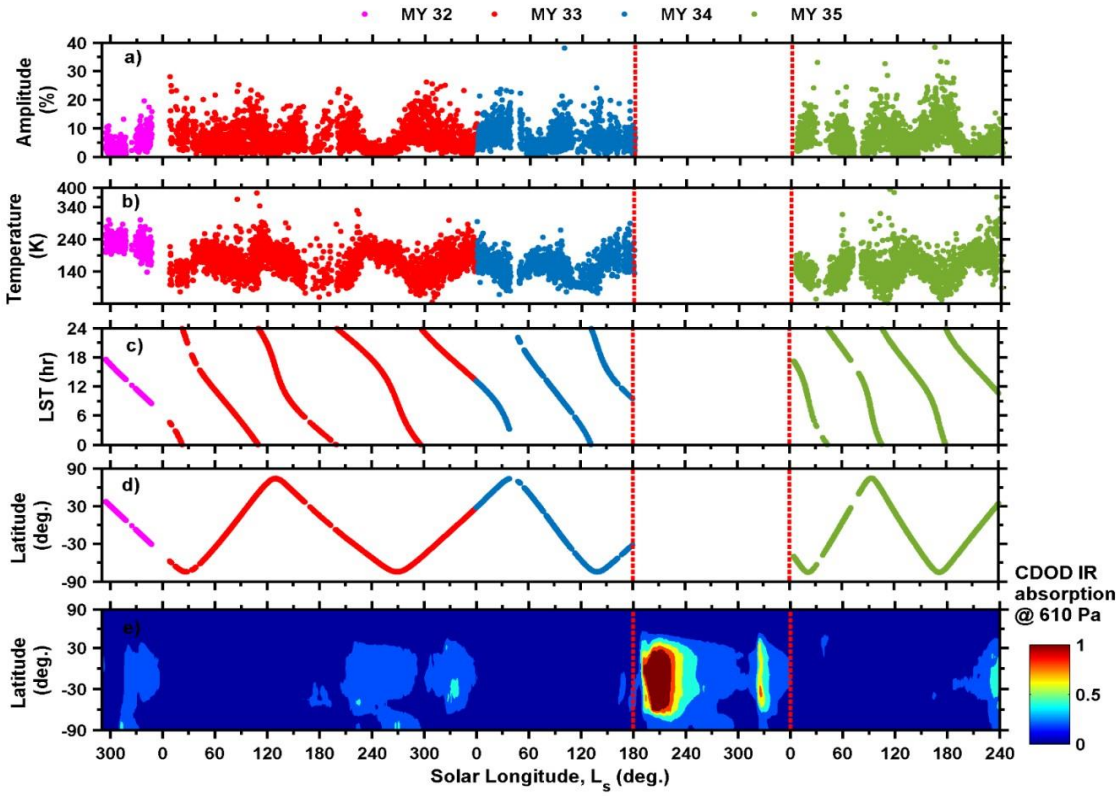
चित्र 1 मानसून के मौसम के दौरान मिट्टी की नमी का स्थानिक वितरण वर्ष 1850 से 2015 की अवधि के दौरान सीएमआईपी 5 ऐतिहासिक डेटासेट द्वारा दर्शाया गया है।

एसएम संदर्भ यह निर्धारित करता है कि मिट्टी की बनावट में पानी कितना कसकर बंधा हुआ है। जड़ परत में नमी की कमी जितनी अधिक होगी, एसएम क्षमता उतनी ही नकारात्मक होगी जिसके खिलाफ पौधे द्वारा पानी निकाला जाना चाहिए। एक पौधे के जड़ क्षेत्र में पानी की कमी से अधिक एसएम निकालना कठिन हो जाता है, यानी, नकारात्मक एसएम क्षमता होगी। वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता एसएम मूल्यों में परिवर्तन से कम हो जाती है। इसलिए, एसएम भिन्नताएं कृषि उत्पादकता में परिवर्तन का कारण बनती हैं। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक संपत्ति हैय इसके साथ, यह स्पष्ट है कि भारत को एक उत्पादक और प्रगतिशील देश बनने के लिए आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तनों का भविष्य का विश्लेषण आवश्यक है (जो एसएम समावेशन के साथ प्रभावी रूप से प्रगतिशील होगा)।

चित्र 1 में दर्शाया गया है कि जीएफडीएल–ईएसएम मॉडल पूरे भारत में एसएम के उच्च मूल्यों वाले थे। मध्य भारतीय क्षेत्र में बीएनयू–ईएसएम, सीईएसएम 1–बीजीसी, सीईएसएम 1–सीएएम 5–एफवी 2; सीईएसएम 1–फास्टकेम, सीईएसएम 1–डब्ल्यूएसीसीएम, नोरेएसएम 1–एमई, और नोरेएसएम 1–एम. हिमालयी क्षेत्र में आईएनएमसीएम 4 का मूल्य सबसे अधिक था, और सीएसआईआरओ–एमके 3–6–0 के पास अन्य मॉडलों की तुलना में हिमालयी क्षेत्र में अधिकतम मूल्य भी थे। सीईएसएम 1–सीएएम 5; जीएफडीएल–सीएम 1; और जीआईएसएस मॉडल मानसून के मौसम में थोड़ा कम एसएम मान (शुष्क) थे। एक्सेस, एफगोल्सजी 2 और बीसीसी–सीएसएम में एसएम के मध्यम मूल्य थे, जो मध्य भारत में वेतन वृद्धि का एक समान पैटर्न था। आधे से अधिक मॉडलों की प्रवृत्ति में परिवर्तनशीलता 0 से 0–6 घनमीटर/घनमीटर के बीच है। यह भी सही ठहराता है कि मानसून में, उच्च अक्षांश में एक वैश्विक सुखाने की प्रवृत्ति होती है और मानसून के दौरान मध्य एशिया और पश्चिमी अमेजॅन बेसिन में एक नम प्रवृत्ति के लिए आम सहमति है।

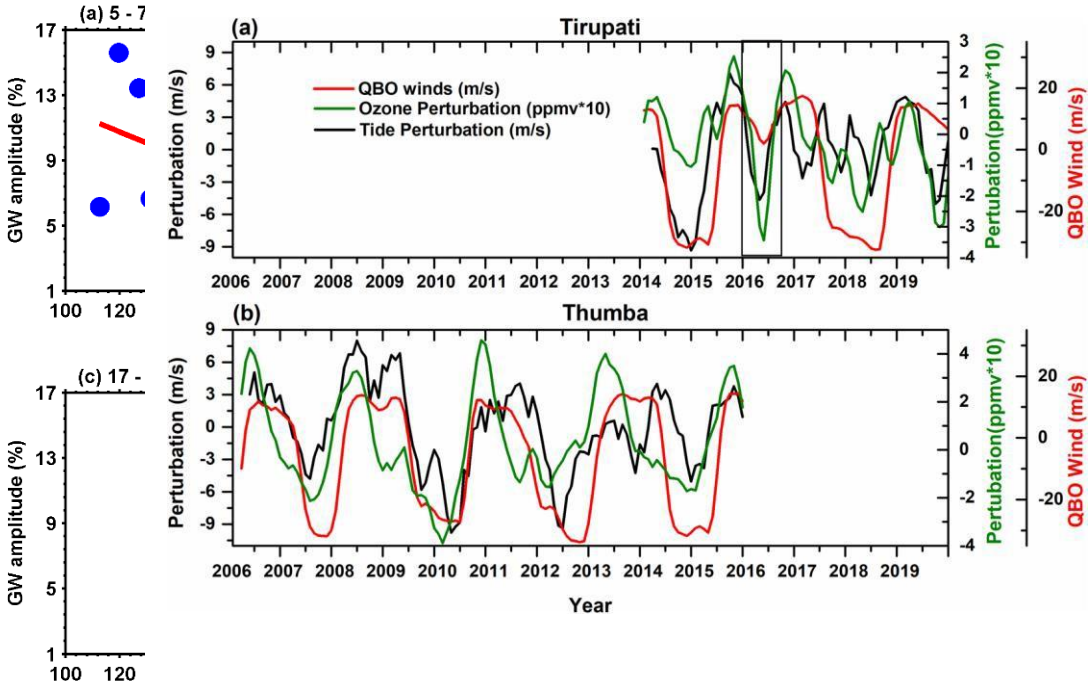
fuEu lkj fdj.ku dk nkjku ekfV;u FkekLQ;j e rkieku vkj x:Ro rjx xfrfofèk e vrj ;g orieku dk; de lkj xfrfofèk dk nkjku exy dk FkekLQh;j e rkieku vkj x#Rokd"k.k ygj ¼thMCY;½ xfrfofèk l lcfèkr gA

इस उद्देश्य के लिए, हमने मंगल वायुमंडल और वाष्पशील इवोल्यूटिओन (एमएवीईएन) मिशन पर न्यूट्रल गैस और आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर (एनजीआईएमएस) द्वारा सीटू में मापा गया सीओ2 घनत्व से जीडब्ल्यू आयाम और थर्मोस्फेरिक तापमान निकाला। ये अवलोकन मंगल वर्ष (एमवाई) 32 में सौर देशांतर (एलएस) = 294° और एमवाई 35 में एलएस = 242° के बीच सौर गतिविधि के गिरावट के चरण के दौरान प्राप्त किए गए थे। वर्तमान अध्ययन के अवलोकनों से पता चलता है कि तापमान कम है और जीडब्ल्यू आयाम चित्र 1 में दिखाए गए कम सौर गतिविधि पर अधिक हैं। यहां, एलएस ~ 180 डिग्री से 360 डिग्री के दौरान एमवाई 34 में ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म (जीडीएस –2018) से मेल खाता है जिसे नाममात्र जीडीएस के तहत जीडब्ल्यू गतिविधि का अध्ययन करने के लिए हटा दिया गया है। सौर विकिरण के लिए थर्मोस्फेरिक तापमान की प्रतिक्रिया स्थानीय समय पर निर्भर है जैसे कि दोपहर और शाम के तापमान सौर विकिरण के साथ महत्वपूर्ण सहसंबंध (सहसंबंध गुणांक, आर झ 0–8) दिखाते हैं जबकि भोर की ओर तापमान मध्यम सहसंबंध दिखाते हैं (आर = 0.55)। इसके अलावा, गुरुत्वाकर्षण तरंग आयामों और थर्मोस्फेरिक तापमान के बीच नाममात्र नकारात्मक सहसंबंध, जो 2018 की वैश्विक धूल घटना के दौरान परेशान हो गया था, घटना के धंसने के बाद बहाल हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि थर्मोस्फेरिक तापमान और जीडब्ल्यू गतिविधि के बीच सहसंबंध भी स्थानीय समय पर निर्भर है, जिसमें दोपहर में मध्यम सहसंबंध (आर = –0.65) और चित्र 2 में दिखाए गए अन्य स्थानीय समय पर कमजोर सहसंबंध है।



चित्र 1. क) जीडब्ल्यू आयामों, ख) थर्मोस्फेरिक तापमान की एलएस भिन्नता। विभिन्न 'मार्टियन' वर्ष (एमवाई 32 से एमवाई 35) रंग कोडित हैं। दो घुमावदार ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच का क्षेत्र 2018 के वैश्विक धूल तूफान की अवधि को दर्शाता है। (ग) और (घ) क्रमशः मावेन पेरियाप्सिस एलएसटी और अक्षांश की एलएस भिन्नता को दर्शाते हैं और (ङ) सीडीओडी की एलएस भिन्नता को 610 पीए पर दर्शाते हैं।

वर्तमान अध्ययन के परिणामों से, यह अनुमान लगाया गया है कि मंगल के थर्मोस्फीयर में जीडब्ल्यू आयामों की परिवर्तनशीलता को अकेले अंतर्निहित वातावरण के तापमान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। अन्य कारक, जैसे स्रोत क्षेत्र में जीडब्ल्यू आयामों की भिन्नता और/अथवा अंतर्निहित वातावरण के परिसंचरण में परिवर्तन, विशेष रूप से टर्मिनेटर और नाइटसाइड पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।



चित्र 2–जीडब्ल्यू आयाम और थर्मोस्फेरिक तापमान के बीच स्कैटर प्लॉट सहसंबंध गुणांक (ए) 5–7 एच (बी) 11–13 एच (सी) 17–19 एच (डी) 23–01 घंटे को दर्शाता है। ठोस लाल रेखा ने प्रत्येक डेटासेट के लिए सबसे बेहतर तरीके से उपर्युक्त डाटा को दिखाया है।

de v{kk'k ,e,yVh {k= e¡ nfud Tokj e¡ ckfèkr *LVªVkLQfjd D;ksaVk flXuypj*

तिरुपति (13–63° उत्तर, 79–4°पूर्व 2013–2020) के ऊपर मेसोस्फीयर और लोअर थर्मोस्फीयर (एमएलटी) में हवाओं के उल्का रडार माप और ओजोन के माइक्रोवेव लिम्ब साउंडर (एमएलएस) अवलोकनों का उपयोग वर्ष 2016 के दौरान दैनिक ज्वार पर बाधित समतापमंडलीय अर्ध–द्विवार्षिक दोलन (एसक्यूबीओ) के प्रभाव की जांच के लिए किया जाता है। सकारात्मक ज्वारीय गड़बड़ी ओजोन के सकारात्मक विक्षोभ और एसक्यूबीओ के पूर्व चरण के दौरान देखी जाती है और इसके विपरीत। इन अवलोकनों को निर्दिष्ट गतिशीलता संपूर्ण वायुमंडल सामुदायिक जलवायु मॉडल (एसडी–डब्ल्यूएसीसीएम) सिमुलेशन द्वारा अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है।

चित्र 1 उल्का रडार प्रेक्षणों (काले), 30 एचपीए स्तर पर एसक्यूबीओ हवाओं (लाल) और (ए) तिरुपति और (बी) थुम्बा के ऊपर 26 एचपीए पर डीविसेनलाइज्ड ओजोन गड़बड़ी (हरा) से प्राप्त 88 किमी की ऊंचाई पर मेरिडियनल हवाओं में बेमौसमीकृत दैनिक ज्वार गड़बड़ी की अंतर–वार्षिक परिवर्तनशीलता।

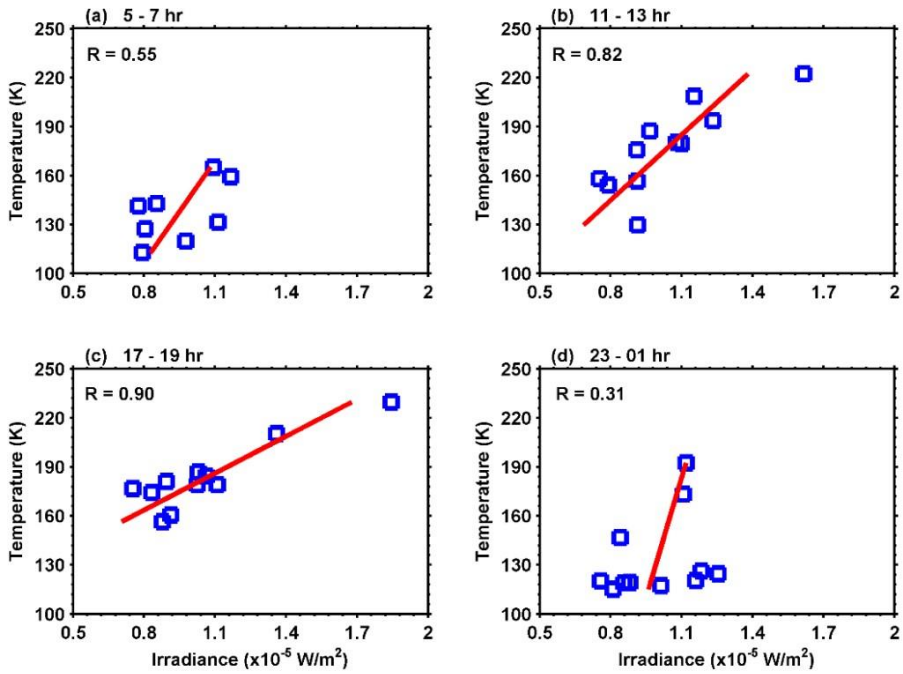
वर्ष 2016 के दौरान, पहली बार एसक्यूबीओ व्यवधान हुआ। वर्तमान अध्ययन कम अक्षांश स्टेशन पर उल्का रडार अवलोकनों का उपयोग करके एमएलटी क्षेत्र में दैनिक ज्वार के आयामों पर एसक्यूबो व्यवधान के प्रभाव की जांच करता है। माइक्रोवेव लिम्ब साउंडर (एमएलएस) से प्राप्त स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन माप के साथ–साथ निर्दिष्ट गतिशीलता संपूर्ण वायुमंडल सामुदायिक जलवायु मॉडल (एसडी–डब्ल्यूएसीसीएम) से सिमुलेशन भी दैनिक ज्वार, एसक्यूबो हवाओं और ओजोन के बीच संबंध पर प्रकाश डालने के लिए नियोजित किया जाता है जिसे चित्र 1 में दर्शाया गया है। परिणाम दैनिक ज्वार गड़बड़ी और ओजोन गड़बड़ी के साथ–साथ एसक्यूबओ हवाओं के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध का सुझाव देते हैं। एसक्यूबीओ व्यवधान के दौरान, ओजोन गड़बड़ी और 20 एचपीए से नीचे पश्चिम की ओर हवाओं में एक नकारात्मक विसंगति है, जिसे एमएलटी में देखे गए दैनिक ज्वार आयामों को

कम करने में प्रमुख उम्मीदवार माना जाता है। वायुमंडलीय ज्वार वैश्विक स्तर के दोलन हैं जिनकी अवधि सौर दिन (24:12:8 घंटे आदि) के उप–हार्मोनिक्स हैं। इनमें से, दैनिक ज्वार (24 घंटे) कम अक्षांशों पर बहुत प्रमुख हैं और मध्य वातावरण की संरचना और गतिशीलता को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्ट्रैटोस्फेरिक अर्ध–द्विवार्षिक दोलन (एसक्यूबीओ) समताप मंडल में 28 महीने की औसत समय अवधि के साथ एक लंबी अवधि दोलन है और माना जाता है कि यह अंतर–वार्षिक समय पैमाने पर दैनिक ज्वार को संशोधित करता है।

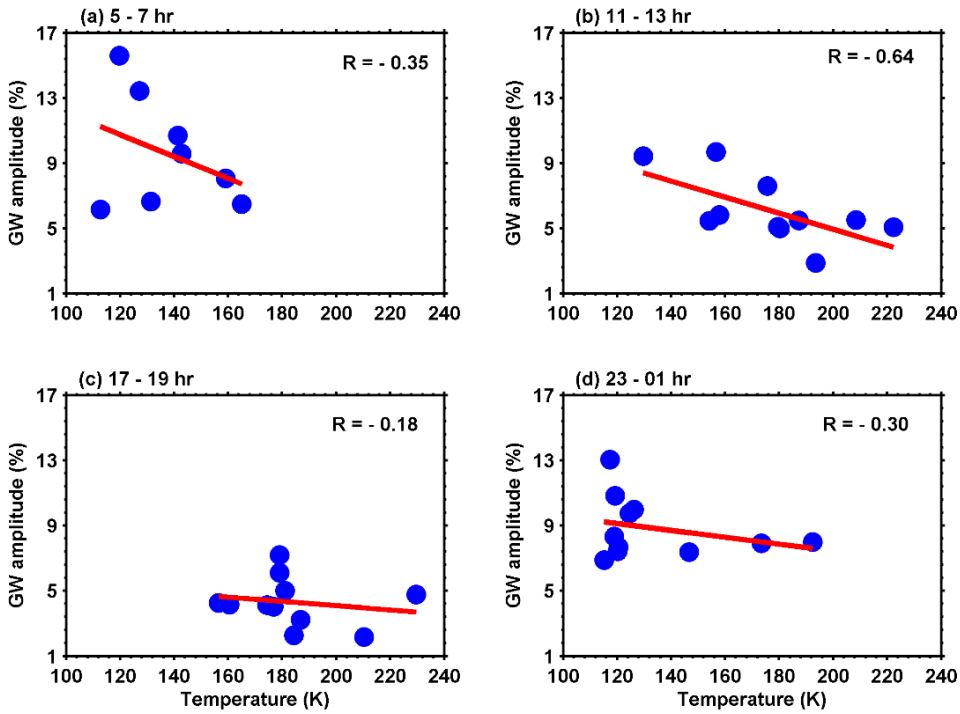
de lkj fofdj.k d nkjku exy d FkekLQh;j e rkieku vkj x#Rokd"k.k rjx xfrfofèk dh ifjoru'khyrk

यह वर्तमान कार्य कम सौर गतिविधि के दौरान मंगल के थर्मोस्फीयर में तापमान और गुरुत्वाकर्षण लहर (जीडब्ल्यू) गतिविधि से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए, हमने मंगल वायुमंडल और वाष्पशील इवोल्यूटिओन (एमएवीईएन) मिशन पर न्यूट्रल गैस और आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर (एनजीआईएमएस) द्वारा सीटू में मापा गया सीओ2 घनत्व से जीडब्ल्यू आयाम और थर्मोस्फेरिक तापमान निकाला। ये अवलोकन मंगल वर्ष (एमवाई) 32 में सौर देशांतर (एलएस) = 294° और एमवाई 35 में एलएस = 242° के बीच सौर गतिविधि के गिरावट के चरण के दौरान प्राप्त किए गए थे। वर्तमान अध्ययन के अवलोकनों से पता चलता है कि तापमान कम है और कम सौर गतिविधि पर जीडब्ल्यू आयाम अधिक हैं। सौर विकिरण के लिए थर्मोस्फेरिक तापमान की प्रतिक्रिया स्थानीय समय पर निर्भर है जैसे कि दोपहर और शाम के तापमान सौर विकिरण के साथ महत्वपूर्ण सहसंबंध (सहसंबंध गुणांक, आर > 0.8) दिखाते हैं, जबकि सुबह के तापमान मध्यम सहसंबंध (आर = 0.55) दिखाते हैं जो चित्र 1 में दिखाया गया है।

इसके अलावा, गुरुत्वाकर्षण तरंग आयामों और थर्मोस्फेरिक तापमान के बीच नाममात्र नकारात्मक सहसंबंध, जो 2018 की वैश्विक धूल घटना के दौरान परेशान हो गया था, घटना के धंसने के बाद बहाल हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि थर्मोस्फेरिक तापमान और जीडब्ल्यू गतिविधि के बीच सहसंबंध भी स्थानीय समय पर निर्भर है, जिसमें दोपहर में मध्यम सहसंबंध (आर = –0.65) और चित्र 2 में दिखाए गए अन्य स्थानीय समय पर कमजोर सहसंबंध है।



चित्र 1 सौर विकिरण और 'थर्मोस्फेरिक टेम्परचर' के बीच बिखरा हुआ प्लॉट सहसंबंध गुणांक (ए) 5–7 एच (बी) 11–13 एच (सी) 17–19 एच (डी) 23–01 घंटे को दर्शाता है। ठोस लाल रेखा प्रत्येक डेटासेट सबसे बेहतर तरीके से उपर्युक्त डाटा को दर्शाती है



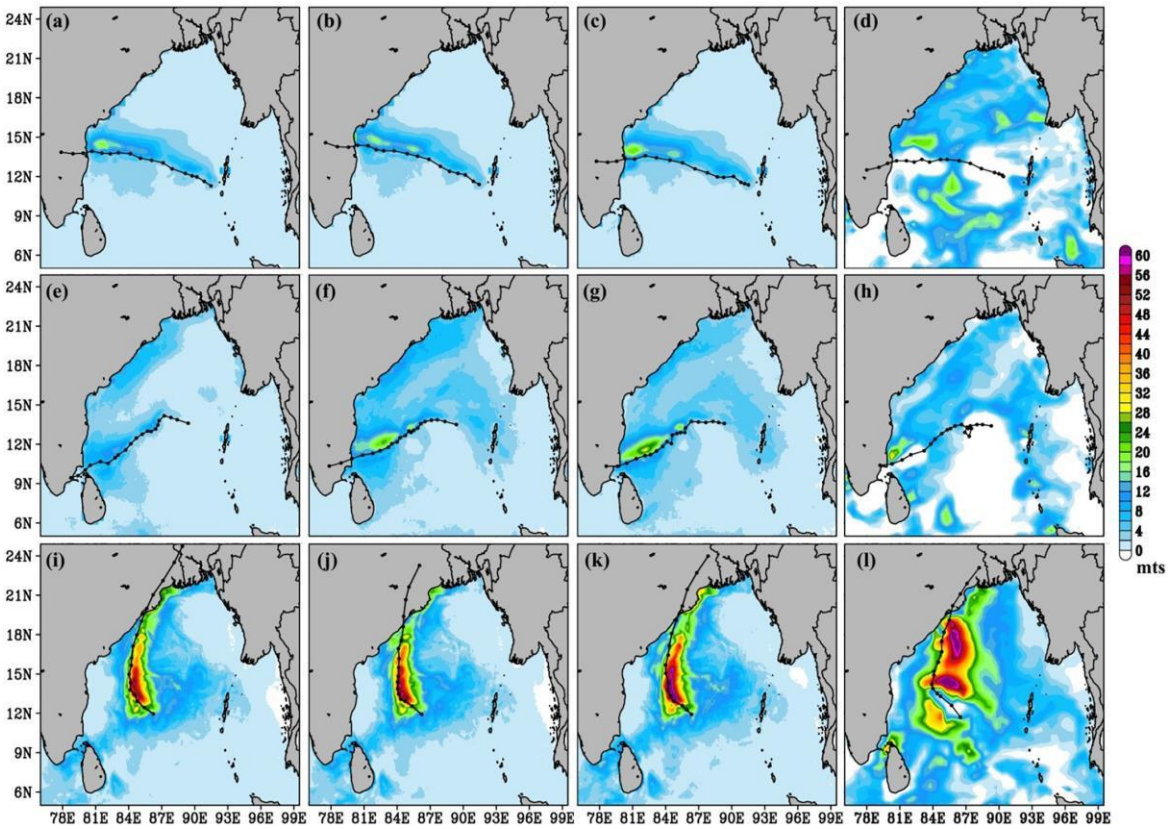
चित्र 2 चित्र 1 के समान, लेकिन थर्मोस्फेरिक तापमान और जीडब्ल्यू गतिविधि के बीच सहसंबंध विश्लेषण दिखाता है।

वर्तमान अध्ययन के परिणामों से, यह अनुमान लगाया गया है कि मंगल के थर्मोस्फीयर में जीडब्ल्यू आयामों की परिवर्तनशीलता को अकेले अंतर्निहित वातावरण के तापमान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। अन्य कारक, जैसे स्रोत क्षेत्र में जीडब्ल्यू आयामों की भिन्नता और/या अंतर्निहित वातावरण के परिसंचरण में परिवर्तन, विशेष रूप से टर्मिनेटर और नाइटसाइड पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।

cxky dh [kkMh d Åij m".kdfVcèkh; pØokrk d ;fXer egklxj&ok;eMyh; fleyu'ku ij LdVlV&1 MVk d vkRelkr dk çHkko

यह अध्ययन एक युग्मित महासागर–वायुमंडलीय मॉडल का उपयोग करके बंगाल की खाड़ी के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भविष्यवाणी करने में एससीएटीरोमीटर एसएटेललाइट –1 (स्कैटसैट –1) से प्राप्त सतही हवाओं के आत्मसात के प्रभाव की जांच करता है। मानसून के बाद के छह चक्रवातों (वरदाह, गजा, पीएचईथाएआई) और मानसून पूर्व चक्रवातों (एमओआरए, फानी, अम्फान) के दौरान संख्यात्मक प्रयोगों के तीन सेट आयोजित किए जाते हैं। पहला प्रयोग, 'नियंत्रण', मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान – महासागर मिश्रित परत (डब्ल्यूआरएफ–ओएमएल) मॉडल के साथ आयोजित किया जाता है, जिसे वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली विश्लेषण और एचवाईब्रिड समन्वित महासागर मॉडल (एचवाईसीओएम) मॉडल से प्राप्त महासागर प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके आरंभ किया गया है।

दूसरा प्रयोग, 'प्रेपबफर', राष्ट्रीय पर्यावरण पूर्वानुमान केंद्र (एनसीईपी) द्वारा तैयार बीयूएफआर अवलोकनों को डब्ल्यूआरएफ–ओएमएल मॉडल और त्रि–आयामी कंपन आत्मसात विधि के साथ आत्मसात करके आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, 'स्कैटसैट' प्रयोग प्रेपबफर के रूप में आयोजित किया जाता है, लेकिन इसके अलावा, स्कैटसैट –1 सतह पवन वैक्टर को आत्मसात किया जाता है। तीन प्रयोगों के सिम्युलेटेड ट्रैक के हमारे परिणाम बताते हैं कि कंट्रोल और पीआरईपीबीयूएफआर सिमुलेशन भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अवलोकनों की तुलना में तेज अनुवाद गति और अधिक ट्रैक विचलन प्रदर्शित करते हैं।



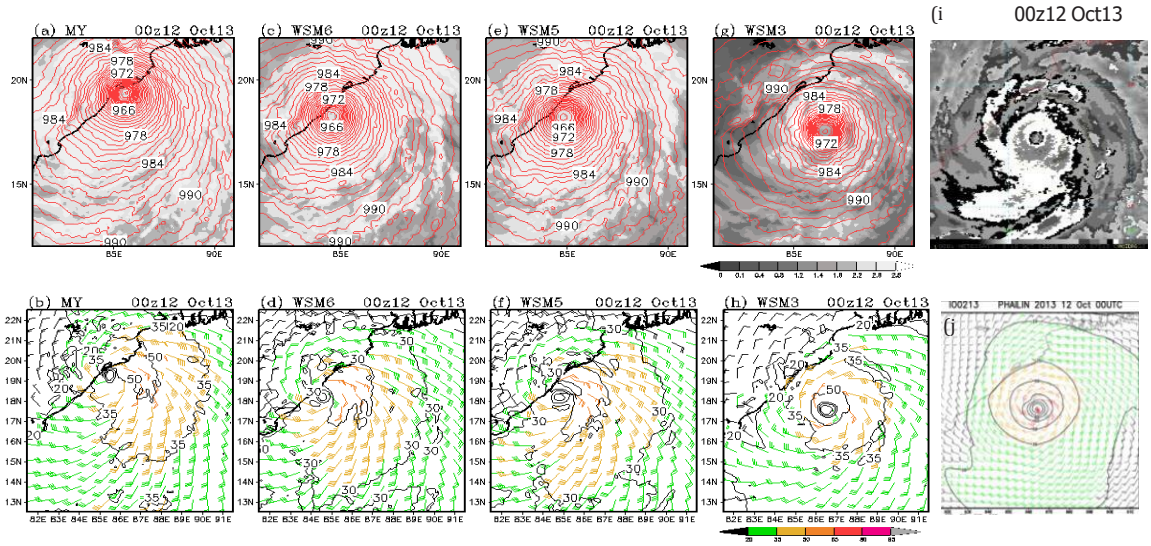
चित्र 1 : वर्ध (ऊपर), गज (मध्य) और फेनी (नीचे), (ए, ई, आई) नियंत्रण, (बी, एफ, जे) प्रेपबफर (सी, जी, के) स्केटसैट और (डी, एच, एल) इनकोआईस–गोडास के लिए एमएलडी (एम में) (तूफान पारित होने के बाद प्रारंभिक एमएलडी–सिम्युलेटेड एमएलडी) का कृत्रिम गहराकरण।

स्कैटसैट–1 हवाओं के आत्मसात के माध्यम से निम्न–स्तरीय चक्रवाती भंवर का यथार्थवादी प्रतिनिधित्व ट्रैक और तीव्रता दोनों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे ट्रैक और ट्रांसलेशन गति के सिमुलेशन पर तीव्रता और सीमांत वृद्धि की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण सुधार होता है। हवाओं के आत्मसात ने तूफानों के विभिन्न जीवन चक्रों के प्रतिनिधित्व में और सुधार किया जैसा कि आईएमडी में देखा गया है। मिश्रित परत की गहराई, समुद्र की सतह के तापमान और वायु–समुद्र प्रवाह आदान–प्रदान के संदर्भ में वायु–समुद्र मापदंडों के विश्लेषण से पता चलता है कि पीआरईपीयूएफआर और नियंत्रण की तुलना में स्कैटसैट में वायु–समुद्र प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया मजबूत है। कुल मिलाकर, स्कैटसैट सतह हवाओं के आत्मसात ने ट्रैक और तीव्रता, ऊपरी महासागर प्रतिक्रिया, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्राथमिक और द्वितीयक परिसंचरण और वर्षा वितरण की भविष्यवाणी पर डब्ल्यूआरएफ–ओएमएल प्रदर्शन में सुधार किया।

अवलोकनों से, तूफान ट्रैक के दाईं ओर (उत्तरी) पर इसकी चरम तीव्रता अवधि के दौरान चक्रवातों के लिए अधिकतम एमएलडी गहराहट देखी जाती है, और यह 95 मीटर से अधिक के साथ एफएएनआई चक्रवात के लिए उच्च है, वरदाह के लिए 15–25 मीटर तक, और गजा के लिए 60 मीटर से अधिक है जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। एफएएनआई के लिए एमएलडी की उच्च गहराई ओएमएल मॉडल के साथ बाधा परत की अनुपस्थिति के कारण है, जो ऊर्ध्वाधर मिश्रण को सक्षम बनाता है और तूफान तीव्रीकरण के दौरान उप–सतह के पानी को ठंडा करता है। चूंकि पवन तनाव की भूमिका सीधे एमएलडी स्कैटसैट सिमुलेशन के सिमुलेशन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सभी टीसी के लिए पीआरईपीबीयूएफआर की तुलना में ट्रैक के दाईं ओर एमएलडी (≥14 मीटर) की तीव्र गहराई का स्पष्ट संकेत है।

xe tyok;¡ e cxky dh [kkMh d Åij pØokrk d x&tku fleyu'ku vkj n'kdh; ifjoru'khyrk dk mi;kx djd m".kdfVcèkh; pØokr ^^Qfyu^^ d vLFkk;h fodkl dk çn'ku

उत्तर हिंद महासागर (एनआईओ) में चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति परिवर्तनशीलता पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है। हाल के दशकों में उत्तर हिंद महासागर के ऊपर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफानों (वीएससीएस) की संख्या में वृद्धि हुई है। ''फैलिन'', एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान (ईएससीएस), 8–13 अक्तूबर 2013 के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर आया और 12 अक्तूबर को 12 यूटीसी पर ओडिशा के गोपालपुर तट के पास पहुंचा। इसने यहां, साथ ही तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के झोंकों (115 समुद्री मील/घंटा), भारी वर्षा और विनाशकारी तूफान के कारण गंभीर नुकसान पहुंचाया। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ट्रैक और तीव्रता का अनुकरण करने में डब्ल्यूआरएफ मॉडल की निष्ठा विभिन्न क्लाउड माइक्रोफिजिकल पैरामीटराइजेशन योजनाओं पर निर्भर करती है।



इस प्रकार, 'डबल–मोमेंट' और 'सिंगल–मोमेंट माइक्रोफिजिकल (एमपी) पैरामीटराइजेशन' योजनाओं का उपयोग करके फैलिन के लिए चार संवेदनशीलता सिमुलेशन आयोजित किए गए थे। फेलिन के लिए ऐसी एमपी योजनाओं के प्रदर्शन को मापने और चिह्नित करने के लिए प्रयोग किए गए थे। सिमुलेशन उन्नत मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान (डब्ल्यूआरएफ–एआरडब्ल्यू) मॉडल द्वारा किया गया था। इस मॉडल में 25 किमी और 8–333 किमी रिजॉल्यूशन पर पूरे बंगाल की खाड़ी और आसपास के तटीय ओडिशा को कवर करने वाले दो इंटरैक्टिव डोमेन हैं। सिमुलेशन के लिए हाइड्रोमेटर्स के 6, 5 और 3 वर्गों के साथ मिलब्रांट–याउ (एमवाई) डबल–मोमेंट और डब्ल्यूआरएफ सिंगल–मोमेंट माइक्रोफिजिकल योजनाओं का उपयोग किया गया था। फैलिन के लिए प्रयोग 126 घंटे के लिए आयोजित किए गए थे, जो 00 यूटीसी 8 अक्तूबर से 06 यूटीसी 13 अक्तूबर 2013 तक आरंभ हुए थे।

चित्र 1: डब्ल्यूआरएफ सिमुलेशन प्रयोगों से प्राप्त ईएससीएस चरण के दौरान एमएसएलपी (एचपीए) और 10 मीटर–हवा की गति (छायांकितय समुद्री मील) वितरण (ए) एमवाई, (सी) डब्ल्यूएसएम 6, (ई) डब्ल्यूएसएम 5, और (जी) डब्ल्यूएसएम 3 योजनाएं 00 यूटीसी 12 अक्तूबर, 2013, 8 अक्तूबर, 2013 के 00 यूटीसी की प्रारंभिक स्थिति, पर 8–333 किमी रिजॉल्यूशन पर मान्य हैं। इसी प्रकार चित्र (बी) एमवाई, (डी) डब्ल्यूएसएम 6, (एफ) डब्ल्यूएसएम 5 और (एच) डब्ल्यूएसएम 3 कुल क्लाउड वितरण दर्शाता है।

यह पाया गया कि फैलिन का ट्रैक, तीव्रता और संरचना विभिन्न माइक्रोफिजिकल पैरामीटराइजेशन योजनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। इसके अलावा, फैलिन के ईएससीएस चरण के दौरान वर्षा और बादल वितरण का अध्ययन किया गया था। माइक्रोफिजिक्स योजनाओं (एमवाई, डब्ल्यूएसएम 3, डब्ल्यूएसएम 5, डब्ल्यूएसएम 6) के साथ–साथ ग्रेल–डेवेनी एन्सेंबल कन्वेक्शन स्कीम ने महत्वपूर्ण ट्रैक त्रुटियों के साथ ओडिशा तट पर फैलिन के लैंडफॉल की भविष्यवाणी की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने से 12 घंटे पहले फैलिन के तेजी से तीव्रीकरण के लिए एसएसटी और पवन कतरनी की तुलना में नमी की आपूर्ति अधिक महत्वपूर्ण घटक बनी हुई है। अंत में, बंगाल की खाड़ी के ऊपर दो दशकों 2001–2010 और 2011–2020 के बीच चक्रवात निर्माण की तुलना से अनुमान लगाया गया है कि वीएससीएस की बढ़ी हुई संख्या को हाल के दशक 2011–2020 में निम्न स्तर पर प्रचुर मात्रा में नमी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

'आईबॉल' संगठित संवहन है जो लंबे समय तक खो जाती है, जिसमें क्षैतिज हवा की गति की एक ही दिशा में उन्मुख संकीर्ण वर्षा बैंड टीसी के केंद्र के चारों ओर सर्पिल दिखाई देते हैं जिन्हें सर्पिल बैंड कहा जाता है। फैलिन के लिए, 12 अक्तूबर, 2013 के 00:00 यूटीसी पर वीएससीएस चरण के 12 घंटे के बाद बहुत महत्वपूर्ण आईवॉल का गठन किया गया है, जिसे चित्र 1 में दिखाया गया है। किसी भी टीसी के भीतर 'आई' का गठन 'आईवॉल' संवहन के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।

5-11 f'k{k.k vkj Kkuv tu dh fefJr i)fr

आयोग ने दिनांक 29.05.2020 को आयोजित अपनी 547वीं बैठक में शिक्षण और ज्ञान अर्जन की मिश्रित पद्धति पर एक संकल्पना टिप्पण तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया। बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, मसौदा अवधारणा नोट को 06.06.2021 को विअआ की वेबसाइट पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए रखा गया था। अंतिम अवधारणा नोट पर विचार करने के लिए इसे दिनांक 08.09.2021 को आयोजित आयोग की 552वें बैठक में रखा गया था, आयोग के सदस्यों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में संशोधन के लिए विशेषज्ञ सदस्यों के पास भेजा गया था। अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त होने पर अंतिम दस्तावेज उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

अध्याय 6

शोध को प्रोत्साहन

- 6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं
- 6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक
- 6.3 पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ
- 6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (कनिष्ठ षोध अध्येतावृत्तिया) शोध ऐसोशियेटशिप (एम.फिल./पी.एच.डी. हेतु)
- 6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां
- 6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां
- 6.7 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध योजना

6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं

शोध, जिज्ञासु मन को जीवंत और ज्ञान को अद्यतन रखता है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक को तीन मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है–शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार। इस प्रकार, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, शोधकर्ताओं के लिए प्रमुख प्रशिक्षण आधार हैं। सत्तर के दशक के बाद से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। वृहद शोध परियोजना कार्यक्रम उन्हें उनकी नियमित नौकरी अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन और सूक्ष्मता से शोध अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत तौर पर किसी शिक्षक अथवा शिक्षक के समूह अथवा समग्ररूप से किसी विभाग द्वारा शोध परियोजना को आरंभ किया जा सकता है। इसे सत्तर वर्ष की आयु के किसी सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भी आरंभ किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन करने के समय प्रार्थी की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं हो। अंतर्विधायी शोध और अंतर्संस्थागत सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुविज्ञान, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान विषयों में वृहद शोध परियोजनाओं में **सहायता की राशि** 20.00 लाख रुपये और मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, साहित्य, कला, विधि और अनुप्रयुक्त विधाओं में 15.00 लाख रुपये है। वृहद शोध परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता में परियोजना के लिए उपकरण, पुस्तकें और जर्नल, रसायन और उपभोज्य, आकस्मिताएं, यात्रा और क्षेत्र कार्य, भाड़े पर ली गई सेवाएं, परियोजना अध्येताओं को अध्येतावृत्ति तथा परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदें शामिल हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान 140 लाभार्थियों को कुल 1.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

तालिका 6.1 वर्ष 2021–22 के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं के लिए जारी किए गए अनुदानों (करोड़ रुपये में) का ब्योरा

विषय	कुल लाभार्थी	अनुदान सहायता–सामान्य (31)			पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)			एनईआ सामान्य (31)			एनईआ पूंजीगत (35)			कुल
		सामान्य	अ0ज0	अ0ज0जा0	सामान्य	अ0ज0	अ0ज0जा0	सामान्य	अ0ज0	अ0ज0जा0	सामान्य	अ0ज0	अ0ज0जा0	
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (एचआरपी)	20	0.14	..	..	..	..	..	0.04	..	..	..	..	..	0.18
विज्ञान शोध (एसआर)	120	1.41	0.03	..	..	..	..	0.03	..	..	..	..	..	1.47
कुल	140	1.55	0.03					0.07						1.65

6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक

शोध अवार्ड:

शोध अवार्ड की योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत डॉक्टोरल उपाधि धारक स्थायी शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बिना कोई शोध मार्गदर्शन प्राप्त किये दो वर्ष की अवधि तक शोध कार्य हेतु अवसर प्रदान करना है जिसे अपवाद स्वरूप किन्हीं मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की सभी विधाओं के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लाटों पर चयन किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान 44.67 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

शोध वैज्ञानिक:

शोध वैज्ञानिक योजना को मूल रूप से वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था ताकि इसका लक्ष्य विशिष्ट योग्यता वाले तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान में तीन स्तरों पर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।

क) शोध वैज्ञानिक 'क' (व्याख्याता)

ख) शोध वैज्ञानिक 'ख' (उपाचार्य)

ग) शोध वैज्ञानिक 'ग' (आचार्य)

वर्ष 2021-22 के दौरान 3.88 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3 पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

6.3 (i): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य डॉक्टोरल (वाचस्पति) उपाधि धारक तथा शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध कर सकें। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान 500 लाभार्थियों पर 5.01 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3(ii) महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य पी.एच.डी उपाधि धारक बेरोजगार महिलाएं, जो पूर्णकालीन आधार पर विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पोस्ट–डाक्टोरल शोध करने की इच्छुक हैं, उन्हें शोध कार्य का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान 578 लाभार्थियों पर 6.61 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3(iii) भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ0 एस0 राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य संगत विषयों में पी.एच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित भाषाओं में उन्नत अध्ययन और शोध कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान 28 लाभार्थियों पर 10.06 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3(iv): डॉ0 डी0 एस0 कोठारी पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टोरल शोध करने के लिए शोध अध्येताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। चयन प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए एक विनिर्दिष्ट वेबसाइट ***ugcdskpdf.unipune.ac.in*** है। व्यक्ति विशेष से आवेदन की प्राप्ति पर चयन प्रक्रिया को छह माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो पीएचडी उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध जमा कर दिये हैं वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं। अध्येतावृत्ति तीन वर्ष के लिए है।

वित्तीय सहायता (दिनांक 01 जनवरी, 2019 से संशोधित)

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप	47,000 रुपये प्रतिमाह	49,000 रुपये प्रतिमाह	54,000 रुपये प्रतिमाह
हॉयर पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप	54,000 रुपये प्रतिमाह	54,000 रुपये प्रतिमाह	54,000 रुपये प्रतिमाह
आकस्मिक राशि	1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष	1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष	1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष
मकान किराया भत्ता	शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी, 2019 के क0ज्ञा0 के अनुसार मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाएगा।		

जनवरी, 2013 से अध्येतावृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती है (जहां अध्येतावृत्ति सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है)।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 753 पीडीएफ को 39.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति के निकट प्रतिभाशाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों द्वारा बुनियादी विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधान योगदान को जारी रखने के लिए एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना'' आरंभ की है। योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति की आयु के समीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् तीन अतिरिक्त वर्षों तक सार्थक शोध कार्य जारी रखना तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना है।

वित्तीय सहायता: योजना के तहत 50,000/–रुपये प्रतिमाह (पेंशन और/अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और 5,00,000/–रुपये प्रतिवर्ष (वार्षिक आधार पर) का शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।

अनुसंधान अनुदान का उपयोग उपकरणों, कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, रसायनों, कांच के बर्तन और उपभोग्य सामग्री, आकस्मिक राशि, परियोजना/तकनीकी सहायक की सेवाएं प्राप्त करना, क्षेत्र कार्य, यात्रा (भारत के भीतर) आदि की खरीद के लिए किया जा सकता है ।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वचनपत्र निष्पादित करना होगा और समय–समय पर इस अध्येतावृत्ति से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा और द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 80 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 7.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(vi) एमेरिटस अध्येतावृत्ति

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सत्तर वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा उनकी विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में सक्रिय शोध कार्य करने का अवसर अवसर प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति हेतु पात्रता, शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल में किए गए शोध और प्रकाशन के कार्य की गुणवत्ता पर आधारित है। इस योजना के तहत किसी भी एक समय के आधार पर विज्ञान विषय के लिए 100 और मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के लिए 100 स्लॉट हैं (कुल 200 स्लॉट हैं)।

वर्ष 2021–22 के दौरान 5 लाभार्थियों पर 8.22 लाख रुपये का व्यय हुआ।

6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पी.एच.डी हेतु)

6.4 (i) विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ)

इसका उद्देश्य ऐसे विद्वानों को उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने का अवसर प्रदान करना है जिससे उन्हें भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को जेआरएफ प्रदान करता है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/जेआरएफ) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है। अध्येतावृत्ति की कुल अवधि पांच वर्ष की है।

दिनांक 01 जनवरी, 2019 से जेआरएफ/ एसआरएफ अध्येतावृत्ति को क्रमशः 25,000/– से बढ़ाकर 31,000/– रुपये तथा 28,000/– से बढ़ाकर 35,000/– रुपये कर दिया गया है। अन्य निबंधन और शर्तें, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हैं। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:

अध्येतावृत्ति	**प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से** **शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से**	**जेआरएफ (दो वर्षों के लिए)** **एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)**
आकस्मिक राशि क	**प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से** **शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से**	**मानविकी और सामाजिक विज्ञान**
आकस्मिक राशि ख	**प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से** **शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से**	**विज्ञान**
सहचर/पाठक सहायता	**शारीरिक रूप से निशक्त और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से।**	
मकान किराया भत्ता	**भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।**	

योजना के प्रभाव:–

1. समाज के कमजोर वर्गों को शोध हेतु अवसर उपलब्ध कराना।
2. सभी विधाएं जैसे विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान आदि योजना के तहत कवर हैं।
3. योजना के तहत शोध और व्यावहारिक ज्ञान के सभी आयाम आधारित शोध।
4. स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संदर्भ में शोध की उपयुक्तता ओर संगतता को योजना के तहत अंगीकार किया जा रहा है।

योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान भुगतान किए गए अनुदानों का ब्योरा निम्नवत है:–

क्रम संख्या	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	उपलब्ध स्लॉटों की संख्या (प्रतिवर्ष)
1.	2021.2022	1150.73	9,400

वर्ष 2021–22 के दौरान विज्ञान, मानविकी तथा समाजिक विज्ञान विषयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के तहत 1150.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। जेआरएफ के तहत प्रतिवर्ष 9400 स्लॉट हैं। वर्तमान में, कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के तहत 24,257 (लगभग) लाभार्थी एम.फिल./पीएच.डी. कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 2012 से जेआरएफ/एसआरएफ (विअआ नेट जेआरएफ योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी) के खातों में तथा दिसम्बर, 2013 से (विअआ–सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले

अभ्यर्थियों) तथा दिनांक 01 जुलाई, 2016 से पिछले मामलों के जेआरएफ तथा एसआरएफ तथा नए प्रवेशकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से सीधे ई–भुगतान के माध्यम से अध्येतावृत्ति संवितरण आरंभ कर दिया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नवत उपलब्धियां रहीं हैं:–

1. सभी मामले प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण योजना के अंतर्गत लाए गए हैं।
2. वर्ष के दौरान 24,850 जेआरएफ/एसआरएफ को अध्येतावृत्ति भुगतान अंतरण किया गया है।
3. अक्तूबर, 2018 से पोर्टल पर मासिक भुगतान प्रणाली आरंभ की गई है।
4. जेआरएफ और एसआरएफ नेट उत्तीर्ण करने वाले विद्वानों की संशोधित अध्येतावृत्ति का बकाया भुगतान विद्वानों के खाते में संवितरित कर दिया गया है।
5. केनरा बैंक पोर्टल पर डाटा को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान के लिए एक प्रशिक्षण संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

6.4(ii) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृतियां

इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय/संस्थान्/महाविद्यालय में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एमफिल/पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए अनुसूचित जाति के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पात्रता:

अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति का होना चाहिए और उसे स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी को एमफिल/पीएचडी के लिए पंजीकृत होना जरूरी है। चयन वर्ष 2018–19 से चयन के लिए सीबीएसई/एनटीए–यूजीसी–नेट/सीएसआईआर–नेट परीक्षा की उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता:

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 3717 लाभार्थियों को 128.03 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4(iii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् (1) बौद्ध (2) ईसाई (3) जैन (4) मुस्लिम (5) पारसी और (6) सिक्ख के चयनित अभ्यर्थियों को देश में विश्वविद्यालय/संस्थान्/महाविद्यालय में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एमफिल/पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। प्रत्येक वर्ष 1000 स्लॉट हैं।

पात्रता:

क) व्यक्ति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिसूचित मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन– किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।

ख) सीबीएसई/एनटीए–यूजीसी–नेट/सीएसआईआर–नेट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए और उसे विश्वविद्यालयों/ शिक्षा संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विज्ञापन के अनुसार अध्येतावृत्ति के उपबंधों के अध्यधीन उस विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रवेश की शर्तों को पूरा करते हुए नियमित और पूर्णकालिक आधार पर एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।

ग) लाभार्थी/अथवा लाभार्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता:

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 2059 लाभार्थियों को 78.15 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय/ संस्थान्/ महाविद्यालय में पूर्णकालिक/ नियमित आधार पर एमफिल/पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पात्रता:

अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए और उसने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा लाभार्थी/अथवा लाभार्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही एमफिल/पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं, वे उक्त योजना के तहत अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे। चयन वर्ष 2019–20 से चयन के लिए सीबीएसई/एनटीए–विअआ–नेट/सीएसआईआर–नेट परीक्षा की उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता :

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप	

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1338 लाभार्थियों को 58.30 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.5(v): सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति

वर्ष 2014–15 में आरंभ की गई यह योजना ऐसी एकल बालिकाओं पर लागू होती है, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में सामाजिक विज्ञान में नियमित, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लिया है। इस योजना का उद्देश्य समाज में एकल बालिकाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात बढ़ाना और समाज में छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देना है। अब तक, प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्तियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसलिए, सभी पात्र आवेदक अनुसंधान, जिसके परिणामस्वरूप पीएचडी उपाधि प्राप्त हो, करने के लिए पात्र हैं।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः–

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 28,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
सहचर/ पाठक सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से।	सभी विधाओं के लिए
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	सभी विधाओं के लिए

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 245 लाभार्थियों को 10.34 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4 (vi): विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों हेतु बी0एस0आर0 अध्येतावृत्ति (आरएफएसएमएस)

बीएसआर योजना का उद्देश्य विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिये उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने हेतु प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना था। अध्येतावृत्ति की अवधि 5 वर्ष है। बीएसआर अध्येतावृत्ति को वर्ष 2006 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– नेट अध्येतावृत्ति के साथ आमेलित कर दिया गया है।

वित्तीय सहायताः

गैर–गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 21,700/– रुपये प्रतिमाह की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 24,800/– रुपये प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से (दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी)
मकान किराया भत्ता	सभी किस्तों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार
गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रभावी)

अध्येतावृत्ति को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संवितरित किया जा रहा है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 141 जेआरएफ/एसआरएफ को 1.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.5 (i) पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठयक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को वर्ष 2011–12 से आरंभ किया गया है। डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि दो/तीन वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

एम.टेक. छात्र	7,800 रुपये प्रतिमाह की दर से
अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम	4,700 रुपये प्रतिमाह की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कार्यरत 585 लाभार्थियों को 10.21 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

6.5 (ii) एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के उद्देश्य गैर–पेशेवर पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करना तथा छोटे परिवार के मानदण्ड के महत्व को पहचान प्रदान करना है।

यह योजना स्नातकोत्तर षिक्षा सत्र 2006–07 से आरंभ की गई थी। अपने माता–पिता की एकल बालिका और जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियमित, पूर्णकालिक निष्णात पाठ्यक्रम (गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय 30 वर्ष की आयु तक की छात्राएं पात्र हैं। चूंकि यह एक प्रोत्साहन योजना है इसलिए, प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सभी पात्र आवेदक बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

ब्योरा	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति	37,200/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1350 मौजूदा लाभार्थियों को 14.80 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

6.5 (iii) स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

इस छात्रवृत्ति को वर्ष 2006–07 में प्रतिभा को बढ़ावा देने और उसे पोषित करने तथा स्नातकपूर्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने तथा स्नातकोत्तर अध्ययन को जारी रखने के व्यापक उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था। स्नातकपूर्व स्तर पर प्रथम तथा द्वितीय रैंक धारक जिन्हें किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हुआ है वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। यह योजना ऐसे छात्रों पर लागू होती है, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/ सम विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय नियमित, पूर्णकालिक निष्णात उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय उनकी आयु 30 वर्ष से कम हो। प्रत्येक वर्ष 3000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

ब्योरा	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति	37,200/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 582 मौजूदा लाभार्थियों को 4.67 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.5 (iv) गेट/जी.पी.ए.टी. अर्हता प्राप्त एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु प्रतिभावान स्नातक उपाधि धारक युवा छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है। गेट/जी.पी.ए.टी. अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को पूर्णकालिक/ नियमित आधार पर भारत में विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा. की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। छात्रवृत्ति को वर्ष 2016–17 में आरंभ किया गया था।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

ब्योरा	**छात्रवृत्ति की दर**	**छात्रवृत्ति की अवधि**
छात्रवृत्ति (गेट/जी.पी.ए.टी. में 60 प्रतिशत से अधिक अंक)	प्रतिमाह 12,400/– रुपये की दर से	केवल दो वर्ष
छात्रवृत्ति (प्रथम सेमेस्टर में 60 प्रतिशत से कम अंक)	प्रतिमाह 1,550/– रुपये की दर से	

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1313 लाभार्थियों को 12.48 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां

6.6 (i) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए ''ईशान उदय'' नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना

शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर–पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष रुचि दिखाई है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उत्तर–पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014–15 से इस योजना को आरंभ किया है। योजना आरंभ करने से पूर्व, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार, केन्द्र तथा उत्तर–पूर्व क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों, शिक्षा मंत्रालय, उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर–पूर्व परिषद्, शिलांग तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया।

इस योजना के तहत, प्रत्येक वर्ष 10000 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की व्यवस्था है। एनईआर के अधिवास वाले छात्र, जिन्होंने बारहवीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा, पूर्वोत्तर में स्थिति किसी विद्यालय से किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की है तथा जिन्होंने सामान्य उपाधि कार्यक्रम, चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पाठ्यक्रम (जिसमें समेकित पाठ्यक्रम भी शामिल हैं) सहित तकनीकी तथा पेशेवर पाठयक्रमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों, अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/संस्थान, जो पूर्वोत्तर में अथवा पूर्वोत्तर से इतर अन्य राज्यों स्थित हों, में प्रवेश प्राप्त किया है वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। यह योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी के माता–पिता की वार्षिक आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

क्रम संख्या	ब्योरा	दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
1.	सामान्य उपाधि कार्यक्रम	5,400 रुपये प्रतिमाह की दर से	स्नातकपूर्व कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए
2.	तकनीकी तथा पेशेवर पाठयक्रम (जिसमें चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पाठ्यक्रम शामिल हैं)	7,800 रुपये प्रतिमाह की दर से	

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ''ईशान उदय'' नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्लॉटों का राज्य–वार संवितरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	राज्य	स्लॉटों की संख्या
1	अरूणाचल प्रदेश	303
2	असम	6837
3	मणिपुर	597
4	मेघालय	650
5	मिजोरम	239
6	नागालैण्ड	435
7	सिक्किम	134
8	त्रिपुरा	805
	कुल	10000

इस योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 10461 मौजूदा लाभार्थियों को 56.61 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

वर्ष 2021–22 के दौरान शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक, पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, शोध अध्येतावृत्ति, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्नातकपूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ किए जाने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.1	शिक्षकों हेतु वृहद शोध परियोजनाएं				140	1.65
6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक						
6.2(i)	शोध अवार्ड		100	2 वर्ष		0.45
6.2(ii)	शोध वैज्ञानिक*	1983				3.88
6.3 पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ						
6.3(i)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	2006–07	100	5 वर्ष	510	5.01
6.3(ii)	महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	1998	100	5 वर्ष	578	6.61
6.3(iii)	भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ0 एस0 राधाकृष्णन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	2014–15	200	3 वर्ष	28	10.06
6.3(iv)	डॉ0 डी0 एस0 कोठारी पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	2008–09	500	3 वर्ष	753	39.05
6.3(v)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना	2010–11	(कोई अधिकतम सीमा नहीं)	3 वर्ष	80	7.17
6.3(vi)	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ		किसी दिए गए समय पर 200	2 वर्ष		0.08
6.4 शोध अध्येतावृत्तियां (एम.फिल/पीएच.डी हेतु)						
6.4(i)	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जे0आर0एफ0)	1957–58	8800	5 वर्ष	27499	1150.73
6.4(iii)	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृतियां	2005–06	2000	5 वर्ष	3717	128.03
6.4(iv)	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2009–10	756	5 वर्ष	2059	78.15
6.4(v)	अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपी और वित्तपोषित की जाती है)	2014–15	300	5 वर्ष	1338	58.30
6.4(vi)	सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति	2014–15	300	04 से 05 वर्ष	245	10.34
6.4(vii)	बी0एस0आर0 अध्येतावृत्तियां (आरएफएसएमएस)	2006–07	1500	5 वर्ष	141	1.41
6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां						

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ किए जाने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.5(i)	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2006–07	1000	2ध्3 वर्ष	585	10.21
6.5(ii)	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2005–07	कोई सीमा नहीं	2 वर्ष	1350	14.80
6.5(iii)	स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2005–07	3000	2 वर्ष	582	4.67
6.5(iv)	गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	लंबे समय से	1500	2/3 वर्ष	1313	12.48
6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां						
6.6(i)	'उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए ''ईशान उदय'' नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना' (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2014–15	10000	स्नातकपूर्व स्तर की पूर्ण अवधि के लिए	10461	56.61

6.7 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) कार्यक्रम (मूलभूत वैज्ञानिक शोध का सुदृढीकरण)

शिक्षा मंत्रालय ने मई, 2005 में यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध को पुनर्जीवित करने के लिए एक कृतबल का गठन किया था। मानव संसाधन मंत्रालय ने यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में जून, 2005 में कृतबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु प्रथम अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति ने मार्च, 2014 तक लगभग 08 वर्ष तक की अवधि तक कार्य किया। तत्पश्चात्, कृतबल की सिफारिशों को लागू करने के लिए नवम्बर, 2014 में एआईसीटीई के अध्यक्ष, डॉ0 अनिल सहस्रबुद्धि की अध्यक्षता में दूसरी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

कृतबल की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में निम्नवत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

6.7 (i) फैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)

'ऑपरेशन फैकल्टी रीचार्ज' को वर्ष 2011 में आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विज्ञापन द्वारा भरा गया। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक एफआरपी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई थी। वर्तमान में, **373** संकाय अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह आचार्यों का चयन किया जा चुका है जिसमें से **160** कार्यरत हैं।

आयोग ने दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में मूलभूत वैज्ञानिक शोध की योजना के तहत भविष्य से एफआरपी कार्यक्रम को वापस लेने का संकल्प लिया।

संकायों अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह–आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल 05 वर्ष है जिसके पश्चात् सहकर्मी समीक्षा (पीयर–रीव्यू) की जायेगी। सिद्धांत रूप में ''फैकल्टी रिचार्ज'' पदों को अधिवर्षिता की आयु (65 वर्ष) तक जारी रखा जा सकता है। पांच वर्ष के प्रत्येक कार्यकाल में मध्यावधि मूल्यांकन की व्यवस्था है।

वित्तीय सहायता: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के समतुल्य परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। एफआरपी को शोध हेतु 10.00 लाख रुपये तक का 'स्टार्ट–अप' अनुदान प्राप्त होता है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से 141 संकायों को वेतन के लिए 18.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। विअआ–एफआरपी की योजना के तहत 10 एफआरपी (चरण–III) के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया हैं जिन्होंने विअआ– एफआरपी योजना के तहत पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है।

6.7 (ii) भर्ती हुए नए संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट-अप' अनुदान

ऐसे सभी शिक्षक जो मूलभूत विज्ञान विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालयों के अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष सहायक आचार्य के पद नव–नियुक्त हुए हैं, वे योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। सहायक आचार्य पी0एच0डी0 उपाधि धारक होने चाहिए तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त जर्नलों में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों। सहायक आचार्य को विभाग/विश्वविद्यालय में पद धारण किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना चाहिए। चयन वर्षभर किया जाता है। अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए एक विनिर्दिष्ट वेबसाइट ***https://ugcfrps.ac.in/uohyd*** है।

अवधि

अध्येतावृत्ति की अवधि 2(दो) वर्ष की है। अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 26 जून, 2020 को आयोजित अपनी 98वीं बैठक में सभी चालू 'स्टार्ट–अप' अनुदान की समय–सीमा को बिना लागत उनके पूर्ण होने की मूल तिथि से एक और वर्ष तक बढ़ाए जाने को अनुमोदन प्रदान किया।

वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत सहायता की सीमा 10 लाख रुपये है। अनुदान का उपयोग छोटे सामान, उपभोज्य सामग्रियों को क्रय करने, आकस्मिकताओं (अधिकतम 50,000/– रुपये प्रतिवर्ष), क्षेत्र कार्य (अधिकतम 50,000/– रुपये प्रतिवर्ष), यात्रा आदि के लिए किया जा सकता है। अनुदान का उपयोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए अथवा परियोजना सहायक या शोध अध्येता की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है। इन शीर्षों के तहत निधियों की प्रमात्रा के बारे में प्रधान अन्वेषक द्वारा उसकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 225 नव–नियुक्त संकाय सदस्यों को 15.02 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.7 (iii) बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को 'मिड करियर अवार्ड'

शिक्षकों को विशिष्ट क्षेत्रों में शोध को जारी रखने के लिए 'मिड करियर अवार्ड' अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

1. पूर्ण की गई अपेक्षित पीएच.डी. की संख्या को संशोधित कर 15 से 10 कर दिया गया है, जिसमें से 03 पिछले पांच वर्षों के दौरान अवार्ड की गई हों। प्रत्येक शोध प्रबंध, जिसे संयुक्त रूप से दूसरे 'गाईड' के साथ पर्यवेक्षित किया गया हो, इसके बाद से, आवेदक द्वारा पर्यवेक्षित की गई पीएच.डी. शोधप्रबंधों की कुल संख्या की गणना करते हुए, आवेदक को इस प्रकार के पर्यवेक्षण के लिए आधा 'क्रेडिट' दिया जाएगा।
2. आवेदक ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम 5 प्रायोजित शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर किया हो।
3. आवेदक द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।
4. आवेदक द्वारा प्रकाशित पत्रों का संचयी प्रभाव कारक > 30 होना चाहिए (थॉमसन रायटर्स के जर्नल उद्धरण रिपोर्ट के अनुसार)।

चयन, वर्षभर किया जाता है। अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए एक विनिर्दिष्ट वेबसाइट ***https://ugcfrps.ac.inèuohyd*** है।

अवधि

'मिड करियर अवार्ड' योजना की अवधि 2(दो) वर्ष की है। इसके अलावा, अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 26 जून, 2020 को आयोजित अपनी 98वीं बैठक में सभी चालू 'मिड करियर अवार्ड' अनुदान की समय–सीमा को बिना लागत उनके पूर्ण होने की

मूल तिथि से एक और वर्ष तक बढ़ाए जाने को अनुमोदन प्रदान किया। सभी नए आवेदनों के लिए योजना की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है।

वित्तीय सहायता: योजना के तहत 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अनुदान का उपयोग लघु उपकरणों, रसायनों, आकस्मिकताओं और क्षेत्र कार्यों के लिए किया जा सकता है। इन शीर्षों के तहत निधियों की प्रमात्रा के बारे में प्रधान अन्वेषक द्वारा उसकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। अनुदान का उपयोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए फर्नीचर की मदें खरीदने अथवा परियोजना सहायक या शोध अध्येता की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 36 शिक्षकों को 0.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

**दिनांक 28 जनवरी, 2021 तक प्राप्त आवेदनों को चयन करने हेतु विचार किया गया है और इसका परिणाम सितम्बर, 2021 में घोषित किया गया था।*

अध्याय 7

लिंग तथा सामाजिक समानता

- 7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास
- 7.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (असम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढाने की अपनी प्रतिबद्धता में, अनेक पहल की हैं जैसेः

i छात्राओं/शोध विद्वानों के लिए तीन विशिष्ट छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्तियांः महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए एकल बालिका हेतु स्वामी विवेकानंद अध्येतावृत्ति और एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति।

ii भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों के विकास के लिए योजना।

iii विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015।

iv शिक्षण संस्थानों में 'जेंडर चौंपियंस' के लिए दिशानिर्देश।

v महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए निःशुल्क नंबर 1800111656।

vi विख्यात महिला व्यक्तित्वों के उत्कृष्ट योगदान के लिए उनके नाम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में दस पीठों को स्थापित किया जा रहा है ।

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास

महिला अध्ययन के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन हेतु केन्द्रों और प्रकोष्ठों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। केन्द्रों/प्रकोष्ठों को लिंग समानता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, बालिकाओं की शिक्षा, जनसंख्या से जुड़े मुद्दों, मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों, सामाजिक शोषण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षण के आयोजन और विस्तार कार्य करना अपेक्षित होता है। इन क्रियाकलापों के माध्यम से न केवल सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन बल्कि शैक्षणिक विकास में भी योगदान देने की आशा की जाती है।

वर्तमान में, ''भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास'' योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 159 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। योजना के तहत 13.59 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, उस अनुदान में से 11.88 करोड़ रुपये विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु जारी किए गए।

7.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (असम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

7-2(i) fo'ofo|ky;k@egkfo|ky;k e f'k{k.k ink ij fu;fä vkj ço'k d ekey e vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr] vU; fiNMk ox] vkfFkd #i l detkj vkj fu'kDr 0;fä;k d fy, vkj{k.k

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझावों के आलोक में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु निरंतर और विशेष प्रयास कर रहा है। इन उपायों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा पेशकश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण, शिक्षण और शिक्षणेत्तर पदों पर भर्ती में आरक्षण, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्ति, उपचारात्मक पाठ्यक्रमों में सीटों का प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों में महाविद्यालयों को विशेष सहायता आदि शामिल हैं।

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2006 के अनुसार, प्रवेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करते हैं और संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के एक निश्चित प्रतिशत को दाखिले में नामांकित करने को अनिवार्य बनाते हैं। अधिनियम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 के पत्र सं 1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से वर्ष 2012 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 31 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 अग्रेषित किया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान शिक्षण, शिक्षणेत्तर पदों, छात्रों के प्रवेश और छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के संबंध में 29 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 60 राज्य विश्वविद्यालयों, 15 सम विश्वविद्यालयों (विअआ अधिनियम की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत) द्वारा प्रस्तुत जानकारी निम्नानुसार है:

दिनांक 07 मार्च, 2019 के केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक के पदों पर आरक्षण) अध्यादेश को भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

मानव संसाधन विभाग मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 07 मार्च, 2019 के मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.38–II/2018–सीयू.वी के साथ–साथ केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक के संवर्ग पर आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के संबंध में दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 1013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 07 मार्च, 2019 और दिनांक 08 मार्च, 2019 के पत्रांक संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से अग्रेषित किया, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में शिक्षक के संवर्ग में संस्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती में पदों पर इस पद्धति से, निम्नवत सीमा के अनुसार आरक्षण होगा जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 02 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्थाप0 (आरक्षण) में विनिर्दिष्ट है, नामतः

(क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत आरक्षण।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण।

(ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों तथा अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों को (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने (ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 जुलाई, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 36012/2/96–स्थापना (आरक्षण) में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्टर

का प्रदर्शित करने, और (iii) इन श्रेणियों के शेष चिन्हित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों को भरने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी करता है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के पत्रांक संख्या एफ.1–8/2014 (एससीटी) के माध्यम से पत्र जारी किए हैं।

तालिका 7.2 (i)(क) शिक्षण कर्मचारिवृंदों का ब्योरा (वर्ष 2021-22)

पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केंद्रीय विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	29	6889	3422	651	327	979	59	5438	113	626	335
सह आचार्य	29	2873	1511	104	36	63	4	1718	7	254	52
आचार्य	29	1508	1018	48	6	12	0	1084	4	490	31
कुल	29	11270	5951	803	369	1054	63	8240	124	1370	418
राज्य विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	60	8602	2983	1036	276	1761	24	6080	52	135	65
सह आचार्य	60	3123	868	206	43	403	5	1530	4	31	23
आचार्य	60	1797	787	180	12	483	1	1464	8	14	7
कुल	60	13522	4638	1422	331	2647	30	9074	64	180	95
सम विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	15	4632	2008	271	54	780	1	3114	13	104	162
सह आचार्य	15	1921	788	611	12	339	0	1750	2	28	28
आचार्य	15	1453	1059	41	5	210	0	1315	2	18	30
कुल	15	8006	3855	923	71	1329	1	6179	17	150	220

*आकँड़ें विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं

तालिका 7.2 (i)(ख) शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों का ब्योरा (वर्ष 2021-22)

पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केंद्रीय विश्वविद्यालय											
समूह–क	29	1307	754	46	27	64	0	891	5	152	64
समूह–ख	29	6490	3034	391	219	597	93	4334	7	730	372
समूह–ग	29	15147	8070	779	574	910	57	10390	112	3972	625
समूह–घ	29	1583	318	85	155	50	23	631	9	5	213
कुल	29	24527	12176	1301	975	1621	173	16246	133	4859	1274
राज्य विश्वविद्यालय											
समूह–क	60	1255	503	95	35	150	3	786	6	25	12
समूह–ख	60	2834	1179	313	59	879	0	2430	32	120	78
समूह–ग	60	14106	5019	1707	345	3419	16	10506	188	368	168
समूह–घ	60	10068	2185	1013	298	1425	0	4921	251	110	56
कुल	60	28263	8886	3128	737	5873	19	18643	477	623	314

पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
सम विश्वविद्यालय											
समूह–क	15	1440	389	145	6	382	1	923	2	12	7
समूह–ख	15	3678	966	286	48	1294	3	2597	0	60	247
समूह–ग	15	8840	2303	1412	259	1604	23	5601	23	41	101
समूह–घ	15	8727	977	1244	185	1275	25	3706	15	53	87
कुल	15	22685	4635	3087	498	4555	52	12827	40	166	442

तालिका 7.2 (i)(ग) शिक्षा सत्र 2021-22 के दौरान सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्र (प्रवेश के प्रथम वर्ष में)

अलग–अलग स्तरों पर पाठ्यक्रम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	कुल सीटें / छात्र प्रवेश (अनुमोदित)	कुल सीटों के समक्ष प्रवेश पाने वाले छात्र (प्रथम वर्ष)	रिक्तियाँ, यदि कोई हो तो	प्रवेश पाने वाले छात्रों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
					सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल *	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केंद्रीय विश्वविद्यालय													
स्नातकपूर्व	28	24368	18655	5713	9950	2080	1324	4565	736	18655	295	4200	1444
स्नातकोत्तर	28	38096	27133	10963	12435	3421	4765	5480	1032	27133	286	3469	3162
एम.फिल.	28	393	258	135	108	42	21	73	14	258	0	9	80
पीएच.डी.	28	7350	3608	3742	1285	421	594	1180	128	3608	17	145	371
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	28	15753	6720	9033	4809	683	365	792	71	6720	49	2999	630
कुल	28	85960	56374	29586	28587	6647	7069	12090	1981	56374	647	10822	5687
राज्य विश्वविद्यालय													
स्नातकपूर्व	57	871300	564656	306644	231406	83685	52822	183653	13090	564656	2816	53714	11433
स्नातकोत्तर	57	202648	135583	67065	58874	22960	12673	38420	2656	135583	803	5678	3431
एम.फिल.	57	3184	576	2608	226	118	31	174	27	576	2	13	4
पीएच.डी.	57	15182	4283	10899	1884	657	335	1282	125	4283	20	111	46
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	57	81062	48045	33017	33827	4548	2286	6403	981	48045	194	477	1159
कुल	57	1173376	753143	420233	326217	111968	68147	229932	16879	753143	3835	59993	16073
सम विश्वविद्यालय													
स्नातकपूर्व	14	30791	27085	3706	15358	2863	961	6679	1224	27085	88	1459	1395
स्नातकोत्तर	14	11557	8936	2621	4853	908	299	2175	701	8936	21	248	353
एम.फिल.	14	564	189	375	67	36	1	81	4	189	0	2	16
पीएच.डी.	14	3653	3310	343	1805	304	71	1078	52	3310	9	99	142
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	14	1150	463	687	232	56	9	140	26	463	2	31	26
कुल	14	47715	39983	7732	22315	4167	1341	10153	2007	39983	120	1839	1932

तालिका 7.2 (i)(घ) छात्र छात्रवास (वर्ष 2021-22)

कुल आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	दाखिले की कुल क्षमता	छात्रावासों में निवास कर रहे छात्रों की संख्या						*कुल में से		
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केंद्रीय विश्वविद्यालय											
28	356	54644	17356	9333	5418	12166	7566	51839	1082	12878	1445
राज्य विश्वविद्यालय											
56	420	73703	19959	8132	5307	16532	1222	51152	164	1192	460
सम विश्वविद्यालय											
14	179	59762	36192	3770	2418	7280	2946	52606	8	1126	1854

7.2(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

भारत सरकार के दिनांक 04 जनवरी, 2013 के पत्र संख्या 43011/153/2010–स्थाप0 (आरक्षण) के माध्यम से प्रत्येक संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना करने हेतु अधिदेशित हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 08 जून, 2015 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या एफ.1–5/2006(एससीटी) के माध्यम से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों से पदों तथा सेवाओं और अन्य संबंधित कार्यों के लिए आरक्षण के आदेशों के प्रवर्तन हेतु विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का अनुपालन करने का अनुरोध किया। आयोग ने दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को आयोजित 535वीं बैठक में ऐसे नए गठित केन्द्रीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मौजूद नहीं है, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करने का संकल्प लिया। प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए आयोग ने शिक्षणेत्तर पदों को अनुमोदित किया है।

7.2(iii) जनजाति उप योजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

आयोग की दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित 529वीं बैठक में अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जनजाति उप योजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय, परिणामी कदम के रूप में एससीएसपी और टीएसपी के लिए 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की सीमा तक निधियां चिह्नित करता है, एक परिणामी कदम के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह निगरानी करनी चाहिए की एससीएसपी और टीएसपी के लिए जिस सीमा तक निधियां चिह्नित की गई है, उनका कहीं अन्यत्र विपथन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, एससीएसपी और टीएसपी निधियों के लिए एक पृथक अनुमोदन पत्र जारी किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रत्येक तीन घटकों अर्थात् सामान्य श्रेणी, एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियों तथा अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाने वाला अव्ययित शेष दर्शाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निधियों के प्रबंधन हेतु पृथक बैंक खाते भी खोले हैं।

7.2(iv) जातिगत भेदभाव का निवारण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को परामर्श दिया है कि वे:

1. कर्मचारियों/संकाय सदस्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के साथ उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का कोई कृत्य करने से बचना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की ऐसी शिकायतों को अपलोड करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पृष्ठ अपलोड करना चाहिए और कुल सचिव/प्राचार्य कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक शिकायत रजिस्टर का रखरखाव करना चाहिए। यदि प्राधिकरणों के ध्यान में ऐसी कोई घटना आती है तो, तुरंत ही चूककर्ता अधिकारी/संकाय के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय/संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए की कोई भी कर्मचारी/ संकाय सदस्य किसी समुदाय अथवा श्रेणी के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करे।
4. विश्वविद्यालय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़ा वर्ग के छात्रों/शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते है।

वर्ष 2021–22 के दौरान 155 विश्वविद्यालयों तथा 224 महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त हुई है।

7.2 (v) : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/ अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजनाएः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में विशेष अनुशिक्षण योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समानता तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में योगदान दे रहा है। सभी संबंधित विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं– **उपचारात्मक अनुशिक्षण/सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)** और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नेट अनुशिक्षण योजनाएं तथा समान अवसर प्रकोष्ठ तथा शारीरिक रूप से निशक्त योजनाओं को दिनांक 31 मार्च, 2022 को जारी रखने के बारे में सूचित किया। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 तक योजना के तहत अव्ययित शेष अनुदान (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) का उपयोग कर सकते हैं।

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण योजनाएं। वर्ष 2021–22 के दौरान 9,67,750/– रुपये की राशि जारी की गई है।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण योजनाएं। वर्ष 2021–22 के दौरान 7,47,651/– रुपये की राशि जारी की गई है।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नेट/स्लेट हेतु अनुशिक्षण। वर्ष 2021–22 के दौरान 7,07,511/– रुपये की राशि जारी की गई है।

7.2(vi) विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापनाः

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी), इन समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान 2,57,550/– रुपये की राशि जारी की गई है।

7.2 (vii) सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापनाः

सामाजिक बहिष्करण से केवल तनाव, हिंसा और विघटन ही पैदा नहीं होता है अपितु इससे समाज में असमानता और सुविधावंचन भी पैदा होता है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास के लाभ प्राप्त करने के मामले में प्रणालीगत बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्करण एक जटिल और बहु–आयामी संकल्पना है जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और स्वेच्छा से प्रवास जैसी आर्थिक–समष्टिभाव कारकों के परिणामतः इस व्यवस्था से पीड़ित लोगों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों से वंचित हो जाते हैं। 'बहिष्करण' के जिस मुख्य क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है, उसे भली–भांति समझा जा सकता है और इसका अनुभव किया जा सकता है, वे हैं हमारे विश्वविद्यालय, जो समाज के लिए आदर्श होने चाहिए और वे एक आदर्श रूप में कार्य भी कर सकते हैं। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर किए जाने वाले शोध को सहायता देने का निर्णय लिया है। जिसका सैद्धांतिक और नीतिगत महत्व है। इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण–सह–शोध केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर शोध को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों में 32 केन्द्रों की स्थापना की है। वर्ष 2021–22 के दौरान पांच केन्द्रों को 23.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

तालिका 7.2 (viii) सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति (वर्ष 2015-16 से 2021-22) के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या

पाठ्यक्रम	श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या (वर्षवार)						
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
कला निष्णात	अनुसूचित जाति	56	46	73	83	185	174	144
	अनुसूचित जनजाति	48	49	61	69	90	87	67
	अन्य पिछड़ा वर्ग	74	68	113	131	136	146	150
	अल्पसंख्यक	30	39	48	40	52	53	57
	कुल	208	202	295	323	463	460	418

पाठ्यक्रम	श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या (वर्षवार)						
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
एम.फिल.	अनुसूचित जाति	16	10	5	13	11	12	1
	अनुसूचित जनजाति	6	5	2	1	3	1	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	17	15	8	8	9	16	3
	अल्पसंख्यक	10	5	1	4	1	2	1
	कुल	49	35	16	26	24	31	6
पीएच.डी.	अनुसूचित जाति	17	26	19	25	22	20	22
	अनुसूचित जनजाति	7	8	7	9	9	20	7
	अन्य पिछड़ा वर्ग	24	25	32	34	30	37	31
	अल्पसंख्यक	4	9	6	4	7	8	5
	कुल	52	68	64	72	68	85	65
अल्पकालिक अभिविन्यास पाठ्यक्रम	अनुसूचित जाति	113	93	192	213	209	141	140
	अनुसूचित जनजाति	103	87	121	138	143	125	101
	अन्य पिछड़ा वर्ग	48	39	280	303	296	132	101
	अल्पसंख्यक	44	26	68	80	138	44	48
	कुल	308	245	661	734	786	442	390
संगोष्ठी / कार्यशाला / व्याख्यान	अनुसूचित जाति	86	109	131	199	160	181	240
	अनुसूचित जनजाति	80	89	112	172	160	168	240
	अन्य पिछड़ा वर्ग	20	63	30	103	40	72	60
	अल्पसंख्यक	20	38	32	54	40	44	60
	कुल	206	299	305	528	400	465	600
कुल योग		823	849	1341	1683	1741	1483	1479

7.2 (viii): निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और निशक्त व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अंतिर्निहित रूप से अधिदेशित करता है। हाल के वर्षों में, निशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश निशक्त व्यक्ति, यदि उनके पास समान अवसर हों और पुनर्वास के उपायों तक प्रभावी पहुंच हो तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन कर सकते हैं।

निशक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 इंगित करता है कि निशक्त व्यक्तियों की शिक्षा के प्रत्येक स्तर तक पहुंच होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है और निशक्त व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें विशेष शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों में शामिल कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम–विश्वविद्यालयों को समस्त नीति–विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें कि निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दाखिले एवं रोज़गार के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2006 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण– सरकार से सहायता प्राप्तकर्ता उच्चतर शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान, निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत सीटों को आरक्षित करेंगे।

आरक्षण– प्रत्येक संवैधानिक सरकार, प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में प्रत्येक पद के प्रत्येक समूह में संवर्ग की संख्या में कुल रिक्तियों का कम से कम चार प्रतिशत रिक्तियों को निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्तियों से भरेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को निदेश जारी किया है कि वे दिनांक 14 फरवरी, 2020 और दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या एफ. 6–1/2018 (एससीटी) के माध्यम से डब्ल्यूपीसी संख्या 292/2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के आदेशों के अनुपालन में अपने विश्वविद्यालय/संघटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों में निम्नवत सिफारिशों के अनुपालन हेतु सभी संस्थानों को अनुदेश जारी किए हैं।

क) प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, जानकारी 2016 की धारा 32 अनुपालन करे तथा प्रत्येक वर्ष इसके अनुपालन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिसूचित करे। ''इस उद्देश्य के लिए, वे प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक पाठ्यक्रम में भर्ती किए गए निशक्त व्यक्तियों की संख्या की सूची मुख्य आयुक्त और/अथवा राज्य आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे (जैसा भी मामला हो)। मुख्य आयुक्त के साथ–साथ राज्य आयुक्त का भी यह कर्तव्य होगा कि वे जांच करें कि क्या इन शिक्षण संस्थानों ने उपरोक्त बाध्यता को पूरा किया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 89 के साथ–साथ अन्य उपबंधों के अंतर्गत व्यवस्था की गई है उन दोषी संस्थाओं के विरुद्ध उचित परिणामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विकसित निशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित परिवेश तैयार करने के लिए सुसंगत दिशानिर्देशों और स्थान संबंधी मानकों को अपनाना, जिन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक इमारतों के लिए पहुंच मानकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालय, समयबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली विस्तृत सुगम्यता संबंधी कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।

ग) शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों को शामिल करते हुए एक आंतरिक समिति का गठन करना जो निशक्त व्यक्तियों की दिन–प्रतिदिन की जरूरतों का ध्यान रखने के साथ ही साथ योजनाओं का कार्यान्वयन करे।

घ) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समान अवसर प्रकोष्ठ का समुचित संचालन सुनिश्चित करना।

इस संबंध में मार्च, 2022 तक 353 विश्वविद्यालयों तथा 572 महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है।

सुगम्य भारत अभियान (एक्ससेबल इंडिया कैम्पेन) की स्थितिः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुगम्य भारत अभियान की निगरानी के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के दिनांक 19.10.2019 के पत्र संख्या (एफ.सं0.18–15/2019–यू1(ए) के पत्राचार के संदर्भ में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 का पत्र सं.एफ.6–11/2015 (एससीटी) जारी किया, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त यूनिसेक्स सुलभ शौचालयों के निर्माण और रेट्रोफिटिंग भवन, ब्रेल में उत्कीर्णित अनुदेश के साथ लिफ्टों की संख्या और हैंडरेल वाले रैंप के संबंध में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। जानकारी निम्नानुसार दी गई हैः–

तालिका 7.2(ix) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सुगम्य भारत अभियान की स्थिति

आंकड़े प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या	254
'यूनीसेक्स' शौचालयों की संख्या	3456
'रेटरोफिटिंग' किए गए भवनों की संख्या	791
संस्थापित की गई लिफ्टों की संख्या	1965
ऐसी लिफ्टों की संख्या जिनमें ब्रेल अक्षरों में अनुदेश लिखे गए हों	1019
हैंडरेल वाले रैम्पों की संख्या	1896

विश्वविद्यालयत्र = 165 महाविद्यालय = 89

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निशक्त व्यक्तियों के हित के लिए योजनाएं भी लागू कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रोजगार और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करनी होगी।

निम्नलिखित योजनाओं के तहत उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो धारा 2 (च) के दायरे में आते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

7-2¼ix½¼d½ fo'k"k vko';drkvksa oky fu'kDr 0;fDr;ksa gsrq mPprj f'k{kk ¼,pbih,l,u½

मूल रूप से एचईपीएसएन योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा ज्ञान अर्जन के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना, विनिर्माण का उद्देश्य, पहुंच में सुधार करना, शिक्षण अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपस्कर का क्रय करना–इस योजना के तहत सहायता की बृहद श्रेणियां हैं।

7-2¼ix½¼[k½ fo'k"k f'k{kk gsrq f'k{kdksa dk if'k{k.k inku djuk ¼VhbZih,lb½

विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) की योजना का उद्देश्य विशेष तथा समावेशी परिवेश में निशक्त छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ करना है। योजना के अंतर्गत निशक्तता के किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ बी0एड0 तथा एम0एड0 उपाधि पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

7-2¼ix½¼x½ –f"Vckf/kr f'k{kdksa dsa fy, foÙkh; lgk;rk

योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर तथा शिक्षण और ज्ञानअर्जन उपकरणों की सहायता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के क्रय हेतु रीडर भत्ते तथा निधियां उपलब्ध करवा कर शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार करना तथा ऐसे दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, ज्ञान अर्जन तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है।

7-2¼x½ vU; fiNMk oxZ

शिक्षणेत्तर पद :

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 22 अक्तूबर, 1993 को एक पत्र संख्या 36012/22/93–स्थापना (एससीटी) प्राप्त हुआ था।

विश्वविद्यालयों के सभी कुल सचिवों से अनुरोध किया गया था कि इस कार्यालय के दिनांक 21 अप्रैल, 1994 के पत्र संख्या एफ. 1–4/94 (एससीटी) को सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुरूप लागू किया जाए। यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त पत्र की विषयवस्तु को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करते हुए सभी संबद्ध महाविद्यालयों के ध्यान में लाई जाए।

शिक्षण पदः

आयोग ने अपनी दिनांक 27 दिसंबर, 2006 को हुई बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में व्याख्याता के स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने को मंजूरी देने का निर्णय लिया, जिसे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09 अक्तूबर, 2006 के पत्र संख्या एफ. 22–1/98–यू.5 के माध्यम से विधिवतरूप से शिक्षा मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई थी।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालय संस्थानों और राज्य विश्वविद्यालयों के सभी 'कुल सचिवों से इस कार्यालय के क्रमशः दिनांक 24 जनवरी, 2007, 2007, 25 जनवरी, 2007 और 26 सितम्बर, 2007 के पत्र संख्या एफ.1–9/94(एससीटी) के माध्यम से अनुरोध किया गया था। कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में तत्काल प्रभाव से व्याख्याता के स्तर पर शिक्षण पद भरने हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करें। सभी

राज्य विश्वविद्यालयों को यह भी सूचित किया गया था कि राज्य के भीतर कार्यरत संबद्ध/संघटक महाविद्यालय और अन्य संस्थान संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत का अनुसरण कर सकते हैं।

सभी राज्य सरकारों को इस कार्यालय के दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 के पत्र संख्या एफ 1–4/94 (एससीटी/ओबीसी) के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, उपरोक्त पत्रों में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की कार्रवाई आरंभ करे।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के दिनांक 07.03.2019 के पत्र संख्या एफ 38–11/2018–सीयू.वी के साथ दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना संख्या 1013 की एक प्रति सभी अनुदान–सहायता प्राप्तकर्ता विश्वविद्यालयों को भेजी है।

दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या सां. आ. 1013 :– केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 13) की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्थापना (आरईएस) में निर्दिष्ट पद्धति से एक केंद्रीय शिक्षण संस्थान में शिक्षक संवर्ग में स्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती में पदों पर निम्नवत सीमा तक आरक्षण होगाः

(क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत, और

(ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत।

7-2½x½nkf[kyk

शिक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 33 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 को दिनांक 19 नवम्बर, 2012 के पत्र संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है।

उपरोक्त अधिनियम के पैरा 3 के अनुसार, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमेय संख्या में से नीति के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी हैं।

''विनिर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र'' का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम के जनजातीय क्षेत्रों वाला एक ऐसा क्षेत्र जिसका संविधान की छठी अनुसूचित में संदर्भ दिया गया है: केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के संबंध में ''राज्य सीटों'' का अर्थ है, ऐसी सीटें, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमेय संख्या में से, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य, जहां ऐसा संस्थान स्थित है, के सबसे पात्र छात्रों में से भरा जाना निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद के एक अधिनियम और संविधियों और उसके तहत तैयार किए गए अध्यादेशों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन है। प्रवेश सहित सभी प्रशासनिक अकादमिक निर्णय विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सांविधिक निकायों के अनुमोदन के साथ लिया जाता है। यह विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह भारत सरकार की आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों और अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों को (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निशक्त/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने (ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 जुलाई, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 36012/2/96–स्थापना (आरक्षण) में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्टर का प्रदर्शित करने, और (iii) इन श्रेणियों की शेष चिन्हित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों को भरने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी करता है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को पत्रांक संख्या एफ.1–8/2014 (एससीटी) के माध्यम से पत्र जारी किए गए हैं।

7.2(xi) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) हेतु आरक्षण-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के संविधान के एक सौ तीनवें संशोधन के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को तत्काल लागू करने और उसका अनुपालन करने के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और सभी राज्य सरकार/केंद्रों के मुख्य सचिवों को सूचित किया। यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों को इस तरह से लागू किया जाए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान शिक्षा वर्ष 2020–21 से आरंभ हो जाए।

अध्याय 8

प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

- 8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र
- 8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों को आंरभ किया। पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा सीमाओं के साथ उभरा कर आगे आया है। यह केन्द्र निम्नवत मुख्य उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं;

क. क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों के संपूर्ण बोध को बढ़ावा देना;

ख. उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना;

ग. क्षेत्र और अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना;

घ. विशेषरूप से देश के आर्थिक, कार्यनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवाना;

ङ विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना;

च अंतर्क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना।

इस योजना के तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए सहायता उपलब्ध है।

तालिका 8.1(क) परियोजना पद्धतिः निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता शतप्रतिशत आधार पर होगी।

अनावर्ती अनुदान	
कार्यालय उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर	1.50 लाख रुपये
पुस्तकें और जर्नल	3.00 लाख रुपये
क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)	2.50 लाख रुपये
संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ सम्मेलन	3.00 लाख रुपये
प्रकाशन	2.00 लाख रुपये
अभ्यागत संकाय	2.00 लाख रुपये
प्रचालनात्मक व्यय	1.00 लाख रुपये
कुल	**15.00 लाख रुपये**

आवर्ती अनुदानः– एक संकाय पद, (उपाचार्य/व्याख्याता/प्रलेख अधिकारी) दो अनुसंधान एसोसियेट अथवा परियोजना एसोसियेट अथवा/ परियोजना अध्येता (आरए/पीएएंडपीएफ के लिए वेतन तथा अन्य निबंधन और शर्तें वहीं रहेंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी परियोजना स्कीमों के लिए भी लागू हैं)

8.1(ख) मौजूदा क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को निम्नानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाएगाः

तालिका 8.1(ख) निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता शतप्रतिशत आधार पर होगीः

अनावर्ती	**(लाख रुपये में)**		
	स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
भवन (नवीकरण/ विस्तार हेतु)	10.00	8.00	5.00
कार्यालय उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर	4.00	4.00	3.00
पुस्तकें और जर्नल	5.00	3.00	2.00
क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)	15.00	10.00	4.00
संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/ संकाय परियोजना	10.00	5.00	4.00
अभ्यागत संकाय	6.00	4.00	3.00
प्रचालनात्मक व्यय और आकस्मिताएं	5.00	3.00	2.00
प्रकाशन	5.00	3.00	2.00
कुल	60.00	40.00	25.00

आवर्ती अनुदानः– (1) संकाय पदः एक उपाचार्य, एक व्याख्याता, एक प्रलेख अधिकारी

(2) दो अनुसंधान एसोसियेट अथवा परियोजना एसोसियेट अथवा/ परियोजना अध्येता (आरए/पीएएंडपीएफ के लिए वेतन तथा अन्य निबंधन और शर्तें वहीं रहेंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी परियोजना स्कीमों के लिए भी लागू हैं)।

8.1(ग) क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की सूची जिनका कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2021 तक था, निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रों का नाम
1.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	इंडिक तथा एशिया अध्ययन केन्द्र
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	चीन संबंधी अध्ययन केन्द्र
3.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	समसामयिक चीन संबंधी अध्ययन केन्द्र (आईसीसीएस)

योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन

भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने नवीन स्वदेशी विचार विकसित किए तथा भारत को सांस्कृतिक तथा सदाचारी देश की पहचान प्रदान की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों से परिचित करवाने और अध्ययन शोध और क्षेत्र आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों के सृजनात्मक कार्यों में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। भारत के युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतक (विशेष अध्ययन) योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन महान विचारकों और सामाजिक चिंतकों के विचारों और कार्यक्रमों से संबंधित अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में गांधीवाद, नेहरू, डॉ, अंबेडकर, बुद्ध, डॉ जाकिर हुसैन, पंडित मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी अध्ययन आदि के क्षेत्रों में विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतक योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केंद्र स्थापित हैं।

तालिका 8.2(क) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अनुदानों के निपटान की योजनावार स्थिति

योजना अवधि	लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या	आबंटित अनुदान	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)	प्राप्त किए गए उपयोग प्रमाणपत्र (लाख रुपये में)	शेष उपयोग प्रमाणपत्र (लाख रुपये में)	निपटाए गए
ग्यारहवीं पंचवर्षीय	443	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष 8,50,000/– रुपये आवर्ती अनुदान तथा 3,00,000/– रुपये अनावर्ती अनुदान के रूप में	4627.00	1321.00	3306.00	97
बारहवीं पंचवर्षीय	406		2985.00	329.00	2656.00	35

तालिका 8.2(ख) वर्ष 2012-13 तथा उसके बाद अनुदानों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)	प्राप्त किए गए उपयोग प्रमाणपत्र (लाख रुपये में)	शेष उपयोग प्रमाणपत्र (लाख रुपये में)
2012–13	383.00	95.00	288.00
2013–14	184.00	16.00	168.00
2014–15	698.00	102.00	596.00
2015–16	389.00	76.00	313.00
2016–17	179.00	40.00	139.00
2017–18	118.00	बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक अनुदान की प्रतिपूर्ति की गई	
2018–19	281.00		
2019–20	687.00		
2020–21	66.00		
2021–22	0.00		
कुल	**2985.00**	**329.00**	**1504.00**

योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

अध्याय 9

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समेकन (आईसीटी)

- 9.1 ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई–कार्यालय/विअआ वेबसाइट
- 9.2 ऑनलाइन ज्ञानअर्जन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि
- 9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार

9.1 ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई-कार्यालय/ विअआ वेबसाइट

9.1 (i) ई-गवर्नेंसः

ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय में इनफ्लिबनेट सेंटर (विअआ का एक आईयूसी) की मदद से की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई–गवर्नेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ में समर्पित तकनीकी कर्मचारियों का दल नियुक्त किया गया है। कार्य परिवेश को पारदर्शी और कागज़रहित बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के तहत एचईआई से ऑनलाइन आवेदन और जानकारी आमंत्रित करने के लिए वेब–पोर्टल और वेब–एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं। एमआईएस रिपोर्ट सृजित करने की व्यवस्था के साथ वेब–पोर्टल सफलतापूर्वक चालू हैं:

- मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) पोर्टल
- आनलॉइन ई–शपथ पोर्टल
- विअआ डैशबोर्ड
- वित्त प्रभाग–आंतरिक प्रबंधन प्रणाली
- विअआ क्षेत्रीय वेबसाईटों की पुनः डिजानिंग
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में साइबर जागरूकता के लिए वेबपृष्ठ का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न बैठकें तथा वेबीनार/संगोष्ठियों की श्रंखला आयोजित की है, ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ के माध्यम से वर्चुअल पद्धति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

9.1 (ii) ई-कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में एक सरलीकृत, त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के 'ई–ऑफिस प्रीमियम संस्करण' सॉफ्टवेयर को एनआईसी की मदद से लागू किया गया है।

एनआईसी (ई–नोटिंग सहित) विअआ के ई–ऑफिस मॉड्यूल, का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से 'ई–ऑफिस' प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

ई–नोटिंग, ई–फाइलिंग आदि सहित 'ई–ऑफिस' सुविधा के सभी मॉड्यूल, विअआ के कार्यालय में पूरी तरह कार्यात्मक हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी **घर से काम (डब्ल्यूएफएच)** करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके अथवा अपने आधार कार्ड नंबर के माध्यम से ***https://sacess.nic.in*** पर ई–ऑफिस पोर्टल पर पंजीकरण करके ई–ऑफिस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। एनआईसी ईमेल सेवाओं को विअआ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सक्रिय कर दिया गया है।

9.1 (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य, अंतिम उपयोगकर्ताओं/हितधारकों के साथ विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना है। साथ ही, हितधारक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेब पोर्टलों के माध्यम से विश्वविद्यालय की रिपोर्टों, योजनाओं के लिए प्रस्ताव, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/नौकरी आदि के लिए आवेदन करने सहित अपनी विभिन्न जानकारी प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का हिंदी संस्करण ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों को कोविड–19 महामारी के संबंध में परामर्श तथा जानकारियां भेजी जा रही हैं। यह अनुभाग एमआईएस रिपोर्ट को तैयार करने की सुविधा के साथ विभिन्न पोर्टलों के कार्य को भी निम्नानुसार संभाल रहा है:

9.1 (iii) (क) विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (यूएएमपी):

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल, समय–समय पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए 'एक स्थान पर सब समाधान' पोर्टल के रूप में कार्य कर रहा है। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का विवरण अपलोड करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे विअआ के विश्वविद्यालय पोर्टल के लिए विअआ द्वारा उपलब्ध कराए किए गए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ इस पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके अलावा, विश्वविद्यालय नियमित रूप से इस पोर्टल पर अपने संपर्क विवरण को अद्यतन कर सकते हैं। वर्ष 2021–22 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट एकत्रित की है:

(i) दिनांक 05 जून, 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2021।

(iii) स्वच्छता ही सेवा।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा लागू सर्वोत्तम पद्धतियां।

(v) कोविड–19 निशुल्क टीकाकरण अभियान ।

(vi) जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम ।

(vii) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में बहु–विषयक और समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए की गई पहल।

(viii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत परिवर्तनकारी सुधारों के एक वर्ष के अवसर पर समारोह में भागीदारी संबंधी ब्योरा।

(ix) फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ।

(x) आजादी का अमृत महोत्सवः भारत का राष्ट्रगान बजाया जाना।

(xi) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए प्रपत्रों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

(xii) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में साइबर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण।

(xiii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और संशोधन अध्यादेश, 2014– "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के नए उपबंध।"

(xiv) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 को मनाया जाना।

(xv) बेहतर साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता का आयोजन।

(xvi) आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) को मनाया जाना– सभी भारतीय भाषाओं में मौजूदा साहित्य का अनुवाद।

(xvii) दिनांक 26 नवंबर, 2021 को भारत के संविधान दिवस का आयोजन।

(xviii) एक भारत श्रेष्ठ भारत।

(xiv) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के लिए वृहद अभिगम्यता दिशानिर्देशों और मानकों के मसौदे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फीडबैक/सुझाव आमंत्रित किए गए।

(xx) मातृभाषा दिवस का आयोजन।

विअआ के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों को पेपर–आधारित पद्धति के उपयोग को कम से कम करने के लिए हितधारकों के साथ ऑनलाइन संचार जैसी गतिशील विशेषताओं के साथ पुनः डिजाइन किया जा रहा है।

9.1 (iv) विअआ छात्र शिकायत निवारण पोर्टलः

ऑनलाइन छात्र शिकायत निवारण पोर्टल छात्रों/ शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतें दर्ज करने, अनुस्मारक भेजने और उनकी शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति देखने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल का मूल उद्देश्य प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुचित पद्धतियों को रोकना और शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराना है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिकायत के निवारण के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी होता है और जैसे ही छात्र शिकायत दर्ज करता है, नोडल अधिकारियों के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य संपर्क विवरण देखे जा सकते हैं। वर्तमान में, जून 2022 तक कुल 48449 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 30842 शिकायतों का निपटान कर दिया गया था और शेष शिकायतों पर कार्रवाई चल रही है।

9.2 ऑनलाइन ज्ञानअर्जन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि

9.2 (i) स्नातकोत्तर विषयों के लिए पाठ्यचर्या ई-विषयवस्तु को तैयार करना (*https://epgp.inflibnet.ac.in/*)

ई–पीजी पाठशाला : सूचना संचार प्रौद्योगिकी (एनएमई–आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को किसी भी समय, कहीं भी, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है।

ई–पीजी पाठशाला नामक इस पहल के तहत सामाजिक विज्ञान, कला, ललित कला और मानविकी, प्राकृतिक और गणितीय विज्ञान, भाषा विज्ञान और भाषाओं की सभी विधाओं और विभिन्न विषयों में विकसित की जा रही सामग्री उच्च गुणवत्ता, पाठ्यक्रम आधारित, अन्योन्यक्रियात्मक स्वरूप की है। यह सभी के लिए पहुंच हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध है।

परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार थेः

i. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विषय विशेषज्ञों से विशेषज्ञता प्राप्त कर स्नातकोत्तर स्तर पर 700 से अधिक पाठ्यक्रमों में **ई–सामग्री विकसित करना।**

ii. ई–सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञों को **प्रशिक्षण देना**।

iii. उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने तथा अनुपूर्ति करने एवं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रदाता पद्धतियों का उपयोग करके छात्रों और सहपाठियों के लिए ई–सामग्री उपलब्ध कराना; और

iv. छात्रों और सहपाठियों के बीच ई– विषयवस्तु के उपयोग को बढ़ावा देना।

ई–पीजी पाठशाला, शिक्षकों और छात्रों के लाभ के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु उच्च गुणवत्ता वाली ई–सामग्री प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार की असमानताओं जैसे अमीर/गरीब, शहरी/ग्रामीण, जाति और धर्म आधारित असमानताओं, भौगोलिक

असमानताओं, क्षेत्रीय असमानताओं आदि का समाधान करता है। मिश्रित शिक्षा पद्धति के लिए विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ई–पीजी पाठशाला सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

अब तक विकसित ई–विषयवस्तु की स्थिति तालिका में नीचे दी गई है और ई–पीजी पाठशाला परियोजना दिनांक 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त हो गई है

क्रम संख्या	पीआई / विषयवस्तु का ब्योरा	संख्या
1	पत्र (पाठ्यक्रमों) की संख्या जिनमें ई– विषयवस्तु का विकास किया गया।	778
2	सर्वर पर अपलोड की गई स्टैटिक विषयवस्तु की संख्या	23425
3	अपलोड की गई वीडियो / स्व– शिक्षण सामग्रियों की संख्या	23953
4	शैक्षिक विशेषज्ञों की संख्या	5000 से अधिक

ई– विषयवस्तु मुक्त रूप से विश्वभर में पहुंच के लिए उपलब्ध है।

ई–पीजी पाठ्शाला वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय विजिटरों सहित विजिटरों की कुल संख्या लगभग 1.30 करोड़ है। अंतर्राष्ट्रीय विजिटरों का ब्योरा (वीडियो तक पहुंच बनाने वाले) नीचे दिया गया हैः– अमेरिका से 197633 विजिटर, यूके से 51703 विजिटर, आस्ट्रेलिया से 21326 विजिटर, रूस से 14965 विजिटर, पाकिस्तान से 325321 विजिटर, यूएई से 11977 विजिटर, चीन से 2360 विजिटर, न्यूजीलैंड से 2735 विजिटर, जापान से 8699 विजिटर, जर्मनी से 21369 विजिटर।

वर्ष 2021–22 के दौरान परियोजना (इन्फिलबनेट ई–विषयवस्तु) परियोजना पर कुल 9,74,069 रुपये (केवल नौ लाख चौहत्तर हजार उनहत्तर रुपये) का व्यय हुआ है।

9.2 (ii) 'स्वयं प्लेटफार्म' के लिए वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमः- (www.swayam.gov.in)

सरकार ने स्वयं पोर्टल भी आरंभ किया है जोकि संचार और सूचना प्रौद्योगिकीयों (आईसीटी) का उपयोग कर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक समेकित प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से, किसी भी छात्र के लिए देश में सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा पेशकश किए गए 'वर्चुअल' पाठयक्रमों में शामिल होना संभव होगा जिसमें वह शिक्षक से बातचीत कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, शैक्षिक क्रेडिट अर्जित कर सकता है तथा उन्हें अपने शैक्षिक रिकार्ड में अंतरित कर सकता है।

'स्वयं' प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अंतरण स्वीकार करने के लिए एक सौ इकसठ (161) विश्वविद्यालय 'ऑनबोर्ड' हो गए हैं।

भाषाओं संबंधी बाधाओं को दूर करने, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और मातृभाषा में ज्ञानअर्जन के लचीलेपन के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 08 क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु) में 27 स्नातकोत्तर 'स्वयं' गैर–इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का अनुवाद करने की प्रक्रिया चल रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'दर संविदा आधार' पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की 'स्वयं' परियोजना के लिए मल्टीमीडिया **संबंधी कार्यों हेतु छह विक्रेताओं** को सूचीबद्ध किया है।

बौद्ध संस्कृति और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के पुनरुद्धार हेतु 'स्वय' प्लेटफार्म के लिए एमओओसी (सचिवों की समितियों (सीओ), कैबिनेट सेक्रेटिएट की बैठक में अनुशंसित) का विकास किया जा रहा है।

i. भारतीय बौद्ध धर्म के इतिहास में स्नातकोत्तर एमओओसीएस पाठ्यक्रम।

ii. अभिधम्म (पाली) में स्नातकोत्तर एमओओसी पाठ्यक्रम।

iii. बौद्ध पर्यटन में स्नातकोत्तर एमओओसी पाठ्यक्रम।

iv. बौद्ध दर्शन में स्नातकोत्तर एमओओसी पाठ्यक्रम।

वर्ष 2021–2022 के दौरान परियोजना ('स्वयं' के लिए एमओओसी) पर कुल 87,62,028 / – रुपये (सत्तासी लाख बासठ हजार अट्ठाईस रुपये का व्यय हुआ।

9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)

- राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) शैक्षणिक संस्थानों/ बोर्डों/ पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा विधिवत रूप से डिजिटलीकृत और दर्ज किए गए, सभी शैक्षणिक अवार्डों का 24x7 ऑनलाइन स्टोर हॉउस है। शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बिना किसी उपयोगकर्ता शुल्क प्रभारित किए एनएडी के एकल निक्षेपागार के रूप में डिजी लॉकर के सहयोग से एनएडी को स्थायी योजना के रूप में कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, 1325 शैक्षणिक संस्थानों को एनएडी पर एनएडी–डिजी लॉकर पोर्टल के माध्यम से 6.51 करोड़ शैक्षणिक अवार्डों के डेटा को अपलोड किया गया है। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का अनुदान जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी, 2022 को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सभी राज्यों के सचिवों (विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा) को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत की गई उपाधियों, अंक तालिकाओं और अन्य शैक्षिक दस्तावेजों की स्वीकृति के बारे में लिखा था।
- एनएडी प्रकोष्ठ ने पंजाब राज्य के संस्थानों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2022 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस/ वेबिनार का आयोजन किया और उनके मुद्दों का समाधान किया है और उच्चतर शिक्षा के प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा और भाषा विभाग, पंजाब सरकार की मौजूदगी में एनएडी योजना में डिजी लॉकर के माध्यम से पंजीकरण और शैक्षणिक अवार्डों को अपलोड करने के बारे में उनकी शंकाओं को दूर किया।
- एनएडी–डिजी लॉकर नियमित रूप से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के मुद्दों का समाधान करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस सपोर्ट लिंक, एनएडी–डिजी लॉकर वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच सीधे जुड़ सकते हैं।

अध्याय 10

कौशल विकास संबंधी पहल

- 10.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
- 10.2 'इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री' कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु दिशानिर्देश
- 10.3 'स्किल' हब पहल

10.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ)** के तहत प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, बी.वोक., एम.वोक. तथा पीएचडी के स्तर पर कौशल पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुविधा प्रदान कर रहा है। यह पूर्णकालिक क्रेडिट आधारित मॉड्यूलर कार्यक्रम हैं कौशल तथा सामान्य शिक्षा घटकों के लिए क्रेडिटों को जोड़ा जाने की अनुमति है ताकि बहु–निकास तथा प्रवेश को सक्षम बनाया जा सके।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) एक सक्षमता आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता को क्रमबद्ध करता है। एनएसक्यूएफ के स्तर को एक से दस तक वर्गीकृत किया गया है, ज्ञानअर्जन परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जिन्हें शिक्षार्थी को को धारण करना होगा चाहे वह औपचारिक, गैर–औपचारिक या अनौपचारिक ज्ञानअर्जन के माध्यम से प्राप्त की जाए अथवा अथवा नहीं।

एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन के माध्यम से अपेक्षित विशिष्ट परिणाम इस प्रकार हैं:

क) एनएसक्यूएफ के समकक्ष डिग्री को तैयार करके व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच गतिशीलता।

ख) पूर्व ज्ञानअर्जन (आरपीएल) की मान्यता, गैर–औपचारिक से संगठित रोजगार बाजार में परिवर्तन की अनुमति।

ग) राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से देशभर में प्रशिक्षण के मानकीकृत, सुसंगत, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परिणाम।

घ) एनएसक्यूएफ की अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता।

ङ) क्षेत्रों के भीतर और एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में प्रगति के अवसरों का मानचित्रण।

च) कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप में एनओएस/क्यूपी का अनुमोदन

एनएसक्यूएफ के तहत कौशल आधारित कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1208 संस्थानों को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में 10063 छात्र नामांकित हुए थे। वर्ष 2021–22 के दौरान एनएसक्यूएफ के तहत विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 62.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

10.2 'इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एवं एम्बेडिड' डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य डिग्री धारक छात्रों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षुता/शिक्षुता समेकित उपाधि कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट सभी विषयों में किसी भी स्नातकपूर्व उपाधि कार्यक्रम को शिक्षुता/प्रशिक्षुता डिग्री कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए पात्र है।

10.3 'स्किल हब' पहल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा मंत्रालय और कौशल शिक्षा और उद्यमिता मंत्रालय क **'स्किल हब इनिशिएटिव'** से भी जोड़ा गया है। पीएमकेवीवाई 3.0 योजना के तहत 'स्किल हब इनिशिएटिव' शिक्षा, पारिस्थितिकी प्रणालियों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत पर केंद्रित है। यह पहल एनईपी 2020 में परिकल्पित सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण हेतु नीति स्तर पर तालमेल बनाने पर विचार करेगी।

'कौशल हब', नोडल कौशल केंद्र हैं जो 6 से 8वीं कक्षा (अभिविन्यास, उद्योगों के दौरे, 'बैग–लेस' डेज् के माध्यम से कार्य की दुनिया का परिचय), कक्षा 9वीं से 12वीं (जिसका उद्देश्य छात्रों को कौशल विकास के अवसरों से परिचित करवाना है), बीच में पढ़ाई छोड़ने, और शिक्षा से इतर (इसका उद्देश्य, शैक्षिक क्रेडिट, पुनः शिक्षा को मुख्य धारा में लाना और/अथवा प्रशिक्षुता और रोजगार संबंध को मुख्यधारा में लाना है) लक्षित जनसंख्या के समूहों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने हेतु चिह्नित किए गए हैं।

'स्किल हब इनिशिएटिव' का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ जुड़ कर साझा बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जो सभी लक्षित समूहों की व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह भी आशा की जाती है कि शिक्षा और कौशल प्रणाली में मौजूदा संसाधनों को सामान्य कामकाजी घंटों से इतर सप्ताहांत के दौरान कौशल के लिए उपयोग करके उसका इष्टतम उपयोग किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पहल के लिए 200 से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों की पहचान की है और कौशल भारत पोर्टल पर संस्थानों की ऑनबोर्डिंग के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ संस्थानों का विवरण साझा किया है।

अध्याय 11

मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन और ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन

- 11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
- 11.2 ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन
- 11.3 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन और ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया। यह विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन) विनियम, 2017 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 का अधिक्रमण करते हैं। यह विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***https://deb.ugc.ac.in/Uploads/20200906.pdf*** पर भी उपलब्ध हैं।

इसके पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) (संशोधन) विनियम, 2021 को भी दिनांक 01 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया गया था। यह विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***https://www.ugc.ac.in/pdfnews/221580.pdf*** तथा ***https://www.ugc.ac.in/pdfnews/6852408_UGC(ODL-Programmes-and-Online-Programmes)(Amendment)Regulations,-2021.pdf*** पर भी उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के फैलने की अभूतपूर्व परिस्थितियों के मद्देनजर, वर्ष 2021–22 के लिए शिक्षा सत्र को इस प्रकार तैयार किया गया था:

शिक्षा सत्र	निम्नानुसार संशोधित किया गया	प्रवेश की अंतिम तिथि
जुलाई से अगस्त, 2021	नवम्बर, 2021	15 दिसम्बर, 2021
जनवरी से फरवरी, 2021	कोई परिवर्तन नहीं	31 मार्च, 2022

11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उन्हें अधिसूचित विनियमों के उपबधों के अनुरूप संसाधित किया गया था। तदनुसार, वर्ष 2021–22 के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन के तहत 1078 कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए 61 उच्चतर शिक्षा संस्थानों की पहचान की गई है, जैसा कि नीचे **तालिका 11.1(क)** में दिया गया है।

तालिका 11.1 (क) मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन पद्धति के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
केन्दीय विश्वविद्यालय		
1.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	असम
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली
4.	जामिया मिलिया इस्लामिया	दिल्ली
5.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	महाराष्ट्र
6.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय,	पुदुचेरी
7.	द इंग्लिश एण्ड फारेन लेंग्वेज यूनीवर्सिटी, हैदराबाद	तेलंगाना
8.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना
9.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय		
10.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	आन्ध्र प्रदेश
11.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालयम्, तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश
12.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	असम
13.	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार	हरियाणा
14.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	हरियाणा
15.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	हिमाचल प्रदेश
16.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल	जम्मू और कश्मीर
17.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक
18.	कालीकट विश्वविद्यालय, थेनीपालम	केरल
19.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरम	केरल
20.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
21.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	मध्य प्रदेश
22.	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय, मुबई	महाराष्ट्र
23.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र
24.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	पंजाब
25.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	पंजाब
26.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
27.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
28.	मनोमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेवेली	तमिलनाडु
29.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
30.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	तेलंगाना
31.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
32.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	पश्चिम बंगाल

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय		
33.	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	असम
34.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना	बिहार
35.	पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर	छत्तीसगढ
36.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	गुजरात
37.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक
38.	मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश
39.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक	महाराष्ट्र
40.	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, संबलपुर	ओडिशा
41.	जगतगुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, पटियाला	पंजाब
42.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	राजस्थान
43.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
44.	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना
45.	यू0 पी0 राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
46.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	उत्तराखण्ड
47.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
निजी विश्वविद्यालय		
48.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	पंजाब
49.	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली	पंजाब
50.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
51.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ	उत्तर प्रदेश
52.	युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	उत्तराखण्ड
सम विश्वविद्यालय संस्थान		
53.	कोनेरू लक्ष्मैय्या एजूकेशन फॉऊडेशन, वदेश्वरम	आंध्र प्रदेश
54.	विज्ञान फॉऊडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलाजी एंड रिसर्च, गुंटूर	आंध्र प्रदेश
55.	जामिया हमदर्द	दिल्ली
56.	जैन (सम विश्वविद्यालय), बेंगुलरु	कर्नाटक
57.	पद्मश्री डॉ0 डी0 वाई0 पाटिल विद्यापीठ, मुंबई	महाराष्ट्र
58.	बी. एस. अब्दुर रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी, वंदालुर	तमिलनाडु
59.	कालासलिंगम् एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, श्रीविलीपुरम	तमिलनाड
60.	आईसीएफएआई फॉऊडेशन फॉर हॉयर एजूकेशन, हैदराबाद	तेलंगाना
61.	ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देहरादून	उत्तराखण्ड

11.2 ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के तहत विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार, वर्ष 2021–22 (नवम्बर, 2021 और जनवरी, 2022 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र) तथा इसके पश्चात् पांच

वर्षों के लिए ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए केवल दो उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नाम तालिका 11.2 (क) में नीचे दिए गए हैं।

तालिका 11.2 (क) ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थानों का नाम	राज्य
निजी विश्वविद्यालय		
1.	जी.एल.ए. यूनिवर्सिटी मथुरा	उत्तर प्रदेश
सम विश्वविद्यालय		
2.	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद	हरियाणा

जैसा कि विनियमों द्वारा अधिदेशित किया गया है, वर्ष 2021–22 के लिए नवम्बर (यथा संशोधित, जुलाई, 2021 से) तथा जनवरी 2022 तथा इसके पश्चात् से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3(ख)(क) के तहत विनिर्धारित प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना पूर्णरूपेण ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ करने के हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपेक्षित जानकारी पोर्टल में प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को अधिसूचित विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक शपथपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

निम्नलिखित चार उपबंधों से संबंधित जानकारी मांगी गई थी:

1. उच्चतर शिक्षा संस्थानों की पात्रता संबंधी मानदंड।
2. ऑनलाइन पद्धति के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों की अनुमति।
3. उपाधियों की विनिर्दिष्टाताएँ, 2014 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना का अनुपालन।
4. जहां भी लागू हो विनियामक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति।

उच्चतर शिक्षा संस्थान, जब तक विनियम 3 (ख) (क) के अनुसार नैक या एनआईआरएफ रैंकिंग संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते हैं तब तक वे इस अवधि के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के पात्र हैं, और यदि नहीं, तो वे कार्यक्रमों को बंद कर देंगे और तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करेंगे।

तदनुसार, विश्वविद्यालय 56 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) (जिन्होंने शपथ पत्र जमा कर दिया है और जो ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र पाए गए हैं और जो उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करते हुए पाए गए हैं) की एक सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। संस्थानों का विवरण **तालिका 11.2 (ख)** में दिया गया है।

तालिका 11.2 (ख): ऑनलाइन काग्रक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिल्ली
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	दिल्ली
3.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल	मिजोरम
4.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय		
5.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
6.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	हरियाणा
7.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	हरियाणा
8.	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार	हरियाणा

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
9.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	जम्मू और कश्मीर
10.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक
11.	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शिमोगा	कर्नाटक
12.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	केरल
13.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	मध्य प्रदेश
14.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	पंजाब
15.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
16.	भरथियार विश्वविद्यालय,कोयम्बटूर	तमिलनाडु
17.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	तमिलनाडु
18.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम	तमिलनाडु
19.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	तमिलनाडु
20.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
21.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
निजी विश्वविद्यालय		
22.	ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत	हरियाणा
23.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	पंजाब
24.	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली	पंजाब
25.	मनिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
26.	शिव नादर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश
27.	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा	उत्तर प्रदेश
सम विश्वविद्यालय		
28.	विज्ञान फॉऊडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलाजी एंड रिसर्च, गुंटूर	आंध्र प्रदेश
29.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नॉलाजी, भुवनेश्वर	ओडिशा
30.	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, वंडेश्रम	आंध्र प्रदेश
31.	जामिया हमदर्द, दिल्ली	दिल्ली
32.	मनिपाल एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, मनिपाल	कर्नाटक
33.	जेएसएस केडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एंड रिसर्च, मैसूर	कर्नाटक
34.	येनेपोया (सम विश्वविद्यालय), मंगलोर	कर्नाटक
35.	जैन (सम विश्वविद्यालय), बेंगलुरु	कर्नाटक
36.	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज्, नागपुर	महाराष्ट्र
37.	डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
38.	भारती विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
39.	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, पुणे	महाराष्ट्र
40.	नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई	महाराष्ट्र
41.	पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नवी मुंबई	महाराष्ट्र
42.	बनस्थली विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
43.	बी.एस. अब्दुर रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी, वंदालुर	तमिलनाडु
44.	कालासलिंगम् एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, श्रीविलीपुरम	तमिलनाड
45.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी,वेल्लोर	तमिलनाडु

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
46.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई	तमिलनाडु
47.	अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	तमिलनाडु
48.	कारूण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एंड साइंस, कायम्बटूर	तमिलनाडु
49.	एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	तमिलनाडु
50.	सत्यबामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	तमिलनाडु
51.	षणमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, तंजावुर	तमिलनाडु
52.	डॉ. एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	तमिलनाडु
53.	हिंदुस्तान प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (एचआईटीएस), चेन्नई	तमिलनाडु
54.	आईसीएफएआई फाउंडेशन ऑफ हॉयर एजूकेशन, हैदराबाद	तेलंगाना
55.	दयाल बाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	उत्तर प्रदेश
56.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा	पश्चिम बंगाल

11.3 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम सामग्री के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग, एमओओसी के विकास, डिजिटलीकरण, आईसीटी और गुणवत्ता आश्वासन उपायों, नेटवर्किंग आदि में सहायता करने के लिए 11.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदानों का ब्योरा **तालिका 11.3** में दिया गया है।

तालिका 11.3: वर्ष 2021-22 के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदानों का ब्योरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	वर्ष 2021–22 के लिए संस्वीकृत अनुदान
1.	पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ	1.00
2.	ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, संबलपुर, ओडिशा	ओड़िशा	1.00
3.	कृष्णा कांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम	असम	1.00
4.	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखंड	उत्तराखंड	1.00
5.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	1.00
6.	यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	1.00
7.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक	कर्नाटक	1.00
8.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	बिहार	1.00
9.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात	गुजरात	1.00
10.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, (वाईसीएमओयू), नासिक, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1.00
11.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय (टीएनओयू), चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु	1.00

अन्य पहलः

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 01 सितंबर, 2021 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के उपबंधों से अवगत कराने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हितधारकों की जानकारी के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक नोटिस जारी किए, जोकि ***https://deb.ugc.ac.in/Notices/Index*** पर उपलब्ध हैं।
  - वर्ष 2021–22 के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए जीआईटीएम पर रोक लगाने के संबंध में दिनांक 13 सितम्बर, 2021 की सार्वजनिक सूचना।
  - मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों चलाने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्व ारा अधिसूचित विनियमों के अनुपालन के संबंध में दिनांक 16 जनवरी, 2022 की सार्वजनिक सूचना।
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के बिना ओडीएल कार्यक्रमों को चलाने के संबंध में अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा किए गए उल्लघन के संबंध में दिनांक 25 मार्च, 2022 की सार्वजनिक सूचना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरलीकृत मान्यता प्रणाली और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करते हेतू मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन तथा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा ओडीएल और ऑनलाइन विनियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

अध्याय 12

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–गुणवत्ता अधिदेश– शैक्षिक क्रियाकलाप संबंधी पहल

- 12.1 ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)
- 12.2 मूल्यांकन सुधार
- 12.3 छात्रों के लिए जीवन कौशल
- 12.4 भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड)
- 12.5 शैक्षिक शोध आचार हेतु संघ (केयर)
- 12.6 *गुरू दक्षता*–संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी)
- 12.7 *"परामर्श"*–गैर प्रत्यायित संस्थानों का मार्गदर्शन करना
- 12.8 *मूल्य प्रवाह*– मूल्यपरक तथा पेशेवर आचार अंतर्निविष्ट करना
- 12.9 पर्यावरण शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और पाठ्यचर्या ढांचा
- 12.10 विश्वविद्यालयों के समाज तथा उद्योग के साथ संपर्क को सक्षमकारी बनाना तथा उसका विस्तार करना
- 12.11 छात्रों की प्रगति की निगरानी करना

12.1 ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के बाद ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा पर एक दस्तावेज तैयार किया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है । ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित दृष्टिकोण का मूल आधार कार्यक्रम अधिगम परिणामों और अकादमिक मानकों के साथ स्नातक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले गुणों को संरेखित करना है। यह एक छात्र केंद्रित ज्ञानअर्जन पद्धति है। एलओसीएफ का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण से सुसज्जित करना है। पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए विश्वविद्यालयों को सुकर बनाने हेतु 30 विषयों में नए पाठ्यक्रम, जो एलओसीएफ पर आधारित है, को विकसित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

12.2 मूल्यांकन सुधार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली का इस प्रकार पुनरुद्धार करने के लिए मूल्यांकन सुधार शुरू किए हैं ताकि सतत् मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन चालित ज्ञानअर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। यह परिकल्पना की गई है कि विषयवार ज्ञानअर्जन परिणामों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करके वर्तमान प्रणाली को पूर्णतः पुनःढ़ांचाबद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मूल्यांकन सुधार दिशानिर्देशों का विमोचन किया गया था।

परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य निम्नवत का परीक्षण करना है:

- ज्ञानअर्जन परिणामों, प्राप्त किए गए ज्ञान,
- विकसित की गई अभिवृत्ति की जांच करना और कौशल के महत्व को समझना,
- स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर, एमफिल/पीएचडी के लिए अलग उपयुक्त मॉडल विकसित किया जाना,
- गुणवत्ता और मानकों से समझौता किए बिना आंतरिक और सतत् मूल्यांकन पर बल दिया जाना,
- प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप,
- डिग्री और अंकपत्रों के डिजिटल डिपॉजिटरी,
- ग्रेडिंग और क्रेडिट अंतरण ताकि सभी एचआई में न्यूनतम कार्यक्रम वार एक समानता तथा मॉडरेशन सुनिश्चित की जा सके।
- मांग पर परीक्षा, प्रश्न बैंक,
- सभी एचआईआई के लिए समयाबद्ध तरीके से न्यूनतम बुनियादी ढांचे को विकसित किए जाने की अपेक्षा करना तथा परिणाम घोषणा करना है।

मूल्यांकन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हैदराबाद, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में एचआईआई के परीक्षा नियंत्रक शिक्षकों/प्रशासकों/संकाय अध्यक्ष (शिक्षाविदों) के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और इन क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग 800 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

12.3 छात्रों के लिए जीवन कौशल

उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू की गई गुणवत्ता अधिदेश पहल में से एक पहल, छात्रों को जीवन कौशल ज्ञान प्रदान करना है। वर्ष 2019 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर–तकनीकी स्नातकपूर्व शिक्षा में जीवन कौशल पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए जीवन कौशल हेतु एक पाठ्यक्रम विकसित किया। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी–2020) की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित किया गया है, जिसमें बहु–विषयं और समग्र शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। सम्प्रेषण, सहयोग, टीम वर्क और लचीलापन जैसे जीवन कौशल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी–2020) के मौलिक सिद्धांत हैं, जो प्रत्येक संस्थान सहित व्यापक रूप से शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21वीं सदी के कौशल, अंतरणीय कौशल, संचार कौशल, अंग्रेजी, भविष्य के लिए डिजिटल कौशल, संज्ञानात्मक कौशल (महत्वपूर्ण विचार, समस्याओं को सुलझाना, सीखने की क्षमता, गैर–संज्ञानात्मक कौशल (सहानुभूति, टीम–वर्क, रचनात्मकता, सहयोग) नागरिक कौशल और जीवन कौशल पर पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए जीवन कौशल के पाठ्यक्रम की समीक्षा की।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकपूर्व स्तर पर जीवन कौशल पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''जीवन कौशल संबंधी पाठ्यक्रम के लिए ''सुविधाप्रदाता'' दिशानिर्देश'' भी तैयार किए गए हैं। हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के लिए ''जीवन कौशल पर मसौदा पाठ्यक्रम (जीवन कौशल) 2.0'' और ''जीवन कौशल पाठ्यक्रम (जीवन कौशल)'' के लिए ''मसौदा सुविधाप्रदाता' दिशानिर्देश अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फरवरी, 2022 में जीवन कौशल और सुविधाप्रदाताओं के दिशानिर्देशों पर मसौदा पाठ्यक्रम के संबंध में हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

12.4 भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड)

भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड) का उद्देश्य भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विशेषरूप से अंतर्विधा शोध हेतु शोध क्षमता को बढ़ावा देना तथा सामान्य रूप से शोध संस्कृति को पोषित करना है ताकि राष्ट्र विकास और उद्यमिता को उत्प्रेरित किया जा सके।

स्ट्राइड योजना के उद्देश्य:

1. युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को सुदृढ़ करना, क्षमता का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रासंगिक अंतर्विधा अनुसंधान को सहायता प्रदान करना और समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना।

2. मानविकी और मानव विज्ञान तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली में चिह्नित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में उच्च प्रभाव राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है।

'स्ट्राइड' योजना के घटक :

घटक–I: महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को ध्यान मे रखते हुए सभी विषयों में अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास करना (अवधि– 3 वर्ष तक)।

घटक–II: सभी विषयों में राष्ट्रीय विकास हेतु अंतर्विधा अनुसंधान और समेकित नवोन्मेष (अवधि– 3 वर्ष तक) ।

घटक–III: निम्नलिखित विषयों में मानविकी और मानव विज्ञान में उच्च प्रभाव वाला अंतर्विधा अनुसंधान (जिसमें निम्नवत विषयों में बल दिए जाने वाले क्षेत्र शामिल है (असीमित रूप सें)–दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, नृविज्ञान, मनोविज्ञान, लिब्रर्ल आर्टस्, भाषा विज्ञान, भारतीय भाषाएं और संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून, शिक्षा, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणिज्य, प्रबंधन, पर्यावरण और सतत विकास शामिल हैं (अवधि– 5 वर्ष तक)।

सहायता का स्वरूप, सहायता की प्रमात्रः

घटक– I: 01 करोड़ रुपये तक

घटक–II: 50 लाख रुपये से 01 करोड़ रुपये तक

घटक–III: 01 करोड़ रुपये से 05 करोड़ रुपये तक

निगरानी हेतु प्रक्रिया

घटक– I : मार्गदर्शक तथा निगरानी समिति, प्रगति की समीक्षा करता है।

घटक– II : परियोजना के प्रधान अन्वेषक (पीआई) के डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद ऑनलाइन पद्धति से एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इसका मूल्यांकन समीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

घटक– III : परियोजना निगरानी समिति, प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगी।

वर्तमान स्थितिः

घटक– I : 35 विश्वविद्यालय/संस्थानों का चयन।

घटक– II : प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित चयन का कार्य।

घटक– III : 11 प्रस्ताव तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थानों को लघुसूचीबद्ध किया गया।

वित्त वर्ष वर्ष 2021–22 के दौरान 3.28 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था। आज तक, कुल 16 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय लाभार्थी हुए हैं।

12.5 शैक्षिक शोध आचार हेतु संघ (केयर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ''गुणवत्ता अधिदेश'' के एक भाग के रूप में और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और नए ज्ञान के सृजन के महत्व पर बल देने के लिए, आयोग ने 14 नवंबर, 2018 को आयोजित अपनी 536वीं बैठक में कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स (केयर) के गठन को मंजूरी दी। केयर का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित जर्नलों की सूची से संबंधित मुद्दों को पुनः परिभाषित करने और उन पर विचार करने तथा सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषाओं, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि जैसे विषयों के लिए विश्वसनीय गुणवत्ता जर्नलों की एक नई सूची तैयार करने के लिए किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिकार प्राप्त समिति (ईसी–केयर) का गठन किया है, जो केयर से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

केयर को सौंपे गए कार्य निम्नवत हैं:

- संकाय सदस्यों द्वारा गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने और विश्वसनीय अनुसंधान करना।
- शैक्षिक और अनुसंधान सत्यनिष्ठा के साथ–साथ प्रकाशन आचारनीति को बढ़ावा देना।

- प्रतिष्ठित जर्नलों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को बढ़ावा देना, जो उच्च वैश्विक रैंकिंग प्राप्त करने में मदद करेंगे तथा अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार करना।
- अच्छी गुणवत्ता वाले जर्नलों की पहचान के लिए एक दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली विकसित करना।
- संदिग्ध/घटिया जर्नलों में प्रकाशनों को रोकना, जो साख गिराते हैं और शोध कार्य की छवि को धूमिल करते हैं और इस तरह एक दीर्घकालिक शैक्षणिक क्षति होती है।
- विभिन्न शैक्षणिक मूल्यांकनों के लिए 'केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल' तैयार करना तथा उसका रखाखाव करना।

महत्वपूर्ण पड़ाव

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विअआ के गुणवत्ता अधिदेश की पूर्ति करने के लिए दिनांक 28 नवंबर, 2018 को अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता हेतु संघ (केयर) की स्थापना की।
- जनवरी, 2019 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में जर्नलों के विश्लेषण के लिए विअआ–प्रकोष्ठ का गठन किया गया।
- जनवरी, 2019 में, विअआ –केयर विश्वविद्यालयों और विअआ– केयर परिषद के सदस्यों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था। 30 विअआ–केयर सदस्यों को, लॉगिन और पासवर्ड परिचालित किए गए थे।
- जनवरी, 2019 के माह में गूगल समूह तैयार किया गया था।
- जनवरी, 2019 में विअआ– केयर वेबसाइट (***http://ugccare.unipune.ac.in***) आरंभ की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विअआ– केयर के संबंध में चार सार्वजनिक सूचनाएं जारी किए।

केयर सदस्य

विअआ–केयर, में सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और ललित कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग में वैधानिक परिषदें / अकादमियों/ सरकारी निकाय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ (इसके पश्चात् इन्हें केयर सदस्य कहा जाएगा) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित किए गए क्षेत्रीय विश्वविद्यालय (इसके पश्चात् इन्हें केयर विश्वविद्यालयों कहा जाएगा) शामिल हैं।

केयर परिषद

केयर परिषदों में संगत शासकीय सांविधिक परिषदों तथा बहु विधाओं से शिक्षा से जुड़े निकाय शामिल हैं।

केयर विश्वविद्यालय

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (उत्तरी क्षेत्र)
- एम. एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा, वडोदरा, (पश्चिमी क्षेत्र)
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्षिणी क्षेत्र)
- तेजपुर विश्वविद्यालय, असम (पूर्वी क्षेत्र)

जर्नल विश्लेषण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ईसी–केयर अधिकार प्राप्त समिति की देखरेख में विअआ केयर सूची तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए 'सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स' (सीपीई), एसपीपीयू के तहत सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) में जर्नल विश्लेषण हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया है।

केयर सूची

स्कोपस (स्रोत सूची) अथवा वेब ऑफ साइंस (आर्ट्स एंड ह्यूमेनिटीज साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेन्डिड सोर्स पब्लिकेशन, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन) में अनुक्रमित सभी विषयों से अनुसंधान पत्रिकाओं को विश्वस्तर पर गुणवत्ता पत्रिकाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है और सभी शैक्षणिक उद्देश्यों हेतु उन पर विचार किया जाता है। इसलिए, केयर सूची में स्कोपस और/अथवा वेब ऑफ साइंस में अनुक्रमित पत्रिकाएं शामिल हैं। इनके अलावा, विशेष रूप से कला, मानविकी, भाषा, संस्कृति और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के विषयों से पत्रिकाओं की एक सूची तैयार की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित ईसी–केयर केयर, केयर सूची बनाने और उसका रखरखाव किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी करता है।

केयर सूची में निम्नलिखित दो समूह शामिल हैं। यह पदानुक्रमित अथवा रैंकबद्ध किए गए समूह नहीं हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–केयर सूची समूह I: विअआ–केयर नयाचारों के माध्यम से पात्र पाए गए जर्नल।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–केयर सूची समूह II : वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त डाटाबेसों में अनुक्रमित जर्नल।

https://ugccare.unipune.ac.in/Apps1/User/LR/Login?ReturnUrl=%2FApps1%2FUser%2FWebA%2FCAREList

नए जर्नल के नाम(मों) को सम्मिलित किए जाने की प्रक्रिया

i) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय

केवल विश्वविद्यालयों के शिक्षण संकाय ही विहित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्रिकाओं की सिफारिश कर सकते हैं। जर्नल के नाम(मों) की सिफारिशें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से निम्नानुसार की जाएंगी:

- विश्वविद्यालय: विश्वविद्यालय का आईक्यूएसी प्रकोष्ठ, संबंधित क्षेत्रीय विअआ–केयर विश्वविद्यालय जर्नल के नाम(मों) की सिफारिशें कर सकता है।
- संबद्ध महाविद्यालय: यदि मूल विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ द्वारा किसी जर्नल को उपयुक्त पाया जाता है तो महाविद्यालय का आईक्यूएसी प्रकोष्ठ जर्नल के नाम की सिफारिश कर सकता है। मूल विश्वविद्यालय का आईक्यूएसी प्रकोष्ठ द्वारा जर्नल को उपयुक्त पाए जाने पर उसे संबंधित क्षेत्रीय विअआ–केयर विश्वविद्यालय को अग्रेषित कर सकता है।

ii) व्यक्ति विशेष

कोई भी व्यक्ति, शिक्षण संकाय की सिफारिश के साथ विहित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए निकटतम महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के माध्यम से विअआ–केयर प्रकोष्ठ को किसी जर्नल के नाम(मों) की सिफारिश कर सकता है।

iii) प्रकाशक

प्रकाशक, शिक्षण संकाय की सिफारिश से विहित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय/आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के माध्यम से जर्नल के नाम(मों) को प्रस्तुत कर सकते हैं।

विअआ-केयर विश्वविद्यालयों/परिषद के सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं

i) प्रत्येक विअआ–केयर विश्वविद्यालय को अपने संबंधित क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ व्यक्तियों/ प्रकाशकों से प्राप्त जर्नल के नाम(मों) को सम्मिलित करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

- विअआ–केयर नयाचार भाग II के अनुसार पत्रिका का मूल्यांकन करें : प्राथमिक मानदंड।
- उपयुक्त पाए जाने पर, केयर पोर्टल के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें।

ii) प्रत्येक विअआ–केयर परिषद् के सदस्य को एक जर्नल के नाम(मों) शामिल करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

- विअआ–केयर परिषद् के सदस्यों को जर्नल की शैक्षिक गुणवत्ता का विधिमान्यकरण करना चाहिए और सिफारिश किए जाने के कारणों का अवश्य उल्लेख करना चाहिए।
- उपयुक्त पाए जाने पर, सदस्य, विअआ–केयर पोर्टल पर जर्नल के नाम के बारे में बुनियादी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

जर्नल के नाम का चयन करने और उसे जोड़े जाने/सम्मिलित किए जाने की प्रक्रिया

विअआ–केयर परिषद् के सदस्यों और विअआ–केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जर्नल के प्रत्येक नाम का विश्लेषण, एसपीपीयू में विअआ प्रकोष्ठ द्वारा विअआ–केयर की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित जर्नल विश्लेषण के नयाचारों के अनुसार किया जाएगा। जर्नल के नए नामों का विश्लेषण करने के लिए एक कठोर पद्धति अपनाई जाती है। इसकें तीन भाग होते हैं:

- विअआ–केयर नयाचार भाग I: बुनियादी जानकारी
- विअआ–केयर नयाचार भाग II : प्राथमिक मानदंड
- विअआ–केयर नयाचार भाग III : माध्यमिक मानदंड

विअआ-केयर नयाचार भाग I: बुनियादी जानकारी

विश्लेषण नयाचार के **भाग** I को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/व्यक्तियों अथवा प्रकाशकों से जर्नल (नीचे दिए गए) के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है:

1. जर्नल का नाम
2. जर्नल व्यापक विषय तथा मूल विषय जिस पर जर्नल केन्द्रित है
3. प्रकाशक का नाम
4. किस देश से संबंध रखता है और पंजीकृत पता
5. जर्नल की भाषा(एं)
6. प्रकाशन की बारम्बारता
7. संपादक का नाम, संपादकीय कार्यालय का पता, फोन, ई–मेल और वेबसाइट
8. वर्तमान स्थिति (अंतिम प्रकाशन की तिथि) (प्रिंट/ऑनलाइन/दोनों)
9. आईएसएसएन/ईआईएसएसएन
10. अन्य पंजीकरण/सदस्यताएं जैसे आरएनआई/सीओपीई/विअआ–केयर

विअआ-केयर नयाचार भाग II: प्राथमिक मानदंड

1.	आईएसएसएन/ ईआईएसएसएन क्या यह आंकड़े सही हैं? (सत्यापित करें) (एनआईएससीएआईआर, यूएलआरआईसीएच तथा अन्य निर्देशिकाओं की जांच करें)।	हां, आगे संसाधित करें	नहीं आगे संसाधित करें
2.	पत्रिका गलत तरीके से प्रभाव कारक होने का दावा करती है या संदिग्ध/ असत्य उपाय करती है।	हां रूक जाएं	नहीं/लागू नहीं, आगे संसाधित करें
3.	पत्रिका का दावा है कि यह एक विश्वसनीय डाटाबेस में अनुक्रमित है, और यह दावा सत्यापित किया गया है।	हां आगे संसाधित करें	नहीं– रूक जाएं लागू नहीं, आगे संसाधित करें
4.	जर्नल (ऑनलाइन/प्रिंट) में मुख्य संपादक/संपादक/संपादकीय बोर्ड के सदस्यों का पूर्ण डाक और ई–मेल पता दिया गया है, और इनमें से कम से कम कुछ पतों का सत्यापन किया जा सकता हैं।	हां आगे संसाधित करें	'नही' रूक जाएं
5.	मुख्य संपादक/ संपादक/ अनुभाग संपादकों के प्रकाशनः कः विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कृषि के लिए –पिछले 10 वर्षों के दौरान स्कोपस/ वेब ऑफ साइंस में अनुक्रमित मानक जर्नलों में कम से कम चार शोध प्रकाशन। खः मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए– पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित केयर जर्नलों में कम से कम चार शोध प्रकाशन/ रचनात्मक योगदान/ लेखन।	संतोषजनक आगे संसाधित करें	'घटिया' रूक जाएं
6.	जर्नल/प्रकाशक आश्वासन देता है/ यह दावा करता है कि एक प्रस्तुत लेख को कम अवधि के भीतर स्वीकार किया जा सकता है/ प्रकाशित किया जा सकता है।	हां रूक जाएं	'नही' आगे संसाधित करें
7.	बहु–विषयक जर्नलों के मामले में विभिन्न विशिष्टताओं के अनुभाग संपादकों की उर्पुक्त रूप से मौजूदी।	हां आगे संसाधित करें	'नही' रूक जाएं, लागू नहीं, आगे संसाधित करें
8.	क्या जर्नल के प्रकाशन के पिछले सभी वर्षों का संग्रह वेबसाइट/ मानक डाटाबेस/ पुस्तकालयों में उपलब्ध है।	हां आगे संसाधित करें	'नही' कारणों की जांच करें और आगे संसाधित करें
9.	सहकर्मी समीक्षक का डाटा पावती के रूप में प्रकाशित किया जाता है अथवा जर्नल में 'पबलोन' की भांति डाटाबेस में मौजूद है।	हां आगे संसाधित करें	'नही' जांच करें और आगे संसाधित करें

नयाचार के **भाग** II **और** III का उपयोग आंतरिक विश्लेषण और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें 10 के पैमाने पर अनुक्रमिक एल्गोरिथम उन्मूलन प्रक्रिया और 'वेटेज'–आधारित मैट्रिक्स का उपयोग करके उचित जांच, सत्यापन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है।

नयाचार के **भाग** II **और** III के अनुसार किसी भी पत्रिका की गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन इसके पिछले इतिहास, सतत्ता, सहकर्मी मान्यता, बाजार में प्रतिष्ठा, संपादकों की शैक्षिक साख, सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया, अनुक्रमिता, उद्धरण, प्रभार/शुल्क और संबंधित वित्तीय मामलों आदि के बारे में जानकारी के सत्यापन पर आधारित है। नयाचार के **भाग** II **और** III भागों के अनुसार जर्नल विश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी, सीधे ही 'पब्लिक डोमेन' (वेबसाइट, फ्लायर्स, विज्ञापन, पुस्तकालयों में पत्रिका की हार्ड कॉपी आदि) से प्राप्त की जाएगी। असत्य/ भ्रामक/गलत/अपर्याप्त जानकारी या अप्रमाणित दावा करने पर पत्रिका को किसी भी स्तर पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।

महत्वपूर्ण टिप्पणः

- नए जर्नलों को सम्मिलित किए जाने अथवा शामिल किए जाने के प्रस्ताव मात्र से ही, विअआ केयर सूची में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। विअआ–केयर सूची में पत्रिकाओं को शामिल करना पूरी तरह से ऊपर उल्लिखित मानदंडों पर आधारित होगा।
- नए जर्नलों को सम्मिलित किए जाने अथवा सूची से हटाए जाने के बारे में अंतिम निर्णय पूरी तरह से विअआ–केयर विशेषज्ञ समिति के पास निहित होगा।
- विअआ–केयर सूची परिवर्तनशील है। इसे प्रत्येक वर्ष तिमाही अर्थात् 01 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर (अथवा यदि इन तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश तो अगले कार्य दिवस पर) अद्यतन किया जाएगा।
- यदि कोई अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिका सम्मिलित नहीं है, तो इसे निर्धारित प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया (***https://ugccare.unipune.ac.in/apps1/home/index***) का पालन करके प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि सूची में कहीं भी कोई अयोग्य पत्रिका पाई जाती है, तो इसके बारे में प्रतिक्रिया विकल्प (***https://ugccare.unipune.ac.in/apps/Feedback.aspx***) के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है।
- स्कोपस (स्रोत सूची) या वेब ऑफ साइंस (आर्ट्स एंड ह्यूमेनिटीज साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेन्डिड सोर्स पब्लिकेशन, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन) में अनुक्रमित सभी विषयों से अनुसंधान पत्रिकाएं। विअआ प्रकोष्ठ द्वारा इन पत्रिकाओं का कोई आगे और विश्लेषण नहीं किया जाएगा और ऐसी सभी पत्रिकाओं को विअआ–केयर सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
- वेब ऑफ साइंस और स्कोपस डाटाबेस में सम्मिलित पत्रिकाएं, स्वतः ही विअआ–केयर सूची का भाग बन जाती हैं। दोनों डाटाबेसों का नियमित रूप से अद्यतन किया जाता हैं। ऐसे जर्नल जिन्हें इन डाटाबेसों में बंद/निष्क्रिय कर दिया गया है उन्हें निश्चित रूप से विअआ केयर–सूची में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा।
- गुणवत्तापूर्ण जर्नलों की विअआ–केयर संदर्भ सूची की वर्तमान स्थिति/आंकड़े

विअआ-केयर (समूह I)

1. विषय-वार जर्नल

विषय	जर्नलों की संख्या
कला और मानविकी	376
बहु–विषयक	50
विज्ञान	287
सामाजिक विज्ञान	314
कुल	**1027**

2. भाषा-वार जर्नल

जर्नल की भाषा	कुल जर्नल
आसमिया	9
बांग्ला	18
गुजराती	10
हिंदी	106
कन्नड़	8
कोंकणी	1
मैथिली	1
मलयालम	12
मराठी	33
ओडिया	1
पाली	1
प्राकृत	1
पंजाबी	11
राजस्थानी	1
संस्कृत	40
सिन्धी	1
तमिल	10
तेलूगू	8
उर्दू	33
कुल	305

3. सम्मिलित किए गए तथा अद्यतन किए गए प्रिंट जर्नलों की विषयवस्तु की तालिका (टीओसी) = 210 में से 185

4. क्लोन किए गए जर्नल

क्लोन किए गए जर्नल	जर्नलों की संख्या
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 'केयर समूह I''	37
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 'केयर समूह I ''	45
कुल	**82**

12.6 *गुरु दक्षता*- संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अधिदेशों में से एक नए भर्ती किए गए संकाय के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी) को विकसित और कार्यान्वित करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य संकाय के शिक्षण और प्रबंधन कौशल में सुधार करना है, उन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संस्कृति के प्रति अपने आपको ढालने में मदद करना और उन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अपनी व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को समझाना है। इस प्रकार, आयोग ने शिक्षण पेशे में नए भर्ती हुए नए संकाय को पेशेवर शिक्षक में बदलने के लिए एक औपचारिक व्यवस्थित संकाय प्रेरण कार्यक्रम (एफआईपी)– ''गुरु दक्षता'' तैयार किया है।

इस प्रवेशन कार्यक्रम में शिक्षण और अनुसंधान पद्धतियां ('फ्लिप' कक्षाएं, सहयोगात्मक शिक्षण, 'केस एप्रोच'), आईसीटी का उपयोग, पाठ्यक्रम संरचना और डिजाइन, लिंग और सामाजिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता लाने, पेशेवर नैतिकता, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना और अध्ययन के अपने क्षेत्र में हुए नवीन विकास से अद्यतन करना आदि शामिल होंगे। शैक्षिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने में संकाय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। संपूर्ण कार्यक्रम आवासीय है और सभी मॉड्यूल को पूरा करने के लिए, इसे आदर्श रूप से 170 से 175 घंटे की आवश्यकता होगी, जिसमें कुछ परियोजना कार्य और क्षेत्र के दौरे शामिल हैं। इसलिए, एक आदर्श कार्यक्रम की अवधि लगभग एक माह होगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी नए भर्ती किए गए संकाय सदस्यों को सेवा में शामिल होने के एक वर्ष के भीतर एफआईपी से गुजरना अनिवार्य है और एफआईपी को लागू करना विअआ–मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी) की जिम्मेदारी होगी।

वर्तमान में, एचआरडीसी, शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि वे बुनियादी कौशल और संवेदनशीलता प्राप्त करने के वांछित लक्ष्यों को हासिल कर सकें, जिनकी शिक्षक को प्रभावी 'क्लास–रूम' शिक्षण के लिए आवश्यकता होती है और स्वयं को पर्याप्त बनाने और नए ज्ञान से अद्यतन रहने के लिए आवश्यकता होती है। एचआरडीसी के अंतर्गत अभिविन्यास कार्यक्रमों को संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (गुरु दक्षता) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और इसे सीएएस के अंतर्गत पदोन्नति के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के समकक्ष माना जाता है। अभिविन्यास कार्यक्रमों के घटकों को गुरु दक्षता (संकाय प्रवेशन कार्यक्रम) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसी) के माध्यम से संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (गुरु दक्षता) दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा।

प्रवेश स्तर पर सहायक आचार्य (स्तर 10) कॅरियर प्रोन्नति योजना (सीएएस) के तहत दो क्रमिक स्तरों (स्तर 11 और स्तर 12) के माध्यम से पदोन्नति के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने;

i शिक्षण पद्धति पर 21 दिनों की अवधि के एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

ii एक पुनश्चर्या/अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम पूरा किया।

वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए गुरु दक्षता–संकाय प्रवेशन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या

विश्वविद्यालय की संख्या	लाभार्थी		
	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22
33	12580	3818	1595

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी–2020) के आलोक में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गुरु दक्षता–2.0 कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा है। इसे एनईपी 2020 में एक समग्र और बहु–विषयक शिक्षा के साथ एक प्रेरित ऊर्जावान और सक्षम संकाय पर बल देने को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है, जो संकाय को अनुमोदित ढांचे के भीतर अपने स्वयं के पाठ्यचर्या और शैक्षणिक दृष्टिकोण डिजाइन करने की स्वतंत्रता देता है, जिसमें पाठ्यपुस्तक और पठन सामग्री चयन शामिल हैं। गुरु दक्षता–2.0 के तहत संकाय को अभिनव शिक्षण, अनुसंधान और सेवा करने करने के लिए सशक्त बनाने पर बल दिया जाता है क्योंकि वे सबसे बेहतर समझते हैं जो वास्तव में, उनके लिए रचनात्मकता के साथ उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होगा।

12.7 परामर्श- गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों का मार्गदर्शन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए एक ''परामर्श''– नई पहल, योजना लागू की है ताकि वे वर्ष 2022 तक मान्यता प्राप्त कर सकें। विअआ ने पात्र संस्थानों अर्थात् जिनका एनएएसी प्राप्तांक 3.26 और उससे अधिक है, उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मार्गदर्शक संस्थान को 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी संस्थान का मार्गदर्शन किए जाने के मामले में, मार्गदर्शक संस्थान को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों को प्रेरित करने के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए अभिनव कदमों, प्रदर्शन के अपेक्षित स्तरों की तुलना में प्रमुख संकेतकों पर मार्गदर्शक संस्थानों का प्रदर्शन स्तर, और मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या और उनके प्राप्तांक के आधार पर मार्गदर्शक संस्थानों के प्रदर्शन परिणामों पर विचार करेगा। 167 संस्थानों की पहचान मार्गदर्शक संस्थानों के रूप में की गई है।

योजना के तहत, वर्ष 2021–22 के दौरान मार्गदर्शक संस्थानों को 110.23 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

12.8 मूल्य प्रवाह- मूल्यपरक तथा पेशेवर आचार अंतर्निविष्ट करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी गुणवत्ता अधिदेश पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2019 में ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानव मूल्यों और पेशेवर आचार को अंतर्निविष्ट करने के लिए दिशानिर्देश'' विकसित और लागू किए हैं। यह सभी संस्थानों को अपने संबंधित संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता के साथ समर्थित उच्च गुणवत्तायुक्त परिवेश को तैयार करने के लिए अपनी अभिनव पद्धतियों की पहचान करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की प्रमुख सिफारिशों को शामिल करने के लिए वर्ष 2019 के मूल्य प्रवाह– दिशानिर्देशों को अब संशोधित किया गया है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को विकसित करने के लिए मूल्य प्रवाह– दिशानिर्देश 2.0'' लेकर आया है। इस संशोधित दिशानिर्देश में वह दृष्टिकोण शामिल किया गया है जिसमें सत्यता (सत्य), सदाचारी आचरण (धर्म), शांति (शांति), प्रेम (प्रेम), अहिंसा (अहिंसा), वैज्ञानिक स्वभाव, नागरिक मूल्यों और जीवन–कौशल के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों सहित सेवा में पाठ और सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में भागीदारी एक समग्र शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल करते हुए हितधारकों– छात्रों, संकाय सदस्यों, अकादमिक प्रशासकों और कर्मचारियों के बीच मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना, अपने देश के साथ जुड़ना, और बदलते विश्व में अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के बारे में सचेत जागरूकता विकसित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र का प्रस्ताव करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 2022 में ''मूल्य प्रवाह– उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मानव मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को अंतर्निविष्ट करने के लिए दिशानिर्देश 2.0'' पर हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

12.9 पर्यावरण शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और पाठ्यचर्या ढांचा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लचीले और अभिनव पाठ्यक्रम के माध्यम से समग्र और बहु–विषयक शिक्षा प्राप्त करने की सिफारिश करती है, जिसमें सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य–आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में क्रेडिट–आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं शामिल होंगी।

इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पर्यावरण शिक्षा हेतु दिशानिर्देश और पाठ्यचर्या ढांचा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसमें जलवायु परिवर्तन (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली संशोधन, 'नेट जीरो' आदि), प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों और जैव विविधता का प्रबंधन, वन और वन्यजीव संरक्षण, और सतत् विकास और जीवन यापन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ''पर्यावरण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचे'' का मसौदा तैयार करने के लिए अब तक समिति की अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं।

12.10 विश्वविद्यालयों के समाज तथा उद्योग के साथ संपर्क को सक्षमकारी बनाना तथा उसका विस्तार करना

उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम के तहत ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अपेक्षा की गई थी कि वे कम से कम 5 गांवों को गोद लें और स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित करें और ग्राम समुदायों की समग्र सामाजिक/आर्थिक बेहतरी के लिए कार्य करें। समानांतर रूप से, विश्वविद्यालय–उद्योग सहयोग को नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सहायक के रूप में मान्यता दी गई है जिसे 'साइलो' में काम करके हासिल नहीं किया जा सकता है।

समाज और उद्योग संपर्क का मुख्य उद्देश्य, छात्रों का समाज और उद्योग के साथ संपर्क को बढ़ावा देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम 2/3 छात्र सामाजिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हों और संस्थानों में अध्ययन की अवधि के दौरान उनका उद्योग के साथ मेलजोल हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय–उद्योग संपर्क कार्यक्रम पर एक अवधारणा टिप्पण और योजना तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने विश्वविद्यालय उद्योग संपर्क कार्यक्रम को सक्षम बनाने और विस्तार देने के लिए अवधारणा टिप्पण को अंतिम रूप दिया था।

आयोग ने अपनी 550वीं बैठक में ''विश्वविद्यालय और उद्योग संपक को सक्षम बनाने और विस्तार देने'' संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया और उसे संस्वीकृत किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''**भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सामाजिक उत्तरदायित्व सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा**'' देने पर 30 घंटे का क्रेडिट पाठ्यक्रम भी विकसित किया है।

पाठ्यक्रम को निम्नलिखित ज्ञानअर्जन परिणामों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है:

- ग्रामीण जीवन, संस्कृति और सामाजिक वास्तविकताओं का बोध करना।
- स्थानीय समुदाय के साथ प्रगाण सहानुभूति और पारस्परिकता के बंधन की भावना को विकसित करना।
- भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान का बोध करना।
- समुदाय के स्थानीय ज्ञान और बोध को महत्व देना सीखना।
- समुदाय के सामाजिक–आर्थिक सुधारों में योगदान के लिए अवसरों की पहचान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 21 और 22 जनवरी, 2020 को ''एचआईआई की सामाजिक उत्तरदायित्व समुदाय सहभागिता को बढ़ावा देने'' के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

12.11 Nk=k dh ixfr dh fuxjkuh djuk

भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्राप्त करने के बाद छात्र प्रगति में रुझानों को समझकर साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। क्षेत्र में सुधारों को लागू करने और साथ ही आम जनता में जागरूकता का प्रसार करने के लिए विनियामक निकायों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों की प्रगति पर निगरानी रखने और उच्चतर शिक्षा में हुए सुधारों के प्रभाव का आकलन करने और सुधार करने के लिए ट्रैक की गई जानकारी का उपयोग करते हुए, ''छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क'' पर एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने हेतु एक कृत बल का गठन किया गया है।

आयोग ने अपनी 550 वीं बैठक में ''छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क'' संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।